

प्रमुख देशों की बैंकिंग प्रणालियां

(संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, प० जर्मनी, जापान, आस्ट्रेलिया और
पाकिस्तान की बैंकिंग प्रणालियां)

फैलाश बहादुर सक्सेना
व्यावहारिक अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग,
श्री जैन पोस्ट-ग्रेजुएट कॉलेज, श्रीकांठेर

कॉलेज बुक डिपो, जयपुर

By The Same Author

- 1 केंद्रीय बकिंग—सिद्धांत एव व्यवहार
- 2 विपन्न की प्रमुख वित्तीय समस्याएँ

भूमिका -

प्रस्तुत पुस्तक 'प्रमुख देशों की बँकिंग प्रणालियाँ' कला एवं वाणिज्य के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों वक अधिकांशियों एवं इस विषय में रुचि रखने वाले अन्य पाठकों के लाभाय लिखी गई है। हमारी गौरवमय राष्ट्र भाषा हिंदी में इस विषय पर सम्भवतः यह प्रथम प्रयास है।

इस पुस्तक में क्रमशः सयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मन गणराज्य, आस्ट्रेलिया एवं पाकिस्तान की बँकिंग प्रणालियों का विवेचन किया गया है। बोर्ड ऑफ़ द फ़ेडरल रिजर्व सिस्टम, वाणिज्यिक बैंक ऑफ़ इंग्लैंड, लंदन, बैंक ऑफ़ जापान, टोकियो, जर्मन-गणराज्य के केंद्रीय बैंक, फ्रैंकफर्ट के प्रमुख अधिकारियों का लेखन आभारी है जिन्होंने अपने अपने देशों की बँकिंग प्रणालियों से सम्बन्धित अधिकृत सामग्री प्रेषित की है और साथ ही उस सामग्री का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग एवं अनुवाद करने की अनुमति भी प्रदान की है। इस पुस्तक की रचना में अनेक मान्य पाठ्य-पुस्तकों की भी सहायता स्वतंत्रतापूर्वक ली गई है। मूल-स्रोतों से सामग्री उपलब्ध होने व उसका उपयोग करने के कारण पुस्तक प्रामाणिक बन सकी है।

पुस्तक को और अधिक उपदेय बनाने हेतु विपणनों के सुभाव आभारित हैं।

—के. बी. सक्सेना

विषय-सूची

S सयुक्त राज्य अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली

- | | | |
|----|--|----|
| 1 | व्यापारिक बैंकिंग विकास | 1 |
| | भूमिका फ्रस्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, सर्विड बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट बैंकिंग, स्वतंत्र बैंकिंग, अनाश्रित ट्रेजरी । | |
| 2 | नेशनल बैंकिंग प्रणाली | 13 |
| | योजना का निर्माण नेशनल बैंकिंग एक्ट का पास होना, नेशनल बैंक की स्थापना । | |
| 3 | व्यापारिक बैंकों के स्वरूप | 18 |
| | स्टेट बैंक व उनका वर्गीकरण, सदस्य बैंकों को लाभ, समस्त स्टेट बैंक सदस्य क्या नहीं हैं ? नेशनल बैंकों का विकास, बैंकों पर नियंत्रण नियंत्रक अधिकारियों की शक्तियों का वितरण । | |
| ✓4 | व्यापारिक बैंकों के स्वरूप (क्रमशः) | 26 |
| | इवाई बैंकिंग, आशय, विकास, विवास के कारण । शाखा बैंकिंग, विकास, वर्तमान स्थिति, विदेशों में शाखाएँ । समूह बैंकिंग । व्यापारिक बैंकों का विकास, देश के प्रमुख व्यापारिक बैंक । | |
| 5 | फ़ेडरल रिजर्व प्रणाली | 34 |
| | ऐतिहासिक विवेचन, फ़ेडरल रिजर्व प्रणाली का उदय । | |
| ⑥ | फ़ेडरल रिजर्व प्रणाली का संगठन | 36 |
| | उद्देश्य, फ़ेडरल रिजर्व जिलों की स्थापना, प्रणाली का सामान्य ढांचा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, खुले बाजार की क्रमेटी, सलाहकार परिषद् । | |
| 7 | फ़ेडरल रिजर्व बैंक | 47 |
| | फ़ेडरल बैंकों पर अधिकार किसका हो ? प्रबंध, वतन, सदस्यता । | |
| ⑧ | फ़ेडरल रिजर्व बैंकों के कार्य | 54 |
| | प्रमुख कार्य, मौद्रिक-नीति के संचालन, फ़ेडरल रिजर्व बैंक का सामूहिक चिट्ठा । | |

- 33 निजी क्षेत्र की आय वित्तीय सस्याए
बीमा कम्पनिया, माग पर देय ऋणों के व्यापारी प्रतिभूति
कम्पनिया आदि। धनुक्रम 232
- 34 सरकारी वित्तीय सस्याए
विशेषताए, ढाचा, सरकारी वित्तीय सस्याया की रूप रेखा। 238
- 35 प्रमुख वित्तीय सस्याए
भूमिका, साल की आवश्यकताए प्रमुख सस्याए। 249
- 36 व्यापारिक बक
भूमिका, क्रमिक विकास, वर्तमान स्थिति प्रमुख काय। 249
- 37 रिजर्व बक आफ आस्ट्रेलिया
स्थापना, के द्वीय बैंकिंग की ओर अग्रसर, 1945 के दो एक्ट। 251
- 38 पाकिस्तान की बैंकिंग प्रणाली
पाकिस्तान में बैंकिंग का प्रारम्भ
बैंकिंग की पृष्ठभूमि विभाजन के समय बैंकिंग की दशा स्टलिंग
बलेंस का बटवारा रिजर्व बैंक की सम्पत्तियों का बटवारा नये
नोट व सिक्के के द्वीय बक की स्थापना के प्रयास। 258
- 39 स्टेट बक आफ पाकिस्तान का संगठन
स्थापना अश पूजी आलाए सचालको का केन्द्रीय मडल के द्वीय
निदेशालय का संगठन। 272
- 10 स्टेट बक के प्रमुख काय
नोट निगमन, सरकार का बकर, बरौ वा बकर विनियम नियन्त्रण
का काय, सार्व नियन्त्रण, सरकार का आर्थिक परामशगता,
अय काय। 281

संयुक्त राज्य अमेरिका
की
बैंकिंग प्रणाली

(Banking System in U.S A.)

9 फडरल रिजर्व प्रणाली का आलोचनात्मक अध्ययन
प्रमुख आलोचनाएँ एवं परामर्श ।

शत्रुक्रम

67

Σ इंग्लैंड की बैंकिंग प्रणाली

10 इंग्लैंड में बैंकिंग विकास
यहूदियों का स्थान लीम्बाइस का उदय स्वणकारों का उदय,
संयुक्त पूंजी वाले बैंक, बंद चार बैंक समाशोधन गृह बैंक ।

73

11 व्यापारिक बैंक
इंग्लैंड में बैंकिंग प्रणाली की विशेषताएँ काय विभागों में इंग्लैंड
के बैंक इंग्लैंड में विदेशी बैंक ।

80

2 मर्चेन्ट बैंक
प्राथम्य मर्चेन्ट बैंकों का उदय प्रमुख मर्चेन्ट बैंक स्वीडिश गृह,
निगमन गृह विभागों में विस्तार ।

86

1, बैंक धाफ इंग्लैंड
पृष्ठभूमि बैंक धाफ इंग्लैंड की स्थापना बैंक का राष्ट्रीयकरण ।

91

14 बैंक धाफ इंग्लैंड का संगठन
भूमिका राष्ट्रीयकरण के पूर्व संगठन वर्तमान संगठन प्रधान
कार्यालय व शाखाएँ पूंजी व नाम चांसलर धाफ एकत्रितकर

95

15 बैंक धाफ इंग्लैंड के काय
प्रमुख काय

101

16 साक्ष्य नियंत्रण
भूमिका बैंक धाफ इंग्लैंड द्वारा साक्ष्य नियंत्रण ।

109

17 बैंक रिटन
रिटन का रूप निगमन विभाग बैंकिंग विभाग ।

122

18 बचत बैंक
ट्रस्टी बचत बैंक टावर बचत बैंक व गिरो ।

126

19 औद्योगिक बिल
भूमिका औद्योगिक-बिल प्रधान करने वाली प्रमुख संस्थाएँ ।

131

5

प० जमनी की बँकिंग प्रणाली

20

केन्द्रीय बँकिंग 135
बक ऑफ ह्यूम्बग की स्थापना व घट, रीग बक, नैड मट्टन बक,
क्यू ग-बम बक—केन्द्रीय बक, प्रमुख काय ।

21 व्यापारिक बक 143
वर्तमान स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, काय, बने तीन बक ।

22 जन नियम के अन्तर्गत समामेजित साल सस्याए 149
वर्तमान स्थिति निरो सस्याए, विनिष्ट बक ।

5 जापान की बँकिंग सस्याए

23 जापान की वित्तीय सस्याए—एक दृष्टि मे 157
केन्द्रीय बक निजी वित्तीय सस्याए, सरकारी वित्तीय सस्याए ।

24 जापान में बँकिंग विकास 159
नेशनल बक केन्द्रीय बक, व्यापारिक बक बचत बकी व विनिष्ट बका
का विकास ।

25 बक आफ जापान 165
स्थापना, उद्देश्य, पूजी, सगटन, सरकार व साथ सम्बन्ध ।

26 बक आफ जापान के काय 173
प्रमुख काय, स्थिति का अनुमान व विश्लेषण ।

27 व्यापारिक बक 190
भारम्भिक विकास, बक एक्ट 1890 के पश्चात् विकास, वर्तमान
प्रवृत्ति ।

28 व्यापारिक बक (क्रमश) 194
भाषण, महत्व, प्रकार विशेषताए, प्रमुख काय, बक आफ
जापान से संबन्ध, सरकार का पयवेपण एव निर्देशन ।

29 कृषि, वन काय एव मछली-बम के लिए वित्तीय सस्याए, 210
विशेषताए, कृषि सहकारिताए, भाय सस्याए ।

30 दीर्घकालीन साल बक 217
वित्त व्यवस्था, स्थापना वर्तमान स्थिति, प्रमुख काय ।

31 ट्रस्ट बक 221
विकास, प्रमुख काय ।

32 छोटे व्यापार के लिए वित्तीय सस्याए 225
भाषण विशेषताए, वर्तमान स्थिति, विभिन्न वित्तीय सस्याए ।

- 33 निजी क्षेत्र की अर्थ वित्तीय सस्थाएँ
बीमा कम्पनियाँ, मांग पर देय ऋणा के ध्यातारी, प्रतिभूति
कम्पनियाँ आदि । 232
- 34 सरकारी वित्तीय सस्थाएँ 238
विशेषताएँ, ढाचा, सरकारी वित्तीय सस्थाएँ की रूप रेखा ।

आस्ट्रेलिया की बैंकिंग प्रणाली

- 35 प्रमुख वित्तीय सस्थाएँ 249
भूमिका, साख की आवश्यकताएँ प्रमुख सस्थाएँ ।
- 36 ध्यापारिक बँक 251
भूमिका, अमिष विकास, वर्तमान स्थिति प्रमुख काय ।
- 37 रिजर्व बँक ऑफ आस्ट्रेलिया 258
स्थापना, केन्द्रीय बैंकिंग की ओर अग्रसर, 1945 के दो एक्ट ।

पाकिस्तान की बैंकिंग प्रणाली

- 38 पाकिस्तान में बैंकिंग का प्रारम्भ 267
बैंकिंग की पृष्ठभूमि, विभाजन के समय बैंकिंग की दशा, स्टर्लिंग
वॉलेंस का बटवारा, रिजर्व बँक की सम्पत्तियों का बटवारा, नये
नोट व सिक्के, केन्द्रीय बँक की स्थापना के प्रयास ।
- 39 स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान का संगठन 272
स्थापना, अश पूजा, शाखाएँ संचालकों का केन्द्रीय मंडल केन्द्रीय
निदेशालय का संगठन ।
- 40 स्टेट बँक के प्रमुख काय 281
नोट निगमन, सरकार का बँकर बँको का बँकर विनियम नियंत्रण
का काय साख नियंत्रण, सरकार का धारिणिक परामशदाता,
अर्थ काय ।

संयुक्त राज्य अमेरिका
की
बैंकिंग प्रणाली

(Banking System in U.S A.)

१

सयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापारिक बैंकिंग विकास

व्यापारिक-बैंक को प्रायः वित्त का विभागीय भंडार (the department store of finance) कहा जाता है। सयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान व्यापारिक ऋणों को समझने के लिए देश के भूमि बैंकिंग विकास का अध्ययन आवश्यक है। सयुक्त राज्य अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली विनष्ट है। सयुक्त राज्य अमेरिका के बैंकिंग इतिहास का स्वरूप में, तीन भागों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक भाग की अधिक स्पष्टीकरण के उद्देश्य से और उपविभागों में विभक्त किया जाएगा। मुख्य विभाग ये हैं—

- 1 1781 में पूर्व—भूमि बैंक की स्थापना,
- 2 1781 में 1863 तक, जबकि नेशनल बैंकिंग प्रणाली स्थापित की गई,
- 3 1863 से 1914 तक, जबकि फ़ेडरल रिजर्व प्रणाली स्थापित की गई।

स्वरूप में कहा जा सकता है कि सन् 1914 में पूर्व तक सयुक्त राज्य अमेरिका में बिना केन्द्रीय बैंक के बैंकिंग प्रणाली थी।

I सन् 1781 से पूर्व

आरम्भिक वर्षों में तदीय एवं साधनशील दशा की भाँति, यहाँ साधनों का विनोदन करना था, किंतु पूँजी की कमी थी। बचत एकरित होने की गति अति मंद थी। महाजनो (money lenders) की कमी थी, अतः यह स्वाभाविक था कि बैंक की स्थापना की आवश्यकता अधिक प्रतीत हो रही थी।

अठारहवीं शताब्दी के प्रथम आधे भाग में अमेरिका के उपनिवेशों (colonies) में 'भूमि बैंकों (land banks) की स्थापना की। ये भूमि-बैंक मर्यादित उपनिवेश की सरकारों द्वारा संचालित किए जाते थे, और विभिन्न प्रकार की भूमि व जायदाद की मर्यादा के आधार पर, ऋणों के रूप में, प्राचीन पत्र मुद्रा निर्गमित की गईं। भूमि के कम मूल्य एवं पत्र मुद्रा के अत्यधिक मात्रा में निर्गमित किए जाने के कारण, स्वर्ण व चाँदी की दृष्टि में इस चलन (currency) का मूल्य पर्याप्त गिर गया।

बैंक को चाँदर प्रदान किए जाने के पूर्व के दिनों में भी निजी बैंकों में भूमि बैंकिंग एवं व्यापारिक बैंकों में अंतर दृष्टिगोचर होता था। सन् 1741 में एक भूमि बैंक बोस्टन में स्थापित हुआ, जिसने भूमि एवं बचत के विरुद्ध नोट निर्गमन किए। यह बैंक यद्यपि जनता में पर्याप्त लोकप्रिय हुआ, किन्तु संचालनी बोगों ने

उमका धार विरोध किया और एक बप बाण ही सन् 1742 म मम व एक एक द्वारा इसे अवधानिक घोषित कर दिया गया ।

सन् 1733 म एक पुन सन् 1740 म बोस्टन नगर क कुछ व्यापारिया न निजी बक स्थापित किए । ये निजी बक अल्पकालीन 'व्यापारिक' विपत्तों की वटीनी करते थे । इन्होंने अपने साल बिल भी निगमित किए । ये साल बिल अत्यन्त साव-प्रिय हो गये क्योंकि इन बिला का स्वर्ण व चादी के रूप म नियत समय पर भुगतान हमशा किया जाता रहा । वास्तव मे, ये निजी बक बाद मे स्थापित होने वाले व्यापारिक-बकों के अग्रगामी (forerunners) के रूप मे थे ।

II सन 1781 से 1811 तक

संयुक्त राज्य अमरिका म आधुनिक प्रकार का प्रथम बक¹ बक आफ मासचुसेट्स 'फिलाडेल्फिया म सन् 1782 मे स्थापित किया गया । इम बक की स्थापना कौटीनटल कांग्रेस द्वारा स्वीकृत एक चाटर के अंतगत की गई था । जनता न लगभग 70 हजार डालर का अभिदान किया और कांग्रेस न 2 लाख डालर क स्टॉक खरीदे और मूल्य स्वर्ण म दिया । यद्यपि अधिकांश पूजी केतीय सरकार द्वारा प्रदत्त की गई थी किंतु सरकार न इस बक का प्रबंध निजा व्यक्तियों के हाथ म ही छोड़ दिया । कौटीनटल कांग्रेस को किसी बकिंग संस्था को चाटर प्रदान करने का अधिकार है अथवा नहीं—यह एक विवादग्रस्त प्रश्न बन गया अत इम बैंक न सन् 1782 म ही पन्सिलवेनिया राज्य से पुन चाटर प्राप्त कर लिया ।

सन् 1784 म दो बक और स्थापित हुए—बक आफ मैसचुसेट्स (Bank of Massachusetts) जिसन सन् 1784 म ही चाटर प्राप्त कर लिया और बक आफ यूपाक जा सन् 1791 तक बिना चाटर के बाय करता रहा । बक आफ यूपाक के संस्थापकों म एनज डर हैमिल्टन का नाम उल्लेखनीय है जो कि उन समय वाशिंगटन के कैबिनेट म ट्रेजरी के सेक्रेटरी थे ।

फर्स्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स (1791-1811)

(The First Bank of the United States)

चाटर की प्राप्ति—यह देश म प्रथम बक था जो कि फडरल सरकार द्वारा प्रदान किए गये चाटर के अंतगत स्थापित हुआ । एनज डर हैमिल्टन जा सन् 1784 म बक आफ यूपाक के संस्थापकों म से प्रमुख थ न संविधान (constitution) के लागू होने के पश्चात् फडरल चाटर के अंतगत एक नशनल बक स्थापित करने की योजना बनाई । उन्होंने इस संस्था से हान बान सभाविन नामा का कांग्रेस के सम्मुख सन् 1790 मे प्रस्तुत रिपोर्ट म बनलाए । उन्होंने यह बतलाया कि इसकी स्थापना से सरकार का (ऋण सन म, कोषा क स्थानान्तरण म आदि) व व्यापारिया को लाभ होगा ।

उत्तर के राज्य एकमत हाकर इम प्रस्ताविन बक की स्थापना क पक्ष म थ

बैंकिंग क्षेत्र में एकाधिकार का विस्तार होगा अतः यह जनतंत्र के विरुद्ध है। अतः इस सम्बन्ध में कांग्रेस में चोट लिए गए एक पत्र में अधिक मतदान के कारण प्रेसिडेंट वाशिंगटन ने इसके चाटर पर हस्ताक्षर कर लिए।

स्थापना—इस बैंक की स्थापना सन् 1791 में चाटर के अन्तर्गत की गई। यह चाटर 20 वर्षों के लिए अर्थात् सन् 1811 तक के लिए था। इसका प्रधान कार्यालय फिलाडेल्फिया में था और इसकी 8 शाखाएँ थीं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख नगरों में स्थित थीं।

पूँजी—इस बैंक की पूँजी 1 करोड़ डालर थी जिसमें से 20 लाख डालर फेडरल सरकार द्वारा प्रदान किये गये और शेष 80 लाख डॉलर जनता द्वारा जिनमें से कुछ दूसरे दशकों के निवासी भी थे।

सरकार ने अपने द्वारा प्रदान की गई पूँजी (20 लाख डालर) ऋण के रूप में वापस ले ली।

जनता को जो पूँजी निगमित की गई थी वह भी अंशों के रूप में थी। प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य 400 डॉलर था और कोई भी व्यक्ति 1 हजार से अधिक अंश नहीं ले सकता था। अंशों का मूल्य 4 अर्द्ध वार्षिक किश्तों में चुकाना था। अंशों का 25% मूल्य स्वयं से व शेष फेडरल सरकार के 6% बॉन्डों के रूप में चुकाना था।

प्रबंध—इस बैंक के प्रबंध के लिए 24 सचालकों का संचालन मंडल था जिनका चुनाव स्टॉक धारक करते थे। कोई भी स्टॉक धारक 30 से अधिक वोट नहीं दे सकता था। विदेशी स्टॉक धारकों को वोट देने के लिए स्वयं उपस्थित होना आवश्यक था। चाटर में यह प्रावधान था कि बैंक का स्टॉक धारक एक संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक ही बैंक का सचालक हो सकता था।

नोट निगमन व ऋण देना—इस बैंक को 1 करोड़ डालर तक की पत्र मुद्रा निकालने का अधिकार दिया गया। ये नोट यद्यपि विधिग्राह्य (legal tender) नहीं थे, किंतु जब तक बैंक इस पत्र-मुद्रा को स्वयं से बदलने की सामर्थ्य रखता था ये नोट फेडरल गवर्नमेंट द्वारा भी मान्य थे।

बैंक का निक्षेप (deposits) स्वीकार करने का अधिकार था। यह उल्लेखनीय है कि उस समय निक्षेप राशि का प्रयोग बैंक नोट निगमन के रूप में ही किया जाता था।

इस बैंक को जनसाधारण एक फेडरल गवर्नमेंट का ऋण देना का भी अधिकार दिया। इन ऋणों को अधिकतम 6% वार्षिक व्याज की दर पर दिया जा सकता था। फेडरल गवर्नमेंट को यह बैंक अधिकतम 1 लाख डालर तक का ऋण दे सकता था किंतु कांग्रेस की विशेष अनुमति से इस राशि में वृद्धि की जा सकती थी।

बैंक द्वारा की गई सेवाएँ—यह बैंक अपने वायकाल में बहुत सफल हुआ और फडरल गवर्नमेंट व जनता की महत्वपूर्ण सेवाएँ की।

सरकार ने बैंक के जो 20 लाख डॉलर के स्टॉक लिए थे, उनके बदले सरकार ने 20 लाख डॉलर का ऋण ले लिया। इसके अतिरिक्त भी यह बैंक समय समय पर सरकार को बड़ी मात्रा में ऋण देता रहा। उदाहरण के लिए सन् 1796 में फडरल सरकार इस बैंक की 60 20 लाख डॉलर की ऋणी थी।

यस बैंक ने इस समय में अच्छे नोट निगमित किए जब कि सोने व चांदी की कमी थी। इसने व्यापारियाँ आदि को ऋण दिए। इसने राज्यों द्वारा चाटर प्रदान किए गये बैंकों द्वारा निगमित पत्र मुद्रा का उद्देश्य बैंकों के पास स्वयं व चाँदी में बदलने के लिए भेज दिया और ऐसा नाटो को ही स्वीकार करता था जो कि स्वयं व चाँदी में परिवर्तित हो सकें। इसका प्रभाव यह हुआ कि देश में पत्र मुद्रा की मात्रा अनियंत्रित रूप में नहीं बढ़ पाई।

बैंक का बंद होना—इस बैंक का चाटर 1811 में समाप्त हो रहा था, उसका नवीनीकरण नहीं किया गया। इस बैंक द्वारा इतनी उत्तम सेवाएँ प्रदान करने के उपरान्त भी यह समझना कठिन है कि इस बैंक के चाटर का नवीनीकरण क्या नहीं किया गया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1 स्टेट बैंकों द्वारा विरोध—संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेट बैंकों की संख्या निरंतर बढ़ रही थी। उनकी संख्या सन् 1811 में 88 हो गई। ये बैंक इस बैंक के चाटर के नवीनीकरण का घोर विरोध कर रहे थे क्योंकि वे इस बैंक को अपना बराबर प्रतिस्पर्धी मान रहे थे।

2 विदेशियों द्वारा अधिक नियंत्रण की संभावना—इस बैंक के स्टॉक विदेशियों के पास अधिक एकत्रित हाथों में जा रहे थे अतः यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इस बैंक पर विदेशियों का आधिपत्य हाँ जावेगा। यद्यपि विदेशियों के लिए यह प्रतिबन्ध था कि वे वोट स्वयं ही उपस्थित रहकर दे सकते थे और अधिकांश विदेशी—स्टॉक—धारक विदेशों में लामाश (dividend) के रूप में जा रहा था। इस बैंक के 25 हजार अंशों में से लगभग 18 हजार अंश अंग्रेजों के पास थे।

3 अज्ञानता-विक्रम एवं असंबन्धित—संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अंग्रेजों के चाटर प्रदान के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख नहीं था, अतः तर्क किया गया कि इस बैंक के कारण अज्ञानता-विक्रम एकाधिकार का विकास हो रहा है। अतः विरोधियों के मतानुसार यह बैंक प्रारम्भ में ही असंबन्धित था।

4 पत्र मुद्रा का विरोध—यह तर्क भी दिया गया कि धातु मुद्रा ही अच्छी मुद्रा है और पत्र-मुद्रा चाहें सरकार निकाले अथवा बैंक चुरी है। यह बैंक पत्र मुद्रा ही निगमित करता था।

यदि इस बैंक के चाटर के नवीनीकरण के विषय में अनेक व्यक्ति थे तो अनेक व्यक्ति ऐसे भी थे जो इसके पक्ष में थे। अतः 20 फरवरी 1811 का इस बैंक का पुनः चाटर करने में सम्बन्धित विषय पर मीटिंग में बहस हुई और अंत में वोट निकाला

गया। पन्च व विपक्ष में बराबर वोट प्राप्त तभी मीनट व वाग्म प्रेमाडेड का निर्णायक-मत (casting vote) व द्वारा यह विन पंगजिन हो गया।

इसके फलस्वरूप इस बैंक का विघटन हागया और वक न 400 डालर व अर्कित मूल्य के अंश के लिए प्रति शयर 434 डालर लिए। इस प्रकार, इस बैंक का अंत होगया।

क्या यह एक केन्द्रीय बैंक था ?

द बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को कुछ विद्वान केन्द्रिय बैंक के समकक्ष मानते हैं किन्तु ऐसा नहीं था। इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित तर्क हैं —

1 अर्थ बन्को पर नियंत्रण नहीं—इस बैंक का दश व अर्थ बैंक व ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था वरन् यह अर्थ बैंक व साथ प्रतियर्षिता करता था।

2 पत्र मुद्रा निगमन पर एकाधिकार नहीं—इस बैंक को दश की पत्र मुद्रा के निगमन पर एकाधिकार नहीं था अर्थ स्टेट बैंक भी पत्र मुद्रा का निगमन करते थे।

3 जनता से व्यवहार—केन्द्रिय बैंक बैंक का उबर होता है और जनसाधारण से बैंकिंग व्यवहार नहीं करता। किन्तु यह बैंक जनसाधारण से ही मुख्यतः व्यवहार करता था।

4 लाभ का उद्देश्य था—इस बैंक का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना था जबकि केन्द्रीय बैंक का यह उद्देश्य नहीं होता है।

निष्कर्ष—आधुनिक युग की दृष्टि से इस बैंक की पूंजी (एक करोड़ डालर) कम थी अतः इसकी गणना साधारण स्तर व बैंक के रूप में करनी चाहिए, किन्तु उस समय की दृष्टि में यह एक बहुत बड़ा बैंक था। यह अपने समय का केवल सबसे बड़ा बैंक ही नहीं था वरन् अमेरिका में सबसे बड़ा निगम भी था। इसके अतिरिक्त यह सघ द्वारा प्रदान किये गये चाटर व अंतगत स्थापित प्रथम बैंक था जिसकी पूंजी फडरल सरकार एवं निजी व्यक्तियों ने प्रदान की थी।

सेकेंड बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स (The Second Bank of the United States) (1816—1836)

फर्स्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स व चाटर का नवीनीकरण न किये जान क परिणामस्वरूप वहा सन् 1811 में 1816 की अवधि में स्टेट बैंको की स्थापना में एवं नोट निगमन की मात्रा में बन् तीव्र गति से वृद्धि हान लगी। सन् 1811 में स्टेट बैंक की सख्या 88 थी जबकि सन् 1816 में इनकी सख्या 246 हो गई।

स्थापना की आवश्यकता—स्टेट बैंक अत्यधिक मात्रा में नोट निगमन करने लग था। सन् 1811 में स्टेट बैंक द्वारा निगमित नोट 23 करोड़ डालर के थे जा सन् 1816 में बढ़कर 11 करोड़ डालर के हो गए एवं अपने नोटों का साने अथवा चांदी में बदलने में अममथ से हाने लग। इसका कारण यह था कि लगभग 70 लाख डॉलर मूल्य का साना विश्वास को फर्स्ट बैंक के स्टॉक धारकों का भुगतान करने व

निगम बना दिया गया और इन बैंकों के पास मान्यता दी जाने लगी थी

सन् 1812 में इंग्लैंड से युद्ध आरम्भ हो गया और सरकार को अधिक धन की आवश्यकता पड़ने लगी। यू. ई. गण्ड राज्य के स्टेट बैंक के प्रतिरिक्त देश के सभी बैंकों ने सन् 1814 में नांग का धातु में बदलना बंद कर दिया। और अनेक क्षणों में जागृतार मांग होने लगी कि सेंट्रल बैंक यूनाइटेड स्टेट्स की स्थापना की जाय।

बैंक की स्वीकृति से बैंक की स्थापना—प्रेसिडेंट मैडिसन (President Madison) के शासन काल में ट्रेजरी के सेक्रेटरी एलेक्जेंडर डलस (Alexander Dallas) ने सेंट्रल बैंक की स्थापना पर बहुत जोर दिया। और इसके लिए एक बिल जनवरी 1815 में पास कर दिया गया किन्तु यह बिल सेक्रेटरी डलस को ठीक नहीं लगा और प्रेजिडेंट मैडिसन ने इस बिल पर अपनी वीटो (veto) शक्ति का प्रयोग किया और हस्ताक्षर नहीं किए। और दूसरा बिल पास किया गया जिस पर राष्ट्रपति ने 10 अप्रैल 1816 को अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस एक्ट के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को 20 वर्षों के लिए (1816-1836) बिल प्रदान किया गया। इस बैंक ने जनवरी 1817 में कार्य प्रारम्भ कर दिया। इस बैंक ने अपना 25 आवागमन दशक विभिन्न भागों में स्थापित की।

धनपूजा से प्राप्त आय—इस बैंक की अधिभूत पूंजी 350 करोड़ डॉलर रखा गया जो कि 100-100 डॉलर के पूंजी-स्टॉक में विभक्त की गई। इस पूंजी में से 20% भाग (70 लाख डॉलर के पूंजी स्टॉक) फेडरल सरकार ने लिए और इनका उपयोग अपने बोर्ड में किया। बाकी पूंजी-स्टॉक जनता को निगमित किए गए। बाकी भाग व्यक्ति 3 हजार पूंजी स्टॉक में अधिभूत नहीं ले सकता था। लिए जाने वाले स्टॉक के मूल्य का 25% भाग स्वयं बैंक द्वारा आवश्यक था कि बोर्ड सरकारों को अपने रूप में लिया जा सकता था।

इस बैंक का भी नांग नियमन का अधिभूत किया गया किन्तु इस सम्बन्ध में दो प्रतिबंध थे—प्रथम अपना पूंजी-स्टॉक के मूल्य के बराबर नांग नियमन कर सकता था और द्वितीय 5 डॉलर से कम अधिभूत मूल्य के नांग नहीं निकाल सकता था।

बैंक ने इस बैंक का ही फेडरल बैंक के अन्तर्गत स्थापित होने की सुझाव दिया था और बैंक को 15 लाख डॉलर बैंक शुल्क के रूप में सरकार को देने का मान्यता दिया में प्रस्तावित किया गया। यह भी प्रस्तावित किया गया कि यह बैंक फेडरल सरकार के विभाग-गवर्नमेंट के रूप में कार्य करेगा और सरकार भी अपने सम्बन्ध में इस बैंक में रहेगा।

इस बैंक का प्रथम भी यूनाइटेड बैंक के सम्बन्ध में मान्यता दी गई। इस बैंक के सम्बन्ध में महत्व में सम्बन्धों का मूल्या 25 लाख डॉलर प्रति म 5 सम्बन्धों का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा कर 20 सम्बन्धों का चुनाव स्टॉक धारकों द्वारा किया जाने का प्रस्तावित था।

प्रदान की गई सेवाएँ—यह बैंक प्रथम बैंक की भाँति प्रारम्भ में बढ़िया नबाएँ नहीं कर सका। इसमें भी प्रथम बैंक की भाँति, दोनों प्रकार के बैंको व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक-के कार्य करना प्रारम्भ किए। व्यापारिक बैंक के रूप में यह व्यक्तियों व्यापारिक संस्थानों राज्यों व फ़ैडरल सरकार को ऋण भी देता था उनमें निक्षेप स्वीकार करता था व धन का स्थानांतरण करता था। यह नोट निगमन व विदेशी विनिमय का भी कार्य करता था।

बैंक का बंद होना—इस बैंक के चाटर के नवीनीकरण में तब तक परिणाम स्वल्प यह बैंक बंद हो गया। चाटर के नवीनीकरण न होने का मुख्य कारण था— बैंक का राजनीति में भाग लेना अमेरिका के राष्ट्रपति जैकसन व बैंक के प्रेजिडेंट निकोलास बिडिल (Nicholas Biddle) के मध्य राजनीतिक व व्यक्तिगत तनाव।

यह बैंक राजनीति के अखाड़े में उतर गया था। बैंक के संचालक मंडल में कुछ संचालक एवं कुछ अधिकारी, जो राजनीति में दिलचस्पी नहीं थे, प्रवेश कर चुके थे। सन् 1832 में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का वर्ष था। राष्ट्रपति जैकसन (Jackson) एवं हेनरी क्ले (Henry Clay) दो प्रमुख उम्मीदवार थे। इस बैंक के कुछ शाखा प्रबंधक एवं अधिकारी राष्ट्रपति जैकसन का विरोध कर रहे थे और अपने ऋण देने की शक्ति को बचाने का प्रयास करने में लगाने लगे। इस बैंक के प्रेजिडेंट निकोलास बिडिल भी प्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रपति जैकसन का विरोध कर रहे थे। इस बैंक का यदि कोई नीतिगत प्रोजेक्ट होना तो वह राष्ट्रपति जैकसन से समझौता कर लेता। किंतु बिडिल ऐसा व्यक्ति नहीं थे। वे बहुत अधिक कार्यक्षम व्यक्ति थे। उनका स्वभाव स्वच्छंद था और अपने निर्णय में असीम विश्वास था। यदि निकोलास बिडिल एवं राष्ट्रपति जैकसन में संधि नहीं होता तो संयुक्त राज्य अमेरिका व इतिहास का आज कदाचित् दूसरा ही रूप होना। हेनरी क्ले ने जो विंग्स (Whigs) के उम्मीदवार थे अपने चुनाव-प्रचार में प्रमुख बात यह रखी कि यदि राष्ट्रपति जैकसन पुनः चुन लिए जाते हैं तो इस बैंक का बन्द होने के लिए बाध्य कर दिया जावेगा। चुनाव में जैकसन की विजय हुई।

इस बैंक के अधिकारियों को अब बैंक के चाटर के नवीनीकरण की आशा नहीं रही। अब उन्होंने ऋण में कम कर दिए एवं अन्य व्यवसाय भीमित करने लगे। जैकसन ने बैंक के चाटर का नवीनीकरण नहीं होने दिया और अंत में 3 मार्च सन् 1836 में इस बैंक को इस रूप में कार्य करना बंद कर दिया। इसी बीच में इस बैंक ने फरवरी 1836 में पेंसिलवेनिया राज्य में चाटर प्राप्त कर लिया और कुछ समय तक कार्य करता रहा और सन् 1841 में अंतिम रूप से बंद हा गया।

इस बैंक के कार्यों का करने के लिए दूसरी संस्था के स्थापित किए बिना इस बैंक को बंद करने का एक भयंकर भूल (blunder) था। इस परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका की बैंकिंग-व्यवस्था में बैंकिंग-अन्युलना एवं वित्तीय अस्थिरता व युग में प्रवेश कर लिया।

प्रमुख शाखा की बंकिंग प्रणालियाँ

II A सन 1836 से 1863 तक

- इन अवधि में कायरेत तीन प्रकार की संस्थाओं का अध्ययन करें—
- 1 स्टेट बंकिंग (State Banking)
 - 2 स्वतंत्र बंकिंग (Free Banking)
 - 3 अनाश्रित ट्रेजरी (Independent Treasury)

1 स्टेट बंकिंग (State Banking)—स्टेट बैंक का कहलान है जो कि किसी राज्य (State) से चाटर प्राप्त करके स्थापित होत है। सन् 1837 के पूर्व बाद भी बैंक किसी राज्य से विशेष लजिस्लेटिव एक्ट के द्वारा ही चाटर प्राप्त कर सकता था। इस प्रणाली से चाटर प्राप्त करने में अनेक दोष उत्पन्न हो गये थे। प्रमुख दोष निम्नलिखित थे—

(i) इससे बैंक राजनीति में व्याप्त हो गये और राजनीति बैंक में व्याप्त हो गई (it injected banks into politics and politics into banks) शासक दल की पार्टियों के वफादार सदस्यों को बैंक चाटर प्राप्त हो जाता था और विपक्षी दल के सदस्यों को चाटर प्राप्त होने की संभावना नहीं थी।

(ii) शासक दल के सदस्यों को नए चाटर स्वीकार करने के लिए रिश्वतें दी जाने लगीं और विद्यमान बैंक द्वारा नये मजबूत प्रतिस्पर्धियों के आवेदन पत्रों को स्वीकार करने के लिए और भी अधिक रिश्वतें ली जाने लगीं।

(iii) इस प्रणाली से चाटर प्रदान करने से कभी कभी अपन प्रिय बैंक को एकाधिकार की सुविधा प्राप्त हो जाती थी। अतः इस प्रणाली के विरुद्ध अनेक आक्षेप लगाये गये।

संयुक्त राज्य अमेरिका के गृह युद्ध (1861-1865) के पूर्व तक स्टेट बंकिंग का इतिहास अत्यन्त निराशाजनक है। सन् 1837 के पश्चात् गृह युद्ध के प्रारम्भ तक स्टेट बैंक की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई जसा कि निम्नतालिका से स्पष्ट है—

वर्ष	संख्या
1837	88
1840	901
1845	707
1850	824
1855	1 307
1860	1 562

इन बैंकों की संख्या में तो वृद्धि हुई ही साथ ही इनके द्वारा अत्यधिक मात्रा में नोट निकाले जाने लगे। ये प्रायः सबके से गुजरने लगे और अनेक गतन तरीके अपनाए लगे किन्तु कुछ स्टेट बैंक बहुत अच्छे भाँ थे। इनमें बैंक ऑफ यूसाय

बैंक ऑफ नोर्थ अमेरिका और बैंक ऑफ यू इगलड विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। इस सदम में 'Wildcat Banks' शब्द की मजिद व्याख्या यहा कर देना आवश्यक है।

'वाइल्ड कट बैंक' (Wild cat Banks)—इस शब्द के निमाण का मूल (root) आशय यह है कि जगल बहुत विस्तृत हाता है और उममें यदि कोद बिलनी हा ता उमे तनाग करना अयल कठिन काय है।

विभिन्न बैंक अपने अपने नोट निगमित करत थ। अन्क बैंक के पाम साधन (मोना चानी) ता बहुत हान थ किनु नोट वही मात्रा में निकाल देते थे। किमी बक द्वारा निगमित नाट चलन मे रह यह उस बक की म्यानि (good will) तथा उनकी उन नाटा का घातु (सोना व चादा) में बदलने की शक्ति पर मुख्यत निभर करता था। कुछ अशो तक नाट निगमन के स्थान एव नोट चलन के क्षेत्र की दूरी पर भी निभर करता था। अन्क बक जो नोट-निगमन तो करत थ किनु उन नोटा ना घातु के अभाव में घातु में परिवर्तन नहीं कर सकत थ, व जान बूझ कर बहुत दूर के स्थान पर, अथवा अमुविश्राजनक स्थान पर जहा पर मनुष्या का पहुचना काफी कठिन हो, स्थापित हा जात थ। अब य बक अपन दनाली व एजेंट के माध्यम में अय जिला में इन नागे को ऋण के रूप में देते थे। इस प्रकार ये नोट प्रचलन में आ जात थे। इन बका के मस्थापक जानबूझ कर धन बना में अपने कार्यालय स्थापित कर लने व जहा पर जनसाधारण अथवा अन्य बको के दलाल व एजेंट नाटा को घातु में बदलाने के लिए नहीं पहुच सकें। यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करके उम बक के स्थान पर नाटा को घातु में बदलन के लिए किसी प्रकार पहुच भी जाना था तो बक उन्हें घातु में बदलन को टानन का प्रयत्न करते थे तथा कठिनाइया उत्पन्न करते थे। य बक उन नोटा के बदले प्राय छोटी रेजगारी देते थे या अधिक विलम्ब करने थ। अत एमे बको को 'वाइल्ड-कट बैंक' तथा एमे बैंक स्थापित करने वान को वाइल्ड कटर (wild-catter) कहन लग।

2 स्वतंत्र बैंकिंग (Free Banking)—स्ट बैंकिंग के दोषों को दूर करन के लिए मवप्रथम मिशीगन में सन् 1837 में तत्पश्चात् 'यूयाक' में सन् 1838 में स्वतंत्र बैंकिंग कानून' (free banking laws) का निर्माण हुआ। इसके पश्चात् अधिकांश अय राया न भी इसी प्रकार के कानूना का निमाण किया। इन कानूना क अतगत निम्नलिखित बातें प्रमुख थीं—

- (1) विशेष लजिस्त्रटिव एक्ट के द्वारा अब बका का चाटर देना बंद कर दिया गया
- (2) कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तिया का समूह बैंक स्थापित करने के लिए चाटर प्राप्त कर सकता था यदि व निधारित शर्तों का पूरा करते हा। इस प्रकार बैंकिंग का एक स्वतंत्र ध्यापार' बना दिया गया।

अधिकांश स्वतंत्र-बैंक नाट-निगमन पर मुख्यत अधिक ध्यान देने थे। आरम्भ में य बक अच्यौ प्रकार काय नहा कर पाय क्योंकि प्रारम्भिक 5 वर्षों में 20

प्रमुख दशा की बकिंग प्रणालिया

स्वतंत्र बक पेन हो गय जिसक फलस्वरूप सबसे अधिक हानि उनकी पत्र मुद्रा धारका को हुई क्योंकि उन्हें 1 डालर व बटल म केवल 74 सेंट ही प्राप्त हो सक।

3 अनाश्रित ट्रेजरी (The Independent Treasury)—सन् 1837 म एव उसक पश्चात् भय का वातावरण फल जान के कारण अनेक बक बंठनाई म पड़ गये अत फडरल सरकार को भी हानि हुई क्योंकि इसका घन भी इन बका म जमा था। अत सरकार ने यह उचित समझा कि अपनी प्राय व व्यय का प्रबंध स्वय ही करे।

अत सन् 1840 म 'अनाश्रित-ट्रेजरी-प्रणाली' (Independent Treasury System) स्थापित की गई। प्रशासन म परिवर्तन हो जान क कारण अनेक बक इसक द्वारा बाय नहीं किए गय। सन् 1846 से यह प्रणाली वास्तविक रूप से स्थापित हुई। फडरल सरकार ने स्वय अपने बकर व रूप म बाय करना आरम्भ कर दिया। उस समय से यह अपने कोष वाशिंगटन म स्थित ट्रेजरी एव अन्य नगरा म स्थित सब-ट्रेजरिया म रखन लगी। सरकारी भुगतान भी सीधे इन ट्रेजरिया स किये जान लगे। यह स्थिति सन् 1863 तक चलती रही जब कि नेशनल बकिंग प्रणाली चालू हुई।

इस प्रणाली स ट्रेजरी व व्यापारिक बका स पारस्परिक सम्बन्ध बहुत ही क्षाण रह गया। इसका परिणाम यह हुआ कि बका व पेन हानि स ट्रेजरी को हानि नही होती थी। इसके अनिर्दिष्ट बका की स्थिति म भी अंतर था गया क्योंकि अने सरकारी राशिया इनम जमा नहीं होती थी।

मुद्रिया व निष् नेशनल बकिंग प्रणाला का वणन आग व अध्याय म करय।

नैशनल बैकिंग प्रणाली

सन् 1861 म समुक्त राय अमरिका म गृह-युद्ध (civil war) क समय वहा व्यापारिक-बकिंग की स्थिति अत्यन्त अमनापजनक थी। उम समय 1,500 स भी अधिक बक अपने अपने नोट निकालने थ। अनक बंका के नोट अहित मूल्य म भी कम मूल्य पर चलने थे स्वण कोपा की कमी थी काई केन्द्रीय वित्तीय मस्था नहीं थी जो कि सकट के समय सहायता कर सके तथा साधारण समय मे पय-प्रश्नन कर सके। इस युद्ध के पूव यह भलीभाति स्पष्ट हा गया था कि दश की सपूर्ण व्यापारिक बकिंग प्रणाली का पुनमगटन और अधिक दिना तक स्थगित नहीं किया जा सकता।

योजना का निर्माण—राष्ट्रपति लिंकन (Lincoln) के समय सालमन चेज (Salmon Chase) ट्रेजरी के सचिव थ। उन्हाने शीघ्र ही नैशनल बैकिंग प्रणाली प्रारम्भ करनी चाही। यह प्रणाली उन दो बक आफ द यूनाइटेड स्टेट्स की भाति एकल प्रणाली की भाति नहीं थी। उम प्रणाली के अन्तगत अनेक इकाई बकों को राज्यों के द्वारा प्रदान किए गए चाटर के अन्तगत काम नहीं करना था वरन् फेडरल चाटर के अन्तगत काम करना था।

सालमन का विश्वास था कि इस प्रकार के बका की पत्र-मुद्रा अधिक अच्छी हागी और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की जा सकेंगी और उनके फलस्वरुप स्टेट-बका द्वारा निगमित नोट क्रमश बढ हो जावेंगे।

नशनल बैकिंग एक्ट का पास होना—सालमन चेज न कांग्रेस के समक्ष सन् 1861 म प्रस्ताव प्रस्तुत किए किन्तु इन पर कोई कार्य नहीं किया गया। पुन सन् 1862 म इस सम्बन्ध म एक बिल सदन (House) म रखा गया किन्तु वह पारित नहीं हो सका। यद्यपि राष्ट्रपति लिंकन न दिसम्बर 1862 म कांग्रेस का दिए गए अपने मदेश मे सालमन चेज की योजना को स्वीकार कर लन की सिफारिश की किन्तु जनवरी 1863 म जब यह बिल सदन म फिर रखा गया तो फिर पारित नहीं हो सका।

इसके पश्चान प्रशासन न सौनट स सहायता के प्रयत्न किए। सौनट न मता के बटुन कम अन्तर (by a narrow margin) स इस बिल¹ को पास कर दिया। इसके पश्चात् सदन ने इस पर अपनी म्वाहृति द दी। इस पर राष्ट्रपति लिंकन न 25 फरवरी 1865 का हस्ताक्षर कर लिए।

1 An Act to provide a National Currency secured by a Pledge of United States Stocks and to provide for the Circulation and Redemption thereof

यह एक वर्षोपपक्ष दोषपूर्ण था घन स्थापित हान घान नगनन बना की मध्या बहुत कम थी। उन्हें काय करने म भी धरयल्ल कठिनाई धार्ड। अत 3 जून 1864 को एक नया नगनन बंकिंग एक पास किया गया जिनम 1863 घान एक का निरस्त कर दिया एक उसने शेषा को दूर करन का प्रयत्न किया।

इम प्रकार कहा जा सकता है कि घनमान नगनन बंकिंग प्रणाली का बधानिक आधार मन् 1864 का एकट है। मुहं युद्ध व प्रथम विश्व-युद्ध व पूर्व व कार (1861-1913) म लगभग आधी शताब्दी तक नगनन बंकिंग प्रणाली एक प्राधुनिक कन्द्रीय बंकिंग प्रणाली व स्थानापन्न (substitute) व रूप म काय करती रही। इस प्रणाली न कन्द्रीय-बन्क का स्थापना नहा की। एन नगनल बन्क व सम्बन्ध म ठीक ही कहा जाता है कि ये ध्यापारिक बन्क थे जो बिना नेता के थे— एक औरकटरा था जो बिना निर्देशक के था (They were commercial banks without a leader—an orchestra without a conductor)

नगनन बन्क की स्थापना एवं नगनल बंकिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान

बंकिंग एकाधिकार व दोषा क कारण इमने विराय एन मववा ममाल अधिकार क सिद्धान्त पर स्वतंत्र-बंकिंग के पक्ष म मजदूर विचारधारा फन गद। इमक परिणामस्वरूप स्वतंत्र बंकिंग कानूनों को निर्माण हान नया जिसका आरम्भ मन् 1837 म शिमीगन म हुआ। इन कानूनों व अन्याय कर्डी भी व्यक्ति श्रववा यतिथा का म्मुह जो यूननम बधानिक आवश्यकताभा की पूर्ति करता हा उस आडर प्राप्त करने का अधिकार था। एक निर्धारित गतिविधि एवं औपचारिकताए पूरी हान व पश्चात् राज्य व निश्चित अधिकारी को नए बन्क का आडर प्रदात करने का अधिकार था। इम अधिकारा को इतने कम निर्णायक अधिकार थे कि यदि आवश्यकता न समम्न कानूनी प्रावधाना का पालन कर लिया है तो यह अधिकारी चाटर न स डकार नही कर सकता था।

बन्क की स्थापना—एन्स एक्ट के अंतगत 5 श्रववा अधिक व्यक्तिया का बाइ समूह, फडरन चाटर न अंतगत, कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करन पर सिद्धान्त म (theoretically) नगनल बैंक स्थापित करन का अधिकारी है। किन्तु वतमान समय म व्यवहार मे नय व्यापारिक बैंक को स्थापित होने व लिए फडरन सरकार म चाटर प्राप्त करना बहुत कठिन काय है।

आवदन-पत्र देना—जो व्यक्ति नगनल बन्क स्थापित करना चाहत है उनक लिए यह आवश्यक है कि मवप्रथम व बन्क मगठिन करन के लिए आवदन-पत्र दें। यह आवदन-पत्र मुन्ति होता है और कम्प्यूटर आक करमी व कायन्विय म प्राप्त किया जाता है। इस आवदन पत्र पर कम स कम 5 व्यक्तिया व हस्ता इर हान आवश्यक है। य यति चाह ता भावी श्रमधारी हा सकत है। यदि प्रस्तावित अधिकारिया श्रववा प्रस्तावित मचालका व श्रम हम्नाश्रित हा तो अंशिक उपयुक्त होता है। प्रस्ताव-कर्ताओं द्वारा एम आवदन पत्र म श्रम सूचनाभा के अतिरिक्त अपन निवाम

म्यान व्यापारिक हित, यत्किमत सपत्ति, उनके बँकिंग अनुभव और उनक द्वारा लिय जान वाले अशा म सम्बन्धित मूचनार्यो भी होनी हैं।

एक इस आशय के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़त है कि प्रस्तावित बँक के स्टाँम से विक्रय क लिए कोई शुल्क अथवा बँमोशन न तो दिया गया है और न दिया जावेगा। आवेदन-पत्र म यह भी स्पष्ट करना पड़ना है कि प्रस्तावित बँक का भवन ऋय किया जावेगा अथवा नया बनवाया जावेगा एव उमका मूल्य। यदि भवन किराय पर लिया जावेगा तो उसका किराया कितना लिया जावेगा।

नशनल बँको को चाटर देने का अधिकारी—सरकार के ट्रेजरी विभाग म एक नया पद 'करसो का नियंत्रक' (Comptroller of Currency) नशनल बँकिंग एक्ट के अन्तगत बनाया गया। कम्पट्रोलर की नियुक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। यह कम्पट्रोलर ट्रेजरी के सचिव के सामान्य निर्देशा के अंतगत काय करता है। कम्पट्रोलर के दो प्रमुख काय हैं—प्रथम, समस्त औपचारिकताओ के पूरा हो जान के बाद नशनल बँका को चाटर प्रदान करना और द्वितीय यह देखना कि नशनल बँका से सम्बन्धित कानूनो का ठीक पालन हो रहा ह।

जाच एव चाटर प्रदान करना—नशनल बँकिंग एक्ट के अनुमार जब नेशनल बँक की स्थापना के लिए आवेदन पत्र आ जाता है तो एक निरीक्षक उम प्रस्ताव की जाच करता है। इसके लिए एक आरतो वह प्रस्तावित बँक के मस्थापका एव प्रस्तावित अधिकारिया और दूसरी आर विद्यमान बँका के अधिकारिया, प्रमुख व्यापारिया व व्यापारिक सस्थाना क अधिकारिया आदि से साक्षात्कार करके प्रस्तावित बँक की सफलता की सभावनाआ पर विचार करता है। कभी कभी वह इम काय के लिए सावजनिक बैठकें भा करते हैं जिसम प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति का अधिकार है कि प्रस्तावित नशनल बँक की स्थापना के पक्ष व विपक्ष म अपना विचार प्रकट करे। इसके पश्चात् वह निरीक्षक उस बँक की स्थापना क पक्ष अथवा विपक्ष म अपनी सिफारिश करता है।

यह उल्लेखनीय है कि निरीक्षक की रिपोर्ट पर साधारण निभर नहीं रहता है कि उम बँक को चाटर प्रदान किया जाव अथवा नहीं। कम्पट्रोलर और सूचनाए एक्टिंग करता है और उस क्षेत्र के फडरल रिजर्व बँक, फडरल निक्षेप बीमा निगम (FDIC) अपने कमचारिया म से नियुक्त विशेषणा एव अय साना स परामश करता है। यदि कम्पट्रोलर इम बात स सतुष्ट हा जाता है कि नय बँक की आवश्यकता वास्तव म है और वह बँक सफल हो सकेगा तो बँक के सस्थापका को इम सम्बन्ध मे लिखित रूप से सूचित कर लिया जाता है ताकि वे बँका का स्थापना पूजा के लिए स्टॉक के निगमन सम्बन्धी काय आरम्भ कर सकें।

नशनल बँको के लिए यह आवश्यक है कि वह फडरल रिजर्व बँक प्रणाली का सदस्य हो अन अपने क्षेत्र के रिजर्व बँक का उसके स्टॉक ऋय करने क निय आवेदन करना पड़ता है और वास्तविक रूप से काय करने के पूव स्टाँम ऋय करव उनका मूल्य देना पड़ता है।

प्रमुख देशों की बकिंग प्रणालियों

अन्त में जिन कंप्यूट्रोलर आफ करसी सतुप् हो जाना है कि समस्त वधानिक व आवश्यक कायवाहिया पूरी हो गई हैं तो वह "यापार आरम्भ करने का प्रमाण पत्र (certificate of authority to commence business) प्रदान कर देता है। यह आवश्यक है कि इस प्रमाण पत्र में 60 दिनों तक किसी स्थानीय समाचार पत्र में रोजाना अथवा प्रति सप्ताह प्रकाशित करना आवश्यक है। इस अवधि में वह अपना काय आरम्भ कर सकता है।

यूनितम पूजी—मुदढ बकिंग ढाचे व बक की सुरक्षा की दृष्टि से पूजी व सबध में अनेक प्रावधान किये गये हैं। जिस नगर में नशनल बक को स्थापित हाना है वहा की जनसख्या को आधार मान कर इसकी "यूनितम पूजी निर्धारित हाना जाती है जो एकट के अनुसार निम्नलिखित है—

नगर की जनसख्या	यूनितम पूजी
6 हजार तक जनसख्या वाल नगरों में	50 हजार डालर
6 हजार से 50 हजार तक जनसख्या वाल नगरों में	1 लाख डालर
50 हजार से अधिक जनसख्या वाले नगरों में	2 लाख डालर

इस सबध में प्रमुख बात यह है—

- 1 नशनल बका की स्टाक पूजी 100-100 डालर क अंशों में अधिक मूल्य व नहीं होने चाहिए।
- 2 बक द्वारा व्यापार आरम्भ करने व पूव प्राकृत पूजी (subscribed capital) व कम से कम 50 भाग (अर्थात् आधी) का भुगतान नगर में हो जाना चाहिए शेष आधी पूजी का भुगतान 5 महीनों के भीतर हो जाना चाहिए।
- 3 धन शुद्ध लाभ का कम से कम 10 भाग एक रिजर्व कोष में डालत रहग जबतक कि वह कोष पूजी व 20 के बराबर न हो जाव। दूसरे शब्दों में पूजी व कम से कम 20 भाग व बराबर रिजर्व कोष हाना चाहिए।
- 4 नया स्थापित होने वाले नशनल बका को अपने अंशों को इस प्रकार प्रीमियम पर विक्रय करना आवश्यक है कि व्यापार आरम्भ करने से पूव ही एक अधिक्य (surplus) कोष का निमाण हा जाव जो उसकी पूजी का कम से कम 20 हा। इसका उद्देश्य यह है कि इस कोष में व बक को स्थापित करने सबधी सगठन व्यय एवं प्रथम व दूसरे वर्ष यदि बक को हानि हा ता उसकी पूर्ति की जा सक। यह नया प्रावधान है।
- 5 दूसरा नया प्रावधान यह है कि समस्त नशनल बक अपने शुद्ध लाभ का कम से कम 10 प्रतिशत रिजर्व काय में उम समय तक डालन रण्य जब तक कि व काय पूजी व बराबर न हा जाव।

सचालक मण्डल—नशनल बकिंग एकट न नशनल बक व सचालक-मण्डल में सचालक का न्यूनतम व अधिकतम मख्या निर्धारित कर दा है। सचालक मण्डल में कम से कम 5 सचालक व अधिक से अधिक 25 सचालक हो सकते हैं। सचालक

होने के लिए कम से कम 1 000 डालर के स्टॉक उस व्यक्ति के पास स्वयं के नाम होना आवश्यक है। समुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक ही नेशनल बैंक के संचालक हो सकते हैं। कोई विदेशी बक का संचालक नहीं हो सकता। संचालकों में कम से कम 75 ऐसे हा जो चुनाव में कम से कम एक वर्ष पूर्व से उस राज्य, क्षेत्र अथवा जिले में, जहाँ वह बक स्थित है रहते हैं, अथवा बैंक के प्रधान कार्यालय से 50 मील के क्षेत्र में रहते हैं।

ऋणों पर प्रतिबंध—सुरक्षा व तरलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक की संपत्ति (assets) के संबंध में अनेक प्रतिबंध लगा दिये हैं। भूमि, भवन, जायदाद एवं बक के स्वयं के स्टॉक्स (stocks) की प्रतिभूति पर नेशनल बैंक द्वारा ऋण देना निषेध है। इसके अतिरिक्त नेशनल बैंक की पूँजी की 10 प्रतिशत राशि से अधिक मात्रा का राशि किसी एक ऋण लेने वाले को नहीं दी जा सकती।

निरीक्षण—नेशनल बैंक पर कम्पट्रोलर ऑफ करसी का नियंत्रण रहता है। वह सभी नेशनल बैंकों से नियतकालिक प्रतिवेदन मागता है व उनका परीक्षण करता है। उसके कमचारी प्रत्येक नेशनल बैंक का वार्षिक परीक्षण (examination) करते हैं।

पत्र मुद्रा की सुरक्षा—स्टेट बैंको द्वारा निगमित पत्र मुद्रा के कट्टे अनुभवा का ध्यान में रखते हुए नेशनल बैंकिंग एक्ट के निमाताओं ने यह ऋ निश्चय किया कि नेशनल बैंको की पत्र मुद्रा पूर्णतया सुरक्षित हो अतः इस संबंध में निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान किए गए—

- (1) कम्पट्रोलर ऑफ करसी के पास नेशनल बैंक द्वारा जमा कराए गये सधुन राज्य अमेरिका सरकार के बॉण्डों के आधार पर नोट निगमन किए जा सकते हैं। जमा कराए गए बॉण्डों के 90 प्रतिशत सम मूल्य (par value) अथवा 90 प्रतिशत बाजार मूल्य—जो भी इसमें कम है—के बराबर मूल्य की पत्र मुद्रा निगमित की जा सकती थी।
- (2) पत्र मुद्रा निगमित करने वाले बैंक की जिनकी राशि की पत्र मुद्रा वास्तविक चरन में हो, उसके कम से कम 5 प्रतिशत के बराबर एक विमोचन-कोष (redemption fund) कम्पट्रोलर ऑफ करसी के पास रखना आवश्यक था।
- (3) किसी नेशनल बैंक द्वारा अपनी पत्र मुद्रा को धातु में बदलने में इत्कार कर देने की दशा में कम्पट्रोलर उस बैंक द्वारा रखे गए बॉण्डों का विक्रय करके पत्र-मुद्रा धारकों को भुगतान कर सकता था।
- (4) कोई भी नेशनल बैंक अपनी पूँजी में अधिक मात्रा में पत्र मुद्रा का निगमन नहीं कर सकता था।
- (5) यह भी प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक नेशनल बैंक एक दूसरे की पत्र मुद्रा का सम मूल्य पर स्वीकार करेगा।

इस प्रकार कहना पड़ेगा कि नेशनल बैंकिंग प्रणाली में समुक्त राज्य अमेरिका में पत्र मुद्रा की स्थिति का पर्याप्त सुदृढ़ बनाया व जनसाधारण में उसके प्रति विश्वास जागत किया। किन्तु इस प्रणाली में लाच का अभाव या कदापि पत्र मुद्रा निगमन आधार था—सरकारी बॉण्ड-जिनका क्रय विक्रय व विमोचन, सरकार के हाथ में था।

व्यापारिक बैंकों के स्वरूप

[स्टेट बैंक व नेशनल बैंक]

संयुक्त राज्य अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली अत्यंत दृढ़ता से पृथक् है। इसमें एक केंद्रीय बैंक नहीं है, बल्कि 11 केंद्रीय बैंक (Federal Reserve Banks) हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक बैंकों का दावा वर्गों में रखा जा सकता है—

- 1 स्टेट बैंक—(1) सदस्य बैंक और (ii) गैर-सदस्य बैंक
- 2 नेशनल बैंक

1 स्टेट बैंक (State Banks)

संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य (states) हैं। स्टेट बैंक व कहलाते हैं जो कि किसी राज्य (state) से चांटर प्राप्त करके स्थापित होते हैं। इनका कार्य क्षेत्र मुख्यतः वह राज्य ही होता है, जहां से उनको चांटर प्राप्त होता है। सभी स्टेट बैंकों की पंजी प्राप्त सुविधाओं व प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ, रिजर्व कायदा का प्रतिशत आदि समान नहीं हैं बल्कि अलग-अलग राज्यों में दिए गए चांटर के अनुसार हैं।

नेशनल बैंकिंग एक्ट के सन 1865 के संशोधन के अनुसार यह प्रावधान कर दिया गया कि यदि स्टेट बैंक चाहे तो नेशनल बैंक के रूप में परिवर्तित हो सकता है और साथ ही यह सुविधा दी गई कि वह अपनी विद्यमान शाखाओं को रख सकता है, उन्हें बंद करने की आवश्यकता नहीं। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप अनेक स्टेट बैंक नेशनल बैंकों के रूप में बदल गए।

स्टेट बैंकों का वर्गीकरण—संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल रिजर्व एक्ट दिसम्बर 1913 में पास हुआ और फेडरल बैंकिंग प्रणाली सन 1914 में क्रियान्वित हुई। नेशनल बैंकों के लिए तो फेडरल रिजर्व प्रणाली का सदस्य होना अनिवार्य है किन्तु स्टेट बैंकों के लिए यह ऐच्छिक है कि वे इस प्रणाली के सदस्य बनें अथवा नहीं। इस दृष्टिकोण से वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक दो वर्गों में विभाजित हैं—

(1) सदस्य बैंक (Member Banks)—वे स्टेट बैंक जो फेडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य हैं, इस वर्ग में आते हैं। नेशनल बैंक अनिवार्य रूप से इस प्रणाली के सदस्य हैं ही। सदस्य बैंक फेडरल रिजर्व प्रणाली से शामिल होते हैं।

(2) गैर-सदस्य बैंक—इस वर्ग में वे स्टेट बैंक हैं जो फेडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य नहीं हैं।

सदस्य बकों को लाभ

प्रथम युद्ध काल में अनेक स्टेट बैंक केवल देश भक्ति के कर्तव्य (patriotic duty) के कारण ही फडरल रिजर्व प्रणाली में सदस्य बन गए। देश के समस्त स्टेट बैंको को फडरल रिजर्व प्रणाली का सदस्य बनने के पक्ष में प्रायः निम्नलिखित तक दिए जाते रहे हैं—

1 कोषों की उपलब्धता—मौसमी अल्पकालीन अथवा आपतकालीन समय पर फडरल रिजर्व बैंको से आवश्यक मात्रा में राशि उपलब्ध हो सकती है। इससे स्वयं उन बैंको की सुरक्षा, तरलता व उपयोगिता में वृद्धि होगी। फडरल रिजर्व बैंक के द्रीय बैंक होने के कारण उस समय ऋण दे सकता है जबकि अन्य सभी खोल बंद हो गये हों।

2 बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता—यदि समस्त स्टेट-बैंक फडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य हो जाते हैं तो देश की बैंकिंग व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो जावेगी। इस प्रकार राष्ट्रीय हित में यह बाध्यनीय है कि समस्त स्टेट बैंक इसमें सम्मिलित हो जावें।

3 साल-नियंत्रण में सुविधा—सभी स्टेट बैंक व सम्मिलित हो जाने पर रिजर्व खर्च में सम्बंधित सभी नियमों में एकरूपता आ जावेगी। इसमें फडरल रिजर्व अधिनियमों के साल नियंत्रण में सम्बंध में हाथ मजबूत होंगे।

4 अनेक निःशुल्क सेवाएँ—सदस्य-बैंकों के बैंकों का समाशोधन (clearing) निःशुल्क किया जाता है। प्रतिज्ञा-पत्र, विनिमय विपदा, ड्राफ्ट व इसी प्रकार के परिपक्व होने वाले पत्रों का एकत्रिकरण प्रायः निःशुल्क किया जाता है। फडरल रिजर्व बैंक अपने सदस्य बैंकों के आग्रह पर उनकी इच्छानुसार पत्र मुद्रा व सिक्कों के बण्डल (packages) बना कर उनके पास निःशुल्क भेज देते हैं। बैंकिंग जहाज पर लाने का व्यय व अन्य सम्बंधित व्यय स्वयं फडरल बैंक ही वहन करते हैं। यदि सदस्य बैंक धन को फडरल बैंक के पास भेजते हैं तो उसका भी व्यय फडरल बैंक ही वहन करते हैं।

5 धन का शीघ्र स्थानान्तरण—सदस्य बैंक देश के किसी भी भाग में इन फडरल बैंकों की सहायता से प्रतिशीघ्रता से तार अथवा डाक द्वारा कितनी ही राशि का स्थानान्तरण सुविधापूर्वक कर सकते हैं।

6 नीची ब्याज दर पर ऋण—सदस्य बैंकों को सामान्य परिस्थितियों में यदि ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है तो फडरल रिजर्व बैंक उनको ऋण देने हैं। इन ऋणों पर ब्याज की दर नीची होती है।

7 परामर्श की सुविधा—सदस्य बैंक यदि चाहें तो अपने विनियोग एवं अन्य विषयों में फडरल बैंकों से परामर्श ले सकते हैं। ये परामर्श चाहें बैंकिंग व्यवसाय में सम्बंधित हों अथवा अन्य स्पष्टीकरण व सम्बंध में हों अथवा बैंकों की व्यावहारिक

प्रमुख देशों की बरिग प्रणालियाँ

कायप्रणाली के सम्बन्ध में हा—फडरल रिजर्व बैंक द्वारा अपने सन्स्यो को शीजना से परामर्श लिया जाता है।

8 सुरक्षित विनियोग—सन्स्य बनने के पूर्व अपने क्षेत्र के फडरल रिजर्व बैंक के स्टॉक्स खरीदना आवश्यक है जिस पर 6% ब्याज लिया जाता है। यह प्रायः का प्रतिगत पर्याप्त ऋण भी है और पर्याप्त सुरक्षित भी।

9 प्रतिस्पर्धा में सुविधा—सन्स्य बनना को गर-सन्स्य बनना से प्रतिस्पर्धा बनने में विशेष सुविधा रहती है। बनना का फडरल रिजर्व बैंक प्रणाली का सन्स्य हाना स्वयं में गौरव की बात है। ग्राहकों पर भी मनावर्णनिक प्रभाव यह पड़ना है कि वे प्रायः सोचते हैं कि सन्स्य से बरिग व्यवहार करना प्रासावृत अधिक सुरक्षित है। भारत में भी लगभग यही स्थिति है। साधारणतः लाग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य बनना (scheduled banks) से ही व्यवहार करना अधिक पसन्द करते हैं।

समस्त स्टेट बैंक सदस्य क्यों नहीं हैं?—यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि स्टेट बैंक को फडरल बरिग प्रणाली के सदस्य होने से अपने लाभ हैं किन्तु फिर भी वे लाभ सभी स्टेट बैंकों को प्राकषित नहीं कर सकते जिसके परिणामस्वरूप हम दलत हैं कि वहाँ प्राज भी अनेक स्टेट बैंक ऐसे हैं जिन्होंने पहले तो फडरल रिजर्व प्रणाली की सहायता ले ली किन्तु बाद में अपनी सदस्यता वापिस ले ली। इन सबके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1 अधिक लाभप्रद ढंग से काय—समस्त स्टेट बैंक का इस प्रणाली के सदस्य न बनने कायवा अपनी सदस्यता रद्द करने का प्रमुख कारण यह प्रतीत होता है कि ऐसे बैंक यह अनुभव करते हैं कि वे इस प्रणाली के बाहर रहकर अधिक लाभप्रद ढंग से काय कर सकते हैं।

2 सेवा शुल्क—गर सदस्य बैंक अपने ऊपर लीचे गये ग्राहकों के चको की राशि में से एकत्रित करने का शुल्क (collection charges) काट लेते हैं। इस साधन से बैंक को अच्छी आय हो जाती है। फडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य को यह सेवा निःशुल्क करनी होती है। अतः अनेक छोटे स्टेट बैंक अपनी आय के इस साधन को सुरक्षित रखने के लिए फडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य नहीं बने।

3 पूजो से सम्बन्धित आवश्यकताएँ—फडरल रिजर्व प्रणाली का सदस्य बनने के लिए बैंक को यूनतम पूजो का प्रावधान पूरा करना आवश्यक है। छोटे स्टेट बैंकों को यह शर्त पूरा करने में कठिनाई होती थी अतः उन्हें सदस्य न बनना ही अधिक सुविधाजनक था।

4 रिजर्व सबधो आवश्यकताएँ—भिन्न भिन्न राज्या में बैंकों के लिए रिजर्व की मात्रा भिन्न भिन्न है जो कि प्रायः फडरल रिजर्व प्रणाली के अतगत रखी जाने वाली रिजर्व राशि से कम होती है। इलिनॉय (Illinois) राज्य में स्टेट बैंक का बरिगनी तौर पर रिजर्व रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अतः अनेक बैंक अपने धन का इस कोष में बचा हुआ रखना नहीं चाहते।

5 रिजर्व का लाभप्रद विनियोग—कुछ राज्यों में स्टेट बैंक को यह सुविधा भी है कि यदि वे चाहें तो अपने सुरक्षित कोष को ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग कर सकते हैं। एव नकद राशि रखना अनिवाद्य नहीं है। इस प्रकार ऐसे स्टेट बैंक अपने सुरक्षित कोष पर भी लाभ (ब्याज) कमा लेते हैं जबकि सदस्य बैंकों का यह सुविधा नहीं है।

6 अनेक प्रतिबंध—फेडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य बैंकों की काय प्रणाली पर अनेक प्रतिबंधों व नियमना (regulations) का पालन करना पड़ता है। इन स्टेट बैंकों को उनका अनुभव नहीं है अतः उन बंधन व नियमनों से वे मुक्त रहना पसंद करते हैं।

7 सदस्य बैंकों की भांति अनेक सुविधाएँ उपलब्ध होना—जिस प्रकार से कि फेडरल प्रणाली के सदस्य कुछ सुविधाएँ प्राप्त करते हैं, ऐसी अंतर बैंकिंग सुविधाएँ गर सदस्य बैंकों को भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए गर सदस्य बैंक फेडरल रिजर्व बैंक के पास एक निश्चित राशि निक्षेप के रूप में रख कर, समाशोधन व चक एक्जीकरण की सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं।

8 ऋण की प्राप्ति—गर सदस्य बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक से सदस्य बैंकों की भांति ऋण प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु ऐसे ऋणों पर गर सदस्य बैंकों को सदस्य बैंकों की अपेक्षा 1 प्रतिशत अधिक ब्याज दर देनी होती है।

9 प्रतिनिधि बैंकों से सुविधाएँ—स्टेट बैंकों का अनेक सुविधाएँ प्रतिनिधि-बैंकों (correspondent banks) से उपलब्ध हो जाती हैं, अतः इन सुविधाओं के लिए फेडरल प्रणाली का सदस्य न होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए स्टेट बैंक इन प्रतिनिधि बैंकों से प्रायः प्रचलित सामान्य दरों पर ही ऋण प्राप्त कर लेते हैं। ये स्टेट बैंक बैंकिंग संबंधी अथवा सेवाओं के लिए प्रतिनिधि बैंकों पर अधिक निर्भर रह सकते हैं, जम तार द्वारा धन का हस्तांतरण सुरक्षित रखने के लिए प्रतिभूतियाँ को देना तथा अथवा सेवाओं व परामर्श प्राप्त करना। ध्यवहार में देखा गया है कि फेडरल बैंकों की अपेक्षा ये प्रतिनिधि बैंक अधिक व विविध प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं कुछ गर सदस्य बैंकों की तो यह धारणा है कि फेडरल बैंकों की अपेक्षा इन प्रतिनिधि बैंकों की सेवाएँ अधिक उत्तम हैं।

फेडरल रिजर्व प्रणाली के गवर्नर मण्डल में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने स्टेट बैंकों व फेडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य न बनने के कुछ कारणों और भी बतलाए हैं, जिनमें प्रमुख अश्रांक्ति हैं।

1 A correspondent bank is a bank which acts as a clearing agent for another which is not a member of the country's clearing system. Sometimes the term is also used of a foreign agent of a bank in a town where the bank itself has no foreign branch of its own. In an extensive country like the U.S.A. where there is only a limited amount of branch banking correspondent banks play a more important role in banking than they do in Great Britain or India.

1 निरीक्षण व परीक्षण पसंद नहीं—यदि कोई स्टेट बैंक फडरल रिजर्व प्रणाली का सदस्य हो जाता है तो उस पर दोहरा नियंत्रण हो जाता है—एक ओर तो स्टेट बैंक के चाटर का एव दूसरी ओर फडरल बैंक के नियमों का निरीक्षण व परीक्षण। इस दोहरे नियंत्रण को अनेक स्टेट बैंक पसंद नहीं करते।

2 अधिक कठोरता—अनेक बैंकों को विश्वास है कि फडरल रिजर्व प्रणाली के निरीक्षक निरीक्षण करने में अपेक्षाकृत अधिक कठोर है एव आलोचना भी अधिक कठोरता से करते हैं। स्टेट बैंक को यह पसंद नहीं है।

3 शाखा बैंकिंग को प्रोत्साहन—स्टेट बैंक का मत है कि फडरल रिजर्व प्रणाली शाखा बैंकिंग का प्रोत्साहित करती है। स्टेट बैंक शाखा बैंकिंग विकास की नीति व विरुद्ध है।

4 अनुविधा व लाल फीताशाही—स्टेट बैंक की एक धारणा यह भी है कि फडरल रिजर्व प्रणाली का सदस्यता स्वीकार कर लेने का प्रभाव यह होगा कि उनका अनुविधाया व लाल फीताशाही का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अनेक विवरण पत्र (statements), रिपोर्ट एवं अन्य औपचारिकताएँ पूरा करनी पड़ेंगी।

अतः म कहा जा सकता है कि छोटे स्टेट-बैंकों को फडरल रिजर्व प्रणाली का सदस्य होने में विशेष लाभ नहीं है। बैंकिंग पर परामर्शदात्री समिति 1962 की रिपोर्ट (report of the Advisory Committee on Banking 1962) ने तो यहाँ तक सिफारिश कर दी कि नेशनल बैंकों के लिए भी फडरल रिजर्व प्रणाली को सदस्यता ऐच्छिक कर देनी चाहिए। यह ध्यान रहे कि नेशनल बैंकों के लिए फडरल रिजर्व प्रणाली की सदस्यता अनिवार्य है।

2 नेशनल बैंक (National Banks)

नेशनल बैंक व हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संघीय सरकार (federal govt) से नेशनल बैंकिंग एक्ट के अंतर्गत चाटर प्राप्त करके स्थापित हुए हैं। यह ध्यान रहे कि स्टेट बैंक किसी राज्य (state) से चाटर प्राप्त करके स्थापित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य (states) हैं और प्रत्येक प्रत्येक राज्य में अनेक अनेक बैंकिंग निगम हैं जिनके अंतर्गत स्टेट बैंक का चाटर प्रदान किया जाता है। अतः विभिन्न स्टेट बैंक के चाटर भी अनेक हैं। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय-सरकार (federal country) है अतः एक संघीय-सरकार (federal govt) है। नेशनल बैंक इस संघीय सरकार से चाटर प्राप्त करके स्थापित होते हैं अतः देश के सभी बैंक चाटर समान हैं।

वॉल स्ट्रीट बैंक ऑफ सैन फ्रांसिस्को ने (Wells Fargo Bank of San Francisco) जा कि कलिफोर्निया राज्य का सबसे पुराना स्टेट बैंक था, नेशनल बैंक के रूप में अपना स्तर बदल लिया। पहले यह स्टेट बैंक था।

स्टेट बैंकों का विकास (1817-1862) स्टेट व नेशनल बैंक

वर्ष	संख्या	वर्ष	स्टेट बैंक	नेशनल बैंक
1837	788	1864	1 089	467
1840	901	1880	650	2,076
1845	707	1900	5 007	3 731
1850	824	1914	17,992	7,518
1855	1 307	1929	17 583	7 530
1860	1 562	1941	9,175	5 130
1862	1 492	1962	8,924	4 505
		1969	1,262	4 716

बैंकों पर नियंत्रण (Banking Supervision)

यहां यह स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है कि समुक्त राय अमेरिका में व्यापारिक-बैंकों पर किसका अधिकार किनका नियंत्रण है? यह अप्रलिखित पत्रियों में स्पष्ट होगा—

- 1 नेशनल बैंक
 - (i) सम्पूर्ण नेशनल बैंकों पर कम्प्यूलेटर ऑफ करमी का मुख्य नियंत्रण रहता है। यह ध्यान रह कि नेशनल बैंकों को चांटर प्रदान करने वाला अधिकारी भी कम्प्यूलेटर ऑफ करमी ही होता है।
 - (ii) सम्पूर्ण नेशनल बैंकों का फेडरल रिजर्व प्रणाली का सम्बन्ध होना अनिवार्य है अतः इस प्रणाली के गवर्नर मंडल के नियमों व नियमों (rules and regulations) का पालन करना आवश्यक है।
 - (iii) इन बैंकों का अपने निक्षेपों का वारंटा फेडरल निक्षेप बीमा निगम (F D I C) में कराना पड़ता है अतः इन निगमों के अन्तर्गत भी ये बैंक आते हैं।
- 2 स्टेट बैंक
 - (i) सम्पूर्ण स्टेट बैंक चांटर व फेडरल रिजर्व प्रणाली के सम्बन्ध में अथवा न हो संबंधित स्टेट बैंकिंग अधिकारियों के नियंत्रण में रहते हैं।

1 Bureau of Census Historical Statistics of the United States (1949) p 263
 2 Board of Governors of the Federal Reserve System Banking & Monetary Statistics (1943) p 16 and 56th Annual Report 1969 p 351

- (ii) जो स्टेट बैंक फडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य (member banks) हैं इन्हे इस प्रणाली के नियम व नियमना का पालन भी करना पड़ता है।
- (iii) जो स्टेट बैंक फडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य नहीं (non-members banks) हैं वे केवल सबधित स्टेट बैंकिंग अधिकारियाँ के नियंत्रण में रहते हैं।
- (iv) फडरल रिजर्व प्रणाली के समस्त सदस्य स्टेट बैंक फडरल निक्षेप बीमा निगम (F D I C) के भी सदस्य होते हैं अतः इस निगम के नियंत्रण क्षेत्र में भी ये बैंक आते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे स्टेट बैंक जो फडरल रिजर्व प्रणाली के भी सदस्य नहीं हैं किंतु यदि वे चाहें तो F D I C के सदस्य हो सकते हैं। एसी दशा में ये F D I C के नियंत्रण क्षेत्र में भी आ जाते हैं।

अति स्थूल रूप से कहा जा सकता है कि समस्त नेशनल बैंको पर कम्प्यूटर आफ वरसी का सदस्य स्टेट बैंकों पर स्टेट बैंकिंग अधिकारियाँ का प्रमुख व फडरल रिजर्व प्रणाली का गौण और नर सदस्य बैंको पर स्टेट बैंकिंग अधिकारियाँ का नियंत्रण रहता है।

किन्तु नियंत्रक अधिकारियों (supervisory authorities) के नियंत्रण का क्षेत्र क्या है? यह निम्न तालिका से स्पष्ट है—

नियंत्रक-अधिकारियों की शक्तियों का वितरण¹

निम्नलिखित से सम्बन्धित शक्तियाँ (Powers Concerning)	नेशनल बैंक	स्टेट सदस्य बैंक	स्टेट नर सदस्य बैंक	स्टेट सदस्य बैंक
		(बीमित बैंक) (अबीमित बैंक)		
1 चाटरा का निगमन	C C	State	State	State
2 नेशनल बैंको का विलय (Merger)	C C	—	—	—
3 स्टेट बैंको का विलय	—	State F R	State FDIC	State
4 शाखाओं की स्थापना	C C	State F R	State FDIC	State
5 शाखा का स्थानान्तरण	C C	State	State FDIC	State

1 यहाँ Supervision का हिंदी अनुवाद पयवेभग न करके 'नियंत्रण किया है।

CC = Comptroller of Currency

FR = Board of Governors of Federal Reserve System

FDIC = Federal Deposit Insurance Corporation

State = State Supervisory Authorities

निम्नलिखित से सम्बन्धित शक्तियाँ (Powers Concerning)	नगनर बक	स्टेट सदस्य बक (बिबिमत बँक)	स्टेट गर सदस्य (अबिबिमत बक)	स्टेट गर सदस्य
6 फडरल रिजर्व प्रणाली की सदस्यता	C C	F R	—	—
7 निराक्षण (Examinations)	C C F R	State F R	State FDIC	State
8 शर्तों व प्रतिबदन	C C	State F R	State FDIC	State
9 आवश्यक रिजर्व	F R	State F R	State	State
10 ऋण नियमन	C C F R	State F R	State	State
11 विनियोग नियमन	C C F R	State C O	State	State
12 समय निपक्ष पर ब्याज	F R	1, F R State F R	State FDIC	State
13 सुरक्षित ऋणाँ पर मार्जिन	F P	F R	F R	F R

व्यापारिक बैंको के स्वरूप (तमश)

[इकाई बैंकिंग व शाखा बैंकिंग]

बड़े पैमाने के उद्योगों एवं व्यवसायों के समानान्तर ही बड़े पैमाने पर बैंकिंग विकास होता है। बड़े पैमाने पर बैंकिंग के निम्नलिखित स्वरूप हो सकते हैं—

- (1) इकाई बैंकिंग (Unit Banking)
- (2) शाखा बैंकिंग (Branch Banking)
- (3) समूह बैंकिंग (Group Banking)

उपरोक्त बैंकिंग-स्वरूपों का समुक्त राज्य अमेरिका के सद्यः म अध्ययन करेंगे।

1 इकाई बैंकिंग (Unit Banking)

इकाई बैंकिंग से आशय—कंट (Kent) के शब्दों में “इकाई बैंकिंग व्यवस्था में प्रत्येक स्थानीय बैंकिंग संस्था एक पृथक निगम होती है जिसका पृथक चाटर होता है तथा इसकी अपनी पूर्ण मालिक मण्डल एवं प्रशासक होते हैं।¹ इकाई बैंकिंग संगठन में किसी एक बक का कार्यक्षेत्र साधारणतया एक ही बाजार तक अथवा एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित होता है। दूसरे शब्दों में इकाई बैंकिंग व्यवस्था में या तो किसी बक का एक ही कार्यालय होता है अथवा यदि उसकी कुछ शाखाएँ हैं भी तो वे एक छोटे से सीमित क्षेत्र में ही स्थित होती हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में विकास—संयुक्त राज्य अमेरिका की बैंकिंग व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण रूप है—इकाई बैंकिंग। इकाई बैंकिंग का विश्व में सबसे अधिक विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हुआ है और यहाँ की बैंकिंग व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता इकाई बैंकिंग ही है। वन्ट ने इस सम्बन्ध में कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश व्यापारिक-बैंकों का एक ही कार्यालय अथवा ‘दूकान’ है जिसमें उनकी समस्त व्यापारिक क्रियाएँ केन्द्रित होती हैं।²

जनवरी 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 14,235 व्यापारिक बँके थे, जिनमें से अधिकांश शाखाएँ रहित इकाई बँके थे। इन 14,235 इकाई बँकों में से 10,000 से भी अधिक ऐसे इकाई बँके थे जिनमें से किसी की एक भी शाखा

1 R P Kent Money and Banking In a unit banking system each local banking institution is a separate corporation separately chartered and having its own capital board of directors and shareholders

2 Most of the commercial banks of the United States have individually only one office or shop in which all their business operations are concentrated

नहीं थी। अधिकांश राज्या ने शाखा-बैंकिंग का विरोध किया। उदाहरण के लिए शिकागो (Chicago) नगर की जनसंख्या 40 लाख से भी अधिक है, किन्तु इल्लिनाय (Illinois) राज्य ने इस नगर में किसी भी बैंक को शाखा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी। इसी प्रकार अन्य अनेक बड़े नगर हैं—जैसे सेंट लुई, मिनेयापोलिस डलस आदि—जहाँ किसी भी बैंक को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इल्लिनाय व अतिरिक्त टक्सास (Texas) अन्य राज्य है जहाँ किसी भी बैंक की कोई भी शाखा नहीं है। सन् 1970 के आरम्भ में इल्लिनाय राज्य में 1,077 इकाई बैंक थे और टक्सास राज्य में 1160 बैंक थे किन्तु उनकी शाखा एक भी नहीं थी। एक अन्य राज्य (Wyoming) में यद्यपि 76 बैंक थे किन्तु कुल शाखा 1 थी।

संयुक्त राज्य अमेरिका में इकाई बैंक के अतगत अनेक बहुत बड़े बैंक भी हैं जैसे बैंक ऑफ अमेरिका (स्थापित सन् 1904, प्रधान कार्यालय सन फ्रांसिस्को) जिसकी सम्पत्ति (assets) 10 अरब डॉलर से कहीं अधिक है सन् 1970 में इस बैंक में लगभग 1750 अरब डॉलर के निक्षेप (deposits) थे। यह बैंक न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। दूसरी ओर छोटे इकाई बैंक भी हैं जिनकी संपत्ति 10 लाख डॉलर से भी कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 75 प्रतिशत इकाई बैंक हैं।

इकाई बैंकिंग के विकास के कारण—संयुक्त राज्य अमेरिका में इकाई बैंकिंग अपनाते वे प्रमुख वे कारण हैं—प्रथम, इकाई बैंकिंग का विकास स्वतन्त्र-व्यवसाय के आधार पर होता है और यह इकाई बैंकिंग एकाधिकार व्यवस्था को नहीं पनपने देती। शाखा बैंकिंग में मुद्रा की शक्ति (money power) कुछ व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो जाने की समावना अधिक रहती है। द्वितीय राज्य सरकारों की शक्ति की सीमितता इकाई बैंकिंग पनपाने में सहायक हुई। यद्यपि प्रत्येक राज्य को व्यापारिक-बैंक को चार्टर प्रदान करने का अधिकार है किन्तु यह दूसरे राज्य में शाखाएँ स्थापित करने के लिए अनुमति कम से कम है। तृतीय प्रत्येक राज्य की यह प्रवृत्ति रही है कि दूसरे राज्य के बैंक का कार्य-क्षेत्र उस दूसरे राज्य तक ही सीमित रहे।

2 शाखा बैंकिंग (Branch Banking)

शाखा बैंकिंग से आशय—शाखा बैंकिंग व्यवस्था में सभी बैंकों को यह सुविधा होती है कि वह अपनी शाखाएँ देश के अन्य क्षेत्रों में स्थापित कर सकें और इस प्रकार एक ही बैंक की अनेक शाखाएँ देश के विभिन्न भागों में या एक विशाल क्षेत्र में फैली जाती हैं। इस प्रकार देश में बैंकों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती किन्तु उनकी शाखाएँ पर्याप्त अधिक होती हैं। शाखा बैंकिंग का सबसे अच्छा उदाहरण इंग्लैंड में मिलता है। इंग्लैंड के 'बड़े चार' (Big Four) बैंकों में से

1 इंग्लैंड में सन् 1967 तक बड़े पांच बैंक थे किन्तु सन् 1968 में नेशनल प्रोविडेंशियल बैंक लि० तथा वस्तुमिनिस्टर बैंक लि० का एकीकरण होकर नेशनल वस्तुमिनिस्टर बैंक बना, अतः अब इंग्लैंड में 'बड़े चार' बैंक रहे।

तीन बक तो ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक की 3,000 से अधिक शाखाएँ हैं और चौथे बड़े बक (लायड्स बक) की 2,000 से अधिक शाखाएँ हैं।

एक बक की समस्त शाखाएँ प्रत्यक्ष केंद्रीय नियंत्रण में रहती हैं। शाखाएँ तो वास्तव में ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा ऐसे क्षत्रों में भी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जाती हैं जो प्रधान कार्यालय के क्षेत्र की पहुँच से बाहर हैं।

शाखा बैंकिंग की वर्धमानिक स्थिति—जिन राज्यों ने अपने यहां शाखा-बैंकिंग की अनुमति दे रखी है, उन राज्यों के स्टेट-बैंकों की शाखाएँ उन्हीं राज्यों तक सीमित हैं। पहले नेशनल बैंकिंग एक्ट में नेशनल बैंकों द्वारा शाखाएँ स्थापित करने का प्रावधान नहीं था किंतु मई 1865 के संशोधन में नेशनल बैंकों को शाखाएँ स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन यह शाखाएँ उन्हीं राज्यों (states) में स्थापित की जा सकती हैं जहाँ शाखा-बैंकिंग की स्पष्ट रूप से अनुमति है। नेशनल बैंकों पर शाखाएँ स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित प्रतिबंध हैं—

- (1) नेशनल बैंकों की कर्तव्य सीमाएँ वहीं हैं जो स्टेट बैंकों की हैं।
- (2) नेशनल बैंकों को शाखाएँ स्थापित करने के लिए कम्प्यूटेशनल ब्रॉकर का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
- (3) पूँजी संबंधी के प्रावधान ही हैं जो स्टेट बैंकों के लिए हैं।

शाखा बैंकिंग का विकास—मयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध (1861-1865) के पूर्व शाखा बैंकिंग का विकास हो चुका था। फर्स्ट बक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स (1791-1811) एक मर्किड बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स (1816-1836) ने शाखा बैंकिंग प्रणाली अपनाई किंतु राजनीतिक तथा आर्थिक दशाभा ने उनके विकास को अवरुद्ध किया। यह उत्कलनीय है कि मई 1863 व 1864 के नेशनल बैंक अधिनियमों में शाखा-बैंकिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था किंतु मई 1865 के संशोधन में कम्प्यूटेशनल ब्रॉकर करती को यह अधिकार दिया है कि जिन स्टेट-बैंकों की शाखाएँ पहले से ही हैं उन्हें भी नेशनल चाटर दिया जा सकता है। शाखा बैंकिंग से सम्बंधित नियम इतने कठोर हैं कि अधिकांश स्टेट बैंक जो नेशनल बैंक के रूप में बन गये उन्होंने अपनी प्रत्येक शाखा के लिए पृथक् चाटर लेकर उसका पुनर्गठन किया। मयुक्त राज्य अमेरिका में मई 1900 में बस 87 व्यापारिक-बैंकों की ही शाखाएँ थीं कुल शाखाएँ 119 थीं अर्थात् औसत शाखा 1 से कुछ अधिक थीं।

सन् 1909 में कलिकोर्निया राज्य ने राज्य भर में बैंक शाखाएँ स्थापित करने की अनुमति दे रखी और इसका अनुसरण अन्य राज्यों ने भी किया। इसके परिणामस्वरूप शाखा-बैंकिंग को प्रोत्साहन मिला और सन् 1915 में स्टेट व्यापारिक बैंकों की लगभग 760 शाखाएँ हो गईं किंतु उस समय तक फर्स्ट नियमन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था नेशनल बैंकों को सन् 1915 में बस 26 शाखाएँ ही थीं।

फर्स्ट रिजर्व एक्ट में यद्यपि अमेरिका के बैंकों को कितने-कितने शाखाएँ स्थापित करने की अनुमति दे रखी है किंतु नेशनल बैंकों द्वारा दत्त शाखा-बैंकिंग

के विकास पर प्रतिबंध सा ही है। शाखा-बैंकिंग के सम्बन्ध में फेडरल सरकार द्वारा बैंकिंग नियमों में सन् 1918 के संशोधन द्वारा कुछ सुविधाएँ प्रदान कीं। इस संशोधन की प्रमुख बात यह थी कि स्टेट बैंक अथवा नेशनल बैंक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं और अपनी विद्यमान शाखाओं को भी रख सकते हैं, किन्तु उससे बाद अन्य शाखा स्थापित नहीं कर सकते। इसी प्रकार, यदि कोई कोई स्टेट बैंक नेशनल बैंक में विलय होना है तो उस स्टेट-बैंक की शाखाओं को चालू रखा जा सकता है।

मरू फडन एक्ट, 1927 (Mc Fadden Act 1927)—सन् 1922 में कम्प्यूलेटर ऑफ करमी ने फेडरल कानून का उल्लंघन करके एक व्यवस्था (ruling) दी, जिसके अंतर्गत नेशनल बैंकों को अनिश्चित कार्यालय-टेलर विंडो (Tellers' windows) स्थानीय नगरों में स्थापित करनी की अनुमति प्रदान की गई—यदि यह कार्य राज्य कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध न हो। इन अनिश्चित कार्यालयों द्वारा मुख्यतः तीन कार्य किए जाते थे—निर्वास को प्राप्त करना, उनका भुगतान करना और ऋणा के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना।

सन् 1922 की कम्प्यूलेटर ऑफ करमी की व्यवस्था (ruling) की अधीनस्थता का प्रथम विवादास्पद एवं सदेहजनक बन गया और नेशनल बैंकों तथा फेडरल प्रणाली के सदस्य बैंकों द्वारा शाखाएँ स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार होने लगा। अंतः कार्रवाई में इस विषय को मरू फडन एक्ट 1927 में सम्मिलित किया। इस एक्ट में नेशनल बैंकों को उस नगर में ही शाखाएँ खोलने की अनुमति दी, किन्तु इसे वास्तव में शाखा बैंकिंग नहीं कह सकते। इस एक्ट में शाखा सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार किए गये—

प्रत्येक नेशनल बैंक

25 हजार से 50 हजार जनसंख्या वाले नगरों में	1 शाखा
50 हजार से 1 लाख जनसंख्या वाले नगरों में	2 शाखाएँ
1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में	कितनी भी शाखाएँ (कम्प्यूलेटर ऑफ करमी के अनुमोदन से)

इस सम्बन्ध में एक शर्त यह रखी गई कि उस राज्य में स्टेट बैंक को शाखा खोलने की यदि अनुमति है तब ही नेशनल बैंकों को यह सुविधा होगी, अन्यथा नहीं। इस एक्ट में एक प्रावधान यह भी किया गया कि यदि किसी बैंक ने अनुमति के बिना अथवा अनुमति से केवल एक शाखा खोल ली है तो वह 25 वर्षों तक (सन् 1952 तक) कार्य करती रहेगी।

शाखा बैंकिंग सम्बन्धी वर्तमान स्थिति—शाखा बैंकिंग से सम्बन्धित समय समय पर विचार किये गये क्योंकि हजारों इकाई बैंक महान् मदी काल में बंद हो गये। यह उत्प्रेक्षनीय है कि इस ही अवधि में इंग्लैंड में शाखा बैंकिंग होने के कारण, एक भी बैंक बंद नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बैंकिंग एक्ट 1933 बैंकिंग एक्ट 1935, 1952 के एक्ट व 1962 के एक्ट में नेशनल बैंक व सदस्य स्टेट बैंक द्वारा शाखाएँ स्थापित करने सम्बन्धी प्रावधान दिए हैं। संक्षेप में ये प्रावधान अग्रवर्ति हैं।

प्रमुख नैरो की बंकिंग प्रणालियाँ

तीन बक तो ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक की 3,000 से अधिक शाखाएँ हैं और चौथे बड़े बक (सायडस बक) की 2,000 से अधिक शाखाएँ हैं।

एक बक की समस्त शाखाएँ प्रत्यक्ष केंद्रीय नियंत्रण में रहती हैं। शाखाएँ तो वास्तव में ऐसे माधन हैं जिनके द्वारा ऐसे क्षत्रों में भी बंकिंग सेवाएँ प्रदान की जाती हैं जो प्रधान कार्यालय के क्षत्र की पहुँच से बाहर हों।

शाखा बंकिंग की बंधानिक स्थिति—जिन राज्यों में अपने यहां शाखा-बंकिंग की अनुमति दे रहीं हैं उन राज्यों के स्टेट-बैंकों की शाखाएँ उन्हीं राज्यों तक सीमित हैं। पहले नेशनल बंकिंग एक्ट में नेशनल बकों द्वारा शाखाएँ स्थापित करने का प्रावधान नहीं था किंतु मर्च 1865 के संशोधन में नेशनल बकों को शाखाएँ स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन यह शाखाएँ उन्हीं राज्यों (states) में स्थापित की जा सकती हैं जहाँ शाखा-बंकिंग की स्पष्ट रूप से अनुमति है। नेशनल बकों पर शाखाएँ स्थापित करने का सबंध में निम्नलिखित प्रतिबंध हैं—

- (1) नेशनल बकों की क्षत्रीय सीमाएँ वहीं हैं जो स्टेट बकों की हैं।
- (2) नेशनल बकों को शाखा स्थापित करने के लिए कम्प्यूटर ऑफ़ करसा का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
- (3) पूरा ही सबंधी व प्रावधान ही हैं जो स्टेट बकों के लिए हैं।

शाखा बंकिंग का विकास—संयुक्त राज्य अमरिका में गृह युद्ध (1861-1865) के पूर्व शाखा बंकिंग का विकास हो चुका था। फ्रंट बक ऑफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स (1791-1811) एवं मॉन्टिड बक ऑफ़ यूनाइटेड स्टेट्स (1816-1836) ने शाखा बंकिंग प्रणाली अपनाई किंतु राजनीतिक तथा आर्थिक दशाओं ने उनका विकास का अवरोध किया। यह उल्लेखनीय है कि सन् 1863 व 1864 के नेशनल बक अधिनियमों में शाखा बंकिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था किंतु सन् 1865 के संशोधन में कम्प्यूटर ऑफ़ करसी को यह अधिकार दिया है कि जिन स्टेट-बकों की शाखाएँ पहले से ही हैं उन्हें भी नेशनल चाटर दिया जा सकता है। शाखा बंकिंग से सम्बंधित नियम इतने कठोर हैं कि अधिकांश स्टेट बक जो नेशनल बक के रूप में बंदल गये उन्हीं अपनी प्रत्येक शाखा के लिए पृथक् चाटर तैयार करना पुनसं गठन किया। संयुक्त राज्य अमरिका में मर्च 1900 में केवल 87 व्यापारिक-बकों की ही शाखाएँ थीं कुल शाखाएँ 119 थीं अर्थात् औसत शाखा 1 से कुछ अधिक थीं।

सन् 1909 में कलिफोर्निया राज्य ने राज्य भर में बैंक शाखाएँ स्थापित करने की अनुमति दे दी और इसका अनुसरण अनेक अन्य राज्यों ने भी किया। इसके परिणामस्वरूप शाखा-बंकिंग को प्रोत्साहन मिला और सन् 1915 में स्टेट व्यापारिक बकों की लगभग 760 शाखाएँ हो गईं किंतु उस समय तक फेडरल नियमन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अतः नेशनल बकों की सन् 1915 में केवल 26 शाखाएँ ही थीं।

फेडरल रिजर्व एक्ट में यद्यपि अमरिका के बकों को विदेशों में शाखाएँ स्थापित करने की अनुमति दे रखी है किंतु नेशनल बैंकों द्वारा देश में शाखा बंकिंग

के विकास पर प्रतिबन्ध सा ही है। शाखा-बैंकिंग के सम्बन्ध में फ़ेडरल सरकार द्वारा बैंकिंग नियमों में सन् 1918 के नशोधन द्वारा कुछ सुविधाएँ प्रदान कीं। इस सशोधन की प्रमुख बात यह थी कि स्टेट बैंक अब नेशनल बैंक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं और अपनी विद्यमान शाखाओं को भी रख सकते हैं, किन्तु उसके बाद अन्य शाखा स्थापित नहीं कर सकते। इसी प्रकार, यदि कोई स्टेट बैंक नेशनल बैंक में विलय होना है तो उस स्टेट-बैंक की शाखाओं को बालू रखा जा सकता है।

मक फ़ड्डन एक्ट, 1927 (Mc Fadden Act 1927)—सन् 1922 में कम्पट्रोलर ऑफ़ करमी ने फ़ेडरल कानून का उल्लंघन करके एक व्यवस्था (ruling) की जिसके अंतर्गत नेशनल बैंकों को अनिश्चित कार्यालय-टोलर विंडो (Tollers windows) स्थानीय नगरों में स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई—यदि यह कार्य राज्य कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध न हो। इन अनिश्चित-कार्यालयों द्वारा मुख्यतः तान कार्य किए जाते थे—निर्देशों को प्राप्त करना, उनका भुगतान करना और ऋणों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना।

सन् 1922 की कम्पट्रोलर ऑफ़ करमी की व्यवस्था (ruling) की बर्धनिकता का प्रश्न विज्ञानाम्यद एवं सन्देशजनक बन गया और नेशनल बैंकों तथा फ़ेडरल प्रणाली के सदस्य बैंको द्वारा शाखाएँ स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार होने लगा। अंतः कांशेष न इस विषय को मक फ़ड्डन एक्ट 1927 में सम्मिलित किया। इस एक्ट में नेशनल बैंको को उस नगर में ही शाखाएँ खोलने की अनुमति दी, किन्तु इन्में वास्तव में शाखा बैंकिंग नहीं कह सकते। इस एक्ट में शाखा सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार किए गये—

प्रत्येक नेशनल बैंक

25 हजार से 50 हजार जनसंख्या वाले नगरों में	1 शाखा
50 हजार से 1 लाख जनसंख्या वाले नगरों में	2 शाखाएँ
1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में	विन्नी भा शाखाएँ (कम्पट्रोलर ऑफ़ करमी के अनुमोदन से)

इस सम्बन्ध में एक शन यह रखी गई कि उस राज्य में स्टेट बैंक को शाखा खोलने की यदि अनुमति है तब ही नेशनल बैंक को यह सुविधा होगी, अथवा नहीं। इस एक्ट में एक प्रावधान यह भी किया गया कि यदि किसी बैंक ने अनुमति के बिना अथवा अनुमति से केवल एक शाखा खोल ली है तो वह 25 वर्षों तक (सन् 1952 तक) कार्य करती रहेगी।

शाखा बैंकिंग सम्बन्धी वर्तमान स्थिति—शाखा बैंकिंग में सम्बन्धित समय पर विचार किये गये क्योंकि हजारों द्कार्ड बैंक महान् मनी कान में बन रहे गये। यह उल्लेखनीय है कि इस ही अवधि में इंग्लैंड में शाखा बैंकिंग होने के कारण, एक भी बैंक बंद नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंकिंग एक्ट 1933 बैंकिंग एक्ट 1935, 1952 के एक्ट व 1962 के एक्ट में नेशनल बैंक व स्टेट बैंक द्वारा शाखाएँ स्थापित करने सम्बन्धी प्रावधान लिए हैं। सम्बन्ध में व प्रावधान अप्राकृतिक हैं।

1 राज्यों की अधिकार—शाखा वित्त नीति को निर्धारण का कार्य राज्यों पर छाड़ दिया गया है। यदि कोई राज्य अपने क्षेत्र में स्टेट बैंक का नगरा प्रथवा सम्पूर्ण राज्य में शाखाएँ स्थापित करने की अनुमति देना है तो वे प्रावधान नेशनल बैंको द्वारा शाखाएँ स्थापित करने के सम्बन्ध में लागू हान हैं।

2 पूंजी सम्बन्धी व्यवस्था—विभिन्न नगरों में, जहाँ शाखा खोली जा रही हैं, वहाँ की जनसंख्या के आधार पर, बैंक की पूंजी-स्टॉक होनी चाहिए।

3 अनुमति देने के अधिकारी—शाखा स्थापित करने के लिए नेशनल बैंक की कम्प्यूटरीज्ड माफ करमी से वे सदस्य-स्टेट बैंक का फेडरल रिजर्व प्रणाली के गवर्नर मंडल से अनुमति लेनी अनिवार्य है।

यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका में शाखा-वित्त में सम्बन्धित प्रावधान शिथिल कर दिए गए हैं किन्तु कोई भी अमेरिकन कानून देशव्यापी आधार पर शाखा-वित्त की अनुमति नहीं देता है। जिस प्रकार की शाखा वित्त इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, जापान, कनाडा व अन्य देशों में है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में शाखा-वित्त के सम्बन्ध में राज्यों की स्थिति इस प्रकार है—

	राज्यों की संख्या
(a) वे राज्य जिन्होंने अपने सम्पूर्ण राज्य में शाखा वित्त की अनुमति दे रखी है	16
(b) वे राज्य जिन्होंने अपने राज्य में सभी प्रकार की शाखा वित्त पर प्रतिबंध लगा रखा है	12
(c) वे राज्य जहाँ शाखा-वित्त में सम्बन्धित कोई कानून नहीं है	2
(d) जहाँ राज्यों में प्रतिबंधित क्षेत्र में ही प्रथवा अधिक क्षेत्रों में वित्त शाखाएँ स्थापित की जा सकती हैं।	

नीचे की तालिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में शाखा वित्त का स्थिति बतलाई गई है—

व्यापारिक-बैंकों की शाखाएँ (31 दिसम्बर 1969 को) 1

वर्ष	कुल नेशनल बैंक	स्टेट बैंक	स्टेट बैंक सदस्य सीमित बैंक	स्टेट बैंक सदस्य प्रसीमित बैंक	
1964	13761	4773	1452	7262	274
1969	13679	4716	1262	7504	197
शाखाओं की संख्या					
1964	14321	7940	3275	3056	50
1969	19985	11550	3465	4923	47

1 Board of Governors of the Federal Reserve System 56th Annual Report (1969) p. 351

विदेशी में शाखाए
(Foreign Branches)

अनेक अमेरिकन बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित व्यवहारों के लिए विदेशों में अपने प्रतिनिधि बैंकों (correspondent banks) पर निर्भर हैं। कुछ बैंक न अपनी शाखाए विदेशों में भी स्थापित कर ली हैं। फेडरल रिजर्व एक्ट 1913 ने ऐसे नेशनल बैंकों को जिनकी पूंजी-स्टॉक 10 लाख डॉलर से अधिक है विदेशों में शाखाए स्थापित करने की अनुमति दे रती है। फिर सन् 1916 में मशीन ने यह सुविधा दी कि कोई भी नेशनल बैंक विदेशों में अपनी सहायक बकिंग कम्पनी अथवा कम्पनियाँ (subsidiary or subsidiaries) स्थापित कर सकता है किन्तु उसमें अपनी पूंजी-स्टॉक का 10% से अधिक वित्तियोग नहीं कर सकता। सदस्य-स्टेट बैंकों के लिए भी यही प्रावधान है।

अनेक अमेरिकन बैंकों ने, मुख्यतः यूरोप के बैंकों में विश्व में प्रायः समस्त प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में अपनी शाखाए स्थापित कर रखी हैं। इन बैंकों में विशेषतः यूरोप में लेटिन अमेरिका में अपनी शाखाए स्थापित की हैं। सन् 1960 और 1970 के दशक के मध्य अमेरिका के बैंकों द्वारा विदेशों में शाखाए स्थापित करने के कार्य में पर्याप्त विकास हुआ। इस विकास के अनेक कारण हैं जिनमें—
(1) संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर का रिजर्व करवा के रूप में विकास
(2) अमेरिकन व्यापारिक निगमों का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विकास
(3) यूरोप में एल्वोडॉलर (Eurodollars) का बढ़ता हुआ उपयोग-सुविधा के कारण व दशक मौद्रिक अर्थव्यवस्था द्वारा लगाये गये मात्व नियंत्रणों से बचने के लिए।

प्रमुख अमेरिकन बैंक जिनकी विदेशों में शाखाए हैं वे ये हैं—फेडरल नेशनल सिटी बैंक (यूयाक) चेज मैनेट्टेन बैंक (यूयाक), मीरगन गारगी टस्ट बैंक आफ यूयाक, बैंक ऑफ अमेरिका (सेन फ्रांसिस्को) फेडरल नेशनल बैंक आफ वाशिंगटन वीटीएनएल इल्लिनाय नेशनल बैंक (शिकागो) आदि।

उदाहरण के लिए चेज मैनेट्टेन बैंक (प्रधान कार्यालय यूयाक) जिसका विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक बैंकों में दूसरा स्थान है (प्रथम स्थान बैंक आफ अमेरिका का है), सन् 1967 में 43 नई विदेशी शाखाए स्थापित की।

व्यापारिक बैंकों की विदेशी शाखाए

वर्ष (आरम्भ में)	देशों में	नेशनल बैंक की शाखाए	स्टेट बैंक की शाखाए	कुल शाखाए
1965	45	139	41	180
1967	53	230	14	244
1968	54	280	15	295
1969	57	353	20	373
1970	59	428	32	460

प्रमुख देशों की बैंकिंग प्रणालियाँ
व को ने विदेशों में शाखाएँ स्थापित कर रखी हैं—

वर्ष (भारत में)	नगणत बैंक	स्टेट बैंक	कुल बैंक	कुल शाखाएँ
1965				
1967	5			
1968	7	6	11	180
1969	8	6	13	244
1970	14	7	15	295
	36	12	26	373
		17	53	460

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक बैंकों में विदेशों में अपनी शाखाएँ खोलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

3 समूह बैंकिंग (Group Banking)

संयुक्त राज्य अमेरिका में समूह बैंकिंग प्रणाली भी प्रचलित है जिसमें एक बैंक अन्य बैंक अथवा बैंकों की 50 प्रतिशत से अधिक पूंजी-स्टॉक पर अधिकार रखता है। समूह बैंकिंग में एक नियंत्रक (holding) कंपनी अथवा बैंक होना है। समूह बैंकों के अंतर्गत सभी बैंकों का अस्तित्व तो प्रयुक्त रहता है किन्तु नियंत्रक बैंक उन बैंकों के प्रबंधन का कार्य नीति पर नियंत्रण (control) रखता है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका में समूह बैंकिंग प्रणाली कुछ अंशों में सन् 1900 में भी प्रारंभ हुई थी किन्तु इसका कुछ उल्लेखनीय विकास सन् 1920 के बाद हुआ। सन् 1931 में इस प्रणाली के अंतर्गत बैंकों के 97 समूह थे जिनमें अंतर्गत 97 बैंक व उनकी 1219 शाखाएँ थीं किन्तु सन् 1964 के आरम्भ में कुल 52 समूह ही रह गये जिनके अंतर्गत 454 बैंक व 1278 शाखाएँ थीं।

व्यापारिक बैंकों का विकास

संयुक्त राज्य अमेरिका में इकाई बैंकिंग प्रणाली है अतः यहाँ अन्य देशों की तुलना में बैंकों की संख्या अधिक है। निम्नांकित तालिका में 25 वर्षों में वहाँ इनका विकास बतलाया गया है।

वर्ष	बैंकों की संख्या (भारत में)	वर्ष	बैंकों की संख्या (भारत में)
1945	14 167	1965	13 569
1950	14 205	1967	13 804
1955	13 881	1968	13 721
1960	13 486	1969	13 679
1962	13 444	1970	13 662—

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक बैंक

संयुक्त राज्य अमेरिका में (सन् 1970 में) 13,650 से भी अधिक व्यापारिक बैंक हैं। गीचे वहाँ के सबसे बड़े बैंकों में उनका स्थान बतलाया गया है। यह उन्नेवनीय है कि इनमें से प्रत्येक बैंक के पास 1 करोड़ से 1½ करोड़ डॉलर के निधि हैं।

नाम	स्थापना वर्ष	प्रधान कार्यालय	विश्व के बन्धों में स्थान
1 बैंक ऑफ अमेरिका	1904	सन फ्रांसिस्को	प्रथम
2 चेज मेनहैटन बैंक	~1799	न्यूयॉर्क	द्वितीय
3 फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक	1812	न्यूयॉर्क	तृतीय
4 मैयुक्रॉवरम हैनप्रोवर ट्रस्ट क	1831	न्यूयॉर्क	चतुर्थ
5 कैमिचल बैंक न्यूयॉर्क ट्रस्ट क	1824	न्यूयॉर्क	सप्तम
6 मौरगन गारटी ट्रस्ट क	1864	न्यूयॉर्क	नवम
7 कौटीनटल इनिशाय नेशनल बैंक	1857	शिवागो	तरहवा
8 सीक्यूरिटी फर्स्ट नेशनल बैंक	1875	लॉस एंजलीस	पंद्रहवाँ
9 बैंक्स ट्रस्ट क	1903	न्यूयॉर्क	उन्नीसवा
10 फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ शिकागो	1863	शिकागो	चौबीसवा
11 वल्स फारगो बैंक	1852	सन फ्रांसिस्को	सत्ताइसवा
12 क्रौकर सिटीजन्स नेशनल बैंक	1870	सन फ्रांसिस्को	उनतीसवा
13 डर्विंग ट्रस्ट क	1851	न्यूयॉर्क	चौतीसवा
14 यूनाइटेड कलिफोर्निया बैंक	1903	लॉस एंजलीस	पैंतीसवा
15 मैलन नेशनल बैंक एण्ड ट्रस्ट क	1902	पिट्सबर्ग	छत्तीसवा
16 नेशनल बैंक ऑफ इंडिया	1933	इंडिया	बियालीसवा
17 फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ बोस्टन	1784	बोस्टन	बावनवा
18 क्लीवलड ट्रस्ट क	1894	क्लीवलड	उनसठवा
19 फर्स्ट पेसिलवेनिया बैंकिंग क	1812	फिनांसेनफिया	अठहत्तरवा
20 रिपब्लिकन नेशनल बैंक ऑफ डनस	1920	डनस	चौरासीवा

फैडरल रिजर्व प्रणाली

संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल रिजर्व प्रणाली के उदय का अध्ययन करने के लिए सन् 1893 से आर्थिक दशाब्दा का अध्ययन करना होगा। सन् 1893 के वित्तीय आतंक और बाद की मंदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बक्स उद्योगपति व्यापारी अर्थशास्त्री एवं राजनीतिको को यह विचार करने के लिए बाध्य किया कि अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में दुर्बलताएँ हैं। वास्तविकता तो यह है कि स्थिति इस प्रकार की होगई थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यक्तियों ने अन्य देशों की बैंकिंग प्रणाली की श्रेष्ठता के कारण चान करने के लिए विनम्रता से दखना आरम्भ कर दिया। वे एक श्रेष्ठ एवं स्थिर बैंकिंग प्रणाली को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे।

सबप्रथम बैंक नोट निगमन की व्यवस्था में सुधार करने की दिशा में ही ध्यान आकर्षित रहा। यह अनुभव किया जा रहा था कि यदि नेशनल बैंकों द्वारा निगमन नाटा में लाभ का गुण उत्पन्न हो जावे तो देश की अधिकांश वित्तीय एवं बैंकिंग समस्याएँ दूर हो सकती हैं। सन् 1893 में वाल्टीमोर नगर में अमेरिकन बैंक एसोसियेशन ने अपना एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव यह भी रखा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा के सट्टा नोट निगमन प्रणाली अपनाती चाहिए। कनाडा में नोट निगमन प्रणाली इस प्रकार की थी कि नोट-निगमन करने वाले समस्त बैंक एक दूसरे के नोटों की सुरक्षा का सम्मिलित दायित्व लते थे किन्तु यह परामर्श स्वीकार नहीं हो सका जिसका प्रमुख कारण था काय शीलता में अभाव्यवहारिकता। कनाडा में तो यह प्रणाली व्यावहारिक थी क्योंकि वहाँ नोट निगमन करने वाले बैंकों की संख्या पर्याप्त कम थी। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में सड़क बैंक नोट निगमन करते थे। दूसरी ओर बड़े एवं सुदृढ़ बैंकों ने भी इसका विरोध किया जो कि स्वाभाविक था।

इसके बाद के वर्षों में भी बैंकिंग संकट उत्पन्न हुए किन्तु सन् 1907 का बैंकिंग-संकट पुनः गम्भीर था। हाउस ऑफ रिपब्लिकेन के समक्ष कार्टर ग्लास (Carter Glass) ने जोरदार शब्दों में कहा—

यूरोप में वित्तीय-पुस्तकें (financial text books) के लेखकों ने हमारी बैंकिंग प्रणाली को बर्बर (barbarous) बनलाया है। इस तथ्य में सत्यता है कि संकट काल में यह प्रणाली अक्षम रही जिनके कारण व्यापारिक अनतिवृत्ता का विस्तार हुआ और सबत्र अष्ट फला। गत तीस वर्षों में अनेक महान् आर्थिक संकट आय जिनके परिणामस्वरूप समाज के प्रत्येक वर्ग को असीमित हानि हुई—विद्यमान बैंकों को व्यापारियों को जिनकी पूँजी कम हो गई उद्योगपतियों को जिनके उद्योग बंद हो गये कृषकों जिनकी फसल खेत में ही सड़ गई मजदूरों का जा मजदूरी से वंचित हो गये। 7300 नेशनल बैंक में सट्टाकारिता एवं समन्वय का अभाव के कारण साल की अनुमानित मात्रा में समय सुविधाओं की कमी हुई है। इस अन्तर्गत दोष के कारण विपत्ति का आगमन अनिवार्य है।

ग्लास (Glass) के इस दृष्टिकोण से अनेक महत्त्व थे कि मूल समस्या 'रिजर्व' और लोच की कमी की थी—विशेषतः सक्कट के काल में। अतः यह विचारधारा दृढ़ होगई कि ऐसी सस्थाओं की स्थापना की जावे जो रिजर्व एवं लाचन प्रदान कर सकें। राष्ट्र के स्वर्ण कोष का एक भाग इन नवीन सस्थाओं में केन्द्रित हो जाना चाहिए ताकि आवश्यकता के समय नई सस्थाएँ आवश्यकतानुसार करनी का सृजन कर सकें।

स्थापित होने वाली प्रस्तावित सस्थाओं के नियंत्रण एवं सगठन के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद रहे। एक बर्ग का मत था कि ऐसी सस्थाएँ बका द्वारा पारम्परिक सहायता सस्थाओं के रूप में स्थापित की जानी चाहिए ताकि वह अधिक सुरक्षितता से तथा अधिक प्रभावशील ढंग से काम कर सकें। इस विचारधारा के व्यक्तियों का यह विचार था कि स्थापित होने वाली नई सस्थाओं की पूजा ये विद्यमान बका प्रदान करें और इन नई सस्थाओं पर अपना पूर्ण नियंत्रण भी रखें। दूसरे बर्ग के व्यक्तियों का मत था कि ऐसी नई सस्थाएँ स्थापित की जावें जोकि विद्यमान बका के संचालक (regulators) के रूप में काम करें। एक अन्य बर्ग के व्यक्तियों का मत था कि बका पर नियंत्रण एवं उनके संचालन का काम सरकार का होना चाहिये।

कुछ व्यक्तियों का मत था कि अग्र दशा के केन्द्रीय बैंकों की भाँति ही संयुक्त राज्य अमेरिका में भी केन्द्रीय बैंक स्थापित कर देना चाहिये। इसके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एक ही केन्द्रीय बैंक होना चाहिये और वही देश के अग्र बैंक पर प्रभावशील नियंत्रण रखे। इसमें अनेक लाभ होंगे। यह केन्द्रीय बैंक देश के स्वर्ण कोषों को प्रभावशील ढंग से एक ही स्थान पर एकत्रित कर सकेगा सक्कट के समय अग्रवा बहुत आवश्यकता के समय इन स्वर्ण-कोषों को राष्ट्र के हित के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा और सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये साख की एकनी नीति अपनाई जा सकेगी।

दूसरी ओर इस मत के विपक्षियों का मत था कि सम्पूर्ण देश के लिये एक ही केन्द्रीय बैंक स्थापित होने से अनेक समस्याएँ उत्पन्न होंगी एवं बैंकिंग के असंतुलित विकास होने की सम्भावनाएँ हैं। उनके मतानुसार इस प्रकार का बैंक देश के लिये खतरनाक सिद्ध होगा क्योंकि इस अकेले बैंक के पास बहुत अधिक वित्तीय शक्ति केन्द्रित हो जावेगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय आर्थिक एवं वित्तीय दशाओं का समुचित ध्यान नहीं रखा जा सकेगा। इनका मत था कि बैंकिंग प्रणाली का क्षेत्रीय आधार पर विकास होना चाहिये अतः प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग ही बैंक होना चाहिये ताकि अपने क्षेत्र की आर्थिक दशाओं के अनुसार ही बैंकिंग का विकास कर सकें। कांग्रेस के एक सदस्य का तो यह मत था कि कम से कम ऐसे 50 क्षेत्रीय बैंक देश में स्थापित होने चाहिये।

उपरोक्त विभिन्न मतों को ध्यान में रखते हुए एक बीच का माग निकाला गया और फंडरल रिजर्व एक्ट के अंतर्गत फंडरल रिजर्व प्रणाली अपनाई गई। इन प्रणाली के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका को 12 जिलों में बाँट दिया गया और प्रत्येक जिले (district) में एक-एक फंडरल रिजर्व बैंक स्थापित किया गया तथा इन फंडरल रिजर्व बैंकों पर निरीक्षण एवं उनकी नीतियों में समन्वय का काम करने के लिए वाशिंगटन में एक केन्द्रीय प्रोपैरिटी (central authority), अर्थात् बोर्ड ऑफ गवर्नर्स स्थापित की गई।

फंडरल रिजर्व एक्ट 23 दिसम्बर 1913 को पास किया गया तथा प्रथम फंडरल रिजर्व बोर्ड ने 10 अगस्त 1914 को अपना कार्य-भार संभाला। फंडरल रिजर्व एक्ट में 30 धाराएँ (Sections) हैं जो लगभग 103 पृष्ठों में मुद्रित हैं। सन् 1913 के इस एक्ट में अब तक अनेक बार संशोधन हो चुके हैं।

फैडरल रिजर्व प्रणाली

सयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल रिजर्व प्रणाली का उद्देश्य का अध्ययन करने के लिए सन् 1893 में आर्थिक-शास्त्रों का अध्ययन करना हुआ। सन् 1893 के वित्तीय घातक और बाजार की मन्दी ने सयुक्त राज्य अमेरिका के बचप उद्योगपति व्यापारी अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञों को यह विचार करने के लिए बाध्य किया कि अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में दुर्बलताएँ हैं। वास्तविकता तो यह है कि स्थिति इस प्रकार की होगी थी कि सयुक्त राज्य अमेरिका के व्यक्तियों ने प्रायः दशों की बैंकिंग प्रणाली की श्रेष्ठता के कारण ज्ञात करने के लिए विनम्रता से दृष्टि धारण कर ली। वे एक श्रेष्ठ एवं स्थिर बैंकिंग प्रणाली को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे।

सबप्रथम बैंक नोट निगमन की व्यवस्था में सुधार करने की शिशा में ही ध्यान आकर्षित रहा। यह अनुभव किया जा रहा था कि यदि नेशनल बैंकों द्वारा निगमित नोटों में लाच का गुण उत्पन्न हो जावे तो देश की अधिकांश वित्तीय एवं बैंकिंग समस्याएँ दूर हो सकती हैं। सन् 1893 में बाल्टीमोर नगर में 'अमेरिकन बैंक ऐसोसियेशन' ने अपना एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव यह भी रखा गया कि सयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा के सट्टा नोट निगमन प्रणाली अपनायी जाए। कनाडा में नोट निगमन प्रणाली इस प्रकार की थी कि नोट-निगमन करने वाले समस्त बैंक एक दूसरे के नोटों की सुरक्षा का सम्मिलित दायित्व लेते थे किन्तु यह परामर्श स्वीकार नहीं हो सका जिसका प्रमुख कारण था काय शीलता में अभाव-ह्रासिता। कनाडा में तो यह प्रणाली व्यावहारिक थी क्योंकि वहाँ नोट निगमन करने वाले बैंकों की संख्या पर्याप्त कम थी। इसके विपरीत सयुक्त राज्य अमेरिका में सैकड़ों बैंक नोट निगमन करते थे। दूसरी ओर बड़े एवं सुदृढ़ बैंकों ने भी इसका विरोध किया जो कि स्वाभाविक था।

इसके बाद के वर्षों में भी बैंकिंग सफट उत्पन्न हुए किन्तु सन् 1907 का बैंकिंग-सफट पुनः गम्भीर था। हाउस आफ रिपब्लिकन के अध्यक्ष कार्टर ग्लास (Carter Glass) ने जोरदार शब्दों में कहा—

'यूरोप में वित्तीय पुस्तकें (financial text books) के लम्बे ने हमारी बैंकिंग प्रणाली को बर्बर (barbarous) बतलाया है। इस तथ्य में सत्यता है कि सफट काल में यह प्रणाली असफल रही जिसके कारण व्यापारिक अनतिवृत्ता का विस्तार हुआ और सबत्र कष्ट फला। गत तीस वर्षों में अनेक महान आर्थिक सफट आये जिनके परिणामस्वरूप समाज के प्रत्येक वर्ग को असंमित हानि हुई—विद्यमान बैंकों को व्यापारियों को जिनकी पूँजी कम हो गई उद्योगपतियों को जिनके उद्योग बंद हो गये कृषकों जिनकी फसलें खेत में ही सड़ गई मजदूरों का जा मजदूरी से वंचित हो गये। 7300 नेशनल बैंकों में सहकारिता एवं सम-वय के अभाव के कारण साल की अनुमृत माग के समय सुविधाओं की कमी हुई है। इस अन्तःसूत दोष के कारण विपत्ति का आगमन अनिवार्य है।

ग्लास (Glass) के इस दृष्टिकोण से अनेक महमन थे कि मूल समस्या 'रिजर्व' और लोच की कमी की थी—विशेषतः सवट के काल में। अतः यह विचारधारा हृद हागर्ड कि ऐसी सस्थाओं की स्थापना की जाव जो रिजर्व एवं लोचन प्रदान कर सकें। राष्ट्र के स्वर्ण कोष का एक भाग इन नवीन सस्थाओं में केन्द्रित होजाना चाहिए ताकि आवश्यकता के समय नई सस्थाएँ आवश्यकतानुसार करनी का सृजन कर सकें।

स्थापित होने वाली प्रस्तावित सस्थाओं के नियंत्रण एवं सगठन के सम्बन्ध में पर्याप्त मनभेद रहे। एक बग का मत था कि ऐसी सस्थाएँ बैंको द्वारा पारम्परिक सहायता सस्थाओं के रूप में स्थापित की जानी चाहिए ताकि बैंक अधिक सुरक्षितता से तथा अधिक प्रभावशील ढंग से कार्य कर सकें। इस विचारधारा के व्यक्तियों का यह विचार था कि स्थापित होने वाली नई सस्थाओं की पूजी ये विद्यमान बैंक प्रदान करें और इन नई सस्थाओं पर अपना पूरा नियंत्रण भी रखें। दूसरे बग के व्यक्तियों का मत था कि ऐसी नई सस्थाएँ स्थापित की जावें जोकि विद्यमान बैंकों के संचालक (regulators) के रूप में कार्य करें। एक अग्र बग के व्यक्तियों का मत था कि बैंकों पर नियंत्रण एवं उनके संचालन का कार्य सरकार का होना चाहिये।

बुद्ध व्यक्तियों का मत था कि अग्र देशों के केन्द्रीय बैंकों की भांति ही संयुक्त राज्य अमेरिका में भी केन्द्रीय बैंक स्थापित कर दना चाहिये। इसके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एक ही केन्द्रीय बैंक होना चाहिये और वही देश के अग्र बैंकों पर प्रभावशील नियंत्रण रखे। इससे अनेक लाभ होंगे। यह केन्द्रीय बैंक देश के स्वर्ण कोषों को प्रभावशील ढंग से एक ही स्थान पर एकत्रित कर सकेगा, सवट के समय अथवा बहुत आवश्यकता के समय इन स्वर्ण-कोषों का राष्ट्र के हित के लिये उपयोग में लाया जा सकेगा और सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये साख की एकसी नीति अपनाई जा सकेगी।

दूसरी ओर इस मत के विपक्षियों का मत था कि सम्पूर्ण देश के लिये एक ही केन्द्रीय बैंक स्थापित होने से अनेक समस्याएँ उत्पन्न हानें एवं बैंकिंग के असन्तुलित विकास होने की सम्भावनाएँ हैं। उनके मतानुसार इस प्रकार का बैंक देश के निम्न स्तरनाक सिद्ध होगा क्योंकि इस अकेले बैंक के पास बहुत अधिक वित्तीय शक्ति केंद्रित हो जावेगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय आर्थिक एवं वित्तीय दशाओं का समुचित ध्यान नहीं रखा जा सकेगा। इनका मत था कि बैंकिंग प्रणाली का क्षेत्रीय आधार पर विकास होना चाहिये अतः प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग ही बैंक होना चाहिये ताकि अपने क्षेत्र की आर्थिक दशाओं के अनुसार ही बैंकिंग का विकास कर सकें। कांग्रेस के एक सदस्य का तो यह मत था कि कम से कम ऐसे 50 क्षेत्रीय बैंक देश में स्थापित होने चाहिये।

उपरोक्त विभिन्न मतों को ध्यान में रखते हुए एक बीच का मार्ग निकाला गया और फंडरल रिजर्व एक्ट के अंतर्गत फंडरल रिजर्व प्रणाली अपनाई गई। इस प्रणाली के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका को 12 जिला में बाँट दिया गया और प्रत्येक जिले (district) में एक-एक फंडरल रिजर्व बैंक स्थापित किया गया तथा इन फंडरल रिजर्व बैंकों पर निरीक्षण एवं उनकी नीतियों में समन्वय का कार्य करने के लिए वाशिंगटन में एक केन्द्रीय प्राथोरिटी (central authority), अर्थात् बार्ड आफ गवर्नर्स स्थापित की गई।

फंडरल रिजर्व एक्ट 23 दिसम्बर 1913 को पास किया गया तथा प्रथम फंडरल रिजर्व बोर्ड ने 10 अगस्त 1914 को अपना कार्य-भार संभाला। फंडरल रिजर्व एक्ट में 30 धाराएँ (Sections) हैं जो लगभग 103 पृष्ठों में सुविहित हैं। सन् 1913 के इस एक्ट में अब तक अनेक बार संशोधन हो चुके हैं।

फ़ेडरल रिजर्व प्रणाली का संगठन

उद्देश्य—फ़ेडरल रिजर्व एक्ट की भूमिका में इसके उद्देश्य¹ बतलाए गये हैं जो निम्नलिखित हैं—

- 1 फ़ेडरल रिजर्व बैंकों की स्थापना करना,
- 2 सोचदार करसी प्रदान करना,
- 3 व्यापारिक पत्रा की पुनर्विद्युती के साधन उपलब्ध करना,
- 4 सयुक्त राज्य में भविष्य पर अधिक प्रभावशाली ढंग से पर्यवेक्षण (super vision) की व्यवस्था करना,
- 5 प्राय उद्देश्य ।

फ़ेडरल रिजर्व जिलों की स्थापना—फ़ेडरल रिजर्व एक्ट (धारा 2) के अंतर्गत एक 'रिजर्व बैंक संगठन समिति' के गठन का प्रावधान किया गया जिसमें तीन सदस्य थे—ट्रेजरी का सेक्रेटरी, कम्पट्रोलर ऑफ करसी एंड क्यूपि का सेक्रेटरी । इस समिति के मुख्य कार्य दो थे—प्रथम, कम से कम आठ और अधिक से अधिक 12 फ़ेडरल रिजर्व नगरों का चुनाव करे, द्वितीय, सयुक्त राज्य अमेरिका को कम से कम आठ व अधिक से अधिक 12 फ़ेडरल-जिलों (federal districts) में इस प्रकार विभाजित करे—प्रत्येक जिले में एक फ़ेडरल रिजर्व नगर हो जिसमें प्रत्येक में एक एक प्रस्तावित क्षेत्रीय बैंक (फ़ेडरल रिजर्व बैंक) स्थापित किया जाय । यह आवश्यक नहीं था कि किसी राज्य की सीमा व फ़ेडरल जिले की सीमा एक ही हो । व्यवहार में, किसी राज्य का एक क्षेत्र एक जिले में है और शेष भाग दूसरे जिले में है ।

इस समिति ने सयुक्त राज्य अमेरिका के प्राय प्रत्येक प्रमुख नगर में जाकर बँकर्स, व्यापारियों व अन्य व्यक्तियों से, फ़ेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना के प्रस्तावित केन्द्र के पक्ष व विपक्ष के विचार सुन, विभिन्न क्षेत्रों के वित्तीय संगठनों का अध्ययन किया और अंत में 12 रिजर्व जिलों की स्थापना का निश्चय किया ।

इस प्रकार 12 रिजर्व जिलों की स्थापना की गई व प्रत्येक जिले में एक-एक नगर का चुनाव किया गया जहाँ पर प्रत्येक फ़ेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना की गई । एक्ट के अनुसार स्थापित होने वाले प्रत्येक फ़ेडरल रिजर्व बैंक के नाम में उस नगर का भी नाम सम्मिलित किया गया है जहाँ कि वह बैंक स्थित है जैसे फ़ेडरल रिजर्व बैंक ऑफ शिकागो, फ़ेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयार्क आदि । एक्ट के अनुसार प्रत्येक फ़ेडरल रिजर्व जिले के लिए एक एक सख्या भी निर्धारित की गई है ।

11 इन प्रावधानों के अनुसार 12 जिला बैंक निर्धारित की गई और प्रत्येक जिले में एक एक नगर का भी चुनाव किया गया जहाँ एक-एक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। यह निम्नलिखित तालिका¹ में स्पष्ट किया गया है—

फडरल रिजर्व जिला संख्या	जिला बैंक	शाखाएँ (संख्या)
1	फडरल रिजर्व बैंक आफ बोस्टन	—
2	फडरल रिजर्व बैंक आफ न्यूयॉर्क	1
3	फडरल रिजर्व बैंक आफ फिलाडेल्फिया	—
4	फडरल रिजर्व बैंक आफ क्लीवलैंड	2
5	फडरल रिजर्व बैंक ऑफ रिशमोंड	2
6	फडरल रिजर्व बैंक आफ अटलांटा	4
7	फडरल रिजर्व बैंक आफ शिकागो	1
8	फडरल रिजर्व बैंक आफ सेंट लुई	3
9	फडरल रिजर्व बैंक ऑफ मिनीयापोलीस	1
10	फडरल रिजर्व बैंक आफ कमांस सिटी	3
11	फडरल रिजर्व बैंक आफ डलस	3
12	फडरल रिजर्व बैंक ऑफ सैन फ्रांसिस्को	4
12 जिले	शाखाएँ	24

कार्यों को सुचारू रूप में करने के लिए कतिपय फडरल रिजर्व बैंकों ने अपने जिले में शाखाएँ भी स्थापित कर ली हैं। इस समय (सन् 1971 में) इन बैंकों की कुल शाखाएँ 24 हैं जो कि विभिन्न जिलों में स्थित हैं। इन शाखाओं का समान वितरण नहीं है जसा नीचे की तालिका में पाता होगा—

जिला बैंक	शाखाओं की संख्या	कुल शाखाएँ
2	0	0
3	1	3
2	2	4
3	3	9
2	4	8
12		24

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि समस्त फडरल रिजर्व बैंक प्रकार व साल एक मोडिक दशाओं पर प्रभाव की दृष्टि में भिन्न हैं। अप्रकृत तालिका से स्पष्ट

1 The Federal Reserve System Purposes and Functions p 17
the Board of Governors of the Federal Reserve System (ed)

फंडरल रिजव प्रणाली का वर्तमान ढांचा (एक दृष्टि में)

गवर्नर मंडल

सर्वोपरि स्थान, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 7 सदस्य प्रत्येक का कार्यकाल 14 वर्ष कार्यालय वार्षिकगटन में स्थित।

फंडरल खुले बाजार को कमेटी

कुल 12 सदस्य जिनमें से गवर्नर मण्डल के सभी (7) सदस्य और फंडरल रिजव बैंक के 5 चुन हुए सदस्य (जिनमें फंडरल बैंक ग्राफ यूयार्क का एक सदस्य) इसके निर्देशों के अनुसार, ही फंडरल बैंक का खुले बाजार की क्रियाएँ करनी पड़ती हैं वष में कम में कम 4 सभाएँ बुलाना आवश्यक कार्यालय वार्षिकगटन में स्थित।

फंडरल सलाहकार परिषद्

कुल 12 सदस्य प्रत्येक फंडरल जिले में से एक प्रतिनिधि चुनाव जिले के फंडरल बैंक द्वारा प्रायः जिले का व्यापारिक-बैंक चुनाव जाता है। परिषद् केवल परामर्शदात्री वष में कम से कम 4 बैठकें वार्षिकगटन में आवश्यक।

12 फंडरल रिजव बैंक

प्रत्येक फंडरल जिले में एक एक बैंक, पृथक् पृथक् समामलित प्रत्येक बैंक प्रमुख नगर में स्थित, प्रत्येक का 1 सदस्यीय संचालक मण्डल, जिले का प्रत्येक सदस्य बैंक इसकी पूंजी में अभिदान करता है।

फंडरल रिजव बैंकों की 24 शाखाएँ

अपने जिले के फंडरल बैंक के कार्यों में सहायता पहुँचाना।

सदस्य बैंक

नगरीय बैंकों के लिए सन्स्यता अनिवार्य, स्टेट बैंक के लिए एच्छिक।

बोर्ड ऑफ गवर्नेस (Board of Governors)

संयुक्त राज्य अमेरिका की फंडरल रिजव प्रणाली में गवर्नर-मण्डल का सर्वोपरि स्थान है। वास्तव में फंडरल रिजव प्रणाली का केन्द्रीय नियंत्रक-अधिकारी (Central Controlling Authority) गवर्नर मण्डल ही है। यह उल्लेखनीय है कि बैंकिंग एक्ट 1935 के संशोधन के पूर्व 'फंडरल रिजव बोर्ड' या किन्तु इस संगोपन के फलस्वरूप इसका नाम बदल कर 'बोर्ड ऑफ गवर्नेस' कर दिया गया है।

प्रमुख देशों की नीति प्रणालियाँ

गवर्नर मण्डल का संगठन—फडरल रिजर्व एक्ट (1913) की धारा 10 में गवर्नर मण्डल से सम्बन्धित प्रावधान दिए गए हैं। गवर्नर मण्डल का कार्यालय मनुक राज्य अमेरिका की राजधानी, वाशिंगटन (Washington) में है।

संस्था व नियुक्ति—गवर्नर मण्डल में कुल 7 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों की नियुक्ति मनुक राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति सीनेट के परामर्श एवं सहमति में करते हैं। प्रत्येक सदस्य को गवर्नर कहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि गवर्नर मण्डल में किसी भी फडरल रिजर्व जिने से एक से अधिक सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को इनकी नियुक्ति करते समय यह विशेष ध्यान रखना होता है कि देश के आर्थिक ऋषि प्रौद्योगिकी और व्यापारिक हितों एवं भौगोलिक विभागों का उचित प्रतिनिधित्व हो जावे।

कायकाल—गवर्नर मण्डल के सदस्य (गवर्नर) का कायकाल 14 वर्ष होता है। किन्तु ये नियुक्तियाँ इस प्रकार की जाती हैं कि प्रति दो वर्ष की अवधि में प्रत्येक एक गवर्नर अर्धकाल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अवकाश प्राप्त करने वाले सदस्य की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। किन्तु यदि किसी सदस्य ने पूरे 14 वर्ष काय कर लिया है तो उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है।

गवर्नर मण्डल का कोई भी सदस्य अपने काय काल की अवधि में अथवा यदि उसने नियुक्ति की अवधि के पूर्व अपना स्थान रिक्त कर दिया है तो स्थान रिक्त करने के दो वर्षों के भीतर वह किसी अन्य पद पर नहीं ले सकता। किन्तु यदि उसने (any office position or employment) नहीं ले सकता। किन्तु यदि उसने अपना कायकाल पूरा कर लिया है तो यह बंधन लागू नहीं होता है। वह अपने कार्यकाल में किसी भी नीति प्रणाली का—वाहे वह नीति प्रणाली का सदस्य हो चाहे गवर्नर ही—हटाने वाली, संचालन अथवा अधिकारी (officer) नहीं रह सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी सदस्य को उसके पद से हटा (remove) द।

गवर्नर मण्डल के सदस्यों में से ही राष्ट्रपति किसी को गवर्नर मण्डल का अध्यक्ष (chairman) एवं अन्य सदस्यों को उपाध्यक्ष (vice-chairman) नियुक्त करता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष प्रत्येक का कायकाल 4 वर्ष का होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। गवर्नर मण्डल का अध्यक्ष इसका क्रियाशील कार्यकारी अधिकारी (active executive officer) होता है।

सन् 1935 से पूर्व फडरल रिजर्व बोर्ड एवं इसके अध्यक्ष को गवर्नर व उपाध्यक्ष को वाइस गवर्नर कहते थे किन्तु नीति एक्ट 1935 के अनुसार अब फडरल रिजर्व बोर्ड के स्थान पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एवं गवर्नर व वाइस-गवर्नर के स्थान पर चैरमैन व वाइस चैरमैन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक सदस्य को गवर्नर कहा जाता है।

प्रत्येक सदस्य को नियुक्ति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन में पद की शपथ (oath of office) लेनी होती है। जिस सदस्य का कायकाल समाप्त हो

जान पर, वह उस समय तक मदस्य के रूप में काय करता रहता है जब तक कि उसके स्थान पर नियुक्ति न हो जावे।

वार्षिक वेतन—गवर्नर-मण्डल के समस्त सदस्यों की भ्रपना पूरा समय मडल के कार्यों में तगाता आवश्यक है। सन् 1964 के एक्ट के अनुसार बौड के चेयरमैन का वार्षिक वेतन 30 000 डालर वार्षिक है एव प्रत्येक सदस्य का वेतन 28,500 डालर वार्षिक है। इनके वेतन की राशि में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं—सन् 1949 के एक्ट ने गवर्नर-मडल के मदस्या का वार्षिक वेतन 16,000 डालर निश्चित किया, सन् 1956 के एक्ट ने प्रत्येक सदस्य का वेतन 20,000 डालर व चेयरमैन का 20,500 डालर वार्षिक निश्चिन किया।¹

वेतन आदि के वित्तीय साधन—गवर्नर मण्डल आगामी 6 महीने के भ्रपन सदस्यों व कमचारियों के वेतन व भ्रय व्यया का अनुमानित बजट बनाता है। इसने पश्चात् सचालक मण्डल प्रत्येक फडरल रिजर्व बैंक से उसकी पूजी-स्टॉक एव आधिक्य (surplus) के अनुपात में भ्रद-वार्षिक चन्दे (levy) की राशि प्राप्त करता है इसका अनिरिक्त यत्ति पिछली छमाही में यदि कोई कमी (deficit) रह गयी हो ता उन भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गवर्नर मण्डल के प्रशासनिक व्यया, वेतन तथा भ्रय व्यया के लिए काग्रेम राशि प्रदान नहीं करती वरन् फडरल रिजर्व बैंक प्रदान करत हैं।

सभाओं का सभापति—गवर्नर-मण्डल की समस्त सभाओं का सभापति, मण्डल या चेयरमैन होता है। उनकी अनुपस्थिति में वाइस चेयरमैन सभापति होता है। यत्ति गवर्नर मण्डल का चेयरमैन एव वाइस चेयरमैन दोनों ही अनुपस्थित हों तो सदस्य आपस में से ही एक सभापति चुन लेत हैं।

गवर्नर-मण्डल के सदस्य—गवर्नर मण्डल के सदस्यों के नाम आदि (1 जनवरी 1970 को) इस प्रकार थे—

<i>Chairman</i>	Wm Martin, JR	<i>of New York</i>	Jan 31, 1970
<i>Vice Chairman</i>	J L Robertson	<i>of Nebraska</i>	Jan 31 1978.
<i>Member</i>	Sherman J Maisel	<i>of California</i>	Jan 31 1972
”	J Dewey Danne	<i>of Virginia</i>	Jan.31, 1974
”	George Mitchell	<i>of Illinois</i>	Jan 31, 1976
”	Andrew Brimmer	<i>of Pennsylvania</i>	Jan.31 1980
	William Sherrill	<i>of Texas</i>	Jan 31, 1982.

काय भ्रयवा अधिकार—फडरल रिजर्व प्रणाली में गवर्नर मण्डल सर्वशक्ति मान है। गवर्नर मण्डल के अनक अधिकार (powers) हैं, जिनमें से अधिकांश का उल्लेख फडरल रिजर्व एक्ट की धारा 11 में किया गया है उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1 **परीक्षण व रिपोर्ट (examination and reports)**—इस गवर्नर मण्डल का प्रत्येक फडरल रिजर्व बैंक एव प्रत्येक सदस्य बैंक के हिसाब व भ्रय पुस्तकों की जांच करन का एव रिपोर्ट भगवान का अधिकार है।

1 Translated from the foot-note given at the end of Section 10 of the Federal Reserve Act as amended

✓ 2 रिपोर्ट का प्रकाशन—गवर्नर मण्डल प्रति सप्ताह एक विवरण प्रकाशित करता है जिसमें प्रत्येक फंडरल बैंक की स्थिति का विवरण होता है और समस्त फंडरल बैंक का एक समग्रित विवरण (consolidated statement) भी प्रकाशित करता है। इसमें प्रतिदिन गवर्नर मण्डल फंडरल रिजर्व प्रणाली के कार्यों व क्रियाओं की वार्षिक रिपोर्ट स्वीकर आफ द हाउस की प्रस्तुत करता है जो कि कांग्रेस की सूचना के लिए मुद्रित कराता है।

3 पुनकटौती की अनुमति—गवर्नर मण्डल व कम से कम 5 सदस्य व पक्ष से मत आने पर यह मण्डल फंडरल बैंक को एक दूसरे व बिना को निर्धारित दर से पुनकटौती करने की अनुमति देता है। पुनकटौती की दर गवर्नर मण्डल ही निश्चित करता है।

4 रिजर्व आवश्यकताओं का स्थगन—फंडरल रिजर्व एक्ट द्वारा फंडरल बैंक को रिजर्व रखने वाले कोषों की मात्रा को अधिक से अधिक 30 दिनों तक यह वनर मण्डल स्थगित कर सकता है।

5 फंडरल रिजर्व बैंकों के नोटों का निगमन व निवृत्ति (retirement)—पेट्रोलर आफ करसी के अधीन व्यूरो के द्वारा फंडरल रिजर्व के नोटों के निगमन व निवृत्ति के कार्यों का निरीक्षण व संचालन करना।

6 रिजर्व नगरों का पुनवर्गीकरण—वर्तमान फंडरल रिजर्व एक्ट के अंतर्गत प्रकृत किए गए रिजर्व नगरों का पुनवर्गीकरण अथवा रद्द किया जा सकता है।

7 जिलों को सीमा में परिवर्तन—गवर्नर मण्डल को यह अधिकार है कि विद्यमान 12 फंडरल जिलों की सामान्य में परिवर्तन कर सके। सन् 1959 तक इस अधिकार का प्रयोग बहुत ही साधारण किया गया किन्तु अलास्का तथा हवाई को सन् 1959 में राज्य की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने के कारण बारहवें फंडरल रिजर्व जिल की सीमा, जिसका मुख्य कार्यालय सैन-फ्रांसिस्को में है इन दोनों राज्यों तक विस्तृत कर दी गई।

8 फंडरल बैंकों के अधिकारियों की बर्खास्तगी आदि—फंडरल रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा संचालक को निलंबित (suspend) अथवा बर्खास्त करने का अधिकार गवर्नर मण्डल को है। इसमें सम्बन्ध में यह (गवर्नर मण्डल) लिखित रूप में उस व्यक्ति तथा फंडरल बैंक को सूचना देता है।

9 अधिकारियों की नियुक्ति—प्रत्येक फंडरल बैंक के अध्यक्ष व प्रथम उपाध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपना अनुमोदन (approval) अथवा अस्वीकृति प्रदान करता है।

10 श्रृण देना—यदि गवर्नर-मण्डल के 5 सदस्य पक्ष में मत दें तो एक रिजर्व बैंक को दूसरे रिजर्व बैंक को श्रृण देने की अनुमति प्रदान करता है।

11 कटौती दर—फंडरल बैंक द्वारा निश्चित का गई कटौती दरों (discount rates) को स्वीकार अथवा अस्वीकार करता है।

12 निलंबन आदि—किसी फेडरल रिजर्व बैंक के, यदि आवश्यक हो, निलंबन (suspension) पुनसं गठन अथवा बन्द करने के वाय करता है।

यद्यपि उपरोक्त सूची अपूर्ण है, किन्तु इससे गवर्नर-मण्डल की माधारण शक्तियों का अनुमान अवश्य हो जाता है।

फेडरल खुले बाजार की कमेटी (Federal Open Market Committee)

फेडरल रिजर्व प्रणाली के पाम साव नियंत्रण करने के साधनों में सबसे शक्तिशाली है—सरकारी प्रतिभूतियाँ, ट्रेजरी बिला स्वीकृतियों आदि की खुले बाजार में क्रय विक्रय करने की शक्ति। फेडरल रिजर्व प्रणाली के ढाँचे में फेडरल खुले बाजार की कमेटी अत्याधिक महत्व की है। इसका कारण यह है कि यह कमेटी यह निर्धारित करने के लिए अधिकारी है कि वका की स्वीकृतियाँ सरकारी प्रतिभूतियाँ, विदेशी मुद्रा आदि का किस समय और कितनी मात्रा में क्रय विक्रय किया जाय। मूल फेडरल रिजर्व एक्ट (1913) इस विषय में निम्न स्पष्ट था कि खुले बाजार की क्रियाओं को कौन नियंत्रित करे? इसका परिणाम यह हुआ कि फेडरल रिजर्व बैंक प्रायः पारस्परिक विरोधी नीति अपनाता लग। उदाहरण के लिए यदि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ 'यूयॉक' न अपना सदस्य बैंकों को ऋण की कम मात्रा प्रदान करने की नीति अपनाई अतः सम्पूर्ण बैंकों से प्रतिभूतियों का क्रय करना बन्द कर दिया अथवा बहुत सीमित कर लिया। अब अन्य रिजर्व बैंक, 'यूयॉक' के बाजार में उन सदस्य बैंकों से प्रतिभूतियाँ क्रय करना आरम्भ कर देता है तो 'यूयॉक' के फेडरल बैंक की ऋण नीति असफल हो गई।

आरम्भिक प्रयत्न— खुले बाजार की क्रियाओं की महत्वशील होने के कारण कतिपय फेडरल रिजर्व बैंक ने अपनी आर से इनके नियंत्रण के प्रयत्न किए। सन् 1922 में रिजर्व बैंक ने खुले बाजार कमेटी का निमाण किया। इस कमेटी में आरम्भ में चार फेडरल रिजर्व बैंक—न्यूयॉक, शिकागो वास्टन और फिलाडेलफिया रिजर्व बैंकों के गवर्नर (उस समय प्रेजिडेंट) थे जो खुले बाजार की क्रियाओं की देख रेख करते थे। सन् 1923 में क्लीवलैंड के बैंक के गवर्नर का भी सम्मिलित कर लिया गया। इस कमेटी का नाम 'खुले बाजार विनियोग कमेटी (Open Market Investment Committee) रखा गया। इस कमेटी में रिजर्व बैंक आफ न्यूयॉक का प्रमुख स्थान होने व अन्य फेडरल बैंकों का इसमें प्रतिनिधित्व न होने के कारण, अन्य बैंक इससे ईर्ष्या करने लगे। इस प्रकार की असंतोषजनक स्थिति कुछ वर्षों तक चलती रही। अतः सन् 1930 में एम कमेटी का पुनसं गठन किया गया जबकि Open Market Policy Conference की स्थापना की गई जिसमें समस्त फेडरल रिजर्व बैंक के गवर्नरों को सम्मिलित किया गया। —

उपरोक्त कमेटी किसी एक्ट द्वारा शासित न होने के कारण किसी भी फेडरल रिजर्व बैंक को सहयोग देने के लिए अथवा प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में इसके परामर्श व निर्देश मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। अतः सन्

1933 के बैरिंग एक्ट में 'फंडरल शुन बाजार की कमेटी' की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस कमेटी में प्रत्येक फंडरल बैंक का एक-एक प्रतिनिधि सम्मिलित करने का प्रावधान था।

घन गयनर मण्डल ने इस बात का विरोध किया कि यद्यपि इस कमेटी के पास प्रदत्त क लिए नियम धारि निर्माण करने का अधिकार तो दिया गया किन्तु इसका (गवर्नर-मण्डल का) इस कमेटी में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। घन सन् 1935 के बर्हिग एक्ट में इस कमेटी में पुनः गठन का सम्बन्ध में प्रावधान किया गया। साथ ही इस कमेटी को रिजर्व बैंक का शुन बाजार की क्रियाओं को निर्दिष्ट करने के लिए पूर्ण अधिकार दिए गए।

वर्तमान साइटन—बर्हिग एक्ट 1933 में इसने सन् 1935 में गठन के परिणामस्वरूप फंडरल रिजर्व एक्ट में धारा 12-A जोड़ी गई जिसमें फंडरल शुन बाजार-कमेटी का सम्बन्धित प्रावधान दिए गए हैं।

इस प्रावधान का अनुसार फंडरल शुन-बाजार कमेटी में कुल 12 सदस्य होते हैं जिनमें गवर्नर मण्डल का सभी 7 सदस्य सम्मिलित हैं और शेष 5 सदस्य फंडरल रिजर्व बैंकों के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। चुने जाने वाले में से 5 प्रतिनिधि फंडरल रिजर्व बैंक का अध्यक्ष (President) बनना प्रथम उपाध्यक्ष भी हो सकते हैं। इन 5 प्रतिनिधियों में से भी एक प्रतिनिधि का चुनाव फंडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क करता है और शेष चार प्रतिनिधियों के लिए शेष फंडरल रिजर्व बैंकों के चार समूह बनाये गये हैं जिनमें से प्रत्येक समूह एक एक प्रतिनिधि चुन कर भेजता है। प्रत्येक फंडरल बैंक का सहायक मण्डल का एक कोष होता है। ये चार समूह इस प्रकार बनाये गये हैं—

प्रथम समूह—बोस्टन पिनाकेनफिया और रिगमोड के फंडरल रिजर्व बैंक

द्वितीय समूह—कलीफलैंड और जिब्रागो के फंडरल रिजर्व बैंक

तृतीय समूह—ग्रटसांटा इलस और सेंट लुई के फंडरल रिजर्व बैंक

चतुर्थ समूह—मिनिषापोसीस बसास सिटी और सैन्-मासिसको के फंडरल रिजर्व बैंक।

फंडरल बैंक धारण न्यूयॉर्क की महत्वपूर्ण स्थिति होने के कारण इसका एक प्रतिनिधि सदस्य चुने बाजार की इस कमेटी में प्रतिनिधित्व करता है। इस कमेटी में फंडरल बैंक धारण न्यूयॉर्क को स्पष्ट प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में विचार फंडरल रिजर्व बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख से स्पष्ट होते हैं जिसके एक भाग का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है—

"समुक्त राज्य अमेरिका की ट्रेजरी फंडरल रिजर्व प्रणाली एक देश की बर्हिग व्यवस्था में फंडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का महत्वपूर्ण स्थान है। देश का समस्त 12 फंडरल रिजर्व बैंकों के सम्मिलित साधन (resources) का लगभग 40 प्रतिशत साधन एत अकेल बैंक के ही हैं। यह दश के केंद्रीय मुद्रा बाजार (मर्याद न्यूयॉर्क) में स्थित है। न्यूयॉर्क सरकारी प्रतिभूतियों का प्रमुख बाजार

है। यह बैंक संयुक्त राज्य अमरिका की सरकार का वित्तीय एजेंट है इसने व्यवहार (transactions) विदेशी क्रेडीट बैंक व बैंक्स एंव विदेशी सरकारों से है। अन्य किसी फडरल रिजर्व बैंक की अपेक्षा विदेशी-विनिमय में इसके व्यवहार सबसे अधिक हैं। अतः जनहित की दृष्टि से यह भावश्यक है कि खुले बाजार की कमेटी को सदस्य इस बैंक का परामर्श मिलता रहे जिसका देशी व विदेशी मुद्रा व पूंजी बाजारों से निरंतर सम्पर्क है और जिसे इन क्षेत्रों में दीर्घ अनुभव है।

ऊपर बतलाया जा चुका है कि खुले बाजार कमेटी की सदस्यता के लिए फडरल रिजर्व बैंकों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ही चुनाव लड़ सकते हैं। यदि एक बार किसी फडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो अगले चुनाव में उपाध्यक्ष ही चुनाव में लड़े हान योग्य होगा, वह अध्यक्ष उम वय चुनाव नहीं लड़ सकेगा, किंतु अगले वय वह अध्यक्ष चुनाव में लड़े हान योग्य होगा व उपाध्यक्ष नहीं।

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव—खुले बाजार कमेटी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव इसके सन्स्था में से किया जाता है और प्रत्येक सदस्य इन पदों के लिए योग्य है। इन पदाधिकारियों का चुनाव भी प्रतिवय जनवरी के महीने में प्रथम मीटिंग में किया जाता है। पिछले अनेक वर्षों से यह परिपाटी रही है कि गवर्नर मण्डल व अध्यक्ष को ही इस कमेटी का अध्यक्ष चुना जाता रहा है।

कमेटी की सभाएँ—खुले बाजार कमेटी की सभाएँ (meetings) सदस्य वार्षिकगटन में होती हैं। फडरल रिजर्व एक्ट में इस स्थान का प्रावधान (धारा 12A) कर दिया गया है। इस कमेटी की वर्ष में कम से कम चार सभाएँ होती हैं। इन सभाओं का फडरल रिजर्व प्रणाली के गवर्नर मण्डल का अध्यक्ष बुलाता है अथवा इस कमेटी के किन्हीं तीन सदस्यों की प्रार्थना पर भी बुलाई जा सकती है किंतु व्यवहार में प्रायः तीन सप्ताह में एक बार इनकी सभा होती है।

फडरल रिजर्व एक्ट में स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि प्रत्येक फडरल रिजर्व बैंक खुले बाजार कमेटी व द्वारा प्रतिपादित नियमों व निर्देशों के अनुसार ही खुले बाजार की क्रियाओं में सलग्न हो सकता है। यदि यह कमेटी विफल करने का निराय करती है तो प्रत्येक फडरल रिजर्व बैंक को अपने हिस्से (अनुपात) की प्रतिभूतियाँ को बचना पड़ेगा इसी प्रकार कमेटी त्रय करने का निराय करती है ता प्रत्येक फडरल बैंक का अपने हिस्से की प्रतिभूति का क्रय करना पड़ेगा।

फडरल सलाहकार परिषद (Federal Advisory Council)

इस परिषद का नीति निधारण में गौरव स्थान है क्योंकि यह केवल परामर्श देने का ही कार्य करती है। इस परिषद में कुल 12 सदस्य होते हैं। प्रत्येक फडरल रिजर्व बैंक का संचालक मण्डल अपने फडरल जिले में एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है जो कि प्रायः वाद व्यापारिक बैंक होता है। वैसे ता इस परिषद की

सदस्यता अवतलिन होता है किनु प्रायेक जिन के फइरल बरों का गणानठ महल अपन प्रतिनिधि के लिए दलित-मूति एव भत्ते (compensation and allowances) की दलित निश्चित करला है जिसका अनुमोदन (approval) फइरल रिजव प्रणाली के गवर्नर महल द्वारा आवश्यक है।

यह परिपद् केवल परामर्शदात्री ही है इग यह अधिकार नहीं है कि फइरल रिजव प्रणाली के मामला में हस्तक्षेप करे। इस परिपद् का गठन इस उद्देश्य में किया गया था कि सम्पूर्ण देग के व्यापारिक बरों के प्रतिनिधियों के माध्यम से उनके (व्यापारिक बरों के) दृष्टिकोण से गवर्नर महल का अवगत करा दिया जाय।

इस परिपद् को थप में कम से कम 4 बैठकों (meetings) वासिगटन में करनी आवश्यक है। इससे अनिरिक्त फइरल रिजव प्रणाली का गवर्नर-महल भी जब आवश्यक समझे इसकी बैठक बुला सकता है। इसके अनिरिक्त यह परिपद् वासिगटन अथवा अन्य स्थानों पर भी आवश्यक हो तो बैठक बुला सकता है। बैठक के अध्यक्ष तथा अन्य अधिकाारियों की नियुक्ति के लिए यह परिपद् स्वतंत्र है। साथ से अधिक सदस्यों की संख्या बैठक का मंदिर है।

फइरल रिजव प्रणाली के गवर्नर-महल के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह इस परिपद् द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों का स्वीकार ही करे, वह उन्हें अस्वीकार कर सकता है। किनु इस परिपद् की सिफारिशों का दैनिक समाचार पत्रा एव अर्थाथ पत्रिकाओं के माध्यम से खूब प्रचार व प्रसार किया जाता है जिससे सिफारिशों के सम्बन्ध में जनमत जानने में सुविधा होती है।

फैडरल रिजर्व बैंक

[सगठन]

फडरल रिजर्व एक्ट में यह प्रावधान (धारा-2) किया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को कम से कम 8 व अधिक से अधिक 12 फडरल जिला में विभक्त किया जाय और प्रत्येक जिले के प्रमुख नगर में एक एक बक स्थापित किया जाय, जिसके नाम में उसका (उस नगर का) नाम भी सम्मिलित हो। परिणामस्वरूप आरम्भ में ही अधिकतम सख्या (12) में जिले व रिजर्व बैंक स्थापित कर दिए गये। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 फडरल रिजर्व जिले और 12 फडरल रिजर्व बक हैं।

फडरल बैंक पर अधिकार किसका हो ?

अर्थात्

पू जी किसके द्वारा प्रदान की जाये ?

फडरल रिजर्व एक्ट के पास होने के पूर्व यह प्रश्न विवादग्रस्त था कि फडरल रिजर्व बैंकों की पू जी किसने द्वारा प्रदान की जाये ? इस विषय पर विभिन्न मत थे जिन्हें तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग इन बैंकों पर जनसाधारण के अधिकार के पक्ष में था अर्थात् इन बैंकों के स्टॉक जनता को विक्रय किए जावें। द्वितीय वर्ग इन बैंकों पर सरकार के अधिकार के पक्ष में था, अर्थात् सरकार ही इन बैंकों की पू जी प्रदान करे। तृतीय वर्ग इस पक्ष में था कि इन बैंकों पर सदस्य-बैंकों का अधिकार होना चाहिए और वे ही इसकी पू जी प्रदान करें।

इस विवादास्पद प्रश्न का ऐसा समाधान निकाला गया जो तीनों ही विचार धारा के पक्षकारों को स्वीकार था। इसके अनुसार फडरल रिजर्व बैंक की पू जी के सम्बन्ध में तीन प्रावधान किये गए हैं—

1 सदस्य बैंकों द्वारा पू जी—प्रत्येक सदस्य-बैंक अपनी स्वयं की प्राप्त पू जी एवं अधिक्य (its own paid-up capital and surplus) का 6% भाग अपने जिले के फडरल रिजर्व बैंक की पू जी में अभिदान करेगा।

2 जनसाधारण द्वारा पू जी—यदि सदस्य बैंकों द्वारा उपरोक्त ढंग से प्रदान की गई पू जी अपर्याप्त हुई तो जनसाधारण को फडरल रिजर्व बैंक स्टॉक (stocks) का विक्रय करके आवश्यक पू जी प्राप्त करेगा।

3 सघीय सरकार द्वारा—यदि उपरोक्त दोनों स्रोतों से प्राप्त पू जी किसी फडरल बैंक की आवश्यक पू जी तक नहीं होगी तो, उस फडरल बैंक के स्टॉक संयुक्त राज्य अमेरिका की सघीय सरकार द्वारा खरी लिए जावेंगे।

प्रत्येक फंडरल बैंक की प्रतिभूत पूंजी (subscribed capital) कम से कम 4 मिलियन डॉलर होनी चाहिए, जो 100-100 डॉलर के अंशों में विभक्त हो। अंशों का प्राधान्य मूल्य प्रारम्भ में शेष प्राधान्य भाग बाद में मांग (call) पर दाय है।

वास्तविक स्थिति—यद्यपि जनता व सरकार के लिये पूंजी से सम्बन्धित उपरोक्त प्रावधान तो कर दिए गये किन्तु व्यवहार में अभी तक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई जिससे अन्ततः जनता अथवा सरकार को फंडरल बैंक द्वारा अपनी पूंजी में प्रतिदान कराने के लिए प्रस्ताव किया गया हो, और न ही भविष्य में ऐसी सम्भावना है। इतना ही नहीं, सरस्य बैंक से भी अभी उनकी पूंजी व आधिक्य (capital and surplus) का केवल 3% भाग ही लिया गया है, शेष 3% भाग और लेना शेष है।

अतः वर्तमान स्थिति यह है कि प्रत्येक फंडरल रिजर्व बैंक की एक सम्पूर्ण पूंजी उसके जिले (federal district) के सदस्य बैंकों द्वारा प्राप्त की गई है। सरस्य बैंक को अपनी प्रदत्त पूंजी व आधिक्य (paid up capital and surplus) के 3% का वारंवार अपने फंडरल रिजर्व की पूंजी प्रदान की है।

कुछ फंडरल रिजर्व बैंकों की प्रदत्त पूंजी (paid up capital) का विवरण नीचे का तालिका में दिया गया है—

पूंजी	(पूंजी मिलियन डॉलर में)	
फंडरल रिजर्व बैंक ग्रॉस	1964	1969
सभी बैंकों की	824	669
मूयान	137	177
शिवागो	78	99
मन फोर्निमको	70	87
कनीवलड	47	60
अटलाटा	31	43

किन्ती भी फंडरल रिजर्व बैंक की पूंजी में निम्नलिखित कारणों से परिवर्तन हुआ जाता है—

1. नया सदस्य—यदि जिले (district) का कोई बैंक, फंडरल रिजर्व बैंक का सदस्य बन जाता है तो इसकी (फंडरल रिजर्व बैंक की) पूंजी में वृद्धि हो जाती है क्योंकि सदस्य बैंक का अपनी प्रदत्त पूंजी व आधिक्य का 6% भाग उस बैंक की पूंजी में लगाना पड़ता है। इस 6% भाग में से 3.6 भाग नगण्य शेष 3% भाग मांग पर दाय होता है।

2. पूंजी में वृद्धि— बैंक अपनी (surplus) में वृद्धि करता है तब शेष रिजर्व बैंक में और

3 सदस्यता त्यागन—यदि कोई स्टेट बैंक अपनी सदस्यता वापिस ले लेता है (समस्त नेशनल बन्को को सदस्य होना अनिवार्य है) तो वह अपने द्वारा प्रदान की गई पूंजी को वापिस ले लेता है और फलस्वरूप फंडरल रिजर्व बैंक की पूंजी भी कम हो जाती है।

4 पूंजी कम करना—यदि कोई सदस्य बँक अपनी पूंजी अथवा अधिक्य (surplus) को कम कर देता है तो वह बैंक अनिश्चित स्टॉक का फंडरल रिजर्व बैंक को दे देता है और फंडरल बैंक की पूंजी कम हो जाती है।

5 बँक का समापन—अगर किसी सदस्य बँक का वैधिक समापन (voluntary liquidation) हो जाता है तो वह बैंक फंडरल बैंक को उसके स्टॉक्स का समपण (surrender) कर देता है और फंडरल बँक की पूंजी कम हो जाती है।

पूँजी पर लाभांश—फंडरल रिजर्व बैंक अपने सदस्य बँको को उनके द्वारा प्रदान की गई पूंजी पर अधिकतम 6 प्रतिशत वार्षिक सबसो चाभासा (Cumulative dividend) दे सकते हैं। लाभांश की इस दर में वृद्धि नहीं की जा सकती।

चाटर अक्ट स्याई है—फंडरल रिजर्व एक्ट 1913 के आधीन 12 फंडरल बैंक स्थापित हुए। आरम्भ में प्रत्येक फंडरल रिजर्व बैंक को 20 20 वर्ष का चाटर प्रदान किया गया था किन्तु सन् 1927 के अनिश्चित के द्वारा चाटर को प्रसीमित काल के लिए अर्थात् स्याई कर दिया गया है।

शाखाएँ—कुछ फंडरल रिजर्व बैंको ने काय का मुवाल्फ़ में चनाने के लिए कुछ शाखाएँ स्थापित कर ली हैं। इस समय फंडरल रिजर्व बैंको की कुल 24 शाखाएँ हैं। शाखाओं का समान विस्तार नहीं है—को फंडरल बैंको की तो एक भी शाखा नहीं है तीन बैंको की प्रत्येक की 1-1 शाखा है (कुल 3 शाखाएँ), दो बैंको की प्रत्येक की 2-2 शाखाएँ (कुल 4 शाखाएँ) हैं, तीन बैंको की प्रत्येक की 3-3 शाखाएँ (कुल 9 शाखाएँ) हैं, और दो बैंको की प्रत्येक की 4-4 शाखाएँ (कुल 8 शाखाएँ) हैं। इस प्रकार समस्त फंडरल रिजर्व बैंको की कुल 24 शाखाएँ हैं।

फंडरल रिजर्व बैंक की ये शाखाएँ स्वयं इकाई के रूप में नहीं होंगी बल्कि अपने मुख्य बँक के एक विभाग की भाँति होंगी हैं। इन शाखाओं की स्वयं की कोई पूंजी नहीं होती। उनके काय का क्षेत्र उनके मुख्य बैंक पर निर्भर होता है, जिसका अनुमोदन गवर्नर महल देता है। प्रत्येक शाखा के प्रबन्ध के लिए उस शाखा का स्वयं का संचालक महल होता है जिसमें कम से कम 3 व अधिक से अधिक 7 संचालक होते हैं। इसमें से अधिकांश संचालकों की नियुक्ति मुख्य बैंक करता है और शेष की नियुक्ति गवर्नर-महल करता है।

फंडरल रिजर्व बैंक, गवर्नर महल की अनुमति में, विदेशी शाखाएँ अथवा विदेशी प्रतिनिधि (correspondents) स्थापित अथवा नियुक्त कर सकते हैं। किन्तु प्रणाली का अधिकांश विदेशी-व्यापार से सम्बन्धित काय फंडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा ही होता है।

फंडरल रिजर्व बैंक की किसी शाखा को बन्द करने का अधिकार उस सम्बन्धित बैंक को नहीं है, किन्तु यह गवर्नर मंडल पर निर्भर करता है। गवर्नर मंडल जब किसी शाखा को बन्द करने के लिए निर्देश किसी फंडरल रिजर्व बैंक को देता है तो वह बैंक उस शाखा को बन्द करने से सम्बन्धित कार्यवाही करता है।

फंडरल रिजर्व बैंकों का प्रबंध—प्रत्येक फंडरल रिजर्व बैंक का प्रबंध करने के लिए उसका स्वयं का पृथक् संचालक मंडल होता है। इस संचालक मंडल में कुल 9 सदस्य होते हैं जिनमें से 6 सदस्यों का चुनाव सदस्य बैंक करते हैं और 3 सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर मंडल करता है। इन 9 संचालकों को तीन वर्गों में बांटा गया है।—A वर्ग के संचालक, B वर्ग के संचालक और C वर्ग के संचालक। प्रत्येक वर्ग के 3 संचालक होते हैं।

A वर्ग के संचालक—इस वर्ग के संचालक उस फेडरल जिले (Federal district) के सदस्य बैंकों के प्रतिनिधि होते हैं और उनकी वे डायर चुन जाते हैं। किसी एक वर्ग के ही सदस्य बैंकों के प्रभुत्व से रक्षा करने के लिए जिले के सदस्य बैंकों को उनकी पूंजी के अनुसार तीन भागों में बांट दिया जाता है—बृहद् आकार के बैंक, मध्यम आकार के बैंक एवं छोटे आकार के बैंक। ये बैंक अपने प्रतिनिधि चुन कर भेज दते हैं। इस प्रकार संचालक-मंडल में सभी आकार के बैंकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है।

B वर्ग के संचालक—इस वर्ग के संचालकों की संख्या भी 3 ही है। ये व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो कि चुनाव के समय अपने जिले में व्यापार (Commerce), कृषि अथवा किसी उद्योग में क्रियाशील हों। इस वर्ग का बोर्ड भी संचालक किसी भी बैंक का अधिकारी, संचालक अथवा कमकारी नहीं होना चाहिए।

C वर्ग के संचालक—इस वर्ग के तीन संचालक होते हैं व उनकी नियुक्ति फंडरल रिजर्व प्रणाली का गवर्नर मंडल करता है। ये संचालक जब हिन का प्रतिनिधित्व करते हैं। नियुक्त किए जाने वाले ये संचालक एक व्यक्ति होते हैं जो कि उस जिले में अपनी नियुक्ति से कम से कम दो वर्ष पूर्व से अवश्य रहें रहें हों। इनमें से एक संचालक ऐसा अवश्य नियुक्त किया जाता है जिसे बैंकिंग का पर्याप्त अनुभव हो, ऐसे अनुभवी व्यक्ति को ही संचालक मंडल का अध्यक्ष (Chairman) नियुक्त कर दिया जाता है और C वर्ग के दूसरे संचालक को संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि फंडरल रिजर्व बैंक के संचालक मंडल का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष गवर्नर-मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है सदस्यों द्वारा उनका चुनाव नहीं किया जाता। संचालक-मंडल का अध्यक्ष ही फंडरल रिजर्व प्रतिनिधि (Federal Reserve Agent) होता है या कि गवर्नर मंडल का अधिकृत प्रतिनिधि (official representative) होता है और उसकी ओर से कानूनी कार्य (legal functions) करता है। C वर्ग का कोई भी संचालक अपनी कार्यवाही में किसी भी बैंक का अधिकारी संचालक कमकारी अथवा स्टाफ-वर्गी नहीं हो सकता। फंडरल रिजर्व प्रतिनिधि के रूप में वह फंडरल रिजर्व बैंक का

भवन में ही एक स्थानीय-कार्यालय (local office) भी स्थापित करता है और समय समय पर आवश्यक प्रतिवेदन (reports) गवर्नर मंडल के पास प्रेषित करता है। उसके इस कार्य के लिए गवर्नर मंडल वार्षिक एक राशि निश्चित कर देता है जिसका मासिक भुगतान सम्बन्धित फेडरल बैंक अपने पास से करता है।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचालक मंडल की सभाओं की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है और इन दोनों की अनुपस्थिति में वग का तीसरा सचालक अध्यक्षता करता है।

रिजर्व बैंकों के अध्यक्षों आदि का वेतन—समस्त फेडरल रिजर्व बैंकों के सचालक मण्डलों के अध्यक्षों (Presidents) का वेतन समान नहीं है। सबसे अधिक वेतन (85 000 डॉलर वार्षिक) फेडरल बैंक ऑफ यूटाक के सचालक मण्डल के अध्यक्ष का है। नीचे की तालिका में विभिन्न फेडरल बैंकों के अध्यक्षों का वार्षिक वेतन कमचारियों की संख्या व उनका वार्षिक वेतन बतलाया है—

31 दिसम्बर 1969 को

फेडरल रिजर्व बैंक का नाम	प्रेसीडेंट (वार्षिक वेतन)	कमचारियों की कुल संख्या	कुल वेतन वार्षिक (डॉलर में)
यूटाक	85 000	4,420	372 लाख
शिकागो	67,500	2,929	200 लाख
सेन-फ्रांसिस्को	60 000	1,936	132 लाख
कसास सिटी	50 000	1 332	88 लाख
क्लीवलैंड	50 000	1,308	95 लाख
सेंट लुइस	50,000	1,295	88 लाख
फिलाडेलफिया	50 000	1,012	72 लाख
मिनियापोलास	50 000	751	56 लाख
रिचमोंड	45 000	1,688	109 लाख
अटलांटा	45,000	1 627	102 लाख
बोस्टन	45,000	1,316	95 लाख
डलस	45 000	1,936	132 लाख
कुल योग	6 42,500	20,655	14 80 करोड़

संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य उच्च पदाधिकारियों के वार्षिक-वेतन में फेडरल रिजर्व बैंकों के अध्यक्षों के वार्षिक वेतन की तुलना कीजिये। तुलना के लिए निम्नलिखित तालिका देखिये—

पद	वार्षिक वेतन
संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति	1 लाख डॉलर
संयुक्त राज्य अमेरिका के चीफ जस्टिस	35 5 हजार डॉलर
सं. रा. अमेरिका के उप राष्ट्रपति	35 0 हजार डॉलर
स्पीकर आफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स	30 0 हजार डॉलर
सं. रा. अ. कं. यू. एन. ओ. में प्रतिनिधि	27 5 हजार डॉलर

पद	वार्षिक वेतन
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट	25 0 हजार डॉलर
सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी	25 0 हजार डॉलर
घटीनी जनरल	25 0 हजार डॉलर
पॉस्ट मास्टर जनरल	25 0 हजार डॉलर
सेक्रेटरी ऑफ वामस	25 0 हजार डॉलर

फंडरल रिजर्व बैंक की सदस्यता

फंडरल रिजर्व प्रणाली (बैंक) के निम्नलिखित सदस्य हो सकते हैं—

1 नेशनल बैंक—प्रत्येक नेशनल बैंक के लिये फंडरल रिजर्व प्रणाली का सदस्य होना अनिवार्य है। यह उल्लेखनीय है कि यदि कोई नया नेशनल बैंक स्थापित किया जाता है तो कम्पट्रोलर ऑफ करसी द्वारा वेवल चार्टर प्रदान करने मात्र से ही वह नेशनल बैंक फंडरल रिजर्व बैंक का सदस्य हो जाता है। इस सम्बन्ध में फंडरल रिजर्व अधिकारियों के अनुमोदन (approval) की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं पड़ती।

2 स्टेट बैंक—स्टेट बैंक के लिये यह ऐच्छिक है कि वे फंडरल रिजर्व प्रणाली के, यदि चाहें तो सदस्य बन और चाहें तो सदस्य न बनें।

3 नेशनल बैंक में परिवर्तित स्टेट बैंक—यदि कोई स्टेट बैंक, एक के प्रावधानों के अन्तर्गत नेशनल बैंक के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे अनिवार्य रूप से फंडरल रिजर्व प्रणाली का सदस्य बनना पड़ता है। ऐसी दशा में कम्पट्रोलर ऑफ करसी उसे नेशनल चार्टर प्रदान करता है और चार्टर प्राप्त होते ही वह स्वतः ही फंडरल रिजर्व प्रणाली का सदस्य हो जाता है। इस दशा में भी, फंडरल रिजर्व अधिकारियों के अनुमोदन की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं पड़ती।

4 अन्य वित्तीय संस्थाएँ—कतिपय अन्य वित्तीय संस्थाएँ जैसे—पारस्परिक बचत बैंक (mutual savings banks), ट्रस्ट कम्पनियाँ और औद्योगिक बैंकों के लिये फंडरल रिजर्व प्रणाली की सदस्यता ऐच्छिक (voluntary) है। ये संस्थाएँ फंडरल रिजर्व प्रणाली में सदस्य, कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही, बन सकती हैं।

5 निषिद्ध संस्थाएँ—कतिपय अन्य संस्थाएँ जिन्होंने स्टेट से चार्टर प्राप्त कर लिया है, वे फंडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य नहीं बन सकती हैं। इस वर्ग में ये संस्थाएँ प्रमुख हैं—बचत एवं ऋण एसोसियेशन्स, विक्रय वित्त कम्पनियाँ, उपभोक्ता वित्त कम्पनियाँ एवं साक्ष-संघ (credit unions) आदि।

सदस्यता के लिए योग्यताएँ

फंडरल रिजर्व प्रणाली की सदस्यता प्राप्त करने के लिए स्टेट-संस्थाओं को कतिपय शर्तों को पूरा करना पड़ना है। इन शर्तों में से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

- 1 प्रवेश-परीक्षा में (entrance examination) में सफल होना,
- 2 पूंजी से सम्बन्धित न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना,
- 3 अपने जिले के फंडरल रिजर्व बैंक की पूंजी में अभिदान करना,

(excess reserves) है, उधार ले लेता है। इसके अतिरिक्त व्यवहार में यह भी देखा गया कि यदि किसी सट्स्य-बैंक को धन की आवश्यकता होती है तो अपने जिले के फंडरल रिजर्व बैंक के पास जाने की अपेक्षा, बाजार में कुछ सरकारी प्रति-भूतियाँ विपन्न करने धन प्राप्त करना अधिक अच्छा समझता है।

फंडरल रिजर्व प्रणाली को आरम्भ करने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि सट्स्य बैंक को ऋण प्रदान करने का एक नया एवं प्रभावशील स्रोत और उपलब्ध हो सके। एक सदस्य बैंक अपने पास रखे हुए विनिमय विपन्न, प्रतिभा पत्र अथवा अन्य विनिमयशील प्रपत्रों का जिसके आधारे पर वह अपने ग्राहकों को ऋण दे चुका है, फंडरल रिजर्व बैंक के पक्ष में बचान करके ऋण प्राप्त कर सकता है। सदस्य बैंक इस प्रकार न केवल स्वयं के विनिमय पत्रों पर ऋण प्राप्त कर लेता है वरन् अपने ग्राहकों के विनिमय-पत्रों पर भी ऋण प्राप्त कर लेता है।

आजकल संयुक्त राज्य अमेरिका में सदस्य-बैंक ट्रेजरी-विल रखकर फंडरल रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं। ऋण लेने का आजकल कदाचित्त यही एकमात्र तरीका है। किसी भी सदस्य बैंक के पास ट्रेजरी-विल एवं विपन्न पड़े हों, किन्तु वह ऋण की अवधि का वतान के लिए फंडरल रिजर्व बैंक में प्रायना नहीं कर सकता। इस विषय में सदस्य-बैंक व फंडरल बैंक के मध्य ठीक वैसे ही सम्बन्ध होते हैं जिस प्रकार के एक व्यापारी के बैंक के साथ होते हैं।

फंडरल रिजर्व बैंक को यह नियंत्रण करने का पूरा अधिकार है कि वह आवदन करने वाले सदस्य बैंक द्वारा मागे जाने वाले ऋण को स्वीकार करे अथवा स्वीकार न करे। फंडरल रिजर्व बैंक बहुत अधिक ऋणों को प्रोत्साहन नहीं देता। यदि फंडरल बैंक के विचार में सदस्य-बैंक अपनी शक्ति से अधिक ऋण ले रहा है तो उसके ऋण लेने के आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर दिया जाता है। अतः सदस्य बैंक अपने सामर्थ्य में अधिक ऋण नहीं लेने पाते हैं।

असदस्य बैंकों को ऋण—जो बैंक फंडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य नहीं हैं व भी फंडरल रिजर्व बैंक से ऋण ले सकते हैं। सदस्य बैंक इस प्रकार की सुविधा मुख्यतः दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम असदस्य बैंक ट्रेजरी-विलों के आधारे पर फंडरल रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इन ऋणों की अवधि 90 दिन होती है। फंडरल रिजर्व बैंक सट्स्य-बैंकों की अपेक्षा असदस्य-बैंकों से 1% अधिक ब्याज की दर लेते हैं। द्वितीय अप्रत्यक्ष तरीका है। इसके अन्तर्गत असदस्य-बैंक किसी अन्य सदस्य बैंक के माध्यम से अपने विनिमय विपन्न की पुनर्कटौती करा लेता है। ऐसा प्रायः असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है। इस विले सदस्य-बैंक को गवर्नर-मंडल से स्पष्ट अनुमति लेनी होती है। गवर्नर-मंडल भी केवल उम्र दशा में ही अनुमति देता है जबकि इसके 7 सदस्यों में से कम से कम 5 सदस्यों ने इसके पक्ष में अपना मतदान किया हो। असदस्य-बैंकों को इस प्रकार ऋण केवल उसी परिस्थिति में प्रदान किए जाते हैं जबकि वे अन्य किसी स्रोत (जैसे प्रतिनिधि बैंक) से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं।

सदस्य बका से भी जान बायी दर में 1% अधिक हानी है। इस प्रकार असंस्थ-बक भी फडरल रिजर्व प्रणाली का लाभ उठा लेते हैं।

यदि किसी प्रतिज्ञा-पत्र अथवा व्यापारिक बिल पर किसी असंस्थ-बैंक द्वारा धेवान (endorsement) किया गया हो तो फडरल बैंक उसकी कटौती (discount) कर मरत है। ये प्रतिज्ञा-पत्र अथवा व्यापारिक बिल व्यापारिक भौतिक अथवा कृषि व उद्देश्य से और उनमें ही प्रयोग के लिए, लिखे होने चाहिए। कोई भी ऐसा पत्र अथवा बिल कटौती के समय से अधिक से अधिक 90 दिना में परिपक्व हो जाना चाहिए।

3 उद्योगों व व्यापार को सहायता—विशेष परिस्थितियों में जबकि अन्य षांता से ऋण प्राप्त नहीं होते हैं तो फडरल रिजर्व बैंक उद्योग व व्यापार को प्रत्यक्ष रूप से ऋण देता है। इसके लिए फडरल रिजर्व बैंक एकाकी व्यापारी, साझेदारी एवं निगमों के प्रतिज्ञा पत्रों व विनिमय विपत्रों की कटौती करत है। फडरल रिजर्व एक्ट (धारा 13-3) में इस सम्बन्ध में यह प्रावधान किया गया है कि इसका लिए गवर्नर-महल के कम से कम 6 सदस्यों के बहुमत से निश्चित अवधि के लिए फडरल रिजर्व बैंक (अथवा उद्योग) को इस बात के लिए अधिकृत कर सकत है कि वे एक निश्चित दर से एकाकी व्यापारी, साझेदारी व निगमों के प्रतिज्ञा-पत्रों व विनिमय विपत्रों की कटौती कर सकत है। ये कटौतियाँ उन सीमाओं, प्रतिबंधों व नियमों (regulations) के अधीन की जाती हैं जिन्हें गवर्नर महल निश्चित करे।

4 नोट निगमन—फडरल रिजर्व बैंक अपने सदस्य बैंकों को नोट निगमन करत है। अपने ग्राहकों एवं ऋण लेने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मन्स्यों को पत्र-मुद्रा की आवश्यकता पड़ता है।

यह पत्र-मुद्रा समस्त नशान बक, फडरल रिजर्व बैंक व सदस्य बैंक स्वीकार करते हैं। सरकार के कर (taxes) आदि भी इनमें स्वीकार किए जाते हैं। इन नोटों को वैधानिक मुद्रा (lawful money) में वाणिज्य में सरकारी-ट्रेजरी में अथवा किसी भी फडरल रिजर्व बैंक में बदलवाया जा सकत है। जिन नोटों को सरकारी ट्रेजरी में बदलवाया जाता है उनका वैधानिक-मुद्रा विमोचन-काष (redemption fund) में से ऐसा किया जाता है और बाद में उन नोटों को मूल फडरल रिजर्व बैंक को ट्रेजरी लौटा देती है।

फडरल रिजर्व नोटों के मुद्रण के लिए ट्रेजरी-सचिव के निर्देश पर कम्प्यूटर प्रॉज करसो नोटों की प्लेटों व टप्पे (dies) बनवाता है जिनसे नोटों का मुद्रण किया जाता है। ये नोट 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 और 10000 डालर के अंकित-मूल्य के हो सकते हैं। इन नोटों पर उस फडरल रिजर्व बैंक का नम्बर भी मुद्रित होता है जिसके द्वारा वे मुद्रित किए जाते हैं। मुद्रित होने के पश्चात् इन नोटों को समुक्त राज्य अमेरिका की ट्रेजरी में, अथवा फडरल रिजर्व बैंक की निकटवर्ती सरकारी उपट्रेजरी अथवा टकराला में जमा करा दिए जाते

हैं। बाद में बैंक की आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर ऑफ करसी के आदेश के अधीन, उसे दे दिए जाते हैं।

चलन में नोटों के विरुद्ध उनको रिजर्व रखना पड़ता है। नोटों की मात्रा का कम से कम 25 प्रतिशत भाग स्वण प्रमाण-पत्र (gold certificates) में रखना पड़ता है और शेष सयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारी प्रतिभृतियों एवं अन्य तरल व प्रतिभृतियों में। कम से कम 5% स्वण प्रमाणपत्र ट्रेजरी के पास एक विमोचन-कोष में रखे जाते हैं।

5 मौद्रिक नीति का संचालक (Regulators of Monetary Policy)—प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक का स्थापना मुख्यतः उस देश की मौद्रिक-नीति का सफलतापूर्वक संचालन के लिए की जाती है, अतः सयुक्त राज्य अमेरिका में भी फडरल रिजर्व बैंक का भी प्रमुख काय यही है। ये बैंक मौद्रिक नीति के सामान्य साधना—खुले बाजार की क्रियाप्रा, बढ़ा दरो (वर्तु पुनवटीती की दरा) में परिवर्तन के द्वारा देश की मौद्रिक नीति का संचालन करते हैं। जिस प्रकार इंगलैंड में बैंक ऑफ इंगलैंड देश के व्यापारिक-बैंकों को समय-समय पर परामश देता है उसी प्रकार फडरल रिजर्व बोर्ड अपने सदस्य बैंक को परामश देता है। जिस प्रकार बैंक ऑफ इंगलैंड मौद्रिक नीति के रुढ़िवाणी पूरव-साधन के रूप में 'नतिक-दबाव' (moral suasion) की नीति को प्रयोग में लाता है, उसी प्रकार सयुक्त राज्य अमेरिका में नवीन साधन 'ऐच्छिक साव प्रतिरोध' (voluntary credit restraint) प्रयोग में लाया जाता है। मौद्रिक व साव नियंत्रण के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं—

(क) खुले बाजार की क्रियाएँ

इङ्गलैंड में मौद्रिक-नीति को निश्चित करने का दायित्व ट्रेजरी व बैंक ऑफ इङ्गलैंड दोनों पर सम्मिलित रूप से है किन्तु सयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा नहीं है। सयुक्त राज्य अमेरिका में मौद्रिक नीति को निश्चित करने के लिए एक विशेष सस्था (special body) फडरल खुले बाजार की कमेटी (Federal Open Market Committee) है जो कि इन विषय पर फडरल रिजर्व बोर्ड को परामश देती है। फडरल रिजर्व बैंक को, इस खुले बाजार की कमेटी के परामशों के आधार पर, किसी भी फडरल रिजर्व बैंक को निर्देश देने का अधिकार है कि वह किस सीमा तक खुले बाजार की क्रियाएँ करें।

खुले बाजार की क्रियाओं की विधि—फडरल रिजर्व खुले बाजार की क्रियाएँ फडरल खुले बाजार की कमेटी द्वारा निर्देशित होती हैं। इस कमेटी में 12 सदस्य होते हैं—7 सदस्य तो गवर्नर मंडल के, फडरल रिजर्व बैंक आफ न्यूयॉर्क का अध्यक्ष एवं अन्य रिजर्व बैंकों के 4 चुने हुए प्रतिनिधि किन्तु व्यवहार में प्रायः ममस्त फडरल बैंकों के अध्यक्ष, खुले बाजार कानून का प्रवर्धक (जोकि फडरल बैंक आफ न्यूयॉर्क का उपाध्यक्ष होता है), गवर्नर मंडल के कर्मचारी एवं अन्य रिजर्व बैंकों के कर्मचारी भी परामशदाता के रूप में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार खुले बाजार कमेटी की बैठक में 12 सदस्यों के प्रतिरिक्त प्रायः अनेक व्यक्ति भी उपस्थित रहते हैं।

इस कम्पनी की प्रायः 3 सप्ताह में एक बार बैठक होती है किन्तु इसके सदस्य प्रायः दैनिक ही टेलीफोन द्वारा एक दूसरे से सम्पर्क रखते हैं। वास्तविक क्रय व विक्रय के व्यवहार खुले बाजार के खाते के प्रबंधक (manager of open market account) द्वारा किये जाते हैं। फर्गल बैंक ऑफ़ यूमाँक का उपाध्यक्ष (vice-president) ही इसका प्रबंधक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापारियाँ की संख्या लगभग 20 है अतः प्रबंधक को इन्हीं व्यापारियों में सम्पर्क रखना पड़ता है। ये व्यापारी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं विश्व के अन्य देशों की विभिन्न प्रकार की संस्थाएँ एवं व्यक्तियाँ से नये तथा विक्रय करते हैं जिनमें फ़ेडरल रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक, नेशनल बैंक एवं सदस्य व अग्रेसरी स्टेट बैंक बीमा कम्पनियाँ, बचत बैंक बचत एवं ऋण ऐसोसियेशन्स, पब्लिक वॉल स्ट्रीट समिति सम्मिलित हैं।

खुले बाजार के खाते का प्रबंधक खुले-बाजार की क्रियाएँ को अत्यंत सभ्य व लोचपूर्ण ढंग में करता है। वह क्रय अथवा विक्रय अति शीघ्रता से करता है क्रय करने अथवा विक्रय करने की दूर में शीघ्रता से परिवर्तन कर सकता है और यदि वह अभी क्रय कर रहा है तो आवश्यकता होने पर वह तुरन्त ही विक्रय करने लगता है इसी प्रकार यदि वह अभी विक्रय कर रहा है तो वह तुरन्त ही क्रय करने लग सकता है।

फ़ेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ट्रेजरी बिलों का प्रत्यक्ष क्रय विक्रय खुले बाजार की क्रियाओं में सम्मिलित नहीं होता। जब फ़ेडरल बैंक ट्रेजरी बिलों आदि का अपने लिये ही खरीदें अथवा बेचें तो खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इस निशा में अन्य विनियोगकर्ताओं की भाँति वे अपने पास से अपने खाते में सभ्यतापूर्वक क्रय अथवा भुगतान प्राप्त करते हैं। अतः यदि फ़ेडरल रिजर्व बैंक ट्रेजरी बिलों का एजेंसी की क्षमता (in agency capacity) से क्रय विक्रय करते हैं तो ये खुले बाजार की क्रियाओं में सम्मिलित नहीं होते जबकि ये बैंक सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार जब ट्रेजरी इन बैंकों को बिलों का प्रत्यक्ष विक्रय (direct sale) करती है तो भी ये खुले बाजार की क्रियाओं में सम्मिलित नहीं होते।

यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है। व्यक्तिगत रूप से फ़ेडरल रिजर्व बैंक खुले बाजार में स्वयं के लिए ट्रेजरी बिलों आदि को नहीं खरीदते। ऐसा होता है कि फ़ेडरल खुले बाजार की कमेटी, फ़ेडरल रिजर्व बैंक ऑफ़ यूमाँक को इन ट्रेजरी बिलों आदि के क्रय विक्रय की मात्रा व उद्देश्य आदि के विषय में निर्देश दे देती है और यह बैंक इस कमेटी के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अतः क्रय विक्रय के व्यवहार खुले बाजार खाते में, फ़ेडरल बैंक ऑफ़ यूमाँक के उपाध्यक्ष का नेत्र देखें (जो कि खुले बाजार खाते के प्रबंधक के पद पर भी कार्य करता है) किए जाते हैं। खुले बाजार खाते में जो ट्रेजरी बिलों आदि क्रय किए जाते हैं उनका अनुभाजन (apportioned) बाँट फ़ेडरल रिजर्व बैंक में कर लिया जाता है और यह अनुभाजन सवधि फ़ेडरल बैंक की संपत्ति हो जाती है। इसी प्रकार जब ट्रेजरी-

फंडरल रिजर्व बैंक के बाय

बिला का फंडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क इस खाते में से विक्रय करता है तो प्रत्यक्ष फंडरल बैंक का अनुभाग भी कम हो जाता है।

जब खुले बाजार खाते का प्रबंधक ट्रेजरी बिला अथवा प्रतिभूतिया का क्रय खुले बाजार में किसी व्यापारी से करता है तो वह इस व्यापारी को फंडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का बैंक भुगतान में देता है। वह व्यापारी, इसका पश्चात् उनका भुगतान वास्तविक विक्रेता को करता है। यदि वास्तविक विक्रेता कोई व्यापारिक-बैंक है तो वह बैंक इस बैंक को फंडरल बैंक में अपने खाते में जमा करावेगा। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह होगा कि उस व्यापारिक-बैंक के बैंक रिजर्व बाय में वृद्धि हो जावेगी। यदि वास्तविक विक्रेता बैंक के अतिरिक्त अन्य कोई है तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह होगा कि जनता में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जावेगी और साथ ही बैंक रिजर्व में डालर की मात्रा भी बढ़ जावेगी, क्योंकि वास्तविक व्यापारी उस बैंक को अपने बैंक के पास जमा करावेगा और वह बैंक उसे रिजर्व बैंक में जमा करावेगा।

इसी प्रकार जब खुले बाजार खाते का प्रबंधक, ट्रेजरी बिलों अथवा प्रतिभूतिया का विक्रय करता है तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस दशा में, यदि क्रेता व्यापारिक-बैंक है तो व्यापारिक बैंक के रिजर्व कोष कम हो जावेगे क्योंकि वह बैंक भुगतान में बैंक देगा। यदि क्रेता कोई बैंक नहीं है तो जनता में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है और साथ ही बैंक रिजर्व में डालर की मात्रा कम हो जावेगी।

ट्रेजरी बिलों का क्रय-विक्रय

(अरब डालर)

वर्ष	क्रय	विक्रय
1964	9 50	5 50
1966	15 20	10 30
1967	11 50	8 60
1968	27 10	22 90
1969	33 75	28 40

माल नियंत्रण के लिए खुले बाजार की क्रिया एक लोचपूर्ण साधन है। इस साधन को बिना किसी प्रकार के प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। खुले बाजार की क्रियाओं को मुद्रा-संकुचन व मुद्रा प्रसार के प्रभावों की शक्ति का जांचने के लिए भी साधारण पमाने पर की जा सकती है। जब फंडरल रिजर्व प्रणाली के अधिकारी अनुभव करते हैं कि मुद्रा प्रसार (अथवा मुद्रा-संकुचन) के देश की अर्थ-व्यवस्था पर हानिप्रद प्रभाव पड़ रहा है तो इस साधन का उपयोग बहुत

शक्ति से किया जाता है। इसने उपयोग का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि धावपत्र नतानुसार एक सप्ताह इसको एक दिना में लो दूसरे सप्ताह दूसरी दिना में, प्रयोग किया जा सकता है और धारिण-शेक में बार्ड भ्रांति भी नहीं होने पाती।

खुले बाजार की क्रियाया के प्रयोग के लिए एक नव व्यापारिक-बन्का न सहयोग व परामर्श की धावपत्रता नहीं होता है बर्याकि यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि खुले-बाजार-दाने का प्रबन्ध ही इन व्यवहारो का सरकारा प्रतिमूनिषा के मायता प्राप्त व्यापारिया के माध्यम से करता है। इन व्यापारिया की सभ्या (लगभग 20) धरिण नहीं है। य व्यापारी सदब बड़ी मात्रा में ट्रजरी बिना को धपन खाते में ही क्रय धपवा विक्रय करने के लिए तत्पर रहत हैं। इन ट्रजरी बिना न क्रय तथा विक्रय मूल्य ये व्यापारी ही बतलाने (quote) करत हैं। धन जब जब ट्रजरी बिना का क्रय धपवा विक्रय करना होता है तो इन मायता प्राप्त व्यापारिया पर पूर्णतया निर्भर रहा जा सकता है।

उपरोक विवरण से यह धामय नो है कि इन व्यवहारो स केवल इन व्यापारिया धपवा व्यापारिक-बन्को के रिजव-बोग में ही परिवतन होते हैं। यदि केवल ऐसा ही होता है तो राष्ट्रीय मौद्रिक-नाति न रूप में खुले बाजार की क्रियाए महत्वहीन होती बिन्दु वास्तविकता यह है कि ये व्यापारी तथा नव विभिन्न सत्थामा न व्यक्तियो के लिए देश के सभी भागो में सरकारी प्रतिमूनिषा के लिए प्रस्तुत करत हैं।

(ख) कटौती दर

(Discount Rate)

फडरल रिजव प्रणाली की स्थापना के पूर्व यह मायता थी कि केन्द्रीय बंके पास मौद्रिक प्रसार एक सकुचन को नियन्त्रण करने के लिए सबसे प्रभावशाली साधन कटौती-दर (धर्यात् बट्टा दर) थी। बैंक ऑफ इंगलड तथा विश्व के अन्य केन्द्रीय बन्को के पास सामान्य साधन नियन्त्रण के लिए कटौती-दर एक महत्वशील साधन रहा है। अत फडरल रिजव एक्ट न निर्माताधो ने भी मयुक्त राज्य अमरिका की मुद्रा'एव साधन नियन्त्रण के हतु कटौती-दर का साधन फडरल रिजव धरिणवारियो को देना उचित समझा।

फडरल रिजव प्रणाली के सत्थापको ने कटौती दर को 'दंड-दर (penalty rate) नहीं माना धर्यात् कटौती दर को इतना ऊचा नहीं रखा कि सबक बाल में मजबूर होकर ही ऋण लें और सामान्य परिस्थितियो में इसका उपयोग न कर सकें। वरत् यह धाशा की गई थी कि सदस्य बन्क धपने धाहूरा नो ऋण धादि लेने के लिए आवश्यकता पडत पर धपने फडरल रिजव बन्क के पास प्राय जावेंगे।

यह सोचा गया था कि कटौती-दर ही सदस्य-बन्को को धपने फडरल बैंक से ऋण लन को प्रोत्साहित धपवा हतोत्साहित करते हैं। यदि धरिणवारी यह समझते हैं कि देश में मुद्रा का धाधिक्य है तो स्थिति को ठीक करन के लिए वे कटौती दर में वृद्धि कर देंगे ताकि सत्स्य-बन्को को ऊची दर पर ऋण मिर्देंगे और व धपने

ग्राहकों को भी ऊँची दर संभ्रण देंगे। इसका सामाय प्रभाव यह होगा कि सामाय जनता ऋण लेने को हतोत्साहित होगी और मुद्रा का अधिव्य ढीक (correct) हो जावेगा। इसके विपरीत यदि अधिकारी मुद्रा का प्रसार करना चाहते हैं तो वे कटीती-दर को नीचा कर देंगे ताकि ब्याज की दरें भी कम हो जावेंगी और ऋण लेन को प्रोत्साहन मिलेगा।

वर्तमान महत्व—सयुक्त राज्य अमेरिका में साख एव भीद्रिक नियन्त्रण के साधन के रूप में 'कटीती दर' का महत्व बहुत ही कम हो गया है। वहा इसके लिए खुले बाजार की क्रियाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण साधन हैं। वहा खुले बाजार की बड़े पैमाने पर क्रियाएँ ब्याज-दर को प्रभावित करती हैं क्योंकि जब बड़े पैमाने पर प्रतिभूतियाँ आदि का त्रय फडरल बक के द्वारा क्रिया जाता है तो इन प्रतिभूतियाँ के भाव बढ़ जाते हैं (माग अधिक होने के कारण) अतः उनसे आय (yield) कम हो जाती है। बड़े पैमाने पर इनके विप्रय करने का विलोम प्रभाव पडता है।

अतः सयुक्त राज्य अमेरिका में कटीती दर अथ ब्याज की दरों के पीछे-पीछे चलती है अर्थात् जब अन्य ब्याज की दरें ऊँची हो जाती हैं तो उसके पश्चात् कटीती दर को भी ऊँचा कर दिया जाता है और जब ब्याज की आय दरें नीची हा जाती हैं तो उसके पश्चात् कटीती दर का भी नीचा कर दिया जाता है। कटीती दर में परिवर्तन बाजार दरों से सम्बन्ध बनाम रखन के लिए किए जाते हैं न कि मुद्रा व साख नियन्त्रण के लिए। जबकि इंग्लैंड, भारत, जापान व अन्य देशों में अथ ब्याज की दरें कटीती दर के पीछे पीछे चलती हैं। यह तो सयुक्त राज्य अमेरिका ही की प्रणाली की विशेषता है। यह उल्लेखनीय है कि सयुक्त राज्य अमेरिका में कटीती का व्यवसाय, इंग्लैंड की अपेक्षा कहीं कम है।

फिर भी तक दिया जाता है कि सयुक्त राज्य अमेरिका में कटीती-दर का भी प्रभाव है। वहा कटीती दर का 'मनोवैज्ञानिक महत्व (Psychological significance) अत्रिण है। यदि बाजार दर में परिवर्तन होने के पश्चात् कटीती दर में भी परिवर्तन कर लिया जाता है तो इस कार्य से बाजार-दर की प्रवृत्ति की पुष्टि हा जाती है। दूसरी ओर, यदि बाजार-दर में तो परिवर्तन हा जाता है किन्तु कटीती-दर में परिवर्तन नहीं किया जाता तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह पडता है कि बाजार दर में परिवर्तन केवल आकस्मिक अथवा मौसमी है।

यहा एक बात और उल्लेखनीय है। सयुक्त राज्य अमेरिका के मभी (12) फडरल रिजर्व बैंक अपनी पुयक कटीती दर निर्धारण करने में स्वतन्त्र है, किन्तु व्यवहार में वे इस सम्बन्ध में फडरल बक ऑफ यूनाय का अनुसरण करते हैं और इस प्रकार सभी फडरल बकों की कटीती दर समान रहती हैं।

फडरल रिजर्व बक कटीती दर
(31 दिसम्बर को)

वर्ष	कटीती दर
1964	4%
1966	4½%

वर्ष	शुद्धी दर
1967	4½%
1968	5½%
1969	6%
1970	%

(ग) रिजर्व सम्बंधी आवश्यकताएँ (Reserve Requirements)

मूल फंडरल रिजर्व एक्ट 1913 में बका द्वारा रखे जाने वाले रिजर्व व सम्बंध में गवर्नर मंडल को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। इस एक्ट ने रिजर्व बैंक द्वारा रखे जाने वाले रिजर्व का अनुपात निर्धारित कर दिया था और यह भी निश्चित कर दिया था कि 'रिजर्व' की राशि में क्या-क्या सम्मिलित हैं। सन् 1914 से 1917 तक बैंक की तिजारियों (vaults) में रखा हुआ धन और फंडरल रिजर्व बैंक के पास बका के निक्षेपों को 'रिजर्व' की राशि में सम्मिलित किया जाता रहा। सन् 1917 से 1959 तक तिजारियों में रखे हुए धन को 'रिजर्व' की राशि में सम्मिलित नहीं माना गया, जबकि फंडरल रिजर्व बका के पास बका के निक्षेप का ही 'रिजर्व' में सम्मिलित किया जाता रहा। सन् 1959 से गवर्नर मंडल ने रिजर्व में तिजारियों में रखे धन को भी पुनः रिजर्व का राशि में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

मूल फंडरल रिजर्व एक्ट में मांग दायित्व (demand liability) का वेदाय रिजर्व नगरों में 18% रिजर्व नगरों में से 15% और कन्ट्री बंको के लिए 12% रखा गया था। सभी बका के लिए समय-दायित्व (time liability) का 5% रिजर्व रखना अनिवार्य किया गया।

सन् 1917 के फंडरल रिजर्व एक्ट में संशोधन किया गया जिसके अनुसार सदस्य बंको के पास उनकी तिजारियों की राशि व प्रतिनिधि बंको (correspondent banks) के पास निक्षेपों को रिजर्व की राशि में सम्मिलित नहीं किया गया और रिजर्व का राशि केवल फंडरल रिजर्व बैंक में रखी जा सकती थी। इस संशोधन से सदस्य बंको के पास कठिनाई नहीं आई क्योंकि रिजर्व का अनुपात भी पर्याप्त कम कर दिया गया। इसके अनुसार मांग-दायित्व का वेदाय रिजर्व नगरों में 13% रिजर्व नगरों में 10% और कन्ट्री बंको को 7% रिजर्व रखने का प्रावधान किया गया। समय दायित्व का 3% रिजर्व में रखना अनिवार्य किया गया।

सन् 1935 के बैंकिंग एक्ट ने गवर्नर मंडल को रिजर्व अनुपात में परिवर्तन करने का अधिकार दिया किन्तु न्यूनतम व अधिकतम रिजर्व अनुपात की सीमाएँ निर्धारित कर दी। गवर्नर मंडल, सन् 1917 के संशोधन द्वारा निश्चित किए गए रिजर्व अनुपात से कम रिजर्व अनुपात निश्चित नहीं कर सकते। यह न्यूनतम सीमा थी। इस अनुपात से दो गुने से अधिक रिजर्व अनुपात (नमूना 26 20 14 प्रतिशत, व 6%) निश्चित नहीं कर सकते। यह अधिकतम सीमा थी। बाद में सन् 1948-1959, व अन्य कानूनों द्वारा गवर्नर-मंडल का इस संबंध में और

अधिक विस्तृत अधिचार दिए गए। 1 जनवरी 1970 में मदस्य-बैंको द्वारा अपने फडरल-बैंक के पास इस प्रकार रिजर्व रखना पड़ रहा था—

कुल मांग निक्षेप		कुल समय निक्षेप
रिजर्व सिटी बैंक	कन्द्री बैंक	
17½%	13%	3%

रिपोर्ट प्रेषित करना—प्रत्येक मदस्य बैंक को अपने जिले (district) के फडरल बैंक का अपने मार्ग पर दय निक्षेप और तिजारिया में रखी हुई राशि का प्रत्येक दिन विवरण भेजना पड़ता है। बृहस्पतिवार से अगले बुधवार को समाप्त होने वाले सप्ताह की मात्रा दैनिक रिपोर्टों के आधार पर फडरल बैंक दखता है कि संबंधित बैंक न रिजर्व की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी की हैं अथवा नहीं। यदि उस बैंक में औसत रूप से (on the average) सप्ताह में रिजर्व की आवश्यकताएँ पूरी की हैं तो यह माना जावेगा कि उसने ये आवश्यकताएँ पूरी की हैं। उदाहरण के लिए यदि मांग निक्षेप का 20% रिजर्व में रखा है और औसत रूप से उस बैंक के पास उस सप्ताह 100 मिलियन डॉलर के मांग निक्षेप थे। उस बैंक ने अपने फडरल-बैंक के पास बृहस्पतिवार से बुधवार तक क्रमशः रिजर्व रखा (मिलियन डॉलर $18 + 12 + 10 + 15 + 25 + 20 + 40 = 140 - 7 = 20$)। ता माना जायगा कि उसने रिजर्व नियमानुसार रखा।

यदि कोई बैंक रिजर्व की पर्याप्त मात्रा अपने फडरल रिजर्व बैंक के पास नहीं रखता है तो जितनी राशि जितने दिन कम रहती है, उस राशि पर उतना दिना का व्याज कटौती दर से 2% ऊँची दर से लिया जाता है।

अतः रिजर्व की मात्रा बढ़ा की ऋण देने की क्षमता पर प्रभाव डालता है और जिस साख व मुद्रा पर नियंत्रण में सहायता मिलती है।

(घ) नैतिक दबाव (Moral Suasion)

साख नियंत्रण के साधनों के रूप में नैतिक दबाव को भी एक साधन माना जाता है। वास्तव में नैतिक दबाव के साधन को नियंत्रण का साधन नहीं मानना चाहिए क्योंकि इसमें किसी प्रकार के दबाव अथवा अवरुद्धता का तत्व नहीं होता बल्कि यह सदस्य बैंको द्वारा ऐच्छिक-सहयोग (Voluntary Cooperation) है।

अपने देशों में तो साख नियंत्रण के साधन के रूप में नैतिक दबाव सफल हो सकता है किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका में यह साधारणतया सफल नहीं हो सकता। इसका प्रमुख कारण यह है कि अल्प देशों में शाखा बैंकिंग होने के कारण बैंको की संख्या पर्याप्त कम है अतः उन्हें समझाना-बुझाना सरल है किन्तु संयुक्त

अमेरिका में इवार्ड-बचिग होन के कारण बर्षों की सख्या हजारों में है जो कि सपूर्ण देश में बिलदेरे हुए हैं और भाषे से अधिक बच फडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य भी नहीं है, अतः नतिव दबाव का साधन माप नियंत्रण के लिए सामान्यतः सफल नहीं हो सक्ता ।

ब्यवहार में यह देखा गया है कि समुक्त राज्य अमेरिका में कोरिया के युद्ध के समय अथवा अन्य राष्ट्रीय सङ्कटकालीन परिस्थिति में यह साधन बुद्धि प्रभावशाली रहा है । कोरिया-युद्ध के समय, फडरल रिजर्व प्रणाली की प्राधना पर सभी वित्तीय संस्थाओं ने एक 'National Voluntary Credit Restraint Committee' स्थापित की जिसका उद्देश्य यह बतलाना था कि कौनसी साल का उपयोग राष्ट्र के हित में है और कौनसी साल का उपयोग राष्ट्र के अहित में है । यद्यपि यह सब गेञ्चिक था किंतु इसने प्रभावशाली ढंग से साल पर नियंत्रण किया ।

इस अनुभव से यह निष्कर्ष नहीं निवाल सना चाहिए कि नतिव-दबाव का साधन के द्वारा शान्ति के अर्थात् सामान्य समय भी मयुक्त राज्य अमेरिका में साथ पर नियंत्रण किया जा सक्ता है ।

6 राजवित्तीय एजेंसी सबधी कार्य (Fiscal Agency Functions)—फडरल रिजर्व बच राजवित्तीय एजेंसी सबधी कार्य भी करत हैं, दूसरे शब्दों में य फडरल रिजर्व बच 'सरकार के प्रमुख बैंकर' के रूप में कार्य करते हैं । इस रूप में य निम्ननिश्चित प्रमुख सेवाएँ प्रदान करते हैं—

- 1 वित्तीय परामशदाता
- 2 सरकारी आय को प्राप्त करना व भुगतान करना,
- 3 ट्रेजरी बिलों को सवाएँ प्रदान करना,
- 4 सरकार के लिए स्वण व विदेशी विनिमय का मय विक्रम करना
- 5 सरकार को ऋण देना ।

1 वित्तीय परामशदाता (Financial Advisor)—फडरल रिजर्व बच सरकार के परामशदाता के रूप में भी कार्य करता है । ट्रेजरी व अन्य सरकारी विभाग फडरल रिजर्व बच पर वित्तीय सूचनाएँ एवं परामश के लिए पूणतया निर्भर नहीं रहते क्यकि इसके लिए उनके स्वयं के कर्मचारी एवं अन्य अनेक स्रोत हैं । फडरल रिजर्व मुक्त प्रतिमृतियों एवं विदेशी विनिमय बाजारों के निकट सम्पर्क में रहते हैं अतः य सरकार के अरण प्रबंध व विदेशी विनिमय, ब्यवहारों में सरकार के बहुत सहायक होते हैं ।

2 सरकार के बैंकर—फडरल रिजर्व बच सामूहिक रूप से सघीय-सरकार व कोषों के प्रमुख निक्षेप हैं । सरकार को देय कर (Taxes) व आय आय प्राय से बच, सरकार की अरार में प्राप्त करते हैं । सरकारी प्रतिमृतियाँ व निगमन का प्रबंध करत हैं उन प्रतिमृतियों का विक्रय करत हैं समय पर ब्याज का भुगतान करत हैं और परिपक्वता पर उनका भुगतान करत हैं । इसके अतिरिक्त सरकार की अरार से अन्य भुगतान करत हैं ।

3 ट्रेजरी को सेवाएँ प्रदान करना—ट्रेजरी अपने निक्षेपों के एक भाग को फंडरल रिजर्व में रखती है। ट्रेजरी के निक्षेपों का केवल एक छोटा सा अंश ही फडरल रिजर्व के पास रहता है, शेष निक्षेप देश के हजारों व्यापारिक-बैंकों के पास रहते हैं। जबकि ट्रेजरी प्रतिभूतियाँ का बड़ी मात्रा में निगमन करती है तो फडरल रिजर्व विशेष रूप से सहायक होता है क्योंकि इन प्रतिभूतियों के मूल्य का भुगतान प्रायः चकों के द्वारा ही होता है। ट्रेजरी के निर्देश पर सरकार के कोषों को स्थानान्तरित करते हैं। ट्रेजरी विलों के निगमन, उनके मूल्यों को प्राप्त करना, ब्याज का भुगतान करना व परिपक्वता पर उनका भुगतान करना, आदि प्रमुख कार्य हैं, जो फडरल रिजर्व बैंक करते हैं। यद्यपि ट्रेजरी भी देश के हजारों बैंकों को निक्षेपक के रूप में प्रयोग करती है किन्तु भुगतान प्रायः फंडरल रिजर्व बैंक के माध्यम से ही करती है। अतः जब ट्रेजरी, व्यापारिक-बैंकों में अपने कोषों का उपयोग करना चाहती है तो वह व्यापारिक-बैंकों को अपने कोष फडरल रिजर्व बैंक में हस्तांतरित करने का आदेश देती है।

ट्रेजरी अपने कोषों में से भुगतान करने के लिए प्रतिव्यय करोड़ों चक लिखती है। ये चक प्रायः सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, सेना के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, पेंशन देने के लिए, विभिन्न सामग्री को क्रय करने के मूल्य का भुगतान करने के लिए व अन्य लाक्षा प्रकार के भुगतान करने के लिए लिखे जाते हैं। नीचे की तालिका में फडरल रिजर्व बैंक द्वारा, सरकारी चकों के व्यवहारों की संख्या बतलाई गई है जो ट्रेजरी पर लिखे गये थे—

वर्ष	चकों की संख्या (करोड़ों में)
1964	46 72
1965	49 20
1966	50 40
1967	54 00
1968	55 50
1969	57 50

अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों की भाँति, फडरल रिजर्व बैंक भी ट्रेजरी (व सरकार) को प्रायः समस्त सेवाएँ निःशुल्क प्रदान करता है। ट्रेजरी केवल कुछ विशेष प्रकार की सेवाओं के लिए बैंकों की क्षतिपूर्ति करती है। ये बैंक ट्रेजरी के अपने पास निक्षेपों पर ब्याज नहीं देते हैं।

4 स्वण व विदेशी विनिमय का क्रय विनय—राष्ट्र के मौद्रिक स्वण का अभिरक्षक (custodian) ट्रेजरी है। ट्रेजरी मौद्रिक उद्देश्यों के लिए स्वण का क्रय-विनय करती है। प्रायः इन सभी व्यवहारों में फडरल रिजर्व, ट्रेजरी के रूप में कार्य करती है। फडरल रिजर्व, अपने लिए व ट्रेजरी की ओर से एजेंट के रूप में, विदेशी विनिमय का क्रय विनय करते हैं।

6 सरकार के ऋणदाता—ट्रेजरी को फ़ेडरल रिजर्व बैंको से प्रत्यक्ष ऋण (direct borrowing) प्राप्त करने में बड़ी सुविधा रहती है। असीमित मात्रा में ऋण लेना हानिप्रद होता है। अतः कानून द्वारा इस शक्ति का सीमित कर दिया गया है। फ़ेडरल बैंक में प्रत्यक्ष रूप से (directly) किसी भी समय 5 बिलियन डॉलर से अधिक ऋण ट्रेजरी के नाम नहीं होने चाहिए।

7 अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सेवाएँ—फ़ेडरल रिजर्व बैंक—विशेषतः फ़ेडरल रिजर्व बैंक आफ न्यूयॉर्क प्रमुख विदेशी सरकारों, विश्वी केंद्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं—जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) पुनर्निर्माण व विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) आदि के लिए भी वित्तीय एजेंट के रूप में कार्य करते हैं।

8 धन्य सेवाएँ धन्यवा काय—बैंक आफ इंग्लैंड की भाँति फ़ेडरल रिजर्व बैंक भी निजी ग्राहकों से भी व्यवहार करता है किंतु ये व्यवहार अत्यंत सीमित मात्रा में होते हैं। इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय बैंकिंग का यह मान्य सिद्धांत है कि केंद्रीय बैंक को देश के अन्य व्यापारिक बैंकों से सामान्य व्यवहारों में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए।

फ़ेडरल रिजर्व बैंकों का चिट्ठा

(Combined Balance Sheet of Federal Reserve Banks)

यद्यपि हम सभी फ़ेडरल रिजर्व बैंकों का सामूहिक चिट्ठा दे रहे हैं। हममें केवल अत्यंत महत्वपूर्ण मद दिखाए गये हैं—

Combined Balance Sheet of All Fed Res Banks
(December 31 1969)

Liabilities	मिलियन डॉलर
Federal Reserve Notes	60,412
Deposits—	
Member bank reserves	21,970
U S Treasurer—General A/c	1,312
Foreign	133
Other liabilities	--
Total	83,944
Assets	
Gold Certificates	10,036
F P Notes of other F R Banks	770
Other cash	110
Discount and advances	183
Acceptances	630
U S Govt Securities	57,400
Other assets	--
Total	83,944

इस प्रकार स्पष्ट है कि इन फ़ेडरल रिजर्व बैंकों का सामूहिक चिट्ठा 31 दिसम्बर 1969 को लगभग 84 अरब डॉलर का था।

फ़ैडरल रिजर्व प्रणाली का आलोचनात्मक अध्ययन एव प्रस्तावित सुझाव

संयुक्त राज्य अमेरिका में फ़ैडरल रिजर्व प्रणाली को स्थापित हुए लगभग 60 वर्ष होने जा रहे हैं, अतः इस अवधि में इस प्रणाली में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इस प्रणाली में कतिपय दोष दृष्टिगोचर होते हैं। व्यवहार में, जो कि मूलतः एक क्षीण एव विकेंद्रित 'कागजी शेर' (paper tiger) मौद्रिक-अधिकारी (monetary authority) था, वह एक वास्तविक केन्द्रीय-बैंक के रूप में परिणत हो गया है।

1. गवर्नर-मंडल के सदस्यों का चुनाव दोषपूर्ण

फ़ैडरल रिजर्व एक्ट की धारा 10 में गवर्नर मंडल के सदस्यों की नियुक्ति का यथाव्यताए से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके अनुसार गवर्नर-मंडल में 7 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति सं० रा० अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। इन सदस्यों की नियुक्ति 14 वर्ष के लिए की जाती है। यद्यपि इन सदस्यों का पद फ़ैडरल रिजर्व प्रणाली में अत्यंत महत्वशील है किंतु राष्ट्रपति को इनके चुनाव में पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं है। एक्ट में इनके चुनाव के लिए राष्ट्रपति के लिए दो बंधन हैं—क्षेत्र संबंधी और व्यवसाय संबंधी। धारा 10 (1) के आवश्यक भाग का हिंदी रूपान्तर इस प्रकार है, मंडल के सदस्यों का चुनाव करते समय किसी एक फ़ैडरल जिले से एक से अधिक सदस्य का चुनाव नहीं किया जायेगा, राष्ट्रपति वित्तीय, कृषि, औद्योगिक और व्यापारिक हिता के उचित प्रतिनिधित्व एव देश के भौगोलिक विभागों का उचित ध्यान रखेगा।¹

गवर्नर मंडल के सदस्यों के चुनाव में जो व्यावसायिक तथा भौगोलिक विभाग संबंधी प्रतिबंध रखे हैं वे कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं करते वरन् इन प्रतिबंधों से सर्वोत्तम व्यक्तियों के चुनाव में रुकावट ही पड़ सकती है। अतः इन प्रतिबंधों को हटा देना चाहिए।

1 In selecting the members of the Board not more than one of whom shall be selected from any one Federal Reserve district the President shall have due regard to a fair representation of the financial agricultural industrial and commercial interests and geographical divisions of the country

2 अध्यक्ष का कार्यकाल उचित नहीं
फडरल रिजर्व एक्ट की धारा 10 (2) के अनुसार, समुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति गवर्नर मंडल के 7 सदस्यों का चुनाव करता है और उन सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष (chairman) व दूसरे को उपाध्यक्ष नियुक्त करता है। इनकी नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि विवादास्पद है।

फडरल रिजर्व प्रणाली में गवर्नर-मंडल के अध्यक्ष का स्थान सर्वोपरि होता है। राष्ट्रपति व गवर्नर मंडल के अध्यक्ष में सामंजस्य होना चाहिए भ्रत इस में यह संभावना अधिक है कि नयननिर्वाचित राष्ट्रपति के सम्मुख वह गवर्नर मंडल जा कि उसके पूर्व के राष्ट्रपति न नियुक्त किया हो।

गवर्नर मंडल के सदस्यों का कार्यकाल 14 वर्ष काफी अधिक प्रतीत होता है। भ्रत यह परामश दिया गया है कि गवर्नर मंडल के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार ही हो ताकि नया राष्ट्रपति अपनी टीम के व्यक्तियों को ला सक और मौद्रिक नीति सुचारु रूप से कार्यरत हो सके। इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का तो यह मत है कि गवर्नर मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल निश्चित न होकर राष्ट्रपति की इच्छा पर होना चाहिए।

किंतु उपरोक्त भ्रालोचना हमारे विचार से ठीक नहीं है। गवर्नर मंडल का राजनीति से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि जब इस संस्था में राजनीति का प्रवेश हो जावेगा तो उससे राष्ट्रहित की भाषा नहीं करनी चाहिए। पाठकों को यान होगा कि सविड बक आफ द यूनाइटेड स्टेट्स के चार्टर का नवीनीकरण सन् 1836 में केवल इसीलिए नहीं हुआ कि बक क अध्यक्ष निकोलस विडिल तथा अमेरिका के राष्ट्रपति जकसन के मध्य राजनीतिक व व्यक्तिगत तनाव था। भ्रपणालिन्या का मत है कि यदि इन दोनों के मध्य संधप नहीं होता तो समुक्त राज्य अमेरिका में बकिंग एवं मौद्रिक प्रणाली का प्राज दूसरा ही रूप होता। भ्रत गवर्नर मंडल का अध्यक्ष निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होना चाहिए।

सदस्यों के कार्यकाल के सम्बन्ध में जो भ्रालोचना की जाती है वह कुछ भ्रणों में तो सत्य ही है। 14 वर्ष की अवधि बहुत अधिक होती है—इससे नये योग्य व्यक्तियों को प्रवेश नहीं मिल पाता और सदस्यों में सुस्ती (slackness) भ्राने की संभावना अधिक रहती है। भ्रत कुछ विद्वानों का मत है कि गवर्नर मंडल के समस्त सदस्यों के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए एवं व पुनर्नियुक्ति के योग्य हो।

वर्तमान प्रावधानों के अनुसार गवर्नर मंडल के सदस्यों का कार्यकाल 14 वर्ष है एवं भ्रपना कार्यकाल पूरा कर लेने के पश्चात् वे पुनर्नियुक्ति के योग्य नहीं हैं। इससे योग्य व भ्रनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं से व्रित रहना पड सकता है।

3 गवर्नर-मंडल का आकार बड़ा

गवर्नर मंडल के 7 सदस्य होते हैं जोकि भादश संस्था प्रतीत नहीं होती।

इस मडल में कम सदस्य होने चाहिए। 3 अथवा 5 सदस्यों की संख्या प्रादश प्रतीत होती है। कम सदस्य (3 अथवा 5) होने से उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और अति-योग्य व्यक्ति भी आकर्षित होते हैं। नीति निर्धारण में भी अधिक सदस्य होने से कठिनाई पड़ सकती है। अधिक सदस्य होने से गवर्नर मडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के मध्य ताल (rhythm) बठना कठिन हो जाता है।

4 वेतन अधिक हैं

फडरल रिजर्व बैंक के वेतन काफी अधिक प्रतीत होते हैं, विशेषतः जब संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य उच्च अधिकारियों के वेतन से तुलना की जावे। उदाहरण के लिए, फडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के अध्यक्ष का वार्षिक वेतन 85 हजार डॉलर है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का वार्षिक वेतन एक लाख डॉलर, चीफ जस्टिस का वार्षिक वेतन 35.5 हजार डॉलर, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का वार्षिक वेतन 35 हजार डॉलर है।

5 खुले बाजार कमेटी का संगठन दोषपूर्ण

वर्तमान खुले बाजार की कमेटी का संगठन दोषपूर्ण है। इसमें वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कुल 12 सदस्य हैं—7 गवर्नर मडल के सदस्य और 5 फडरल रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि होने हैं। इन 5 प्रतिनिधियों में से एक तो फडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का प्रतिनिधि होता है और शेष 4 प्रतिनिधियों का चुनाव शेष 11 फडरल रिजर्व बैंकों में से किया जाता है। यह प्रणाली दोषपूर्ण है। इस संबंध में यह परामर्श दिया जाता है कि खुले बाजार की कमेटी में केवल गवर्नर-मडल के सदस्य ही होने चाहिए।

उपरोक्त परामर्श के विपक्ष में प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि अन्य फडरल रिजर्व बैंकों के प्रतिनिधि वास्तव में देश के विभिन्न भौगोलिक विभागों के प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि वे अपने-अपने क्षेत्र की दशाओं की सूचना लाते हैं और गवर्नर-मडल के सदस्यों को उनसे अवगत कराते हैं, अतः भौतिक नीति राष्ट्र के हित में बनाई जाती है।

किंतु उपरोक्त तर्क व्यर्थ सा प्रतीत होता है क्योंकि यदि वे इस कमेटी के सदस्य न भी हों तथा मताधिकार नहीं भी हो तो भी कोई कारण नहीं कि उनसे परामर्श, सूचनाएं अथवा सहायता न मिल सके। व्यवहार में देखा गया है कि समस्त निर्णयों में गवर्नर-मण्डल की ही ध्वनि महत्वपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त गवर्नर मण्डल के सदस्यों की संख्या अन्य प्रतिनिधियों की संख्या से अधिक है अतः निर्णय वे ही लिए जावेंगे जो गवर्नर-मण्डल चाहता है। यदि अन्य शेष समस्त प्रतिनिधि किसी विशेष निर्णय के पक्ष में एक मत हो, किन्तु गवर्नर मण्डल के सदस्य विरोध में हों तो वह निर्णय नहीं लिया जा सकेगा।

6 रिजर्व अनुपात का बर्गीकरण दोषपूर्ण है

नशनल बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत सदस्य बैंकों को नगर जिसमें वह स्थित है, के आकार के अनुसार तीन समूहों में विभक्त किया गया और उन्हें फडरल रिजर्व

प्रणाली ने भा स्वीकार किया। इसके अनुसार सेंट्रल रिजर्व सिटी बैंक, रिजर्व सिटी बैंक और कंट्री बैंक म वर्गीकरण किया गया। सन् 1962 में सेंट्रल रिजर्व सिटी बैंक का वग हटा दिया गया। अतः अब दो वग के ही सदस्य बैंक रह गये हैं—रिजर्व सिटी बैंक और कंट्री बैंक। इन नए वर्गों के लिए रिजर्व अनुपात भिन्न भिन्न हैं। वर्गों की भिन्नता के आधार पर रिजर्व अनुपात निश्चित नहीं करना चाहिए। लगभग 100 वर्ष पूर्व इस व्यवस्था में श्रौचित्य या किन्तु प्रभावशील मुद्रा नियंत्रण प्राप्त एव तक के आधार पर बोका व नए वर्गों प्राधुनिक समय में उचित नहीं है अतः इन दोनों वर्गों को भी हटा कर समस्त बैंकों के लिए समान रिजर्व अनुपात कर देना चाहिए।

7 कटौती दर प्रणाली दीर्घकाली है

प्रत्येक फेडरल रिजर्व बैंक का संचालन मन्त्र (गवर्नर मन्डल की पूर्ण पर) अपने क्षेत्र के लिए कटौती दर (discount rate) निश्चित करता है। अतः विभिन्न जिलों (districts) में भिन्न भिन्न कटौती दरें प्रचलित हो सकती हैं। यह उचित नहीं है। व्यवहार में गवर्नर मन्डल के द्वारा निर्धारित कटौती दरें ही प्रचलित रहती हैं। अतः एवट में इस आशय का संशोधन कर देना चाहिए कि गवर्नर मन्डल ही कटौती दर निश्चित करे या अधिवारी हागा।

इसके अतिरिक्त कटौती दर व ट्रेजरी बिल दर में भी समन्वय होना चाहिए।

8 शाखा बैंकिंग-नीति उचित नहीं है

नशनल बँक को प्रतिबन्धित सख्या में शाखाएँ स्थापित करने की अनुमति है किन्तु स्टेट बैंक अपने राज्य के बाहर शाखाएँ स्थापित नहीं कर सकते। इससे आशय यह है कि अन्तर्राज्यीय शाखाएँ स्थापित नहीं हो सकतीं। नशनल बैंक तो एक राज्य में कुछ शाखाएँ स्थापित कर सकता है किन्तु उसी राज्य का स्टेट बैंक ऐसा नहीं कर सकता। अतः शाखा-बैंकिंग नीति में परिवर्तन लाना आवश्यक है।

9 सदस्यता अनिवार्य न हो

स्टेट बैंकों के लिए फेडरल रिजर्व प्रणाली की सदस्यता एच्छिक है जबकि नशनल बैंकों के लिए यह अनिवार्य है। अतः उचित तो यह होगा कि नशनल बैंकों के लिए भी सदस्यता एच्छिक कर देनी चाहिए। दूसरी ओर एक विचारधारा यह भी है कि समस्त व्यापारिक बैंकों के लिए फेडरल रिजर्व प्रणाली की सदस्यता अनिवार्य कर देनी चाहिए।

इंगलैण्ड की बैंकिंग प्रणाली
(Banking System in U. K)

इंग्लैंड में बैंकिंग विकास

यहूदियों का स्थान—इंग्लैंड में मुद्रा के जेन देन का वाय (सन् 1250 से पूर्व) सबसे प्रथम यहूदी (Jews) किया करता थे। पर्याप्त सम्बन्धी प्रवृत्ति तक केवल यहूदी ही नॉर्मन शासकों (Norman Kings) को आर्थिक-सहायता प्रदान करते रहे। यहूदी यह सहायता मुख्यतः युद्ध भ्रष्टाचार विद्रोह के समय प्रदान किया करते थे। किन्तु इनके द्वारा उधार दी गई राशि अत्यन्त अमुरझित रहती थी, एव कभी कभी यह ठूव भी जाया करती थी। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत, यह स्वभाविक था कि यहूदी अपने द्वारा प्रदान किये गये ऋणों पर बहुत ऊँची ब्याज की दर मांगते थे। अतः तत्कालीन शासक हनरी तृतीय ने ब्याज की दर के संबंध में एक चार्टर (charter) पास किया। इस चार्टर के अनुसार ब्याज की अधिकतम दर 2 पस प्रति पौंड प्रति सप्ताह निश्चित की गई। इस आचार पर ब्याज की दर लगभग 43% वार्षिक पड़ती थी। ये यहूदी बहुत अधिक शोषण करते थे और इनकी वाय प्रणाली बहुत निन्दनीय एवं दूषित थी अतः यहूदियों के प्रति अति घृणा की भावना फैल गई। इनके द्वारा अधिक शोषण से इनके प्रति घृणा इतनी अधिक हो गई थी कि तत्कालीन शासक एडवर्ड प्रथम ने एक आदेश निकाल कर यहूदियों को सन् 1290 में निष्कासित कर दिया।

लौम्बार्डस का उदय—यहूदियों के पश्चात् लौम्बार्डस (Lombards) का उदय हुआ। उत्तरी इटली के लौम्बार्डी (Lombardy) स्थान में, इंग्लैंड में आये और बसने वाले धनी बँकस और व्यापारियों को लौम्बार्ड कहा जाता था। ये लोग इटली के वेनिस, जिनोवा फ्लोरेंस आदि नगरों से भी आये। ये लोग मुख्यतः चौदहवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी तक लन्दन में आकर बसते रहे। इस काल में इटली के अनेक प्रमुख बँकस ने लन्दन में अपनी शाखाएँ स्थापित कर लीं।

तत्कालीन परिस्थितियों ने लौम्बार्डस का महत्त्व बहुत बढ़ा दिया क्योंकि यहूदियों का निष्कासन किया जा चुका था और शासकों के खजाने प्रायः खाली हो चुके थे। लौम्बार्डस ने एडवर्ड प्रथम एवं उसके उत्तराधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की। यद्यपि लौम्बार्डस से प्राप्त सवाएँ भी काफी महंगी थीं किन्तु अन्य कोई माँग न होने के कारण उन्हें अनेक मुविघाएँ प्रदान की गईं। अतः वाजे अन्य विदेशियों पर लगाय जाने वाले बंधन उतनी कठोरता से इन लौम्बार्डों पर नहीं लगाये जाते थे। इन पर केवल एक ही प्रमुख प्रतिबंध था कि वे एक निश्चित गली

1 The first being the Gualterotti and the Frescobaldi, and later the Bardi, the Medici, the Peruzzi etc.

(street) में ही निवास करें और आज भी वह गली उनके नाम पर लोम्बाड स्ट्रीट के नाम से विख्यात है। समय की शक्ति देखिए, लोम्बाड-स्ट्रीट जो उस समय केवल विदेशियों के निवास के लिए सुरक्षित थी, आज इंग्लैंड की प्रतिष्ठा एवं वित्तीय-शक्ति का केंद्र है। आज लंदन का मुद्रा-बाजार एवं इंग्लैंड के प्रमुख व्यापारिक-बकों व बट्टा-गृहों के कार्यालय लोम्बाड-स्ट्रीट भ्रमणवा इतक निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं।

ये लोम्बाड व्यापारी एवं बचस, लोम्बाड-स्ट्रीट में जिन में दो बार मिलते थे। कदाचित्त यह लंदन मुद्रा-बाजार की स्थापना की घोर दूर की भूमिका थी। ये लोम्बाड स मुख्यतः ऋण दान का काम हां करते थे किंतु सरकार के लिए मुद्रा-परिवर्तन (money exchanging) का काम भी करते थे।

स्वणकारों का उदय—यह विवादास्पद है कि प्रारम्भ में लोम्बाड स ही स्वणकार (goldsmiths) थे अथवा लोम्बाड स और स्वणकार एक साथ ही अलग अलग विद्यमान थे। सन् 1392 में 'स्वणकारों का निगम' (Corporation of Goldsmiths) स्थापित किया गया एवं इसकी रजिस्ट्री भी करवा ली गई। इस समय इंग्लैंड में रिचर्ड द्वितीय का शासन था।

सन् 1556 में लंदन 107 स्वणकार थे जिनमें से 76 का व्यवसाय-स्थल चीपसाइड (Cheapside or in short Chepe) स्थान पर था और शेष 31 गा लोम्बाड-स्ट्रीट में था। सन् 1677 में 44 स्वणकार थे।¹

ये स्वणकार काफी लोकप्रिय हो गये थे। लोगों के पास हीरे-जवाहिरान, स्वण-पाट, रजत-पाट एवं स्वर्ण व चांदी के सिक्कों के रूप में व्यक्तिगत चल सम्पत्ति थी अतः अपनी इस सम्पत्ति को सुरक्षा की दृष्टि से या तो इन स्वणकारों के पास अथवा 'रॉयल मिंट' में जमा करा देते थे। किंतु सन् 1640 में चाल्स प्रथम के पास धन का अभाव हो गया और रॉयल मिंट में जनता का जमा 130 लाख पाउंड निकास लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता एवं व्यापारियों में अतक सा फैल गया एवं सरकारी टकशाला अधिकारियों पर से विश्वास उठ गया। अब वे अपनी सरल संपत्तियों को स्वणकारों के पास अधिक से अधिक जमा कराने लग गये। स्वणकारों में जनता का विश्वास अधिक बढ़ गया।

अब ये स्वणकार निक्षेपपत्रों की निक्षेप प्रमाणपत्र (deposit certificates) देने लग गये थे। इसमें भी उन्होंने एक सुधार किया— अब वे एक निश्चित मूल्य के अंकित मूल्यों के प्रमाणपत्र निगमन करने लग गये। ये प्रमाणपत्र नोटों का भाति चलन में आ गये। इन नोटों को 'स्वणकार के नोट' (goldsmiths notes) कहा जाने लगा। ये नोट नगद-मुद्रा की भांति लोकप्रिय हो गये।

अब ये निक्षेपों के आधार पर ये स्वणकार अल्पकालीन ऋण भी देने लग गये थे। ये ऋण विनिमय विपत्र (Bills of Exchange) के आधार पर प्रदान किए जाते थे व प्रायः नोटों के रूप में दिए जाते थे।

अब एक बार पुनः सक्कट उत्पन्न हो गया। सन् 1672 में डच युद्ध के कारण चाल्स द्वितीय का खजाना समाप्त हो गया। अतः उसने अपने पूर्वजों की नीति अपनाई स्वणकारों का ट्रेजरी में धन जमा था। चाल्स द्वितीय ने उस धन में से लगभग 13 28 लाख पाउंड निकाल लिए। ट्रेजरी इन स्वणकारों के निक्षेपों पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिया करती थी। शासक की ओर से इस प्रकार धन ले लेने में एक बार पुनः भय का वातावरण फल गया। अनेक स्वणकार दिवालिया हो गये जिसके परिणामस्वरूप उनके अनेक ग्राहक भी नष्टप्राय हो गये।

सरकार एवं सरकारी ट्रेजरी के प्रति लोगों का अविश्वास बढ़ गया एवं कोई भी अब ट्रेजरी में अपना धन जमा नहीं कराता था। अतः कुछ वर्षों के पश्चात् शासक ने सी हुई राशि को ऋण के रूप में स्वीकार कर ली और 6% वार्षिक ब्याज देना भी दायित्व लिया। बाद में सन् 1683 से ब्याज का भुगतान भी बंद कर दिया गया और ऋण की मान्यता वापिस ले ली। सन् 1705 में ऋण को पुनः स्वीकार कर लिया गया। इस ऋण का कमी भी भुगतान नहीं किया गया यद्यपि आज भी राष्ट्रीय ऋण (National Debt) में प्रथम मद, 'Goldsmith Bankers' Debt' के रूप में यह राशि दिखलाई जाती है।

सन् 1672 के सक्कट ने अनेक स्वणकारों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया, उनमें से जो शेष रह गये उनमें सर फ्रांसिस चाइल्ड का नाम उल्लेखनीय है जो बैंकिंग व्यवसाय के पिता (The Father of the Banking Profession) के नाम से प्रसिद्ध थे। यह प्रथम स्वणकार थे जिन्होंने स्वणकार-व्यवसाय एवं मुद्रा उधार देने का कार्य बंद करके तथाकथित बैंकर के रूप में कार्य करना लग्य। सत्रहवीं शताब्दी के अंत तक 70 या 80 स्वणकार शेष रह गये। सन् 1801 में 68 निजी बैंकर थे जो पहले स्वणकार थे। उनमें से कुछ का अस्तित्व आज भी है। उदाहरण के लिए सी. होरे एण्ड कम्पनी (C. Hore & Co.) की फर्म आज भी विद्यमान है जो सन् 1683 में स्वणकारों की फर्म के रूप में स्थापित हुई थी।

संयुक्त पूंजी वाले बैंक

सन् 1694 में बर्कलेज बैंक लि० (Barclays Bank Ltd) स्थापित हुआ, इस ही वर्ष बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना भी की गई थी। लंदन के अतिरिक्त कुछ प्रान्तीय बैंक भी स्थापित किए गये। सन् 1750 में कुल 12 प्रान्तीय बैंक थे जब कि इनकी संख्या बढ़ कर सन् 1821 में 781 हो गई। ये समस्त निजी बैंक थे। बक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के केवल एक वर्ष बाद ही सन् 1695 में बक ऑफ एडिनबर्ग की स्थापना एडिनबर्ग (Edinburgh) में की गई।

सन् 1707 में एक एक्ट पास किया गया जिसके अंतर्गत यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के अतिरिक्त निजी सार्वभौमिक के रूप में बैंकिंग कम्पनियाँ स्थापित की जा सकती हैं किन्तु सार्वभौमिक की संख्या 6 से अधिक नहीं

प्रमुख देशों की बकिंग प्रणालिया

हो सकेगी। व्यवहार में केवल कुछ ही ऐसी बकिंग कम्पनियों में सदस्यों की संख्या 6 थी, अन्यथा इनकी संख्या 6 से प्रायः कम ही होती थी।

ये बैंक बहुत कमजोर थे क्योंकि इनके द्वारा बकिंग व्यवसाय में लगाई जाने वाली पूंजी अपर्याप्त थी और साथ ही वे केवल अन्य व्यवसाय भी करते थे। सन् 1808 के पश्चात् यह आवश्यक कर दिया गया कि यदि वे नोट निगमन करना चाहें तो लाइसेंस लेकर ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क 30 पाउंड था और नोटों पर स्टाम्प कर देना पड़ता था। वे कितनी ही मात्रा में नोटों का निगमन कर सकते थे। एक पाउंड से कम अंकित मूल्य के नोट निगमन पर प्रतिबंध था।

लगभग सौ वर्षों तक इंग्लैंड में केवल 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' ही संयुक्त-पूंजी वाला बैंक (Joint Stock Bank) था। सन् 1815 में नपोलियन युद्ध की समाप्ति के पश्चात् मदीनाल में अनेक बैंक फेल हुए किंतु फल होने वाले बैंकों में संयुक्त पूंजी वाले बैंकों की संख्या कम थी जबकि 200 से भी अधिक निजी बैंक फल गये। इसी प्रकार सन् 1825-26 के बकिंग संकट के समय भी लगभग 80 निजी बैंक बंद हो गये जबकि संयुक्त पूंजी वाला एक भी बैंक फेल नहीं हुआ। अतः संयुक्त पूंजी वाले बैंक अधिक शक्तिशाली समझे जाने लगे।

सन् 1826 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि लंदन से 65 मील की परिधि के बाहर संयुक्त पूंजी वाले बैंक स्थापित हो सकते हैं। इसका अर्थ यह था कि लंदन में अथवा लंदन से 65 मील दूर तक के क्षेत्र में कोई संयुक्त पूंजी वाला बैंक स्थापित नहीं हो सके। ये संयुक्त पूंजी वाले बैंक असीमित वार्षिक (unlimited liability) वाले ही स्थापित हो सकते थे। इन बैंकों को नोट निगमन का अधिकार प्राप्त था। बैंक ऑफ इंग्लैंड को लंदन से बाहर शाखाएँ खोलने का अधिकार दे दिया गया।

सन् 1832 तक लंदन में संयुक्त पूंजी वाला एक भी बैंक नहीं था। इसका एक प्रमुख कारण था। बैंक ऑफ इंग्लैंड के चार्टर की शर्तों में यह माना जाता था (assumed) कि इंग्लैंड के निकटवर्ती क्षेत्र में संयुक्त पूंजी वाले बैंकों की स्थापना पर निबंध था। सन् 1832 में 'यायापोश जॉप्लिन (Joplin) ने वास्तव में व्यापारिक जगत की बड़ी सेवा की जबकि उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड के चार्टर को पुनः ध्यान से पढ़कर (Re-reading) ध्यास्या की कि संयुक्त पूंजी वाले बैंक लंदन में स्थापित हो सकते हैं यदि वे नोट-निगमन नहीं करें। इससे लंदन में बकिंग व्यवसाय पर संयुक्त पूंजी वाले बैंक का एकाधिकार टूटता था। अतः इसने अपने चार्टर को उच्च वर्धनिक परामर्श के लिए भेजा जहाँ जॉप्लिन के दृष्टिकोण को पुष्टि की गई।

अतः सन् 1833 में जब बैंक ऑफ इंग्लैंड के चार्टर को नवीनीकरण (Renewal) के लिए भेजा गया तो उसमें जॉप्लिन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक प्रावधान और जोड़ दिया गया। इस प्रकार सन 1833 में एक अध्यापक पास किया गया जिसने संयुक्त पूंजी वाले बैंकों को इंग्लैंड से 65 मील की

परिधि में स्थापित होने पर से प्रतिबन्ध हटा लिया, अर्थात् अब कोई भी संयुक्त पूजी वाला बैंक, इंग्लैण्ड अथवा निक्टवर्ती क्षेत्र में भी स्थापित हो सकता था। इस प्रकार, इस क्षेत्र में बैंक ग्रॉफ इंग्लैण्ड का, संयुक्त-पूजी वाले बैंक के रूप में, एकाधिकार सन् 1833 में समाप्त हो गया।

बैंक ग्रॉफ इंग्लैण्ड के इस एकाधिकार की स्पष्ट समाप्ति से, आरम्भ में संयुक्त पूजी वाले बैंक लंदन की ओर आकर्षित नहीं हुए किंतु फिर भी प्रांतों में इन बैंकों की सफलता ने आकर्षण प्राप्त किया। सन् 1834 में लंदन में केवल एक ही संयुक्त पूजी वाला बैंक था और सन् 1844 तक केवल 5 ऐसे बैंक ही लंदन में स्थापित हो सके। सन् 1844 में 'बैंक चाटर एक्ट' बनाया गया।

सन् 1862 से बैंकिंग विकास का और अधिक प्रोत्साहन मिला जबकि 'सीमित दायित्व' (Limited Liability) का सिद्धांत बैंकों पर भी लागू हो गया।

'बड़े चार' बैंक (The 'Big Four' Banks)

इंग्लैण्ड में, सन् 1967 तक, पांच सबसे बड़े बैंक थे जिनको 'बड़े पांच' (The Big Five) कहा जाता था, उनका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित तालिका में पात होगा—

नाम	प्रधान कार्यालय	स्थापना का वर्ष	शाखाएँ	अशुधारी
1 यकलेज बैंक लि०	लंदन	1694	2421	89,000
2 लॉयड्स बैंक लि०	लंदन	1765	2110	79,000
3 नेशनल प्रोविशियल बैंक लि०	लंदन	1833	1610	70,000
4 वैंस्टमिनिस्टर बैंक लि०	लंदन	1834	1340	68 000
5 मिडलैंड बैंक लि०	लंदन	1836	2533	92,000

सन् 1968 में नेशनल प्रोविशियल बैंक लि० तथा वैंस्टमिनिस्टर बैंक लि० का एकीकरण 'नेशनल वैंस्टमिनिस्टर बैंक' के नाम से हो गया। इस प्रकार इंग्लैण्ड में 'बड़े पांच' के स्थान पर 'बड़े चार' ही रह गये हैं। ये बड़े चार स्कॉटलैंड के चार बैंकों में से 3 बैंकों पर नियंत्रण रखते हैं। स्कॉटलैंड में केवल चौथा बैंक 'बैंक ऑफ स्कॉटलैंड' स्वतंत्र है।

बड़े चार बैंकों में तीन बैंक तो ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक की 3,000 से अधिक शाखाएँ हैं, इनमें चौथा सबसे छोटा बैंक लायड्स बैंक है जिसकी 2000 से अधिक शाखाएँ हैं।

इंग्लैंड में व्यापारिक बैंक

इंग्लैंड में तो यहाँ से भी अधिक समय तक चलते 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' ही समुक्त-पूजी वाले बैंक था क्योंकि इस प्रकार के अन्य बैंकों की स्थापना पर प्रतिबंध था। सन् 1826 के चाटर्स एक्ट ने समुक्त पूजी वाले बैंकों की स्थापना पर प्रतिबंध हटा दिया किन्तु लग बँक एक्ट ने 65 मील की परिधि से बाहर ही स्थापित होने पर नये। सन् 1833 के चाटर्स ने यह प्रतिबंध भी हटा दिया।

इंग्लैंड में बैंकिंग प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ हैं—(i) शाखा-बैंकिंग (Branch Banking) और (ii) एकीकरण (Amalgamation)

इंग्लैंड में शाखा-बैंकिंग का प्रसार आरम्भ में मंद-गति से हुआ। सन् 1865 में सदन एण्ड वाउटरी बैंक की 127 शाखाएँ थीं, और अन्य दो बैंकों की लगभग 30 शाखाएँ थीं। सन् 1890 में नौ बैंकों में से प्रत्येक की लगभग 50-50 शाखाएँ थीं और देश में कुल 900 से कुछ ही अधिक शाखाएँ थीं।

सन् 1913 तक शाखा-बैंकिंग पर्याप्त लोकप्रिय हो गई। उस समय 27 समुक्त-पूजी वाले बैंकों की 6,000 से अधिक शाखाएँ थीं। यद्यपि उस समय (सन् 1913 में) 60 निजी बैंक भी कार्य कर रहे थे जिनकी कुल शाखाएँ करीब 400 थीं।

प्रथम विश्व-युद्ध के तुरन्त पश्चात् एकीकरण के द्वारा इंग्लैंड में 'पाँच बड़े बैंक' हो गए। ट्रेंजरी-कमेटी ने यह परामर्श दिया कि बिना इसकी पूर्व अनुमति के आगे कोई भी बैंक का एकीकरण नहीं किया जाय। इसके पश्चात् प्रथम महत्वपूर्ण एकीकरण—नशनल प्रोविडेंशियल बैंक लि० और डिस्ट्रिक्ट बैंक लि०—सन् 1962 में हुआ। इस पश्चात् सन् 1968 में नशनल प्रोविडेंशियल बैंक लि० और स्टामिनिसटर बैंक लि० बना और बैंक नज बैंक लि० तथा माटिस बैंक लि० का एकीकरण हुआ।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि इंग्लैंड की बैंकिंग प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता है—बड़ा बैंक और शाखाएँ, जो सम्पूर्ण देश में फैली हुई हैं।¹ समुक्त राज्य अमेरिका से यह विशेषता बिल्कुल भिन्न है। समुक्त राज्य अमेरिका में इकाई बैंकिंग प्रणाली है जहाँ लगभग 4000 बैंक हैं जिनमें से अधिकांश की एक-एक शाखा भी नहीं है। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्धों के मध्य इकाई बैंकिंग की कमजोरी

1 The most important feature of the British banking system is the large bank with branches scattered throughout the country

म्प्ट लिखाई दी जबकि उस अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका में 7000 से भी अधिक बैंक फेल हुए जबकि इंग्लैंड में एक भी बैंक फेल नहीं हुआ।

व्यापारिक बैंक के कार्य

अन्य देशों के व्यापारिक बैंकों के कार्यों की भांति इंग्लैंड के इन बैंकों के भी कार्य हैं। अतः संक्षेप में इनका विवरण यहाँ दिया जा रहा है—

1. निक्षेप प्राप्त करना (Acceptance of Deposits)—जनता से निक्षेप के रूप में उनका धन प्राप्त करना बैंकों का सबसे पुराना कार्य है। ये निक्षेप बैंक की प्रमुख देनदारी (Liability) होती है। इंग्लैंड के बैंक भी तीनों प्रकार के खाता-चालू खाता समय निक्षेप और बचत खाते में जनता से निक्षेप राशियों पर बैंक ब्याज भी देते हैं। ब्याज की न्यूनतम दर आधा प्रतिशत है व अधिकतम दर बैंक-दर से 2 प्रतिशत कम रहती है। नोच की तालिका में लदन-समाशोधन-बैंकों के कुल निक्षेपों की विभिन्न वर्षों में मात्रा बतलाई गई है—

कुल निक्षेप

वर्ष	मिलियन पाँड	वर्ष	मिलियन पाँड
1844	50	1961	7,350
1900	734	1963	8,337
1913	962	1965	8,782
1938	2,277	1967	9,412
1945	4,692	1968	9,899
1951	6,162	1969	10,013
1960	7,236	1970	10,117

Source — Annual Abstract of Statistics

निक्षेपों का बहुत महत्व होता है। एक अनुमान के अनुसार इंग्लैंड में प्रयोग में आने वाली कुल मुद्रा का लगभग 80% भाग बैंक-निक्षेप ही होते हैं। बैंक इन निक्षेपों से साव्य-सृजन करते हैं। इंग्लैंड के वर्तमान व्यापारिक-बैंक अपने अनुभव से यह जानते हैं कि अपने ग्राहकों को दिए गये ऋणों का लगभग बारहवें भाग के लिए ही नकद-मुद्रा की आवश्यकता होती है अतः यदि बैंक के पास 100 पाँड के निक्षेप हैं तो वह 1,200 पाँड तक के ऋण दे सकता है।¹

2. ऋण व अधिम देना (Loans and Advances)—इंग्लैंड में बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न अधिम्राय की पूर्ति के लिए ऋण व अधिम देते हैं। इनका साधारणतः रूप अधिविषय (Overdraft) है। दूसरा ढंग है—व्यक्तिगत ऋण योजना जिसके अंतर्गत प्रतिभूति रहित (unsecured) ऋण प्रायः 6 महीने से 24 महीने तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं और इनका पुनः ऋणों द्वारा

1 Prof. Edward Nevin has explained it very lucidly in *Text of Economic Analysis* (ed 1970) p 305

समान मासिक किश्ता में किया जाता है। इनके प्रतिरिक्त स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों जीवन बीमा पालिसियों अथवा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण दिए जाते हैं।

ये बैंक इन ऋणों व अग्रिमों पर बैंक-दर से 1 या 2 प्रतिशत से अधिक ब्याज-दर लेते हैं। राष्ट्रीयकृत उद्योगों को दिए गये ऋणों व अग्रिमों पर 4% अथवा बैंक-दर—जो अधिक हो—की दर से ब्याज लेते हैं क्योंकि इन ऋणों व अग्रिमों की सरकार गारंटी देती है।

3 कृषि को ऋण—व्यापारिक बैंक कृषि को भी उधार देते हैं। ऋण अल्पकालीन एवं मौसमी प्रकृति के होते हैं। ये बैंक ही कृषि को मध्यम-कालीन व दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान करते हैं। मध्यम-कालीन ऋण 2 या 3 वर्ष के लिए होते हैं जोकि प्रायः मशीनों व अन्य संबंधित उपकरणों के खर्च के लिए दिए जाते हैं। कृषि के स्वीकृत कार्यों के लिए ये व्यापारिक बैंक 20 वर्ष तक की अवधि के लिए भी ऋण दे दते हैं जैसे कृषि फार्म अथवा भवन खरीदने के लिए। ये उल्लेखनीय है कि विकास के ऐसे अधिकार ऋण 'राष्ट्रीय कृषि सलाहकार सेवा' (National Agricultural Advisory Service) के अनुमोदन पर दिए जाते हैं। एक अधिकृत स्रोत के अनुसार व्यापारिक-बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋणों का लगभग 11% कृषि को दिए जाते हैं।

एक अन्य विश्लेषण के अनुसार दिए जाने वाले कुल ऋणों का लगभग 35% सार्वजनिक क्षेत्र को—ट्रेजरी बिलों की कटौती करने के लिए सरकारी स्टॉक्स में विनियोग करने और राष्ट्रीयकृत उद्योगों को ऋण देकर—दिया जाता है, और शेष लगभग 65% निजी क्षेत्र को दिया जाता है।

4 विनियोग सेवाएँ (Investment Services)—इंग्लैंड के व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को विनियोग की सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं। ये बैंक अपने दलालों के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए स्टॉक एक्सचेंज से प्रतिभूतियाँ व अग्रेषों का खर्च विनियम भी करते हैं। इसी प्रकार अपने ग्राहकों की ओर से ये बैंक नई कम्पनियों व अग्रेषों की खरीदने के लिए आवेदन पत्र भी देते हैं। मार्गों (Calls) का मुतान करते हैं और अतः म अग्रेष प्रमाणपत्र व अन्य अधिकार पत्र भी प्राप्त करते हैं।

निश्चित स्वीकृत शर्तों पर ये बैंक नई कम्पनियों के प्रविवरण (Prospectus) पर उनके बैंक के रूप में अपना नाम मुद्रित कर देने की अनुमति दे दते हैं। ये बैंक ऐसी कम्पनियों की ओर से अग्रेष-आवेदनपत्र प्राप्त कर लेते हैं एवं अग्रेष आवश्यक निर्देशों वा भी पालन करते हैं।

5 ट्रस्टी व निष्पादक का कार्य (Trustee and Executor)—इंग्लैंड के अधिकार व्यापारिक-बैंक ट्रस्टी व निष्पादक का कार्य करने के लिए पृथक विभाग रखते हैं और कुछ बैंक इस कार्य को करने के लिए यह कार्य करने वाली कम्पनियों से सम्बद्ध (Affiliated) हैं। ये बैंक बहुत कम शुल्क लेकर ट्रस्टी निष्पादक व परामर्श देने के सभी प्रकार के कार्य करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है

और वसीयत नहीं करता है तो उमका निवृत्ततम सम्बन्धी बैंक को उसकी सम्पत्ति (estate) का प्रशासक नियुक्त कर देता है और वह क नियमानुसार समस्त काय करता रहता है अथवा यदि कोई व्यक्ति वसीयत तो कर जाना है किंतु किसी निष्पादक की नियुक्ति नहीं कर जाता अथवा बाद में वह निष्पादक काय करने से इन्कार कर देता है तो व्यापारिक-बैंक सम्बन्धित व्यक्तियों को सहमति से प्रशासक का काय करना स्वीकार कर लेता है। इंग्लैंड के कानून के अनुसार एक प्रशासक को सम्पत्ति (estate) के दोमुने मूल्य के लिए प्रोवेट अधिकारियों को एक बॉर्ड देना पड़ता है और एक प्रतिभूति (surety) का प्रवचन करना पड़ता है। अतः बैंक को यह औपचारिकताएँ पूरी करने में असुविधा नहीं होती है।

ट्रस्ट के अन्तर्गत एक घोषणा-पत्र देकर, व्यापारिक-बैंक विनियोगों और धन पर निगरानी रख सकते हैं। अनेक निर्जीव-कम्पनियाँ जो पणन-कोष स्थापित करना चाहती हैं वे बैंक को अभिरक्षक-ट्रस्टी (custodian trustee) एवं विनियोग परामर्शदाता नियुक्त कर देती हैं।

5 विदेशों में मुद्रा का स्थानांतरण (Remitting Money Abroad)—अनेक व्यक्तियों को इंग्लैंड से विदेश में धन भेजने की आवश्यकता पड़ती है। अतः व्यापारिक बैंक से 'ड्राफ्ट' (धनार्थ बैंक-चक) खरीदा जा सकता है। ये ड्राफ्ट जिस देश में देय होने हैं प्रायः उस देश की मुद्रा में खींच (are drawn) जाते हैं और ग्राहक के खात को प्रचलित विनियम की दर से स्टर्लिंग में डबिट कर दिया जाता है। यह सीधा व सस्ता साधन है। इसके अतिरिक्त ये बैंक धन का विदेश में हस्तान्तरण डाक द्वारा अथवा तार (mail or cable) द्वारा भी करते हैं।

6 यात्रियों को सुविधाएँ—इंग्लैंड में और विदेश में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना व्यापारिक-बैंक की विशेषता है। इंग्लैंड में अथवा विदेश में बैंक की किसी भी शाखा से धन प्राप्त करने के लिए यात्री को अनेक साधन उपलब्ध हैं, अतः उन्हें अपने साथ-साथ सब स्थानों पर बड़ी मात्रा में मुद्रा ले जाने की आवश्यकता नहीं होती।

यात्रियों को 2, 5, 10, 20 और कभी-कभी 50 पाँड के अक्षित-मूल्य के यात्री चक (Travellers Cheques) नियमित किए जाते हैं। इन चकों की राशि न केवल बैंक की किसी भी शाखा से प्राप्त की जा सकती है बल्कि प्रायः ब्रिटिश रेलवे प्रमुख जलयान कम्पनियाँ, वायुयान कम्पनियाँ और बड़े होटल भी मुग्तान के रूप में स्वीकार कर लेती हैं।

इसी प्रकार, व्यापारिक-बैंक साख-पत्र (Letters of Credit) भी नियमित करती हैं। ये यात्री-चक के समान ही होते हैं। यदि बड़ी मात्रा में मुद्रा ले जाना होता है तो ये साख-पत्र अधिक सुविधाजनक होते हैं।

विदेशों में जाने वाले यात्रियों को इंग्लैंड के व्यापारिक-बैंक उन् देश की कुछ मुद्रा भी पहन हा दे देते हैं ताकि उम देश में पहुँचने ही यात्री का असुविधा नहीं उठाना पड़े।

7 वस्तुओं को सुरक्षित रखना—बक अपने ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुएं जैसे प्रतिभूतियाँ, वसीयतनामे जवाहिरात, सोना महत्वपूर्ण दस्तावेज व अन्य ऐसी ही वस्तुएं अपने पास सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान करता है। इनका निर्यात व को के पास मजबूत कमरे (strong rooms) होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की इस्पात की तिजोरियाँ होती हैं। ग्राहक को सम्पत्ति तिजोरी की चाबी दे दी जाती है। इस प्रकार तिजोरी की सुरक्षा का भार बक पर रहता है और उसने सचानक का अधिकार ग्राहक व दूकानदार जो ब निगम-समय व पश्चात् बड़ी मात्रा में मुद्रा

का लेन-देन करते हैं उनके लिए अपने शाखायात्रा पर 'रात्रि तिजोरियों' की सुविधा भी दी जाती है। बक की बाहरी दीवार में पातु का एक छोटा सा द्वार होता है जिससे पीछे एक नाली-सी होती है जो बक के मजबूत कमरे से जुड़ी हुई होती है। जो ग्राहक इस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं उन्हें पक्के की एक थली दे दी जाती है जिसमें मुद्रा व नोट रखने के पश्चात् ताला लगा दिया जाता है और इनके वापस उस नाली में डाल दी जाती है और वह मजबूत कमरे में पहुँच जाती है। प्रत्येक दिन ग्राहक को वह थली दे दी जाती है और वह धन को अपने राते में जमा करा देता है।

8 बक गिरो (The Bank Giro)—सन् 1960 से व्यापारिक बैंक ने अपने ग्राहकों को एक नई सेवा प्रदान की है, जिसके द्वारा ग्राहक अपने लेनदारों को हस्तांतरण-विधि से भुगतान कर देते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत ग्राहक अपने सभी लेनदारों को भुगतान में प्रत्येक-प्रत्येक चक लिए कर नहीं देता, बल्कि वह अपने लेनदारों के खाते में बकाया राशि (sum due) हस्तांतरण करने का निर्देश दे देता है और कुल राशि का एक चक लिखकर बक को दे देता है। साथ ही ग्राहक अपने लेनदारों को एक सूची—जिसमें स्पष्ट उल्लेख होता है कि किस लेनदार के खाते में कितनी राशि हस्तांतरित की जाय और उस लेनदार का खाता किस बैंक अथवा शाखा में है—अपने बक को देता है। जो व्यक्ति बक के ग्राहक नहीं हैं यदि वे चाहें तो एक साधारण शुल्क देकर इस सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। इस सेवा के लिए पहले बक कुछ शुल्क चार्ज करत थे किन्तु मार्च 1967 से अपने ग्राहकों का नि शुल्क सेवा प्रदान करने लगे हैं।

9 साख-काड प्रादि का निगमन (Credit Cards etc)—कुछ बैंक अपने विशिष्ट ग्राहकों को साख-काड भी प्रदान करने लगे हैं। इस काड के स्वामी को यह सुविधा हो जाती है कि वह इस योजना में भाग लेने वाली दूकानों व अन्य व्यवसाय गृहों में अपना साख-काड दिखाकर माल प्रादि उपार खरीद सकता है और उधार लिए गए माल के बिलों पर हस्ताक्षर कर देता है। बक ऐसे बिलों के भुगतान को गारंटी देता है। इन बिलों को समय-समय पर दूकानदारों द्वारा बक में प्रस्तुत किया जाता है और बक उनका भुगतान कर देता है।

10 विदेशी व्यापार की सुविधा—इंग्लैंड के कुछ बड़े व्यापारिक बक विदेशी व्यापार में भी सहयोग प्रदान करते हैं अतः उन्होंने अपने बक में विदेशी-व्यापार से सम्बन्धित कार्यों के लिए पृथक विभाग भी खोल दिया है। इन बकों ने विदेशी में भी अपनी शाखाएँ स्थापित कर दी हैं और जहाँ उनकी शाखाएँ नहीं हैं वहाँ उन्हें अपने प्रतिनिधि (Correspondents) नियुक्त कर दिए हैं।

विदेशो मे इंग्लैंड के बैंक

इंग्लैंड मे ऐसे अनेक बक हैं जो विदेशो मे भी काय करत हैं। लंदन मे लगभग 110 से 120 ऐसे बैंक हैं जिनका अधिकांश व्यापार विदेशो मे ही है। इनमे से लगभग 33 बक ऐसे हैं जो ब्रिटिश ओवरसीज एण्ड कामनवेलथ बक्स एसोसिएशन (B O C B A) के सदस्य हैं। B O C B A पांच भौगोलिक क्षेत्रो मे विभक्त है—आस्ट्रेलिया व एशिया, सुदूर पूर्वी कनडियन, अफ्रीकन और प्रयक्षत्र। इनमे से अनेक बक उन्नीसवीं शताब्दी मे स्थापित हुए थे।

ये बक मुख्यतः विदेशी विनिमय एवं इंग्लैंड व उस देश (जहा वे स्थित है) के मध्य व्यापार को वित्तीय सेवायें प्रदान करते हैं। साथ ही मे उन देशो में साधारण बैंकिंग व्यवसाय भी करते हैं। द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् अनेक देश स्वतंत्र हो गए और उन देशो ने अपने केन्द्रीय बक स्थापित कर लिए, बैंकिंग अधिनियम बना लिए और स्वदेश के बक को प्रोत्साहन दिया। किन्तु फिर भी ये बक महत्वशील हैं और उनके व्यवसाय मे वृद्धि हुई है। ऐसे 15 बैंको की सूची निम्नांकित है—

15 Overseas British Banks

बक का नाम	प्रधान कार्यालय	शाखाएँ	देश
1 चक्रेज बक (डी सी आ) (बक्रेज बक लि० से संबद्ध)	लंदन	1420	45 देशो मे
2 आस्ट्रेलिया एण्ड यूजीलंड बक लि०	लंदन	1045	आस्ट्रेलिया व न्यूजिलैंड
3 स्टैंडर्ड बक लि०	लंदन	1100	दक्षिणी अफ्रीका
4 चाटर्ड बक	लंदन	111	30 देशो मे
5 बक ऑफ लंदन एण्ड माउथ अमेरिका लि०	लंदन	85	उत्तरी अमेरिका के 22 देशो मे
6 नेशनल एण्ड प्रिन्सिपल बक लि० (लायड्स बैंक लि० से संबद्ध)	लंदन	190	एशिया व अफ्रीका के 10 देश
7 इंग्लिश स्टॉकिंग एण्ड आस्ट्रेलियन बक लि०	लंदन	507	आस्ट्रेलिया
8 बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीका	लंदन	80	साउथ अफ्रीका
9 हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन	लंदन	78	एशिया यूरोप व साउथ अमेरिका के 20 देशो मे
10 मर्कैंटाइल बक लि०	लंदन	41	एशिया के 9 देशो मे
11 ब्रिटिश बक ऑफ दि मिडिल ईस्ट	लंदन	33	मध्य पूर्व व मोरक्को के 12 देशो मे
12 ईस्टन बक लि०	लंदन	22	एशिया के 11 देशो मे
13 लायड्स बैंक यूरोप लि०	लंदन	15	फ्रांस व स्विट्जरलैंड
14 बक लेज बक (फ्रांस) लि०	लंदन	13	फ्रांस
15 वेस्टमिनिस्टर फॉरेन बक लि०	लंदन	7	फ्रांस और बेल्जियम

इंग्लैंड मे विदेशी बक

इंग्लैंड मे अनेक विदेशी बको ने भी अपनी शाखायें अथवा कार्यालय स्थापित कर लिए हैं। लंदन न केवल इंग्लैंड का वरन् अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे प्रमुख वित्तीय केन्द्र है। लंदन मे लगभग 75 देशो के बक हैं।

आशय—मर्चेन्ट-बैंक शब्द का प्रयोग आजकल विस्तृत रूप में हो रहा है। मर्चेन्ट बैंक का प्रयोग कभी उन बैंकों के लिए भी कर लिया जाता है जो 'मर्चेन्ट नहीं हैं, और कभी उन मर्चेन्ट्स के लिए कर लिया जाता है जो 'बैंक' नहीं हैं और कभी उन गृहों के लिए कर लिया जाता है जो न तो 'मर्चेन्ट' हैं और न बैंक हैं।

रोजर ओरसिंगर (Roger Orsingher) ने मर्चेन्ट-बैंक की परिभाषा इस प्रकार दी है, 'मर्चेन्ट बैंक वे फर्म हैं जिन्होंने विनिमय बिलों की स्वीकृति में विशिष्टता प्राप्त कर ली है।' (The merchants' banks are firms specialising in the acceptance of bills of exchange)

प्रमुख प्रकार का कार्य करने के कारण कुछ मर्चेन्ट बैंकों को 'स्वीकृति गृह' (accepting houses), कुछ का निगमन गृह (issuing houses), और कुछ को बट्टा गृह (discount houses) भी कहते हैं। दूसरे शब्दा में स्वीकृति गृह निगमन-गृह और बट्टा-गृह—ये सभी मर्चेन्ट बैंक की श्रेणी में आ जाते हैं।

मर्चेन्ट बैंकों का उदय—कुछ मर्चेन्ट-बैंक निजी-व्यवसायिक रूप-सामुदायिक व्यवसाय निजी कम्पनियों में हैं और कुछ सीमित-नायिक वाली कम्पनियों के रूप में। इनकी व्यापारिक क्रियाओं के साथ ही साथ इन्होंने बँकिंग के वित्तीय पक्षों का भी विकास किया। व्यापारों के रूप में वे प्रायः विशेष प्रकार की वस्तुओं का ही व्यापार किया करते थे और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने उन धरो (arses) में व्यापार की विशिष्टता प्राप्त कर ली जहाँ सब वस्तुएँ प्राप्त की जाती थी जिनमें बंगाल धातु में जूट के व्यवसाय या आसाम क्षेत्र में चाय का व्यवसाय। अतः उन्होंने ऐसे क्षेत्रों के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में या तो अपनी शाखाएँ स्थापित कर दीं अथवा अपने एजेंट नियुक्त कर दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि विश्व के जिन भागों में उनका व्यापार था उस भाग के व्यापारियों की माँग के वित्तीय स्थिति के विषय में इन मर्चेन्ट बैंक बहुत ही जान थे।

इस ज्ञान के आधार पर वे विश्व के प्रायः सभी भागों के ऐसे प्रमुख व्यापारियों की शक्ति-योग्यता (Credit worthiness) के विषय में बतला सकते थे

जिनके विषय में अपने संबंधित देश के प्रतिरिक्त भ्रय देशों में उनके नाम से भी व्यापारी परिचिन नहीं थे।

इन व्यापारियों (merchants) ने अपनी इस स्थिति का लाभ उठाया। विदेशी-व्यापार में विदेशी-व्यापारी पर लिखे गये विनिमय विपत्रा (Bills of Exchange) को, उसकी प्रार से ये मर्चेन्ट्स अपनी 'स्वीकृति' (acceptance) प्रदान करने लगे, क्योंकि ये मर्चेन्ट्स विदेश में उस व्यापारी की सान्. एव वित्तीय साधनों से परिचित हात थे। वे अपनी इस सेवा (स्वीकृति प्रदान करने) के प्रतिफलस्वरूप कमीशन प्राप्त करते थे। इस कमीशन की गणना विनिमय विपत्र की राशि के एक निश्चित प्रतिशत की दर से की जाती थी। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के साथ यह 'स्वीकृति' का काय भी बहुत अधिक बढ़ गया। कई मामला में तो यह देखा गया कि इस काय से इतना अधिक लाभ होन लगा कि उन मर्चेन्ट्स का मूल-व्यापार तों गौण हो गया और स्वीकृति करने का काय प्रधान हो गया।

लंदन, विश्व के व्यापार एव वित्त का प्रमुख केन्द्र होने के कारण यहा अन्य देशों से भी व्यापारी आकर स्थापित हो गये। कुछ व्यापारी तो नपोलियन-युद्ध के समय ही लंदन में आकर बस गये थे और उसके पश्चात् भी क्रमश आकर बसने लगे। दूसरी ओर, इंग्लैंड से और मुख्यत लंदन के अनेक व्यापारियों ने विदेशों में अपनी शाखाएँ स्थापित की अथवा एजेंट नियुक्त किए।

प्रमुख मर्चेन्ट बक्स—अन्तर्राष्ट्रीय स्थािति एव बहुत पुरान मर्चेन्ट बैंक में से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| (1) ब्राउन शिपले एण्ड कम्पनी | (2) एटोनी गिन् एण्ड सन्स लि०, |
| (3) बार्सिल ब्रदर्स एण्ड क० लि०, | (4) हिल सेम्युल एण्ड क० लि० |
| (5) लेजाड ब्रदर्स एण्ड क० लि० | (6) एस जपहेट एण्ड क० लि० |
| (7) गुइननस मेहन एण्ड क० लि०, | (8) विलम्वट बनसन लि० |
| (9) हैम्ब्रोस बैंक लि० | (10) सेम्युन मोटगु एण्ड क० लि० |
| (11) एस जी वारबग एण्ड क० लि० | (12) मीरगन ग्रनफल एण्ड क० लि० |

स्वीकृति गृह (Accepting Houses)

कुछ मर्चेन्ट-बैंक में न मिलकर अपना स्वीकृति-गृह बना लिया है। इंग्लैंड में इस समय 17 स्वीकृति गृह हैं। इस प्रकार स्वीकृति गृह मर्चेन्ट-बैंक हैं जिन्होंने विनिमय विपत्रों के स्वीकर्ता (acceptor) के रूप में पयाप्त स्थािति अर्जित कर ली है। इनका प्रमुख कार्य विनिमय विपत्रों पर अपनी 'स्वीकृति' देना है।

वास्तव में 'स्वीकृति' (acceptance) किसी स्वीकृति गृह के नाम के उपयोग का विक्रम है क्योंकि इस दशा में स्वीकृति गृह इस बात की गारंटी देता है कि विनिमय विपत्र परिपक्वता पर (on maturity) अग्रतिष्ठित नहीं हागा और यदि किसी कारणवश हो भी गया तो स्वीकृति गृह उमका भुगतान करेगा। व्यवहार में यह देखा गया है कि विदेशी-व्यापारी लंदन के किसी एक या अधिक स्वीकृति गृह

के यहा अपना स्वीकृति साम्य पाता खोन लेत हैं । अब यदि वह व्यापारी इगलड के किसी व्यापारी से माल खरीदता है तो विक्रेता को माल के मूल्य के विनिमय विपन्न को ऋता के पास 'स्वीकृति के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं, बरन् लग्न म स्वीकृति-गृह उसे स्वीकृत' कर लेगा ।

इन स्वीकृति गृहों द्वारा स्वीकृत विनिमय विपन्नों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जोखिम प्राय विलुप्त नहीं रहती । इन विनिमय विपन्नो को बिना किसी कठिनाई के बट्टे पर मुनाया जा सकता है ।

बैंक आफ इगलड भी इन स्वीकृति-गृहों के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने म सहायक गिड हुआ है । कुछ चुन हुग स्वीकृति गृहों द्वारा स्वीकृत विनिमय विपन्नों की बक आफ इगलड म पुनकटौती करवा जा सकती है । अत ऐसे बिला की लग्न म बढौती बहुत नीची दर स हो जाती है अर्थात् उस विनिमय विपन्न का मूल्य अधिक मिल जाता है ।

यद्यपि विनिमय विपन्ना को स्वीकृत करना इन मर्चेन्ट-बक्स का विशिष्ट काय है, तथापि वे अन्य यकिग काय भी करत हैं जस निक्षेप स्वीकार करना, ऋण व ऋधिम देना आदि । यह उल्लेख नीय है कि पिछले लगभग 50 वर्षों से दग के व्यापारिक बंका ने इन स्वीकृति गृहों पर आक्रमण (have invaded) कर दिया है, क्योंकि व्यापारिक-बंको ने भी विनिमय विपन्नो की स्वीकृति का काय आरम्भ कर दिया है । स्वीकृति-गृह को कितनी मात्रा मे काय मिलता है, यह इन बात पर निर्भर है कि लदन म अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कितनी मात्रा आती है और विशेषत उस वस्तु का व्यापार जिसके वित्त प्रवध म इहोने विशिष्टता प्राप्त की है ।

इन मर्चेन्ट बंको को समाशोधन बंको और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रो स प्रतिस्पर्धा करनी पडती है अत वे अय प्रकार के काय भी करतें हैं जैसे विनिमय विपन्ना को बढा काटने का काय प्रयवा नई प्रतिभूतिया के निगमन आदि का काय ।

पुष्टिकरण गृह का काय—ये स्वीकृति गृह उपरोक्त के अतिरिक्त, पुष्टिकरण गृह (confirming house) का काय भी करत हैं । इगलड व निर्माता को विदेशी ऋता की ओर से यह आश्वासन दते हैं व उत्तरदायित्व भी लेत हैं कि वह (विदेशी ऋता) माल की गुणुदगी लेगा और उस माल के मूल्य का मुगतान भी करेगा । इसके लिए ये निर्यात साल गारटी विभाग स उस विदेशी ऋता द्वारा माल न स्वीकार करन की दशा मे जोखिम का बीमा करा लेत हैं । य पुष्टिकरण गृह निर्माता अथवा निर्यातक को एक आदेश-पत्र (order sheet) भेजता है जिसम विदेशी ऋता के द्वारा प्र पित आदेश की पुष्टि की जाती है । इसका प्रभाव यह होता है कि निर्माता अथवा निर्यातक वह आदेश पुष्टिकरण गृह का मानता है और यह नहीं मानता है कि वह आदेश विदेशी विक्रेता ने दिया था ।

अपने विस्तृत अनुभवों के आधार पर स्वीकृति गृहों को सामुद्रिक जहाज से माल भेजने का व उससे संबंधित समस्याओं का बहुत ज्ञान रहता है । अत स्वीकृति गृह इससे संबंधित काय भी करतें हैं ।

निगमन गृह का कार्य—निगमन गृह (issuing houses) एक अग्र्य समूह है जिसमें स्वीकृति गृह अग्र्य मर्चेन्ट बैंक व कुछ अन्य फर्म सम्मिलित हैं। ये निगमन गृह कम्पनियों की पूजा से संबंधित व्यवहारों में विशिष्टीकरण प्राप्त किए होती हैं।

नई कम्पनियों के अग्र्य निगमन में प्रायः निगमन गृह एसोसियेशन (Issuing Houses Association) के सदस्य विशेष दिलचस्पी लेते हैं। इस एसोसियेशन की स्थापना सन् 1945 में की गई थी तथा यह विभिन्न कम्पनियों द्वारा अग्र्यों के संबंध में परामर्श देता है। इस एसोसियेशन के इस समय लगभग 50-60 निगमन गृह सदस्य हैं जिनमें से 16 स्वीकृति-गृह हैं जो इसके सदस्य हैं।

नई कम्पनी की स्थापना अथवा विद्यमान कम्पनी का विकास, अथवा निजी कम्पनी को सावजनिक कम्पनी में परिणत करने की दशा में, अग्र्यों का सम्पूर्ण निगमन अथवा अदिकाश निगमन व निगमन गृह ले लेते हैं। इसमें उस कम्पनी की पूजा शीघ्र प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात् ये निगमन गृह कुछ ऊँची दर से अग्र्यों को जनता में बेचते हैं। ये निगमन-गृह इस प्रकार अभिगोपक (underwriter) का कार्य करते हैं।

ये निगमन-गृह कम्पनियों के एकीकरण पुनसंगठन, रिजर्व के पूजाकरण, अग्र्य व्यवसाय को लान, सहायक कम्पनियों की स्थापना आदि के संबंध में वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। वे नये निगमन के संबंध में वानूनी परामर्श भी दत्त हैं और स्टॉक-एक्चेंज के नियमों के विषय में जानकारी देते हैं।

इसके अतिरिक्त भूतकाल में विदेशी सरकारों म्युनिसिपलिटियों एवं अन्य संस्थाओं को दिये गये दीघवालीन ऋणों के भुगतान करने वाले एजेंटों के रूप में भी ये मर्चेन्ट-बैंक कार्य कर लेते हैं। ये इंग्लैंड की कम्पनियों के अग्र्यधारियों एवं ऋण-पत्रधारियों (debenture holders) के रजिस्टर भी रखते हैं और उनको लाभान्वय व्याज आदि के भुगतान देने का भी कार्य करते हैं।

ये मर्चेन्ट बैंक इंग्लैंड व बाहर के अपने ग्राहकों के धन के विनियोग का प्रबंध भी करते हैं और उनकी धोर में प्रतिभूतियों को अपने पास सुरक्षित रखते हैं।

विदेशों को ऋण (Overseas Lending)—उन्नीसवीं व बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक लंदन की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय वित्त के समूह में ऐसी थी कि विश्व के अनेक भागों में निगमन-गृहों के माध्यम से ऋण प्राप्त जा सकते थे। इन मर्चेन्ट बैंकों का अग्र्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। अतः यदि उन देशों की सरकारें अथवा व्यापारिक भवन लान में पूजा प्राप्त करना चाहत थी तो वे इन मर्चेन्ट बैंकों से सम्पर्क स्थापित करते थे। उदाहरण के लिए बार्थिंग ब्रदर्स एंड कम्पनी अमेरिका को और हेम्ब्रोस स्कैंडिनेविया को ऋण दत्त थे।

सन् 1930 में मर्चेन्ट बैंकों को विदेशों के लिए लान में पूजा प्राप्त करना बंठित कर दिया गया क्योंकि इसके लिए अग्र्य सरकारें अनुमति लेना आवश्यक होगया।

प्रमुख दशा की बर्निंग प्रणालियां

विदेशी विनिमय बाजार में—लंदन के विदेशी विनिमय बाजार में मर्चेन्ट बैंक का महत्वपूर्ण स्थान है। इस बाजार में केवल 120 अधिकृत विदेशी विनिमय व्यापारी हैं। कुछ ने बायों में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया है जैसे किसी न अपन यहां विदेशी विनिमय विभाग स्थापित कर लिया और साथ में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा देने के बाय में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया। उदाहरण के लिए यात्रिया प्रतिनिधियों आदि को जो विदेश में जा रहे हैं उस देश की मुद्रा प्रदान करना जिससे वहां पहुंचते ही कठिनाई न हो अथवा अन्य बंकों को उनकी आवश्यकतानुसार विदेशी मुद्रा प्रदान करना।

विदेशों में विस्तार—अनेक प्रमुख मर्चेन्ट बैंकों की विदेशों में सहायक कंपनियां (subsidiaries) हैं अथवा अनेक कंपनियों से संबद्ध (affiliated) हैं। इनका विस्तार मुख्यतः दक्षिणी अफ्रीका आस्ट्रेलिया व कनाडा आदि देशों में है। कनाडा में उन्होंने अनेक प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करने में सहयोग प्रदान किया है। इन दिनों इसकी प्रवृत्ति यूरोप में फैलने की दली जा रही है। अनेक मर्चेन्ट बैंक अंतर्राष्ट्रीय किराया-खरीद (hire purchase) वित्त संगठनों से संबंधित हो गये हैं।

यह कहा जा सकता है कि यूरोप के पूंजी बाजार में इनका महत्वहीन स्थान हो जावेगा।

बैंक ऑफ इंग्लैण्ड

पृष्ठभूमि

विश्व के अन्य अनेक केन्द्रीय बँकों की भाँति, बैंक ऑफ इंग्लैण्ड की स्थापना उन बैंकिंग कार्यों को करने के लिए नहीं की गई थी जिनको कि वतमान समय में केन्द्रीय-बँकों के प्रमुख कार्य कहते हैं। अनेक ब्रिटिश सस्थाओं की भाँति इसका विकास भी बदलत हुए विचारा व परिस्थितियों को समन्वित एवं उनको धालन करते हुए, क्रमशः धीरे-धीरे हुआ। आरम्भ में यह केवल एक सयुक्त-मूजी वाला बैंक (Joint Stock Bank) था और धीरे-धीरे यह एक शक्तिशाली केन्द्रीय बैंक हो गया, और देश के अन्य बैंकों की नीति पर इसका नियंत्रण हो गया। किमी भी अर्थशास्त्री के द्वारा केन्द्रीय बैंक के सिद्धांतों के विषय में लिखे जाने के एक सौ तियासी वर्ष (183 वर्ष) पूर्व ही बैंक ऑफ इंग्लैण्ड की स्थापना (सन् 1694 में) हो चुकी थी। वाल्टर बजहोट (Walter Bagehot) पहले व्यक्ति थे जिन्होंने केन्द्रीय-बँकों के सिद्धांतों के विषय में सबसे प्रथम सन् 1877 में 'लॉम्बार्ड स्ट्रीट' (Lombard Street) के नाम से एक प्रकाशन किया।

सन् 1640 तक लंदन के व्यापारी अपने धन को सरकारी टकसाल (जिसे Mint in the Tower कहते थे) में जमा करा देते थे, किन्तु इस वर्ष (सन् 1640 में) इंग्लैण्ड के राजा चार्ल्स प्रथम ने, टकसाल में जमा व्यापारियों के 130 लाख पौंड जब्त कर लिए। अतः अब व्यापारियों का टकसाल पर से विश्वास पूरकता हट गया और वे अपने धन को स्वणकारों (goldsmiths) के पास जमा करने लगे। इसका कारण यह था कि स्वणकारों के पास अपने स्वयं के व्यापार के लिए सुरक्षित-स्थानों की सुविधाएँ थीं। जो व्यापारी अपने धन को स्वणकारों के पास जमा करते थे, स्वणकार उसकी रसीद प्रदान करते थे और जब व्यापारी अपने धन का जितना भाग निकालते थे, स्वणकार उस रसीद पर उसका उल्लेख कर देते थे।

क्रमशः स्वण कारों की सख्या व उनका महत्व बढ़ता गया। ये स्वणकार सरकार के बँकर के रूप में भी अब कार्य करने लग गये थे और सरकार को समय समय पर ऋण भी देने लगे थे। सन् 1672 में ब्रिटिश सरकार इन स्वणकारों की 13 लाख पौंड का ऋण थी। सरकार ने अपने इस ऋण को नहीं चुकाया अतः जनता का सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ गया। अतः रॉयल चार्टर (Royal Charter) के अधीन एक बैंक की स्थापना की मांग बढ़ गई।

बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना—बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 27 जुलाई 1694 को राजल-चाटर (Royal Charter) के अधीन हुई। यह उल्लेखनीय है कि सरकार का इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य व्यापार शक्ति को प्रोत्साहन देना नहीं था बल्कि उस समय इंग्लैंड के साथ फ्रान्स में चल रहे युद्ध के लिए वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। उस समय इंग्लैंड में वित्तियम तृतीय का शासन था।

विलियम पेटरसन (William Paterson) ने, जो कि एक स्कॉट थे, सन् 1691 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के लिए एक योजना (scheme) प्रस्तुत की। किन्तु बैंक ऑफ इंग्लैंड के संस्थापक के रूप में थियोडोर मोन्टेगु (Charles Montagu) (जो बाद में लॉर्ड हेलीफैक्स (Lord Halifax) हो गये) और माइकेल गॉडफ्रे (Michael Godfrey) का है। माइकेल-गॉडफ्रे इस बैंक के प्रथम डिप्टी-गवर्नर थे जिनका प्रभाव नगर में बहुत अधिक था, और उनके प्रभाव के कारण ही बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की योजना सफल हो सकी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रथम गवर्नर सर जॉन हब्लन (John Houblon) थे।

बैंक ऑफ इंग्लैंड का सम्मेलन दि गवर्नर एण्ड कम्पनी ऑफ दि बैंक ऑफ इंग्लैंड (The Governor and Company of the Bank of England) के नाम से हुआ था। यह उपर संकेत किया जा चुका है कि इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड का फ्रांस के साथ चल रहे युद्ध के लिए वित्त की व्यवस्था करना था। इस बैंक को 12 लाख पौंड की पूंजी एकत्रित करनी थी और यह समस्त पूंजी सरकार को उधार देनी थी। सरकार ने इस 12 लाख पौंड की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज और प्रबंध-व्यय के लिए 4 हजार पौंड (वार्षिक) देना स्वीकार किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड को इस राशि (12 लाख पौंड) तक के मूल्य के बराबर पत्र मुद्रा निगमित करने का अधिकार दिया गया। यह बैंक इस राशि से अधिक मूल्य के ऋण नहीं निर्गमित कर सकता था। सरकार द्वारा इस ऋण का भुगतान 12 वर्षों की समाप्ति पर करना था—जबकि बैंक का सन् 1694 में प्रदान किए गये प्रथम चाटर की अवधि समाप्त होती थी।

सन् 1697 के एक अधिनियम ने बैंक की पूंजी बढ़ाने का प्रावधान किया और बैंक के चाटर को सन् 1711 तक बढ़ा दिया। इस पश्चात् समय-समय पर चाटर का नवीनीकरण किया जाता रहा और प्रत्येक नवीनीकरण के समय सरकार को नया ऋण दिया जाता रहा। इस प्रकार यह बैंक सरकार को वित्त प्रदान करने में महत्वशील था। सन् 1777 में एडम-स्मिथ ने कहा था “बैंक ऑफ इंग्लैंड केवल एक साधारण बैंक की तरह ही काम नहीं करता बल्कि राज्य के एक शक्तिशाली इंजन के रूप में भी कार्य करता है।” (The Bank of England acts not only as an ordinary bank but as a great engine of State) सन् 1708 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को नोट निगमन का अधिकार दे दिया गया।

अतः सन् 1844 में बैंक चार्टर एक्ट (Bank Charter Act) पास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड के चार्टर को असीमित काल के लिए बढ़ा दिया गया। और इस बैंक की स्थिति राष्ट्रीय-संस्था के रूप में हो गई। इस एक्ट में यह प्रावधान पुनः किया गया कि देश में बैंक ऑफ इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य कोई बैंक नोट निगमन नहीं कर सकता।

इस प्रकार इंग्लैंड और वेल्स (Wales) में बैंक ऑफ इंग्लैंड को ही नोट निगमन का एकाधिकार था। सन् 1844 के एक्ट में नोट निगमन के सिद्धांत की व्याख्या भी की गई। इस एक्ट के अनुसार अधिकतम विश्वासाश्रित नोट निगमन प्रणाली अपनाई गई। विश्वासाश्रित नोट-निगमन की अधिकतम राशि निश्चित कर दी गई, जिम्मे पीछे स्वर्ण स्वर्ण-पाट (Bullion) अथवा स्वर्ण के सिक्के रखने की आवश्यकता नहीं थी, और निश्चित राशि से अधिक मात्रा में नोट-निगमन करने की दशा में अधिक मात्रा के नोटा के पीछे 100 प्रतिशत स्वर्ण रखने का प्रावधान किया गया। उन्नीसवीं शताब्दी में इंग्लैंड में अनेक वाणिज्य-संकट (Commercial crisis) उत्पन्न हुए और तीन अवसरों पर सन् 1847, 1857 और 1866 में यह आवश्यक समझा गया कि बैंक को अधिकतम-विश्वासाश्रित-नोट-निगमन की सीमा में मुक्त कर दिया जावे अर्थात् विश्वासाश्रित नोट निगमन की कोई सीमा न रखी जावे और बैंक बिना किसी स्वर्ण आदि के रिजर्व के नोट निगमन करता रहे।

सन् 1844 के एक्ट ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को दो भागों—निगमन विभाग (Issue Department) और बैंकिंग विभाग में—विभक्त कर दिया और साथ में यह प्रावधान भी किया गया कि यह बैंक प्रति सप्ताह अपनी आर्थिक स्थिति का विवरण भी प्रकाशित किया करे। बैंक ऑफ इंग्लैंड में ये दो विभाग बनाने का उद्देश्य यह था कि नोट-निगमन के कार्य का बैंकिंग विभाग से पृथक् कर दिया जाय ताकि बैंक अपने सामान्य बैंकिंग कार्य सरलतापूर्वक कर सके। इस प्रकार बैंक ऑफ इंग्लैंड एक साथ ही दो कार्य कर सके—नोट निगमन की वैश्व-संस्था के रूप में कार्य और प्रतिस्पर्धी बैंकों के रूप में कार्य। किंतु अनुभव ने यह बतलाया कि यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका क्योंकि गत 100 वर्षों में यह बैंक प्रमथ के वैश्व-बैंक के रूप में ही अधिक विकसित हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् इसका व्यापारिक-बैंक के कार्यों में निरंतर वृद्धि हुई है। आज यह निजी व्यापारिक-बैंक का प्रायः कोई कार्य नहीं करता है।

सन् 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना और बाद में उसकी सफलता को देखकर इंग्लैंड में अन्य ऐसे ही बैंकों की स्थापना की प्रेरणा मिली। अन्य बैंक स्थापित भी किए गये किंतु सफलता नहीं मिल सकी। सन् 1708 के एक्ट ने छह सप्ताहों से अधिक के बैंकों की स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही अन्य बैंकों द्वारा नोट निगमन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार इस अधिनियम ने स्पष्ट रूप से तो अन्य बैंकों की स्थापना पर प्रतिबंध नहीं लगाया किंतु अप्रत्यक्ष रूप में यह एक प्रकार से प्रतिबंध ही था क्योंकि उन दिनों नोट निगमन का कार्य बैंकों का एक अनिवार्य कार्य माना जाता था। इस प्रकार सन् 1708 के इंग्लैंड की एक विशिष्ट-स्थान प्रदान कर दिया।

बैंक ऑफ इंग्लैंड सरकारी-बैंकर के रूप में भी कार्य कर रहा था, लंदन मुद्रा बाजार में महत्वपूर्ण स्थान था, और नोट निगमन का एकाधिकार था ही, अतः इसे ही देश का केन्द्रीय-बैंक बना दिया गया।

बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण—द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्, श्रमिक सरकार (Labour Government) आई। इसने बैंक ऑफ इंग्लैंड के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से बैंक ऑफ इंग्लैंड 1946 बनाया। अतः इस एक्ट के अधीन लगभग 252 वर्ष पुराना बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण मार्च 1, 1946 को कर दिया गया।

आरम्भ से ही इस बैंक का देश की बैंकिंग व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि देश के केन्द्रीय बैंक पर पूर्ण रूप से एक प्रभावशील ढंग से सरकार का नियंत्रण हो जावे। यद्यपि राष्ट्रीयकरण के पूर्व भी सरकार का बैंक ऑफ इंग्लैंड पर कुछ नियंत्रण था किन्तु उस समय की विश्व की अन्य प्रमुख देशों में प्रचलित प्रवृत्ति के अनुसार यह आवश्यक समझा गया कि इस बैंक पर राष्ट्रीयकरण के द्वारा और अधिक प्रभावशील ढंग से नियंत्रण रखा जावे।

इंग्लैंड की परिपाटी के अनुसार राष्ट्रीयकरण की विशेष क्रान्तिकारी वस्तु नहीं है। यह तो एक औपचारिक परिवर्तन है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को स्टॉक धारकों (stock holders) का पूरा भुगतान किया गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड के स्टॉक (stock i. e., fully paid up shares) के बदले में सरकार द्वारा गारंटी किए गये स्टॉक दिए गये। एक सौ पौंड के स्टॉक धारक को 400 पौंड के 3% ब्याज वाले सरकार द्वारा गारंटी किए गये स्टॉक दिए गये। एक-सौ पौंड के स्टॉक के बदले में 3% ब्याज वाले 400 पौंड के स्टॉक इस आधार पर दिए गये कि सन् 1924 से 1945 तक प्रतिवर्ष 12% की आय स्टॉक धारकों को होती थी। अतः उसी आय के स्तर को बनाए रखने के लिए 400 पौंड के 3% ब्याज वाले स्टॉक प्रदान किए ताकि आय वही 12 पौंड प्रतिवर्ष होती रहे, जोकि पहले 100 पौंड के स्टॉक पर होती थी।

बैंक ऑफ इंग्लैंड का सगठन

मूमिका

इंग्लैंड का केन्द्रीय बैंक 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' है जिसकी स्थापना जुलाई 27, 1694 को हुई थी। यह विश्व के सबसे पुराने बैंकों में है। मार्च 1, 1946 का इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सन् 1946 से पहले यह अधिधारिया बैंक था और सरकार का इसके प्रबंध में कोई स्थान नहीं था।

राष्ट्रीयकरण के पूर्व सगठन—बैंक ऑफ इंग्लैंड का प्रबंध एक संचालक मंडल (जिस Court कहते हैं) द्वारा होता था जिसमें 26 सदस्य होते थे। इन 26 सदस्यों में एक गवर्नर और एक डिप्टी गवर्नर होता था और 24 संचालक होते थे। इन सबका चुनाव प्रतिवर्ष बैंक की वार्षिक-साधारण सभा में स्टॉक धारकों द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाता था। ये पुनः चुनाव के योग्य होते थे और इनका इस प्रकार चुनाव कितनी ही बार हो सकता था। यद्यपि यह परिपाटी चली आ रही थी कोई भी व्यक्ति बैंक के गवर्नर के पद पर दो वर्ष से अधिक अवधि तक कार्य न करे किंतु बाद में यह दीर्घकाल से चली आ रही परिपाटी टूट गई जबकि सन् 1920 से मोंटेगु नॉरमन (Montagu Norman) गवर्नर के रूप में निरन्तर चुने जाते रहे।


राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सगठन वर्तमान सगठन

श्रमिक सरकार (Labour Government) के काल में 'बैंक ऑफ इंग्लैंड एक्ट' 1946 में बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से बनाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत मार्च 1, 1946 का बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

बैंक ऑफ इंग्लैंड की क्रियाओं का प्रबंध एक संचालक-मंडल (Board of Directors) द्वारा किया जाता है। इस संचालक मंडल को तकनीकी रूप में 'कोर्ट' (Court) कहा जाता है। राष्ट्रीयकरण के पूर्व इस संचालक मंडल में 24 संचालक (गवर्नर व डिप्टी-गवर्नर के अतिरिक्त) होते थे किन्तु राष्ट्रीयकरण के पश्चात् अब 16 संचालक (गवर्नर व डिप्टी-गवर्नर के अतिरिक्त) होते हैं। इस प्रकार संचालक मंडल (अर्थात् संचालक-काट) में कुल 18 सदस्य (16 संचालक + 1 गवर्नर + 1 डिप्टी गवर्नर = 18) होते हैं।

1 कार्यवधि (Term of office)—संचालक-कोर्ट के समस्त (18) सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड के राजा (The Crown) के द्वारा की जाती है।

संचालका का बोर्ड
(Court of Directors)



2 कमेटी ऑफ ट्रेजरी (Committee of Treasury)—उपरोक्त के अनिश्चित एक कमेटी ऑफ ट्रेजरी भी है। यह बक ऑफ इंग्लैंड की नीति-निर्धारण (Policy-Committee) बनने वाली कमेटी है। यह अन्य सभी कमेटियों से रिपोर्टों को प्राप्त करती है और 'बोर्ड' को इनके पूर्व उनका अध्ययन करती है। इस कमेटी की भी नियमित रूप से सप्ताह में एक बार मीटिंग होती है।

इस कमेटी में सात सदस्य होते हैं—गवर्नर व डिप्टी गवर्नर, बक के 4 कार्यकारी-संचालकों में से अधिक से अधिक एक संचालक एवं अन्य 4 सदस्य। बैंक का गवर्नर इस कमेटी की महाप्रा की अध्यक्षता करता है। इनका चुनाव गुप्त-मतदान द्वारा होता है।

3 स्थायी समितियाँ (Standing Committees)—बक ऑफ इंग्लैंड के बाय को सुचारु रूप से चलाने के लिए सात स्थायी-समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक आंशिक-समय का संचालक (Part time Director) एक अथवा अधिक स्थायी-समिति का सदस्य होता है। ये समितियाँ हैं—

- 1 डैबडन कमेटी (Debden Committee)
- 2 निश्चित बोधों की प्रतिभूतियाँ पर विचार करने वाली कमेटी
(The Committee to Consider the Securities of Certain Funds)
- 3 अन्वेषण कमेटी (Audit Committee)
- 4 व्यय के स्थायी नियंत्रण की कमेटी
(The Committee on Permanent Control of Expenditure)
- 5 चरिटेबिल अपीलस कमेटी (Charitable Appeals Committee)
- 6 स्टाफ कमेटी (Staff Committee)
- 7 बैंक भवन की कमेटी (Committee on Bank Premises)

डैबडन कमेटी—यह समिति बक ऑफ इंग्लैंड के, प्रशासन (administration), साज सामान (equipment) काय प्रणाली एवं वित्त तथा ~~मुद्रण-कार्य~~ का

निरीक्षण करती है एक उस पर अपनी रिपोर्ट देती है। इस बैंक के मुख्यालय इसबस में डबडन स्थान (at Debden Essex) पर स्थित हैं।

4 भाग विभाग—बैंक में आठ विभाग हैं। प्रत्येक विभाग (Department) के पृथक कार्यालय (offices) हैं। नीचे प्रमुख विभागों का विवरण दिया गया है—

(i) लेखापाल का विभाग (Accountant's Department)—यह विभाग सरकार, स्थानीय सत्ता (Local authorities) राष्ट्रीय कृतसंस्थाओं कुछ राष्ट्रमंडलीय सरकारों (Commonwealth Govt) आदि के स्टॉक (Stock) के रजिस्टर रखता है। यह विभाग स्टॉक के हस्तांतरणों (transfers) को रखाव रखता है एक लाभांश वारंट (Dividend Warrants) का निगमन करता है। ऋण-लाभांश वारंट (Loan Dividend Warrants) पर प्रधान-लेखापाल (Chief Accountant) के हस्ताक्षर होते हैं।

(ii) कशियर का विभाग (Cashier's Deptt)—यह विभाग नोट निगमन का काम करता है। प्रधान कशियर (Chief Cashier) के हस्ताक्षर नोटों पर होते हैं। भारत में रिजर्व बैंक द्वारा नियमित नोटों पर बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसके अतिरिक्त यह विभाग समस्त बैंकिंग विभागों विनिमय समकरण खात (Exchange Equalisation Account) तथा शाखाओं का प्रबंध करता है। इस विभाग में अनेक कार्यालय हैं जो कि बट्टा-बाजार प्रतिभूतियों चक्र व बिसों के एकीकरण से संबंधित काम करता है।

(iii) ओवर सीज विभाग (Over-sees Deptt)—इस विभाग के प्रमुख काम हैं—अपने केन्द्रीय बैंक एवं अन्तर्गण्य-संस्थाओं से व्यवहार करना विनिमय नियंत्रण का काम करना विदेशों से आय प्राप्त कर लेना।

(iv) इकोनामिक इंटेलिजेंस विभाग (Economic Intelligence Deptt)—यह विभाग इंग्लैंड की अर्थ व्यवस्था एवं मुद्रा के सतुलन (balance of payment) के सम्बन्ध में नवीनतम सूचनाएँ एकत्रित करता है और उनकी व्याख्या (interpretation) करता है। यही विभाग बैंक की वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report) और त्रिमासिक बुलटिन का प्रकाशन करता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड के अन्य विभाग ये हैं—(v) अर्थशास्त्र विभाग (vi) मुद्रा-काम विभाग (vii) एस्ट्रबलिशमेंट विभाग (viii) सचिव का विभाग (Secretary's Deptt)।

प्रधान कार्यालय का स्थान—बैंक ऑफ इंग्लैंड का प्रधान कार्यालय सन् 1734 में लंदन की थ्रेडनीडल-स्ट्रीट (Threadneedle Street) पर स्थानांतरित कर दिया गया। उस समय में (अभी तक) इस बैंक का प्रधान कार्यालय वही स्थित है। यह उल्लेखनीय है कि बैंक (जमा कि अभी है) के भवन का डिजाइन, सर हर्बर्ट बेकर (Sir Herbert Baker) ने बनाया था और यह सन् 1939 में बन कर पूरा हुआ।

सन् 1826 में जब प्रथम बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी शाखाएँ विभिन्न भागों में स्थापित कीं। इस समय (सन् 1971 में) बैंक ऑफ इंग्लैंड की आठ शाखाएँ और एक कार्यालय (office) है। ये शाखाएँ इन स्थानों पर हैं—लिवरपूल, मनचेस्टर, बरीमोर, यू कॉसिल, ब्रिस्टल, लीड्स, साउथैम्पटन और लंदन में लॉ कोर्ट्स (Law Courts)। ग्लामगो नगर में एक कार्यालय है जो कि केवल दिनमय नियंत्रण का कार्य करता है।

पूजी एव लाभ—इस बैंक की पूजी 1967 के अंत में 1,45,53,000 पौंड थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड एक्ट 1946 के अधीन इस बैंक की पूजी स्टॉक को सरकार के, और से (on behalf of the Govt) ट्रेजरी सॉलिसिटर (Treasury Solicitor) रखता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, अपने धर्मिय विभाग के नाम में से प्रति छठे महीने (अर्थात् वर्ष में दो बार) एक्स चेंजर (Exchequer) को 8,73,180 पौंड की निश्चित (fixed) राशि देता है। सन् 1946 में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के तत्कालीन स्टॉक धारकों (stock holders) को क्षतिपूर्ति (compensation) के रूप में जो राशि थी, उसके अर्ध के रूप में यह अर्ध वार्षिक राशि (8,73,180 पौंड) दी जाती है।

इसके अतिरिक्त नोट निगमन विभाग की समस्त शुद्ध आय, जो कि नोट निगमन से प्राप्त होती है भी ट्रेजरी में देय होती है।

सरकारी ट्रेजरी का स्थान—जैसे तो साधारणतया सरकारी-ट्रेजरी बैंक ऑफ इंग्लैंड के दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है किन्तु ट्रेजरी को ऐसा करने का अधिकार है। 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1946 की धारा 4 की उप धारा (1) व (2) में इस संबंध में बतलाया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है—

- (1) बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने परामर्श करके, ट्रेजरी इस बैंक को समय समय पर ऐसे निर्देश दे सकती है जिन्हें वह जनहित में आवश्यक समझे।
- (2) ऐसे निर्देशों के अधीन, नोट ऑफ डायरेक्टस बाय करेंगे। ✓

चांसलर ऑफ एक्स चेंजर का स्थान—इंग्लैंड का चांसलर ऑफ एक्स चेंजर वहाँ के मन्त्रिमंडल का एक मंत्री (Cabinet minister) होता है। वह देश की मौद्रिक नीति को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। वह संसद में बजट प्रस्तुत करता है। इंग्लैंड की सरकार ने पूर्ण रोजगार को बनाए रखने का दायित्व लिया है अतः ट्रेजरी व बैंक ऑफ इंग्लैंड के सहयोग से वह मौद्रिक नीति के उन समस्त पहलुओं के लिए उत्तरदायी होता है जो मुद्रा-स्थिति एवं रोजगार के स्तर को प्रभावित करते हैं।

आजकल इंग्लैंड में बैंक दर में परिवर्तन बिना चांसलर ऑफ एक्सचेंजर की पूर्व-सहमति से नहीं होता है यद्यपि इसमें परिवर्तन की घोषणा बैंक ऑफ इंग्लैंड

के द्वारा ही की जाती है। उससे निर्देश पर ही बैंक ऑफ इंग्लैंड विशेष निक्षेप¹ (Special Deposits) को स्वीकार करता है अथवा भुगतान करता है। ट्रेजरी के निर्देश पर, चासलर आफ एक्सचेंजर, देश के व्यापारिक बैंकों को उनके द्वारा लिए जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष रूप में निर्देश दे दिया करता था किन्तु साधारणतः अब इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देश के करा (Taxation) में परिवर्तन के सम्बन्ध में है।

1

1 देश की मौद्रिक-नीति को सफल बनाने व साथ पर नियंत्रण करने के लिए सन् 1960 में इंग्लैंड ने विशेष निक्षेप प्रणाली चालू की है। इसका विवरण साथ नियंत्रण के अध्याय में दिया गया है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड के कार्य

(Functions of the Bank of England)

सूचिका

बैंक ऑफ इंग्लैंड विश्व के प्राचीनतम बैंको में है। इस बैंक का स्थान न केवल इंग्लैंड में बल्कि पूरे यूरोप व विश्व के बैंको में महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय बैंक बाजार का संचालक होता है और इसकी स्थिति सावजनिक-क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के मध्य में है। बैंक ऑफ इंग्लैंड अनेक कार्य करता है। अध्ययन की सुविधा के हेतु बैंक ऑफ इंग्लैंड के कार्यों का विवरण विभिन्न शीपको में दिया गया है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

- 1 नोट निगमन का कार्य,
- 2 सरकारी बैंकर,
- 3 बैंको का बैंकर,
- 4 अन्य केन्द्रीय बैंक का बैंकर,
- 5 निजी ग्राहकों के खाते,
- 6 विनिमय नियंत्रण,
- 7 साल नियंत्रण।

1 नोट निगमन

सन् 1914 से पूर्व, इंग्लैंड में विधि ग्राह्य मुद्रा निर्गमन का कार्य दो संस्थाएँ करती थी—सरकारी टंकशाल (Royal Mint) जिसका उच्चतम पदेन अधिकारी (ex-officio) चांसलर ऑफ एक्स चेंजर होता था, और बैंक ऑफ इंग्लैंड सरकारी टंकशाल से स्वर्ण के एवं अन्य सहायक-मुद्राएँ (Subsidiary Coins) निगमन करती थी। ये मुद्राएँ सीमित विधि ग्राह्य (limited legal tender) होती थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड नोट निगमन करता था। इन नोटों के पाछे स्वर्ण-कोप होता था एवं मांग पर स्वर्ण-मुद्राओं में देय होत थे। किंतु आजकल ऐसा नहीं है। सन् 1914 तक विश्वासार्थित नोट-निगमन (Fiduciary Issue) की सीमा 180 करोड़ (अर्थात् 18 मिलियन) पाँड थी, अर्थात् 180 करोड़ पाँड तक के मूल्य के नोट निर्गमन के लिए स्वर्ण-कोप रखने की आवश्यकता नहीं थी।

प्रथम विश्व-युद्ध आरम्भ होने पर सरकारी ट्रेजरी को 1 पाँड और 10 मिलियन के मूल्यों के असीमित मात्रा में नोट निगमन करने का अधिकार, के द्वारा

गया। इन निगमन के पीछे किसी भी प्रकार के स्वर्ण कोष को रखने की आवश्यकता नहीं थी। जिस प्रकार की स्थिति भारत में आजकल 1 रुपय के नोट की है वसी ही स्थिति उस समय इंग्लैंड में 1 पाँड एव 10 शिलिंग के नोटों की थी।

सन् 1928 तक यह स्थिति चलता रही जबकि 'बैंक ऑफ इंग्लैंड एक्ट 1928' पास किया गया जिसके परिणामस्वरूप ट्रेजरी द्वारा नोट निगमन का कार्य बैंक ऑफ इंग्लैंड को हस्तांतरित कर लिया गया। इसके साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा विश्वासाश्रित-निगमन की सीमा बढ़ा दी गई।

सन् 1931 में इंग्लैंड द्वारा स्वर्ण-मान का परित्याग कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप बैंक ऑफ इंग्लैंड के नोटों की, एक निश्चित मूल्य पर स्वर्ण में परिवर्तनशीलता भी समाप्त कर दी गई। सन् 1932 में अनिश्चित ममानाकरण-खाता (Exchange Equalisation Account) स्थापित किया गया और सन् 1939 में बैंक ऑफ इंग्लैंड का प्रायः समस्त स्वर्ण इस खाते (E. E. A.) में हस्तांतरित कर दिया गया। अतः सन् 1939 से अब तक इंग्लैंड में प्रायः समस्त नोट निगमन विश्वासाश्रित (Fiduciary) ही है।

'बैंक ऑफ इंग्लैंड एक्ट 1954' में बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा प्रतिभूतियाँ के आधार पर, निगमित किए जाने वाले नोटों की मात्रा निर्धारित कर दी है। इस अधिनियम ने बैंक को यह अधिकार भी दे दिया है कि ट्रेजरी के अनुमोदन पर बैंक ऑफ इंग्लैंड किसी भी अतिरिक्त मूल्य के नोट निगमन कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार विश्वासाश्रित-नोट-निगमन की सीमा 1575 मिलियन पाँड निर्धारित की गई। साथ ही में यह प्रावधान कर लिया गया कि इस सीमा में परिवर्तन करने के लिए ट्रेजरी की सहमति आवश्यक है किन्तु प्रतिमं स्वोच्छ्रित पार्लियामेंट की आवश्यक है। यदि विश्वासाश्रित निगमन में वृद्धि के लिए अधिक समय के लिए की जाती है तो ट्रेजरी को इस संबंध में स्टैट्यूटरी आर्डर (Statutory order) निगमन करना आवश्यक है और इस आर्डर पर पार्लियामेंट में बहस की जा सकती है।

विश्वासाश्रित पत्र मुद्रा निगमन को एक वास्तविक उदाहरण द्वारा यथा स्पष्ट किया जा रहा है। सितम्बर 1967 में विश्वासाश्रित पत्र मुद्रा निगमन की अधिकतम स्वीकृत राशि 3,000 मिलियन पाँड थी। इस अधिकतम स्वीकृत मात्रा के बाद वास्तव में मुद्रित भी कर लिए गए थे। सितम्बर 20, 1967 को वास्तविक चलन में नोट 2,975 मिलियन पाँड की राशि के अतिरिक्त 25 मिलियन पाँड के नोट अनिगमित (Un issued) थे जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के बैंकिंग-विभाग में रखे हुए थे। अतः वास्तविक चलन में इन 25 मिलियन पाँड के नोट (बिना विश्वासाश्रित-निगमन की मात्रा में परिवर्तन किए) लाय जा सकते थे।

अप्रतिभूत तालिका में बैंक ऑफ इंग्लैंड के विश्वासाश्रित-निगमन (The Fiduciary Issue or The Bank of England) की मात्रा प्रस्तुत की गई है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड का विश्वासाश्रित निर्गमन

वर्ष	मिलियन पाँड	वर्ष	मिलियन पाँड
1844	14	1958	2,000
1900	17 $\frac{3}{4}$	1959	2 050
1921	19 $\frac{3}{4}$	1960	2 250
1928	260 $\frac{3}{4}$	1961	2 325
1939	580	1962	2 350
1944	1,250	1963	2,450
1945	1 400	1964	2 550
1946	1,450	1965	2 600
1948	1 300	1966	2,850
1950	1,355	1967	3,000
1951	1 375	1968	3,100
1952	1 525	1969	3 250
1954	1,575	1970	3 250
1956	1,900		

उपरोक्त तालिका के अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं—

- (i) सन् 1844 के बैंक चाटर एक्ट का बैंक ऑफ इंग्लैंड के विश्वासाश्रित-निर्गमन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इस निर्गमन की सीमा में साधारण वृद्धि की गई। यह ध्यान रहे कि इस एक्ट ने बैंक बकों द्वारा नोट निर्गमन के अधिकार का पूर्णतः बन्द कर दिया।
- (ii) प्रथम विश्व-युद्ध के फलस्वरूप विश्वासाश्रित निर्गमन की राशि में लगभग 200 मिलियन पाँड की और अधिक वृद्धि कर दी गई।
- (iii) द्वितीय विश्व-युद्ध के कारण विश्वासाश्रित निर्गमन की राशि में काफी वृद्धि की गई।
- (iv) वर्ष 1944 के पश्चात् यह वृद्धि क्रमशः मंद गति से हुई।
- (v) वर्ष 1948 विशेष रूप से देखिये। तालिका देखने से पता होता है कि इतिहास में कबल इस ही वर्ष विश्वासाश्रित निर्गमन की राशि में कमी की गई अथवा सदा वृद्धि ही हुई है।
- (vi) वर्ष 1948 और 1970 के मध्य 'सूक्ष्म' वृद्धि 25 मिलियन पाँड व अधिकतम वृद्धि 325 मिलियन पाँड की हुई है।

इंग्लैंड में नोट निर्गमन संबंधी प्रमुख बातें—

- 1 बैंक ऑफ इंग्लैंड के निर्गमन विभाग (Issuing Deptt) के माध्यम में नोट निर्गमन पार्लियामेंट द्वारा नियंत्रित (controlled) है।
- 2 इंग्लैंड और वेल्स में नोट निर्गमन का एकाधिकार बैंक ऑफ इंग्लैंड को है।
- 3 इंग्लैंड में विश्वासाश्रित नोट निर्गमन प्रणाली (Fiduciary System of Note Issue) है।
- 4 विश्वासाश्रित नोट निर्गमन राशि से प्रतिरिक्त मात्रा में नोट निकालने के लिये 100 प्रतिशत भुवण-कोष में रचना आवश्यक है। अतः बैंक ऑफ इंग्लैंड, सिडनहिल

(in theory) अनिश्चित स्वयं-काय रखकर अधिक नाट निगमन कर सकता है किन्तु व्यवहार में (in practice) ऐसा होना सम्भव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक बार विश्वासाश्रित नोट निगमन की राशि में ही वृद्धि की गई है।

- 5 सम्पूर्ण विश्वासाश्रित निर्गमन, बैंक रिटन (Bank Return) में निगमन विभाग (Issue Deptt.) की देनदारी (Liability) के रूप में दिखाया जाता है, किन्तु इसका कुछ भाग बैंक रिटन में बैंकिंग विभाग की सम्पत्ति (Assets) के रूप में पुनः दिखाया जाता है, जिसका आशय है कि वह भाग अभी चलन में नहीं डाला गया है बल्कि बैंक की तिजोरियों में है।
- 6 निर्गमन विभाग का समस्त स्वर्ण सन् 1939 में विनिमय समानताकरण-खाते (Exchange Equalisation Account) में हस्तांतरित कर दिया गया अतः नोट निर्गमन से होने वाला लाभ और नोट निर्गमन विभाग में रखी हुई प्रतिभूतियाँ के साप्ताहिक पुनर्मूल्यान (Weekly revaluation) से उत्पन्न आधिक्य अथवा कमी, (surpluses or deficiencies) को इस खाते E E A में हस्तांतरित कर लिया जाता है।
- 7 इस समय इंग्लैंड में 10 पौंड, 1 पौंड, 5 पौंड और 10 पौंड के नोट प्रचलन में हैं जो कि सन् 1928 से बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा निर्गमित किये जाते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड को देश में नोट निगमन का (सन् 1928 से) एकाधिकार प्राप्त है। यद्यपि स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बैंकों को अपने नाट निगमन का अधिकार है किन्तु ये बैंक बहुत कम मात्रा में अपने नोट निकालते हैं जा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के नोट, स्वर्ण और चांदी के सिद्धांत के 100 प्रतिशत सुरक्षित-कोष के आधार पर निकाले जा सकते हैं।
- 8 ऐतिहासिक परिचय—(i) इंग्लैंड में 1 पौंड व 2 पौंड के नोट सर्वप्रथम सन् 1797 में चलाये गये थे किन्तु उन्हें सन् 1821 में बदल दिया गया। इसने अतिरिक्त सन् 1928 तक बैंक ऑफ इंग्लैंड 5 पौंड व अधिक मूल्य के नोट निर्गमित करता था। 5 पौंड के नाट सन् 1793 से व 10 पौंड के नोट 1795 से चलाये गये। 10 पौंड 20 पौंड 50 पौंड 100 पौंड 500 पौंड और 1000 पौंड के नोट राजनीतिक कारणों से सन् 1943 से बदल कर दिए गये। किन्तु 10 पौंड के नोट सन् 1964 से पुनः चलाए गये।
(ii) इंग्लैंड में विभिन्न समयों पर 35 पौंड 25 पौंड, 30 पौंड 40 पौंड, 60 पौंड 70 पौंड 80 पौंड 90 पौंड 200 पौंड 300 पौंड व 400 पौंड के नोट भी चल चुके हैं। 200 पौंड के नोट उन्नीसवीं शताब्दी में भी चलन में थे तथा सन् 1928 में उनका प्रचलन बंद किया गया है।
- 9 इंग्लैंड में प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख नये नोट प्रचलन में लाये जाते हैं क्योंकि लगभग इतने ही नोट गये अथवा फटे जाने अथवा सराब हो जाने के कारण नष्ट कर दिए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार 7 पौंड के नोट का औसत जीवन-काल लगभग नौ माह होता है और 5 पौंड के नोट का 15 माह।

इंग्लैंड में टकशाला व सिक्के

इंग्लैंड में सिक्के निर्माण करने के लिए सरकारी टकशाला है जो पहले लंदन में स्थित थी और सन् 1968 में कार्डिफ नगर के निकट लान्ट्रिसैंट (Llantrisant near Cardiff) स्थानान्तरित कर दी गई है। इस टकशाला का नाम 'रॉयलमिंट' (Royal Mint) है। यह टकशाला एक सरकारी विभाग (Govt Deptt) है जिसका अध्यक्ष (Master) चांसलर आफ एक्सचेंजर होता है। इंग्लैंड में सिक्के निर्माण का एकाधिकार इसी टकशाला के पास है। यह टकशाला अन्य व्यापार गृह की तरह काय करती है। यह टकशाला अन्य देशों के लिए भी सिक्का का निर्माण करती है। यह आवश्यक धातु को बाजार में से क्रय करती है, सिक्के बनाती है और जिस मस्या ने आदेश दिया था, उसे विक्रय कर देती है।

यह टकशाला इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड को सिक्के विक्रय करती है। टकशाला को इससे बहुत लाभ होता है क्योंकि सभी सिक्के साकेतिक सिक्के (Token Coins) हैं जिनका अंकित मूल्य, अधिक होता है और वास्तविक मूल्य कम होता है। टकशाला क्योंकि एक सरकारी विभाग है अतः इसके समस्त व्ययों धातु का मूल्य, वजन, मजदूरी आदि का भुगतान चक्रों द्वारा होता है जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में सरकारी खाते पर लिखे जाते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड टकशाला से जो सिक्के खरीदता है उनके लिए भुगतान (अंकित मूल्य पर) सरकारी खाते में करता है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड लगभग 20 लाख पाउंड मूल्य के सिक्के अपने पास रिजर्व में रखता है। यदि यह रिजर्व कम हो जाता है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड टकशाला से सिक्के खरीद लेता है।

इंग्लैंड में भी फरवरी 1971 से मुद्रा की दशमिक प्रणाली अपना ली है। इसके अंतर्गत पाउंड (Pound) मुद्रा की प्रमाणिक इकाई है जो 100 'नई पेंनी' (New Pennies) में विभक्त है।

2 सरकारी बैंकर

अन्य देशों के केन्द्रीय बैंक की भांति, बैंक ऑफ इंग्लैंड भी सरकार के बैंकर के रूप में काय करता है। यह ध्यान रहे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना तत्कालीन सरकार को ऋण देने के लिए की गई थी अतः इसके जन्म से ही यह सरकार के बैंकर के रूप में काय कर रहा है।

सरकार के बैंकर के रूप में यह एक्सचेंजर के एक अन्य सरकारी विभागों के खाते रखता है। एक्सचेंजर के खाते में सरकार की साधारणतः ममस्त आय जमा होती है और इसमें से ही सरकारी भुगतान किए जाते हैं। यह बैंक सरकार के लिए ऋणों की व्यवस्था करता है, सरकारी-स्टॉक्स पर अल्पकालिक ब्याज के वितरण की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त यह बैंक सरकार को 'Ways and Means Advances' द्वारा अल्पकालीन (Overnight) ऋण भी, आवश्यकता पड़ने पर

1 य बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा ट्रेजरी (सरकार) को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष (direct) ऋण होते हैं। ये ऋण अल्पकालीन होते हैं। सरकार द्वारा लिए गये ऋणों का यह इस प्रकार के ऋणों का बहुत कम अनुपात होता है।

प्रदान करता है। यह दीयवालीन सरकारी बैंडो व स्टॉक व नये निगमन का प्रबन्ध करता है। इस प्रकार यह सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह प्रनिकय लगभग 50 लाख लाभार्थ का भुगतान करता है।

3 बैंकों का बकर

बक ऑफ इगलड देश के व्यापारिक बको बट्टा गृहा (Discount Houses) और स्वीडृति गृहों (Acceptance Houses) के बकर के रूप में कार्य करता है। देश के प्रमुख बक, विशापत लन्दन-समाशोधन-बक (London Clearing Banks) बक ऑफ इगलड में अपने खात रखते हैं। बक ऑफ इगलड इन बकों का लगभग वसी ही सुविधाएं प्रदान करता है जसी कि व्यापारिक-बक अपने ग्राहकों का प्रदान करता है। सदस्य बक एक दूसरे को भयवा एक्सचेंजर को, बक ऑफ इगलड पर अपने खाता के अंतगत चक निगकर भयवा ड्राफ्ट द्वारा भुगतान कर सकते हैं। अत य खाते समाशोधन के आधार होत हैं।

बक ऑफ इगलड के महा व्यापारिक-बैंक अपने खातो में जमा राशि को 'नवद राशि' (Cash) के रूप में ही मानते हैं, क्योंकि वे उपयोग किसी भी रूप में व किसी भी समय कर सकते हैं। इगलड में जनता द्वारा दिसम्बर व ग्रीष्मकाल में बको से अधिक मात्रा में राशि निकाली जाती है अत इस मौसमी भाग की पूर्ति करने के लिए व्यापारिक-बक बक ऑफ इगलड में अपने खातो में से राशि निकाल सते हैं।

बक ऑफ इगलड समाशोधन-बको की नीतिया भयवा कायकलापों का प्रौपचारिक रूप से निरीक्षण भयवा पयवेक्षण नहीं करता है। यद्यपि बक ऑफ इगलड एक्ट 1946 ने इस बैंक को यह अधिकार दिया है कि वह भय बैंक से सूचना प्रदान करने के लिए प्राथना कर सकता है, भयवा कार्यों के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकता है। साथ ही यदि ट्रेजरी द्वारा अधिकृत हो तो ऐसी प्राथना भयवा सिफारिश को प्रभावशाली बनाने के लिए निर्देश भी दे सकता है। किन्तु व्यवहार में, बक ऑफ इगलड ने अभी तक किसी बक को ऐसे निर्देश नहीं दिये हैं। अधिनियम (1946) पास होने के पूर्व भी बक ऑफ इगलड बको को उनके खात अपने पास खोलने से इकार करने भी उन पर प्रभाव डाल सकता था।

व्यवहार में समाशोधन-बक अपने एव सरकार के मध्य सम्पर्क के लिए बक ऑफ इगलड को माध्यम मानते हैं। सामान्य समय में, वे बक नीति सम्बन्धी व भय कायकलापों के विषय में प्रमुख बकिग संगठनों (जसे लन्दन क्लियरिंग ब्रिटिश बैंक्स एसोसियेशन आदि) से सम्पर्क बनाये रखते हैं। बक ऑफ इगलड का गवर्नर भयवा डिप्टी-गवर्नर अक्सर कमेटी ऑफ लन्दन क्लियरिंग-बकस के चेयरमैन भयवा डिप्टी चेयरमैन से मिलत रहते हैं। इस प्रकार के सम्बन्ध होने कारण वे एक दूसरे पर अधिक विश्वासी व निर्भर रहते हैं इस प्रकार बैंक ऑफ इगलड अन्य बको के दृष्टिकोण को ट्रेजरी के सम्मुख प्रस्तुत करता है।

इस ही प्रकार, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर के द्वारा, चांसलर ऑफ एक्चंजर अथवा वरिष्ठ से अग्रिमो पर प्रतिबंध आदि के सम्बंध में कहता है, जसा कि जुलाई 1957 में निजी क्षेत्र के अग्रिमो पर एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी ऐसा ही उदाहरण नवम्बर 1967 का दिया जा सकता है जबकि पौंड स्टर्लिंग का भ्रव मूल्यन किया गया था ।

बैंक ऑफ इंग्लैंड बट्टा गृहो एव स्वीकृति गृहों के बकर के रूप में भी काय करता है । यह बैंक इन सस्यामो से औपचारिक सम्बंध काफी घनिष्ट रखता है । ये सस्याए बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपने ज्ञाते रखती हैं । यह ध्यान रह कि लंदन के 12 बट्टा गृह का, जो कि लंदन बट्टा बाजार एसोसियेशन का निर्माण (form) करते हैं, देश की आर्थिक प्रणाली के संचालन में महत्वपूर्ण योग है । इन 12 बट्टा गृहों में प्रत्येक बट्टा गृह का बैंक ऑफ इंग्लैंड के बट्टा-कार्यालय में एक एक अणु जाता है । ये बट्टा गृह अपने विला की पुनकटौती भी बैंक ऑफ इंग्लैंड से करवा लेते हैं ।

इस प्रकार, बैंक ऑफ इंग्लैंड, देश के बैंकों, बट्टा गृह व स्वीकृति गृहों के बकर एवं अंतिम अणुदाता के रूप में भी काय करता है ।

4 अग्र केन्द्रीय बैंकों व वित्तीय सस्यामो का बकर

बैंक ऑफ इंग्लैंड अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों एवं अनेक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्यामो के बकर के रूप में भी काय करता है । इस समय बैंक ऑफ इंग्लैंड में लगभग 90 विदेशी केन्द्रीय बैंकों व ऐसी सस्यामो, जमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I M F), अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक (I B R D or The World Bank), अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन (International Development Association) और बैंक फॉर इंटरनशनल सटिलमेंट, के खाते हैं । अनेक केन्द्रीय बैंक, विशेषतः स्टर्लिंग क्षेत्र के बैंक, अपने बाह्य-कोषों (external reserves) को लंदन में रखना चाहते हैं, एवं अग्र बैंक भी पर्याप्त मात्रा में स्टर्लिंग में पर्याप्त कोष रखते हैं । बैंक ऑफ इंग्लैंड सबधित बैंकों के आदेश पर उनके कोषों के वित्तियोग का प्रबंध भी करते हैं ।

5 निजी ग्राहकों के खाते

बैंक ऑफ इंग्लैंड व्यापारिक-बकियों के कार्यों को नहीं करता है, और किसी भी केन्द्रीय बैंक के लिए यह उचित भी नहीं है कि वह साधारण बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में व्यापारिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा करे क्योंकि ऐसा करने से केन्द्रीय बैंक का अग्र बैंकों के ऊपर प्रभावशील नियंत्रण नहीं रहता है एवं उनके साथ सुन्दर सम्बंध भी नहीं रहने पाते हैं । बैंक डि-फ्रान्स (Banque de France) केन्द्रीय बैंक भी है और साथ ही प्रमुख व्यापारिक-बक भी है ।

काफी समय पूर्व से बैंक ऑफ इंग्लैंड नये साधारण ग्राहकों के खाते अपने गृह खोलने बंद कर दिए हैं किंतु बहुत समय पूर्व इस बैंक में निजी व्यक्तियों, निजी व सावजनिक कम्पनियों के खाते थे । उनमें से अधिकांश खाते आज भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में चालू हैं । बैंक इन खातों में निक्षेपों पर ब्याज नहीं देता है । बैंक

ग्रॉफ़ इंग्लंड में सन् 1968 में एबे नेशनल बिल्डिंग सोसाइटी (Abbey National Building Society) को अपने यहां खाना खोलने की अनुमति दी है।

इसके अनिश्चित यह बक अपने कर्मचारियों को भी बैंकिंग संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है।

6 विनिमय नियंत्रण

बक ऑफ़ इंग्लंड ट्रेजरी के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए विनिमय नियंत्रण के कार्य का करने के लिए उत्तरदायी है। इंग्लंड में 'विनिमय नियंत्रण एक्ट 1947 (Exchange Control Act)' इस कार्य के लिए है। इस एक्ट ने ट्रेजरी को विनिमय नियंत्रण के संबंध में विस्तृत अधिकार प्रदान किए हैं।

केवल वे जाँच विनिमय नियंत्रण एक्ट के अंतर्गत अधिकृत व्यापारी (authorised dealers) नियुक्त किये जाते हैं विदेशी विनिमय का कार्य कर सकते हैं। इस कार्य के लिए बक ऑफ़ इंग्लैंड उनको कुछ शक्तियाँ प्रदान कर देता है। यह बक इस एक्ट के अंतर्गत उन अधिकृत व्यापारियों का कार्य करने की आज्ञा प्रदान करता है। साथ ही विदेशी मुद्रा की सीमा भी सूचित करता है जहाँ तक कि वे कार्य कर सकते हैं। बैंक ऑफ़ इंग्लैंड इस संबंध में उनकी नीति संबंधी बातों से अवगत कराता रहता है।

सन् 1961 से गैर स्टॉक क्षेत्र में विनियोग के लिए विदेशी विनिमय प्रदान करने के लिए कुछ अधिक कठोर नियंत्रण कर दिया गया है। सन् 1965 में यह नियंत्रण और अधिक कठोर कर लिया गया है और केवल उन्हीं विनियोगों के लिए विदेशी विनिमय दिया जा सकता है जो भुगतान-संतुलन को विशेषरूप से पक्ष में करने में सहायक हों। सन् 1966 में बक ऑफ़ इंग्लैंड का अधिकार लिया गया कि स्टॉक-क्षेत्र के देशों में इंग्लैंड की फर्मों (Firms) के विनियोग को सीमित कर दे सके। आस्ट्रेलिया, यूजीवैड, फ्रान्स, रिपब्लिक और दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र में इंग्लैंड के विनियोग पर्याप्त सीमित हो गए।

7 साख्त नियंत्रण

बक ऑफ़ इंग्लैंड का अन्य प्रमुख कार्य है—साख्त नियंत्रण। साख्त नियंत्रण का कार्य बैंक दर मुक्त बाजार की क्रियाओं, विनिष्ठा निरसन आदि घटने-मापना में किया जाता है। इनका विवरण भाग 7 अध्याय में दिया गया है।

नोट— बक ऑफ़ इंग्लैंड एक त्रमासिक पत्रिका निकालता है जिसका नाम है "Bank of England Quarterly Bulletin" इसका प्रकाशन दिसंबर 1960 से प्रारम्भ हुआ। इस पत्रिका में इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति के साथ बैंकिंग, मौद्रिक एवं अन्य आर्थिक विषयों पर अर्थ-वेत्त मिलते हैं। भारत में भी रिजर्व बैंक द्वारा 'Reserve Bank of India Bulletin' मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है।

भूमिका—प्रायः समस्त अर्थशास्त्रिया एव बकन न साख नियत्रण को केन्द्रीय बैंक का प्रमुख काय माना है। साख नियत्रण के काय व अनगत ही केन्द्रीय-बैंकिंग की नीति निहित है और इस काय के द्वारा ही इसके अर्थ समस्त काय सम्बद्ध हैं। केन्द्रिय बैंक को पत्र मुद्रा तिगमित करन का एकाधिकार अथवा प्रमुख अधिकार देकर मद्रा का सचालन किया जाता है और इसको साख के नियत्रण में सम्बद्ध कर लिया गया है।

भारत के रिजर्व बैंक एक्ट में भी कहा गया है कि “यह बक दश के हिन में मुद्रा एव साख का सचालन करेगा।” इसी प्रकार बक ऑफ़ कनाडा एक्ट में निर्देश दिया गया है कि “यह बक साख एव मुद्रा का सचालन करेगा, राष्ट्रीय मौद्रिक इन्वार्ड का बाह्य मूल्य नियत्रित एव सुरक्षित रखेगा।” इसी प्रकार अर्थ देशों व मन्वित केन्द्रीय-बैंक अधिनियमों में भी केन्द्रीय-बैंक का प्रमुख काय देश की मुद्रा व साख पर नियत्रण रखना बतलाया गया है।

बक ऑफ़ इंग्लैंड द्वारा साख नियत्रण

यद्यपि बक ऑफ़ इंग्लैंड की स्थापना तत्कालीन सरकार व लिए वित्तीय प्रवर्ध के मुख्य उद्देश्य से की गई थी, किंतु समय व परिस्थिति के परिवर्तन के साथ साथ इसके सगठन, स्वरूप एव काय-कलाप में भी परिवर्तन आय। इंग्लैंड का केन्द्रीय बैंक, बैंक ऑफ़ इंग्लैंड है, अतः इसका द्वारा प्रतिपादित कायों में साख नियत्रण का भी विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। बैंक ऑफ़ इंग्लैंड साख का नियत्रण अनेक साधनों से करता है जिनमें स प्रमुख निम्नलिखित हैं—

- 1 बक दर,
- 2 खुले बाजार की क्रियाएँ
- 3 बक तरलता के नियम,
- 4 विशिष्ट निर्णय
- 5 नतिक दबाव
- 6 चयनात्मक साख नियत्रण।

1 बक दर (Bank Rate)

आशय—बैंक-दर वह अधिकृत न्यूनतम दर है जिमें पर बक ऑफ़ इंग्लैंड—

अंतिम श्रृंगारता (lender of last resort) के रूप में कार्य करते हुए—सदन मुद्रा बाजार के सदस्यों द्वारा इसके पास लाए गये प्रथम श्रेणी के भयवा बका के विनिमय-बिलो (Bills of Exchange) की बटौती—प्रयत्न अधिक उपयुक्त षरों में—पुनकटौती करता है।

बक दर का विकास—बैंक ऑफ इंग्लंड प्रथम बक धा जिनने साल निय त्रण के माधन के रूप में बक-दर का विकास किया। इस बक न साल निय त्रण के उद्देश्य से बक-दर का सबसेप्रथम प्रयोग सन् 1839 में किया, और उसके पश्चात् सन् 1847, 1857 और 1866 के सकट काल में किया।

इसके पश्चात्, उन्नासवीं शताब्दी के लगभग मध्य में यूरोप के अन्य देशों ने बैंक ऑफ इंग्लंड में बक-दर-नीति के समकित धनुभवों एवं बक-दर के सिद्धांत पर विचार किया। सन् 1857 में बैंक ऑफ फ्रांस में भी बैंक-दर की नीति अपनाई। इसके पश्चात् यूरोप के अन्य केंद्रीय बका ने भी बक-दर की नीति अपनाई।

बक-दर का निर्धारण व प्रकारान—सिद्धांतत इंग्लंड में बक-दर का निर्धारण केवल बक ऑफ इंग्लंड करता है। किंतु वास्तविकता यह नहीं है। व्यवहार में बक-दर का निर्धारण बक ऑफ इंग्लंड का कोट ऑफ डायरेक्टर्स, एक्स-चेंजर के परामर्श से करता है। इंग्लंड में बक दर प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रकाशित की जाती है। इसका केवल एक भयवाद है जब कि इस परिपाटी की मग करके 19 सितंबर 1931 को बक दर बढ़ाई गई जबकि उस दिन शनिवार था। इसका कारण यह था कि उस समय इंग्लंड में स्वर्ण भान भंग कर दिया गया।

इंग्लंड में परिपाटी यह रही है कि बक-दर में परिवर्तन की घोषणा स्टॉक-एक्सचेंज में की जाती है। इसके लिए, बक ऑफ इंग्लंड का कमचारी प्रत्येक बृहस्पतिवार को स्टॉक एक्सचेंज में भाना है और वहां पर इस काय के लिए निर्धारित बाड पर बक-दर लिख देता है। बैंक-दर में परिवर्तन की सभावना से स्टॉक-एक्सचेंज के सदस्य बैंक ऑफ इंग्लंड के कमचारी के भान पर अत्यंत उत्सुकता से बोड की ओर देखते हैं।

बैंक दर ट्रिभूनल (1957)—इस सबंध में यह उल्लेखनीय है कि बैंक दर में परिवर्तन की सूचना अत्यंत गुप्त रखी जाती है और केवल समय पर ही प्रकाशित की जाती है। सन् 1957 में इंग्लंड में बक दर 5½% से बढ़ाकर 7% कर दी गई। किंतु इस वृद्धि की घोषणा के पूर्व कुछ मर्चेंट बैंकों व बीमा-कम्पनियां ने प्रथम श्रेणी की व मरकारी प्रतिभूतियों को बहुत बड़ी मात्रा में विक्रय किया। बक-दर वृद्धि की घोषणा के बाद इन प्रतिभूतियों के भाव बहुत गिर गये जिसके फलस्वरूप मर्चेंट-बैंक व बीमा-कम्पनियों व अन्य विक्रेताओं का भारी लाभ हुआ।

इस कारण धनक क्षत्रों में यह सदेह प्रकट किया गया कि बक-दर में वृद्धि की सूचना कुछ व्यक्तियों का पहले ही किसी प्रकार पात हा गई थी। इससे संबंधित चासनर ऑफ एक्स-चेंजर के अतिरिक्त चार व्यक्ति और थे जो कि उस समय बैंक ऑफ इंग्लंड के भाशिक-समय (Part-time) के डायरेक्टर्स थे तथा अन्य सम्बन्धों

के व डायरेक्टस भी थे। अतः इन पांचा व्यक्तियों पर सदेह किया गया कि इनके द्वारा सूचना समय से पूर्व, किसी अथवा किन्हीं व्यक्तियों को बतला दी गई है।

अतः सन् 1957 में बक-दर-ट्रिब्यूनल यह जांच करने के लिए स्थापित किया गया कि क्या इन आरोपों में सत्यता है। इस ट्रिब्यूनल के चेयरमन लॉर्ड जस्टिस पारकर थे, जो बाद में लॉर्ड चीफ जस्टिस हो गए। गवाहियों की सुनवाई के पश्चात् ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि पांचा सबधित व्यक्ति उच्च निष्ठावान् नाछनरहित प्रतिष्ठा के व्यक्ति हैं। यद्यपि दास्थानों पर वे मचालक थे किन्तु फिर भी उन्होंने अपने चरित्र को बनाए रखा और वे आरोप-मुक्त हैं।

बक ऑफ इंग्लण्ड अतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है अतः मापन पर मुद्रा-बाजार के व्यापारियों को साख के लिए मना कभी नहीं करता। बक से भुनाय जाने वाले विनिषम बिल प्रथम श्रेणी के हाने चाहिये अथवा ट्रेजरी बिल होना चाहिये। ये बिल अत्रिक न अधिक तीन महिने की अवधि के होते हैं किन्तु साधारण परिस्थितियों में बक केवल ऐसे बिलों को ही लेता है जो कुछ सप्ताहों में परिपक्व होने वाले हों। इसके अतिरिक्त बक ऑफ इंग्लैंड अल्पकालीन-बॉन्डों के आधार पर भी ऋण देता है।

मौद्रिक-नीति के सम्बन्ध में बक-दर, बक ऑफ इंग्लैंड का प्रमुख साधन रहता है अतः बक-दर में परिवर्तन के साथ अथवा ब्याज की दरें भा ऊँची व नीची हो जाती हैं। उदाहरण के लिए व्यापारिक बैंक द्वारा ऋणा व अधिविक्रयों (over drafts) पर ग्राहकों से चार्ज की जाने वाली ब्याज दर एवं निक्षेप पर ब्याज-दर बक-दर के अनुसार ऊँची नीची होनी रहती है। मकान खरीदने के लिए दिए गए ऋणों पर गृह-समितियों द्वारा चार्ज की जाने वाली ब्याज-दर, बक-दर के अनुसार घटती बढ़ती नहीं है। किन्तु जब बैंक दर ऊँची होती है तो उनकी बचक-दर भी ऊँची होती है, और जब बैंक दर नीची होती है तो बचक-दर भी नीची होती है। अतः बक-दर में वृद्धि का सामान्य प्रभाव यह पड़ता है कि ऋण लेना अधिक व्यय-शील (अथवा महंगा) हो जाता है। यह प्रभाव न केवल व्यापारी, अथवा निजी ऋणों पर पड़ता है वरन् सरकार एवं स्थानीय अधिकारियों के लिये भी ऋण लेना महंगा पड़ता है। जब बक दर नीची हो जाती है तो अथवा ब्याज की दरों में भी कमी होने की प्रवृत्ति पाई जाती है अतः ऋण लेना सस्ता हो जाता है। जब बक दर नीची होती है तो कहा जाता है कि मुद्रा सस्ती है (money is cheap) और इसके विपरीत जब बक दर ऊँची होती है तो कहा जाता है कि मुद्रा महंगी है (money is dear)

उत्तरीसवी शताब्दी के अतिम भाग में, बल्कि सन् 1914 के पूर्व तक, मुद्रा का पूर्ण बढान अथवा घटाने के लिये बैंक ऑफ इंग्लैंड खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से बक दर के साधन को भी प्रयोग में लाता रहा। ऊँची बैंक-दर ऋणों को हतात्महित करती हैं और नीची बैंक दर प्रोत्साहित करती हैं। अतः उस समय मौद्रिक नीति को सफल बनाने के लिये बक ऑफ इंग्लैंड बक-दर को ही प्रमुख साधन मानता था। खुले बाजार की क्रियाएँ तो केवल बक-दर को प्रभावित बनाने के लिये

की जाती हैं—ऐसा मत बंक ऑफ इंग्लैंड का था। अतः जब देश में मुद्रा की मात्रा कम करनी होती थी तो एच और बंक ऑफ इंग्लैंड बंक-दर में वृद्धि कर देता था, और साथ ही दूसरी ओर खुल बाजार में प्रतिभूतियाँ का विपणन करके तण जाता था।

सन् 1844 और सन् 1900 के मध्य बीच ऑफ इंग्लैंड ने अपनी बंक-दर में 400 बार और सन् 1901 और जुलाई 1914 तक 66 बार परिवर्तन किए।¹

सन् 1931 के पश्चात् यह विचारधारा जोर पकड़ती गई कि मौद्रिक-नीति के लिये बंक-दर एक प्रभावशाली साधन नहीं है। मदी के काल में यह आवश्यक नहीं है कि नीची बंक-दर ऋणों को प्रोत्साहित कर अतः बंक-दर का महत्व कम होने लगा। सन् 1932 और 1951 के मध्य बंक दर लगभग 2 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही, केवल सन् 1939 में विश्व युद्ध की घोषणा के बाद अल्प काल में बंक-दर में परिवर्तन हुये। सन् 1951 के पश्चात् बंक-दर में स्थायित्व समाप्त हो गया और 1964-69 के मध्य इनके बार बंक दर 8 प्रतिशत तक हो गई। बंक-दर के प्रभावशील होने के सम्बन्ध में विद्वानों में अभी भी मतभेद है। मौद्रिक-नीति के लिये बंक दर को साधन समझने के विरोधियों का मत है कि सन् 1951 के पश्चात् मौद्रिक नीति की सफलता के अथवा नीतियों के साथ बंक दर का प्रयोग किया गया है जस क्रम-क्रम में परिवर्तन, ट्रेजरी के निर्देश, विशिष्ट निक्षेप आदि जिन्हें Package Deal² कहा जाता है।

जो विद्वान बंक-दर के प्रयोग के पक्ष में हैं वे तर्क देने हैं कि बंक-दर का प्रभाव मन् गति से हो सकता है जसा कि 1930 की महान आर्थिक मदी के काल में हुआ था किन्तु इसका (बंक दर का) एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह होता है कि इससे मौद्रिक अधिकारियों के विचार का सहज अनुमान लग जाता है। उनका मत है कि आन्तरिक स्थिति के लिये बंक-दर प्रभावशील ही अथवा नहीं, इसका वास्तविक प्रभाव अवश्य होता है। यदि भुगतान का मतलब विपक्ष में हो तो बंक-दर में वृद्धि से देश से विदेशी कोषों का जाना रक सकता है अथवा विदेशों से ऐसे कोष आकर्षित हो सकते हैं।

1 De kock Central Banking p 149

2 Package Deal शब्द का प्रयोग रैडक्लिफ रिपोर्ट (Redcliffe Report) (नियुक्ति 1957 रिपोर्ट 1950) में प्रथम बार प्रयोग किया गया है। इसका आशय है कि मौद्रिक-नीति के अन्विवादी साधनों की नीति के नवीन साधनों—जसे पाट का अथवा आधिक्य का बजट, क्रय करों में परिवर्तन, ट्रेजरी के निर्देश और विशिष्ट निक्षेप आदि—स मिलाकर काम करना। यदि इन साधनों का अलग अलग प्रयोग किया जाय तो मौद्रिक नीति के सफल होने में सन्देह है किन्तु यदि इनका एक साथ प्रयोग किया जाय तो मौद्रिक नीति के सफल होने की अधिक संभावना है। अतः मौद्रिक-नीति के अन्विवादी और नवीन साधनों को मिलाकर काम करना पक्का डीन कहलाता है।

रडक्लिफ-कमेटी (1957-1959) के समक्ष बैंक ऑफ इंग्लण्ड के चीफ कशियर ने बतलाया कि किस ढंग से बक-दर को प्रभावित किया जाता है। उन्होंने इसे इस प्रकार बतलाया कि यदि हम अल्पकालीन दर में वृद्धि या कमी करना चाहते हैं, जबकि बक-दर एक निश्चित स्तर पर होनी है तो प्रथम दर जो प्रभावित होती है वह ह ट्रेजरी बिल दर। मान लो कि अल्पकाल की दर को ऊंचा करना चाहते हैं तो बाजार में मुद्रा की मात्रा कम करनी पड़ेगी और इसके परिणामस्वरूप बट्टा बाजार को हमस बड़ी मात्रा में और बार-बार ऋण लेने पड़ेंगे। इसके परिणाम स्वरूप उनके ट्रेजरी बिलों और अल्पकालीन बाँधों के लिये वित्तीय प्रबंध करने के लिये उन्हें ऊंची दर से प्राप्त करना पड़ेगा। केवल इस कारण से ही वे चाहेंगे कि उनके द्वारा किये जाने वाले ट्रेजरी बिलों की दर नीची रहे ताकि उनका लाभ रहे।

व्यापारिक बका की प्रचलित दरों को ट्रेजरी बिलों और अल्पकालीन बका को दरें प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती हैं क्योंकि इन बिलों व बाँधों के आधार पर ही व्यापारिक बैंक बैंक ऑफ इंग्लण्ड से ऋण लेते हैं। व्यापारिक बका विभिन्न प्रकार के निक्षेप (Deposits) के लिये दी जाने वाली व्याज दरों को बक-दर के सदम में निश्चिन्त करते हैं। ये दरें प्रचलित बका दर से लगभग 2 प्रतिशत नीची होता है। अन्य दरें जस ऋण व अग्रिम देन की दरें, भी बक-दर से प्रभावित होती हैं।

बक-दर में परिवर्तन भविष्य की व्यापारिक-सभावनाओं का भी प्रभावित करता है। अतः साख की मात्रा और स्टाक बाजार के मूल्य भी प्रभावित होते हैं।

परिपाटी के अनुसार बट्टा बाजार बैंक ऑफ इंग्लण्ड से बक-दर पर ऋण लेता है। इन ऋणों की यूनतम अवधि सात दिन होती है। निश्चिन्ते कुछ वर्षों से बैंक ऑफ इंग्लण्ड ने इस सम्बन्ध में कुछ अधिक लोचदार नीति अपनाई है—राज्य भर के लिये अथवा अधिक अवधि के लिये बक-दर अथवा बाजार दर पर ऋण देना। किन्तु साथ ही बक ने यह अधिकार भी अपने पाम सुरक्षित रखा है कि वह न्यूनित जाने वाले ऋणों पर प्रचलित बक-दर से ऊंची व्याज दर चार्ज कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप बिलों की कटौती दर अपेक्षाकृत अधिक ऊंची रख सकता है और इसका फल यह होता है कि बिना बैंक दर ऊंची किये विदेशों से कोष आकर्षित हो सकता है, और कोष देश से बाहर जाने में हतोत्साहित होते हैं।

बक-दर के बाह्य प्रभाव—बैंक-दर में परिवर्तन के बाह्य (External) प्रभाव पड़ते हैं। बैंक-दर में वृद्धि होने से विदेशों से कोष आकर्षित हो सकते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में सन्तान में कोषों को रखना अधिक लाभप्रद होता है। अन्य देशों की अपेक्षा व्याज दर अधिक होने के कारण प्रत्यक्ष लाभ अधिक हो जाता है। बक-दर में वृद्धि, इस बात का भी प्रतीक समझा जाता है कि इंग्लण्ड के मौद्रिक अधिकारी पौंड की स्थिति मजबूत बना रहे हैं और इसका प्रभाव यह होता है कि विदेशों में स्टलिंग के धारकों के विश्वास में वृद्धि होती है। इसके अनिश्चित एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह भी पड़ता है कि विदेशी विनिमय-बाजारों में पौंड की विनिमय दर में भी वृद्धि होती है।

हा जाते हैं क्योंकि यह आशा मजबूत हो जाती है कि स्टर्लिंग का अवमूल्यन नहीं होगा।

रडक्लिफ कमिटी ने कहा था बैंक दर में परिवर्तन प्रतीकात्मक होता है क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इंग्लैंड मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए दृढ़ विचार में काम कर रहा है।

2 खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)

बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक-नीति के दो परम्परागत (Traditional) साधन हैं—बैंक दर एवं खुले बाजार की क्रियाएँ। बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा खुले बाजार की क्रियाएँ अपनाने के अनेक उद्देश्य हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

- (i) व्यापारिक बैंकों के बैंक ऑफ इंग्लैंड में शेष (Balances) को प्रभावित करने के लिए,
- (ii) बैंक दर को प्रभावशील बनाने के लिए अथवा बैंक दर में परिवर्तन करने के लिए पृष्ठभूमि बनाने के लिए,
- (iii) सरकार के नए ऋण व निगमन अथवा पुराने ऋणों के नवीनीकरण के लिए,
- (iv) युद्ध के लिए वित्त का प्रबंध करना के लिए, आदि।

खुले बाजार की क्रियाएँ व उद्देश्यों को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रडक्लिफ कमिटी (1957-59) के सम्मुख विस्तार से बतलाया है और इनके अपने प्रकाशन (Quarterly Bulletin) में भी इस सम्बन्ध में कुछ बतलाया है। उनका अध्ययन करने के पश्चात्, उन उद्देश्यों का संक्षेप में नीचे संकलित किया गया है—

- 1 मुद्रा की बहुत कमी अथवा अधिकता से उत्पन्न होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रभावों से बचाव बाजार व बैंक को सुरक्षित रखने के लिए।
- 2 ट्रेजरी बिलों की दर का एक निश्चित-स्तर पर रखने के लिए। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि देश में अंतर्राष्ट्रीय अल्प-मालीन पूँजी व आवागमन का प्रभावित किया जा सके ताकि स्वण व विदेशी विनिमय के बोझों को उचित स्तर पर रखा जा सके। यद्यपि इस उद्देश्य के लिए बैंक-दर एक प्रभावशील अस्त्र है किंतु ट्रेजरी बिलों की दर को बैंक-दर आवश्यक सम्बन्ध में रखने के लिए खुले बाजार की क्रियाएँ आवश्यक हैं। बैंक दर और ट्रेजरी बिलों की दर का सम्बन्ध क्लिष्ट है क्योंकि कभी-कभी देशी परिस्थितियाँ बैंक-दर व स्तर को प्रभावित करती हैं जिसके परिणामस्वरूप ट्रेजरी बिलों की दर आवश्यक स्तर पर प्रभावित नहीं हो पाती। अतः खुले बाजार की क्रियाएँ आवश्यक हैं।
- 3 इनके द्वारा यह बैंक देश के विकास की तरलता को प्रभावित करता है।
- 4 बैंक ऑफ इंग्लैंड को राष्ट्रीय-ऋण का प्रबंध करना पड़ता है। इसके लिए इस बैंक का सरकारी प्रतिभूतियों के निगमन एवं समय पर उनके भुगतान की व्यवस्था करनी पड़ती है।

5 देश की अर्थव्यवस्था के हित में विनियोग एवं बचत में उचित स्तर पर रखने के लिए दीर्घकालीन ब्याज-दरों को ऊँचा अथवा नीचा करना।

बिलों के प्रकार—बिल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम व्यापारिक बिल जिनकी उत्पत्ति वास्तविक व्यापारिक सौदा (माल के क्रय व विक्रय) के कारण होती है। ये देशी बिल अथवा विदेशी बिल हो सकते हैं।

इन बिलों द्वारा अल्प कालीन पूँजी को प्राप्त करने के आश्वासन से दूसरे प्रकार के बिल—वित्तीय बिल (Financial Bill) का प्रादुर्भाव हुआ। ये भी व्यापारिक बिलों की भाँति ही होते हैं किन्तु अन्तर केवल यह होता है कि इनकी उत्पत्ति मान के वास्तविक क्रय विक्रय के कारण नहीं होती। वास्तव में यह अल्पकाल के लिए पूँजी प्राप्त करने वाले द्वारा एक प्रतिज्ञा (Promise) है कि वह निश्चित भावी तिथि पर निश्चित राशि का भुगतान कर देगा। वित्तीय बिल का एक प्रमुख रूप ट्रेजरी बिल है।

ट्रेजरी बिल—ट्रेजरी बिल, सरकार द्वारा निगमित एक प्रतिज्ञा है जिनमें वह बचन देती है कि वह बिल के धारक को एक भावी तिथि पर निश्चित राशि का भुगतान करेगी। इंग्लैंड में इन ट्रेजरी बिलों का सबसे प्रथम प्रयोग आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व सन् 1877 में हुआ। ये बिल साधारणतः 91 दिनों की अवधि के होते हैं—अर्थात् निगमन की तिथि से 91 दिनों पश्चात् इसका भुगतान कर दिया जाता है। किन्तु कभी कभी मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 63 दिनों की अवधि के ट्रेजरी बिल भी निगमित किए जाते हैं।

ट्रेजरी बिलों के प्रकार—इंग्लैंड में ट्रेजरी बिल दो प्रकार के होते हैं—प्रथम टैपर बिल और द्वितीय समानांतर बिल (Tap bill)। टैपर बिल उन ट्रेजरी बिलों को कहते हैं जो सरकार (अर्थात् सरकार की धार से बक ऑफ इंग्लैंड) बाजार में विक्रय के लिए डालती है। इन बिलों पर ब्याज-दर का उल्लेख नहीं होता है वरन् केवल अंकित मूल्य लिखा होता है। समानांतर बिल (Tap bills) वे होते हैं जिन्हें सरकार बाजार में विक्रय नहीं करती, वरन् प्रथम रूप से सरकारी विभाग (जिनके पास कापा का आधिकार है) तथा बक ऑफ इंग्लैंड के निगमन विभाग (Issue Deptt) को वित्तिय करती है। इन बिलों पर ब्याज की दर भी निश्चित होती है। ट्रेजरी बिल का रूप (Form) इस प्रकार का होता है—

Specimen

Due 14 January 1971	
TREASURY BILL	
Per Acts 40 Vict C 2 and 52 Vict C 6	
£ 10 000	A
London	12,438
This Treasury Bill entitles	
to payment of Ten Thousand Pounds at the Bank of England	
out of the Consolidated Fund of the United Kingdom on	
the 14th day of January 1971	
Sd	or order
Secretary to Treasury	

नोट—यदि ट्रेजरी बिल का धारक विदेश में होता है तब तो प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम लिखने के लिए रिक्त-स्थान पर उसका नाम लिख दिया जाता है, अन्यथा यदि धारक इंग्लंड में ही है तो प्रायः उसका नाम नहीं लिखा जाता है तथा इस दिशा में ट्रेजरी बिल के वाहक (Bearer) को उसका भुगतान कर दिया जाता है।

ट्रेजरी बिलों का निगमन—प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को ट्रेजरी एक निश्चित राशि के ट्रेजरी बिलों को टेंडर द्वारा विनय के लिए बाजार में प्रस्तुत करती है। ये बिल प्रायः 91 दिन की अवधि के होते हैं। ये ट्रेजरी बिल £5 000 £10 000 £25,000 और £1 00 000 पाँड के अंकित मूल्य के होते हैं। प्रति शुक्रवार को ट्रेजरी एक निश्चित राशि घोषित कर देती है जिस मूल्य के ट्रेजरी बिल अगले सप्ताह ट्रेजरी विनय के लिए प्रस्तुत करेंगी।

मुद्रा बाजार की सस्थाएँ जो जितने मूल्य के ट्रेजरी बिल को लेना चाहती हैं—ट्रेजरी बिलों के लिए 'टेंडर' (Tender) देती हैं। ट्रेजरी बिलों के टेंडर की राशि जितनी अधिक होती है सरकार को उतनी ही नीची बट्टा-दर देनी पड़ती है जस 5 000 पाँड के ट्रेजरी बिल के लिए 4950 पाँड का टेंडर दिया गया तो बट्टा दर 1 (एक) प्रतिशत हुई। इसके विपरीत, टेंडर की राशि जितनी कम होती है सरकार को उतनी ही ऊँची बट्टा दर देनी पड़ती है जैसे यदि 5000 पाँड के ट्रेजरी बिल के लिए 4900 पाँड का टेंडर दिया गया तो बट्टा-दर 2 प्रतिशत होगी।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 50 000 पाँड से कम मूल्य के ट्रेजरी बिलों के लिए टेंडर स्वीकार नहीं किये जाते हैं, अर्थात् टेंडर को प्रस्तुत करने वाले को कम से कम 50 हजार पाँड के मूल्य के ट्रेजरी बिल खरीदने के लिए तयार रहना चाहिए। प्रायः ऐसा होता है कि बट्टा गृह एसोसियेशन के सदस्य एक सम्मिलित टेंडर (Syndicate Tender) भर देते हैं। अथवा टेंडर प्रस्तुतकर्ता प्रायः विदेशी बैंक होते हैं।

बैंक ऑफ इंग्लंड ट्रेजरी प्रतिनिधि की उपस्थिति में टेंडर खोलता है आवंटन (allotment) करता है और निगमित करता है। इसके अतिरिक्त इसका सम्बन्ध में राशि प्राप्त करता है और एक्स-चेंजर के खाते में जमा कर देता है। बैंक ऑफ इंग्लंड अपने ग्राहकों जैसे अथवा केन्द्रीय-बैंकों की ओर से टेंडर दे सकता है किन्तु सबसे ऊँची दर प्रस्तुत करने वाले को ही ट्रेजरी बिल प्राप्त होते हैं। टेंडर प्रस्तुत करने वाला म बट्टा गृह, विदेशी बैंक जिनकी शाखाएँ लन्दन में हैं और इंग्लंड के बैंक प्रमुख हैं। बड़ी औद्योगिक कम्पनियाँ भी इन बिलों को खरीदती हैं किन्तु इंग्लंड के बैंकों के माध्यम से।

भुगतान की तिथि पर बैंक ऑफ इंग्लंड ट्रेजरी बिलों का भुगतान भी करता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड अपनी दर को प्रभावशील बनाए रखने के लिए यदि आवश्यक हो तो स्वयं के लिए भा ट्रेजरी बिलों का क्रय विनय करता है यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड स्वयं प्रत्यक्षरूप से ट्रेजरी बिलों के मुले बाजार की क्रियाएँ (अर्थात् ट्रेजरी बिलों का क्रय विनय) नहीं करता है, किन्तु ये क्रियाएँ

बट्टा इलाली की किमी फम के द्वारा करवाई जाती है। इम फम का जो प्रतिनिधि होता है उसे विशेष क्रेतता (Special buyer) कहते हैं और इसकी ट्रेजरी बिलों के क्रय अथवा विक्रय के संबंध में बक ऑफ इंगलंड विशेष निर्देश प्रदान करता है। यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि बक ऑफ इंगलैंड स्वयं प्रत्यक्ष रूप में इन क्रियाओं को नहीं करता है किंतु ट्रेजरी बिलों के क्रय विक्रय की मात्रा, स्वभाव आदि में तुरंत ज्ञात हो जाता है कि ये सौद बैंक ऑफ इंगलंड के लिए क्रिय जा रह हैं।

आर्थिक वर्ष के अंतिम तीन महीना में इंगलैंड की सरकार का अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था भाग को द्वारा प्राप्त हो जाता है किंतु वर्ष के शेष भाग में अपने व्ययों के लिए कुछ ऋणों की आवश्यकता होती है। ट्रेजरी बिलों के माध्यम से ऋण सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। ट्रेजरी बिलों के माध्यम से ऋण सस्ती दरों में प्राप्त हो जाते हैं अतः कभी कभी आवश्यकता से भी अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त कर लिए जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि ट्रेजरी बिलों का प्रचलन इंगलैंड में सन् 1877 से बाल्टर बजहॉट (Walter Bagehot) के परामर्श (suggestion) से आरम्भ हुआ था और कालान्तर में इसका उपयोग बढ़ता ही गया। सन् 1910 में इंगलैंड में लगभग 36 मिलियन पाउंड सन् 1936 में 600 मिलियन पाउंड और सन् 1970 में 3250 मिलियन पाउंड के मूल्य से भी अधिक ट्रेजरी बिल निगमित किए गये।

खुले बाजार की क्रियाएँ और साख नियन्त्रण—खुले बाजार की क्रियाओं से साख का नियन्त्रण अत्यंत प्रभावशील ढंग में होता है। यदि बक ऑफ इंगलैंड साख को सकुचन करना चाहता है तो बक ऑफ इंगलैंड ट्रेजरी बिलों का विक्रय करना आरम्भ कर देता है। अतः व्यापारिक-बैंक इन्हें खरीदते हैं और प्रायः स्वयं अपने ऊपर अथवा बैंक ऑफ इंगलैंड पर (अपने निक्षेपों के विह्वल) चक निख देते हैं। जिसके फलस्वरूप स्वयं के कोष अथवा बक ऑफ इंगलैंड में उनके निक्षेप कम हो जाते हैं। बैंक ऑफ इंगलैंड में अथवा व्यापारिक बैंक अपने शेषों (balances) का पूर्ति करने के लिए और नकद राशि जमा कराते हैं जिससे व्यापारिक बैंकों की साख सृजन की शक्ति कम हो जाती है।

इसके विपरीत यदि बक ऑफ इंगलैंड साख विस्तार करना चाहता है तो वह ट्रेजरी बिलों का क्रय करना आरम्भ कर देता है। इसके फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों के निक्षेपों में वृद्धि होती है और उनकी साख-सृजन की शक्ति में वृद्धि हो जाती है।

3 बैंक तरलता के नियम

(Bank Liquidity Rules)

तरलता का प्रथम नियम—बैंक सदैव यह चाहते हैं कि एक ओर तो उनकी सम्पत्तियों (assets) में अत्यधिक तरलता और दूसरी ओर उनकी ऋण देन की शक्ति एवं लिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि हो। प्राक्कों के लिए जान जाने वाले ऋण, बैंक सम्पत्तियाँ का सबसे कम तरल भाग होता है। प्राक्कों के निक्षेपों में से ~~...~~

ग्राहकों को ऋण देते हैं और बैंकों का यह प्रमुख दायित्व है कि वे अपने ग्राहकों को उनके निक्षेपों में से मांग पर भुगतान अवश्य करें। अतः तरलता बनाए रखने के लिए उनके द्वारा प्राप्त निक्षेपों और उनके द्वारा रखे जाने वाले नकद कोषों में एक निश्चित अनुपात रखना आवश्यक हो गया। दूसरे शब्दों में कुल निक्षेपों का एक निश्चित प्रतिशत नकद कोष में रखना आवश्यक हो गया। अतः इंग्लैंड के बैंकों का यह प्रथम तरलता का नियम था कि वे अपने कुल निक्षेपों का कम से कम 10 प्रतिशत भाग नकद कोष के रूप में रखें। सन् 1946 से यह 8 प्रतिशत कर दिया गया है जो आज भी है। बैंकों को यह नकद कोष बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखना पड़ता है किन्तु यदि बैंक चाहें तो इस राशि को प्रायः तिजोरियों में (Till money) नोट व सिक्कों के रूप में भी रख सकते हैं।

तरलता का द्वितीय नियम—किसी भी बैंक के लिए नकद राशि की सामान्य मांग की पूर्ति करने के लिए 8 प्रतिशत का नकद कोष पर्याप्त होता है किन्तु मांग होने पर निक्षेपकर्ताओं को जितनी राशि की अपने निक्षेप में से मांग करें भुगतान करना बैंक का दायित्व है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि बैंक ऐसी स्थिति में रहे कि वह असाधारण मांग की दशा में अपनी कुछ सम्पत्तियों (assets) को नकद राशि में शीघ्रता से बदल ले। एक ओर तरलता और दूसरी ओर लाभ इन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करने का यत्न किया गया। यदि ब्याज के सिद्धांत का अध्ययन किया जाय तो जात होगा कि संपत्ति में जितनी अधिक तरलता होगी उसके लिए ब्याज दर भी उतनी ही नीची होगी। उदाहरण के लिए व्यापार या उद्योगों को दिए गए ऋणों में तुलनात्मक कम तरलता होनी है क्योंकि ऐसे ऋणों की वापसी मांगने पर तुरन्त नहीं होती है वरन् जिस अवधि के लिए ऋण लिया जाता है उस अवधि के समाप्त होने पर ही ऋण की वापसी की आशा की जा सकती है। बैंक यदि नकद राशि को अपने पास तिजोरियों में रखता है तो यह अत्यधिक तरल है किन्तु इससे बैंक को कोई आय नहीं होती और राशि व्यय में ही बर्बाद होती है।

अतः बैंक अनेक वर्षों तक अपने साधनों (निक्षेपों) के 30 प्रतिशत भाग को मांग एवं अल्प-सूचना पर देय ऋणों (money at call and short notice) अथवा बिना की कटौती में लगातार रहें क्योंकि इन दोनों भागों की राशि अधिक तरल (अथवा विनियोगों की अपेक्षा) होती है। इस तरलता का द्वितीय नियम अथवा माध्यमिक तरलता का अनुपात (secondary liquidity ratio) कहते हैं। सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के माध्यम से देश के व्यापारिक-बैंकों से 'प्रायता' की। उनके कुल निक्षेपों का कम से कम 30 प्रतिशत (बाद में यह 28 प्रतिशत कर दिया गया) तरल-संपत्ति (liquid assets) के रूप में (मांग एवं अल्प-सूचना पर देय अथवा बिना की कटौती में) मन्व ही रहना चाहिए।

रैंडकिनफ कमिटी (स्थापित सन् 1957—रिपोर्ट 1959) ने इस बात पर जोर दिया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड यह आवश्यक कर दे कि प्रत्येक बैंक अपने कुल

निक्षेपो का कम से कम 25 प्रतिशत भाग तरल संपत्ति के रूप में रखें। अतः सन् 1963 से इंग्लैंड के बैंक अपने निक्षेपो के 28 प्रतिशत भाग को तरल संपत्ति के रूप में रखने लगे हैं। अतः इससे भी बढा की साख सृजन की शक्ति नियंत्रित होती है।

4 विशिष्ट निक्षेप (Special Deposits)

यह कहा जा सकता है कि देश के व्यापारिक बैंक का नियंत्रण में रखने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के अस्त्रागार (armoury) में सन् 1960 तक उधरात केवल तीन अस्त्र ही थे, किंतु व्यापारिक द्वारा स विशिष्ट निक्षेप मागने का अधिकार, बैंक ऑफ इंग्लैंड का देकर चौथा अस्त्र भी प्रदान कर दिया है। यह उल्लेखनीय है कि इस अस्त्र को प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य परिपाटीबद्ध (traditional) अस्त्रों का अधिक प्रभावशील बनाना है।

रडक्लिफ कमिटी के परामर्श के परिणामस्वरूप ही बैंक ऑफ इंग्लैंड को यह अधिकार दिया गया कि वह इंग्लैंड के व्यापारिक बैंकों से विशिष्ट निक्षेप (Special Deposits) की माग कर सके। व्यापारिक बैंकों के सामान्य निक्षेपो की तुलना में विशिष्ट निक्षेप तीन प्रकार में भिन्न हैं—प्रथम, विशिष्ट निक्षेप अनिवार्य (Compulsory) होते हैं। व्यापारिक बैंकों को बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा एक नोटिस दे दिया जाता है कि उनके कुल निक्षेपो का एक निश्चित प्रतिशत भाग बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास एक निश्चित तिथि तक जमा करा दी जावे। यह नोटिस आदेशक (Mandatory) होता है। द्वितीय बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास ग्रय बैंकों के सामान्य निक्षेपो को व किसी भी प्रकार अपनी इच्छानुसार प्रयोग में न सकत हैं किंतु विशिष्ट निक्षेप की राशि को वे केवल उस समय ही वापिस ले सकते हैं अथवा उपयोग कर सकत हैं जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड उन्हें इसकी अनुमति दे। तृतीय विशिष्ट निक्षेप को तरलता अनुपात (liquidity ratio) की गणना करते समय तरल-संपत्ति (liquid asset) के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता। यह उल्लेखनीय है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड इन विशिष्ट निक्षेपो पर प्रचलित ट्रेजरी बिल दर से ब्याज देता है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यह भा स्पष्ट कर दिया है यदि किसी भी व्यापारिक बैंक ने विशिष्ट निक्षेप का राशि जमा कराने के लिए दीघकालीन-सरकारी प्रतिभूतियाँ का विक्रय खुद बाजार में किया तो वह (बैंक ऑफ इंग्लैंड) उम अत्यंत अनुपकार (extreme disfavour) की दृष्टि में देखेगा।

विशिष्ट निक्षेप का अस्त्र भी शक्तिशाली है। इस प्रकार के निक्षेप मागकर व्यापारिक-बैंकों की साख-सृजन की शक्ति पर तुरन्त नियंत्रण हो जाता है क्योंकि उनके पास के निक्षेपो का एक निश्चित भाग बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास आ जाता है।

इस अस्त्र का सबसे प्रथम प्रयोग बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अप्रैल 1960 में किया जबकि बैंकों से उनके कुल निक्षेपो का 1% भाग विशिष्ट निक्षेप के रूप में

(बैंक ऑफ इंग्लैंड ने) मांगा। सन् 1960 से 1970 तक की अवधि में विशिष्ट निष्पत्ति की दर 1 से 3 प्रतिशत रही और न्यूनतम दर शून्य (Zero) रही है। आजकल यह 2% है।

यदि बैंक ऑफ इंग्लैंड चाहता है कि माँग का मृजन अधिक हो तो वह इस विशिष्ट निष्पत्ति की राशि को मुक्त (release) कर देता है जिसके परिणामस्वरूप बैंक की साख मृजन क्षमता में वृद्धि हो जाती है।

सन् 1961 में विशिष्ट निष्पत्ति की राशि लगभग 174 मिलियन पाँड थी, किंतु 1962-63 में मौद्रिक अधिकारियों ने आर्थिक क्रियाप्राप्ति को प्रोत्साहन देने के हेतु साख विस्तार के उद्देश्य से इन विशिष्ट निष्पत्तियों को वापिस कर लिया। सन् 1965 में पुनः विशिष्ट निष्पत्ति मांग गयी जब कि माँग पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया। सन् 1969 में विशिष्ट निष्पत्ति की मात्रा लगभग 220 मिलियन पाँड हो गई थी।

5 नैतिक दबाव

(Moral Suasion)

माँग नियंत्रण के लिए नैतिक-दबाव भी एक अस्त्र है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को स्थिति अप्रगामी बकर एवं वकींग प्रणाली के नियंत्रण के रूप में होने के कारण, इसका द्वारा प्रदान किया गया काइ भी परामर्श अथवा सबत, अथवा बका द्वारा अधिक सम्मान से देखा जाता है अतः अथवा किसी कठोर अस्त्र को अपनाये बिना ही आवश्यक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

व्यापारिक बैंक यह जानते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड प्रतिम क्रूरता है अतः वह अपनी इच्छा को जबरनस्ती भी कार्यान्वित करवा सकता है। अतः यदि बैंक ऑफ इंग्लैंड उपाहरण के लिए अथवा बका को यह संकेत दे देता है कि उनके द्वारा लिये जाने वाले ऋण तथा अग्रिम बहुत तेजगति से लिए जा रहे हैं, अथवा उनके द्वारा प्रतिभूतियाँ स्तनी अधिक मात्रा में तेजगति से वित्रय की जा रही है कि इससे प्रतिभूति बाजार का क्षति हो रही है तो देश के बैंक यही अधिक अग्रच्छा समझते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड उनको संकेत मात्र हा दे दे। वे इस बात की प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझते कि बैंक अथवा खुल बाजार की क्रियाप्राप्ति द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड कोई कार्यान्वित करे।

यह उत्तरवर्ती है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम नैतिक-दबाव का अस्त्र यद्यपि अत्यंत शक्तिशाली नहीं है किंतु फिर भी पर्याप्त प्रभावशील है। इसका कारण यह है कि देश के बैंक यह भनी भांति जानते हैं कि यदि बैंक ऑफ इंग्लैंड का नैतिक दबाव का अस्त्र अमफल हो गया तो वह अथवा कठोर एवं शक्तिशाली साधनों का प्रयोग करके वांछित परिणाम प्राप्त करेगा।

6 चयनात्मक साख नियंत्रण

(Selective Credit Control)

साधारण साख नियंत्रण का सामान्य प्रभाव यह होता है कि सभी प्रकार के ऋण मने बाने हनागति हात हैं—उनके उद्देश्य के सामाजिक-मूल्य (Social

value) पर ध्यान नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए यदि कोई गदी-कोठरिया (blums) को तुड़वाकर ठीक मकान बनवाने के लिए वित्तीय प्रबंध करना चाहता है, और दूसरी ओर कोई सटोरिया घुड़दौड़ का मैदान बनवाने के लिए वित्तीय प्रबंध करना चाहता है ता उन दोनों में अंतर नहीं किया जाता। अतः यह आवश्यक समझा गया कि देश के आर्थिक विकास एवं सामाजिक महत्वा का ध्यान में रखते हुए चयनात्मक साख नियन्त्रण नीति के अंतर्गत अधिकारीगण किसी अथवा किन्हीं विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए साख का निषेध अथवा साख की सीमा अथवा साख को प्रोत्साहित करते हैं।

इंग्लैंड में चयनात्मक साख नियन्त्रण के दो प्रमुख रूप हैं प्रथम, किराया खरीद (hire purchase) के व्यवहारों पर, और द्वितीय, नई पूंजी एकत्रित (raising of new capital) पर।

इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ ट्रेड¹ (Board of Trade) किराया खरीद के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए नियम आदि बनाना है। इंग्लैंड में किराया खरीद का प्रणाली बहुत ही लोकप्रिय है, विशेषतः उपभोग की वस्तुओं में, जैसे मोटर-कार, विद्युत-सामग्री, फरनीचर आदि।

सन् 1969 तक 10 हजार पौंड से अधिक पूंजी निगमन करने के लिए पूंजी निगमन समिती (Capital Issue Committee) में अनुमति लेनी आवश्यक थी। किंतु रडक्लिफ समिती की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार यह नीति सन् 1959 से हटा दी गई।

रडक्लिफ समिती (स्थापना 1957, रिपोर्ट 1959) ने यह सदेह प्रकट किया कि चयनात्मक-साख नियन्त्रण की नीति एक स्थाई अस्त्र के रूप में काय नहीं कर सकती। हा, अल्पकाल के लिए प्रभावशील अवश्य हो सकती है।

1 Board of Trade की स्थापना सन् 1786 में हुई थी। यह प्रिवा-वैमिल की एक समिती है। यह एक सरकारी विभाग के रूप में काय करती है। यह इंग्लैंड के व्यापार एवं वाणिज्य से सम्बन्धित है। इसका अध्यक्ष कबिनेट मंत्री का मनो होना है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थिति के संबंध में आवश्यक जानकारी के हेतु इनका बैंक रिटर्न (Bank Return) का प्रकाशन आवश्यक है। सन् 1844 के बैंक चार्टर एक्ट के अनुसार बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपना निगमन विभाग (Issue Department) और बैंकिंग विभाग के पृथक-पृथक रिपोर्ट तैयार करने एवं उन्हें प्रकाशित करना पड़ता है। यह बैंक ऑफ इंग्लैंड का साप्ताहिक (weekly) रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पत्र (Balance Sheet) है जिसका प्रकाश बुधवार (at the close of business on each Wednesday) की स्थिति बतलाई जाती है। सुमनामक प्रकाशन के लिए हमने साथ में 1937 के आंकड़े भी 'रिटर्न' में दिए हैं।

Bank of England-BANK RETURN (In Million Pounds)

ISSUE DEPARTMENT

Liabilities			Assets		
	1937	1970		1937	1970
Notes Issued			Govt Debt	11	11
In Circulation	498	3230 5	Govt Securities	185	3 230
In Banking Deptt	28	20 0	Other Securities	4	1
			Coin (other than gold)	—	2
			Fiduciary Issue	200	3 250
			Gold coin & bullion coin	326	0 5
	526	3,250 5		526	3 250 5

BANKING DEPARTMENT

Liabilities			Assets		
	1937	1970		1937	1970
Proprietor's Capital	14 5	14 5	Govt Securities	14 5	454
Rest	3 5	3 5	Other Securities		
Public Deposits	11 0	15 0	Discounts & Advances	20 5	46
Special Deposits	—	220 0	Other Securities	6 5	93
Other Deposits			Notes	28 0	20
Bankers	104 0	248 0	Gold & Silver Coin	1 0	1
Other Accounts	37 0	113 0			
	170 0	614 0		170 0	614

यह उल्लेखनीय है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड अपने लाभ हानि का खाता (Profit and Loss Account) प्रकाशित नहीं करता है बरन साप्ताहिक विवरण पत्र निर्धारित स्वरूप में प्रकाशित करता है। इस रिटन में बुधवार तक (as of Wednesday night) की स्थिति का विवरण होता है। इसके अतिरिक्त यह बैंक एक वार्षिक रिटन भी प्रकाशित करता है जिसमें उस वर्ष की 28/29 फरवरी तक का विवरण होता है। इंग्लैंड में बैंकिंग हिसाब का वर्ष 28/29 फरवरी को समाप्त होता है और प्रतिवर्ष 1 मार्च में आरम्भ होता है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा प्रकाशित 'बैंक रिटन' दो भागों में विभाजित है— निगमन विभाग (Issue Deptt) और बैंकिंग विभाग। प्रत्येक विभाग की मदें देनदारियाँ (Liabilities) व संपत्तियाँ (Assets) में पुन विभक्त हैं।

निगमन विभाग

बैंक रिटन के निगमन विभाग के 'दायित्व' (Liability) पक्ष में केवल एक मद है—निगमित नोट (Notes issued) इस मद में, निगमन विभाग द्वारा निगमित कुल नाटा की राशि है। बैंक ऑफ इंग्लैंड 'बरसी एण्ड बैंक एक्ट 1954' के अधीन नोटों का निगमन करता है।

ऐतिहासिक दृष्टि से निगमित-नोट की राशि बैंक ऑफ इंग्लैंड की देनदारी (अथवा दायित्व) थी क्योंकि मागन पर बैंक को इन नोटों को एक निश्चित दर से स्वयं में परिवर्तित करने का दायित्व था किंतु अब ऐसा नहीं है। 5 पौंड अथवा अधिक अंकित मूल्य के नोटों का परिवर्तित करने की माग होने पर अब बैंक ऑफ इंग्लैंड इनको 1 पौंड अथवा 10 शि के नोटों में बदल देता है।

रिटन में निगमित नोट पुन दो भागों में विभक्त हैं—चलन में (In circulation) और बैंकिंग विभाग में (In Banking Deptt)

चलन में नोटों से आशय है वे नाट जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाहर हैं अर्थात् देश में चलन में हैं। बैंकिंग विभाग में नोटों को स्थानों पर दिखाए गए हैं— निगमन विभाग के दायित्व पक्ष में और बैंकिंग विभाग के 'संपत्ति' पक्ष में। इससे आशय यह है कि इस मूल्य के नोट-बैंकिंग विभाग में रिजर्व के रूप में हैं जिन्हें देश में माग होने पर अन्य बैंकों व समाशोधन गृहों के द्वारा चलन में डाला जा सकता है। नीचे की तालिका में इंग्लैंड में नोटों की स्थिति बतलाई गई है—

नोटों की स्थिति		(In million Pounds)	
वर्ष	चलन में नोट	बैंकिंग विभाग में	योग
1937	498 0	28	526 0
1953	1549 9	25	1574 9
1967	2974 5	25	2999 5
1969	3308 5	25	3333 5
1970	3230 5	20	3250

प्रमुख दशा की बंकिंग प्रणालियों

रिटर्न के निर्गमन विभाग व 'सम्पत्ति' (Assets) पक्ष में मदों का विवरण इस प्रकार है—

1 सरकारी ऋण (Govt Debt)—यह मन् ब्रॉक इंगलैंड के रिटर्न में मूलकाल से चला आ रहा है—वास्तव में यह एक संयोजित स्मारक के रूप में है। यह वास्तव में पुराना ऋण है जिस विनियम तृतीय की सरकार ने ब्रॉक इंगलैंड की स्थापना के समय लिमा या जबकि इस बैंक ने अपनी ममस्त पूंजी उक्त ऋण के रूप में दी। तब से इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मन् 1937 से पूर्व भी यह राशि 11 मिलियन पौंड थी और मन् 1970 में भी यह राशि 11 मिलियन पौंड थी। यह राशि सरकार द्वारा ब्रॉक इंगलैंड से प्रत्यक्ष रूप में ऋण (direct borrow from the bank) की गति है। बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् अब इस मद का बैंक रिटर्न में कोई महत्व नहीं है बल्कि परिष्कार का पालन हो रहा है।

2 सरकारी प्रतिभूतियाँ (Govt Securities)—निगमन विभाग द्वारा निगमित विश्वासाहित (Fiduciary) पत्र मुद्रा के पीछे प्रमुख सम्पत्ति (Assets) 'सरकारी प्रतिभूतियाँ' हैं। वास्तव में यह सरकार को लिया गया ऋण है जो सरकारी प्रतिभूतियाँ, स्टॉक ट्रेजरी बिल आदि के रूप में प्रदर्शित हैं। बैंक ब्रॉक इंगलैंड इन सरकारी प्रतिभूतियों को जब आवश्यक समझे एक्स-चेंजर से भ्रषवा बढ़ा बाजार से ट्रेजरी बिलों को खरीदने के काम में तेज सक्ता है।

3 अन्य प्रतिभूतियाँ (Other Securities)—इस शीर्षक के अन्तर्गत अन्य समस्त प्रतिभूतियाँ सम्मिलित हैं जिनमें व्यापारिक बिल भी सम्मिलित हैं। इसमें विदेशी सरकारों के बिल व बॉन्ड भी शामिल हैं। अन्तर-युद्ध (inter war) काल में इस ब्रॉक ने भ्रष व ऋण पत्र (shares and debentures) खरादे थे जिससे देश के औद्योगिक विकास और पुनर्निर्माण में बहुत सहायता मिली।

4 सिक्के स्वण सिक्कों के अतिरिक्त (Coin other than gold coin)—जन साधारण एवं विशय रूप से व्यापारिक ब्रॉक द्वारा देश में प्रचलित सिक्का की मांग की पूर्ति करने के लिए ब्रॉक इंगलैंड अपने पास सिक्के (स्वण सिक्का व अतिरिक्त) भी रखता है। इसकी मात्रा संपत्ति (Assets) पक्ष में दिखाई जाती है।

5 स्वण सिक्के एवं बुलियन (Gold, Coin and Bullion)—ब्रॉक इंगलैंड थोड़ी मात्रा में स्वण सिक्के एवं बुलियन भी रखता है। मन् 1970 में लगभग 5 लाख मूल्य का स्वण सिक्के व बुलियन इस ब्रॉक के पास था। स्वण का भाव 262 मिलियन 10 पैसे प्रतिशुद्ध मौस के हिसाब से लगाया जाता है।

बंकिंग विभाग

बैंक ब्रॉक इंगलैंड के बैंक रिटर्न का दूसरा भाग 'बंकिंग विभाग' है जो कि पुन दो पक्षों में विभक्त है देनदारी (दायित्व) तथा सम्पत्ति पक्ष। इसके प्रमुख मद इस प्रकार हैं—

1 पूंजी (Capital)—सन् 1946 में बैंक के राष्ट्रीयकरण के पूर्व बैंकिंग विभाग की प्रथम देनदारी 'Proprietors' Capital के नाम से थी क्योंकि उस समय बैंक ऑफ इंग्लैंड संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी के रूप में था, जिसकी पूंजी प्रशाधारिया थी। यह पूंजी 14 5 मिलियन पाउंड (1 45 करोड़ पाउंड) है। सन् 1946 के बैंक ऑफ इंग्लैंड अधिनियम के अन्तर्गत यह बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया उसके पश्चात् रिटन में Proprietors' Capital के स्थान पर केवल Capital लिखा जाने लगा है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त एक्ट के अनुसार बैंक ऑफ इंग्लैंड की पूंजी सरकार की ओर से (on behalf of the Govt) ट्रेजरी सचिव द्वारा रखता है।

2 शेष (Rest)—शेष से आशय है बैंक का रिजर्व—जो कि राष्ट्रीयकरण के पूर्व के अविनष्टित-लाभा (Undistributed profits) के मध्य से बना है।

3 जन निक्षेप (Public Deposits)—बैंक ऑफ इंग्लैंड 'सरकारी बैंक' के रूप में भी कार्य करता है अतः इस मद के अन्तर्गत सरकार के खान में जो शेष (Balance) होता है वह दिखलाया जाता है। सरकार की समस्त धन्य बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा होनी है और समस्त भुगतान भी यहीं करता है। ब्रिटिश सरकार के समस्त प्रमुख खाते जैसे एमचकर, इंग्लैंड रेवेन्यू, पे मास्टर जनरल पास्ट मास्टर जनरल कमिश्नस ऑफ दि नेशनल डेब्ट (Debt) लाभांश खाते आदि—इसी बैंक में रखे जाते हैं।

4 अन्य निक्षेप (Other Deposits)—इसके अन्तर्गत दो मदें हैं—बैंकों के निक्षेप (Bankers Deposits) एवं अन्य खातों (Other Accounts)। बैंकों के निक्षेप के अन्तर्गत वह राशि है जो कि ब्रिटिश बैंक की बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा है। अन्य खातों के अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार एवं ब्रिटिश बैंक के अतिरिक्त अन्य ग्राहकों, अन्य बैंकों व अन्य ग्राहकों के निक्षेप हैं। इसमें मुख्यतः राष्ट्रमंडल सरकारों राष्ट्रमंडल देशों के बैंकों एवं अन्य कुछ केन्द्रीय बैंकों के खाते हैं। ये खाते बैंक ऑफ इंग्लैंड में उस समय के हैं जबकि वह बैंक ऑफ इंग्लैंड निजी-बैंकों से प्रतिस्पर्धा किया करता था। अब इन खातों की संख्या एवं उनमें राशि बहुत अधिक नहीं है।

5 विशेष निक्षेप (Special Deposits)—साख नियंत्रण की दृष्टि से बैंक ऑफ इंग्लैंड को अधिकार दिया गया है कि इंग्लैंड के व्यापारिक बैंकों से विशेष जमा के रूप में राशि प्राप्त करे। 'विशेष निक्षेप' का विवरण पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि बैंकिंग विभाग के दायित्व में बैंकों के निक्षेप के पश्चात् 'विशेष निक्षेप' ही सबसे बड़ा मद है।

बैंक रिटन के बैंकिंग विभाग की संपत्ति पक्ष में सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि का पहले विवरण दे चुके हैं।

बट्टे एवं अग्रिम (Discounts and Advances)—बैंक ऑफ इंग्लैंड के ग्राहकों एवं विल-बाजार द्वारा इसके पास बट्टे के लिए लाय गये बिल तथा उनकी दिए गये अग्रिम (advance) की राशि है।

बचत बैंक

जनसाधारण की बचत एकत्रित करने के लिए इंगलड म दो सस्थाए हैं—
ट्रस्टी बचत बक और डाकघर । इन दोनों सस्थाओं का संक्षिप्त विवरण इस अध्याय
म दिया गया है ।

1 ट्रस्टी बचत बक (Trustee Savings Bank)

इस प्रकार का बक 150 वर्ष से भी अधिक पहले इंगलड म स्थापित हुआ था ।
ये बक मध्यम व निधन वर्ग के पत्नियों म बचत की भावना प्रोत्साहन करने और
उनकी छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करने के उद्देश्य से स्थापित हुए थे । ये बक
बहुत छोटी राशि भी निक्षेप के रूप म स्वीकार कर लेते हैं ।

इंगलड म सर्वप्रथम ट्रस्टी बचत बक सन् 1810 म डगफ्राइज के निकट
रथवेल¹ म स्थापित किया गया था । सन् 1817 के एक्ट ने यह प्रतिबंध लगा दिया
कि ये बक लाभ नहीं कमा सकते । सन् 1844 म यह अनिवाय कर दिया गया कि
ट्रस्टी बचत बक को अपने बोर्डों को राष्ट्रीय ऋण कमिश्नरों (National Debt
Commissioners) को ऋण के रूप म देना पड़ेगा ।

सन् 1968 म ट्रस्टी बचत बक की संख्या 77 थी और उनके कार्यालयों की
संख्या 1464 थी । ये बक वास्तव म स्थानीय छोटी सस्थाए हैं । इस बकल कुछ
बका की ही शाखाए हैं और वे भी अपने ही क्षेत्र म । इनका कार्य क्षेत्र बहुत
विस्तृत नहीं है वरन सीमित ही है । अधिकतर ऐसे बक स्वायत्त उत्तरी इंगलड क
नगरों व कस्बों म स्थित हैं ।

ये बक व्यापारिक बका की प्रेरणा ब्याज की ऊँची दर से हैं और छोटे
बचत करने वालों म ये अधिक आकर्षक हैं । सन् 1965 से इन बका न निक्षेपकर्ताओं
का चक द्वारा राशि निदान की सुविधा प्रदान कर दी है । इस अनिच्छित सन्
1965 म इन बका न अपना एक इकाई ट्रस्ट (Unit Trust) स्थापित कर लिया
है—जिनका विनियोग प्रबंधक (investment manager) एक प्रमुख मर्चेंट-बक
है । प्रत्येक बक का प्रबंध-ट्रस्टिया (Trustees) द्वारा किया जाता है जो कि प्राय
स्थानीय बका न स्थापान एवं अन्य व्यावसायिक-व्यक्ति होते हैं । ये ट्रस्टी एक
मनत्र की नियुक्ति कर देते हैं ।

¹ At Ruthwell near Dumfries

इस समय इन बैंकों में लगभग 10 मिलियन (1 करोड़) निक्षेप-कर्ताओं के खाते हैं एवं कुल निक्षेप लगभग 2 500 मिलियन पाँड है। ये बैंक मुख्यतः श्रमिक वर्ग में अधिक लोकप्रिय हैं।

ट्रस्टी बचत बैंकों में प्रायः तीन मुख्य विभाग होते हैं—साधारण विभाग (Ordinary Deptt) विशेष विनियोग विभाग (Special Investment Deptt) और स्टॉक विभाग (Stock Deptt)

ट्रस्टी बैंक का साधारण विभाग डाकघर के बचत बैंक के समान कार्य करता है। इसमें जो निक्षेप प्राप्त किए जाते हैं उन पर सबसे नीची ब्याज की दर दी जाती है जो कि प्रायः 2½% वार्षिक होती है। इन खातों में स मास पर अथवा अल्प-सूचना पर राशि निकाली जा सकती है। इस खातों में मिलने वाला ब्याज 15 पाँड तक आय कर से मुक्त रहता है। इस खातों में अधिकतम 5 हजार पाँड तक जमा किये जा सकते हैं।

दूसरा विभाग विशेष विनियोग विभाग है। इसमें जमा राशि का एक माह पूर्व सूचना देकर निकाला जा सकता है। साधारण विभाग की अपेक्षा इस विभाग में ब्याज की ऊँची दर दी जाती है।

तिसरी भी निक्षेपकर्ता के विशेष विनियोग विभाग और समय निक्षेप दोनों में मिलाकर 3 हजार पाँड से अधिक राशि होनी चाहिए। यह अधिकतम सीमा है। यह राशि साधारण विभाग में अधिकतम राशि 5 हजार पाँड से अतिरिक्त है। विशेष विनियोग विभाग में खाता खोलने के लिए यह आवश्यक है कि इस बैंक साधारण विभाग के खातों में कम से कम 50 पाँड अवश्य हो। दूसरे शब्दों में केवल वे व्यक्ति ही विशेष विनियोग विभाग में खाता खोल सकते हैं जिनका साधारण विभाग में भी खाता हो और उस खातों में कम से कम 50 पाँड हो।

विशेष विनियोग विभाग अपने कोषों को सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग कर सकता है। स्थानीय अधिकारी बैंकों (Local authority mortgages) में भी, राष्ट्रीय ऋण-कार्यालय (National Debt Office) की अनुमति से राशि विनियोग की जा सकती है, जिसमें ब्याज अधिक मिलता है।

तीसरा विभाग स्टॉक विभाग है। यह विभाग सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय करने में दलाल (broker) के रूप में कार्य करता है।

यदि कोई ट्रस्टी बचत बैंक कठिनाई में पड़ जाता है अथवा ऐसी स्थिति में हो जाता है कि कार्य नहीं कर सकता है तो वह फेल नहीं होता बरन् निकट के किसी मजबूत व शक्तिशाली ट्रस्टी बचत बैंक में विलीन (absorb) हो जाता है। इस परिपाटी के कारण में ट्रस्टी-बचत बैंक भी डाकघर-बचत बैंकों की भाँति ही सुरक्षित समझे जाते हैं और जनता का उनमें विश्वास भी डाकघर-बचत बैंकों के समान रहता है। अतः पिछले 20 वर्षों से विशेष विनियोग विभाग द्वारा अधिक मात्रा में निक्षेप धारणित हो रहे हैं। इनकी लोकप्रियता इसमें भी ज्ञात होती है कि स्कॉटलैंड में 5 व्यक्तियों में से औपचारिक रूप से 2 व्यक्तियों के, उत्तरी आइरलैंड में 5 व्यक्तियों में से

श्रीमत रूप से, 1 व्यक्ति का, और सदन तथा अन्य भागों में 20 व्यक्तियों में म श्रीमत रूप से 1 व्यक्ति का ट्रस्टी बचत बचक में खाता है।

इन बचत बचकों में प्रायः व्यापारिकों का खाता नहीं होता है। मई 1965 में इन बचकों में बचक का प्रयोग आरम्भ कर लिया है।

मौद्रिक-नीति का कार्यान्वित करने में इन ट्रस्ट बचत बचकों का उपयोग अधिकारी बग कर पाते हैं। इसके दो कारण हैं—प्रथम, इनका कोष प्रायः सरकारी कोष की धार प्रवाहित रहते हैं और द्वितीय इन बचकों में व्यापारी बग का खाता नहीं है।

इन बचकों के विकास को पर्याप्त गमावनाएँ हैं।

2 डाकघर बचत बचक व गिरो (P O Savings Banks & P O Giro)

डाकघरों की स्थापना—यद्यपि एंग्लैंड में डाकघर की सेवाएँ काफी समय से उपलब्ध थीं किन्तु सन् 1657 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें एक सरकारी अधिकारी पोस्ट मास्टर जनरल के नियंत्रण में डाकघर स्थापित हो सकते थे। सन् 1969 में डाकघर एक मावजतिक निगम (public corporation) के रूप में हो गया है और डाकघर टेलीफोन एवं टेलीग्राम सेवाएँ करता है, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर आदि का निगमन करते हैं, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए व राष्ट्रीय गिरो के लिए एजेंसी सेवाएँ प्रदान करता है।

डाकघर बचत बचक—इंग्लैंड में सबसे बड़ा बचत बैंक डाकघर बचत बचक है। इंग्लैंड में डाकघरों ने बचत बचक का कार्य सन् 1861 में आरम्भ किया। डाकघर बचत बचकों में एक तो सुविधा यह रहती है कि देश भर में अधिकांश डाकघर बचत बचक का कार्य करते हैं और दूसरे निक्षेपों की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष रूप से सरकार की गारंटी रहती है। अन्य बचकों की अपेक्षा ये बचत बचक अधिक समय तक दैनिक कार्य करते हैं। डाकघर बचत बचकों में से 10 पौंड तक की राशि तो माग पर देय होती है किन्तु अधिक राशि निवान्ने के लिए, व्यवहार में चार दिन की पूर्व सूचना देनी होती है।

इंग्लैंड में डाकघर बचत बैंक में इस समय 275 मिलियन (2 करोड़ 75 लाख) खाते हैं, जोकि चालू हैं। इन खातों में 20,000 मिलियन पौंड से भी अधिक राशि जमा है। इनमें से लगभग आधे खाते ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक में 10 पौंड भ्रमण कम जमा है, लगभग 20 प्रतिशत ऐसे खाते हैं जिनमें प्रत्येक में 100 पौंड से अधिक राशि जमा है।

कुछ वर्षों पूर्व डाकघरों ने साधारण बचक का भाति चालू खाते (current accounts) खोलने की आरम्भ कर लिए ताकि निक्षेप अधिक आकर्षित हो सकें। इस समय डाकघरों में लगभग 5 लाख चालू खाते हैं। श्रीमंत रूप से प्रत्येक निक्षेपकर्ता वषट्क में 80 से ज्यादा व्यवहार (Transactions) करता है। जो राशि

निकाली जाती है उनमें से 75 प्रतिशत (withdrawals) बीमा कम्पनिया को प्रीमियम भुगतान करने के लिए और शेष के अधिकांश गृह-समितिया अथवा किराया क्रय कम्पनिया का भुगतान करने के लिए होते हैं।

नैशनल गिरो अथवा डाकघर गिरो—डाकघर गिरो (Post Office Giro) की योजना का विवरण अगस्त मन् 1965 में व्हाइट पपर (White Paper) में प्रकाशित किया गया जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड में सन् 1968 में डाकघर द्वारा गिरो बैंकिंग प्रणाली चालू की गई।

गिरो से आशय—डाकघर की बैंक प्रणाली को 'गिरो' कहते हैं। एक ही मन्ष्या द्वारा जिसमें खाते बंदित रहते हैं, चालू खाता की बैंकिंग सुविधा प्रदान करना गिरो का उद्देश्य है। किंतु बैंक द्वारा इन खातों में 'नी जाने वाली अधिविक्रय' (overdraft) की सुविधा गिरो प्रणाली में नहीं दी जाती है।

गिरो की आवश्यकता—इन दिनों ऐसा देखा गया कि इस प्रकार के व्यवसाय पर्याप्त बढ़ रहे हैं जिनमें बिना विनम्ब के राशि-हस्तांतरण आवश्यक है। डाक द्वारा आदेश (hire order) किराया क्रय (bill purchase) किस्ता में बिलों का भुगतान उपभोक्ता के माल को उधार पर देने का उधार क्रय आदि के काय इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार राशि हस्तांतरण का काय व्यापारिक बैंक भी करने हैं जिसमें य बैंक एक खाते में दूसरे खाते में राशि का हस्तांतरण कर देने हैं और नगद-राशि के भुगतान, की आवश्यकता नहीं पत्नी। इनका होने हुए भी नियमितक (periodical) बिलों का भुगतान आज भी मुख्यतः नकद में किया जाता है, यद्यपि बैंक में खाते अधिकाधिक व्यक्तियों द्वारा खोल जा रहे हैं।

अत विशेषतः ऐसे व्यक्तियों को जिनके बैंक में खाते नहीं हैं बिला के भुगतान अथवा राशि भेजने अथवा बिलों को ठीक प्रकार से करने के लिए गिरो का प्रयोग किया जा सकता है। व्यापारिक अगत के लिए भी गिरो आवश्यक होन जा रहे हैं क्योंकि गिरो अधिक शीघ्रता से 'समाशोधन' काय करते हैं, व अत्र सेवाएँ भी सस्ती प्रदान करते हैं। गिरो खातों, डाकघर बचत खातों और ट्रस्टी बचत बैंक खातों में (एक दूसरे खाते में) भी हस्तांतरण की सुविधा है।

गिरो की स्थापना—इंग्लैंड में सन् 1968 में डाकघर द्वारा गिरो की बैंकिंग प्रणाली चालू की गई। इस सस्था का नाम 'नैशनल गिरो सेटर' है और इसका केन्द्रीय कार्यालय लिवरपूल के निकट Bootle में है। इस कार्यालय में माधुनिकतम गणक (Computers) आदि का प्रयोग किया जाता है व लगभग 3 हजार कर्मचारी काय कर रहे हैं। यह आशा की जा रही है कि सन् 1973 तक लगभग 10 लाख निजी व्यक्तियों के खातों और लगभग 2 लाख व्यापारिक व व्यापारिक भवना के खातों खुल जावेंगे।

गिरो के काय—किसी भी व्यक्ति जिसकी आयु 16 वर्ष या अधिक है अथवा किसी भी कम्पनी अथवा किसी भी सस्था द्वारा गिरा में खाता खोला जा सकता है।

यह खाता 20 पीड अथवा अधिका राशि में मोला जा सकता है। गिरो खात में निक्षेप राशि पर ब्याज नहीं लिया जाता है।

एक खाते से दूसरे खाते में राशि का हस्तांतरण निशुल्क किया जाता है। इस कार्य के लिए गिरो कार्यालय को लिखित निर्देश देना आवश्यक है। ये निर्देश निर्देश डाक द्वारा भी भेज जा सकते हैं। जो व्यक्ति गिरो में सम्मिलित नहीं हैं अर्थात् जिनके खाते गिरो में नहीं हैं, उनको गिरो चक्र द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

गिरो खात में राशि जमा कराई जा सकती है। यदि रातदार स्वयं अपना खाते में राशि जमा कराता है तो यह कार्य निशुल्क किया जाता है। किन्तु यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बैंक में खाता नहीं है किसी के खाते में राशि जमा कराता है तो प्रत्येक निक्षेप पर 9 पस शुल्क के रूप में लिया जाता है।

खातेदारों को उनकी मांग पर (withdrawals) उनको स्वयं को अथवा भुगतान आदेश (payment order) के द्वारा तीसरे पक्षकारों को गिरो कार्यालय के द्वारा डाकघर के काउंटर से नगद भुगतान किया जाता है। एक बार में 20 पीड तक की राशि निकाली जा सकती है और प्रत्येक भुगतान पर 9 पस शुल्क लिया जाता है। 50 पीड अथवा अधिक राशि के भुगतान के लिए पूर्व सूचना देना पड़ती है एवं प्रत्येक ऐसे भुगतान पर दो शिलिंग शुल्क लिया जाता है। भुगतान आदेशों को बैंक भी एकत्रित करता है और उस भुगतान आदेशों के लिए गिरो 6 पस प्रति आदेश के हिसाब से चार्ज करता है।

'अधिबिबक' (overdraft) की सुविधाएँ गिरो प्रदान नहीं करता है किन्तु विदेशी गिरो में स्थानान्तरण (transfers) स्टैंडिंग आदेश (standing order), यात्री चक्र व विदेशी मुद्रा आदि प्रदान करने की सेवाएँ दी जाती हैं।

औद्योगिक वित्त

भूमिका—“गल” म औद्योगिक वित्त प्रदान करन वाले प्रमुख ये हैं—
साधारण जनता जो विनियोग के लिए बचत करती है अनक वित्तीय मस्याए, बक
आफ इगलड, व्यापारिक बक, व अन्य वित्तीय मध्यस्थ जैसे विनियोग-ट्रस्ट, यूनिट
ट्रस्ट वामा कम्पनिया, प-शन कोष, भवन सोसाइटीज, औद्योगिक बक्स आदि ।

1 औद्योगिक बक्स

(Industrial Bankers)

कुछ छोटी वित्तीय इस बग म आती हैं । ये बकम व्यापारिक एव
औद्योगिक सस्याओ स निशेष प्राप्त करन हैं । ये अधिकाश किराया त्रय व्यवहाग
को वित्त प्रदान करते हैं । त्स समय लगभग 11 औद्योगिक बक्स हैं । इनम से
अधिकाश, व्यक्तियों से निशेष प्राप्त करते हैं एव व्यापारिक-बैंको की अपक्षा
ऊ जो ब्याज दर देते हैं । औद्योगिक वित्त प्रदान करने मे इनका कोई महत्वपूर्ण स्थान
नही है ।

2 बक्स औद्योगिक विकास कम्पनी

(Bankers Industrial Development Co)

1929 35 के महान आर्थिक काल मे उद्योगो के सामने अनेक समस्याए
उत्पन्न हो गई । सन् 1930 मे बैंकस औद्योगिक विकास कम्पनी की स्थापना की गई ।
इसकी पू जी ‘प्रतिभूति प्रबंध ट्रस्ट’ (Securities Management Trust) जो कि
बक आफ इगलड की सहायक (Subsidiary) है क द्वारा प्रदान की गई । इम
कम्पनी की स्थापना उद्योगो को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करन के उद्देश्य से की
गई थी ।

3 सिक्युरिटीज मनेजमट ट्रस्ट

(Securities Management Trust)

यह भी बैंक आफ इगलड के सहायक के रूप म महान मरी काल मे स्थापित
किया गया । इसने बक्स औद्योगिक विकास कम्पनी को पू जी प्रदान करके इसकी
स्थापना मे सहायता की । लकाशायर कॉटन कारपोरेशन और शिपबिल्डम सिक्युरिटी
लि० को इमने विशेषरूप स सहायता प्रदान की ।

4 औद्योगिक एव व्यापारिक वित्त निगम लि०

(Industrial & Commercial Finance Corp Ltd)

यह निगम भी बैंक आफ इगलड के सहायक के रूप म है । इसकी स्थापना
सन् 1945 मे हुई थी । इसकी पू जी बैंक आफ इगलड एव इगलड और स्कॉटलड के
व्यापारिक बका द्वारा प्रदान की गई थी । वास्तव मे इसकी स्थापना बैंकमिसन कम्पनी

सन् 1931 की सिफारिशों के अनुसार उद्योगों को मध्यमकालीन पूँजी की मुविधा दान के लिए की गई थी। इसने निजी दायित्व वाली कम्पनियाँ (Private Limited Companies) को विशेषरूप से सहायता प्रदान की है।

यह निगम प्रथम आवेदन पर 5 हजार पौंड से 3 लाख पौंड तक ऋण देता है और बालू में 5 लाख पौंड तक। यह सरकारी नियंत्रण में नहीं है अतः सरकार की राशि उधार नहीं देता। सन् 1959 में यह निगम पब्लिक कम्पनी के रूप में हुआ गया।

जिस उद्योग प्रथम कम्पनी को यह ऋण देता है इसका प्रबंधन यह निगम हस्तक्षेप नहीं करता है और साधारणतः उसमें अपने संचालक की नियुक्ति नहीं करता। यदि संचालक नियुक्त करता भी है तो किसी स्वतंत्र व्यक्ति का नियुक्त करता है अपने किसी अधिकारी को नहीं।

सन् 1969 में इस निगम ने लगभग 9 लाख पौंड उधार लिए। इस वर्ष (1969) तक इसका 125 करोड़ पौंड के ऋण बाकी थे।

5 फाइनेंस कारपोरेशन फार इंडस्ट्री लि० (Finance Corporation for Industry Ltd)

इस निगम की स्थापना भी सन् 1945 में बक ऑफ इंग्लैंड द्वारा की गई थी। इस निगम की पूँजी बक ऑफ इंग्लैंड विनियोग कोषों और बीमा कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई। इस निगम की स्थापना भी मैथिलन कमेटी 1931 की सिफारिशों के अनुसार की गई। इस निगम की अधिकृत एवं निगमित पूँजी 25 करोड़ पौंड है। आवश्यकता पड़ने पर यह निगम अपनी निगमित पूँजी के चार गुने तक राशि ऋण के रूप में ले सकता है।

यह निगम 5 हजार से 2½ लाख पौंड तक के ऋण प्रदान करता है। ऋण लेने वाले को यह स्पष्ट करना पड़ता है कि उसे और कहीं से ऋण प्राप्त नहीं हो सका एवं यह ऋण राष्ट्रीय हित में लिया जा रहा है। दिए जाने वाले ऋणों की सख्या कम है किंतु राशि बड़ी है।

6 विनियोग ट्रस्ट (Investment Trusts)

विनियोग-ट्रस्ट की उत्पत्ति स्काटलैंड में हुई। इस प्रकार के ट्रस्ट इंग्लैंड में अठारहवीं शताब्दी में स्थापित हुए। ये ट्रस्ट अन्य कम्पनियों की भाँति होते हैं और अपने अर्थ निगमन करते हैं। इनके अर्थों का क्रय विक्रय स्टॉक-एक्सचेंज में भी होता है। ये ट्रस्ट अपनी पूँजी से अन्य कम्पनियों के अर्थ खरीदते हैं। ये नई कम्पनियों के अर्थों का अभिगोपन भी करते हैं।

प० जर्मनी की बैंकिंग प्रणाली
(Banking System in W. Germany)

प० जर्मनी में केन्द्रीय बैंकिंग

बैंक ऑफ हैम्बुर्ग की स्थापना व अस्त—सन् 1619 में हैम्बुर्ग में 'बैंक ऑफ हैम्बुर्ग' स्थापित किया गया। शुद्ध चाँदी व बिदेगी मुद्राओं को निम्नेष के रूप में स्वीकार करने व इन निक्षेपों के ग्यात रखना, इस बैंक का प्रमुख कार्य था। इस बैंक की हिमावी मुद्रा (money of account) का प्रचलन किया, जिसका नाम 'मार्क-बैंकों' (Mark Banco) था। जिस व्यक्ति के खाते में यह 'हिमावी मुद्रा' जमा कर ली जाती थी उसको निश्चिन्त मात्रा में शुद्ध चाँदी इस बैंक से निकालने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। मार्क बैंक का प्रयोग व्यापारियों के मध्य निपटान के लिए भी किया जाना लगा। इतना ही नहीं जर्मनी के अष्ट दशा के मध्य हिमावी निपटान के लिए भी इसका प्रयोग किया जाना लगा। 250 वर्षों से भी अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् इस बैंक का रीश बैंक (Reichs Bank) में मिला दिया गया। इस प्रकार 'बैंक ऑफ हैम्बुर्ग' का अस्तित्व समाप्त हो गया।

रीश-बैंक की स्थापना व अस्त—सन् 1876 में रीश-बैंक (Reichs Bank) की स्थापना की गई। सक्काल में अष्ट बैंकों की सहायता के लिए एक बैंक की आवश्यकता प्रतीत हो रहा थी जिसके फलस्वरूप इस बैंक की स्थापना हुई। यह बैंक नाट निगमन का कार्य भी करता था। इस बैंक ने सम्पूर्ण जर्मनी देश में अपनी शाखाएँ स्थापित कर दीं। सन् 1945 में नाजी शासन का पतन हो गया। विजयी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की आर्थिक व वित्तीय शक्ति का नष्ट करना चाहा। अन्त 70 वर्षों तक कार्य करने के पश्चात् सन् 1946 में रीश-बैंक को समाप्त कर दिया गया।

लैंड-सेंट्रल-बैंकन की स्थापना—रीश-बैंक के पतन के पश्चात्, निगमन के 11 क्षेत्रीय बैंक लैंड-सेंट्रल बैंकन (Lande szentral banken) स्थापित किए गए। अष्ट जर्मनी गणराज्य (Federal Republic of Germany) 11 जिलों (Lander) में विभक्त किया जा चुका था। अतः प्रत्येक क्षेत्र (जिले) के लिए एक बैंक स्थापित किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि मित्र राष्ट्रों ने वित्तीयकरण की नीति अपनाई।

ये क्षेत्रीय लैंड-सेंट्रल बैंक अपने क्षेत्र में, अष्ट बैंकिंग-कार्यों के अनिश्चित बैंकों के बकर व अपने जिले की सरकार के वित्तीय एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इन बैंकों ने पूर्वकालीन रीश-बैंक (Reichs bank) के कार्यालयों व भवन (फरनीचर आदि

1 Land means State or province szentral-Central banken-banks

सहित) व कमचारिया को भी ले लिया। यह ध्यान रहे कि प्रत्येक लैंड-सट्टल-बैंकों का वायधेय उसके जिल (Land) तक ही सीमित किया गया। इन लैंड सट्टल बैंकों का भार (पूजी की दृष्टि में) समान नहीं है कुछ काफी बड़े हैं व कुछ छोटे भी हैं। जनवरी 1953 से 11 क्षेत्रों को कम करके 9 क्षेत्र (अथवा जिल) कर दिया गया व 1 लैंड-सट्टल-बैंक रह गया। नीचे की तालिका में इन 9 लैंड-सट्टल-बैंकों का प्रधान-कार्यालय व पूजी बतलाई गई है—

लैंड सट्टल-बैंकों की पूजी

	Domicile	Capital (in Million DM)
Land Central Bank		
Of The Freie und Hamburg	Hamburg	10
Of Berlin	Berlin	10
Of Holstein	Kiel	10
Of Rhein land	Mainz	20
Of Hesse	Frankfurt	
	Main	30
Of Lower Saxony	Hannover	40
Of Bavaria	Munich	50
Of Baden Wurttemberg	Stuttgart	50
Of North Rhine	Dusseldorf	65

DM—Deutsche Mark

सन् 1948 के अधिनियम के अनुसार 4 मार्च 1948 को बैंक ड्यूशर लैंडर (Bank Deutscher Lander) की स्थापना की गई। उस समय जर्मनी गणराज्य में केन्द्रीय बकिंग की स्थिति इस प्रकार थी—केन्द्रीय बैंक के वायधेय बर्लिन-सट्टल-बैंक (Berliner Central Bank) करता था। यह बैंक स्वयं के नोट निगमन एवं सिक्का निगमन काय नहीं करता था। बैंक ड्यूशर लैंडर नोट निगमन का वायधेय करता था (सरकार सिक्का के निगमन का वायधेय करती थी)। इस प्रकार जर्मनी-गणराज्य में द्वि-स्तरीय (Two tier) केन्द्रीय बकिंग प्रणाली हो गई।

बैंक ड्यूशर लैंडर, देश के 9 लैंड-सट्टल बैंकों के केन्द्रीय संस्था सन् 1957 तक रही। यह बैंक फ्रैंकफर्ट में स्थित है। इस बैंक की पूजी DM 10 करोड़ है। इसकी सम्पूर्ण पूजी लैंड-सट्टल-बैंकों द्वारा प्रदान की गई है। इसकी पूजी में जनता का कोई योगदान नहीं है। यद्यपि ऊपर से प्रतीत होता है कि जर्मनी

में केन्द्रीय बैंकिंग प्रणाली विकेंद्रित है किन्तु वास्तव में देखा जाय तो पात होगा कि ऐसा नहीं है।

वधानिक रूप से तो विभिन्न लड-सट्टल-बक स्वतंत्र इकाइया हैं किन्तु व्यावहारिक रूप में ये ममस्न बक, बक ड्यूशर लंडर से बंधे हुए हैं।

बक ड्यूशर लंडर के संचालक मंडल में सभी लड-सट्टल-बका के अध्यक्ष (Presidents) होते हैं। इसके अतिरिक्त बक ड्यूशर लंडर का अध्यक्ष, और इसके प्रबंधक मंडल (Board of Managers) का अध्यक्ष भी संचालक मंडल में होते हैं। यह संचालक मंडल सामान्य बैंकिंग नीति निर्धारित करता है जिसका पालन लड-सट्टल-बक करते हैं। इस संचालक मंडल द्वारा निर्धारित नीति को बक ड्यूशर लंडर भी पालन करती है। इस बक के प्रबंधक मंडल का यह कार्य है कि इस नीति को क्रियान्वित करे। इस प्रकार स्पष्ट है कि लड-सट्टल बैंक जिस नीति का पालन करते हैं, वह नीति वास्तव में उनके खुद के अध्यक्षों द्वारा निर्धारित नीति होती है, क्योंकि बक ड्यूशर लंडर के संचालक मंडल में सभी लड-सट्टल बक के अध्यक्ष हान हैं।

प्रत्येक लड-सट्टल बैंक के प्रबंध एवं नियंत्रण के लिए उनका स्वयं का एक-एक संचालक मंडल होता है।

ड्यूश बस बक—केन्द्रीय बक

(The Deutsche Bundes Bank—The Central Bank)

इस समय जर्मनी गणराज्य का केन्द्रीय बैंक ड्यूश बस बक (Deutsche Bundes Bank : o German Federal Bank) है। इसका प्रधान-कार्यालय फ्रैंकफर्ट (मेन) में है। इसके अधिनियम में यह उल्लेख है कि जब तक कि गणराज्य सरकार बर्लिन में स्थापित न हो जाय तब तक इसका प्रधान कार्यालय फ्रैंकफर्ट मेन (Frankfurt-Main) में स्थापित रहेगा।

25 जुलाई 1957 को 'ड्यूश बस बैंक' का नून पास किया गया, जिसके फलस्वरूप अगस्त 1, 1957 को ड्यूश बस बैंक स्थापित किया गया। इस बैंक की स्थापना से, जर्मनी में सन् 1948 में स्थापित द्वि-स्तरीय केन्द्रीय प्रणाली (Two tier central banking system) समाप्त हो गई, क्योंकि उस समय (सन् 1948) में केन्द्रीय-बैंकिंग, सबधी अर्थ काय बर्लिनर सट्टल बक करता था और बैंक ड्यूश लंडर नोट निगमन का कार्य करता था। इस बक में, सन् 1948 में स्थापित 11 क्षेत्रीय बक लड-सट्टल बकन, व उनकी समस्त शाखाएँ, विलय हो गईं। लड-सट्टल बैंकन के 11 मुख्य-कार्यालय व इन्हीं बैंकों की कुल 200 शाखाएँ अब ड्यूश बैंक के कार्यालयों व शाखाओं के रूप में कार्य कर रही हैं।

ड्यूश बस बक के केन्द्रीय-बैंकिंग काय

ड्यूश बस बैंक (Deutsche Bundes Bank) आजकल जर्मनी गणराज्य का केन्द्रीय बक है। अर्थ देशों के केन्द्रीय-बैंकों की भाँति, यह बक भी केन्द्रीय-बैंकिंग सबधी अग्रविक्रित काय करता है।

1 नोट निगमन का कार्य

इस बंक का मुख्य कार्य नोट-निगमन का कार्य करना है। यह विभिन्न अक्रिय मूल्यों की पत्र-मुद्रा निगमन करती है। जर्मनी की मुख्य मुद्रा ड्यूश मार्क (Deutsche Mark) है, जिसे मध्ये म केवल 'मार्क' (Mark or DM) भा कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध काल में भी, प्रथम विश्व युद्ध की भांति मुद्रा प्रसार बहुत अधिक हो गया था और जिसके फलस्वरूप जर्मनी मार्क के स्वदेशी व विदेशी मूल्य में बहुत ही अस्थिरता आ गई थी। सन् 1948 से बंक ड्यूशर लडर नोट निगमन का कार्य करता था किंतु यह बंक वाछित परिणाम स्थापित करने में असफल रहा। अतः ड्यूशर बंक को जर्मनी गणराज्य में नोट निगमन का एकाधिकार दे दिया गया।

सन् 1924 से जर्मनी में नई मुद्रा रीश मार्क (Reichs mark) प्रचलित की गई। द्वितीय विश्व युद्ध काल में भी प्रथम विश्व युद्ध की भांति जर्मनी में मुद्रा प्रसार अधिक मात्रा में हो गई जिसके फलस्वरूप रीश मार्क के स्वदेशी व विदेशी मूल्य में बहुत अस्थिरता आ गई थी। सन् 1935 और सन् 1945 के मध्य जर्मनी में रीश मार्क (मुद्रा) का मात्रा 6,400 मिलियन से 72,500 मिलियन हो गई अर्थात् 10 वर्षों में रीश मार्क की मात्रा में 66.100 मिलियन की वृद्धि हो गई। अतः सन् 1948 से ड्यूश मार्क (DM) प्रचलित किए गये।

सन् 1948 से बंक ड्यूशर लडर नोट निगमन का कार्य करता था किंतु यह बंक वाछित परिणाम स्थापित करने में असफल रहा। अतः ड्यूशर बंक को जर्मनी गणराज्य में नोट निगमन का एकाधिकार दे दिया गया। यह ध्यान रखें कि यह बंक नोट निगमन के लिए जर्मनी सरकार के निर्देशों से मुक्त है अर्थात् नोट निगमन में सरकार का हस्तक्षेप नहीं है।

कुछ ही वर्षों की अवधि में ड्यूश मार्क (DM) में दश व विंशता में बहुत विश्वास उत्पन्न हो गया और फलस्वरूप यह कठोर मुद्रा (hard currency) की श्रेणी में आगया। ड्यूश मार्क की अंतर्राष्ट्रीय मांग में काफी वृद्धि हो गई है।

जर्मनी में भी मुद्रा की दार्शनिक प्रणाली है। इस समय जर्मनी गणराज्य में पानु के में सिक्के प्रचलित हैं—सबसे छोटा सिक्का पेनिग (pfennig) है जो तांबे का बना हुआ होता है। यह ड्यूश मार्क का $\frac{1}{100}$ का भाग है जैसे कि भारत में एक पना रुपये का $\frac{1}{100}$ का भाग है। जर्मनी में 1, 2, 5, 10 और 50 पेनिग के सिक्के और 1, 2 तथा 5 मार्क के सिक्के प्रचलित हैं। इसके अतिरिक्त 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 मार्क के नोट प्रचलन में हैं। एक ड्यूश मार्क में 100 पेनिग होते हैं।

सन् 1969 में जर्मनी के ड्यूश मार्क (DM) का पुनर्मूल्यन (Revaluation) किया गया। इसका सबसे प्रथम प्रभाव यह हुआ कि विदेशी मुद्रा जो पश्चिमी जर्मनी में मरुट्टे के व्यवहार में आया हुआ था पुनः तभी से दश (पश्चिमी जर्मनी) से बाहर आने लगा।

ड्यूश बम बंक देग के बकों के बँकर क रूप म भी बाय करता है। यह बक अपने सदस्य बका के निभेप रखता है। यह बक अपने मदस्या के लिए निश्चित किये गये कोटे मे स उनसे व्यापारिक बिल खरीद कर वित्त प्रदान करता है। आवश्यकता पदन पर वह अपने सदस्य बका को प्रतिभूतिया के विरुद्ध अग्रिम (advances) भी देता है।

यह उल्लेखनीय है कि यह बक गर-बकिंग सस्यामो (अर्थात् अय वित्तीय-सस्यामो) का ऋण नहीं दे सकता है। जापान का केन्द्रीय बक, बैंक ऑफ जापान अय वित्तीय सस्यामो को भी ऋण देता है। जमनी का यह केन्द्रीय बक गर बकिंग सस्यामो से निक्षेप स्वीकार कर सकता है किन्तु इन निक्षेप पर व्याज नहीं देता है। इसके अतिरिक्त इनकी आर से भुगतान करने व चक आदि को एकत्रित करने के व्यवहार (collection transaction) भी यह बैंक करता है।

3 सरकार का बकर

ड्यूश बस बैंक जमनी की गणन्य सरकार के वित्तीय एजेंट के रूप म बाय करता है। अत इम रूप में यह सरकार की ओर से भुगतान आदि प्राप्त करता है और उसकी ओर से भुगतान भी करता है। ये भुगतान सरकार के द्वारा लिये गये बका के आघार पर किये जाते हैं। यह सरकार के विशेष खालों (Special funds) जय गणराज्य की रेलवे, डाक विभाग आदि को भी रखता है। कुछ अपवादों को छोड़कर इन विभागो को इस केन्द्रीय बक मे अपने नकद कोप रखने पडत है। यह बक उनको (सरकार, रेलवे, डाक विभाग आदि को) अल्पकालीन ऋण भी देता है। ये ऋण दो प्रकार से दिये जा सकत हैं—अग्रय, उनके बानू खाते म अधिविक्रप (overdraft) देकर, अथवा, द्वितीय ट्रेजरी बिलों की कटौती (discounting) करके। किन्तु इस प्रकार के अल्पकालीन ऋण असीमित मात्रा में नहीं दिये जा सकत हैं। इनके लिए बानून द्वारा सीमाएँ निश्चित कर दी गई हैं।

सरकार द्वारा अथवा सरकारी सस्यामो द्वारा निगमन किये जाने वाले बॉण्ड ऋणा (bonded loans) का भी यह बक प्रबंध करता है। सरकार की आर म उनसे व्याज व मूलधन के भुगतान का बाय करता है।

4 साख नियंत्रण

ड्यूश बस बक (Deutsche Bundes Bank) की मौद्रिक व साख नीतिया को निश्चित करने के लिए 'केन्द्रीय बक कौंसिल' (Central Bank Council) है। यह 'कौंसिल इसी बैंक का एक अंग है। इस कौंसिल मे बस बक का निदेशालय (Directorate) और लड स्ट्रुल बको के अध्यक्ष (Presidents) होत हैं। जमन गणराज्य का प्रेसिडेंट गणराज्य सरकार की सिफारिश पर ड्यूश बस बैंक के निदेशालय के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ससद के अंपर-हाउस की सिफारिश पर लड-स्ट्रुल-बकों के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। ड्यूश बम बक का प्रेसिडेंट एक बाइस प्रेसिडेंट केन्द्रीय बैंक कौंसिल का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होता है।

इस प्रकार इस क्यूम बस बक की वित्तीय बक कॉमिटी के सभी सन्स्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इनकी (प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट व गवर्नर की) आय अवधि 8 बर होती है। मास एव मुदा नियंत्रण के लिए जमनी व इस बक द्वारा निम्नलिखित तरीक अपनाए जाते हैं—

(i) 'यूनतम रिजर्व कोष नीति—दश के बकी की तरलता (Liquidity) एव उनके द्वारा सावसृजन की शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए क्यूम बस बक भय बकी क समय निक्षेप व माग पर देय निक्षेप का निश्चित प्रतिशत भयन पास रिजर्व कोष मे रखता है। क्यूम बैंक इस कोष के निक्षेप पर कोई ब्याज नहीं देता है। रिजर्व की दरें विभिन्न प्रकार के निक्षेपों के लिए भलग भलग हैं। क्यूम बस बक मे 'यूनतम रिजर्व रखने की अधिकतम दरें इस प्रकार हैं—

यूनतम रिजर्व की अधिकतम दरें

निक्षेप क प्रकार	रिजर्व की अधिकतम दर
चालू निक्षेपों का	30 प्रतिशत
समय निक्षेपों का	20 प्रतिशत
बचत निक्षेपों का	10 प्रतिशत

उपरोक्त तालिका में सदस्य बकी द्वारा क्यूम बस बक मे रक जाने वाले निक्षेपों की अधिकतम बधानिक सीमाएँ बतलाई गई हैं। क्यूम बस बक भयन सदस्य बकी को उपरोक्त सीमाओं के भीतर ही रिजर्व रखने के लिये बाध्य कर सकता है। साख नियंत्रण का यह एक प्रभावशाली साधन है।

(ii) कटौती दर नीति (Discount rate policy)—क्यूम बस बक प्रत्येक सदस्य सस्था के लिए बिला की पुनकटौती करने के लिये अधिकतम राशि का कोटा (quota) निश्चित कर देता है। ब्यापारिक बिला की कटौती व पुनकटौती की दरें निश्चित कर दी जाती हैं। यह बक इन सीमाओं के भीतर तक की राशि के बिला की कटौती व पुनकटौती करता है।

यहा पर 'लोम्बार्ड दर नीति (Lombard rate policy) का उल्लेख करना भी आवश्यक है। क्यूम बस बक ट्रेजरी बिला व निश्चित ब्याज (fixed interest) वाली प्रतिभूतियों की जमानत पर भी सन्स्य बकी को ऋण देता है। किन्तु एस ऋण अधिक से अधिक तीन माह (अर्थात् 90 दिन) के लिए हा सकते हैं। एस ऋणों पर ब्याज दर, कटौती दर से 1% ऊंची होती है।

(iii) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)—यह बक विश्व के अन्य केन्द्रीय बकी की भांति खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा मास व मुदा पर नियंत्रण रखता है। यह बक देश के मुदा बाजार को विनिमय विपन्न ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बॉन्ड्स एव स्टॉक एक्सचेंज की सूची मे सम्मिलित बॉन्डों का क्रय विपन्न

कर के प्रभावित कर सकता है। देश के मुद्रा बाजार में जब मुद्रा का आधिक्य होता है, तब यह बैंक बाजार में विनिमय पत्र आदि विक्रय करने लगता है और इस प्रकार बाजार में मुद्रा आधिक्य समाप्त करने का प्रयत्न करता है, इसी प्रकार मुद्रा की कमी के समय इन्हें क्रय करने लगता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि गगतत्र जमनी में अल्पकालीन सरकारी-पत्रों की मात्रा बहुत कम रह गई है (क्योंकि अधिवाश का भुगतान कर दिया गया है), अतः सन् 1967 से प्रथम बार क्यूश बस बैंक ने दीर्घकालीन सक्कारी प्रतिभूतियों को भी बैंको द्वारा क्रय विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियाँ की सूची में सम्मिलित कर लिया है।

(iv) साख का राशनिय—जमनी में साख नियंत्रण के साधन के रूप में साख राशनिय नीति का नहीं अपनाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि साख राशनिय को साख नियंत्रण के साधन के रूप में प्रयोग किया जाय, अथवा नहीं—इस विषय पर अत्यन्त गम बहमें हुई और अन्त में निराय लिया गया कि इस मापन के उपयोग का निषेध कर दिया जाय क्योंकि देश में साख को नियंत्रित करने के अर्थ उपलब्ध साधन ही पर्याप्त सशक्त एवं प्रभावशील है।

5 विदेशी विनिमय का कार्य

यह बैंक विदेशी विनिमय का कार्य भी करता है। यह व्यापारिक व औद्योगिक मस्थापना एवं निजी-व्यक्तियों से भी विदेशी विनिमय व्यवहार (विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय) करने के लिए अधिकृत है।

6 अर्थ कार्य

देश के बैंको के समारोपन-गृह का कार्य भी करता है। दश के अधिकांश चका स्थानान्तरण एवं विनिमय विपत्रों के व्यवहार क्यूश बस बैंक के माध्यम से ही होता है। जमनी में चक एकत्रीकरण (Cheque Collection) की विशिष्ट सरल प्रणाली अपनाई गई है। बस बैंक की जमनी में लगभग 200 शाखाएँ हैं। क्यूश बस बैंक की प्रत्येक शाखा अपने क्षेत्र के सभी बैंको के लिए समारोपन गृह (Clearing House) का कार्य करती है।

बस-बैंक के लिए यह अनिवार्य है कि अपनी स्थिति का एक रिटन (return) प्रत्येक माह की 7वीं, 15वीं, 23वीं व महीने की अंतिम तिथि का प्रकाशित करे। इस प्रकार इसे साप्ताहिक रिटन प्रकाशित करने पड़ते हैं।

केंद्रीय बैंक अत्यन्त प्रभावशील है—बस ता क्यूश बस-बैंक अपना कार्य करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है किंतु केंद्रीय-बैंक एवं गणराज्य सरकार के मध्य सामंजस्य के लिए देश के आधारभूत मौद्रिक नीतियों के संवध में सरकार बस-बैंक के प्रेसिडेंट को आमंत्रित करता है। फंडरल सरकार के पास अधिकार है कि वह केंद्रीय-बैंक को बौद्धिक की सभामां में भाग ले सके। सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह इस

बैंक के किसी प्रस्ताव पर वोट दे सके। हा, सरकार अपने किसी प्रस्ताव को इस कौंसिल की सभा में विचारार्थ रख सकती है। इसके अतिरिक्त, सरकार को एक और अधिकार भी प्राप्त है। यदि सरकार चाहे तो इस कौंसिल द्वारा पाम किए गए किसी प्रस्ताव को अधिक से अधिक दो मन्नाह के लिए स्थगित करवा सकती है (जैसे बैंक दर में परिवर्तन का प्रस्ताव, आदि)। इस प्रकार जर्मनी का केंद्रीय बैंक-दृष्टि से बस बैंक पूर्णतः स्वतंत्र है, सरकारी नियंत्रण और पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः इस प्रकार जसा कि सेयर्स ने अपना पुस्तक सदस्य बैंकिंग में कहा है कि, "इसके (दृष्टि से बैंक के) संविधान ने और उस भावना ने, जिसके अनुसार कार्य किया जाता है जर्मनी के केंद्रीय बैंक को विश्व में सबसे अधिक स्वायत्तशासी संस्था बना दिया है" (The constitution as well as the spirit in which it is worked, makes the German central bank the most autonomous in the world)

वर्तमान स्थिति

पश्चिमी जर्मनी में सन् 1969 के आरम्भ में 313 निजी-व्यापारिक बैंक थे जिनकी लगभग 4 400 शाखाएँ थीं। इन बैंकों में लगभग 1 08,000 कर्मचारी कार्य कर रहे थे। 1967 की तुलना में पश्चिमी जर्मनी में, इन व्यापारिक बैंकों की स्थिति नीचे की तालिका से स्पष्ट होती है—

सन् 1969 में, सन् 1967 की तुलना में व्यापारिक बैंक

वर्ष	संख्या	शाखाओं की संख्या
1967	355	3 850
1969	313	4 400

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सप्त-वर्षीय युद्ध के विनाशक प्रभावाँ को कम करने के उद्देश्य से जर्मनी में सन् 1770 में बड़े भू-स्वामियों ने साख सस्थाओं की स्थापना के उद्देश्य से अपने एसोसियेशन बनाने प्रारम्भ कर दिए। इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि इन साख सस्थाओं से वे अपनी भूमि व मचल-सम्पत्ति के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकें। इन साख सस्थाओं ने बचक बैंक निगमन करने प्रारम्भ कर दिए। ये बचक पत्र इनमें अधिक लोकप्रिय हुए कि ये एक प्रकार के बैंक नोटों की भाँति चलने लगे। इतना ही नहीं इनके व्यवहार (transactions) के भुगतानों में भी इन्हें स्वीकार किया जाना लगा। इसी समय अनेक नगरों (जिनमें फ्रैन्कफर्ट, कोलोन हैम्बर्ग आदि प्रमुख हैं) में निजी बैंकिंग गृह भी स्थापित होने लगे।

उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग मध्य में ग्राम दशा की भाँति जर्मनी में भी रेलों का विकास होने लगा जिसके परिणामस्वरूप उद्योग व्यापार, खनिज आदि क्षेत्रों में विकास होने लगा व साथ व बैंकों की अधिक आवश्यकता प्रतीत होने लगी। अतः इस अवधि में निजी बैंकों की मावजनिक-कम्पनियाँ (Public Companies) के रूप में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने लगी। उस समय (उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में) अनेक बैंकिंग सस्थाएँ स्थापित हुईं जिनमें तीन विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं और जो आज भी अस्तित्व में हैं। इन तीनों बैंकों के नाम व स्थापना के वर्ष इस प्रकार हैं—

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में स्थापित प्रमुख बैंक

बैंक का नाम	स्थापना का वर्ष
1 ड्यूश बैंक [Deutsche Bank]	1870
2 कॉमर्स बैंक [Commerz Bank]	1870
3 ड्रेस्डनर बैंक [Dresdner Bank]	1872

अब सन् 1879 में बैंकों के एकीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। इस वर्ष ड्यूश बैंक में 43 बैंकों का व ड्रेस्डनर बैंक में 41 बैंकों का विलीनीकरण हुआ।

प्रथम विश्व युद्ध-काल में जर्मनी में भयंकर मुद्रा प्रसार हुआ जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग-व्यवस्था हिलन लगी। युद्ध के पश्चात् बैंकिंग-स्थापित्व के लिए अनेक प्रयत्न किए गये फिर सन् 1926 के बाद की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने बैंकिंग व्यवस्था को पुनः ठेस लगाई, और फिर बैंकों के एकीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई जिसके फलस्वरूप जर्मनी में पांच बड़े बैंकों का व स्थापन पर केवल 3 बड़े बैंक ही रह गए।

इसके पश्चात् द्वितीय विश्व-युद्ध की पराजय ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पुनः भयंकर निया और जर्मनी का—पश्चिमी जर्मनी व पूर्वी जर्मनी में—विभाजन हो गया। जर्मनी की पराजय एवं विभाजन ने जर्मनी की बैंकिंग-व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन किए।

ध्यापारिक बैंकों के काम

1. विशेष स्वीकार करना

पश्चिमी-जर्मनी के व्यापारिक बैंक भी, अन्य देशों के व्यापारिक बैंकों की भांति विभिन्न प्रकार के खाता में विशेष स्वीकार करते हैं। ये निम्न मुख्यतः तीन प्रकार के खाता में स्वीकार किए जाते हैं—चालू खाता, बचत खाता और धरोहर खाता। ये बैंक इन विशेषों पर व्याज भी देते हैं। विशेषों द्वारा इन बैंकों की आयशील पूंजी का एक बड़ा भाग प्राप्त हो जाता है। इन खाता इन बैंकों के विशेषों की मात्रा में व धरोहरों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है।

2. ऋण देना

अल्पकालीन ऋण देने में पश्चिमी-जर्मनी के व्यापारिक बैंकों का महत्वपूर्ण योग है। एक अधिवृत्त-योग के अनुसार गैर-बैंकिंग सम्पत्तियाँ (व्यापार उद्यम, निजी व्यक्तियों व पब्लिक धार्मिकीय आदि) को लिए जाने वाले कुल अल्पकालीन ऋणों का लगभग 55% भाग व व्यापारिक बैंकों ही प्रदान करते हैं। ये अल्पकालीन ऋण प्रायः 12 महीने का अवधि के लिए लिए जाते हैं। व्यापारिक बैंक इन ऋणों को अल्पकालीन निधि की तरह राशिओं में व धरोहरों के राष्ट्रीय बैंक व विविध विधियों की पुनः वितरण करवा कर प्राप्त राशि में ही प्रदान करते हैं। पश्चिमी जर्मनी की

अथर्ववस्था में निजी व्यापारिक बैंक का महत्व उनके द्वारा प्रदान किए गए ऋण की मात्रा में स्पष्ट होनी है। पश्चिमी-जर्मनी में कुल अल्पकालीन ऋणों का लगभग 55% भाग इन्हीं बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है।

इन निम्न इन बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों में मध्यकालीन ऋण अधिक लोकप्रिय होत जा रहे हैं। ये मध्यकालीन ऋण प्रायः 12 महीने में अधिक व 4 वर्ष की अवधि तक के होते हैं। इनके अनिश्चित आज्ञावली उपभोक्ता सावक का महत्व भी बढ़ रहा है। उपभोक्ता सावक का प्रमुख रूप है, उपभाग की वस्तु को क्रय करने के लिए ऋण। ऐसे उपभोग ऋण प्रायः DM20 000 तक के लिए व 60 महीना की अवधि के लिए लिए जाते हैं। इससे अधिक मूल्य वाली उपभोग वस्तुओं को क्रय करना में मुविधा होती है। इसके अनिश्चित व्यक्तिगत ऋण भी दिए जाते हैं जिनकी अधिकतम सीमा DM2,000 है व अवधि 24 महीने तक होती है।

इनके अनिश्चित ये बैंक दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान करते हैं। व्यापारिक बैंक में दो व्यापारिक बैंक¹ ही मुख्यतः दीर्घकालीन ऋण देते हैं। अन्य सामान्य व्यापारिक बैंकों की तुलना में, ये बैंक एक और प्रकार से भी भिन्न हैं। ये बैंक, व्यापारिक बैंकों के साथ तो करते ही हैं किन्तु बचक संचयी व्यवसाय भी करते हैं। दीर्घकालीन ऋण देने के लिए कोषों की व्यवस्था के लिए इन बैंकों को बचक डॉंड निगमन करने का अधिकार प्राप्त है।

3 प्रतिभूतियों क्रय करना

ये बैंक अपने स्वयं के खाते में प्रतिभूतियाँ क्रय भी करते हैं। इस प्रकार ये बैंक देश के उद्योग व व्यापार को प्रत्यक्ष रूप में वित्त प्रदान करते हैं। जर्मनी में ग्राहकों को प्रतिभूतियों में व्यवहार करने के लिए ये व्यापारिक-बैंक विशेष सुविधा प्रदान करते हैं। प्रत्येक नगर में जहाँ स्टॉक-एक्सचेंज हैं, वहाँ एक केन्द्रीय निक्षेप बैंक (Central depository bank) भी स्थापित कर दिया गया है, जिसे तकनीकी भाषा में Kassenverein कहते हैं। इसमें ऐसे ग्राहकों के लिए प्रतिभूतियाँ रखी जाती हैं जिन्होंने बैंक के साथ प्रतिभूतियों को सम्मिलित रूप से सुरक्षित रखने (joint safe custody) के लिए स्वीकृति दी है। यहाँ प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से उत्पन्न स्वामित्व का हस्तांतरण केवल लेखे प्रविष्टि (book entry) द्वारा ही कर लिया जाता है। इस प्रणाली में वास्तविक-प्रमाण-पत्रों को हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं होती।

4 औद्योगिक डॉंडों आदि का निगमन

ये व्यापारिक बैंक उद्योग षण्डों की सहायता भी महत्वपूर्ण ढंग से करते हैं। इन बैंकों के माध्यम से औद्योगिक डॉंडों व षण्डों का निगमन किया जाता है। इसके अनिश्चित षण्ड सरकारी-संस्थाओं के ऋण भी इन्हीं बैंकों के द्वारा निगमन किए जाते हैं। एसा अनुमान है कि जर्मनी में निगमित होने वाले प्रायः सभी औद्योगिक

1 (i) The Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank and,
(ii) The Bayerische Vereins Bank

बीच और औद्योगिक-अर्थ इन्ही बका के द्वारा निगमन किया जाता है, और सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा निगमित किए जाने वाले ऋणों का अधिकांश भाग इन्हीं बका के द्वारा निगमित किए जाते हैं। नीचे की तालिका में इन बका की सहायता द्वारा सन् 1948 और 1967 की अवधि में तथा सन् 1968 और 1969 के दो वर्षों में अर्थ, औद्योगिक ऋण व सावजनिक ऋणों की मांगों का बतलाई गई है —

(DM मिलियन में)

	1948-1967	1968-1969
अर्थ (सम मूल्य)	22 000	3 000
औद्योगिक ऋण	11,000	1,000
सावजनिक ऋण	30 000	5 000

इन व्यापारिक बकाओं में 1948 और 1967 की अवधि में DM 90 हजार मिलियन और सन् 1968 व सन् 1969 के दो वर्षों में DM 30 हजार मिलियन बकाओं व बॉर्डों विशेषतः बचक बॉर्डों व कम्प्यूनन्-बॉर्डों में विनियोग किये थे।

6 अर्थ काय

उपरोक्त के अनिश्चित वे निजी व्यापारिक बका अपने ग्राहकों का अन्य सामान्य सेवाएँ भी प्रदान करते हैं। ये बका अपने ग्राहकों के निर्देश पर धन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण करते हैं। अपने ग्राहकों के निर्देशों पर प्रतिभूतियों का अर्थ विषय भी करते हैं। इसके अनिश्चित ये बका अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियों का अपने पास सुरक्षित रखते हैं। उन पर व्याज व लाभांश जब तक होता है तो अपने ग्राहकों की ओर से उन्हें एकत्रित करते हैं। ये बका अपने ग्राहकों की ओर से अभिदान के अधिकार को भी प्रयोग करते हैं, अर्थात् अपने ग्राहकों के आदेश पर अण्डों या प्रतिभूतियों (subscription) करते हैं। जो ग्राहक अपने अण्डों को बका को सुरक्षित रखने के लिए सौंपते हैं अधिकांश ऐसे ग्राहक (उन अण्डों के अर्थधारियों) उन अण्डों की कम्पनियों की साधारण सभाओं में अपनी ओर से वोट (Vote) देने का अधिकार भी हस्तांतरित कर देते हैं। यह यहाँ की बंकिंग-व्यवस्था का विशेषता है।

ये बका व्यापार तथा पूजागत व्यवहारों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय-स्थानांतरण करने के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। जर्मन-नाएतन्त्र संध तथा अर्थ-एशों के मध्य समस्त व्यापारिक-व्यवहारों का लगभग 80 प्रतिशत भाग इन्हीं बकाओं के द्वारा खातों के माध्यम से (Through accounts) तय किये जाते हैं। इस प्रकार ये बका विदेशों को मुगलान करना मुगलान प्राप्त करना विदेशी मुद्रा में व्यवहार करना आदि भी कार्य करते हैं।

अर्थव्यवस्था में महत्व

पश्चिमी-जर्मनी गणराज्य के आर्थिक क्षेत्र में इन निजी व्यापारिक बकाओं का बहुत अधिक महत्व है। देश के लगभग 55 प्रतिशत अर्थव्यवस्थात्मक ऋण इन्हीं बकाओं द्वारा प्रदान किये जाते हैं। देश के लगभग 80 प्रतिशत अर्थ पर दाय निवेश व

अबधि नियंत्रण इन्हीं बकों के पास है। जर्मनी गणराज्य एवं प्रायः देशों के मध्य लगभग 80 प्रतिशत व्यापारिक सीमेंटें बँ मुगलान इन्हीं बका के द्वारा निपटाय जात हैं। ये तथ्य इन बकों का महत्व प्रदर्शन करते हैं।

बड़े तीन' बक

(The "Big Three" Banks)

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जर्मनी में तीन बड़े बैंक थे। ये तीनों बक जर्मनी के बाकी पुगलन बैंक थे जिनके नाम व स्थापना के षय नीचे लिए हुए हैं—

प० जर्मनी के तीन बड़े बक

बकों के नाम	स्थापना का षय
1 ड्यूश बक (Deutsche Bank)	1870
2 कॉमम बक (Commerz Bank)	1870
3 ड्रेसडनर बैंक (Dresdner Bank)	1872

इस युद्ध म जर्मनी की पराजय हट, और युद्ध के पश्चान् मित्र राष्ट्रों ने अनेक अधिनियम आदि बनाए। इन मित्र राष्ट्रों ने एक अधिनियम बनाया जिसके अंतगत उपरोक्त तीना बैंको—ड्यूश बक, कॉमम बैंक और ड्रेसडनर बैंक—को नई 30 उत्तरवर्ती-संस्थाओं (successor institutions) म विभाजित कर दिया गया। इनम स प्रत्येक उत्तरवर्ती संस्था अपने ही लण्ड ('Land' means, a province or a state) म काय कर सकती थी। अत प्रत्येक उत्तरवर्ती संस्था का कायक्षेत्र सीमित कर दिया गया। इस व्यवस्था स 'तीन बड़े बैंको के अग भग हो गये।

सन् 1952 म 'ला ग्रॉन् दि रिजनल स्कोप ऑफ क्रेडिट इन्स्टीट्यूशंस' पाम लिया गया। इस लॉ के अनुसार उपरोक्त 30 उत्तरवर्ती संस्थाओं को पुन तीन इकाइयो (units) मे परिवर्तित कर दिया गया।

सन् 1956 म एक नया कानून फिर पास किया गया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक उपरोक्त (तीन) बैंको की उत्तरवर्ती संस्थाओं को पुन तीन बैंको मे परिणत कर दिया गया। अत ड्यूश बक ए जी (Deutsche bank A G*), कॉमम बक ए जी और ड्रेसडनर बैंक ए जी पुन स्थापित किय गये। ये बैंक अब अशा द्वारा सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप मे संगठित किए गए। अब बैंक के अशकारी हो जान के कारण, कुछ ही व्यक्तियों का नियंत्रण समाप्त हो गया और इन बैंकों के संगठन म विकाे-दीकरण की स्थिति, पहले की भांति बनी रही।

प्रधान कार्यालय—उपरोक्त तीनों बड़े बैंको के पृथक-पृथक प्रधान-कार्यालय हैं जो कि क्रमश ड्यूशलडफ (Dusseldorf), हैम्बुग और फ्रफर्ट नगरो म स्थित हैं। आबकल यह विचार जोर पकड रहा है कि इन तीना बको के अलग अलग प्रधान कार्यालय हटा दिए जाय और उनके स्थान पर उनका एक केन्द्रीय कार्यालय

1 The Law on the Regional Scope of Credit Institutions

2 A G = Aktiengesellschaft Company Limited by shares

(Central office) फॉकफ्ट में स्थापित कर दिया जाय। इस समय इन तीनों बंकों के बंकिंग में सहायक बंकों (subsidiaries) हैं जो स्वतंत्र रूप (independent) से कार्य कर रहे हैं।

शाखाएँ—इन तीन बड़े बंकों की जमनी गणराज्य व पश्चिम बंकिंग में अनेक शाखाएँ व उपशाखाएँ हैं। सन 1967 में इनकी (तीनों बंकों की) शाखाओं व उपशाखाओं की संख्या 1,866 थी। अगले दो वर्षों में इनकी लगभग 450 शाखाएँ व उपशाखाएँ स्थापित हुईं। इस प्रकार सन 1969 में इन बंकों की शाखाओं व उपशाखाओं की संख्या 2,318 हो गई। इनकी शाखाओं व उपशाखाओं की संख्या दखन से इन बंकों की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक बंकों के 10 लाख से भी अधिक नियमित ग्राहक हैं।

कार्य—ये बड़े बंकों बंकिंग संबंधी सभी कार्य करते हैं। इन बड़े बंकों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

- (i) ये बंकों तीनों प्रकार के निक्षेप—चालू खातों में, भविष्य खातों में व बचत खातों में—स्वीकार करते हैं। इन दिनों बचत खातों में निक्षेप तर्जों से बढ़ रहे हैं।
- (ii) यह अल्पकालीन (12 माह तक के) व मध्यकालीन (12 माह से अधिक व 4 वर्ष से कम के) ऋण प्रदान करते हैं।
- (iii) अपने ग्राहकों के लिए अक्षय ऋणों की व्यवस्था (arrange) करते हैं। इन दिनों ये बंकों ऐसे ऋण स्वयं भी देने लग रहे हैं।
- (iv) ये बंकों अनेक बंधक-बंधकों की पूंजी में भी योगदान करते हैं।
- (v) ये बंकों प्रत्येक प्रकार के व्यापार और प्रत्येक प्रकार के नागरिक से व्यवहार करते हैं।

इन बंकों का पश्चिमा-जमनी की अर्थ-व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

जन-नियम के अन्तर्गत समाभेलित साख सस्थाए

(Credit Institutions Incorporated under Public Law)

साख व्यवस्था से महत्व व काय—जमनी गणराज्य की साख व्यवस्था म निजी बकों के साथ ही जन-नियम (public law) के अतगत समाभेलित साख सस्थाया का भी महत्वशील स्थान है। बचन-सस्थाया अर्थात् बचत-बका (savings bank) और उनकी केन्द्रीय गिरा सस्थाया (central giro institutions) न जमनी के बैकिंग क्षेत्र म पिछले 50 वर्षों म महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है।

प्रारम्भ म, बचत-बक केवल बचत एकत्रित करने तथा बचक व्यापार (mortgage business) से ही काय करते थे किन्तु बतमान समय म वे व्यापारिक बको के समान ही काय करने लगे हैं। ये बचत-बक, व्यापारिक बका की भाति, चालू खाता बचत खाता व भवधि निक्षेप खाता से निक्षेप-स्वीकार करत हैं, प्रत्यवालीन व मध्यकालीन ऋण प्रदान करत हैं व निजी व्यापारिक-बका के अनक काय करत हैं। प्राय ये बक विदेशी विनिमय व प्रतिभूतियों क त्रय विक्रय का काय नहीं करत है और यदि कुछ बक ये काम करत भी हैं तो नगण्य।

बतमान स्थिति

सन् 1967 म जमन-गणराज्य में 862 बचन बैंक थे जिनकी लगभग 13,000 शाखाए थी। सन् 1969 तक इनकी सख्या म बमी हुई किन्तु उनकी शाखाओं की सख्या म वृद्धि हुई। सन् 1969 म वहा 858 बचत-बक थे और उनकी लगभग 14,000 शाखाए थी। इन बचन बका की सख्या व शाखाओं की सख्या देखने से पात होता है कि जमन-गणराज्य म बचन-बको का बैकिंग-क्षेत्र म महत्वपूर्ण स्थान है। ये बचत-बक अपनी सीमाओं (boundaries) से ही काय करत है।

सन् 1968 के प्रारम्भ म जमन गणराज्य क समस्त बचन-बको के चिट्ठा (Balance Sheets) का योग लगभग DM 1 50 000 मिलियन था जिसम DM 1,05,000 मिलियन बचत निक्षेप द्वारा प्राप्त विद्य गय थे। य बक दीघ कालीन ऋण भी देत हैं, जस भवन निर्माण क लिए ऋण धयका स्थानीय प्रोपेयिटीज के पूजीगत व्ययों के लिए ऋण। इन बका द्वारा दीघकालीन व प्रत्यवालीन दिय गये ऋणों की मात्रा इस प्रकार थी।

क्रम व प्रकार	1967 के आरम्भ में (मिलियन DM)	1969 के आरम्भ में (मिलियन DM)
दायकालीन ऋण	52,000	68 000
घल्प तथा मध्यकालीन ऋण	16,000	23 000

गिरो संस्थाएँ (Giro Institutions)

जर्मन गणराज्य में बचत बंका की केंद्रीय संस्था को गिरो कहते हैं। इन गिरो के द्वारा यह बचत बंका मुद्रा रहित (Cashless) भुगतान के व्यवहार (अर्थात् लम्बा-पुस्तका में प्रविष्टि entry द्वारा) निपटान हैं। बचत बंका व उनकी केंद्रीय गिरो संस्थाओं ने मुद्रा रहित धन स्थानान्तरण प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। कुछ प्रणालियों के प्रतिस्पर्धी के जो नियम व प्रसंगत समामेलित हुई हैं।

जर्मन-गणराज्य में सन् 1969 के आरम्भ में 12 केंद्रीय गिरो संस्थाएँ थीं जो जोन नियम सार संस्थाएँ (Public Law Credit Institutions) हैं। ये गिरो संस्थाएँ धन क्षेत्र के बचत-बंको के लिए केंद्रीय बिन्दु का कार्य करती हैं क्योंकि ये गिरो इन बचत बंका व तरल शेष (liquid balances) का प्रबंध करते हैं और सेवा-व्यवहारों (service transactions) को व मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय हस्तान्तरण का कार्य करते हैं। ये गिरो संस्थाएँ धन में संबद्ध (associated) बंका के तरल-शेषों के लिए एक भंडार (reservoir) के रूप में कार्य करती हैं, धन जर्मनी के मुद्रा बाजार में इन गिरो का महत्वपूर्ण स्थान है व संस्थाओं में मिलने जुगल हुए हैं।

य संस्थाएँ बीडा का निगमन नहीं करती हैं। इनसे एक प्रमुख संस्थाएँ प्रसंगिक मन में स्थित है जिस सन् 1956 से बीडा का निगमन का अधिकार प्रदिया है। यह अधिकार इन का एक प्रमुख कारण है। गैर-निगमन के द्वारा यह दायकालीन वित्त प्राप्त कर सकता है और सहारा भत्त की लीजमानान वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्ति कर सकता है।

विशिष्ट बंका (The Specialised Banks)

1. बंधक बंका

उद्योगिक बंका के प्रतिस्पर्धी जर्मनी में कुछ विशिष्ट बंका व विभागीय संस्थाएँ भी हैं। जो बंधक विभाग प्रकार के कार्य करते हैं उक्त विशिष्ट बंका का धैर्यी में माना जा सकता है।

इन विशिष्ट बंका में बंधक-बंका (Mortgage banks) धाने हैं। ये बंधक बंका भी दो वर्गों में एक जा सकते हैं—निजी बंधक बंका और मान्यनिष्ठ बंधक बंका। पश्चिमी जर्मनी में एक बंधकों की संस्था एक प्रकार है।

1 The chief institution in the co-operative system is the Deutsche Genossenschaftsbank in Frankfurt on Main

बचक-बैंकों की संख्या

बचक बैंक के प्रकार	1968	1970
सावजनिक बचक बैंक	14	18
निजी बचक बैंक	29	29

य बैंक वास्तविक संपत्ति के अधिकार (real estate liens) अथवा स्थानीय अधिकारिया (local authorities) द्वारा प्रदत्त प्रतिभूति पर दीघकालीन ऋण देते हैं। इनमें से 5 बैंक एम.ए.ए. जा जलयान निर्माण के लिए मध्यकालीन व दीघकालीन ऋण देते हैं।

निजी व सावजनिक बचक बैंक, दोनों ही मुख्यतः बचक बॉर्ड अथवा व्यापारिक बॉर्डों को विक्रय करके अपने वित्तीय माधन जुटाते हैं। पश्चिमी जर्मनी में समस्त प्रचलित बॉर्डों के लगभग एक तिहाई बॉर्ड इन्ही बैंकों के द्वारा निगमित बॉर्ड हैं। ये बैंक भवन निर्माण के अथ प्रवर्धन और स्थानीय अधिकारियों (authorities) के ऋणों की व्यवस्था भी करते हैं। पश्चिमी-जर्मनी में आवास-सम्पत्ति (Residential Property) पर बचक करके जितने ऋण लिए गये हैं, उनमें लगभग 2/5 भाग इन्हीं बैंकों द्वारा दिए गये हैं।

47 निजी व सावजनिक बचक-बैंकों की स्थिति 31 दिसम्बर 1968 को इस प्रकार थी—

दीघकालीन ऋण	DM 91,400 मिलियन
बॉर्ड प्रचलन में	DM 45,900 मिलियन
पूर्वा व रिजर्व	DM 2,800 मिलियन

2 निर्माण एवं ऋण पापद

(Building and Loan Associations)

ये पापद विनिष्ट वित्तीय संस्थाएँ हैं। ये व्यक्तियों को निवास-स्थानों के लिए ऋण देते हैं। पश्चिमी-जर्मनी में सन् 1966 में ऐसे पापदों की संख्या 30 थी, सन् 1968 में इनकी संख्या 29 रह गई। इनमें 16 निजी-पापद थे और 14 जन वातून के अन्तर्गत स्थापित पापद थे, सन् 1968 में इनकी संख्या क्रमशः 15 और 14 थी।

ये पापद सामूहिक बचत के सिद्धांत पर अपने निक्षेप-कर्ताओं का ऋण देते हैं। निक्षेप-कर्ता अपनी बचत का पापद को यथा अपने धाते में एक 'यूनितम राशि' एनत्र कर लेता है। एक निश्चित अवधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात् निक्षेप-कर्ता को उसकी बचत की राशि और बचक ऋण \times दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उम, विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त वित्त भी प्रदान कर दिया जाता है। इन दिना निर्माण कार्यों के लिए पश्चिमा-जर्मनी में, अथ प्रकार की संस्थाएँ भी ऋण प्रदान करने लगी हैं। सन् 1966 के अंत में इन 30 ~~बचक बैंकों~~ ने लगभग DM 20,000 मिलियन के ऋण प्रदान किये थे जबकि सन् 1968 के अंत में इन

29 पापदा न भयन निर्माण के लिए लगभग DM 24,000 मिलियन के ऋण दिए थे। इन पापदा के पास भावी भवन निर्माणकर्ताओं के सन् 1966 के घत में DM 26 000 मिलियन के निःशेष (deposits) थे जो सन् 1968 के घत में बढ़ कर DM 31,000 मिलियन हो गए। इससे ज्ञात होता है कि पश्चिमी जर्मनी में निर्माण एवं ऋण-पापदा लोकप्रिय होन जा रहे हैं।

3 बित्त विक्रय वित्त गृह

(Instalment Sales Finance Houses)

य पश्चिमा-जर्मनी में उपभोक्ताओं का मान प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाएँ हैं। ये जर्मनी में नए संस्थाएँ हैं। इनका विकास द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद ही हुआ है। इस समय (1970 में) पश्चिमी जर्मनी में लगभग 200 विश्व विक्रय वित्त गृह हैं जो उपभोक्ताओं को ऋण प्रदान करते हैं। इन संस्थाओं के द्वारा उपभोक्ताओं को वित्त प्रदान करा के प्रायः तीन प्रमुख तरीके प्रचलित हैं—

- (i) 'A'—टाइप व्यवसाय—इस प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता को प्रत्यक्ष (direct) रूप में साख प्रदान कर दी जाती है। इसमें विक्रेता संलग्न रहता है और उसका हस्तक्षेप नहीं होता।
- (ii) B—टाइप व्यवसाय—इस प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता को ऋण तो प्रदान किया जाता है किंतु विक्रेता के सम्मिलित दायित्व पर। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता को विक्रेता के सम्मिलित दायित्व के आधार पर ऋण प्रदान किया जाता है।
- (iii) "C"—टाइप व्यवसाय—मोटर-कार अथवा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। ये ऋण विनिमय विपत्रों (bills of exchange) के आधार पर दिए जाते हैं।

कार्यशील पूँजी—ये वित्त गृह अपने कोष अथवा साख संस्थाओं से प्राप्त करते हैं। चानू खाता और अवधि पातों में ये वित्त गृह अथवा साख संस्थाओं से निक्षेप प्राप्त करते हैं। सन् 1968 के अंत में इन वित्त गृहों के पास अथवा साख संस्थाओं के लगभग DM 3,700 मिलियन जमा थे, जबकि इन वित्त गृहों की पूँजी व रिजर्व DM 500 मिलियन थी।

सन् 1950 के आरम्भ में विश्व विक्रय वित्त गृह, उपभोक्ताओं को अग्रिम (Advances) देने में अत्यन्त महत्वपूर्ण थे। उस समय वे केवल B'—टाइप और C—टाइप व्यवसाय करते थे। किन्तु बाद में, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण एवं व्यक्तिगत ऋण देना लगे। अतः इन वित्त-गृहों ने भी 'A'—टाइप व्यवसाय करना आरम्भ कर दिया। आजकल इन वित्त गृहों द्वारा उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले ऋणों के लगभग 50% ऋण 'A'—टाइप के ही होते हैं।

4 विनियोग-ट्रस्ट

(Investment Trusts)

पश्चिमी-जर्मनी में विनियोग-ट्रस्टों की स्थापना युद्धोपरांत काल में हुई। इन

विनियोग ट्रस्टों की स्थापना विभिन्न बकिंग सिंडीकेटों द्वारा की गई। सन् 1966 में वहाँ 25 ऐसे ट्रस्ट फंड थे जिसका प्रबंध 9 प्रबंध-ट्रस्टों (managing trusts) द्वारा किया जाता था, सन् 1969 में इनकी संख्या कमज 35 और 12 हो गई।

ये विनियोग-ट्रस्ट मिश्रित जोखिम (mixed risk) के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये ट्रस्ट जमनी की प्रथम श्रेणी की कम्पनिया में व्यवहार करते हैं, किन्तु कुछ ट्रस्ट विशेषों में स्थित कम्पनिया के अंश और निश्चिन्-व्याज वाली प्रतिभूतिया भी रखते हैं। इतना ही नहीं इन गिरा सम्बन्धों ने अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार में भी क्रियाशील होना आरम्भ कर दिया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त ये गिरा सस्थाए स्थानीय अधिकारिया (authorities) के लिए एव गणतन्त्र जिल के बचर के रूप में भी कार्य करती हैं। वे बचक-बकों की भाँति कार्य करती हैं।

बचत बकों के अंचल में एक केन्द्रीय-सस्था भी है जिसका नाम ड्यूश गिरा सेंट्रल अर्थात् ड्यूश कम्यूनल बैंक ऑफ फ्रैंकफर्ट (Deutsche Kommunal Bank of Frankfurt) है। यह क्षेत्रीय केन्द्रीय गिरा सस्थाओं के बड़े निक्षेपों का प्रबंध करता है। स्थानीय अधिकारियों के ऋणों की पूर्ति करने के लिए, यह बॉन्ड का निगमन भी करता है। सन् 1968 के अंत में इस गिरा सेंट्रल के चिट्ठे (balance sheet) का योग DM 12,000 मिलियन था।

✓ औद्योगिक व कृषि साख सहकारिताए

पश्चिमी जर्मनी गणराज्य में औद्योगिक साख सहकारिताए छोटे एव मध्यम कालीन उद्योगों की सहायता करती हैं। वहाँ औद्योगिक-साख सहकारिताओं को 'वोल्क्सबैंक (Volksbanken) कहते हैं, जिसका अर्थ है 'जन बैंक' (Peoples Banks)। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को आर्थिक सहायता देने के लिए कृषि साख-सहकारिताए हैं, जिन्हें 'राइफेन-कसस' (Raiffeisen Kassen) कहते हैं। प्रसिद्ध राइफेन नाम के व्यक्ति के नाम के आधार पर इन्हें राइफेन-कसस कहा जाता है। इन सहकारिताओं की स्थिति इस प्रकार है—

प० जर्मनी में साख सहकारिताए

	1967	1969
औद्योगिक साख सहकारिताए	750	745
कृषि साख सहकारिताए	8 000	9 000

काय

ये साख सहकारिताए चालू खातों में जनता एवं सदस्यों से निक्षेप (deposits) प्राप्त करती हैं। इनके वित्तीय साधनों में ये निक्षेप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सन् 1967 में इन सहकारिताओं के पास DM 20 000 मिलियन के निक्षेप थे, जो सन् 1969 में बढ़कर DM 28,000 मिलियन हो गए।

इन सात सहकारिताओं के पास पूंजी व ऋण मिलाकर सन् 1967 में DM 1,800 मिलियन था जो सन् 1969 में DM 2,400 मिलियन हो गया।

ये सहकारिताएँ कृषक अपने सम्पत्तियों को ही ऋण देती हैं। इनके सम्पूर्ण प्रायः दस्तकार (craftsmen), कारीगर व्यापार, छोटे उद्योगपति व कृषक ही हैं। ये सहकारिताएँ मूल्यवालीन व मध्यवालीन ऋण देती हैं। मूल्यवालीन ऋण नहीं देती हैं। सन् 1967 में इन्होंने DM 12,700 मिलियन का ऋण लिए जबकि सन् 1969 में DM 28,000 मिलियन का ऋण लिया। इन ऋणों से स्पष्ट होता है कि इन सहकारिताओं द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋण नाकाम्य हो जा रहे हैं। सन् 1967 की तुलना में सन् 1969 में ऋणों की मात्रा में दो गुना से भी अधिक वृद्धि हुई।

ये सहकारी सात समितियाँ, विशेषतः कृषि-साम्बन्ध सहकारिताएँ प्रवर्तनिक आधार पर कार्य करती हैं।

साल सहकारिताओं के मध्य समाशोधन (Clearing) का काम करने के लिए, सन् 1970 में पश्चिमी जर्मनी में 17 औद्योगिक व कृषि व-द्रीय-संस्थाएँ थीं।

जापान की बैंकिंग प्रणाली
(Banking System in Japan)

जापान की वित्तीय संस्थाएँ : एक दृष्टि में

जापान में वित्तीय-संस्थाओं का विस्तृत अध्ययन करने के पूर्व, यहाँ उनकी सबसे प्रथम स्थिति जान लेना आवश्यक है। अध्ययन की दृष्टि से उन्हें तीन वर्गों में बाटा गया है—केन्द्रीय बैंक, निजी वित्तीय संस्थाएँ और सरकारी वित्तीय संस्थाएँ। सामने उनकी संख्या (जनवरी, 1, 1970 को) बतलाई गई है।

A केन्द्रीय बैंक (Central Bank)

1 दि बैंक आफ जापान

B निजी वित्तीय संस्थाएँ (Private Financial Institutions)

1 व्यापारिक बैंक

a	सिटी बैंक	14
b	लोकल बैंक	61
c	विदेशी बैंक	18

2 विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ

(i) दीर्घकालीन साख की वित्तीय संस्थाएँ —

a	दीर्घकालीन साख बैंक	3
b	ट्रस्ट बैंक	7

(ii) छोटे व्यापार के लिए वित्तीय संस्थाएँ —

a	पारस्परिक ऋण एवं बचन बैंक
b	नशनल फंडरेशन ऑफ़ क्रेडिट ऐसासियेशन (साख-ऐसोसियेशंस 550)
c	नशनल फंडरेशन ऑफ़ क्रेडिट को ऑपरेटिंग (साख-सहकारिताएँ 543)
d	सट्रल बैंक फार नर्मशियल एण्ड इंडस्ट्रियल को ऑपरेटिंग (क्रेडिट गारंटी निगम 51)

(iii) कृषि आदि के लिए वित्तीय संस्थाएँ —

a	सट्रल को ऑपरेटिंग बैंक फार एग््रीकल्चर एण्ड फारस्ट्री
b	एग््रीकल्चर क्रेडिट गारंटी ऐसासियेशन

(iv) अन्य वित्तीय संस्थाएँ —

a	बामा बचतबन्धन	20
b	भाग पर दय ऋण व व्यापारी	6
c	प्रतिभूति वित्त निगम	3
d	प्रतिभूति बचतबन्धन	275

C सरकारी वित्तीय संस्थाएँ
(Govt Financial Institutions)

1 बक

- a दि एक्सचेंज इन्फोर्मेशन बक ऑफ़ जापान
- b दि जापान डेवलपमेंट बक ।

2 तावज्जिनिक निगम

- a हाऊसिंग लोन कॉरपोरेशन
- b होक्डो—टोहोकू कारपोरेशन
- c मडिकल केयर फसिलिटीज फाइनैस कॉरपोरेशन

3 अन्य वित्तीय संस्थाएँ

- a वित्तीय विशिष्ट खाते
 - (i) ट्रस्ट फंड ब्यूरो
 - (ii) डाकघर जीवन-बीमा और डाकघर वापिकी विशेष खाता
 - (iii) इंडस्ट्रियल इन्वैस्टमेंट, स्पेशल अकाउंट ।

जापान में बैंकिंग विकास

(एक ऐतिहासिक विवेचना)

जापान का परिचय—सुदूर पूर्व के देश। म जापान अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। इसने औद्योगिक क्षेत्र में अग्रचयजनक उन्नति की है, इसरी रेलें आदश हैं, जलयान उद्योग अत्यंत विकसित एवं बड़ा है। गत 20 वर्षों में जापान की औद्योगिक उत्पादन की गति विश्व में सबसे तेज रही है, जिसकी पृष्ठभूमि में मौद्रिक-स्थायित्व का महत्वशील योग रहा है।

जापान की अर्थव्यवस्था में जबत्सु (Zaibatsu) का अत्यंत महत्वशील योग रहा है। ये जबत्सु परिवार-ट्रस्ट (family trusts) हात हैं। परिवार-ट्रस्ट अलग-अलग विभागों में संगठित होता है और प्रत्येक विभाग विशिष्ट प्रकार का व्यवसाय करता है। ये विभाग कभी-कभी सीमित दायित्व वाली कम्पनियों, जैसे बैंक बीमा-कम्पनियाँ, जलयान कम्पनी, निर्माण (manufacturing) कम्पनियाँ या व्यापारिक कम्पनियों आदि के रूप में संगठित कर दिये जाते हैं। जबत्सु के स्वयं बैंक भी होते हैं, जिनमें से कुछ की गणना विश्व के सबसे बड़े बैंकों में की जाती है, जैसे मित्सुबिशी बैंक का विश्व के सबसे बड़े बैंकों में इक्कीसवाँ स्थान है मुमितोमो बैंक का तीसरा स्थान और मित्सुई बैंक का 43 वाँ स्थान है।

जापान में सबसे शक्तिमान ट्रस्ट तीन हैं—मित्सुबिशी, मुमितोमो व मित्सुई। ये तीनों परिवार-ट्रस्ट हैं जिन्हें जबत्सु कहते हैं। इन परिवार-ट्रस्टों की विभिन्न रूप से उत्पत्ति हुई है, इनके कार्य के तरीके भी अलग-अलग हैं किंतु शक्ति की दृष्टि से लगभग समान हैं। इन ट्रस्टों की मकड़ों कम्पनियाँ कार्य कर रही हैं। इनके अतिरिक्त अनेक कम महत्वशील ट्रस्ट भी हैं, जैसे असानो हत्तारी, हिताची, ओकुरा, यमुना, यावाता आदि।

जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जापान का पाँचवाँ स्थान (चीन, भारत, सोवियत रूस, सं. रा. अमेरिका और जापान) है। जापान की राजधानी टोकियो (Tokyo) है जो विश्व का सबसे बड़ा नगर है। ओसाका, नागोया, क्योटो, याकोहामा व बांके आदि जापान के अन्य प्रमुख नगर हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को भी बहुत क्षति हुई, सामाज्य जीवन-व्यवस्था, औद्योगिक-व्यवस्था व आर्थिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई, किंतु युद्धांतराल काल में पुनः द्रुत गति से

विराम किया जो सामयिकता है। इस विराम के भ्रम में घबरा गया के परिणाम, जापानियों के निम्न परिणत तथा पैंग के प्रति निष्ठा भी महत्वपूर्ण है।

घबराहटका का विराम—सन् 1900 वर्षों के आरम्भिक वर्षों में जो घबराहट महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम हुए उनमें जापान का महान क्षति के रूप में घबराहट भी एक है। आर्थिक व राजनीतिक क्षति में जापान की जो उपलब्धियाँ भी उसके पश्चिम के देशों मोग अपने घातपूर्ण परिणत व कि उन्हें इंगरी को बुद्धिमान बाल्या दंडे नहीं मिलनी थी। उनमें से कभी कुछ मोग जापानियों के इस दृष्टिकोण में महत्त्व है। निम्न पढ़ा कि उनको नव प्रति गरिमा का ध्येय रहस्यवादी को है जबकि कुछ मोग जापान की प्रगति को अदृश्य पटनाचक का परिणाम मानते हैं।

जापानियों तर यद्विधुमग सामनमाहा म रहने वाला जापानी जनता के विराम बुद्धिमान की लता से घबराहट व्यापकतरि महुवाकागताका व प्रति महत्त्व जागरूक है। जान की प्रथमिन घातगा मग म बन्द दूर है। परिणत राष्ट्र जापान का त्रिम ऊर्ध्व घोर घात महुवाकागता म उ निरत हुए बहु जापानियों का घबराहट ही प्राप्त गही हुई। घबराहट इतिहास में सन् ही उन्होंने नए विचारों घोर प्रणालियों का लक्षणता से घातगात्त करन घोर बड़ी-बड़ी प्रायोजनाओं को कार्याचर करन का प्रतिभा निगर्द है। इससे भी बड़कर उहाँने सगठन के त्रिम मघी हुई घोर बहुधा प्रयुक्त की गई क्षमता का भी प्रदर्शन किया है। इसने प्रतिरित्त जापान को घबराहट विगत युग से कुछ ऐसी राजनीतिक व आर्थिक सम्पाण विरामन में मिली जो सरसता से राष्ट्रीय नव निर्माण के नवीन कार्य के लिए घबनाई जा सरी।

मेइजी पुन स्थापन (Meiji Restoration) 1868 के परिणामस्वरूप जापान के ऐतिहासिक-युग में एक मोड़ आ गया और जापान की अर्थ-व्यवस्था के द्रुतविकास के पत्र में आन दिया। मेइजी-युग के पूर्व वहाँ की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी। मेइजी सरकार ने दण के चहुँ मुरती एव दृढ़ विकास के लिए मौनिक-मुधार करन भी आवश्यक समझे। अत सन् 1871 में सरकारी टकसाल की स्थापना की गई और न्यू करनी एक्ट पास किया गया जिसके परिणामस्वरूप द्विधानुमान स्थापित किया गया। डेन, सेन व रिज की आसामिक-मुद्रा प्रणाली घबनाई गई।

मेइजी-सरकार की नीति आधुनिक बका की स्थापना थी अत सन् 1869 में विनिमय कम्पनिया स्थापित की गई जोकि बैकिंग संस्थाए थी और जिहे पत्रमुद्रा निगमन का अधिकार प्राप्त था।

नशनल बैंकों की स्थापना—जनता का उपराल विनिमय-कम्पनिया के प्रति अधिकवास होने के कारण ये कम्पनिया फेल हो गई। अथ राजकुमार इतो (Ito) के परामश से नशनल-बैंकिंग की अमेरिकी प्रणाली का उन व्यक्तियों के विरोध के होने हुए भी आत्म माना गया जो बैट्रीय बैंकिंग प्रणाली के पक्ष में थे। सन् 1872 में नशनल-बैंक एक्ट पास किया गया जिसमें सन् 1876 में संशोधन किया गया। सन् 1879 तक वहाँ 153 नशनल बैंक स्थापित हो चुके थे। अधिकतर नशनल बैंक

छोटे से जिनकी सूची 2 लाख घन व इससे कम थी। य वक जनता के निक्षेप ग्रन्थिक।
 प्राकषित नहीं कर सक।

केन्द्रीय बैंक की स्थापना—घाटवीं दशक (सन् 1880) में विरासत में मिली हुई अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का विभीषन एवं स्वयं व रजत का एक ऐसा कोप स्थापित करना आवश्यक हो गया जो नये पण्डितन शील पत्र मुद्रा निगमन वृत्तन क लिए आधार हो सके। सितम्बर 1881 में काउन्ट मत्सुकाता ने अग्रिम एक-जापान में यूरोपीय ढंग व एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना करने पर जोर दिया। अग्रिम मास ही मत्सुकाता को वित्त मंत्री बना दिया गया, अतः उन्होंने अग्रिम प्रस्तावों का कार्यान्वयन करने के लिए प्रयत्न आरम्भ कर दिए। अग्रे मास 1882 में बैंक आफ जापान, की स्थापना का प्रस्ताव, प्रधान मंत्री द्वारा पास कर लिया गया और इसी वर्ष दशक व द्वाय-बैंक के रूप में बैंक आफ जापान की स्थापना हो गई।

व्यापारिक बैंकों का विकास—सन् 1870 के आरम्भिक वर्षों में निजी बैंक की स्थापना की प्रवृत्ति देखी गई और वणिज्य व्यवसाय को करने वाली अनेक कम्पनियाँ स्थापित होनी लगीं। इन कम्पनियों का 'बैंकों के सदस्य, कम्पनियाँ' कहा जाता था। ब्यापारिक नगण्य बैंक एक व अनुसार बैंक शब्द का प्रयोग केवल नगण्य बैंक ही कर सकते थे। बाद में नाम में परिवर्तन यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया, जिसके फलस्वरूप बैंक व सदस्य कम्पनियों में अग्रिम नाम में 'बैंक' शब्द जोड़ लिया अतः निजी बैंक की संख्या में प्रमाणात् वृद्धि हुई।

सन् 1879 में नए नगण्य बैंक की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, अतः निजी बैंक की स्थापना को और प्रोत्साहन मिला। अतः बैंक एक्ट 1889 को पास होने के ठीक पूर्व जापान में निजी बैंकों का संख्या 218 थी और बैंकों के सदस्य कम्पनियों की संख्या 695 थी।

बैंक एक्ट 1889 (जो सन् 1893 में लागू हुआ) ने व्यापारिक बैंकों की स्थापना को और प्रोत्साहन दिया जिनकी संख्या सन् 1901 में 1870 हो गई। सन् 1893-1901 की अवधि में इन बैंकों में निक्षेप लगभग 9 गुने बढ़ गए।

सन् 1901 के बाद इनकी संख्या में कमी होने का प्रवृत्ति हुई जो अग्रिम विश्व युद्ध तक चलती रही। सन् 1920 के पश्चात् इन बैंकों व एकीकरण की प्रवृत्ति आरम्भ हुई। सन् 1920 में बैंक-एक्ट में फिर संशोधन किए गए जिनके अनुसार बैंक व एकीकरण का कार्य सरल हो गया। सन् 1921 से 1926 तक की अवधि में बैंकों की संख्या में काफी कमी हो गई और 1926 में वणिज्य डाका पुनः लक्ष्यवाने लगा।

-अतः सरकार ने बैंक अधिनियम (Bank Act) -1889 को निरस्त कर दिया और उत्तर, स्थापना पर बैंक-कानून (Bank Law) 1927 पास किया गया जो जापानी 1928 में क्रियाशील हुआ। इस कानून ने समस्त बैंकों के लिए-न्यूनतम पूंजी अनिवार्य कर दी। यह आवश्यक उस समय मौजूदा बैंकों पर भी लागू कर दिया गया अतः कमबाल बैंक का ता बन्द कर दिया गया अथवा अन्य बैंकों में अंतर्भूत

एकीकरण हो गया। सन् 1926 में जापान में बैंकों की संख्या 1420 थी त्रिनकी संख्या 1931 में 683 थी 1936 में 418 ही रह गई। इस कानून ने बैंकों का भय व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगा दिया तथा उन पर निरीक्षण का कार्य और बढ़ा कर दिया।

द्वितीय विश्व युद्ध काल में बैंकों की संख्या में और कमी हुई। सन् 1937 में इनकी संख्या 177 थी जो सन् 1945 में 61 ही रह गई। यद्यपि इनकी संख्या में कमी हुई किन्तु इनके व्यवसाय में बहुत ही वृद्धि हुई। इस अवधि में इनके कानून प्राप्ति, बैंकों को मुक्त करने के लिए बनाये गये।

बचत बैंकों का विकास—जापान में व्यापारिक-बैंकों के विनाश के साथ-साथ बचत बैंकों का भी विकास हुआ। सन् 1874 में सरकार ने रगुलेशन पार संविज्ञ कानून बनाया जिसमें फलस्वरूप डाकघरों में बचत निधि का कार्य प्रारम्भ हुआ और साथ ही इस कार्य को करने के लिए निजी संस्थाएँ भी स्थापित हुईं। सन् 1880 में जापान में प्रथम विशिष्ट बचत-बैंक की स्थापना हुई। ये बैंक योरोप व अमेरिका में बचत-बैंकों के नमूने (model) पर स्थापित किये गये। सन् 1883 तक इनकी संख्या 21 हो गई। ये बैंक अधिकांशतः साहूकारों द्वारा स्थापित किये गये और इनका प्रबंध खराब था अतः सरकार ने इनकी स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर सन् 1890 में सेविज बैंक एकट पास किया गया जिसमें सन् 1896 में सशोधन किये गये। सन् 1901 में ऐसे बैंकों की संख्या लगभग 440 थी।

सन् 1921 में सेविज बैंक का बनाया गया जो जनवरी 1922 से लागू किया गया। इस प्रकार पुराना सेविज बैंक एक खत्म हो गया। नये कानून में इन बैंकों की 'यूनितम पूजी निर्धारित कर दी, उनके कार्यों को सीमित कर दिया और बीपी के उपयोगों पर प्रतिबंध लगा दिए। इस नये कानून के फलस्वरूप अनेक सेविज-बैंक 'व्यापारिक बैंकों में परिवर्तित हो गये या आपस में एकीकरण करने लगे। इनकी संख्या 1921 में 636 थी जो घटकर सन् 1936 में 72 रह गई।

विशिष्ट बैंकों का विकास—मेइजी सरकार ने अपने आरम्भिककाल में ही विशिष्ट-बैंक (special banks) स्थापित करने पर विचार किया था। 'केन्द्रीय-बैंक से पृथक् एक औद्योगिक बैंक की स्थापना आवश्यक समझी गई क्योंकि यह विचार था कि 'केन्द्रीय बैंक केवल व्यापारिक बैंकों के 'केन्द्रीय विडु के रूप में ही कार्य करे। इसी प्रकार कृषि विदगी विनियम प्राप्ति के लिए भी विशिष्ट बैंक स्थापित करने पर विचार किया गया। विशिष्ट बैंकों में से कुछ का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(i) **योकोहामा स्पीशी बैंक (Yokohama Specie Bank)**—इस बैंक की स्थापना सन् 1880 में की गई जिसमें सरकार ने बैंक की पूजी में अभिदान किया। सन् 1887 में 'योकोहामा स्पीशी बैंक एकट' पास किया गया जिसके फल-स्वरूप इन बैंकों की स्थिति और मजबूत हो गई और इनको विशिष्ट-बैंक (special banks) की श्रेणी में रख दिया। इस बैंक को विदेशी विनियमों काय कराने का

एकाधिकार सा दे दिया गया। सन् 1947 में इस बैंक को बंद घोषित कर दिया गया और इसके उत्तराधिकारी के रूप में बक आफ टोकियो एक व्यापारिक-बक के रूप में स्थापित किया गया।

(ii) हाइपोथेक बक ऑफ जापान (Hypothec Bank of Japan) — इस बक की स्थापना सन् 1897 में एक पृथक् कानून (Hypothec Bank of Japan Law 1896) के अधीन की गई। इस बक की स्थापना वास्तविक संपत्तियां (real estates) की प्रतिभूति पर दीषकालीन ऋण देने के लिए की गई। इसकी क्रय-विक्रय निगमन का भी अधिकार दिया गया। कृषि व उद्योगों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस बक की स्थापना की गई थी।

सन् 1921 में एक कानून का निर्माण किया गया जिसके अंतर्गत जापान के कृषि व औद्योगिक बैंकों को हाइपोथेक बैंक में एकत्रीकरण का अधिकार दे दिया गया। इसके फलस्वरूप सन् 1921 में और फिर सन् 1927 में अनेक औद्योगिक व कृषि बैंकों का उभ बैंक में एकत्रीकरण हो गया।

सन् 1948 में एक कानून के द्वारा निर्देशित किया गया कि ये स्पेशल बैंक या तो व्यापारिक बक अथवा ऋण-प्रति निगमन करने वाली संस्था के रूप में अपने आपको बदल लें। अतः सन् 1950 में हाइपोथेक बक ने अपने आपको व्यापारिक बक के रूप में बदल दिया। इस प्रकार इस बैंक का हाइपोथेक-बक के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया।

(iii) होक्काइ कोलोनिअल बक—(Hokkaido Colonial Bank)—सन् 1899 में होक्काइ कोलोनिअल बैंक का अनायास नामांतरण किया गया जिसके अंतर्गत सन् 1900 में इस बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक वास्तविक संपत्ति पर दीषकालीन ऋण देता था और होक्काइ द्वीप समूह के विकास के लिए विशेषरूप से ऋण देता था। सन् 1950 में यह बैंक भी व्यापारिक बक के रूप में परिवर्तित हो गया।

(iv) इंडस्ट्रियल बक ऑफ जापान—सन् 1900 में इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ जापान का अनायास नामांतरण किया गया जिसके अंतर्गत सन् 1902 में यह बक स्थापित हुआ। यह दीषकालीन औद्योगिक ऋण व ऋण-प्रति निगमन करने वाला बैंक था। यह भी आशा की गई थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति यह बैंक देश में ट्रस्ट-व्यवसाय को प्रोत्साहित करेगा और विदेशी पूंजी के आयात को आकर्षित करेगा। इस बैंक ने अनेक उद्योगों को विशेषतः रेशम उद्योग व रासायनिक उद्योगों को ऋण दिए। जापान में सन् 1923 के महात्तू मूव्मन्ट के पश्चात् और 1927 की आर्थिक मंदी में छोटे उद्योगों को भी सहायता दी। सन् 1950 में यह बैंक भी व्यापारिक बक के रूप में परिवर्तित हो गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जापान में उद्योग, कृषि, वन-जम, मछली-बर्ष की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए अनेक संस्थाएँ स्थापित की गईं।

युद्धोत्तरकाल की अन्य वित्तीय संस्थाएँ

सन् 1947 में पुनर्निर्माण वित्त-बैंक की स्थापना की गई जिसने सन् 1949 में अपना कार्य करना स्थगित कर दिया और 1952 में इस बैंक का समापन हो गया। युद्धोत्तर काल में निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं की स्थापना उल्लेखनीय है—

- (i) पीपिल्स फाइनेंस कारपोरेशन (स्थापित 1949)
- (ii) हाउसिंग लोन कॉरपोरेशन (सन् 1950)
- (iii) एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ जापान (1950)
- (iv) जापान डवलपमेंट बैंक (1951)
- (v) एप्रोन्ल्वर फॉरेस्ट्री एण्ड फिन्शरीज फाइनेंस कारपोरेशन (1952)
- (vi) स्माल बिजनेस फाइनेंस कारपोरेशन (1953)
- (vii) होकडो एण्ड टोकाहू डवलपमेंट कारपोरेशन (1956)
- (viii) लोकल पब्लिक एंटरप्राइज फाइनेंस कारपोरेशन (1957)
- (ix) स्माल बिजनेस क्रेडिट इश्योरस कॉरपोरेशन (1958)
- (x) मेडिकल केयर फसिलिटीज फाइनेंस कारपोरेशन (1960)
- (xi) ग्रोवरसीज इवोनॉमिक को ऑपरेशन फंड (1960)

जापान के 20 सबसे बड़े बैंकों की सूची निम्नलिखित तालिका में दी गई है—

जापान के 20 बड़े बैंक

बैंक का नाम	प्रधान कार्यालय	बैंक का नाम	प्रधान कार्यालय
1 Fuji Bank Ltd	Tokyo	11 Mitsui Trust & Banking Company Ltd	Tokyo
2 Mitsubishi Bank Ltd	Tokyo	12 Yasuda Trust & Banking Company Ltd	Tokyo
3 Industrial Bank of Japan Ltd	Tokyo	13 Sanwa Bank Ltd	Osaka
4 Dai-ichi Bank Ltd	Tokyo	14 Sumitomo Bank Ltd	Osaka
5 Mitsui Bank Ltd	Tokyo	15 Sumitomo Trust & Banking Company Ltd	Osaka
6 Nippon Kangyo Bank Ltd	Tokyo	16 Daiwa Bank Ltd	Osaka
7 Long Term Credit Bank of Japan	Tokyo	17 Tokai Bank Ltd	Nagoya
8 Kyowa Bank Ltd	Tokyo	18 Bank of Kobe Ltd	Kobe
9 The Bank of Tokyo Ltd	Tokyo	19 Saitama Bank Ltd	Urawa
10 Mitsubishi Trust & Banking Corporation	Tokyo	20 Hokkaido Takushoku Bank Ltd	Sapporo

बैंक ऑफ जापान

(केन्द्रीय बैंक)

स्थापना—बैंक ऑफ जापान (The Bank of Japan) देश का (जापान का) केन्द्रीय बैंक है। भारत का रिजर्व बैंक की भाँति यह बैंक भी आरम्भ से ही केन्द्रीय बैंक रहा है।

मेइजी (Meiji) युग का आरम्भ सन् 1868 से होता है, जो जापान के इतिहास में प्रत्येक दृष्टिकोण (आर्थिक, औद्योगिक, राजनीतिक आदि) से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मेइजी सरकार यह चाहती थी कि देश की बरसी प्रणाली मुहड़ हा। अतः सन् 1876 में नेशनल-बैंक ऐक्ट में संशोधन किया गया। किंतु लगभग इसी समय सन् 1877 में सत्सुमा विद्रोह (Satsuma Insurrection) (दक्षिणी क्यूशू (S. Kyushu) में आरम्भ हुआ और उसका अन्त दमन करने के लिए, सैनिक-व्यय में अति वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप अपरिवर्तनशील-पत्र मुद्रा बढ़ी मात्रा में निगमित की गई। इस प्रकार आगामी वर्षों (1877-1880) में भारी मुद्रा प्रसार की अवस्था उत्पन्न हो गई जिसके फलस्वरूप जापान की अर्थ-व्यवस्था लड़खड़ा गई और उद्योगों का विकास रुक-सा गया। अतः यह दृष्टिकोण बनने लगा कि अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा को वापिस ले लिया जाय और परिवर्तनशील पत्र मुद्रा प्रणाली अपना ली जाय।

सितम्बर 1881 में, मसायोशी मत्सुकाता (Masayoshi Matsukata) ने आर्थिक मामलों पर प्रस्ताव (Proposal on Financial Matters) प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा को वापिस लेने एवं एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना पर बल दिया। अगले ही मास अर्थात् अक्टूबर 1881 में मत्सुकाता को वित्त मंत्री (Minister of Finance) बना दिया गया। वित्त मंत्री बनते ही उन्होंने अपने प्रस्ताव में प्रस्तुत की गई नीतियों को कार्यान्वित करने में शीघ्रता की।

वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बैंक ऑफ जापान को स्थापित करने का प्रस्ताव (Proposal for the Establishment of Bank of Japan) प्रधानमंत्री द्वारा मार्च 1882 में स्वीकृत किया गया जून 1882 में बैंक ऑफ जापान ऐक्ट पास किया गया और 10 अक्टूबर 1882 से बैंक ऑफ जापान ने कार्य करना आरम्भ कर दिया। बैंक ऑफ जापान का प्रधान कार्यालय जापान का राजधानी टोकियो (Tokyo) में स्थित है।

वैधानिक स्थिति— बैंक ऑफ जापान की स्थापना 'बैंक ऑफ जापान एक्ट 1882' के अन्तर्गत हुई थी। उस समय उसका 30 वर्षों के लिए चार्टर दिया गया था, जो (1882+30) अर्थात् 1912 में समाप्त हो गया। अर्थात् 1912 में इस चार्टर का और 30 वर्षों के लिए नवीनीकरण कर दिया गया। अर्थात् 1942 में यह चार्टर समाप्त हो गया और इसके स्थान पर एक नया कानून (नं० 67 फरवरी 24 1942 वा) बैंक ऑफ जापान कानून (The Bank of Japan Law) बनाया गया। इस कानून में समय-समय पर मशोधन होने रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन अर्थात् 1949 में हुए हैं। इस प्रकार बैंक ऑफ जापान वर्तमान समय में बैंक ऑफ जापान कानून 1942 में शासित हो रहा है। यह ध्यान रखें कि बैंक ऑफ जापान जापान का केन्द्रीय बैंक है और देश की बैंकिंग एवं मौद्रिक प्रणाली में इसका शीर्ष स्थान है।

बैंक के उद्देश्य—अर्थात् 1881 में मरुकाता न 'आर्थिक मामला पर प्रस्ताव' प्रस्तुत किया था। मार्च 1882 में बैंक ऑफ जापान को स्थापित करने का प्रस्ताव वित्त मंत्री ने स्वीकृत किया जिसके साथ में बैंक ऑफ जापान स्थापित करने की परियोजना की व्याख्याएँ" (Explanations for the Project of Establishing the Bank of Japan) भी संलग्न थीं जिन्हें बैंक ऑफ जापान की स्थापना के 5 उद्देश्य बतलाए गये थे जो निम्नलिखित हैं—

- (i) बैंकिंग की सुविधाएँ उपलब्ध करना
- (ii) नेशनल बैंक व कम्पनियाँ आदि के आर्थिक स्रोतों को मजबूत बनाना,
- (iii) मुद्रा-दरों (ब्याज दरों) का नीचा करना
- (iv) बैंक को, सरकार के वित्त मंत्रालय के ऐसे काम (business) सौंपना जो कि कठिनाई अथवा गड़बड़ी उत्पन्न न करें, और
- (v) विदेशी विलों की कटौती (discounting) करना।

बैंक ऑफ जापान की स्थापना करने के उद्देश्य ऊपर बतलाए गये हैं किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अपरिवर्तनशील-मूल्य मुद्रा (जो उस समय चलन में थी) को वापिस लेना, देश में बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना और ऐसी साख प्रणाली (credit system) की स्थापना करना जो देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सके, आदि, इस बैंक की स्थापना के अन्य प्रमुख उद्देश्य थे।

बैंक ऑफ जापान कानून (The Bank of Japan Law) 1942 के प्रथम अध्याय के आरम्भ में ही प्रथम धारा (Article) में इस बैंक के उद्देश्य बतलाए गये हैं जो निम्नलिखित हैं—

- (1) मुद्रा की व्यवस्था (regulation of the currency),
- (2) साख एवं वित्त का नियंत्रण एवं उस सुविधाजनक बनाना
- (3) राष्ट्रीय नीति के अनुसार, साख पद्धति (credit system) को बनाये रखना तथा वापस करना ताकि राष्ट्र की सामान्य आर्थिक क्रियाएँ प्रोत्साहित हों।

घारा (Article) 2 में स्पष्ट कर दिया गया है कि बक का प्रबंध केवल राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूर्ति के लिए ही किया जावेगा।

अन्य देशों के केंद्रीय बक अधिनियमों में राष्ट्रीय हित को इस प्रकार स्पष्ट-रूप से उल्लिखित नहीं किया गया है। भारत के रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट, 1934 के धारम्भ में इस प्रकार लिखा गया है "बैंक नोटा की व्यवस्था करने (to regulate) और मौद्रिक-स्थायित्व की प्राप्ति करने की दृष्टि में रिजर्व बैंक के लिए और साधारणतः देश के हित में (to its advantage) मौद्रिक वसाध पद्धति का प्रबंध करने के हेतु भारत के लिए (for India) रिजर्व बैंक को स्थापित करना उचित है।"

प्रधान कार्यालय—बैंक ऑफ जापान का तहत की घारा 4 के अनुसार 'बक ऑफ जापान' का प्रधान कार्यालय (Head Office) टोकियो (Tokyo) में होगा। उप-कानून (By Laws) की घारा 5 के अनुसार इस बक का यह कार्यालय श्याक्यू (Chuo-ku) टोकियो में होगा। टोकियो जापान की राजधानी है, और श्याक्यू उनका एक क्षेत्र है। इसी घारा 5 के नीचे 31 नगरों के नाम दिये हुए हैं, जहाँ पर बैंक ऑफ जापान अपनी शाखाएँ स्थापित करेगा। इन नगरों में इस बक ने अपनी शाखाएँ स्थापित कर दी हैं। इन नगरों में से कुछ के नाम ये हैं—नागोया, क्याटो, ओसाका, कोबे, ओकियामा, हिरोशिमा नागासाकी आदि।

इस समय बक ऑफ जापान की 31 शाखाएँ और 13 स्थानीय कार्यालय (local offices) हैं। इनके अनिश्चित इस बक के प्रतिनिधि (representatives) यूपाक तथा लदन में हैं जिनका प्रमुख कार्य उन देशों के केंद्रीय बकों के साथ बैंक ऑफ जापान का सम्बन्ध बनाए रखना है। इन बैंकों के स्थानीय प्रतिनिधि (resident representatives) पैरिस (फ्रांस), फ्रैंकफर्ट (पश्चिमी जर्मनी) और हाँगकाँग में हैं।

राज्य के उपयुक्त शहरी अनुमति में बक ऑफ जापान, जिन स्थानों पर यह आवश्यक समझे अपनी शाखाएँ व उप-शाखाएँ स्थापित कर सकता है। भारत में रिजर्व बैंक के चार कार्यालय हैं—बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास (R. B. I. Act, Section 8)

पूँजी व अभिदान-पत्र—बैंक ऑफ जापान की पूँजी 10 करोड़ येन (Yen) है। यह पूँजी 100-100 येन की 10 लाख इकाइयों में विभक्त है। इसमें से 45 करोड़ येन की पूँजी अभिदान-प्रमाणपत्र (subscribed certificates) के रूप में है और शेष 55 करोड़ येन पूँजी जापान सरकार द्वारा इम्पीरियल ग्रांटेन्स के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई है। भारत के रिजर्व बैंक की पूँजी 5 करोड़ रुपय है (R. B. I. Act, Sec 4)

1 Art 5 This bank shall maintain branches in the following cities
Kushiro Sapporo Otaru Hakodate Aomori Akita Sendai Fukushima
Maebashi Niigata Kanazawa Kofu Matsumoto Shizuoka, Nagoya Kyoto
Osaka Kobe Okayama Hiroshima Matsue Shimonoseki Takamatsu
Matsuyama Kochi Kitakyushu Fukuoka Oita Nagasaki
and

यह ध्यान रहे कि जब बैंक ऑफ जापान का चार्टर सन् 1942 में समाप्त हो गया था और बैंक ऑफ जापान कानून 1942 में अन्ततः इका पुनस्र्गठन किया गया और अब भी यह इसी कानून द्वारा शासित होता है। 45 करोड़ यन के अर्धदान प्रमाण पत्र सन् 1942 में बैंक के स्टॉक (अर्थात् पूण-दत्त अंश) के बन्ने में उन मूल अंशधारियों को निगमित कर लिए गए जिनके नाम पहले से ही थे (स्टॉक) थे।

सरकार ने सन् 1948 में अपने भाग की 55 करोड़ यन का पूजा प्रदान कर दी है। उप-कानून (का धारा 10) के अनुसार सरकार सरकारी बॉन्ड का रूप में ही पूजा का अंशदान कर सकती है।

यह बैंक 5 विभिन्न इकाइयों के अभिदान प्रमाण-पत्र निगमित कर सकता है— 1 इकाई (अर्थात् 100 यन) का, दस इकाइयों का एक सौ इकाइयों का एक हजार इकाइयों का दस हजार इकाइयों का अभिदान-प्रमाणपत्र।

अभिदान प्रमाण पत्रों के हस्तांतरण करने के लिए इस बैंक की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में यह एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि अभिदान प्रमाण पत्रों के धारकों को इस बैंक का लाभ में भाग लेने का कोई अधिकार है किन्तु बैंक के प्रबन्धों में भाग लेने का अधिकार नहीं है। अतः अभिदानकर्ताओं की कोई साधारण सभा नहीं की जाती है। इन अभिदानकर्ताओं को अधिकतम साधारण 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से दिया जा सकता है। लाभ की राशि में से अभिदानकर्ताओं (Subscribers) को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राशि हस्तांतरित करने के पश्चात् जो शेष रहता है, उसे ट्रेजरी में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

बैंक ऑफ जापान का संगठन (Organisation of the Bank of Japan)

बैंक ऑफ जापान के संगठन को अध्यक्षता से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं— (A) नीति मंडल (Policy Board), और, (B) कार्यकारी समिति (Executive Organ)।

(A) नीति मंडल (Policy Board)

बैंक ऑफ जापान का सबसे महत्वपूर्ण अंग (organ) नीति बोर्ड है। यही बोर्ड मौद्रिक नीति के समस्त साधनों को नियंत्रित करता है।

1 पालिसी बोर्ड की स्थापना— बैंक ऑफ जापान कानून 1942 के अन्ततः बैंक ऑफ जापान का वर्तमान रूप में संगठन (सन् 1942 में) हो चुका था। इस कानून में बाद में संशोधन हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन सन् 1949 में किया गया जिसमें अनुसार बैंक ऑफ जापान का अन्ततः ही एक नीति मंडल (Policy Board) की स्थापना की गई।

2 पार्लिसी बोर्ड का गठन—पार्लिसी-बोर्ड में सात सदस्य होते हैं, जिनमें से तीन सदस्य पदेन (ex-officio) होते हैं, और चार सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिनका विवरण इस प्रकार है—

(a) पदेन सदस्य—

- (i) बक ऑफ जापान का गवर्नर
- (ii) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि,
- (iii) आर्थिक-आयोजन-एजेंसी का एक प्रतिनिधि।

(b) नियुक्त किए जाने वाले सदस्य—

- (iv) वित्तीय व्यवसाय में बहुत अनुभवी व योग्य दो व्यक्ति, जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका अनुभव एब जान किसी स्थानीय बक (local bank) का हो, और दूसरे व्यक्ति का अनुभव एब जान किसी बड़े सिटी बक का हो,
- (v) उद्योग व व्यवसाय में बहुत अनुभवी व योग्य एक व्यक्ति,
- (vi) कृषि में बहुत अनुभवी एब योग्य एक व्यक्ति।

नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों से सम्बंधित प्रमुख बातें—

(1) नियुक्त किए जाने वाले उपरोक्त चार सदस्यों की नियुक्ति, दोनों 'हाउसेज ऑफ डाइट' (Houses of Diet) की सहमति से मन्त्रिमंडल (Cabinet) करता है।

(2) इन सदस्यों की नियुक्ति चार वर्ष की अवधि के लिए होती है।

(3) य सदस्य पुनर्नियुक्ति (reappointment) के योग्य हैं।

(4) ये सदस्य जन-सेवा (public service) में माने जाते हैं।

(5) जबकि 'डाइट' (Diet) का अधिवेशन नहीं हो रहा हो अथवा 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव' भंग हो गया हो, यदि उस समय किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया हो तो वह सदस्य उस समय तक कार्य करता रहेगा जबतक कि उसका स्थान पर नया सदस्य की नियुक्ति 'डाइट' के प्रथम अधिवेशन में दोनों सदन (Houses) की सहमति से मन्त्रिमंडल नहीं कर देता।

(6) यदि इन सदस्यों में से कोई सदस्य अपनी चार वर्ष की कार्य अवधि से पूर्व कार्य मुक्त हो जाता है तो वह सदस्य कार्य मुक्ति की तिथि से दो वर्ष तक, पार्लिसी बोर्ड से सम्बंधित एवं नियंत्रित किसी भी आर्थिक समस्या में किसी भी पद पर नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता।

(7) यदि कोई सदस्य—(i) अस्पताल द्वारा दिवालिया अथवा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, (ii) कारावास के दंड से दंडित किया जाता है, (iii) शारीरिक अथवा मानसिक अयोग्यताओं के कारण मन्त्रिमंडल उसे कार्य करने के

यह ध्यान रहे कि बैंक ऑफ जापान का चाटर सन् 1942 में समाप्त हो गया था और बैंक ऑफ जापान कानून 1942 के अन्तर्गत इसका पुनर्गठन किया गया और अब भी यह इसी कानून द्वारा शासित होता है। 45 करोड़ यें के अभिदान प्रमाण पत्र सन् 1942 में बैंक के स्टॉक (अर्थात् पूरा-दत्त भण्ड) के बन्धन में उन मूल अशधारियों को निगमित कर दिए गए जिनके पास पहले से ही ये (स्टॉक) थे।

सरकार ने सन् 1948 में अपने भाग की 55 करोड़ यें की पूंजी, प्रदान कर दी है। उप-कानून (की धारा 10) के अनुसार मन्वार, सरकारी बौंडा व स्प, म ही पूंजी का अशदान कर सकती है।

यह बैंक 5 विभिन्न इकाइयों के अभिदान प्रमाण-पत्र निगमित कर सकता है— 1 इकाई (अर्थात् 100 यें) का, दस इकाइयों का एक सौ इकाइयों का, एक हजार इकाइयों का, दस हजार इकाइयों का अभिदान-प्रमाणपत्र।

अभिदान प्रमाण पत्र को हस्तांतरण करने के लिए इस बैंक की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में यह एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि अभिदान प्रमाण पत्र के धारक को इस बैंक का लाभ में भाग लेने का अधिकार है किन्तु बैंक के प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं है। अन्त अभिदानदाताओं की कोई साधारण सभा नहीं की जाती है। इन अभिदानदाताओं को अधिकतम साधारण 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से दिया जा सकता है। लाभ की राशि में से अभिदानदाताओं (Subscribers) को लाभान्वित करने के लिए हस्तांतरित करने के पश्चात् जो शेष रहता है, उस ट्रेजरी में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

बैंक ऑफ जापान का संगठन।

(Organisation of the Bank of Japan)

बैंक ऑफ जापान के संगठन की अध्ययन की सुविधा से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं— (A) नीति मंडल (Policy Board) और (B) कार्यकारी अंग (Executive Organ)।

(A) नीति मंडल

(Policy Board)

बैंक ऑफ जापान का सबसे महत्वपूर्ण अंग (organ) नीति बोर्ड है। यही बोर्ड मौद्रिक नीति व समस्त साधना को नियंत्रित करता है।

1. नीति बोर्ड की स्थापना— बैंक ऑफ जापान कानून 1942 के अन्तर्गत बैंक ऑफ जापान का वर्तमान रूप में संगठन (सन् 1942 में) हो चुका था। इस कानून में बैंक में अशासन हानि रह गई। सबसे महत्वपूर्ण अंग सन् 1949 में किया गया जिसके अनुसार बैंक ऑफ जापान के अन्तर्गत ही एक नीति मंडल (Policy Board) की स्थापना की गई।

2 पॉलिसी बोर्ड का गठन—पॉलिसी-बोर्ड में सात सदस्य होते हैं, जिनमें से तीन सदस्य पदेन (ex-officio) होते हैं, और चार सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिनका विवरण इस प्रकार है—

(a) पदेन सदस्य—

- (i) बक ऑफ जापान का गवर्नर,
- (ii) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि,
- (iii) आर्थिक-आयोजन-गर्जेंसी का एक प्रतिनिधि ।

(b) नियुक्त किए जाने वाले सदस्य—

- (iv) वित्तीय व्यवसाय में बहुत अनुभवी व योग्य दो व्यक्ति, जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका अनुभव एक पान किसी स्थानीय बैंक (local bank) का हो, और दूसरा व्यक्ति का अनुभव एक पान किसी बड़े सिटी बँक का हो,
- (v) उद्योग व व्यवसाय में बहुत अनुभवी व योग्य एक व्यक्ति,
- (vi) कृषि में बहुत अनुभवी एक योग्य एक व्यक्ति ।

- नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों से सम्बंधित प्रमुख बातें—

(1) नियुक्त किए जाने वाले उपरोक्त चार सदस्यों की नियुक्ति, दोनों 'हाउसेज ऑफ डाइट' (Houses of Diet) की सहमति से मंत्रिमंडल (Cabinet) करता है ।

(2) इन सदस्यों की नियुक्ति चार वर्ष की अवधि के लिए होती है ।

(3) ये सदस्य पुनर्नियुक्ति (reappointment) के योग्य हैं ।

(4) ये सदस्य जन-सेवा (public service) में मान जाते हैं ।

(5) जबकि 'डाइट (Diet) का अधिवेशन नहीं हो रहा हो अथवा 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव' भंग हो गया हो, यदि उस समय किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया हो तो वह सदस्य उस समय तक कार्य करता रहेगा जबतक कि उसके स्थान पर नये सदस्य की नियुक्ति 'डाइट' के प्रथम अधिवेशन में दोनों सदन (Houses) की सहमति से मंत्रिमंडल नहीं कर देता ।

(6) यदि इन सदस्यों में से कोई सदस्य अपनी चार वर्ष की कार्य अवधि से पूर्व कार्य मुक्त हो जाता है तो वह सदस्य कार्य मुक्ति की तिथि से दो वर्ष तक, पॉलिसी बोर्ड से सम्बंधित एक नियंत्रित किसी भी आर्थिक सभ्यता में किसी भी पद पर नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता ।

(7) यदि कोई सदस्य—(i) न्यायालय द्वारा दिवालिया अथवा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, (ii) कारावास के दंड से दंडित किया जाता है, (iii) शारीरिक अथवा मानसिक अयोग्यताओं के कारण मंत्रिमंडल उसे कार्य करने के

अयोग्य समभता है, अथवा, (iv) अपने कर्तव्य (duties) न करने के कारण, मन्त्रिमण्डल उसे सदस्यता के अयोग्य समभता है तो इन दिशाओं में एस सभ्य को मन्त्रिमण्डल पदच्युत (dismiss) कर दगा ।

(8) ऐस सदस्य अपनी कार्याविधि में नशनल डाइट' अथवा किसी स्थानीय सावजनिक सस्था का सदस्य नहीं ह। सकता अथवा किसी राजनीतिक त्रिया व त्रियाओं में भाग नहीं ल सकता है । मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति के बिना वह किसी कर्तविक काय को नहीं कर सकता है । इसके अतिरिक्त आधिक साभ की दृष्टि से वह किसी व्यापार या व्यवसाय को नहीं कर सकता है ।

3 वोट देने का अधिकार—पालिसी-बोर्ड में सरकार द्वारा, मनोनीत दो सदस्य (द्वि मंत्रालय तथा आधिक आयाजन एजेंसी प्रत्येक का एक एक प्रतिनिधि) को वोट देने का अधिकार नहीं ह । इस प्रकार पालिसी बोर्ड के केवल पाच सदस्य का ही वोट देने का अधिकार होता है ।

पालिसी बोर्ड समस्त मामलो (all matters) पर साधारण बहुमत से नियय लेता है ।

4 चेयरमैन की नियुक्ति—पालिसी-बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव इसके सदस्यो द्वारा मतदान से होता है । सरकार द्वारा मनोनीत दो सदस्यो को, चेयरमैन के मतदान में भी भाग लेन का अधिकार नहीं होता है । किन्तु व्यवहार में, बैंक आफ जापान के गवर्नर को ही पालिसी बोर्ड का चेयरमैन चुनन की परिपाटी चली आ रही है ।

5, पालिसी बोर्ड के व्यय—पालिसी बोर्ड में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यो (जिनकी सख्या चार है) के भत्ते अथ सदस्यो के भत्ते एव इस बोर्ड के अन्य व्ययो को बैंक ऑफ जापान वहन करता है ।

6 पालिसी बोर्ड के काय—पालिसी-बोर्ड के प्रमुख काय ये है—“राष्ट्रीय हित में, बैंक आफ जापान के साधारण कायों बैंक ऑफ जापान के केन्द्रीय बैंक के रूप में कायों और देश की अन्य वित्तीय-सस्थाओं के साथ बैंक आफ जापान के सबधों को ध्यान में रखत हुए मौद्रिक नियमन (currency regulation) साव-नियन्त्रण एव अन्य आधारभूत मौद्रिक नीतियो का निर्माण निर्देशन एव प्यवक्षण (supervise) करना ।

अत पालिसी बोर्ड को निम्नलिखित विषयो में अधिकार प्रदान किये गये हैं—

- (i) बैंक आफ जापान के व्यवसाय के लिए आधारभूत नीति का निर्धारण करना,
- (ii) बैंक दर को निश्चित करना एव परिवर्तित करना,
- (iii) कटौती किये जाने वाले बिला के सम्बन्ध में नियम बनाना,
- (iv) रिजर्व दरा का निश्चित करना एव परिवर्तन करना,
- (v) मौद्रिक नियमन व साव नियन्त्रण के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक काय करना ।

B कार्यकारी अंग

(Executive Organ)

बैंक ऑफ जापान के कार्यकारी अंग में ये अधिकारी (officers) हैं—

(i) गवर्नर, (Governor) (ii) उप गवर्नर (Vice-Governor), (iii) तीन या अधिक संचालक (Directors), (iv) दो या अधिक अक्षरक्षक (Auditor), (v) अनेक परामशदाता (Advisers)।

(i) गवर्नर—बैंक ऑफ जापान का एक गवर्नर (Governor) है। यह बैंक ऑफ जापान का प्रतिनिधित्व (represents) करता है। यह पार्लिमी बॉर्ड द्वारा निर्वाचित नातियों के अनुसार कार्य करता है। गवर्नर की नियुक्ति मन्त्रि मंडल (Cabinet) करता है गवर्नर का कार्य काल पांच वर्ष होता है। बैंक ऑफ जापान के कार्यों के संबंध में यह परामशदाताओं से राय लेता है।

(ii) उप-गवर्नर—उप-गवर्नर (Vice-Governor) की नियुक्ति भी मन्त्रि मंडल करता है। इसका कार्य-काल भी पांच वर्षों का होता है। गवर्नर की अनुपस्थिति में उप गवर्नर उसके समस्त कार्य करता है। यदि गवर्नर का स्थान रिक्त (vacant) हो जाता है तो उसके स्थान पर, जब तक कि वह स्थान रिक्त हो, उप-गवर्नर ही कार्य करता है। वह गवर्नर को कार्यों में सहायता करता है।

(iii) संचालक—संचालकों की न्यूनतम संख्या तीन है। इससे अधिक संख्या में भी संचालक नियुक्त किए जा सकते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है। संचालक पद के लिए, बैंक का गवर्नर, संचालकों की नियुक्ति के लिए कानूनों की सिफारिश संबंधित मंत्री को करता है उसमें से, वह मंत्री संचालकों की नियुक्ति करता है। संचालकों का कार्य काल चार वर्ष होता है। संचालकों का मुख्य कार्य गवर्नर की सहायता करना एवं बैंक ऑफ जापान के कार्यों का संचालन करना होता है।

(iv) अक्षरक्षक—इनकी न्यूनतम संख्या दो होती है अधिकतम संख्या के संबंध में प्रतिबंध नहीं है। अक्षरक्षकों की नियुक्ति भी संबंधित मंत्री ही करता है। इनका कार्यकाल तीन वर्ष होता है इनका कार्य बैंक ऑफ जापान के कार्यों का निरीक्षण (to inspect) एवं जांच करना है।

(v) परामशदाता (Advisers)—इनकी संख्या की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इनकी नियुक्ति भी संबंधित मंत्री करता है। परामशदाता ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति किया जाता है जो कि विद्वान या उद्योग में सलग्न हो, या विद्वान हों (जैसे प्रोफेसर, अर्थशास्त्री आदि), अथवा जो बहुत अनुभवी हों। इस प्रकार, बहुत ही योग्य एवं सक्षम (competent) व्यक्तियों की नियुक्ति परामशदाता के रूप में की जा सकती है। परामशदाता का कार्य-काल दो वर्ष होता है। गवर्नर जिस विषय में इनका परामश मांगे उस विषय पर वे उसे परामश देते हैं। इसके प्रतिरिक्त बैंक ऑफ जापान के किसी भी महत्वशील मामले या मामलों पर वे गवर्नर को अपने आप अपना दृष्टिकोण प्रकट कर सकते हैं।

अन्य प्रमुख बातें—बैंक घोंग जापान के कार्यकारी षण के अधिकाधिक के समय में अन्य प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—

(क) गवर्नर, उप-गवर्नर, संपादन एवं प्रशासनिक विभागी भी अन्य व्यक्तियों या व्यवसाय को नहीं कर सकते हैं। किंतु यदि संबंधित मंत्रों की पूर्ण प्राप्ति प्राप्त कर ली गई हो तो इनमें छूट भी जा सकती है।

(ख) बैंक घोंग जापान के समस्त अधिकाधिक को जन सेवा (public service) में सेवा हुआ माना जाता है।

(ग) उपरोक्त सभी अधिकाधिक की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है।

सरकार के साथ संबंध—बैंक घोंग जापान कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि जापान सरकार को बैंक घोंग जापान के अधिकाधिक की नियुक्ति के सम्बन्धों का पूर्ण अधिकार है। इससे अनिश्चित सरकार, बैंक के पर्यवेक्षण अधिकारी (supervisory authority) भी है। संबंधित-मंत्री बैंक घोंग जापान का कम्प्ट्रोलर (The Comptroller of the Bank of Japan), इस बैंक के कार्य को सतत रूप से करने के लिए नियुक्त करता है। यह सरकारी अधिकारी होता है। वह किसी भी समय बैंक के कार्यों का पर्यवेक्षण कर सकता है, रिपोर्ट में माग सकता है बैंक की सभाओं में उपस्थित रह सकता है और अपने विचार व्यक्त कर सकता है, किंतु वोट नहीं दे सकता है।

किंतु व्यवहार में, सरकार ने बैंक के पर्यवेक्षण से संबंधित अधिकार को अभी तक प्रयोग में नहीं लिया है। मौद्रिक-नीति को कारगर बनाने का कार्य, जहाँ तक सम्भव है, पालिसी-बोर्ड के ऊपर ही छोड़ दिया है।

बैंक ऑफ जापान के कार्य (Functions)

प्रमुख कार्य

बैंक ऑफ जापान के कार्य (functions) भी विश्व के अन्य केन्द्रीय बैंकों के कार्यों के समान हैं। प्रमुख कार्य ये हैं—(i) पत्र मुद्रा निगमन करना, (ii) बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, (iii) सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, और (iv) उपरोक्त तीनों कार्यों के द्वारा मौद्रिक-नीति को कार्यान्वित करना।

बैंक ऑफ जापान जिन कार्यों (business) को कर सकता है, उनका उल्लेख 'बैंक ऑफ जापान' बिलानून की धारा (Article) 20 से 36 में उल्लेख किया गया है। 29-36 तक धाराएँ इस बैंक द्वारा नोट निगमन से सम्बन्धित हैं। बैंक ऑफ जापान निम्नलिखित कार्य (business) कर सकता है—

- 1 नोट निगमन करना,
- 2 व्यापारिक प्रपत्रों, बैंकों की स्वीकृतियों और अन्य विला व नोट्स (जैसे प्रॉमिजरी नोट्स आदि) की कटौती (discounting) करना,
- 3 ऋण देना—विला नोट्स सरकारी बॉण्ड, अन्य विनिमय साध्य प्रतिभूतियों सोना व चादी आदि की प्रतिभूति पर,
- 4 निक्षेप (deposits) के लिए धन प्राप्त करना,
- 5 देशी विनिमय में व्यवहार (deal) करना,
- 6 व्यापारिक-पत्रों, बैंकों की स्वीकृतियाँ, अन्य विलो व नोट्स, सरकारी बॉण्ड, अन्य प्रकार के बॉण्ड व ऋण पत्रा (debentures) का क्रय विक्रय करना,
- 7 सोने व चादी का क्रय विक्रय,
- 8 बिल्ल या नोट्स को एकत्रित (collection) करना, मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित रखना और उपरोक्त व्यवहारा से सम्बन्धित अन्य कार्य करना,
- 9 कटौती की दर (rate of discount) व अन्य ऋणों की ब्याज दरें निर्धारित करना,
- 10 आवश्यकता के समय बिना प्रतिभूति के सरकार को ऋण देना,
- 11 आवश्यकतानुसार विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करना,

- 12 उपयुक्त मंत्री की अनुमति से निजी विन्-गे-मन्था घबवा मन्थाघों की पूजी म अशानन नेना घबवा च्छग देना,
- (13 यह बक, उपयुक्त मंत्री की अनुमति से होगा बार्ड कार्य कर सकता है जो कि साल पद्धति (credit system) को बनाये रखने और पोषण करने के लिए आवश्यक हो
- 14 कानूना व अध्यापना के प्रावधानों व अनुसार राजाने (treasury) व कोषा (funds) का प्रबंध करना ।

उपरोक्त कार्यों के प्रतिरक्त बन प्राप्त जावान सामान्य अथ बोर्ड कार्य करेगा, किन्तु यदि आवश्यक हो तो बक व उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त-मंत्री अनुमति प्राप्त करके यह कार्य भी कर सकता है ।

बक प्राप्त जावान व प्रमुख कार्यों का विवरण आगे की पंक्तियों में किया रहा है ।

1. बक नोट निगमन (Bank Note Issue)

बैंक आफ जापान देश में नोट निगमन करने का एक मात्र (sole) अधिकारी । जापान में इन बक के प्रतिरक्त और बोर्ड बक नोटों का निगमन नहीं करता । लंडन में भी नोटों का निगमन का एकाधिकार वहाँ के केंद्रीय बैंक बक आफ लंडन को है । भारत में एक रुपये के नोट सरकार का वित्त मंत्रालय निजालता है । दो रुपये व अधिक मूल्य के नोट भारत का केंद्रीय बक, रिजर्व बैंक आफ इंडिया निगमित करता है ।

बक आफ जापान द्वारा पत्र मुद्रा निगमन के संबंध में प्रमुख बातें निम्न लिखित हैं—

- (1) जापान में नोट निगमन का एकाधिकार बक आफ जापान के पास है ।
- (2) यह नोट सावजनिक व निजी ममस्त व्यवहारा के भुगतान के लिए असीमित विधि प्राप्त (Unlimited legal tender) है अर्थात् किसी भी राशि (चाहे जितनी बड़ी अथवा छोटी राशि) का भुगतान इन नोटों के द्वारा किया जा सकता है ।
- (3) जापान में इन नोटों का ही चलन currency में अधिकार भाग होता है । सन् 1970 के अन्त में जापान में कुल चलन में लगभग 94 प्रतिशत भाग बक आफ जापान द्वारा निगमित नोटों का था और शेष 6 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा निगमित सहायक सिक्कों (subsidiary coins) का था ।
- (4) जापान में नोट निगमन की अधिकतम निगमन प्रणाली (Maximum Issue System) है । यह प्रणाली सन् 1942 से जबकि बक आफ जापान कानून बना था, प्रचलित है । वर्तमान में भी यही प्रणाली है । इंग्लैंड में विश्वा

साधित-पत्र मुद्रा निगमन प्रणाली (Fiduciary Note Issue System) के आधार पर नोट निगमन किा जात हैं। सन् 1967 के अन्त मे इगलड मे 3 अरब पौड (3 000 मिलियन पौड) विश्वासाधित निगमन की अधिकतम सीमा थी। भारत मे सन् 1956 से यूनतम निधि प्रणाली (Minimum Reserve System) के आधार पर रिजर्व बैंक नाट निगमन करता है यह यूनतम निधि 200 करोड रुपये की है।

(5) बैंक आफ-जापान कानून, 1942 की धारा 29 म लिखा है 'बैंक आफ जापान को बैंक नोट निगमन का अधिकार है। (Art 29 The Bank of Japan is authorized to issue bank notes) इस कानून म नोटो की परिवर्तनशीलता (conversion) के सबध मे कोई प्रावधान नहीं है और न ही बैंक नोटों के निगमन के पीछे स्वयं अथवा विदेशी विनिमय व काय रखना अनिवाय है।

(6) कानून (Art 30) क अनुसार जापान म नोट निगमन की अधिकतम सीमा मन्त्रिमंडल के अनुमोदन पर वित्त मंत्री निर्धारित करता है। जापान मे नाट निगमन की अधिकतम सीमाए विभिन्न समयो पर इस प्रकार निर्धारित की गई— 1

लागू होने का समय	सीमा (बिलियन येन मे)
जुलाई 1962	1,250
जुलाई 1963	1 600
जुलाई 1964	1 850
जुलाई 1965	2 150
अगस्त 1966	2 450
अगस्त 1967	2,900
अगस्त 1968	3,400
अक्टूबर 1969	4,100
नोट 1 बिलियन = 10 अरब	

(7) यदि बैंक आफ जापान, नोट निगमन की अधिकतम निर्धारित सीमा से अधिक नोट निगमन (excess issue) करना आवश्यक समझता है तो वह ऐसा कर सकता है। यदि ऐसा अधिक निगमन 15 दिन या कम अवधि के लिए है तो बैंक आफ जापान को वित्त मंत्री आदि की अनुमति लेनी आवश्यक नहीं है।

यदि ऐसा अधिक निगमन लगातार 15 दिवस से अधिक समय के लिए हो तो बैंक को देश के वित्त मंत्री से अनुमति प्राप्त करनी होती है। इसके अतिरिक्त सोलहवें दिन म अधिक निगमन की राशि पर प्रति दिन बैंक द्वारा अधिक निगमन-कर (Excess Issue Tax) देना पडता है जिसकी दर वित्त मंत्री निश्चित करता है। सन् 1962 से अब तक (1970 तक) कर की दर 3% वार्षिक है।

(viii) नोट निगमन के लिए बक भ्रॉफ जापान का एक रिजर्व रचना पढता है। इस रिजर्व का सबध म 'बैंक भ्रॉफ जापान कानून 1942' की धारा 32 म आवश्यक प्रावधान दिए गये हैं। बक भ्रॉफ जापान को निगमन किए जाने कान नाग के मूल्य के बराबर रिजर्व रचना पढना है दूसरे धारा म शत प्रतिशत रिजर्व रचना पढता है। इस रिजर्व म निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है—

- (a) व्यापारिक बिल, बकरा की स्वीकृतियाँ, भ्रय बिल व नोटस,
- (b) सरकारी बॉन्ड की प्रतिभूति पर लिए गये ऋणा स सबधित प्रपत्र,
- (c) सरकारी बॉन्ड
- (d) प्रथम श्रेणी क भ्रय बॉन्ड, व डिबेंचर भ्रान्ति,
- (e) विदेशी विनिमय,
- (f) सोना व चादी, जिसम सोन व चादी के सिक्के भी सम्मिलित हैं।

उपरोक्त रिजर्व के सम्बध म य बातें उल्लेखनीय हैं—प्रथम, व्यापारिक बिल बकरो की स्वीकृतिया भ्रय बिल व नोट्स तीन माह भ्रयवा कम भ्रयधिम परिपक्व (mature) हो जाने चाहिए। किन्तु यदि उपयुक्त मंत्री की अनुमति प्राप्त कर ली गई हा तो 'समय का प्रतिबध लागू नहीं होगा। द्वितीय, स्वण, घापी और विदेशी विनिमय के अनिश्चित प्रत्येक मद के रिजर्व की राशि का निर्धारण, जापान का वित्त मंत्री करता है जिनकी राशिया प्रकाशित नहीं की जाती। तृतीय नोट निगमन की निर्धारित अधिकतम राशि तक सोना, चादी व इनके सिक्के रिजर्व म रख जा सकते हैं।

जापान की वर्तमान मौद्रिक स्थिति—जापान की वर्तमान मौद्रिक स्थिति के सम्बध म उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं—

1 जापान म सभी पत्र मुद्रा बक भ्रान्ति जापान, जो देश का केन्द्रीय बक है, के द्वारा निर्गमित की जाती है।

2 यह पत्र मुद्रा अपरिवर्तनशील (inconvertible) है।

3 पत्र मुद्रा व पीछे शत प्रतिशत रिजर्व है।

4 पत्र मुद्रा की अधिकतम मात्रा, सरकार के मन्त्रिमण्डल के अनुमोदन पर, वित्त मंत्री निर्धारित करता है।

5 इस समय बक भ्रान्ति जापान 9 विभिन्न अंकित मूल्यों के नोट निकालता है जिनके अंकित मूल्य ये हैं—10 000 येन, 5 000 येन, 500 येन, 100 येन, 50 येन 10 येन 5 येन और 1 येन। भारत मे रिजर्व बैंक का इडिया एक्ट की धारा 24 के अनुसार रिजर्व बैंक को इन अंकित मूल्यों के नोट निगमन का अधिकार है—दो रुपये पाच रुपये दस रुपये पचास रुपये सौ रुपये, पाच सौ रुपये, एक हजार रुपये पाच हजार रुपये और दस हजार रुपये। किन्तु व्यवहार म दो रुपये पाच रुपये दस रुपये, सौ रुपये व एक हजार रुपये के नोट ही रिजर्व बक भ्रान्ति निगमन कर रहा है।

6 जापान म सहायक सिक्का (subsidiary coins) का टबन (mintage) जापान-सरकार ही करती है, जिन्हें सरकार जनता को बैंक ऑफ जापान के द्वारा निगमित करती है। इस समय जापान सरकार 100 यन, 50 यन, 10 येन, 5 यन और 1 यन के सिक्के बनाती है। जापान की कुल मुद्रा मात्रा का लगभग 6 प्रतिशत भाग इन सिक्कों का है और शेष 94 प्रतिशत भाग बैंक ऑफ जापान द्वारा निगमित किये जाते हैं।

2 बैंकों का बक

अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों की भांति, बैंक ऑफ जापान भी देश के बका व वित्तीय समस्याओं के बैंकर के रूप में कार्य करता है। इस रूप में यह बैंक निक्षेप (deposits) स्वीकार करने और प्रदान करने, बिला व प्रतिना-पत्रों की कटौती करने एवं प्रतिभूतिग के अर्थ विक्रय आदि के कार्य करता है।

1 निक्षेप स्वीकार करना—बैंक ऑफ जापान अपनी सम्पूर्ण वित्तीय समस्याओं से निक्षेप स्वीकार करता है। यह बैंक दो प्रकार के खातों में निक्षेप स्वीकार करता है—चालू खाता और देशी विनिमय निपटारे खात।

चालू खाता का प्रयोग समाशासन शेषों (Clearing balances) के निपटारे, धन के स्थानान्तरण, मांग पर देय और-कोषों एवं इसी प्रकार के व्यवहारों के लिए किया जाता है। इन खातों में जमा राशि पर बैंक ब्याज नहीं देता है। बैंक का अपने निक्षेपों का एक निश्चित अनुपात भी कांती तौर पर बैंक ऑफ जापान के पास रखना पड़ता है जिसे चालू-खाते में ही रखना पड़ता है। बैंकों के अका व बिलों के समाशासन के फनस्वरूप उत्पन्न शेषों का भी समायाजन करता है।

यह बैंक अपनी सदस्य वित्तीय समस्याओं के कार्यालयों व मध्य धन के हस्तांतरण का कार्य करता है। यह सेवा नि शुल्क प्रदान की जाती है।

2 और प्रदान करना—यह बैंक सदस्य व्यापारिक बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को और भी प्रदान करता है। औरों के दो रूप हो सकते हैं—बिलों आदि की कटौती (discounting) करके और प्रत्यक्ष और देकर। आजकल यह बैंक मुख्यतः व्यापारिक बिलों और निर्यात-व्यापार बिलों की कटौती करता है। इनकी कटौती निर्धारित-दरों से की जाती है।

केवल ऐसे विपत्रों की बैंक ऑफ जापान पुनकटौती करता है जो विपत्र (Bills) पुनकटौती की तिथि से तीन महीने के भीतर परिपक्व (mature) हो जायें, और जिस पर और लेने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्था के अतिरिक्त कम से कम एक या दो ऐसे व्यक्तियों द्वारा पृष्ठांकन (endorsement) किया हुआ होना चाहिए जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो।

व्यापारिक बिलों की तुलना में निर्यात बिलों के लिए कटौती दरें नीची हैं। निर्यात बिलों के दो प्रकार के हो सकते हैं—प्रथम, निर्यात अग्रिम बिल (export advance bill) जो कि निर्यात किए जाने वाले माल के खरीदने, निर्माण करने, एकत्रित करने आदि के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए लिये जाते हैं। बिलों के लिए इर्रोकेबिल सटर ऑफ क्रेडिट प्राप्त हो जाते हैं केवल

कटौती की जाती है। द्वितीय, सावधि (usance) निर्यात बिल जो जापान के निर्यातकर्ताओं के द्वारा (येन में लिखे गये हैं) निर्यात किए गये माल के मूल्य को एकत्रित करने के लिए लिखे गये हैं।

इनके प्रतिरिक्त यह बक अपनी सभ्य सस्थाओं को ऋण प्रदान भी करता है। ये ऋण सरकारी बौंडा सरकार द्वारा गारंटी किये गये बौंडो, स्थानीय सरकारों की प्रतिभूतियाँ औद्योगिक बौंडा बकों के ऋण पत्र एवं बिलों व प्रतिज्ञा पत्रों की जमानत पर दिए जाते हैं। यद्यपि कानून के द्वारा बक ऑफ जापान अपने सदस्यों को अधिविक्रय (over draft) की सुविधाय प्रदान कर सकता है किंतु भाजकल इस बक न यह सुविधा बढ़ कर रखी है।

3 प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय—यह बक बौंडो व प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी करता है। यह बक मुख्यतः सरकारी बौंडा, सरकार द्वारा गारंटी किये गये बौंडो और अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है।

4 सोने व चांदी का क्रय विक्रय—जब जापान में स्वण-मान था तो बैंक ऑफ जापान सोने व चांदी का क्रय विक्रय अपने धानु कोप को मजबूत बनाने के लिये किया करता था। किंतु प्रबंधित मुद्रा प्रणाली (managed currency system) लागू करने और मुद्राकालीन अर्थ व्यवस्था के कारण, समस्त स्वण का नया उत्पादन अब सरकार अपने पास रखती है। अतः बक ऑफ जापान द्वारा स्वण व चांदी का क्रय विक्रय अब महत्व नहीं रखता। सन् 1953 से निजी-व्यवहारों में डील दे दी गई है। अब यह बक सरकार के एजेंट के रूप में ही सरकार के लिए सोने के क्रय विक्रय का कार्य करता है।

5 विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय—अब बैंक ऑफ जापान कानून न इस बक को विदेशी विनिमय क्रय विक्रय करने का अधिकार दे दिया है। जापान की वर्तमान विनिमय नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत अब समस्त विदेशी विनिमय 'फॉरेन एक्मचेंज फंड स्पेशल अकाउंट' में जमा कर दिया है। अतः यह बक सरकार के एजेंट के रूप में अधिवृत्त विदेशी विनिमय बकों से विदेशी विनिमय के व्यवहार करता है।

मित्र व परामशदाता—बक ऑफ जापान देश के बका व अन्य वित्तीय सस्थाओं के मित्र व परामशदाता के रूप में भी कार्य करता है। सक्टाकालीन व अन्य विशेष परिस्थितियों में यह बक इनका माग प्रदर्शन करता है।

3 सरकार का बकर

बैंक ऑफ जापान सरकार के बकर के रूप में भी कार्य करता है। सरकार के बकर के रूप में बक ऑफ जापान के कार्यों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—

1 बकर के साधारण कार्य—इन कार्यों में निम्न स्वीकार करना, ऋण देना सरकारी प्रतिभूतियाँ का क्रय करना व अभिदान करना।

2 विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कार्य—ट्रेंजरी काया का प्रबंध करना राष्ट्रीय ऋण को व्यवस्था करना विदेशी विनिमय से सम्बंधित कार्य प्रादि इस वर्ग में आते हैं।

1 बँकर के साधारण कार्य

(i) सरकारी निक्षेप (Govt Deposits)—सरकार के बैंकर के रूप में, बैंक ऑफ जापान सरकार की ओर से निक्षेप प्राप्त करता है और भुगतान करता है। इस प्रकार यह बँक ट्रेजरी-कोष में निक्षेप प्राप्त करता है और उसी में से सरकार की ओर से भुगतान करता है। इस कार्य को करने के लिए यह बैंक, सरकार के आवश्यक खाते रखता है।

कर (tax) एवं अन्य समस्त सरकारी आय को बँक ऑफ जापान, सरकार के निक्षेप-खाते में जमा करता है। वित्तीय वर्ष में ट्रेजरी कोष की स्थिति मौसमी परिवर्तता के कारण बदलती रहती है। यदि सरकारी खाते में बहुत अधिक राशि एकत्रित हो जाती है तो आधिक्य (surpluses) को या तो विशिष्ट खाता (special accounts) में स्थानान्तरित कर दिया जाता है अथवा बँक ऑफ जापान से ही अन्य कालीन-सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद ली जाती हैं।

(ii) ऋण आदि देना—बँक ऑफ जापान कानून के अनुसार यह बँक सरकार को बिना प्रतिभूति के ऋण दे सकता है। ऐसे ऋण या ऋणों की कोई प्रधिकतम सीमा नहीं है। ऋण के सम्बन्ध में यह बँक व सरकार दोनों ही कासी सचेत रहने हैं क्योंकि द्वितीय विश्वयुद्ध काल में जापान में भयंकर मुद्रा प्रसार की स्थिति हो गई थी। जापान में एक विशेषता यह है कि सन् 1947 में वित्त कानून (Finance Law of 1947) बनाया गया जिसके अनुसार बैंक ऑफ जापान एवं जापान सरकार पर दो प्रतिबंध लगा दिए गये हैं—प्रथम, यह बँक सरकार की दीघकालीन प्रतिभूतियों को नहीं खरीद सकता, द्वितीय, सरकार इस बँक से दीघकालीन ऋण नहीं ले सकती।

वास्तव में गत 22-23 वर्षों में (अर्थात् 1947 से अब तक) इस बँक ने सरकार को कोई भी दीघकालीन ऋण नहीं दिया है। इस बँक ने सरकार को दस वर्षों में बहुत ही कम अल्पकालीन ऋण दिए हैं और जो अल्पकालीन ऋण दिये भी हैं, वे भी अस्थायी (temporarily) रूप में। ऐसे अल्पकालीन ऋणों की सरकार को वित्त वर्ष के अंत में कभी कभी आवश्यकता पड़ती है। सरकारी अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ सिद्धांत रूप में जनता का निगमन की जाती हैं किन्तु व्यवहार में ऐसी अधिकांश प्रतिभूतियों को यह बँक ही खरीद लेता है। इसका कारण यह है कि जनता में ये प्रतिभूतियाँ अधिक लोकप्रिय नहीं हैं क्योंकि इन पर व्याज-दर बहुत ही कम होती है। बँक ऑफ जापान इन प्रतिभूतियों का 'ट्रस्ट फंड ब्यूरो' व अन्य सरकारी एजेंसियों से त्रय विप्रेषण करता रहता है।

2 विभिन्न कानूनों के अंतर्गत कार्य

(1) ट्रेजरी कोष संबंधी कार्य—बँक ऑफ जापान, कानून के अंतर्गत सरकार-कोषों की प्राप्तियाँ व भुगतान (receipts and payments) संबंधी कार्य करता है। इसके अंतर्गत सरकारी निक्षेप खान में समस्त आय व भुगतानों बँक को डेबिट व क्रेडिट की प्रविष्टियाँ करनी पड़ती हैं। सरकारी कोषों

काय इन बंध को न भेदन अपने प्रधान कार्यालय व शाखाओं में करना पड़ता है बल्कि इन बंध के ट्रेजरी ऑफिस को (जो कि बंध ट्रेजरी कार्यालय की प्राप्ति व भुगतान के साथ करते हैं) भी यह साथ करना पड़ता है। ये ट्रेजरी ऑफिस व्यापारिक बंध व अन्य वित्तीय-संस्थाएँ व उनकी शाखाएँ हैं जिन्हें विमुक्ति एजेंट के रूप में बंध भ्राफ जापान करता है।

(ii) सरकारी ऋण सहायी बंध—बैंक ऑफ जापान, वातून के अंतर्गत सरकारी ऋण की सेवा भी करता है। इन बंध व अंतर्गत ऋण का निगमन, ब्याज व भुगतान, इन ऋणों के मूलधन का भुगतान सम्मिलित है साथ ही ऋण प्रमाण पत्रों का निगमन एवं उनका रजिस्ट्रेशन प्राप्ति में संबंधित बंध भी सम्मिलित है। ट्रेजरी से सम्बंधित कार्यों की भाँति सरकारी ऋण से सम्बंधित बंध भी बैंक ऑफ जापान के प्रधान कार्यालय, इसकी शाखाओं व ट्रेजरी एजेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। इन सरकारी ऋणों के मूलधन व ब्याज व भुगतान का साथ भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है।

(iii) विदेशी विनिमय का साथ—जापान में विदेशी विनिमय का कोष 'फॉरेन एक्सचेंज फंड स्पेशल प्रवाउंट' में निहित है। इस प्रवाउंट में विदेशी मुद्रा एवं येन (Yen) के कोषों को रखने व प्रयोग करने की दृष्टि से, बैंक ऑफ जापान, 'फॉरेन एक्सचेंज स्पेशल प्रवाउंट' को अंतर्गत देश के वित्त मंत्री के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अधिभूत विदेशी विनिमय बैंकों से विदेशी विनिमय त्रय वित्त के साँदे बैंक ऑफ जापान देश के वित्त मंत्री के एजेंट के रूप में करता है।

विभिन्न कानूनों¹ के अधीन संबंधित अधिभूतों में प्राप्त अधिनारों से बैंक ऑफ जापान को विदेशी विनिमय विदेशी-व्यापार व विदेशी-मूजी का आंशिक रूप से नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है।

4 साख-नियंत्रण

केन्द्रीय बैंक होने के कारण, बैंक ऑफ जापान का एक महत्वशील साथ देश की साख को नियंत्रण करना भी है। बैंक ऑफ जापान के पास साख नियंत्रण के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं—

(i) बैंक दर (ii) साख की अधिकतम सीमा निर्धारित करना (iii) खिडकी निर्देशन (window guidance) (iv) खुद बाजार की क्रियाएँ (v) रिजर्व कोष।

बैंक दर नीति (Bank Rate Policy)—साख-नियंत्रण का एक साधन बैंक दर है। बैंक ऑफ जापान द्वारा व्यापारिक बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं को दिये जाने वाले ऋणों पर व्याज दर अथवा जिस बट्टे दर पर व्यापारिक बिला व प्रतिज्ञा-पत्रों की बटौती करता है, वह बैंक दर कहलाती है।

1: They are—(a) The Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law and (b) Law Concerning Foreign Investment

बैंक ऑफ जापान देश के अर्थ व्यापारिक बैंको व वित्तीय संस्थाओं के विनियम पत्रों व प्रतिज्ञा पत्रों की कटौती करता है तथा उन्हें ऋण भी देता है। आजकल यह बैंक व्यापारिक बिलों, भ्रौं नियाम-व्यापार बिलों की कटौती करता है, तथा सरकारी प्रतिभूतियां सरकार द्वारा गारंटी किए गए बॉण्डों, स्थानीय (local) सरकार के बॉण्डों, निगम बॉण्ड वक ऋण पत्र (debentures) विनियम विपत्र एवं प्रतिज्ञा-पत्रों की जमानत पर व्यापारिक बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को ऋण देता है।

सन् 1962 में जापान बक-दर (अर्थात् कटौती दर अथवा ब्याज-दर) को 7 विभिन्न दरों में विभक्त कर दिया गया था इसके पश्चात् इनका 5 विभिन्न दरों में वर्गीकृत कर दिया गया। मिनू 1 सितम्बर 1969 से बक-दर का चार विभिन्न दरों में वर्गीकृत कर दिया गया है। इसी तिथि से एक महत्वपूर्ण बात और की गई। पहिले, बक-दर प्रतिशत में प्रतिमाह व हिमात्र में बतलाई जाती थी, किन्तु इस तिथि (अर्थात् 1 सितम्बर 1969) से यह प्रतिशत में व वार्षिक हिसाब से बतलाई जाती है। विश्व के सभी देशों के केन्द्रीय-बैंक अपनी अपनी बक दर प्रतिशत में प्रतिवर्ष क हिमात्र से बतलाते हैं, अतः अनुरूपता लाने के लिए ऐसा किया गया है। अक्टूबर 28 1970 से जापान में बक दर घटाकर 6 प्रतिशत कर दी है।

बक-दर

1 (1 सितम्बर 1969 में प्रचलित)

	प्रतिशत वार्षिक
1 व्यापारिक-बिलों की कटौती दर और सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋणों पर ब्याज-दर	6 25
2 निर्यात व्यापारिक बिलों की कटौती दर	4 25
3 नियाम व्यापारिक बिलों की जमानत पर ब्याज दर	4 50
4 उपरोक्त अनिश्चित अर्थ बिलों व प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण	6 75

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि निर्यात-व्यापारिक बिलों की कटौती अथवा उनकी जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों पर अल्प कटौती दर व ब्याज दर अथवा दरों से सबसे नीची (कम) है। जापान के निर्यात व्यापार का प्रोत्साहित एवं सुविधाजनक बनाने के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया है।

यद्यपि एक बात उल्लेखनीय है। प्रायः सभी देशों में साख नियंत्रण के क्षेत्र में बक दर एक प्रभावशाली अस्त्र के रूप में मिट्टी नहीं हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो बक-दर (कटौती दर) की यह स्थिति है कि प्रायः जब बाजार की समस्त दरें बढ़ जाती हैं, उससे पश्चात् फडरल बैंक की कटौती दर बढ़ती है और जब बाजार की दरें घट जाती हैं तो कटौती-दर भी कम कर दी जाती है।¹ इस प्रकार कटौती-

दर बाजार दरों को प्रभावित नहीं करने। बन् बाजार-दरों, बटोनी-दर को प्रभावित करती है, जबकि सामान नियंत्रण के प्रभावशील धर्म के रूप में, इन्होंने विपरीत होना चाहिए। भारत में गिजय बक शॉर इण्डिया का स्थापित हुए 35 वर्षों से अधिक हो चुके हैं किन्तु फिर भी गारा नियंत्रण के धर्म के रूप में बक दर को प्रभावशील धर्म नहीं कहा जा सकता।

किन्तु जापान में बक शॉर जापान द्वारा सामान नियंत्रण के लिए बैंक-दर एवं अत्यन्त महत्वशील धर्म के रूप में सिद्ध हुई है। इन्होंने प्रमुख कारण यह है—

1) द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् जापान में उद्योग बंध व्यापार के धार्मिक व्यवस्था के प्रादुर्भाव क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास होना तथा श्रौर में सत्य मुख्य रूप में व्यापारिक-बन्धन के श्रृंखला पर निर्भर हो गया। धर्म व्यापारिक बन्धन में श्रृंखला की मांग बढी और व्यापारिक बन्धन विनियमित बन्धन श्राफ जापान के श्रृंखलों पर निर्भर हो गये। इन परिस्थितियों में बैंक दर में परिवर्तन होने के प्रत्यक्ष प्रभाव व्यापारिक-बन्धन द्वारा प्रदान किए जाने वाले श्रृंखला पर पड़ता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जापान में बक-दर की प्रभावशीलता का मुख्य कारण है कि श्रृंखलों के लिए व्यापारिकों के उद्योगपतियों का व्यापारिक बैंक पर अत्यधिक निर्भरता और व्यापारिक बन्धन श्राफ की बक श्राफ जापान पर अत्यधिक निर्भरता।

2) बक-दर का उपरांत महत्व होने के कारण, इसमें परिवर्तन होने का मनावज्ञानिक प्रभाव देश की सम्पूर्ण धर्म-व्यवस्था पर पड़ता है।

3) जापान के व्यापारिक बैंक में सन् 1957 में एक आपसी समझौता किया गया था जिसमें यह निश्चय किया गया कि बक-दर में परिवर्तन के अनुरूप वे भी श्रृंखला देने के बटोनी दरों में परिवर्तन कर लेंगे। व्यापारिक-बैंक उस समझौते का पालन भी करते रहें हैं।

बक-दर के महत्वशील होने के परिणामस्वरूप ही, जापान की बड़ी व छोटी वित्तीय संस्थाएँ प्रतिभूति कम्पनियाँ और धीमागिक कम्पनियाँ सावधानी से बैंक-दर के परिवर्तन को देखती रहती हैं।

(ii) साख की अधिकतम सीमा निर्धारित करना (Credit Ceiling System)—श्रृंखलों के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा बक श्राफ जापान पर बहुत अधिक व सरलता से निर्भर रहने की प्रवृत्ति का हतासाहित करने के लिए यह नीति अपनाई गई है। इस नीति को प्रथम बार नवम्बर 1962 से अपनाया गया है। इसके अन्तर्गत बक श्राफ जापान प्रत्येक वित्तीय संस्था को उधार देने का राशि का पहल ही निर्धारित कर देता है। यह सीमा उस संस्था की संपत्तियों व देनदारियों के आधार पर एक फार्मूले से निर्धारित की जाती है।

सामारणतया बक श्राफ जापान निश्चित की गई सीमा में अधिक मात्रा में श्रृंखला उस वित्तीय संस्था को प्रदान नहीं करता। किन्तु फिर भी विशेष परिस्थितियों में इस सामान्य अधिक राशि के श्रृंखला दे देता है, किन्तु इसके लिए दृष्टस्वरूप ऊंची ब्याज दर पर श्रृंखला देता है जो कि आजकल बक-दर से 4 प्रतिशत अधिक है।

(iii) खिडकी निर्देशन (Window Guidance)—साख नियंत्रण को विभिन्न साधना के पूरक के रूप में बैंक ऑफ़ जापान खिडकी निर्देशन' को भी काम में लेता है। इसके अंतर्गत बैंक अपने समस्या का समय समय पर उनके बापा की स्थिति के संबंध में और अन्य आवश्यक मामला में निर्देश (guide) देता रहता है। यह बैंक अपने मदस्या को समाशाधना के परिणामस्वरूप उसके दैनिक कोषों की स्थिति बनलाना है जिसके फलस्वरूप सन्ध्या को साख प्रसार की अपनी शक्ति पात रहती है।

(iv) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)—खुले बाजार की क्रियाएँ म आशय है केंद्रीय बैंक के द्वारा साख एव मुद्रा के संचालन व नियंत्रण के लिए, खुले बाजार में प्रतिभूतिया व विला का क्रय विक्रय। मवप्रथम ये क्रियाएँ व्यापारिक-बैंकों व केंद्रीय-बैंक के काम के जापा पर प्रभाव डालते हैं, और जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव व्याज की दरों के परिवर्तन पर पड़ता है।

बैंक ऑफ़ जापान कानून [Article 20 (5)] के अनुसार इस बैंक का एक बाय व्यापारिक विनो बकरा की स्वाकृतिया, अन्य विल व प्रतिपा-पत्रा सरकारी व अन्य बौंड एव ऋण पत्रा को क्रय विक्रय करना' है। जापान में पूजा एव मुद्रा बाजार अभी तक पूरण रूप में विकसित नहीं हैं अतः खुले बाजार की क्रियाएँ बैंक ऑफ़ जापान तथा व्यक्तिगत बैंकों के मध्य द्विपक्षीय व्यवहार का रूप ले लेती हैं। जब बाजार में मुद्रा की अधिपत्ता होता है तो बैंक ऑफ़ जापान म्यानीय बैंक और कृषि व वन-कर्म व केंद्रीय सहाकारी बैंक को विपत्र आदि का विक्रय कर देता है और इस प्रकार उनका अतिरिक्त अधिक कोषा को अपनी आर आकर्षित कर देता है। इसी प्रकार जब बाजार में मुद्रा-की तगी हानी है तो यह बैंक पुनः क्रय समझौते के अंतर्गत सरकारी बौंड व सरकार द्वारा गारंटी किए गये बौंडों का खरीद लेता है। इन क्रियाओं को वास्तविक अर्थ में खुले बाजार की क्रियाएँ नहीं कहनी चाहिए।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् म मौद्रिक-नीति के रूप में बैंक ऑफ़ जापान न विला व प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय आरम्भ किया। नवम्बर 1962 में मौद्रिक संचालन का नवीन ढंग (New Measure for Monetary Regulation) प्रचलित किया गया जिसका उद्देश्य खुले बाजार की क्रियाओं पर पहले का अपना अधिक जोर दिया गया। बौंड-बाजार व पुनः खुलने और व्याज-दरों की कमी होने के कारण बैंक ऑफ़ जापान न सन् 1966 में सरकारी-बौंडों और सरकार द्वारा गारंटी किए गये बाण में खुले बाजार की क्रियाएँ आरम्भ कर लीं और साथ ही मांग पर-रक्षे ऋणों के व्यापारियों का मल्पकालीन प्रतिभूतिया विक्रय करना आरम्भ कर दिया। जून 1969 से इस बैंक न पुनः क्रय समझौते का चालू किया जिसके अंतर्गत यह बैंक सरकारी बौंड व अन्य प्रतिभूतियों का मल्पकालीन क्रय-विक्रय करता है।

(1) प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय—सन् 1962 से 1965 तक बैंक आफ जापान प्रतिभूतियों का क्रय सन्तुष्ट पुनः क्रय समझौता के अन्तर्गत करता था। अप्रैल सन् 1962 में जापान में बॉन्ड-बाजार बढ़ कर दिया गया था किन्तु इसको फरवरी 1966 में पुनः चालू कर लिया गया।

वर्तमान समय में नई प्रणाली प्रारम्भ की जिम्मेदारी प्रमुख बातें ये थी—प्रथम क्रय सीधा ही होता है जबकि पहल प्रतिभूतियों का क्रय पुनः क्रय समझौता के अन्तर्गत होता था। द्वितीय इन प्रतिभूतियों आदि के मूल्य बाजार मूल्यों के आधार पर निर्दिष्ट किये जाते हैं, तृतीय, प्रतिभूति कम्पनियों को उस सूची में सम्मिलित कर लिया गया जिनसे कि यह बैंक व्यवहार कर सकता है। चतुर्थ पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत सरकार द्वारा गारंटी किये गये बॉन्ड बैंक ऋण-पत्रों और कुछ विशिष्ट औद्योगिक बॉन्डों को बैंक खरीद सकता था किन्तु नई प्रणाली के अन्तर्गत केवल सरकार द्वारा गारंटी किये गये बॉन्डों में ही बैंक आफ जापान व्यवहार कर सकता है। फरवरी 1967 में इसमें नये सरकारी-बॉन्डों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। आजकल प्रचलित प्रणाली का विवरण इस प्रकार है—

(क) किनसे खरीदा जा सकता है?—बैंक आफ जापान इन सस्थाओं से खरीद सकती है—बैंक दाघकालीन सात बैंक विशिष्ट विदेशी विनिमय बैंक, नेशनल फंडेशन ऑफ प्रॉडिक्ट ऐसोसिएशनस, सटल को अपरेटिव बैंक आफ एपीकल्चर एण्ड फोरस्ट्री एंव वे प्रतिभूति-कम्पनियाँ जो बैंक ऑफ जापान में अपने खात रखती हैं।

(ख) प्रतिभूतियाँ—बैंक आफ जापान सरकारी-बॉन्ड और सरकार द्वारा गारंटी किये गये बॉन्डों को खरीद सकता है।

(ग) क्रय मूल्य—क्रय किये जाने वाले बॉन्डों के क्रय मूल्य निर्धारण का ढंग भी स्पष्ट कर दिया गया है। बॉन्ड विक्रय करने वाली सस्थाओं को बैंक आफ जापान अपने द्वारा उनके क्रय करने की अधिसूचना (notification) देता है। इस अधिसूचना के ठाँव एक दिन पूर्व के बाजार मूल्य के आधार पर क्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(घ) सरकारी बॉन्डों आदि का अल्पकालीन क्रय—जून 1969 में बैंक आफ जापान ने सरकारी बॉन्डों के अल्पकालीन क्रय की योजना लागू की। वापस की सीमा अधिकांशता एक करोड़ के समायोजन करने के हेतु इस योजना को लागू किया गया। कोषों के अल्पकालीन क्रयों के काल में बैंक आफ जापान प्रतिभूतियों को क्रय करके कोषों की कमी को दूर करता है और वापस का अल्पकालीन अधिकांशता के समय यह बैंक प्रतिभूतियों का क्रय करके कोषों के अधिकांशता को ग्रहण (absorbs) लेता है। यह बैंक आफ जापान यह व्यवहार एक माह में पुनः क्रय के समझौते के आधार पर करता है।

(ङ) किन्से खरीदता है—बैंक ऑफ जापान प्रतिभूतियों को बैंक ऑफ दाघकालीन सात बैंक विशिष्ट विदेशी विनिमय बैंकों, नेशनल फंडेशन ऑफ

बैंडिट एमोसियोशम, मेट्रल का आपरेटिव बक ऑफ एग्जिक्यूटिव एण्ड फौरस्ट्री तथा उन पारस्परिक ऋण व बचत बका संखरीदना है जा इममे (बक आफ जापान मे) अपन खाते रखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इस योजना के अतगत यह बैंक प्रतिभूति कम्पनियो से त्रय विक्रय नहीं करता है।

(ख) खरीदी जाने वाली प्रतिभूतिया—निगमन की तिथि से एक वष प्रयत्न अधिक अवधि के सरकारी बॉन्ड, सरकार द्वारा गारंटी किए गए बॉन्ड और ब्याज वाले बक ऋण पत्रों को बक आफ जापान खरीद सकता है।

(ग) पुन ऋण के समझौते—इन प्रतिभूतिया का त्रय अधिकतम एक माह की अवधि के लिए, पुन त्रय के समझौते के अतगत बक ऑफ जापान खरीदता है। यदि आवश्यक हा ता इस अवधि का एक माह तक आगे और बढ़ाया जा सकता है।

(घ) त्रय व पुन त्रय मूल्य—वास्तविक रूप से त्रय करने की तिथि से एक दिन पूव बाजार मे प्रचलित मूल्य के आधार पर प्रतिभूतिया क त्रय मूल्य निश्चित किये जाते हैं। जिस मूल्य पर इह त्रय किया गया था वही मूल्य पुन त्रय मूल्य होता है। जितने समय तक बक आफ जापान इन प्रतिभूतिया का अपने पास रखता है। (जो कि साधारण परिस्थितिया म एक माह व विशेष परिस्थितिया म दो माह तक हो सकती है) उस अवधि के लिए यह बक ब्याज प्राप्त करता है। त्रय करके के त्रिन माग पर देय ऋण बाजार में प्रचलित ब्याज की दर का औसत चाज की जान वाली ब्याज दर होती है।

3 न्यूनतम रिजर्व निक्षेप प्रणाली

(Minimum Reserve Deposit Requirement System)

'Law Concerning Reserve Deposit Requirement System' के Article 4 के अतगत जापान म रिजर्व निक्षेप प्रणाली को मड 1957 से चालू किया गया किंतु सितम्बर 1959 मे इस प्रणाली को व्यवहार म लाया गया जबकि प्रथम बार रिजर्व अनुपात निश्चित किए गये। यह ध्यान रहे कि बैंक आफ जापान का नानि मडल (Policy Board) रिजर्व अनुपात को निर्धारित करता है।

संस्थाए जिहें रिजर्व-कोष रखना अनिवार्य है—निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं को चालू क अधीन बक आफ जापान के पास रिजर्व कोष रखना पड़ना है—

- 1 बहिन-नों के अधीन लाइसेंस प्राप्त बैंक अथवा साधारण बैंक ट्रस्ट बैंक और वित्तीय बका की स्वदशा शाखाए,
- 2 नौषकानीन मान्य बैंक विभिन्न विदेशी विनिमय बैंक, मट्रल को प्रापरटिव बक आफ एग्जिक्यूटिव एण्ड फौरस्ट्री
- 3 व पारस्परिक ऋण और बचत बक और साथ एमोसियोशन्स जिनके निशेष 20 बिलियन येन से अधिक हैं।

रिजर्व अनुपात की दरें—बक ऑफ जापान का रिजर्व अनुपात को निश्चित करने, परिवर्तन करने व उन्मूलन (abolish) करने का अधिकार¹ है।

रिजर्व अनुपात की अधिकतम वार्षिक दर 10 प्रतिशत है, और इस अधिकतम सीमा के भीतर ही बक ऑफ जापान समय निक्षेप (तीन माह से अधिक अवधि के लिए निक्षेप) व चालू खात आदि के लिए रिजर्व अनुपात निर्धारित कर सकता है। रिजर्व अनुपात का निश्चित करने, परिवर्तन करने व उन्मूलन करने का अधिकार ता बक ऑफ जापान को है किन्तु इसके लिए जापान के वित्त मंत्री का अनुमोदन (approval) प्राप्त करना आवश्यक है। नीचे की तालिका में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने निक्षेपों का जो अनुपात वार्षिक तौर पर बक ऑफ जापान के पास रखना पड़ता है, उसे दर्शाया गया है। ये दरें सितम्बर 16, 1969 में लागू हैं—

जापान में निक्षेप अनुपात

	समय निक्षेप (प्रतिशत में)	अन्य निक्षेप (प्रतिशत में)
समस्त बक जिनके निक्षेप—		
100 बिलियन यन से अधिक हैं	0.50	1.50
100 बिलियन यन अथवा उससे कम, किन्तु 20 बिलियन यन से अधिक हैं	0.25	0.75
20 बिलियन यन अथवा उससे कम	0.25	0.75
पारस्परिक श्रृंखला में अचत बक और क्रेडिट एसोसिएशंस—		
जिनके निक्षेप 20 बिलियन यन अथवा अधिक हैं	0.25	0.75
सैंट्रल बैंक-आपरेटिव बक ऑफ एग्जिक्यूटिव एण्ड कोरेस्ट्री	0.25	0.05*

* यह दर मार्च 31, 1970 को थी।

विशेष टिप्पणियाँ

- (i) उपरोक्त तालिका में स्पष्ट है कि जापान में निक्षेप अनुपात की दरें बैंकों व वित्तीय-संस्थाओं व निक्षेपों को मात्रा पर अलग-अलग²,
- (ii) व्यावहारिक निक्षेप अनुपात बहुत कम है (0.25 प्रतिशत व 1.50 प्रतिशत)

¹ Vide Bank of Japan Law Article 13-3 (6) and the Law Concerning Reserve Deposit Requirement System Articles 3 and 4.

(iii) निक्षेप अनुपात की दरें जापान में बहुत कम (नीची) होने के दो प्रमुख कारण हैं—(क) बक ऑफ जापान के पास बहुत कम रिजर्व रख पाते हैं और (ख) बक ऑफ जापान से श्रद्धा अग्रिम माग में ते रके हैं। इनका कारण यह है कि जापान में आर्थिक विकास के प्रत्यक्ष क्षेत्र में बहुत ही तेज गति से विकास हो रहा है अतः वित्तीय समस्याओं में श्रद्धा की माग बहुत ही अधिक है।

(iv) यदि अल्प विकसित देशों में तुलना की जाय तो पात होगा कि नियेष का अनुपात जापान में बहुत ही कम है।

रिजर्व नियेष—श्रद्धा व सस्याग, बक ऑफ जापान के पास ये नियेष चाहु खाते व रूप में रखते हैं। नियेष के औमत मामिक के आधार पर रिजर्व के लिए कोपा की गणना की जाती है। बको आदि की तिजोरिया में रखे गये नकद कोपा की मात्रा को बक ऑफ जापान के पास रखे जाने वाले बको की मात्रा में सम्मिलित नहीं किया जाता।

दड यदि किसी वित्तीय मस्या के रिजर्व बक ऑफ जापान के पास रखे जान वान रिजर्व से कम हो जात है तो इस अतर की राशि दर बक ऑफ जापान सामाय बक-र से 3.65 प्रतिशत वापिस दर से ब्याज प्राप्त करेगा। इस प्रकार प्राप्त किए गये ब्याज का बक ऑफ जापान स्वयं अपने पास नहीं रख सकता, बरिक्त, मरफारी-ट्रेजरी में जमा करा देना पडता है।

4 चुने हुए साख नियंत्रण (Selective Credit Control)

अय विकसित देश की भाति जापान में चुने हुए साख नियंत्रण की नीति नही अपनाई जाती है। जापान में उपभोक्ता-साख पर कोई धवानिक नियंत्रण नहीं है, क्योंकि जापान के वित्तीय चित्र में इसका कोई महत्वशील भाग नही है।

बक ऑफ जापान की स्थिति का अनुमान

नाचे की तालिका में बक ऑफ जापान की मयतिया व देनदारियों (Assets and Liabilities) का मूरम विवरण, जमा कि माच 31, 1969 को था, दिया जा रहा है। इससे बक ऑफ जापान की स्थिति का एक अनुमान लगाया जा सकता है।
दबिल अगले पत्र पर देखिये।

1 (रिजर्व की राशि जो हानी चाहिए थी) - (बास्त्रविक रिजर्व की राशि) = राशि जिस पर ब्याज देना होगा।

माच 31, 1969 को

सपतिया (Assets)	यत्न मे (In Yen)	देनारिया (Liabilities)	यत्न मे (In Yen)
स्वले बुलियत	30 890,374 465	निगमित बक नेट	3 636 329 087 348
रोकड (सहायक सिक्के)	52 455 403 594	वित्तीय सस्थापो के निधेप	248 213,906 262
बढौती रिग् गां बिल्ल	341,648 887 868	सरकारी निधेप	573 905,819 412
कृग	1 222,084 720 000	अय निधेप	12 237,352 797
सरकारी प्रतिसूतिया	1 601,220,801 429	अय देनदारिया आदि	
अय प्रतिसूतिया	713 251,093 066	कुल देनदारिया (योग)	4 679 234 934 425
वित्तीय सपतिया	710 501 502,975	पू जी	100,000,000
उगाजित याव आदि	12 363 477,945	वैधानिक रिजव	33 549,610 000
बक भवव	5 465 478,093	स्पेशल रिजव	112,519,500 000
अय		स्पेशल वधानिक रिजव	13 196 482
		बप की शुद आय	58 671,269 189
		पू जीगत खातों का योग	204 853 575 641
कुल जोर	4,884 088 510 066	कुल बोट	4 884 086 510 066

विश्लेषण

(क) संपत्ति-पक्ष

- 1 बैंक ऑफ़ जापान के वार्षिक चिट्ठे (Balance Sheet) का माच 31 1961 का) लगभग 49 खरब येन है।
- 2 वक के शेष स्वण लगभग 30 अरब 89 करोड येन के मूल्य का है।
- 3 डम बैंक ने लगभग 3 खरब 41 अरब येन के मूल्य के त्रिन कटौती किए।
- 4 इमन लगभग 12 खरब येन के ऋण दिए।
- 5 इसके पास लगभग 16 खरब येन की सरकारी प्रतिभूतिया हैं अथ प्रतिभूतिया लगभग 7 खरब येन के मूल्य की हैं।
- 6 विदेशी संपत्तिया 7 खरब येन की हैं।
- 7 उपार्जित ब्याज आय लगभग 12 लाख येन है।

(ख) देनदारी पक्ष

- 1 बैंक ऑफ़ जापान द्वारा (माच 31 1969 का) निगमित विय गय नाग का मूल्य लगभग 36 खरब येन है।
- 2 सरकारी निधेय वित्तीय सम्याग्रा क इम बैंक क निर्दोष स दुगुन स भी अधिक हैं (क्रमश 573 खरब व 248 खरब हैं)।
- 3 बैंक की पूजी 10 करोड येन है।

व्यापारिक बैंक

(COMMERCIAL BANKS)

[क्रमिक विकास]

प्रारम्भिक विकास—1870 वं प्रारम्भिक वर्षों में जापान में निजी बँकों की स्थापना की बँती हुई प्रवृत्ति प्रस्तुत हुई और बँकिंग व्यवसाय को करने वाली कम्पनियाँ एक वं प्रायः दूसरी स्थापित होती गईं। सन् 1875 तक बँकिंग व्यवसाय करने वाली लगभग 100 कम्पनियाँ स्थापित हो चुकी थीं। इन कम्पनियों को बँक के समरूप कम्पनियाँ (companies similar to banks) कहा जाता था, क्योंकि तत्कालीन नेशनल बँक एक्ट के अनुसार बँक शब्द का प्रयोग केवल नेशनल बँक ही कर सकते थे अन्य कोई बँक अथवा कम्पनी नहीं।

बाद में बँक शब्द के प्रयोग से संबंधित प्रतिबंध हटा लिया गया और इनके बँक के समरूप कम्पनियों ने अपने नाम में बँक शब्द को सम्मिलित कर लिया, और इस प्रकार निजी बँकों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई। इसके अतिरिक्त सन् 1879 में नए नेशनल बँको की स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिसके परिणामस्वरूप निजी बँकों और निजी बँकों के समरूप कम्पनियों की स्थापना को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार सन् 1889 में बँक एक्ट (Bank Act) के निमाणे पूर्व जापान में निजी बँकों की संख्या 218 थी और बँक के समरूप कम्पनियों की संख्या 695 थी।

कुछ निजी बँकों का आकार नेशनल बँको के समान था और अधिकांश निजी बँकों का पूँजी 50 हजार यन थी और बँकों के समरूप कम्पनियों की औसत पूँजी 20 हजार यन थी। बड़े निजी बँकों का छाड़ कर निजी बँकों की कामशील पूँजी का अधिकांश भाग प्राप्त पूँजी (paid in capital) होती थी क्योंकि ये बँक निक्षेपों (deposits) को अधिक आकर्षित नहीं कर पाते थे। बँकों के समरूप कम्पनियों का आकार में निजी बँकों से भी छोटे होते थे और वे महाजनो (money lenders) के समान ही थे।

इन परिस्थितियों में जापान सरकार ने बँक संबंधित उपयुक्त कानून बनाने की आवश्यकता समझी। फरवरी सन् 1890 में बँक एक्ट (Bank Act) पास किया गया जो सन् 1893 में प्रभावशील किया गया। इस एक्ट में बँकिंग व्यवसाय को परिभाषित किया गया एवं बँकों को लाइसेंस देना और उनके पर्यवेक्षण (supervision) संबंधी प्रावधान दिए गए। इस एक्ट में एकल ग्राहकों को (single customers) बड़े मात्रा में ऋण देने पर प्रतिबंध लगा दिया। किंतु यह प्रतिबंध बाद में देश

की औद्योगिक प्रक्रिया की अव्यवस्था में अव्यावहारिक एवं बठोर नियम के रूप में हुआ अतः इस प्रतिबंध को हटा लिया गया।

बक एक्ट 1890 के पश्चात् विकास—सन् 1890 में जापान में बक एक्ट पार किया गया जो सन् 1893 से प्रभावशील हुआ। इसका पश्चात् जापान में व्यापारिक बैंको का विकास त्रज गति से हुआ। बैंको के समरूप कम्पनियों का व्यापार करने से रोक दिया गया अतः ऐसी अधिराश बम्पनिया न या ता बक के रूप में लाइसेंस प्राप्त कर लिया अथवा बका में मिला (amalgamated) गयी। इनके फलस्वरूप जापान में बैंको की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई।

इसके पश्चात् बका की संख्या में निरंतर वृद्धि होनी गई। इन बका की संख्या बढ़कर सन् 1896 में 1,000 से कुछ अधिक हो गई, अतः पांच वर्षों में इनकी स्थापना और तजी से हुई, फलस्वरूप सन् 1901 में इन बैंको की संख्या बढ़ कर लगभग 1870 हो गई। बैंक विकास की इस अवधि में बक निक्षेपों में भी बहुत वृद्धि हुई। सन् 1893 से 1901 की 9 वर्षों की अवधि में निक्षेपों में लगभग 9 गुनी वृद्धि हुई। इसी प्रकार इस काल में ऋण देने की मात्रा में भी बहुत वृद्धि हुई। सन् 1893 से 1901 की 9 वर्षों की अवधि में ऋणों की मात्रा में 14 गुना वृद्धि हुई। इस निक्षेप और ऋण देने का अनुपात लगभग 1.70 था। यह बक ऋणों को इन अधिक राशि का देने के लिए बर आफ जापान में ऋण लेते थे। सन् 1900 के पश्चात् के वर्षों में इन बैंको में निक्षेप तो अधिक त्रज गति से बढ़े किंतु न्यून जान वाल ऋणों का अनुपात कम हो गया। इसका कारण यह था कि बक ऑफ जापान अब प्रत्यक्ष रूप से जनसाधारण को ऋण देने लगा था।

जापान में सन् 1901 तक बैंको की संख्या में बहुत वृद्धि हुई उस समय बका की संख्या लगभग 180 थी। यह प्रवृत्ति प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् तक रही।

सन् 1920 के पश्चात् जापान में बैंक एकीकरण (amalgamation) का काम तेजी से हुआ। उस वर्ष के आतक में और उसके बाद की आर्थिक मंदी काल में अनेक कमजोर बक फेल हो गये। यहाँ तक कि बड़े बक जैसे पंद्रहवा बक (The Fifteenth Bank) और बैंक ऑफ ताईवान भी प्रभावित हुए। इन परिस्थितियों में जापान की सरकार ने सन् 1920 में बक एक्ट में संशोधन किये और बका के एकीकरण को सरल बना दिया। इस प्रकार के प्रोत्साहन से सन् 1921 और 1926 की अवधि में बैंको की संख्या लगभग 100 कम हो गई जिन बैंको की अधिकृत पूंजी 1 लाख यन या इससे कम थी उनकी संख्या भी लगभग आधी रह गई। छोटे स्थानात्म बका का एकीकरण स्थानीय आधार पर ही किया गया क्योंकि इनका एकीकरण बड़े सिटी-बका के साथ होना कठिन था। आर्थिक मंदी के समय बका का व्यवसाय में भी प्रगति नहीं हुई। इस गिरते हुए व्यवसाय का सबसे अधिक प्रभाव छोटे बैंको पर पड़ा। सन् 1927 के भीषण आर्थिक आतक के समय दुबल बकिंग ढांचा बुरी तरह लटकता गया।

सन् 1927 में सरकार ने बैंकिंग-कानून बनाया जो जनवरी 1928 से प्रभावशाली हुआ, इस कानून के बन जाने पर पुराना बक एक्ट निरस्त हो गया। इस

बक कानून की धारा 3 में बका के लिए 'यूनितम-पूजी निर्धारित की गई। यह धारा 3 केवल नये बका के लिए ही लागू नहीं होती थी, बरन् पुराने बका पर भी लागू होती थी। पुराने बका में लगभग आधे बक ऐसे थे जिनकी पूजी नये बैंक-कानून के अनुसार कम थी। केवल इस तथ्य से ही स्पष्ट हो जाता है कि सरकार बका के एकाकरण की नीति का जोरदार समर्थन कर रही थी। इस कानून के अनुसार जो बैंक टोकियो अथवा ओसाका नगरी में थे उनकी 'यूनितम आवश्यक पूजी 20 लाख यन और अन्य बका की 'यूनितम पूजी 10 लाख यन कर दी गई। यह पिछले बर्तित एक में 'यूनितम पूजी से दो गुनी थी।

सरकार की उपरोक्त नीति का प्रभाव यह पडा कि जापान में सन् 1926 में 1420 बक थे उनकी संख्या सन् 1931 में 683 और सन् 1938 में 418 हो गई। सन् 1927 के बक कानून ने बका पर यह प्रतिबंध भी लगा दिया कि वे अन्य किसी व्यापार में संलग्न नहीं हो सकते, शाखाओं के खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा सरकारी पर्यवेक्षण (supervision) को और अधिक कठोर कर दिया गया। अतः छोटे व कमजोर बक या ता समाप्त हो गए अथवा बड़े बका में मिल गये। इस प्रकार बड़े बका की स्थिति महत्वशील हो गई।

सन् 1928 और 1939 की अवधि में जापान के पांच बड़े बकों¹ (Big Five Banks) का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस अवधि में इन पांच बड़े बकों के पास देश के समस्त व्यापारिक-बकों के पास जितनी राशि के कुल निक्षेप (deposits) थे, जितनी राशि के ऋण दिये हुए थे व जितनी राशि प्रतिभूतियां व विनियोग की हुई थी उसका महत्वशील भाग इन बड़े-पांचों बका का था, जसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है—

	पांच बड़े बका का भाग	
	1926 में	1939 में
समस्त व्यापारिक बक के कुल—		
निक्षेप राशि का	24%	37%
ग्राहकों के ऋण	20%	30%
प्रतिभूतियां व विनियोग	26%	41%

यह उल्लेखनीय है कि इन पांच बड़े बका में से चार बका का नियंत्रण अबस्सु²

1 पांच बड़े बक ये थे—मिस्सुई, मिस्सुबिशी, दार्ई ईची, सुमितामो और यामुदा।

2 अबस्सु शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'घनवाना का गृह' और इसका प्रयोग जापान की उन महान् व्यापारी संस्थाओं के लिए किया जाता है जिनके हित बहुत व्यापक हैं। मिस्सुई, मिस्सुबिशी, सुमितामो और यामुदा, ये चार प्रधान अबस्सु संस्थाएँ थीं। इन संस्थाओं में जापान के प्राथिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योग दिया।

(Zaibatsu) के हाथों में था, जिनकी शक्ति एकीकरण की इस प्रक्रिया से बहुत अधिक बढ़ गई थी।

अब जापान में युद्ध की श्रय-व्यवस्था हो गई और सरकार की यह नीति रही कि प्रत्येक प्रशासनिक क्षेत्र में एक बैंक हो। इस नीति को अपनाते के कई उद्देश्य थे, जैसे सरकार का साख पर अधिक मजबूत नियंत्रण हो, बैंक द्वारा सरकारी बॉन्ड अधिक मात्रा में लें एवं युद्ध-सामग्री निमाताओं को सरलता से वित्तीय प्रबंध हो सके। इस समय सरकार का प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक-बैंकों के प्रबंध में सुधार करना नहीं था। इन सबका परिणाम यह हुआ कि व्यापारिक-बैंकों की संख्या सन् 1945 में घटकर केवल 61 ही रह गई,¹ किंतु इन बैंकों के व्यापार में काफी वृद्धि हुई।

द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को बहुत क्षति उठानी पड़ी अतः जापान के पुनर्निर्माण पर ही विशेष ध्यान दिया गया। सन् 1951 में जापान में 78 व्यापारिक बैंक थे, जबकि सन् 1945 में 61 व्यापारिक बैंक ही थे। यह वृद्धि नये व्यापारिक बैंकों की स्थापना से ही नहीं हुई क्योंकि इस अवधि में केवल 4 नये व्यापारिक-बैंक, स्थापित हुए किंतु पूर्वकालीन 3 विशिष्ट-बैंकों (Special Banks) 6 पूर्वकालीन ट्रस्ट कंपनियों और 4 पूर्वकालीन बचत-बैंकों को व्यापारिक-बैंक की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार, व्यापारिक बैंकों की संख्या 78 हो गई। इनके अतिरिक्त 14 विदेशी-बैंकों ने युद्ध के पश्चात् अपनी शाखाएँ जापान में खोली हैं।

सन् 1970 में जापान में 75 व्यापारिक-बैंक थे (जिनमें 14 सिटी बैंक और 61 स्थानीय बैंक)। इनके अतिरिक्त 18 विदेशी बैंकों ने जापान में अपनी शाखाएँ स्थापित की हैं।

व्यापारिक बैंकों की प्रवृत्ति—जहाँ तक जापान में व्यापारिक बैंकों की संख्या का सम्बन्ध है उससे नात होता है कि इसमें घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है जसा कि नीचे की तालिका से स्पष्ट है—

वर्ष	व्यापारिक बैंकों की संख्या
1901	1870
1930	872
1940	351
1945	61
1951	78
1970	75

व्यापारिक बैंक से आशय—व्यापारिक या अल्प राशीय साध वित्तीय सम्प्राण हैं जिनके खोन निरप हैं, जिह या तो मागरण जनता म एगत्रित किया जाता है अथवा उनके स्वयं के द्वारा उत्पन्न किय जान हैं।¹ व्यापारिक बैंक को जापान म प्राय निक्षप बैंक (deposit bank) अथवा साधारण बैंक (ordinary bank) भी कहत है।

व्यापारिक बैंको का महत्व—मेइजी-युग (Meiji era 1868-1912) स ही व्यापारिक बैंक न जापान की अर्थव्यवस्था म महत्वगीय योग दिया है। जापान के द्रुत आर्थिक विकास को सदब ही पूजी सचय की आवश्यकता रही है और इन दिशा म व्यापारिक बैंक बहुत ही सश्रिय रहे हैं। जापान की समस्त वित्तीय सस्याधो द्वारा जितनी राशि सम्मिलित रूप से एकत्रित की जाती है उससे कही अधिक राशि व्यापारिक बैंक अपने महा निम्नो म एकत्रित कर लेते हैं। ये व्यापारिक बैंक औद्योगिक एव व्यापारिक सस्थाधो के लिए धन की प्रवसा करते हैं। साथ ही साथ ये बैंक साख-सृजन (credit create) भी करत है। जो सस्था देश के आर्थिक विकास के लिए चालक शक्ति का निर्माण एव पूर्ति करती हैं उहे ये बैंक विनियोग के लिए और राशि देत हैं। एक अनुमान क अनुसार इन वर्षों म जितने औद्योगिक कोषा की आवश्यकता हुई है उसके लगभग 30 प्रतिशत भाग की पूर्ति व्यापारिक बैंको ने ही की है।

व्यापारिक बैंको के प्रकार—बिना एक भी अपवात् के जापान म समस्त व्यापारिक-बैंको का सम्मेलन निजी आर्थिक सस्थाधो क रूप म हुआ है। जापान के व्यापारिक बैंको को स्थूल रूप स दो वर्गों म रख सतत हैं—सिटी बैंक और स्थानीय बैंक (local banks)। इनक अतिरिक्त विगिष्-विदेशी-विनिनय बैंको एक विन्गी बैंको की जापान म शाखाधो को भी व्यापारिक बैंक क अन्तगत सम्मिलित कर लिया है क्यकि वे भी व्यापारिक-बैंको के अनेक काय करत हैं।

1 सिटी बैंक (City Banks)—ये व्यापारिक बैंक जितना प्रधान कार्यालय किसी बड़े नगर म हो और अपनी शाखाधो के द्वारा समस्त ङग म काय करे उह जापान मे सिटी-बैंक कहत हैं। ऐस बैंक की पाचाए प्राय समस्त बड़े नगरा

1 Commercial banks are short term credit financial institutions whose resources are deposits either collected from the general public or created by themselves.

म होती हैं। जैसे टाकियो, ओमाका, नागोया कोबे आदि। सन् 1970 में जापान में केवल 14 सिटी बैंक थे जबकि इनकी संख्या सन् 1962 में 12 थी। इन सिटी बैंकों की जापान में लगभग 2 हजार शाखाएँ थीं।

निजी वित्तीय संस्थाओं में मिटी बैंको का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जापान में समस्त वित्तीय संस्थाओं के आर्थिक स्रोतों के लगभग एक तिहाई भाग का प्रतिनिधित्व ये मिटी बैंक ही करते हैं एवं समस्त व्यापारिक बैंकों के लगभग 60% आर्थिक स्रोत इन सिटी बैंकों के पास ही हैं। विनियोग एवं ऋण देने की दृष्टि से, निजी 'यापान' को जिनकी राशि की आवश्यकता पड़ती है, उसका लगभग 20% भाग सिटी बैंक ही प्रदान करते हैं।

बड़े उद्यमों उद्योगों व्यापार आदि से सिटी बैंक का अधिक संबंध रहता है। जिनका भी सिटी बैंक ने ऋण दिए हैं उनमें से आधे ऐसे हैं जो 10 करोड़ येन का ऋण प्रत्येक ग्राहक को दिया है। सिटी बैंकों में 60 प्रतिशत से भी अधिक निक्षेप निगमों (Corporations) के हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत निक्षेप ऐसे हैं कि प्रत्येक निक्षेप 10 लाख येन से भी अधिक का है। सिटी बैंक आपस में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा करते हैं और बड़े व्यापारिक गृहों द्वारा बड़ी मात्रा में एवं बड़ी राशियाँ में ऋणों की माँग की जाती है जिम्मेकी पूर्ति ये मिटी बैंक अपने निजी साधना एवं साव्य सृजन करके भी नहीं कर पाते। अतः ये सिटी बैंक स्वयं भी सदैव ऋणों रहते हैं। ये मिटी बैंक बैंक आफ जापान में मुख्यतः ऋण लेते हैं।

2 स्थानीय बैंक (Local Banks)—स्थानीय बैंक का प्रधान कार्यालय प्रांतीय नगरों (provincial cities) में होता है और उनका कार्य क्षेत्र, प्रधान कार्यालय के निकटवर्ती क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। सन् 1970 में स्थानीय बैंकों की संख्या 61 थी जिनके लगभग 3 हजार कार्यालय (offices) थे।

स्थानीय बैंक में कुछ ही इतने बड़े हैं जिनकी तुलना आकार की दृष्टि से सिटी बैंक से की जा सकती है किन्तु अधिकांश स्थानीय बैंक छोटे अथवा मध्यम आकार के हैं। इन बैंकों का ग्राहक भी मुख्यतः स्थानीय छोटे व्यापारी व व्यवसायी ही हैं। इन बैंकों में निक्षेप व्यक्तिगत खातों में कराए जाते हैं और अधिकांश खाते सावधि खाता (Time Deposit Accounts) के रूप में होते हैं। इस प्रकार इन बैंकों के पास कोष पर्याप्त रहने हैं अतः इन बैंकों द्वारा बैंक आफ जापान के ऋण माँगने की आवश्यकता ही नहीं होती है, और यदि लिए भी जाते हैं तो साधारण भाग में।

3 विशिष्ट विदेशी विनिमय बैंक (Specialised Foreign Exchange Bank)—जापान में केवल एक ही विशिष्ट विदेशी विनिमय बैंक है जिसकी स्थापना विदेशी विनिमय बैंक बिल 1964 के अंतर्गत की गई थी। इस बैंक का नाम है 'बैंक आफ टोकियो'। इस बैंक की स्थापना मुख्यतः विदेशी विनिमय के व्यवहार (transactions) करने के लिए और विदेशी व्यापार के लिए वित्त प्रवर्धन करने के लिए की गई है। यह बैंक 'याकोहामा स्पेशी बैंक' का उत्तराधिकारी है।

बक ऑफ टोकियो का प्रधान कार्यालय जापान की राजधानी टोकियो (Tokio) में है। इसकी शाखाएँ आदि इस प्रकार हैं—

बक ऑफ टोकियो का प्रधान कार्यालय	1 (टोकियो)
जापान में इसकी शाखाएँ	25
विदेशों में इसकी शाखाएँ	18
विभिन्न देशों में इसकी एजेन्सियाँ	20
संबद्ध (affiliated) बक—	2

1 बक ऑफ टोकियो ऑफ कलोर्निया [प्रधान कार्यालय सन फ्रांसिस्को (U S A) और लास एंजिल्स व गार्डेना (U S A)]

2 बक ऑफ टोकियो ट्रस्ट कम्पनी (प्रधान कार्यालय 'यूबाक') सहयोगी बक (associate bank)—इंटरनशनल बक ऑफ ईरान एण्ड जापान (प्रधान कार्यालय तहरान में है)

इस बक में विदेशी-मुद्रा के प्रायः सरकारी निक्षेप रखे जाते हैं। इसके विदेशों में भी कार्यालय स्थापित करने का अधिकार है। इस बक को जापान में ऐसे स्थानों पर स्थानीय-कार्यालय स्थापित करने का अधिकार है जो विदेशी व्यापार और विनिमय काय करने के लिए प्रसिद्ध हैं।

यह बक येन (Yen) के ऐसे ऋण नहीं दे सकता है जो विदेशी-व्यापार तथा विनिमय काय से सम्बन्धित न हो।

4 जापान में विदेशी बक—जापान में सन् 1970 में 18 विदेशी बक काय कर रहे थे। इन बकों के प्रधान-कार्यालय तो विदेशों में होते हैं किंतु इनके कार्यालय व शाखाएँ जापान में हैं। इन विदेशी बकों को जापान में बक-कानून (The Bank Law) का अंतर्गत लाइसेंस लेना पड़ता है। ये बक जापान के अन्य बकों की भाँति येन में निक्षेप प्राप्त करते हैं और येन में ऋण भी देते हैं, किंतु इनका प्रमुख काय विदेशी विनिमय के क्षेत्र में है।

जापान में विदेशी विनिमय व्यवसाय में इन बकों का कोई महत्वशील स्थान नहीं है और देशी वित्त प्रबन्ध में भी इनका विशेष महत्व नहीं है।

जापान में निम्नलिखित विदेशी-बक हैं—

जापान में स्थित विदेशी बक	विदेशी बकों के प्रधान कार्यालय	देश जहाँ के हैं	स्थान जहाँ जापान में स्थित हैं
1 Bank of America N T and S A	सन फ्रांसिस्को	यू एस ए	टोकियो ओसाका कोबे योकोहामा टोकियो प्रतिनिधि कार्यालय
2 Wells Fargo Bank	सन फ्रांसिस्को	यू एस ए	

जापान में स्थित विदेशी बैंक	विदेशी बका के प्रधान कार्यालय	देश जहां वे हैं	स्थान जहां जापान में स्थित हैं
3 The American Express Company Inc	न्यूयार्क	यू एस ए	टोकियो
4 The Chase Manhattan Bank	न्यूयार्क	यू एस ए	टोकियो और ओसाका
5 The First National City Bank	न्यूयार्क	यू एस ए	टोकियो, ओसाका, कोबे और योकोहामा
6 Margan Guaranty Trust Company	न्यूयार्क	यू एस ए	टोकियो, प्रतिनिधि कार्यालय
7 Continental Illinois National Bank & Trust Company of Chicago	शिकागो	यू एस ए	टोकियो और ओसाका
8 The Merchantile Bank Ltd	लंदन	इंग्लंड	टोकियो और ओसाका
9 The Chartered Bank	लंदन	इंग्लंड	टोकियो ओसाका कोबे और योकोहामा
10 Bank of India	बंबई	भारत	टोकियो और ओसाका
11 The Hongkong & Shanghai Banking Corporation	हांगकांग		टोकियो ओसाका कोबे और योकोहामा
12 Banque de l'Indochine	पेरिस	फ्रांस	टोकियो
13 Deutsche Bank	फ्रैंकफर्ट में	प जर्मनी	टोकियो प्रतिनिधि कार्यालय
14 Commerz Bank	क्यूसलडफ	प जर्मनी	टोकियो प्रतिनिधि कार्यालय
15 Algemene Bank Niderland	एम्सटर्डम	नीदरलैंड	टोकियो ओसाका कोबे
16 Bank of Korea	सिओल	कोरिया	टोकियो ओसाका
17 Bangkok Bank	बंगकाक	थाइलैंड	टोकियो
18 Bank of China	पीकिंग	चीन	टोकियो, ओसाका

जापान के व्यापारिक बैंकों की विशेषताएँ
(Characteristics of Japanese Commercial Banks)

जापान के व्यापारिक बैंकों की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं, जिनके कारण वे कुछ अन्य देशों के व्यापारिक-बैंकों से भिन्न हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1 शाखा बैंकिंग प्रणाली—यूरोप के देशों की भाँति जापान में भी व्यापारिक बैंकों की शाखा प्रणाली (Branch Banking System) अपनाई गई है।

समस्त राज्य अमेरिका में बका की इकाई प्रणाली (Unit Banking) अपनाई गई है।

जापान में बका की शाखा प्रणाली काफी समय पूर्व से अपना ली गई है। प्रत्येक सिटी बक की राष्ट्रव्यापी शाखाएँ हैं। स्थानीय बैंक की भी अपने क्षेत्र में अनेक शाखाएँ हैं। द्वितीय विश्व युद्ध काल में एक क्षेत्र में एक बक की नीति अपनाई गई थी, किंतु अब य बड़े नगरों की अनेक अक्षरों का रूढ़ है।

2 केंद्रीय बक की सदस्यता—अनेक अक्षरों में व्यापारिक-बक, जापान के केन्द्रिय बक, बैंक ऑफ जापान के सदस्य हैं। अनेक पूरे देश में व्यापारिक-बकों की एक समान नीति है और उन पर नियंत्रण करना सरल है। इनके फलस्वरूप जनता को उद्युक्त वित्त सेवाएँ उपलब्ध हो जाती हैं बका में जमा करने की प्रवृत्ति अधिक लोकप्रिय हो गई है और लोगों का अधिक उपयुक्त ढंग से उपयोग होता है। मद्युक्त राज्य अमेरिका में समस्त बक फेडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य नहीं हैं। भारत में भी सूचीबद्ध बक (Scheduled Banks) और अ सूचीबद्ध बक हैं।

3 मिश्रित बैंकिंग (Mixed Banking)—विश्व के सभी देशों में व्यापारिक बक अल्पकालीन ऋण ही देते हैं। किंतु जापान में व्यापारिक बकों द्वारा अनेक वित्त वार्यों के अतिरिक्त, दीर्घकालीन ऋण देने की परम्परा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध काल से पूर्व ही जापान में यह विचारधारा जारी पकड़न लगी कि व्यापारिक बकों को केवल अल्पकालीन ऋण ही देने चाहिए और दीर्घकालीन ऋणों को विलकुल ही समाप्त कर देना चाहिए। अनेक अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्थाओं में अनेक की एक स्पष्ट रेखा खींचने के अनेक प्रयत्न किए गए।

वर्तमान समय (सन् 1970) में, जापान में व्यापारिक-बकों द्वारा प्रदान किए गये कुल ऋणों का लगभग 10% भाग एक बंधन अथवा अधिक समय के लिए होता है। यदि व्यापारिक-बकों के उन ऋणों को भी जोड़ दिया जाय जो औद्योगिक रूप में तो अल्पकालीन ऋण हैं किंतु जिनका नवीनीकरण कर दिया गया है अथवा जिनके भुगतान के समय में वृद्धि कर दी गई है तो यह प्रतिशत और भी अधिक ऊँचा हो जावेगा।

इसके अतिरिक्त जापान में व्यापारिक बक दीर्घकालीन-साल बकों के ऋण पत्रों (debentures) का अभिगान (under writing) भी करते हैं जो कि स्पष्टतः व्यापारिक बकों का कार्य नहीं है। सन् 1970 में जापान के व्यापारिक बकों के पास दीर्घकालीन-साल बकों के अल्पकालीन ऋणों का 30 प्रतिशत ऋण एक अक्षर और अल्पकालीन 50 प्रतिशत औद्योगिक-संस्थाओं के बीडस थे। इस प्रकार यहाँ के व्यापारिक बक जापान के शहर राजारों में बीडस के एक शक्तिशाली अभिगान दाता (subscriber) के रूप में महत्वशाली स्थान रखते हैं।

औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों का कि अपनी पूँजी में वृद्धि करते हैं उनसे लिए भी व्यापारिक बक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बक उनकी पूँजी और स्टॉक में हा

न केवल अभिमान करते हैं वरन् ऐसे सस्याना के लगभग 10 प्रतिशत अंश भी ले मत हैं ।

इस प्रकार जापान में व्यापारिक बैंक का देश के लीढ़कालीन वित्तीय अचल से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभावशील संपर्क रहता है । इसका प्रमुख कारण यह है कि जापान में पूजा बाजार अभी तक पर्याप्त विकसित नहीं है तथा व्यक्तिगत बचत विशेषतः व्यापारिक बैंक के पास ही जमा कराई जाती है । इन जमाओं में आधी से भी अधिक राशि समय निभरा (Time Deposits) में जमा की जाती है जिसमें लगभग 80% समय निक्षेप एक वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए हान हैं, अतः व्यापारिक-बैंक-दीर्घकालीन ऋण देने में समर्थ है ।

4 व्यापारिक बैंक अधिक ऋणी हैं—जापान के सिटी बैंक (व्यापारिक बैंक) बैंक आफ जापान के बहुत अधिक ऋणी हैं । इसका प्रमुख कारण यह है कि जापान में प्रत्येक नगर का औद्योगिक व व्यापारिक विकास बहुत हुआ है और जा रहा है । अतः उद्योगपतियाँ व व्यापारियों द्वारा ऋणों की भारी मांग सदैव रहती है । अतः, ये व्यापारिक बैंक अपनी शक्ति से अधिक साधन सृजन करने के पश्चात् भी वापा (funds) की कमी महसूस करते हैं । इसी को पूरा करने के लिए ये बैंक अपने नकद वापा की कमी पूरी करने के लिए बैंक आफ जापान के ऋणों पर अधिक निर्भर रहते हैं । वर्तमान समय में भी यही स्थिति है कि जापान के सभी व्यापारिक बैंक बैंक आफ जापान के बहुत ऋणी हैं ।

इन परिस्थितियों में जापान के सिटी बैंक के नकद कोष अन्य देशों के नकद कोषों की तुलना में बहुत कम होते हैं ।

5 ग्राहक-उद्यमियों से निकट का संपर्क—जापान के व्यापारिक बैंकों विशेषतः सिटी बैंको, की एक विशेषता यह भी है कि वे अपने ग्राहक-उद्यमियों (client enterprises) से बहुत निकट का सम्पर्क रखते हैं जबकि प्रायः अन्य देशों में ऐसा नहीं है । बड़े उद्यमी अनेक अनेक बैंकों में रखते हैं किन्तु परिपाटा के अनुसार वे किसी एक विशेष सिटी बैंक से बहुत अधिक निकट का सम्पर्क रखते हैं । द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् जबत्सु (Zaibatsu) नियंत्रण-कम्पनियाँ (holding companies) का पतन हो गया, अतः प्रमुख सिटी बैंक जो बड़े उद्यमियों के बैंकर के रूप में कार्य करते हैं अन्य बड़े उद्यमियों के व्यक्तिगत मामलों में महत्वशील स्थान रखते हैं ।

व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य

जापान में व्यापारिक बैंक बर्किंग कानून 1927' से शासित होते हैं । इस कानून में व्यापारिक बैंकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का भी विवरण है । इसके अनुसार इन व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य ये हैं—

- 1 निक्षेप स्वीकार करना
- 2 ऋण देना
- 3 प्रतिभूतियों में विनियोग करना,

- 4 ऋणी विनिमय का भाय करना
 5 विदेशी विनिमय का भाय करना और
 6 भाय सम्बन्धित भाय करना ।

1 निक्षेप स्विकार करना (Deposits)

जापान के व्यापारिक बन्को के कार्यनीय लोग म निक्षेप प्रत्यन महत्वपूर्ण स्रोत हैं । निक्षेप-खातो को न केवल नक् राशि स न डिट किया जाता है बल् चक बिल बीड-कूपन डिबिट वारट भायवा टाकपर के मनीम्राटरा जिनको गुरल राकड म बदला जा सकता है से भी कू डिट किया जाता है ।

जापान मे चालू पाते (Current Account) के प्रतिरिक्त सभी निक्षेप खातो पर ब्याज लिया जाता है । जापान म प्रस्यार्ई ब्याज दर समाधोजन कानून' (The Temporary Interest Rates Adjustment Law है जिसम विभिन्न अधिक्तम ब्याज की दरें निर्धारित की गई हैं । व्यवहार म इस कानून म निर्धारित अधिक्तम ब्याज दरें ही जापानी बक देते हैं । जापान म व्यापारिक बन निम्न प्रकार के खातो म अपने ग्राहकों से निक्षेप प्राप्त करते हैं—

1 चालू निक्षेप खाते—जापान मे चालू निक्षेप खाते (Current Deposit-Account) व्यापारिक बन्को के साधारणत खात हैं । समस्त व्यापारिक बन्कि व्यवहार (ऋण बिलो की कटौती राशि का हस्तांतरण चक बिलो का भुगतान आदि) ग्राहक के चालू खाते के माध्यम से ही किए जात हैं । चालू निक्षेप भांग पर देय होते हैं और इन पर सन् 1944 से ब्याज नहीं दिया जाता है । इनमे से केवल चको द्वारा ही राशि निकाली जा सकती है अथ किसी प्रकार से नहीं ।

2 साधारण निक्षेप (Ordinary Deposits)—चालू निक्षेपों की भाति साधारण निक्षेप भी भांग पर देय होते हैं । राशि निकालने के लिए चक का प्रयोग नहीं किया जाता है बल् पास बुक प्रस्तुत की जाती है और व्यक्तिगत सील (Personal Seal) जिस के छाप की रजिस्ट्री बक मे की जाती है के साधारण पर राशि निकाली जा सकती है । साधारण निक्षेप पर ब्याज दिया जाता है । सन् 1970 मे इन खातो पर ब्याज दर 2 28 प्रतिशत वापिक थी ।

कोई भी व्यक्ति बक म साधारण निक्षेप खाता खोल सकता है धन की राशि कितनी भी छोटी हो सकती है । इस प्रकार के खाते व्यक्तियों की धल्पवचत की प्राकषित करते हैं । व्यापारिक बन्को म व्यक्तिगत नामों के सन् 1970 मे लगभग 3 करोड खाते थे ।

छोटे उद्योगपति व व्यापारी जा चालू खाते नहीं खोलते हैं साधारण निक्षेप खाते खोलते हैं । बड़े उद्योगपति एव व्यापारी भी जिनके चालू खात ही होते हैं ब्याज क प्राकषण स साधारण निक्षेप खात खोल लेते हैं । निगम (Corporation) भी इस प्रकार के खाते खोल लेते हैं । समस्त साधारण निक्षेप खाता म कुल जमा राशि का लगभग एक तिहाई भाग निगमों के निक्षेप होते हैं ।

3 सूचना पर देय निक्षेप (Deposits at Notice)—जिन व्यापारिकों व उद्योगपतियों के पास अल्पकाल के लिए अतिरिक्त राशि होती है, उसको प्रार्थित करने के लिए सूचना पर देय निक्षेप खानों की सुविधा दी गई है। इस खात में निक्षेप स्वीकार करने के लिए व्यापारिक बचो ने निवेश की पूनव राशि निश्चित कर दी है। इस निक्षेप खाते में निवेश की तिथि से 7 दिन तक राशि नहीं निकाली जा सकती है। सात दिवस के बाद राशि निकालने के लिए कम से कम दो दिन की पूर्व-सूचना देनी होती है।

4 समय निक्षेप (Time Deposit)—जो निवेश पूर्व निश्चित समय के लिए कराए जाते हैं, वे समय निक्षेप कहलाते हैं। निश्चित समय से पूर्व, राशि को नहीं निकाला जा सकता है। इन निक्षेपों पर अग्र प्रकार के निक्षेपों की तुलना में अधिक ब्याज-दर दी जाती है। जापान में अधिकतम वचन निवेश इमी वग के है। इस खाते में 3 माह से कम के लिए निवेश स्वीकार नहीं किए जाते हैं। अधिकतम निक्षेप एक वर्ष की अवधि के हो सकते हैं। तीन महीने के निक्षेपों पर 4 प्रतिशत 6 महीने के निक्षेपों पर 5 प्रतिशत और एक वर्ष के निक्षेपों पर 5.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर दी जाती है।

जापान में साधारण निक्षेप के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार के समय निक्षेप भी व्यापारिक-बैंक द्वारा स्वीकार किये जाते हैं—

(i) प्रीमियम समय निक्षेप—ये श्रृंखलाओं (series) में निगमित किए जाते हैं और ब्याज के एक भाग को एकत्रित (pool) कर लिया जाता है, जिसका वितरण निक्षेपकों को कर दिया जाता है।

(ii) नामरहित समय निक्षेप—नामरहित (anonymous) समय निक्षेपों में यह विशेषता होती है कि निक्षेप प्रमाण-पत्र अथवा बैंक के रिक्वाड में कहीं भी जमाकर्ता का नाम अथवा पता नहीं लिखा होता है। जमाकर्ता को पहचानने के लिए, उसकी एक व्यक्तिगत सील (personal seal) होनी है जिसकी छाप (impression) की रजिस्ट्री बैंक में करा दी जाती है।

(iii) किरत समय निक्षेप—किरत-समय निक्षेप (instalment time deposits) या तो नियमित किरतों में अथवा पूर्व निश्चित राशि तक किरतों में जमा कराए जाते हैं।

भारत में साधारण समय निक्षेप के अतिरिक्त उपरोक्त में से किसी भी प्रकार के समय निक्षेप स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

5 किरत बचत खाता (Instalment Savings A/c)—किरत बचत खाते में या तो एक निश्चित राशि को एक निश्चित समय के लिए जमा कर दी जाती है [यह अवधि वितनी भी हो सकती है जस एक महीना आदि] अथवा एक निश्चित समय में पूर्व निश्चित अनेक किरतों जमा कराई जा सकती हैं। इस प्रकार के खात लाकप्रिय नहीं हैं।

6 कर भुगतान के लिए निक्षेप (Deposits for Tax Payments)—कर भुगतान के उद्देश्य से इस प्रकार के निक्षेप किए जाते हैं, और सिद्धांत-

रूप में, इतम में बेचल इस उद्देश्य के लिए ही रागिया निरानी जा सकती हैं। इन खाता में भी ब्याज दिया जाता है। वतमान ब्याज दर लगभग 3 प्रतिशत वार्षिक है। इस खाता में जमाया गया ब्याज प्रायः-वर से मुक्त रहता है।

7 विशिष्ट निक्षेप (Special Deposits)— इनको विविध निक्षेप (Miscellaneous Deposits) भी कहा जा सकता है। इस ढग में व समस्त निक्षेप प्राप्त हैं जा कि विभिन्न उद्देश्य के लिए होत हैं। वे बैंक जिन्हें स्टॉक भुगतान एजेंट नियुक्त कर दिया जाता है, उनके पास सामांश भुगतान कोष जमा करा गित जात हैं और ये बैंक आदेश के अनुसार सामांश भुगतान करत हैं। इसक अनिरीक्त इन बैंको के पास बौद्ध सविस कोष एवं सरकारी प्राय जमा व निग बैंक ऑफ जापान व एजेंट के रूप में भी कोष रहते हैं।

2 ऋण देना (Lendings)

यदि बैंकों द्वारा साख प्राप्त व पक्ष में निक्षेप प्राप्त करना प्रमुख व्यवसाय है तो साख विस्तार के पक्ष में ऋण देना भी प्रमुख काय है। बैंको की प्राय का प्रमुख स्रोत ऋणों से ब्याज प्राप्त करना है। जापान की अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन व विनियोगों पर बैंकों के ऋणों का महत्वशील योग है। बैंको द्वारा गिए जाने वाले ऋणों के 4 प्रमुख स्वरूप होत हैं— (i) बिलों की कटौती, (ii) बिलों पर ऋण (iii) प्रपत्रों पर ऋण, और (iv) अधिविकय (over-drafts)

व्यापारिक बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज-दरें सम्बन्धित बैंक और ग्राहक के मध्य आपसी समझौते से निश्चित की जाती है। किन्तु ये दरें The Temporary Money Rates Adjustment Law द्वारा निर्धारित दरों से कम होती हैं। य ब्याज दरें बैंक-दर से बहुत प्रभावित होती हैं।

(i) बिलों की कटौती (Bill Discount)—परिपक्वता (maturity) की तिथि तक के लिए बिल को बट्टे (discount) पर क्रय करना बिलों की कटौती कहलाता है। इन बैंको द्वारा मुख्यत व्यापारिक-बैंको की कटौती की जाती है। व्यापारियों द्वारा किये गये माल के मूल्य के निपटार के लिए निगमन किये गये विनिमय बिल (Bills of Exchange) अथवा प्रतिज्ञा-पत्र (Promissory Notes) को व्यापारिक बिल (Commercial Bills) कहते हैं। इन बिलों का अल्प अवधि में ही निपटारा कर दिया जाता है अतः व्यापारिक बैंको द्वारा ऋण देन के लिए सर्वोत्तम साधन समझे जाते हैं। तयार माल को (फुटकर व्यापारियों व अग्र व्यापारियों को पुनः विपन्न के उद्देश्य से) खरीदने के लिए ये बिल निगमित किये जात हैं। ऐसे बिलों को व्यापारिक बैंक बैंक ऑफ जापान से पुनःकटौती करा सकते हैं अथवा ऋण प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति के रूप में जमा करा सकते हैं।

बैंको द्वारा स्वीकृत बिल प्रपत्र बिल (documentary bills) जो जहाजी बिल्टी (Bill of Lading) अथवा गोदाम की रसीदों द्वारा सुरक्षित रहत हैं अन्य प्रकार के बिल हैं जिनकी व्यापारिक बैंक कटौती करते हैं।

(ii) बिलों पर ऋण (Loans on Bills)—ऋण लेने वाला व्यक्ति प्रतिज्ञा पत्र लिखता है जिसमें बैंक भुगतान को पाने वाला (Payee) होता है। ऐसे बिलों

(P/notes) की कमीती करने बक ऋण देते हैं। आजकल जापान में इस प्रकार के ऋण अत्यन्त प्रचलित एवं लोकप्रिय हैं। ऐसे ऋण निर्माताओं को प्रायः कायशील कोष प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। ये बिल प्रायः 2 या 3 महीने की अवधि के लिए होते हैं। किन्तु इन बिलों के नवीनीकरण के द्वारा अथवा अवधि को बढ़ाकर, दीर्घकालीन पूँजी की आवश्यकताओं को भी पूरा कर दिया जाता है।

(iii) प्रपत्रों पर ऋण (Loans on Deeds) — ऋण के बॉन्डों (bonds of debt) के विरुद्ध भी व्यापारिक-बक ऋण देते हैं। किन्तु इनका प्रचलन जापान में बहुत ही कम है क्योंकि बिना पर ऋण प्राप्त करने में सरलता होती है और वे हस्ताक्षर द्वारा हस्तातरित भी हो सकते हैं।

(iv) अधिविक्रय (Overdrafts) — अधिविक्रय समझौते के अंतर्गत, ग्राहक के चानू-बात के शेष में परे (beyond) एक निश्चित अवधि में तय की गई राशि तक बक उसके (ग्राहक के) चक्रों का भुगतान करना स्वीकार करता है। यह बक-साक्ष का लाचपूरण रूप है। यह एस ग्राहक के लिए अधिक उपयुक्त है जिसे सक्रिय नकद सौंपे अधिक करने पड़ते हैं।

यद्यपि योरोप के देशों तथा भारत में बैंक-साक्ष का प्रमुख रूप अधिविक्रय है किन्तु जापान के बैंक में यह अधिक लोकप्रिय नहीं है। इसका कारण यह है कि बक द्वारा बिलों के आधार पर जो ऋण लिए जाते हैं, उनके सम्बन्ध में इन बकों को यह सुविधा रहती है कि आवश्यकता पड़ने पर बक इन बिलों पर बक ऑफ जापान से ऋण प्राप्त कर सकते हैं अथवा पुनः कटौती करवा कर धन प्राप्त कर सकते हैं किन्तु अधिविक्रय देने की अवस्था में बक इस आधार पर धन की व्यवस्था नहीं कर सकते।

बिलों के आधार पर जो ऋण लिए जाते हैं उनकी अपेक्षा अधिविक्रयों पर व्याज दर अधिक होती है।

समपाशिवक प्रतिभूति (Collateral Security) — बिल-कटौती के अतिरिक्त लिये जाने वाले ऋणों के लिए बैंक प्रायः समपाशिवक प्रतिभूति मांगते हैं जो कि प्रायः व्यक्तिगत प्रतिभूति अथवा बैंक अथवा वास्तविक प्रतिभूति का कोई रूप हो सकती है। वास्तविक सम्पत्ति (real estate) जलयान अथवा फर्नीचर की सम्पत्ति (estate), वास्तविक-समपाशिवक के अधिक प्रचलित स्वरूप हैं। यदि ऋणी की साक्ष अनुपयुक्त होती है तो अधिकारियों (officers) की व्यक्तिगत जमानत, अथवा एसोसियेटेड कम्पनियों की जमानत अथवा साल-गारटी करने वाले पापद (association) द्वारा गारटी आवश्यक होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् से व्यापारिक-माल अथवा विनिमय-साध्य प्रतिभूतियों को समपाशिवक के रूप में बहुत कम उपयोग में लाते हैं। जापान में यह एक प्रचलित रीति है कि बक से ऋण लेने वाला के लिए यह आवश्यक है कि वह धन ऋण के एक भाग को उसी बैंक में अवधि निक्षेप अथवा सूचना पर देय निक्षेप (Time or notice deposits) के रूप में रखे।

ऋणों की बनावट (Composition of Lendings) — जापान में व्यापारिक बकों द्वारा लिए जाने वाले ऋणों का प्रायः सम्पूर्ण भाग व्यापारिकों व उद्योगपतियों

को दिया जाता है। इन निम्न व्यापारिक-बकों द्वारा व्यक्तियों (individuals), उपयोग ऋण और गृह ऋणों का लगभग 2 प्रतिशत भाग है। जापान के व्यापारिक-बकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की बनावट निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होगी है

ऋण जिसे दिए जाते हैं	व्यापारिक-बकों द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋणों का प्रतिशत
निर्माणी उद्योगों (Mfg. Industries)	50
घरेलू व्यापारी	28
यातायात विद्युत शक्ति जन-उपयोग उद्योग	5
मकान पुल आदि का निर्माण (Construction)	3
पुस्तक व्यापारी	3
सेवा (Services)	3
खनिज पत्थर (Mining)	2
अन्य	6

निर्माणी उद्योगों (manufacturing industries) में भी व्यापारिक बकों के कुल ऋणों का वस्त्र उद्योग (textiles) को 8 प्रतिशत रसायन उद्योग को 6 प्रतिशत लोहा एवं स्थापना उद्योग को 5 प्रतिशत विद्युत-मशीन उद्योग को 5 प्रतिशत खाद्य उद्योग को 4 प्रतिशत भाग ऋण होता है।

जापान में व्यापारिक-बकों द्वारा उद्यमों (enterprises) को दिए जाने वाले ऋणों को दो वर्गों में बाटा जा सकता है—प्रथम काय-संचालन (operation) के लिए ऋण और द्वितीय उपकरणों (equipment) के लिए ऋण। उपकरणों के लिए दिए जाने वाले ऋण लगभग 10 प्रतिशत होते हैं। व्यवहार में काय-संचालन के लिए दिये गये ऋण का अधिकांश भाग उपकरणों के लिए उपयोग में लिया जाता है। यदि इस तथ्य पर ध्यान दिया जाय तो स्पष्ट होगा कि उपकरणों के लिए दिये जाने वाले ऋणों का या तो नई मशीनों के लगाने के लिए अथवा नई फक्टोरिया के लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।

जापान में व्यापारिक माल अथवा कच्चे माल की खरीदन के अधिकांश सौदे बिलों (bills) द्वारा निबटारे जाते हैं और ऐसे अधिकांश बिल विक्रेता द्वारा बैंक के पास नकद राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से लाये जाते हैं। उत्पादन के लिए भी बकों से ऋण लिए जाते हैं। काय-संचालन के लिए बैंक से ऋणों को माघ में चौसठवीं बट्टि होती है क्योंकि जापान में व्यापारिक सौदों के निबटारने के काल (periods) माघ सितम्बर व नवम्बर के माह होते हैं और तिमाहों द्वारा भुगतान निबटारे के जून और दिसम्बर माह हैं। इन महीनों में बकों से ऋणों की माग में विशेष वृद्धि होती है।

जापान के व्यापारिक बैंक द्वारा प्रदान किए गये ऋणों के ऋणियों के सब्र में भी एक उल्लेखनीय बात है। व्यापारिक बैंक द्वारा प्रदान किये गये ऋणों का लगभग 65 प्रतिशत भाग एम्पे उद्यमों (enterprises) को दिया जाता है जिनकी पूंजी। कर्पोरेट येन व इससे अधिक है और शेष भाग छोटे उद्यमों को दिया जाता है। बड़े उद्यमों मुख्यतः मिट्टी बैंक से ऋण लेते हैं और छोटे उद्यमों स्थानीय-बैंक (local banks) से।

3 प्रतिभूतियों में विनियोग (Securities Investment)

जापान के व्यापारिक-बैंक प्रतिभूतियाँ में भी विनियोग का कार्य करते हैं किन्तु इनका ओर ये बैंक अधिक आकर्षित नहीं होते हैं। इन व्यापारिक बैंक की कुल संपत्तियाँ (Total Assets) का लगभग 10 प्रतिशत भाग जोकि बहुत कम है इन प्रतिभूतियों में विनियोग है। व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों में कम विनियोग के प्रमुख कारण ये हैं—

- (i) द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् सरकार ने इन प्रतिभूतियों (बॉन्ड डिबैंचर आदि) पर व्याज दरें निश्चित कर दी है जो कि बहुत कम हैं।
- (ii) इन प्रतिभूतियों में लोच का अभाव है।
- (iii) जापान में प्रतिभूतियों का बाजार अभी तक पूर्ण विकसित नहीं है अतः इनको बहुत सुगमता से बेचा नहीं जा सकता है।

किन्तु व्यापारिक बैंक प्रतिभूतियों में भी विनियोग करते हैं जिसके कारण निम्नलिखित हैं—

- (i) निर्गमन करने वाली कम्पनी से जिन व्यापारिक-बैंक के सब्सक्राइबर्स अधिक घनिष्ठ व निकट के होते हैं, वह उसके या उनके ऋण-पत्र बॉन्डों व अशा आदि प्रयत्न कर लेता है।
- (ii) सरकार द्वारा प्रायत्न करने पर सरकार द्वारा गारंटी किये गये बॉन्डों को, व्यापारिक-बैंक खरीदने में कुछ उत्साह दिखाते हैं।
- (iii) व्यापारिक-बैंक द्वारा बैंक ऑफ जापान से ऋण लेने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों, सरकार द्वारा गारंटी किये गये बॉन्डों, वका व ऋण-पत्र स्थानीय सरकार व औद्योगिक बॉन्डों आदि को बैंक ऑफ जापान से ऋण देने के लिए उपयुक्त जमानत मानना है।
- (iv) बैंक आफ जापान अपनी खुले बाजार की क्रियाओं के अन्तर्गत उपरोक्त में से कुछ को खरीद लेता है।
- (v) सरकारी प्रतिभूतियाँ स्थानीय प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटी किये गये बॉन्डों के प्रतिगमन (underwriting) के लिए व्यापारिक बैंक अधिकृत हैं। यह उम्मेदनीय है कि जापान में व्यापारिक-बैंक माध्यमता या जमा कम्पनी के पूंजी प्रवाहों के अभाव, व्यापारिक बॉन्डों का प्रतिगमन नहीं कर

हैं किंतु इनका एक घटक है। यदि व्यापारिक बचत दा गनों को पूरा करें तो इनका भी अभिगोपन कर सकत हैं—प्रथम, व्यापारिक बचत कम्पनी के सम्पूर्ण नियमन (entire 1980) अर्थात् सभी घणा को स लें, और द्वितीय, इस दशा में व्यापारिक बचत इन घणा का पुन विप्रय जनता को नहा कर सकता।

4 देशी विनिमय का काय

(Domestic Exchange Business)

देशी विनिमय के काय (Domestic Exchange Business) से आशय है विभिन्न शत्रा (localities) में काया का स्थानान्तरण (धन का भेजने और एकत्रित करने) के काय में व्यापारिक बचत द्वारा मध्यस्थ कर रूप में काय करना। इस बणिग का काय का द्वारा ग्राहक विलम्ब से बच जात हैं और धन का भौतिक रूप में हस्तांतरण करने में जो जोखिम व्यय और अमुविधाएँ होती हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है।

जापान में भी व्यापारिक बचत अपने ग्राहकों के धन को उनकी प्रायना के अनुसार चार प्रकार से स्थानांतरित करता है—(i) ग्राहकों को बैंक ड्राफ्ट देकर (ii) तार द्वारा भुगतान कराना, (iii) पाने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करके। इसके लिए धन भेजने वाला बचत पाने-वाले व्यक्ति के क्षेत्र में जिम बैंक में उस व्यक्ति का खाता है उसे उस व्यक्ति का खाता उस राशि से क्रेडिट करने का निर्देश दे देता है, और (iv) पाने वाले व्यक्ति के खाते में राशि क्रेडिट करने का तार द्वारा निर्देश देकर।

इसके अतिरिक्त व्यापारिक बचत अपने ग्राहकों के विनिमय बिलों चको, लाभांश वारंट और अन्य अनेक प्रकार के प्रपत्रों की धन राशि एकत्र (collect) करके उनका खाते में जमा कर देता है।

5 विदेशी विनिमय का काय

(Foreign Exchange Business)

जापान में विदेशी विनिमय का काय करने के लिए व्यापारिक-बचत को (विदेशी विनिमय नियंत्रण कानून के अधीन) वित्त मंत्रालय से अधिकृत विदेशी विनिमय-बचत के रूप में लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। व्यापारिक बैंकों के अतिरिक्त लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् दीर्घ-कालीन-साल बैंक व विदेशी बैंक भी विदेशी विनिमय का काय करत हैं।

ये अधिकृत विदेशी बैंक, उनके द्वारा किए जाने वाले विनिमय के किये जाने वाले कार्यों के स्वभाव के अनुसार दो वर्गों—A वर्ग और B वर्ग में विभक्त हैं। इन विदेशी विनिमय बैंकों में राष्ट्रियता के आधार पर भी अंतर किया जाता है—जापान देश के विदेशी विनिमय बैंक और अन्य देशों के बैंकों की जापान में शाखाएँ।

इस समय जापान में जापान देश के A वर्ग के 12 विदेशी बैंक काय कर रहे हैं, जिनमें 1 तो बचत बैंक टोकियो है (जो कि विशिष्ट विनिमय बैंक है), 10 सिटी

बैंक और एक दीघकालीन साव्य बैंक है। जापान में अन्य देशों के बैंकों की 14 शान्ताएँ हैं जो सभी A वग के विदेशी विनिमय बैंक हैं। B वग के लगभग 50 विदेशी विनिमय बैंक हैं जिनमें सिटी बैंक और दीघकालीन साव्य बैंक सम्मिलित हैं।

6 अन्य कार्य

अन्य देशों के व्यापारिक बैंकों की भाँति जापान के व्यापारिक बैंक भी अन्य प्रकार के कार्य भी करते हैं, जैसे लैटर ऑफ़ क्रॉडि निगमन करना, ग्राहकों की वस्तुओं सुरक्षित रखना, गारंटी देना अपने ग्राहकों को मदद देना आदि।

विशेष टिप्पणियाँ

- 1 जापान में व्यापारिक बैंक 'बैंक लॉ 1927' से शामिल होते हैं।
- 2 व्यापारिक बैंक, बैंक से संबंधित कार्यों में अनिश्चित अन्य कोई कार्य व्यापार अथवा व्यवसाय नहीं कर सकते हैं।
- 3 व्यापारिक बैंक ट्रस्ट सम्बन्धी कार्य कर सकते हैं। अन्य देशों के व्यापारिक बैंकों का यह कार्य करने की अनुमति नहीं है। जापान में व्यापारिक बैंकों को ट्रस्ट सम्बन्धी कार्य करने की अनुमति सन् 1943 से दी गई है किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् से उन्होंने यह कार्य करना प्रमत्त बन्द कर दिया है। जापान में सन् 1970 में केवल एक ही व्यापारिक बैंक था जो ट्रस्ट सम्बन्धित कार्य कर रहा था। अन्य बैंक यह कार्य नहीं करते हैं।
- 4 जापान में व्यापारिक बैंक साधारण बचत खातें नहीं रखते हैं। हाँ वे किशन-बचत खाते (Instalment Savings Account) रख सकते हैं।
- 5 जापान में लगभग 80 समाशोधन-गृह (Clearing houses) हैं, जिनमें से कुछ स्वतंत्र सम्प्राएँ हैं कुछ बैंक-एंगोसिएशन के अङ्ग के रूप में कार्य करते हैं।
- 6 जापान में व्यापारिक बैंक अपने कार्यों में राष्ट्रीय हित को प्रधानता देते हैं।
- 7 जापान के आर्थिक विकास में वहाँ के व्यापारिक बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है।

बैंक ऑफ़ जापान से सम्बन्ध (Relations with the Bank of Japan)

बैंक ऑफ़ जापान देश का केंद्रीय बैंक है। अतः व्यापारिक बैंकों का बैंक ऑफ़ जापान से बहुत निकट का सम्बन्ध है। बैंक ऑफ़ जापान देश के 'बैंक का बैंकर' है।

व्यापारिक-बैंकों का बैंक ऑफ़ जापान के साथ आधारभूत व्यापारिक सम्बन्ध है। व्यापारिक-बैंकों के बैंक ऑफ़ जापान के साथ विशेष ऋण बिलों की कटौती एवं प्रतिभूतियों के अन्य विवरण से संबंधित व्यवहार मुख्यतः होता है। यहाँ के समाशोधन और देशी विनिमय से सम्बन्धित व्यवहार भी किए जाते हैं।

उपरोक्त व्यापारिक-व्यवहारों के माध्यम से बैंक ऑफ़ जापान अपनी मौद्रिक नीति का प्रचालन करता है। इसके लिए बैंक दर नीति (जो कि ऋण

के सीमा पर आधारित है), मुद्रा बाजार की क्रिया (जो कि प्रतिभूतियाँ के क्रय विश्रय के सौदा पर आधारित है) और रिजर्व निक्षेप (जो निम्न व्यवहारा पर आधारित हैं) साधन काम में लाता है। इन साधनों के पूरक के रूप में बैंक ऑफ़ जापान द्वारा, व्यापारिक बैंकों को पिढकी निर्देशन (window guidance) भी दिया जाता है। अन्य देशों की तुलना में यहाँ व व्यापारिक बैंक अपने केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ़ जापान के काफी अधिक मात्रा में ऋणी रहते हैं।

व्यापारिक-बैंक के प्रशासन अधिकारियों का भी बैंक ऑफ़ जापान से निरन्तर सम्बन्ध रहता है। व्यापारिक-बैंक के अध्यक्ष (President) बैंक ऑफ़ जापान के गवर्नर के प्रायः परामर्शदाता नियुक्त कर लिए जाते हैं। व्यापारिक बैंक के अधिवशना को प्रायः बैंक ऑफ़ जापान का गवर्नर संबोधित (address) करता है।

सम्बन्धित व्यापारिक-बैंक के साथ सम्भोजित के अनुसार बैंक ऑफ़ जापान प्रत्येक व्यापारिक के सम्बन्ध में जांच करता है जिसका उद्देश्य बैंक के व्यवसाय का निरीक्षण मात्र ही नहीं होता किंतु बैंक के व्यवसाय के विकास की दृष्टि से निर्देशन देना भी होता है।

इस प्रकार व्यापारिक-बैंकों का बैंक ऑफ़ जापान से केंद्रीय बैंक के रूप में बहुत महत्वशील सम्बन्ध है।

सरकार का पयवेक्षण एवं निर्देशन (Govt Supervision and Guidance)

जापान के व्यापारिक बैंकों पर सरकार का पयवेक्षण एवं निर्देशन बैंकों के अधीन है। सरकार यह कार्य वित्त मंत्रालय के माध्यम से करती है। इस कानून में बैंकों की स्थापना एवं संगठन के सम्बन्ध में विस्तृत प्रावधान हैं किंतु इन बैंकों की व्यापारिक क्रियाओं के सम्बन्ध में सरकार मांग प्रदर्शन करती है। वित्त-मंत्रालय व्यापारिक बैंकों का निम्नलिखित प्रमुख बातों में पयवेक्षण व निर्देशन करती है—

1 कार्यालय सम्बन्धी—जापान के बैंक ला के अनुसार किसी नये व्यापारिक बैंक की स्थापना अथवा बैंक कार्यालय की स्थापना के लिए वित्त मंत्रालय का अनुमोदन (approval) आवश्यक है। बैंक व निक्षेप एवं अन्य व्यापारिक क्रियाएँ बहुत कुछ सीमा तक इसके कार्यालयों की संख्या एवं उनके वितरण पर निर्भर हैं, अतः बैंक कार्यालयों की स्थापना पर सरकार का नियंत्रण होने से व्यापारिक बैंकों की क्रियाओं पर नियंत्रण करना अधिक सरल है। व्यापारिक बैंकों में पारस्परिक अनाधिक प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए सरकार प्रायः इस अधिकार का प्रयोग करती है।

2 अन्य अधिकार—बैंकों की स्थापना के अतिरिक्त, बैंकों के एकीकरण अथवा समापन (amalgamation or dissolution) बंकिंग व्यवसाय के बन्द करने (discontinuation) बैंक के अधिकारियों द्वारा बंकिंग क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य कार्य करने आदि के लिए भी, बैंक ला के अधीन वित्त मंत्री का अनुमोदन आवश्यक है। वित्त मंत्री को यह अधिकार है कि वह व्यापारिक-बैंकों से उनके व्यापार

से सम्बन्धित एक वित्तीय दशाघ्रा के विषय में रिपोर्ट माग और उनका निरीक्षण किसी भी समय कर सके ।

इनके अतिरिक्त वित्त मंत्री यदि उचित समझे तो वह किसी भी व्यापारिक बैंक को कुछ समय तक बाध करने से रोक सकता है । यदि बैंक ने कोई अवधानिक बाध किया है तो उसके सम्बन्ध में आदेश दे सकता है । यदि बैंक सम्पत्तिया (assets) निरन्तर कम हानी जा रही हों तो जमा-वृत्ताघ्रा के हित की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है ।

3 व्यय व आय का अनुपात निश्चित करना—अच्छे बैंकिंग प्रबंध के लिए सन् 1949 से यह प्रणाली अपनाई गई है । चालू-व्यय (जसे निक्षेपों पर व्याज व्यक्तिगत व्यय, कार्यालय व्यय आदि) और चालू आय में एक निश्चित अनुपात निर्धारित कर दिया जाता है । वर्तमान समय में चालू आय और चालू व्यय का 100/78 का अनुपात निर्धारित किया गया है ।

4 निक्षेप व ऋणों का अनुपात निश्चित करना—बैंकों की तरलता में वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार बैंकों को उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के अनुपात को निश्चित कर देती है ।

5 अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में—व्यापारिक-बैंकों को अपने व्यापार के लिए अचल सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए भी वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करना होता है । इसका उद्देश्य यह है कि बैंक अपने वित्तीय-साधना को अचल संपत्ति की भार अधिक न मोल सकें । कोई भी व्यापारिक-बैंक अपनी पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक भाग को व्यापार के लिए अचल संपत्ति में नहीं लगा सकता है ।

6 लाभांश एवं वेतन श्रृंखला—इस समय कोई भी व्यापारिक बैंक प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत से अधिक और मिटा बैंक 9 प्रतिशत से अधिक लाभांश नहीं दे सकते । ये अधिकतम सीमाएँ हैं । इसी प्रकार बैंक के कर्मचारियों को निश्चित वेतन श्रृंखलाओं में बतन दिया जाता है ।

इस प्रकार सरकार के प्रभावशाली नियंत्रण से जापान के व्यापारिक बैंक भुक्त नहीं रह सके हैं ।

कृषि, वन-कर्म एव मछुआ-कर्म के लिये वित्तीय सस्थाए (FINANCIAL INSTITUTIONS FOR AGRICULTURE, FORESTRY & FISHERY)

कृषि वन-कर्म एव मछुआ कर्म के वित्त की विशेषताए

जापान में कृषि वन कर्म एव मछुआ कर्म प्राथमिक उद्योग (primary industries) हैं। जापान की अर्थ व्यवस्था में इन प्राथमिक उद्योगों का महत्व कम होता जा रहा है क्योंकि अर्थ उद्योगों के आधुनीकरण एव विकास की ओर जापानी अर्थ व्यवस्था अग्रसर हो रही है। कायशीन जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत भाग इसी प्राथमिक उद्योगों में अभी भी लगा हुआ है और य उद्योग राष्ट्रीय आय का 10 प्रतिशत भाग प्रदान करते हैं। कृषि जा कि प्रमुख प्राथमिक उद्योग है छोटे-छोटे फार्मों में की जाती है और उनकी उत्पादकता एव आय का स्तर आधुनिक औद्योगिक अर्थ व्यवस्था से कहीं कम है। अतः कृषि के आधुनीकरण की ओर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। सरकार कृषि उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने एव प्रोत्साहित करने की नीति अपना रही है।

अतीत काल से जापान में कृषि छिपी हुई बेरोजगारी को दूर करने में काफी सहायक सिद्ध हुई है। दश में औद्योगीकरण के साथ ही कृषि फार्मों में जन शक्ति कम होती गई। सन् 1957 और 1962 की अवधि में कृषि एव वन-कर्म में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगभग 20-25 लाख व्यक्तियों की कमी हुई है। इस उद्योग में जन शक्ति का कमी एक चिंतावनी सिद्ध हुई अतः कृषि फार्मों के आधुनीकरण की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य होता पड़ा।

जापान का प्रमुख कृषि-उत्पाद चावल है। जापान के कुछ कृषि-उत्पादों का उत्पादन में चावल का मुख्य भाग लगभग 50 प्रतिशत है। यद्यपि पिछले 20 वर्षों में जापान में भाव-उत्पादों में विभिन्नता आने लगी है किन्तु फिर भी चावल आज भी वहाँ प्रमुख उत्पाद है। अतः जापान में अतिवाय प्रणाली के अंतर्गत चावल का अर्थ

'खाद्य पदार्थ नियंत्रण विशेष खात (Foodstuff Control Special Account) के माध्यम से किया जाता है।

कृषि की इन विशेषताओं (अथवा लक्षणा) का प्रभाव इसके वित्त पर पड़ा है। कृषि की साव्य भ्रमता क्षीण होने के कारण, व्यापारिक बकों व अग्र वित्तीय सस्याओं से कृषि को ऋण प्राप्त करने में कठिनाई प्रतीत होती है। कृषि के आधुनीकरण के कारण, इस क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋणों की मांग में वृद्धि हुई है। जापानी कृषि की चावल पर निर्भरता के कारण मुद्रा की मांग का स्वभाव मौसमी (seasonal) है। वसंत एवं शीत काल के मध्य, चावल बोने के समय फार्मों की अग्र बहुत कम हो जाती है और वित्त की मांग बहुत बढ़ जाती है। इन विशेषताओं के कारण जापान में कृषि (वन-कम व मत्स्यकम जिनमें लगभग ऐसी ही समान दशाएँ हैं) के लिए विशिष्ट वित्तीय सस्याएँ या तो सरकार ने सगठित की हैं अथवा सरकार द्वारा पोषित सस्याएँ स्थापित हुई हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जापान में इन उद्योगों के वित्त प्रबंध के लिए विनाय वित्तीय-सस्याएँ स्थापित की गईं। इस समय, इस क्षेत्र में विनाय प्रबंध के लिए सहकारिता से मिलती जुलती विशिष्ट वित्तीय सस्याएँ और सरकारी-सस्याएँ कार्य कर रही हैं।

जापान में इन सहकारी वित्तीय सस्याओं के तीन समूह हैं—कृषि, वन-कम व मत्स्यकम प्रत्येक के लिए एक समूह। प्रत्येक समूह तीन श्रेणी प्रणाली (three tier system) में सगठित है। गाव अथवा कस्बे के स्तर पर सहकारी समिति, उनके ऊपर इन सहकारी समितियों का फ़रेशन और उनके ऊपर कृषि एवं वन कम बँके के 'द्रीय सरकारी समिति बँके' (Central Cooperative Bank of Agriculture and Forestry)। यह केंद्रीय बैंक सम्पूर्ण देश के लिए केंद्रीय सस्या है।

उपरोक्त सगठना के पूरक के रूप में सरकार एवं स्थानीय निकाय (local public bodies) कृषि वन कम व मत्स्यकम को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सन् 1956 में सरकार ने इनको आर्थिक सहायता प्रदान करना कम कर लिया और इसके स्थान पर क्रमों की मात्रा में वृद्धि कर ली। इन प्राथमिक उद्योगों को सरकारी सहायता प्रदान करने में कृषि वन-कम और मछली कम वित्त निगम (Agriculture, Forestry and Fisheries Corporation) का महत्वपूर्ण योग है।

व्यापारिक बैंक व अग्र वित्तीय-सस्याएँ भी बड़े पमानों के उद्योगों को थोड़ी बहुत मात्रा में वित्त प्रदान करती हैं। कृषि क्षेत्र में सहकारी वित्तीय सस्याओं का वित्त प्रदान करने में लगभग 70 प्रतिशत भाग है और 20 प्रतिशत सरकारी वित्तीय सस्याओं का। वन कम व मछली कम की सस्याओं को वित्तीय-सस्याएँ लगभग 50 प्रतिशत भाग वित्त प्रदान करती हैं।

सन् 1960 से 1970 के दस वर्षों में कृषि, वन-कम व मछली-कम की सस्याओं को समस्त वित्तीय सस्याओं द्वारा दिए गये ऋणों की मात्रा में पाँच गुनी से

भी अधिक वृद्धि हुई है। सरकारी वित्तीय सस्यामा की अपेक्षा सहकारी वित्तीय सस्यामा द्वारा लिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार ग्राम वित्तीय सस्थाएँ जो कृषि को ऋण देती हैं उनके ऋण में भी कमी आई है।

1 कृषि सहकारिताएँ ✓

(Agricultural Co-operatives)

कृषि के लिए वित्तीय सस्यामा में कृषि-सहकारिताएँ आधार हैं। यद्यपि कृषि क्षेत्र में सहकारी आंदोलन का इतिहास पुराना है किंतु वर्तमान कृषि-सहकारितामा की स्थापना कृषि सहकारिता कानून 1947 (Agricultural Co-operatives Law) के अंतर्गत हुई है।

कृषि सहकारी समिति सिद्धांततः अपने सदस्यों से ही व्यवहार करती है। ये समितियाँ मुख्यतः ये कार्य करती हैं—

(i) ऋण प्रदान करना—ग्राम देशों की भाँति जापान में भी कृषकों को अल्प कालीन व दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। खाद व कृषि से संबंधित रासायनिकों अर्थात् बीज आदि के क्रय के लिए जापानी कृषकों को विशेषतः अल्प कालीन ऋणों की आवश्यकता होती है। भूमि में स्थायी सुधार अर्थात् पशुओं को खरीदने और आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए प्रायः दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। ये कृषि सहकारिताएँ इन कृषकों की अल्पकालीन व दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करती हैं।

(ii) क्रय एवं विक्रय—अनेक समितियाँ अपने सदस्यों की कृषि उपज का क्रय करती हैं तथा उनका विपणन करती हैं। इससे कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल जाता है एवं उनका शोषण (जसा कि भारत में होता है) नहीं हो पाता।

(iii) फसल का बीमा—कुछ समितियाँ अपने सदस्यों की फसल का प्राकृतिक आपदाओं व फसल का कीड़ा से नष्ट होने के विरुद्ध बीमा भी करती हैं।

(iv) निक्षेप प्राप्त करना—कृषि सहकारी नियम (1947) में इन सहकारी समितियों को अपने सदस्य कृषकों से निक्षेप प्राप्त करने का अधिकार दिया है। इस कानून के अंतर्गत ये समितियाँ निक्षेप प्राप्त करती हैं। ये समितियाँ अपने सदस्य बकों की बचत को आकर्षित करती हैं। ग्राम बकों की अपेक्षा ये समितियाँ निक्षेप पर 0.25 प्रतिशत अधिक ब्याज देती हैं। जापान में सरकार चावल का क्रय अनिवार्य क्रय-योजना (compulsory purchasing system) के अंतर्गत करती है और चावल व जौ का क्रय असीमित क्रय योजना (unlimited purchasing system) के अंतर्गत करती है। इन योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा क्रय किये गये अनाज के मूल्यों के अधिकतम भाग का मुगलान इन समितियों व माध्यम में होता है अतः ग्राम राशि भी इन समितियों की कार्यशैली में ही कायम रहती है।

इन समितियों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर अलग अलग-मिति अलग अलग ब्याज दरें चाज करती हैं किन्तु साधारणत एमी ब्याज दर 10 प्रतिशत वार्षिक है।

इन िनों इन समितिया द्वारा िए जाने वाले अलग-कालीन ऋणों का महत्व कम होता जा रहा है क्वाकि इन आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकांशत कृषक अपने साधनों स ही पूर्ति करते हैं। अत इन िना अधिकांश दीघकालीन ऋणों की माग है।

सन् 1962 म जापान मे कृषि सहकारिताग्रा की मख्या लगभग 11 हजार थी, और सन् 1970 म इनकी मख्या लगभग 6,500 थी। सन् 1970 म सख्या की दृष्टि से इनकी मी हुई है किन्तु क्रिया-क्षेत्र की दृष्टि से वृद्धि हुई है क्वाकि इम अवधि म अनेक कृषि-सहकारिताग्रा का एकीकरण (amalgamation) हुआ है। इन समितिया की कुल मदम्य सख्या लगभग 60 लाख है जिसक अन्तगत जापान के लगभग 90 प्रतिशत कृषि-परिवार सम्मिलित हैं। जापान म कृषि-सहकारिताग्रा क विकास इम तथ्य स भी स्पष्ट होता है कि जापान के प्रत्येक गाव व कस्बे मे एक य अधिक सहकारी-कृषि समिति है। ✓

2 कृषि सहकारिताग्रा के साख सघ

(Credit Federations of Agricultural Co-operatives)

सन् 1970 मे जापान मे कृषि-सहकारिताग्रा के 46 साख-सघ (Credit Federations) थे। इनमे से टोकियो और होकडा प्रत्येक के लिए एक एक है। शेष 44 साख-सघ प्रत्येक प्रशासकीय क्षेत्र के लिए है।

इन साख-सघा का गठन क्षेत्र की कृषि-सहकारिताग्रा द्वारा जापान के कृषि सहकारिता कानून 1947 के अन्तगत किया जाता है। अत समस्त कृषि सहकारिताग्रा अपने-अपने क्षेत्र के साख-सघ के मदम्य हैं।

ये साख सघ साख व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कोई काय नहीं कर सकते। अत इन सघों का प्रमुख काय सदस्य कृषि सहकारिताग्रा व अन्य सदस्यों से निक्षेप प्राप्त करना एव उहे ऋण प्रदान करना है। इनके कुल निक्षेप का लगभग 80 प्रतिशत भाग सदस्य-सहकारिताग्रा से प्राप्त होता है और शेष अन्य सन्स्यों से। ये सघ समय निक्षेप (Time Deposits) व माग-पर-देय निक्षेप स्वीकार करते हैं। इन निक्षेपों म अग्रिवांश निक्षेप समय निक्षेप होते हैं। अनुमान है कि इन सघों के कुल निक्षेपों के 80 प्रतिशत निक्षेप समय निक्षेप ही हैं।

ये साख सघ अपनी सदस्य सहकारिताग्रा व अन्य वित्तीय संस्थाओं को ऋण प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये बिला की कटौती व प्रतिमतियों का क्रय भी कर सकते हैं।

3 वन कम के लिए सहकारी वित्तीय संस्थाए

(Co operative Financial Institutions for Forestry)

जापान म कुल राष्ट्रीय वन समाघना का लगभग 40 प्रतिशत भाग सरकार व स्थानीय निकाया (local bodies) के अधिकार मे है। कुछ वन-क्षेत्र व्यक्तिगत

अधिकार में हैं। जापान के वन-वातून के अन्तर्गत इस समय वहाँ लगभग 4 हजार वय सहकारिताएँ हैं और इन वय सहकारिताओं के 46 सघ (federations) हैं। कृषि एवं मछली सहकारिताओं एवं उनके सघों की तुलना में वय सहकारिताएँ व उनके सघ-सदस्य-संख्या कायशील पूँजी शक्ति की दृष्टि से काफी कमजोर हैं। साल से सम्बन्धित बायों में इनका काय केवल ऋण देने तक ही सीमित है। ये अपने सदस्यों की बचत को एकत्रित नहीं कर सकते। इनके सघों द्वारा अपनी सदस्य सहकारिताओं को ऋण दिए जाने की माँग बहुत कम है। ये सहकारिताएँ व सघ मुख्यतः कृषि व वन-कर्म का केन्द्रीय सहकारी बँक से ऋण प्राप्त करते हैं।

4 कृषि व वन-कर्म का केन्द्रीय सहकारी बँक (The Central Co-operative Bank of Agriculture & Forestry)

स्थापना व पूँजी—जापान में सन् 1923 में औद्योगिक सहकारिताओं की केन्द्रीय बंकिंग संस्था के रूप में सेंट्रल बँक ऑफ इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिंस की स्थापना हुई थी। किन्तु 20 वर्षों के बाद सन् 1943 में इस बँक का पुनः नामकरण 'सेंट्रल को-ऑपरेटिव बँक ऑफ एग्रोकल्चर एण्ड फोरस्ट्री' कर दिया गया और कृषि, वन-कर्म व मछली-कर्म की सहकारी वित्त की केन्द्रीय संस्था के रूप में कार्य करने के लिए इसके बायों में भी परिवर्तन कर लिया गया। इस प्रकार इस रूप में यह बँक 1943 से काय कर रहा है। इस सहकारी बँक की स्थापना सेंट्रल को-ऑपरेटिव बँक ऑफ एग्रोकल्चर एण्ड फोरस्ट्री ला के अन्तर्गत की गई है।

इस समय इस बँक की प्रदत्त पूँजी 32 बिलियन येन है। यह पूँजी कृषि वन-कर्म व मछली-कर्म में लगे हुए निजी निकाया (private bodies) द्वारा प्रदान की गई है। इसका दायित्व सीमित है।

शाखाएँ—इस समय इस केन्द्रीय सहकारी बँक की कुल 26 शाखाएँ हैं जो कि समस्त देश में फैली हुई हैं। काय के आकार की दृष्टि से इस केन्द्रीय सहकारी बँक की तुलना मिटा बँक से की जा सकती है।

काय—इस केन्द्रीय सहकारी बँक में प्रमुख काय निम्न स्वीकार करना (समय-निक्षेप व माँग पर दाय-निक्षेप) इसके ऋण पत्रों का नियमन करना ऋण प्रदान करना अन्तर-राज्य मुद्रा-हस्तांतरण करना शामिल है। इनके अतिरिक्त यह बँक एजेंडा संबंधित काय भी करता है।

1. निक्षेप स्वीकार करना—यह केन्द्रीय बँक मान्यता प्राप्त संगठना (बाह्य व सहाय्य हो संपत्ति में हों) तथा वाणिज्यिक और अन्य संस्थाओं में निक्षेप प्राप्त करता है। सहाय्य संस्थाएँ किन्तु स सम्बंधित हैं। इन बँक में कुछ निक्षेपों का समय-निक्षेप 80 प्रतिशत नियमन प्रदान करती हैं। अधिकांश निक्षेप समय-निक्षेप (time deposit) होते हैं। एक महीने के निक्षेप पर प्रायः 5.75 प्रतिशत तक वार्षिक व्याज दिया जाता है। यह व्याज दर जापान में काफी कम है।

2. ऋण-पत्रों का नियमन—सहकारी व वन-कर्म दाय-व्ययों का प्रदान करना व निक्षेप करने व उद्देश्य में यह बँक प्रदान ऋण-पत्रों का नियमन करने व निक्षेप प्राप्त करने व उद्देश्य में यह बँक प्रदान ऋण-पत्रों का नियमन

करता है। ये ऋण-पत्र भी दो प्रकार के होते हैं—ब्याज वाले ऋण-पत्र और डिस्काउंट वाले ऋण पत्र। ये ऋण-पत्र प्रायः वाहक (bearer) स्वभाव के होते हैं। इस बक की पूजा-खाते में जितनी राशि की पूजा व रिजर्व है, उसकी बीम गुनी राशि तक के ही ऋण-पत्र यह बक निगमन कर सकता है। इन ऋण पत्रों के प्रमुख क्रेता जन-साधारण, व्यापारिक-बैंक और ट्रस्ट-फंड-पूरो हैं। डिस्काउंट ऋण पत्रों का लगभग 90 प्रतिशत भाग जन-साधारण क्रय कर लेता है।

3 ऋण देना—यह बक मुख्यतः अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करता है। किंतु कोष आधिक्य होने की दशा में वित्त मंडी को अनुमति से अ सदस्य निकाया (bodies) को भी ऋण दे सकता है। यह बैंक 'कृषि', वन-कर्म और मछली-कर्म वित्त निगम को भी ऋण देता है। ऋण देने की ब्याज दरें ऋण की अवधि और ऋणी की श्रेणी के अनुसार भिन्न भिन्न हैं। सदस्यों को ऋण कम ब्याज-दर पर व गर सदस्यों को ऊँची ब्याज दर पर ऋण प्रदान किए जाते हैं।

इन ऋणों के सवध में आधुनिक प्रवृत्ति यह देली जा रही है कि सदस्यों को कम ऋण दिए जा रहे हैं (दिए जाने वाले ऋणों का लगभग 30 प्रतिशत भाग) और अ सदस्यों को अधिक मात्रा में ऋण दिए जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि पिछले वर्षों में लगातार जापान में अच्छी फसलें होने के कारण कृषि सहकारिताओं के पास कोषों की निरन्तर वृद्धि हुई है, और कृषि सहकारिताएँ व कृषि-सघ (federation) इस बैंक के पास ऋण प्राप्त करने के लिए बहुत कम जाते हैं।

अ-सदस्यों को दिए जाने वाले ऋणों (दीघकालीन व) अल्पकालीन को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—प्रथम, कृषि वन-कर्म व मछली-कर्म से संबंधित उद्योगों को और द्वितीय वित्तीय-सहाय्य को विशेषतः सिंगी-बन्ना का ऋण। इस प्रकार जापान के मुद्रा-बाजार में इस व द्रीय सहकारी बक का ऋण-दाता (lender) का रूप में महत्वशील स्थान है।

4 एजेंसी काय—यह बक एजेंसी सम्बन्धी काय भी करता है जिनमें सरकार द्वारा खरीदी गई कृषि-उपज के मूल्य का कृषकों को सहकारी सगठनों के माध्यम से भुगतान करना एवं कृषि, वन कर्म व मछली-कर्म के निगम की ओर से काय करना सरकार के पेशगी निक्षेप (advance deposits) स्वीकार करना आदि। सरकार द्वारा क्रय किए गए खाद्य पदार्थों के मूल्य का लगभग 90 प्रतिशत भाग इसी के द्रीय बक के माध्यम से होता है और शेष का भुगतान अथ वित्तीय सहाय्य के माध्यम से होता है।

यह बक ग्राहकों के कार्यों को आकर्षित करने के लिए अपने ग्राहकों को अपने लाभ में सौभाग्य भी देता है।

5 कृषि वन कर्म व मछली कर्म निगम

(The Agriculture Forestry Fisheries Financial Corporation)

स्थापना—द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् जापान सरकार की चहुँमुखी आर्थिक विकास की नीति के अंतर्गत कृषि, वन कर्म व मछली-कर्म को

बालीन ऋण कम ब्याज-दर पर प्रथम बार पुनर्निर्माण वित्त बैंक' (Reconstruction Finance Bank) के माध्यम से प्रदान किए गए। इस पुनर्निर्माण-बैंक की स्थापना सन् 1948 में की गई थी किंतु सन् 1949 में पश्चात् इस बैंक ने काय करना बन्द कर दिया। इस बैंक के बन्द हो जाने पर सरकार कृषि वन-बन व मछली-बन को Special Account for U S Aid Counterpart Fund के माध्यम से ऋण देती रही फिर यह काय कृषि वन-बन व मछली-बन व वित्त के लिए विशेष खाते (Special Account for Agriculture Forestry and Fishery Finance) के माध्यम से सन् 1953 तक होता रहा।

सन् 1953 में कृषि वन-बन व मछली-बन वित्त निगम कायून' के अन्तर्गत उपरोक्त विशेष-खाते (Special Account) की प्रियापना को करने के लिए 'कृषि, वन-बन व मछली-बन वित्त निगम की स्थापना की गई। यह निगम सरकार की वित्तीय सहायता है।

निगम की पूंजी—यह निगम सरकार की वित्तीय सहायता होने के कारण इसकी सम्पूर्ण पूंजी जापान सरकार से विभिन्न खाता (सामान्य खाता औद्योगिक विनियोग का विशेष खाता आदि) से प्रदान की है। इस निगम की पूंजी 109.3 बिलियन येन है। यह निगम ट्रस्ट फंड-ब्यूरो, डाकघर जीवन बीमा डाकघर वार्किंग (Postal Annuity) और औद्योगिक विनियोग के विशेष खातों से अतिरिक्त कायशील राशि प्राप्त करता है।

निगम के काय—इस निगम का मुख्य काय कम ब्याज-दर पर कृषि वन-बन व मछली-बन को ऋण देना है। उदाहरण के लिए मृमि विकास मछली पकड़न के लिए जहाजों में यंत्रों के लिए, कृषि फार्मों के रत्न रखाने के लिए ऋण आदि। यह निगम पशु-पालन उद्योग देश में उद्योग व नमक उद्योगों को भी ऋण देता है। यह ऋण प्रायः 10 वर्ष से 25 वर्ष के लिए होते हैं जिनका निश्चय म पुनश्चु गतान 2 से 5 वर्षों के बाद प्रारम्भ होता है।

इन ऋणों पर 3.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज लिया जाता है। इन दरों को देखने से स्पष्ट होना है कि ये ब्याज दरें वास्तव में बहुत ही नीची दर हैं विशेषतः जबकि ऋण 10 से 25 वर्ष की अवधि के हात हैं।

दीर्घकालीन साख बैंक

(Long-Term Credit Banks)

जापान मे दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था

जापान म व्यापार-गृहा के आतरिक कोषा के अतिरिक्त, दीर्घकालीन कोषा को प्राप्त करन के तीन प्रमुख साधन प्रचलित हैं—स्टाकम (पूणदत्त अशो) को निगमन करके, बॉण्डस का निगमन करके और दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करके। उपरोक्त तीन साधनो मे से दीर्घकालीन ऋणो द्वारा अपनी आवश्यकताओ की 50 प्रतिशत स भी अधिक भाग की पूर्ति की जाती है, अत यह साधन ही सबसे अधिक महत्वशील है।

जापान म प्राय समस्त प्रकार की वित्तीय समस्याए दीर्घकालीन एव अल्पकालीन वित्त का प्रबन्ध करनी हैं अत ऐसी समस्या के विभिन्न रूप हैं। इम क्षेत्र म निजी समस्याओ का, विशेषत दीर्घकालीन साख बन्ना का महत्व बहुत अधिक है क्यकि इनका प्रमुख बाय ही दीर्घकालीन वित्तीय प्रबन्ध करना होता है। इन दिना जापान म छोटे एव मध्यम वर्ग के उद्यमो को दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करने के सम्बन्ध म वित्तीय-सस्याओ विशेषत 'पारस्परिक ऋण एव बचत बैंको और माख एसोसियेशनों का महत्व बढ गया है।

युद्धोत्तर-काल म औद्योगिक-पुननिर्माण म, निजी वित्तीय सस्याओ के अतिरिक्त ट्रेजरी काषा का भी दीर्घकालीन वित्त-व्यवस्था में महत्वपूर्ण योग रहा है। पुननिर्माण का क्रमिक पूरा होने पर ट्रेजरी कोषों का महत्व कम हो गया और अब ये निजी वित्त के पूरक के रूप म काम करत हैं बल्कि दूसरी ओर स्टॉक और औद्योगिक बौड द्वारा बाजार म धन की प्राप्ति का महत्व बढता जा रहा है। दीर्घकालीन कोषो का उपयोग मशीनो व प्लांट के उपयोग मे अधिक होना है। युद्धोत्तरात पुननिर्माण म विद्युत शक्ति उत्पादन लोहा व इस्पात जलयान व खनिज के आधारभूत औद्योगिक अ चल मे विनियोग को वरिष्ठता प्रदान की गई।

दीर्घकालीन साख बैंकों की स्थापना

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् विशिष्ट-बैंक (special banks) जिन्हाने दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था करन मे महत्वशील भाग प्रदान किया था, समाप्त कर दिए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि वित्तीय ढांचे म एक रिक्तता (vacuum)

उत्पन्न हो गया जिसको रिपूजी बाजार पूरा नहीं कर पाया। घन 1950 में बरा द्वारा ऋण-पत्रों के निगमन का कानून बनाया गया जिसमें शीघ्रकालीन ऋणों की पूर्ति सरलता से हो सक। इस कानून ने सभी प्रकार के बरा को निरिक्त बनाया म ऋण-पत्र निगमन करने का अधिकार दिया। इस कानून के अंतर्गत निम्न बतग्यो बक इंडस्ट्रियल बक ऑफ जापान होकडो बर शुवि व बन के केन्द्रीय सहकारी बक, व्यापारिक तथा औद्योगिक बक तथा बर आफ टोकियो—इन छ बकों न ऋण-पत्रों का निगमन किया।

शीघ्र ही यह अनुभव किया गया कि इससे दीघकालीन व अल्पकालीन बाजारों में सम्भ्रांति (confusion) उत्पन्न होता है अतः दीघकालीन वित्त प्रणाली का पुनर्गठन किया जाय। अतः सन 1952 में दीघकालीन साख बक कानून (Long term Credit Bank Law) पार किया गया और सन् 1950 का कानून रद्द कर दिया गया।

दीघकालीन साख बकों और युद्ध से पूर्व के निश्चित बरों में अंतर है कि दीघकालीन साख बक केवल निजी संस्थाएँ हैं। ये दीघकालीन ऋण देने के उद्देश्य से स्थापित किए गये हैं।

वर्तमान स्थिति

जापान में इस समय इस ढंग के केवल तीन बक हैं। इन बकों के नाम ये हैं—दि इंडस्ट्रियल बक आफ जापान, दि लॉन्ग-टर्म क्रेडिट बक आफ जापान और दि हाईपोथेक बैंक ऑफ जापान। यद्यपि व्यापारिक बैंकों की तुलना में इन बकों की कम शाखाएँ हैं किंतु ये सम्पूर्ण देश में कार्य करती हैं। उपरोक्त में से प्रथम दो बक बड़े व्यापारिक व उद्योगों की सेवा विशेष रूप से करती हैं और तासरा बैंक (हाइपोथेक बक आफ जापान) छोटे व मध्यम ढंग के व्यापारिक व उद्योगों की सेवा करता है।

प्रमुख कार्य (Principal Business)

इन बैंकों का स्थापना मुख्यतः दीघकालीन ऋणों की व्यवस्था करने के लिए की गई है। ये दीघकालीन साख बैंक निम्नलिखित प्रमुख कार्य करती हैं—

- 1 ऋण-पत्रों का निगमन,
 - 2 निक्षेप प्राप्त करना
 - 3 ऋण देना
 - 4 प्रतिभूतियों का व्यवसाय और
 - 5 अन्य कार्य।
- 1 ऋण-पत्रों का निगमन
(Issue of Debentures)

दीघकालीन साख बक, ऋण पत्रों के निगमन में अपने कार्यशील कोष एकत्रित करती हैं, जस कि व्यापारिक बैंक स्वीकार करती करती हैं। ये बक अपनी पूंजी तथा

रिजर्व की सम्मिलित राशि की 20 गुने राशि तक के मूल्य के ऋण पत्र निगमन करने व लिए अधिकृत है।

ये बैंक दो प्रकार के ऋण पत्र निगमित करते हैं—व्याज वाले बैंक के ऋण पत्र, और बट्टे वाले बैंक के ऋण-पत्र। व्याज वाले ऋण-पत्र प्रायः 5 वर्ष की अवधि के होते हैं। इनको मुख्यतः व्यापारिक बैंक लेते हैं। बट्टे वाले बैंक के ऋण-पत्र प्रायः 1 वर्ष की अवधि के होते हैं और जिन्हें प्रतिभूति-व्यापारियों के माध्यम से माधारण जनता को बेचा जाता है।

2 निक्षेप प्राप्त करना

दीघकालीन साख बक जनसाधारण से निक्षेप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बैंक, सरकार, स्थानीय सावजनिक संस्थाओं और उन कम्पनियों से जो अपने ऋण-पत्रों का निगमन इन बैंकों की सौंपनी हैं तथा इस बैंक से उधार लेने वाली संस्थाओं से निक्षेप प्राप्त करते हैं। इन बैंकों के पास निक्षेप के रूप में बड़े बोध नहीं हैं, क्योंकि ये निक्षेपों को अधिक आकर्षित नहीं कर सकते हैं।

जनसाधारण से निक्षेप स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध लगाने के मुख्य उद्देश्य ये हैं—(i) दीघकालीन साख बैंकों और व्यापारिक बैंकों के मध्य निक्षेपों को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा न रहे, (ii) जमा कर्ताओं का हित सुरक्षित रहे।

3 ऋण देना

इन बैंकों का प्रमुख कार्य मशीनों व प्लांट और दीघकालीन वायशील पूंजी के लिए ऋण प्रदान करना विला की बट्टी और गारंटी व स्वीकृति देना है। ये बैंक कभी कभी अल्पकालीन वायशील पूंजी भी प्रदान करते हैं किंतु इसकी मात्रा इनके पास निक्षेपों की राशि पर निर्भर होती है।

ऋण लेने वाले उद्योगों का यदि वर्गीकरण किया जाय तो पात होगा कि इन बैंकों के अधिकांश ऋण निर्माण उद्योग (manufacturing industries) का प्रदान किए जाते हैं जिनमें लोहा व इस्पात उद्योग, विद्युत शक्ति उद्योग, यान्त्रिक उद्योग और रासायनिक उद्योग प्रमुख हैं।

इन बैंकों द्वारा चार्ज की जाने वाली व्याज दरों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है किंतु ये दरें दीघकालीन साख बैंकों और फंडेशन बैंक तथा एम्प्लॉयर्स ऑफ जापान के आपसी समझौते द्वारा निश्चित की जाती हैं। उदाहरण के लिए विद्युत शक्ति उद्योग के लिए व्याज दर 8.75 प्रतिशत वार्षिक है और जलयान उद्योग के लिए यह 9 प्रतिशत वार्षिक है।

4 प्रतिभूतियों का व्यवसाय

दीघकालीन साख बैंक का 'नूतन' के अन्तर्गत ये बैंक प्रतिभूतियों के सौदे भी कर सकते हैं। किंतु ये बैंक ऐसे सौदे केवल उस सीमा तक ही कर सकते हैं जहां तक कि वे प्रतिभूति कम्पनियों के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करते। इन बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों से सम्बंधित निम्नलिखित क्रियाएँ की जाती हैं—

(i) म्यूनिसिपल बॉण्ड, निगम बॉण्ड और अन्य प्रतिभूतियां क चालू करने क लिए (floatation) ट्रस्टी के रूप म काय करना,

(ii) बंधक ऋण पत्र ट्रस्ट कानून (Mortgage Debentures Trust Law) क अंतगत ट्रस्टी क रूप म काय करना,

(iii) स्टॉक के अभिदान (Subscriptions) प्राप्त करना और स्टॉक्स पर साभारा के जुगतान क एजेंट के रूप म काय करना तथा प्रतिभूतियां क एजेंट क रूप म काय करना,

(iv) ऋण-पत्रा क रजिस्ट्रेशन स संबंधित काय करना,

(v) प्रतिभूतियां क निगमन को सखीदना एव अभिगान करना।

बॉण्डस व प्रतिभूतियां का चालू करने (float) का दशा म य बंधक ट्रस्टी क रूप म काय करत है। ट्रस्टी की हैमियत स व रजिस्ट्रार क रूप म काय करत है।

5 अन्य काय

उपरोक्त कार्यों क अतिरिक्त दीघकालीन साग बंध व्यापारिक बंधों की भांति विनिमय एव ग्राहकों की वस्तुओं का सुरक्षित रखन का काय भी करत हैं। विनिमय के कार्यों म देशा व विदेशा विनिमय के काय सम्मिलित है। विदेशी विनिमय क काय मे एक बंध A बग का है और दूसरा बंध B बग का है।

ट्रस्ट बैंक (TRUST BANKS)

ट्रस्ट बैंको का विकास

जापान में ट्रस्ट बैंको का उद्भव ट्रस्ट कम्पनिया से हुआ है। सन् 1945 में जापान में 7 ट्रस्ट कम्पनिया थी, जिनमें एक विनियोग ट्रस्ट कम्पनी थी और 11 एस व्यापारिक बैंक थे जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम काल में ट्रस्ट कम्पनिया का एकीकरण हो गया था और ये व्यापारिक बैंक ट्रस्ट का व्यापारिक कार्य भी करते थे।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् जापान में मुद्रा प्रसार काफी अधिक हो गया था और जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य बहुत कम हो गया था। ट्रस्ट कम्पनिया के पास धन की कमी हो गई और ट्रस्ट का व्यवसाय अलाभकर हो गया। इन परिस्थितियों में सन् 1948 में छह ट्रस्ट कम्पनियों ने अपने आपको बैकिंग लॉ के अधीन बैंको में बदल लिया और वे बैंकिंग व्यवसाय के साथ ही ट्रस्ट का व्यवसाय भी करने लगे। उनके नये निक्षेप व्यवसाय से उनके साधन शीघ्रता से बढने लगे। कुछ ही वर्षों में उनके ट्रस्ट की राशि से उनके निक्षेप में राशि काफी अधिक हो गई।

बाद में मुद्रा में स्थायित्व आ गया और ट्रस्ट का व्यापार अधिक होने लगा और इसके कार्य का क्षेत्र बढ गया। सन् 1951 में ट्रस्ट बैंक, ट्रस्ट में विनियोग की गई प्रतिभूतियों के ट्रस्टी बन गये। जापान में सन् 1952 से ट्रस्ट ऋण आरम्भ हुए जा कि ट्रस्ट बैंको के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। उस प्रकार ट्रस्ट ऋण के माध्यम से ट्रस्ट बैंक पुन जापान में दीर्घकालीन वित्तीय संस्थाएँ बन गईं।

इसमें अधिक में वित्तीय विशिष्टीकरण की दृष्टि से जापान सरकार ने बैंकिंग और ट्रस्ट व्यवसायों में अंतर स्पष्ट करने की नीति दिसम्बर 1954 से अपनाई। पृथक्करण और एकीकरण (separations and amalgamation) की क्रियाएँ के पश्चात् इस समय जापान में 7 ट्रस्ट बैंक¹ हैं। कचन एक सिटी बैंक² ऐसा है जा कि साथ ही ट्रस्ट का व्यवसाय भी करता है। 7 स्थानीय बैंक (local banks) जा कि ट्रस्ट व्यवसाय भी करते थे, उन्होंने सन् 1956 से ट्रस्ट का नया व्यवसाय करना बंद

1 These are the seven trust banks—Mitsubishi Trust Bank Mitsui Trust Bank Sumitomo Trust Bank Yasuda Trust Bank Toyo Trust Bank Chuo Trust Bank Nippon Trust Bank

2 Daiwa Bank,

कर दिया है। इन 7 स्थानीय बंका में म चार बंका ने अपने ट्रस्ट व्यवसाय का पूरा बंद कर दिया है। इस प्रकार 3 स्थानीय बंका की गणना भी ट्रस्ट का वाय करन वाल बंका में की जाती है। अतः इस समय जापान में कुल 11 बंका¹ (ट्रस्ट बंका और व्यापारिक बंका) जो ट्रस्ट का वाय करत हैं।

- 1 ट्रस्ट बंका दीर्घकालीन वित्तीय सत्यापनों की तरह वाय करत हैं। दाय कालीन ऋणों में इनका भाग काफी अधिक है।
- 2 ट्रस्ट (ट्रस्ट बंका और व्यापारिक बंका) जो ट्रस्ट का वाय करत हैं) वित्त में केवल मध्यस्थता का वाय करत हैं।
- 3 व्यापारिक बंका की भाँति ट्रस्ट बंका साय का मूजन नहीं करत हैं।
- 4 द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व ये ट्रस्ट कम्पनियाँ केवल धनी बग के लिए विनियोग की सत्यापन थीं किन्तु इस युद्ध के पश्चात् इनमें जन साधारण का अनुपात बहुत अधिक बढ़ गया।

ट्रस्ट बंको के प्रमुख काय

(Principal Business of Trust Banks)

जसा कि बतलाया जा चुका है ट्रस्ट बंका एक साथ ही ट्रस्ट का व्यवसाय और बैंकिंग व्यवसाय दोनों करत हैं। इन दोनों प्रकार के व्यवसायों के स्वभाव में अंतर होने के कारण ये बंका ट्रस्ट खात और बैंकिंग के खात पृथक् पृथक् रखते हैं। ट्रस्ट बंको के बैंकिंग व्यवसाय के अतगत व्यापारिक-बंका के समस्त वाय आते हैं। बैंकिंग वायों के अतिरिक्त ये ट्रस्ट के काय भी करत हैं। जापान में ट्रस्ट व्यवसाय के अतगत ये बंका निम्नलिखित काय करत हैं—

1 धन ट्रस्ट का काय

धन ट्रस्ट वह ट्रस्ट होता है जहाँ ट्रस्ट की सम्पत्ति धन होता है। इसमें अनेक रूप हो सकते हैं जस ट्रस्ट में धन ऋण ट्रस्ट प्रतिभूति विनियोग ट्रस्ट और अय धन ट्रस्ट।

1 ट्रस्ट में धन (Money in Trust)—ट्रस्ट में धन, एक ट्रस्ट होता है जिसमें सौंने हुए धन का ट्रस्ट की अर्वाधि में उपयोग करने से लाभ हितवाहिकारी (beneficiary) को मिलता है और अर्वाधि के समाप्त होने पर मूलधन भी प्राप्त हो जाता है। इनके वाय करन की प्रणाली के अनुसार ट्रस्ट में धन तीन प्रकार का होता है—नामित (designated) निर्दिष्ट और अनिर्दिष्ट।

(1) ट्रस्ट में नामित धन (Designated Money in Trust)—ट्रस्ट में अर्वाधिवाश धन इसी प्रकार का है। इसमें अतगत धनदाता ट्रस्ट को साधारण निर्देश देता है किन्तु शय बाँटें ट्रस्ट बंका पर छोड़ देता है। ट्रस्ट अपनी योजना के अनुसार धन का विनियोग करता है।

¹ 7 Trust banks + 1 city bank + 3 local banks = 11 banks now engaging in trust.

(ii) ट्रस्ट में निर्दिष्ट धन (Specified Money in Trust)—इसमें धनदाता धन के उपयोग के विषय में विस्तृत निर्देश दे देता है। इसमें मूलधन व उसकी आय के विषय में ट्रस्ट गारंटी नहीं देता है। ट्रस्ट की अवधि निश्चित नहीं होती है।

(iii) ट्रस्ट में अनिर्दिष्ट धन (Non specified Money in Trust)—इसमें धनदाता सब कुछ ट्रस्ट के ऊपर छोड़ देता है। इसका अधिक प्रचलन नहीं है।

2 पेशान ट्रस्ट—ट्रस्ट धन का एक नया रूप पेशान ट्रस्ट है। इसका प्रचलन सन् 1962 से है इसमें धनदाता प्राय उद्यमी (enterprise) होता है जो कि चना (contributions) को (खुद के द्वारा दिया जाता है अथवा खुद-के द्वारा और कर्मचारी के द्वारा दिया जाता है) ट्रस्ट बैंक में जमा करा देता है। ट्रस्ट बैंक इस राशि का विनियोग करता है और संबंधित कर्मचारियों को उद्यम के पेशान नियमों के अनुसार, पेशान का भुगतान करता रहता है।

3 ऋण ट्रस्ट (Loan Trust)—जापान में यह पद्धति सन् 1952 से चालू है। इस समय 7 ट्रस्ट-बैंक ऋण-ट्रस्ट का कार्य करते हैं। ट्रस्ट के इस धन का उपयोग ऋण देने में किया जाता है। धनदाताओं को ट्रस्ट प्रमाण पत्र देता है। ये प्रमाण-पत्र जनता को बेचे जाते हैं। इन प्रमाण पत्रों के विक्रय से जो धन प्राप्त होता है, उसे य ट्रस्ट प्रमुख उद्योगों का दीर्घकालीन ऋण के रूप में देते हैं। ये ऋण पत्र दो वष अथवा पांच वष के होते हैं। ऋण पत्र 10 हजार येन, 1 लाख येन, 5 लाख येन व 10 लाख येन के अतिरिक्त मूल्य के होते हैं। ऋण पत्रों का हस्तांतरण किया जा सकता है और निगमन की तिथि के एक वष बाद ट्रस्ट-बैंक द्वारा पुन खरीदे जा सकते हैं। इन ऋण-पत्रों पर दो वष के लिए 6.5% तथा पांच वर्षों के लिए 7.4% वार्षिक लाभांश की अधिकतम दरें हैं।

ट्रस्ट बैंक ऋण-ट्रस्ट के लिए विशेष रिजर्व कोष बनाने हैं और मूलधन की गारंटी देते हैं। पहले ये ट्रस्ट-बैंक चार आधारभूत उद्योगों (जलयान विद्युत् शक्ति कोयला व इस्पात उद्योगों) को ही ऋण देते थे, किंतु अब इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तृत कर दिया है। दीर्घकालीन ऋण देने के लिए जापान में ट्रस्ट-बैंक महत्वशाली विनियमन सत्यापन हैं।

4 प्रतिभूति विनियोग ट्रस्ट (Securities Investment Trusts)—अनेक कम्पनियाँ विनियोगकर्ताओं से धन एकत्रित कर लेती हैं और इस एकत्रित धन को ट्रस्ट-संपत्ति के रूप में ट्रस्ट-बैंकों को सौंप देती हैं। ये ट्रस्ट-बैंक धन को प्रतिभूतियों में विनियोग कर लेते हैं।

जापान में इस प्रकार के ट्रस्ट सर्वप्रथम सन् 1941 में आरम्भ हुए किन्तु लोकप्रिय सन् 1950 से हुए। इस समय जापान में ऐसे 6 ट्रस्ट बैंक हैं और 1 व्यापारिक-बैंक इस प्रकार का कार्य भी करता है।

5 अन्य प्रकार के ट्रस्ट—इस प्रकार के ट्रस्ट धन को ट्रस्ट की संपत्ति (Trust property) के रूप में प्राप्त करते हैं। जब ट्रस्ट पूरा हो जाता है तो ट्रस्ट-बैंक ट्रस्ट-संपत्ति को लौटा देता है। उदाहरण के लिए धन-दाता किसी भूमि

प्रमुख देशों की बकिंग प्रणालियाँ

को (स्थिति क्षेत्रफल व अनुमानित मूल्य पहले बनना देना है) खरीदने व लिए धन जमा कराता है तो भूमि के मूल्य पर धनदाना को भूमि (संपत्ति) द दी जाती है।

2 ऋण देना

ये ट्रस्ट बैंक उद्योगों को दीघकालीन ऋण भी प्रदान करते हैं। इनके द्वारा दिये गये ऋणों का लगभग 80 प्रतिशत भाग निमाण-उद्योगों जन-उपयोगी (Public utilities) और यातायात व सदेशवाहन उद्योगों को दिया गया होना है। योक् व फुटकर व्यापार को 10% ऋण होते हैं। लगभग 90 प्रतिशत ऋण एक् करोड अथवा अधिक धन के होते हैं।

3 प्रतिभूतियाँ में विनियोग

ट्रस्ट-बैंक अपने कोषों का विनियोग प्रतिभूतियाँ में भी करते हैं। कम्पनियाँ के स्टॉक (stocks) व निगमा के बॉन्डों में ये ट्रस्ट विनियोग करते हैं। ये बैंक सरकारी (राष्ट्रीय व स्थानीय) प्रतिभूतियाँ में बहुत कम विनियोग करते हैं।

4 बकिंग काय

ट्रस्ट बैंक अपने बकिंग व खाते व ट्रस्ट के खाते अलग अलग रखते हैं। जहाँ तक बकिंग क्रियाओं का संबंध है ये ट्रस्ट बैंक उन क्रियाओं को ठीक वस ही करते हैं जैसे कि "वापारिक बैंक"।

ट्रस्ट-बैंकों के पास कोषों की कमी रहती है और उनमें से कुछ बैंक आफ जापान के ऋणों पर बहुत कुछ निर्भर रहते हैं। बिना किसी अपवाद के जापान के सभी ट्रस्ट बैंक, बड़े नगरों में ही स्थित हैं (जैसे कि सिटी बैंक बड़े नगरों में ही स्थित हैं)। इनके प्रमुख ग्राहक बड़े-बड़े उद्योगपति एवं व्यापारी हैं और अधिकांश निक्षेप भी इसी वग में हैं।

छोटे-व्यापार के लिये वित्तीय-संस्थाएँ

(FINANCIAL INSTITUTIONS FOR SMALL BUSINESS)

छोटे व्यापार से आशय

जापान में छोटे-व्यवसाय (small business) से आशय उन उद्यम (enterprises) से है जिनकी पूँजी ६ करोड़ यन (50 मिलियन यन) से कम है अथवा जिस उद्यम में 300 कर्मचारियों (employees) से कम हों। वाणिज्य व सेवा उद्योगों (commerce and service industries) में छोटे उद्यम व हैं जिनकी पूँजी 1 बिलियन यन से कम हो अथवा 50 कर्मचारियों से कम कार्य करते हों।

छोटे व्यापार (उद्यमों) की विशेषताएँ

जापान के छोटे व्यवसायों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) कम उत्पादकता व कम मजदूरी—छोटे उद्यमों में श्रमिक की उत्पादकता कम होती है। एक अनुमान के अनुसार बड़े उद्यमों की तुलना में छोटे उद्यमों में श्रमिक उत्पादकता लगभग 40 प्रतिशत ही है। इसी प्रकार छोटे उद्यमों में मजदूरी का स्तर भी बड़े उद्यमों की तुलना में कम है। बड़े उद्यमों की तुलना में छोटे उद्यमों में मजदूरी 50 से 60 प्रतिशत होती है।

(ii) प्रबंध आदि में पीछे—छोटे उद्यमों में व्यक्तिगत प्रबंध (Personal management) के अनेक पहलू अपनाए जाते हैं। बड़े उद्यमों की तुलना में कम विवेकीकरण प्रयोग में लाया जाता है। बाजार सर्वेक्षण और अन्य प्रबंध तकनीकों की दृष्टि से छोटे उद्यम बड़े उद्यमों की तुलना में काफी पीछे हैं।

(iii) कोष प्रबंध करने में पीछे—वित्तीय दृष्टिकोण से, छोटे उद्यमों में, बड़े उद्यमों की तुलना में अधिक जोखिम रहता है। इन्हें अपेक्षाकृत कम राशि की आवश्यकता होती है, अतः उन्हें जिनके पास बाल साहस का मूल्य अधिक होता है अर्थात् उच्च महंगा साहस उपलब्ध होता है। पूँजी बाजार में कार्य प्राप्त करने में इन छोटे उद्यमों की अधिक कठिनाई उठानी पड़ती है।

(iv) बड़े उद्यमों पर निर्भरता—छोटे उद्यमों की स्थिति ऐसी है कि अधिकतर छोटे उद्यम, बड़े उद्यमों अथवा यात्रा-व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं।

वर्तमान स्थिति

जापान की प्रणाल्यवस्था में छोटे-छोटों का महत्वपूर्ण घटक है। उदाहरण के लिए निर्माण उद्योगों (mfg Industries) में 99 प्रतिशत कार्यालय छोटे-छोटों के हैं। इसी प्रकार जापान में कुल वायवीय धनिका का लगभग 70 प्रतिशत भाग छोटे-छोटों में ही लगा हुआ है।

1 पारस्परिक ऋण एव बचत बँक (Mutual Loans and Savings Banks)

वर्तमान पारस्परिक ऋण एव बचत बँक की स्थापना Mutual Loan and Saving Law of 1951 के अंतर्गत की गई है। इनके कार्य इस प्रकार हैं—
1 इन बँक में छोटे-छोटों के व्यापारिक व निगम जिनकी पूँजी 5 करोड़ रुपये से कम है प्रथम जहाँ 300 कमचारियों से कम कार्य बरतें हैं ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

2 ये बँक क्षेत्रीय आधार पर ही स्थापित हो सकती हैं ताकि एकत्रित निधि का उपयोग उचित क्षेत्र में किया जा सके।

3 ये मोरप्रिय वित्तीय सम्पत्तियाँ हैं जिनके द्वारा एक ही प्रकार का ऋण जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। ये बँक अपनी पूँजी रिजर्व के 10% प्रथम 3 करोड़ रुपये तक इनमें से जमा भी कर सकती हैं, संचयन वित्तीय प्रादुर्भावों को ऋण नहीं दे सकती।

4 इन बँकों का अग्रिम समय निक्षेपों का 10% और अग्रिम निक्षेपों का 10% रिजर्व में रखना पड़ता है। ये रिजर्व अग्रिम बँक में निक्षेपों का अग्रिम निक्षेपों के 10% सरकारी ऋण एव अग्रिम स्वीकृत प्रतिभूतियों में विनियोग के रूप में रखा जा सकता है।

5 मुजीन व्यवसाय (Mujin business)—मुजीन व्यवसाय जापान में केवल ये बँक ही करते हैं। मुजीन-व्यवसाय के अंतर्गत, प्रादुर्भाव एव निश्चित-काल तक एक निश्चित राशि नियमित रूप से जमा कराना स्वीकार करता है और इसके बदल में या तो निश्चित काल के पश्चात् अग्रिम प्रथम समझौते की अवधि में ही एक निश्चित राशि प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार प्राप्त की गई राशि पर व्याज देना पड़ता है किंतु निश्चिन्ता की राशि भी देनी पड़ती है।

6 ये बँक निक्षेप प्राप्त करती हैं और निश्चिन्ता में वचन की राशि प्राप्त करती हैं।

7 ये बँक ऋण देती हैं विलो की कटौती करती हैं द्रव्य का दमो स्थानान्तरण करते हैं और प्रतिभूतियाँ प्रादि को जमा करती हैं और से सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। ये समस्त कार्य व्यापारिक बँकों के हैं, जिन्हें ये बँक भी करती हैं।

8 ये बँक विदेशी विनिमय का कार्य नहीं करती हैं।

9 इन बँकों को व्याज दरें 'नशनल ग्युवर्नल एण्ड सविंग बँक एक्टोसिपेशन' के साथ समझौते द्वारा निश्चित की जाती हैं।

जापान में लगभग 72 एम. वैंक काय कर रहे हैं जिसकी 2,570 शाखाए हैं। ऐसे कुछ बक काफी बड़े हैं और उनकी तुलना सिटी बैंको से की जा सकती है।

2 साख पापद (Credit Associations)

साख पापद सहकारिता के ढंग की वित्तीय सस्थाए हैं। इन सस्थाओं का प्रशासनिक व्यय बहुत कम होता है। मन् 1951 में साख-पापद कायन पास किया गया जिसके अंतगत अनेक सहकारिता-सस्थाए साख पापदों के रूप में परिणत हो गये। ये पापद छोटे उद्यमों के लिए वित्तीय सस्थाए हैं।

इन साख-पापदों का व्यवसाय व्यापारिक-बोसा के समान है। ये पापद सदस्या व गर-सदस्यों से जमा प्राप्त करत हैं। व्यापारिक ढंकी की अपेक्षा ये पापद निक्षेपा पर ऊंची ब्याज की दर देते हैं। कानून में इन पापदों का यह उद्देश्य बतलाया गया है, 'जनसाधारण को वित्तीय सुविधाए प्रदान करना और उनकी बचता को प्रोत्साहित करना।' इनका काय-क्षेत्र उनके क्षेत्र तक ही सीमित होता है जिसमें कि वे स्थित हैं। जमाकर्ताओं की सुरक्षा की दृष्टि से इन पापदों को अपने कुल निक्षेपा का 10% का 18 गुना और (Plus) अन्य निक्षेपा का 20% मिला कर जो राशि आती है उस राशि को नकद के रूप में, अन्य वित्तीय सस्थाओं में जमा, सरकार द्वारा गारंटी किये गये बीडो, बैंक ऋण पत्रों और अन्य आर्थिक सम्पत्तियों के रूप में रखना पड़ता है।

ये पापद केवल अपने सदस्या को ऋण देते हैं। असदस्या को भी ये ऋण सीमित मात्रा में ऋण देते हैं। सदस्यों को दिए गये ऋणों की कुल राशि के 20 से अधिक राशि का ऋण असदस्या को नहीं दे सकत।

इन पापदों के सदस्य पापद के क्षेत्र के छोटे उद्यम एवं व्यक्ति हो सकते हैं। ये पापद अनाभकारी (non profit) सहकारी संगठन हान हैं।

जापान में एस पापदों की संख्या लगभग 550 है।

फडरेशन ऑफ क्रेडिट एसोसियेशंस (Federation of Credit Association)—सन् 1951 के क्रेडिट एसोसियेशन ला के अन्तर्गत साख-पापदों के फडरेशन भी स्थापित किये जा सकते हैं। ये क्षेत्रीय साख-परिपदा की केन्द्राय सस्थाए हानी हैं।

इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है और साख-पापदों तक ही सीमित है। कोई व्यक्ति अथवा अन्य सस्था इसका सदस्य नहीं बन सकता।

जापान में इस समय ऐसा केवल एक ही फडरेशन 'नशनल फडरेशन ऑफ क्रेडिट एसोसियेशंस' है जिसकी स्थापना नवंबर सन् 1951 में की गई थी। यह फडरेशन सदस्य पापदों, सरकार आदि से निक्षेप प्राप्त करता है।

यह फडरेशन केवल सदस्यों को ही ऋण दे सकता है, किंतु वित्त मंत्री के अनुमोदन पर, असदस्या को भी ऋण दे सकता है।

प्रमुख देशों की बर्तित प्रणालियों
 इस निगम का प्रथम कार्यान्वयन टारिफों में है व 20 भागों में बड़े नगरों
 में स्थित हैं ।

यह निगम छोटे उद्यमों को प्रायुक्तकरण के लिए ऋण देता है । इसका द्वारा
 प्रदान किए जाने वाले ऋणों का अधिकांश संचयित उद्यमों द्वारा साभ उठाया जा सकता
 है । इस उद्देश्य से इस निगम ने ऋणों को अधिकतम सीमा तक देना है । किन्तु एक ही
 उद्यम को अधिकतम ऋण 1 करोड़ रुपये तक का व निम्न एक पायदान फंडेशन
 को अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है । यह निगम संप्रति
 ऋण (term loans) देता है । इन ऋणों की अवधि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक होती
 है । इन ऋणों पर 9 प्रतिशत व्याज दर निर्दिष्ट है ।

6 दि पीपल्स फाइनेंस कारपोरेशन (The People's Finance Corporation)

इस निगम की स्थापना सन् 1949 में जापान सरकार ने की थी । यह भी
 एक सरकारी संस्था है । यह निजी व्यापारियों को ऋण देता है जिन्हें साधारण
 वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध नहीं होता ।

इस निगम की सम्पूर्ण पूंजी भी सरकारी है । इसकी मूल-पूंजी 1,300
 मिलियन रुपये जिसमें समय-समय पर वृद्धि की गई । सन् 1962 में इसकी पूंजी
 20 हजार मिलियन रुपये हो गई थी ।

इस निगम की यह विशेषता है कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक पापित्स
 फाइनेंस बाँक सिल है जिसमें कुल 10 सदस्य हैं—8 निजी क्षेत्र के व 2 सरकारी ।
 यह कॉर्ड सिल निगम के प्रमुख कार्यों के संबंध में निर्णय देती है और निगम की
 क्रियाओं के संबंध में वित्त मंत्री को परामर्श देती है ।

यह निगम युद्ध में अपाहिज हुए व्यक्तियों विधवा स्त्रियों और युद्ध के घाय
 अपाहिजों में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए व अन्य व्यक्तियों को जिन्हें
 ऋण की आवश्यकता होती है ऋण देता है । साधारण ऋणों पर व्याज दर
 9 प्रतिशत वार्षिक व अन्य ऋणों पर 6 प्रतिशत वार्षिक है । एक ऋण 5 लाख रुपये से
 अधिक का नहीं होता है किन्तु विशेष परिस्थितियों में यह राशि 10 लाख रुपये तक
 की हो सकती है ।

ऋण प्रायः 3 वर्षों के लिए लिए जाते हैं और इनका भुगतान मासिक किश्तों
 में होता है । बड़े राशियों के ऋणों का भुगतान 5 वर्ष में हो सकता है । ऋणों पर
 प्रायः किसी तीसरे व्यक्ति की जमानत ली जाती है ।

7 ऋण गारंटी करने वाली संस्थाएँ

1 साल गारंटी पापद
 (Credit Guarantee Associations)

साल गारंटी पापदों की वसूली जापान में स्थापना द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व
 ही हुई थी व किन्तु सन् 1953 में साल गारंटी पापद का 'वर्द्धन' बनाया गया, जिसके

अनगत इन पापदों को वैधानिक स्वरूप मिला और इनके कार्यों का वैधानिक विश्लेषण किया गया।

उपरोक्त कानून के अधीन सम्पूर्ण दश में गारंटी-पापद स्थापित किए गए। इस समय इनकी संख्या लगभग 60 है। इन पापदों की स्थापना मुख्यतः सावजनिक निकायों (public bodies) द्वारा की गई है जिनमें व्यापारिक बैंक, पारस्परिक ऋण एवं बचत बैंक, साख-पापदों, साख सहकारिताओं आदि वित्तीय-संस्थाएँ द्वारा भाग लिया गया है।

ये पापद उन छोटे उद्यमों की गारंटी करते हैं जिन्होंने बक अथवा अन्य वित्तीय-संस्थाओं से ऋण लिए हैं। इसके अतिरिक्त ये ऐसे ऋणों की पुनर्गारंटी करते हैं जिन ऋणों की गारंटी बक अथवा अन्य वित्तीय-संस्थाएँ दे चुकी हैं।

इन पापदों का कार्यशील-पूँजी प्राप्त करने के सीमित साधन ही उपलब्ध है। सावजनिक निकायों द्वारा निष्पेक्ष एवं समान बिजनेस-कॉरपोरेशन में ऋण लेकर ही ये अपनी पूँजी एकत्रित करते हैं। यह अधिकांश निकाय अपनी मूल सम्पत्तियाँ (basic assets) के 25 गुण तक के ऋणों की गारंटी दे देते हैं।

यदि कोई छोटा उद्यम, जिसमें किसी वित्तीय संस्था में ऋण लिया है और इस पापद ने उस ऋण की गारंटी की है, अपने ऋण का भुगतान नहीं करता है तो यह पापद उसका ऋण का भुगतान उस वित्तीय संस्था को कर देता है, और प्रत्यामन (subrogation) द्वारा उस, भुगतान करने वाले, उद्यम का ऋणगता हो जाता है अर्थात् उस वित्तीय संस्था को भुगतान करने के पश्चात् पापद का उस उद्यम के विरुद्ध वे सब अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो मूल ऋणदाता (वित्तीय संस्था) को थे। ये पापद प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख ऋणों की गारंटी दे रहे हैं।

2 दि स्माल बिजनेस क्रेडिट इश्योरेंस कारपोरेशन (The Small Business Credit Insurance Corporation)

सन् 1958 में जापान सरकार ने इस बीमा नियम की स्थापना की। यह सरकारी नियम है और इसकी सम्पूर्ण पूँजी सरकार ने ही प्रदान की है।

इस नियम का मुख्य कार्य उन ऋणों का बीमा करना है जिनकी गारंटी साख गारंटी पापदों ने ही है। इसके अतिरिक्त यह इन पापदों को ऋण भी प्रदान करता है। यदि किसी छोटे उद्यम ने अपने ऋण का भुगतान नहीं किया है तो साख-गारंटी-पापद उस ऋण का भुगतान करता है, और यह बीमा नियम एक ऋण का 70 प्रतिशत भाग उस पापद को क्षति-पूर्ति के रूप में दे देता है।

निजी क्षेत्र की अन्य वित्तीय संस्थाएँ

जापान की अग्र व्युत्पन्ना म निजी-अग्र की बुद्ध रण्य वित्ताय मस्थाए भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इस ळग का प्रमुल वित्तीय संस्थाए निम्नलिखित हैं—

- 1 बीमा कम्पनिया
- 2 माग पर दय ऋणा के व्यापारी,
- 3 प्रतिभूति वित्त कम्पनिया
- 4 प्रतिभूति कम्पनिया
- 5 प्रतिभूति विनियोग ट्रस्ट।

उपरोक्त नितीय संस्थाया का परिचयात्मक विवरण अग्रलिखित पक्तिया म दिया जा रहा है।

1 बीमा कम्पनिया (Insurance Companies)

अग्र दशा की भाति जापान के मुद्रा बाजार म बीमा कम्पनियो का प्रभाव नील ऋणदाता ण्य प्रतिभूतिया म विनियाग कर्ता के रूप म महत्वशील स्थान है। जापान म बीम का प्रचलन पश्चिमी देशो स मेइजी युग (Meiji era) म हुआ। जापान म प्रथम सामाय-बीमा-कम्पनी और प्रथम जीवन-बीमा-कम्पनी प्रथम सन् 1879 व सन् 1881 म स्थापित हुई। इनके पश्चात् जापान म बीमा कम्पनियो की स्थापना तजी स होन लगी और सन् 1900 तक वहा 68 बीमा कम्पनिया स्थापित हो गई। सन् 1900 म बीमा-व्यवसाय काान (Insurance Business Law) बनाया गया।

बीमा कम्पनिया की विशेषताएँ

जापान म बीमा दो भागो मे बटा हुआ है—जावन बीमा एव अग्र बीमा अर्थात् सामाय बीमा। कोई ना बीमा कम्पनी दोना प्रकार के बीम का एक साथ व्यवसाय नहा कर सकती है अर्थात् जीवन बीमा कम्पना अग्र प्रकार क बीम का काय नही कर सकती तथा अग्र बीमा कम्पनी जीवन बीमे का काय नही कर सकती। जापान म जीवन वामा कम्पनिया तथा सामाय बीमा कम्पनिया निजा क्षेत्र (Private Sector) म हैं। भारत म जीवन बीम का काय जीवन बीमा निगम करता है जिसकी स्थापना जीवन बीमा-व्यवसाय क राष्ट्रीयकरण के परिणाम स्वरूप हुई। अत भारत

म जीवन बीमा व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) में है जबकि सामान्य-बीमा व्यवसाय निजी-क्षेत्र में है। आशा है कि निकट भविष्य में भारत में सामान्य-बीमा का भी राष्ट्रीयकरण हो जावेगा।

जीवन-बीमा अनुबंध काफी लंबी अवधि के लिए होता है और मृत्यु-पूर्व अपेक्षाकृत अधिक विगुहता से अनुमानित की जा सकती है, अतः जीवन बीमा कम्पनियाँ दीर्घकालीन वित्तीय संस्थाएँ का भाग अदा करती हैं क्योंकि उनके पास स्थायी एवं दीर्घकालीन कोष रहते हैं। दूसरी ओर, सामान्य बीमा कम्पनियाँ जिन जीवितों का बीमा करती हैं उनका उतनी विगुहता से अनुमान नहीं लगाया जा सकता एवं अनुबंध की अवधि भी प्रायः एक वर्ष या उससे भी कम होती है, अतः सामान्य बीमा कम्पनियाँ अल्पकालीन वित्त के क्षेत्र में महत्व रखती हैं।

जीवन-बीमा कम्पनियों के प्रतिरिक्त जापान में जीवन बीमे का कार्य कृषि सहकारी समितियाँ भी करती हैं। जापान सरकार स्वयं भी अनेक प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत बीमा का कार्य करती है। इनमें डाक्टर जीवन बीमा योजना अधिक महत्वशाली है। यह योजना सन् 1916 से प्रारम्भ की गई थी। यह योजना कम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए है। इसमें बीमा की राशि कम होती है। इससे प्रतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, राष्ट्रीय पेंशन बीमा, बेरोजगारी बीमा, नाविक बीमा (Seamens Insurance), नियमित बीमा, वन अग्नि बीमा छोटे उद्यमों की संपत्ति का बीमा आदि अनेक प्रकार के बीमे करती है। सरकार की विभिन्न बीमा योजनाओं की अधिक राशियाँ व रिजर्व की राशियाँ सरकार के 'ट्रस्ट फंड ब्यूरो' के पास जमा करा दी जाती हैं।

जापान में इस समय (सन् 1970 में) कुल 20 जीवन बीमा कम्पनियाँ हैं जिनमें से 16 पारस्परिक कम्पनियाँ व 4 संयुक्त स्वरूप वाली कम्पनियाँ (Joint stock companies) हैं। जापान में बीमा कम्पनी की सहायता के लिए 'बीमा व्यवसाय कानून' के अंतर्गत वित्त मंत्री की अनुमति लनी आवश्यक होती है। जीवन बीमा कम्पनी की न्यूनतम पूंजी 3 करोड़ येन होनी चाहिए, और पारस्परिक कम्पनियाँ (mutual companies) में 100 से अधिक सदस्य भी होने चाहिए। वहाँ प्रीमियम की दरें भी वित्त मंत्री के अनुमोदन से निश्चित की जाती हैं। बीमित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए कानून में इन कम्पनियों के कार्यों की सुरक्षा एवं तरलता के लिए अनेक प्रावधान कर दिए गए हैं। जापान में लगभग 55 लाख जीवन बीमा एजेंट कार्य कर रहे हैं।

द्वितीय विश्व-युद्ध में भारी विध्वंस के कारण सामान्य बीमा कम्पनियाँ को बहुत हानि उठानी पड़ी क्योंकि युद्ध के कारण क्षति, जलयानों के नष्ट होने आदि में इन्हें बहुत बड़ी मात्रा में दावा का भुगतान करना पड़ा। इस समय (सन् 1970 में) जापान में 21 सामान्य बीमा कम्पनियाँ कार्य कर रही हैं जिनमें 19 संयुक्त-स्वरूप वाली कम्पनियाँ हैं और 2 पारस्परिक कम्पनियाँ हैं। जीवन बीमा कम्पनियों की तुलना में सामान्य बीमा कम्पनियों को अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ये

सामान्य बीमा कम्पनियों सामुद्रिक, घग्नि और यानायात्र और अन्य जातिमा का बीमा करता है। इनमें लगभग 58 प्रतिशत पालिमियों घग्नि रीम की व 14 प्रतिशत पालिमिया घग्नि बीमे की होती हैं। इनके प्रतिरिक्त दुधटाा मोटर चारा थापुपान मयधी, साय तूफान व बाड, घुडदोड, धरु मत्ति घग्नि व विरद बाभा का प्रानन भी धाजनल वद रहा है।

सामान्य बीमा कम्पनिया अल्पकालीन मुद्रा-बाजार में महत्वगान है क्यारि इन कम्पनिया व धनुपत्र (एन वय या कम धवधि) जीवन बीमा कम्पनिया की तुलना में बहुत कम धवधि व हान है, और जीवन धविक षेन है।

2 भाग पर देय ऋणों के व्यापारी (Call Loan Dealers)

अपने दैनिक काय मचालन में कुछ विनाय समस्याओं व गान धस्यापी कौषा का धाधिक्य (temporary fund surplus) हो जाता है व कुछ को छोडे मय क लिए कौषा की धावश्यकता हाती है। अत इन कौषा व उचित प्रवाह की धावश्यकता है। अत इस प्रकार व व्यवहार व लिए जापान में विशिष्ट समस्या है जोकि इन व्यवहारों में मध्यम्यों का काय करती है। सभी कभी धाधिक्य कौषा वाली सस्याए प्रत्यक्ष रूप में कम काय वाली समस्याओं में प्रत्यक्ष सम्पक स्यापिन कर सता है।

जापान में इस समय (सन् 1970 में) भाग पर देय ऋणों में ववगर करने वाला कवल 6 सस्याए हैं जिनको काम करने की अनुमति वित्त मयी में लेनी पडती है। ऐसी सस्याए जापान के वित्त मत्री के प्रत्यक्ष पयवेगण (supervision) व नियंत्रण में रहती हैं।

जापान में भाग पर देय बाजार मुद्रा बाजार का सबसे अधिक संगठित बाजार है। ये सस्याए विनाय सस्याओं के भाग पर षेय करणों की व्यवस्था करती हैं व्यापारिक िनों को कर्ती करती हैं सरकारी प्रतिभूतियों का धय विक्रय करती हैं और विदेशी विनिमय में दाली का काम करती हैं।

ये सस्याए वक आफ जापान (केन्द्रीय बक) में अपने धानू खाते रखती हैं और बक आफ जापान के बैंकों के द्वारा अपने सौणों को निवटात है। ये सस्याए वक आफ जापान से अल्पकालीन ऋण भी प्राप्त करती हैं।

3 प्रतिभूति वित्त-कम्पनिया (Securities Finance Companies)

द्वितीय युद्ध व पृव जापान में स्टॉक एक्सचेंज वास्तव सट्टे व बाजार ये विन्तु युद्ध व पृषचाल य एक्सचेंज रोड के आधार पर काय करने लग। आजकल अनुवध की तिथि को सम्मिलित करत हुए चौथे दिन स्टॉक की सुपुगी करना व उनका धुपतान करना धावश्यक है। यद्यपि प्रतिभूति कम्पनिया व उनके धाहक व मार्जिन के सौने (margin transactions) भी होते हैं जिनमें अन्तगत धाहक अनुवध की तिथि व तीन दिन व भीतर कम्पनी में एव निश्चित राशि (मार्जिन राशि) जया कर दना है और स्टॉक की सुपुदगा व धुगतान धविक स अधिक 90

निम्न तक स्वयं गित कर सकता है। जापान में यह प्रणाली मई 1951 से प्रचलित है। वास्तव में यह प्रणाली अमेरिकन प्रणाली के अनुरूप है।

जापान में वह अथवा अन्य वित्तीय-सस्थाएँ खरीदे जान वाले स्टॉक की जमानत पर स्टॉक खरीदने के लिए ऋण नहीं देती हैं। ये कम्पनियाँ ऐसा करती हैं।

युद्धोपरान्त जापान के स्टॉक बाजार में उद्भूत मदी आइ अत इस मनी के प्रभाव को रोकने के लिए प्रत्येक स्टॉक बाजार के निक्ट एक एक प्रतिभूति वित्त कम्पनी स्थापित हो गई। जो कि अपने ग्राहकों को ऋण एवं प्रतिभूतियाँ प्रदान करती थी।

सन् 1951 में जापान में 9 प्रतिभूति वित्त कम्पनियाँ थी, किन्तु आजकल (मई 1970 में) केवल 3 ऐसी कम्पनियाँ हैं जो टोकियो आताका व नागोया नगरों में स्थित हैं। शेष छ कम्पनियाँ अब इन तीन कम्पनियों की शाखाओं के रूप में काम करती हैं।

4 प्रतिभूति कम्पनियाँ (Securities Companies)

द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् जापान में प्रतिभूतियाँ का महत्व उठा। प्रतिभूति व्यवहार कानून (The Securities Transaction Law) सन् 1948 में बना जिसमें बँकों व ट्रस्ट बँकों पर सरकारी बँकों स्थानीय गैर सरकारी द्वारा गारंटी किए हुए बँकों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की प्रतिभूतियाँ के अभिगोपन (underwriting) पर प्रतिबन्ध लगा दिया और यह कार्य प्रतिभूति कम्पनियों को सौंप दिया।

उत्तराक्त कानून के अधीन एक प्रतिभूति कम्पनी संयुक्त पूँजी वाला निगम (joint stock corporations) होना चाहिए और निर्धारित न्यूनतम पूँजी हानी चाहिए। इन कानूनी आवश्यकताओं के पश्चात् कम्पनियों को एक और औपचारिकता पनी करनी होती है। वह औपचारिकता है—वित्त मंत्री से कम्पनी का रजिस्ट्रेशन करवाना।

कार्य—इन प्रतिभूति कम्पनियों का प्रमुख कार्य सभी प्रकार के बॉन्ड व स्टॉक (bonds and stocks) में व्यवहार करना है। इस कार्य में नये निगमनों (new issues) का निगमन व अभिगोपन करना, ग्राहकों से प्रतिभूतियों का अग्र विक्रय करना और स्टॉक एक्सचेंजों में व्यवहार करना आदि कार्य सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त ये प्रतिभूतियों की दलाली का कार्य भी करती हैं। आगे से अधिक प्रतिभूति कम्पनियों अपने लिए ही मौजूद करती हैं किन्तु जेप एसी कम्पनियाँ दलाल के रूप में कार्य करती हैं। स्टॉक एक्सचेंज में अग्र विक्रय की गई प्रतिभूतियों के लिए दलाली की दरें एक्सचेंज के द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

ये कम्पनियाँ औद्योगिक बँकों का अभिगोपन भी करती हैं और इन कार्य के लिए प्रायः 16 प्रतिशत दलाली प्राप्त करती हैं। इस प्रकार, ये निगमन करने

प्रमुख देशों की बैंकिंग प्रणालियाँ वाली कम्पनियों और ऋताभ्रा के मध्य मध्यस्थ (intermediary) का कार्य करती हैं।

ये कम्पनियाँ अशो का अभिगोपन भी करती हैं। जितने अश नहीं बिक पाते हैं उन अश को ये कम्पनियाँ ल लेती हैं। ये कम्पनियाँ अशो के अभिगोपन व जनता में उनके वितरण की सवाभो व लिए विभय मूल्य (अकित मूल्य नहीं) का 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक कमीशन प्राप्त करता है।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त ये प्रतिभूति कम्पनियाँ प्रतिभूतियाँ को सुरक्षित रखने प्रतिभूतियों के हस्तांतरण में एजेंट के रूप में कार्य करन व प्रतिभूतियों से संबंधित अश सवाए प्रदान करती हैं।

स्थिति व महत्व—जापान के प्रतिभूति बाजार में इन कम्पनियों का आजकल बहुत महत्वशील भाग है। जापान में सन् 1962 के अंत में लगभग 600 प्रतिभूति कम्पनियाँ थीं। इनमें से 190 कम्पनियाँ 9 स्टॉक एक्सचेंजों की सन्ध थीं। यहाँ एक महत्वशील बात उल्लेखनीय कि इनमें केवल चार प्रतिभूति कम्पनियाँ ही सबसे बड़ी हैं। जापान की समस्त प्रतिभूति कम्पनियाँ की कुल पूँजी कार्यालय व कर्मचारियों का 30 से 40 प्रतिशत भाग स्टॉक एक्सचेंज के 60 प्रतिशत व्यवहार और निगम बोर्डो के 80 प्रतिशत अभिगोपन कार्य में ही चार कम्पनियों का भाग है।

5 प्रतिभूति विनियोग ट्रस्ट (Securities Investment Trusts)

इंग्लैंड के यूनिट ट्रस्ट के नमूने पर ही जापान में प्रतिभूतियों का विनियोग ट्रस्ट प्रणाली आधारित है। जापान में यह प्रणाली सन् 1937 में प्रारम्भ की गई। इस प्रणाली ने कुछ काल में बहुत प्रगति की किंतु युद्धोत्तर काल में यह प्रणाली बंद हो गई। बड़ा सन् 1951 में सिवयिगिटीज ट्रस्ट लॉ पास किया गया। इस कानून के अंतर्गत जापान में प्रतिभूति विनियोग ट्रस्ट स्थापित किए गये हैं।

विनियोग के उद्देश्य से जापान में प्रतिभूति विनियोग ट्रस्ट दो प्रकार के हैं—स्टॉक विनियोग ट्रस्ट और बॉण्ड विनियोग ट्रस्ट। स्टॉक विनियोग ट्रस्ट पुन दो प्रकार के हैं—यूनिट इनवस्टमेंट ट्रस्ट और आपन एण्ड इनवस्टमेंट (Open-end investment trusts)

प्रतिभूति विनियोग ट्रस्ट (Securities Investment Trusts)

स्टॉक विनियोग ट्रस्ट (Stock investment trusts)

बॉण्ड विनियोग ट्रस्ट (Bond investment trusts)

यूनिट इनवस्टमेंट ट्रस्ट आपन एण्ड इनवस्टमेंट ट्रस्ट (Unit Investment Trust) (Open-end Investment Trust)

1 These companies are Daiwa, Yamabuchi, Nikko and Daini

(क) स्टॉक विनियोग ट्रस्ट (Stock Investment Trust)

(i) यूनिट ट्रस्ट (Unit Trusts)—य ट्रस्ट सामान्य जनता को हिताधिकारी प्रमाण-पत्र (Beneficiary Certificates) सम मूल्य (at par) पर विक्रय करत है। इन ट्रस्टोद्वारा यह विक्रय महीने में प्रायः एक बार किया जाता है और विक्रय से प्राप्त राशि से ट्रस्ट सम्पत्ति उत्पन्न (is created) करली जाती है। इस प्रकार प्रति माह एक ट्रस्ट इकाई बन जाती है। यह ध्यान रहे कि इस प्रकार प्रत्येक महीने में बनाई गई ट्रस्ट इकाई अलग अलग ही रहती है। ट्रस्ट सम्पत्तियाँ व हिसाब वष में एक बार निपटाए जाते हैं और लाभ वितरण किया जाता है।

ट्रस्ट की अवधि प्रायः 5 की वष होती है, और प्रत्येक प्रमाण पत्र 5 000 येन व मूल्य का होता है। यह आशा की जाती है कि हिताधिकारी (beneficiary) अर्थात् प्रमाण-पत्र का धारक अपने प्रमाण पत्र को 5 वष की पूरी अवधि तक रखेगा। किन्तु यदि हिताधिकारी चाहे तो इस अवधि से पूर्व ही चालू मूल्य पर ट्रस्ट से (अथवा निश्चित प्रतिभूति कम्पनी से) प्रमाण पत्र को पुनः क्रय (repurchase) करन के लिए प्रार्थना कर सकता है।

(ii) ओपन एण्ड ट्रस्ट (Open-end Trusts)—प्रत्येक ऐसे ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करदी जाती है और समय-समय पर प्रमाण-पत्र विक्रय किये जाते हैं। ये प्रमाण-पत्र उस समय तक विक्रय किये जाते रहते हैं जब तक कि निर्धारित सीमा नहीं पहुँच जाती है। ट्रस्ट के हिसाब वष में दो बार निपटाये जाते हैं। इसमें ट्रस्ट की अवधि असीमित होती है। जो प्रमाण-पत्र प्रतिभूति-कम्पनियाँ द्वारा क्रय किये जाते हैं उन्हें प्रायः पुनः विक्रय कर दिया जाता है। ये प्रमाण-पत्र प्रायः 10 अंशों की इकाई में बचे जाते हैं और प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य 1 000 येन होता है।

भारत में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया एक्ट 1963 के अधीन यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हो चुकी है जिसने सन् 1964 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इसमें प्रत्येक इकाई (Unit) 10 रुपये की है। कम से कम 10 यूनिट (100 रुपये के) खरीदन पड़ते हैं अधिकतम सीमा नहीं है। यदि यूनिटों का कोई धारक अपने यूनिटों का बचना चाहे तो यूनिट ट्रस्ट उन यूनिटों को घोषित मूल्य पर पुनः क्रय कर लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य मध्य वर्ग की छोटी छोटी बचतों का उत्पादन-कार्यों में लगाना है। यूनिट धारकों को प्रति वष लाभांश भी दिया जाता है।

(ख) बॉन्ड विनियोग ट्रस्ट (Bond Investment Trust)

जापान में इस प्रकार ट्रस्टों का स्थापना जनवरी सन् 1961 में प्रारम्भ हुई। हिताधिकारी प्रमाण पत्र (beneficiary certificate) अर्थात् अंश प्रमाण-पत्र का मूल्य 10 हजार येन है।

य ट्रस्ट सावजनिक एवं निजी बॉन्डों में मुख्यतः अपने धन को विनियोग करत है। य ट्रस्ट प्रतिभूतियों अथवा अंशों के निगमन का अभिगान नहीं कर सकते हैं।

ये ट्रस्ट केवल उन्हीं कम्पनियों के बॉन्ड खरीद सकते हैं, जिन कम्पनियों की पूजा 10 बिलियन येन या अधिक हो और जिनके नाम ट्रस्ट अनुबंध की सूची में हैं। इसके अतिरिक्त किसी एक ही कम्पनी के बॉन्ड में यह ट्रस्ट अपनी पूजा के 20 प्रतिशत से अधिक भाग नहीं लगा सकता। इन बॉन्ड विनियोग ट्रस्टों में विनियोग किए गये मूलधन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती है अतः विनियोग कर्ताओं की सुरक्षा के लिए केवल वे कम्पनियाँ ही कार्य कर सकती हैं जिन्हें जापान के वित्त मंत्री ने इस कार्य का वर्ग की स्वीकृति दी है। इनकी क्रियाओं पर सुरक्षा के उद्देश्य से, कठोर सरकारी निरीक्षण रहता है।

सरकारी वित्तीय संस्थाएँ

(Government Financial Institutions)

सरकार के विनियोग एवं ऋण क्रियाओं की विशेषताएँ

जापान में सरकार वित्तीय क्रियाएँ में भी भाग लेती है और राष्ट्रीय बचत एवं विनियोग के प्रवाह में महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। जापान में डाकघर बचत एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न बीमा योजनाएँ के द्वारा बनी माया में धन सरकार प्राप्त करता है। सरकार इस धन का पूँजी व भूमिदान (subscriptions) ऋण देने व बँडों व त्रय ऋण में लगाती है। निजी क्षेत्र व विभिन्न उद्योगों एवं विभिन्न सरकारी संस्थाएँ भी सरकार का विनियोग व लिए धन लेती हैं।

माना की दृष्टि में सरकार द्वारा दिए गये ऋणों व विनियोगों का अधिकांश महत्वपूर्ण स्थान नहीं है किन्तु सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। आधारभूत उद्योगों व आधुनिकरण, विदेशी-व्यापार व विकास छोटे पैमाने के उद्योगों वृद्धि, वन कर्म व मछली कर्म, भवन निर्माण ऋणों के लिए वित्त प्रदान करना आदि महत्वपूर्ण हैं।

यद्यपि जापान की आर्थिक क्रियाएँ का एक लम्बा इतिहास है किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्, इनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योग रहा। युद्धोपरान्त पुनर्निर्माण के काल (1946 से 1953 जबकि उत्पादन व उपभोग युद्धपूर्व स्तर पर आ गया) में पुनर्निर्माण वित्त बैंक (Reconstruction Finance Bank 1946-1948) और संयुक्त राज्य सहायता प्रतिरूप कोष (U S Aid Counterpart Fund 1949-1953) के माध्यम से निजी क्षेत्र का बहुत बड़ी मात्रा में धन दिया गया जिसके परिणामस्वरूप लोहा व इस्पात कीवला धन व विद्युत शक्ति व जलयान आदि जैसे आधारभूत उद्योगों के पुनर्निर्माण में बहुत सहायता मिली। निजी क्षेत्र में माज मज्जा (equipment) के लिए आवश्यक धन का लगभग 30 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा (1951 28 प्रतिशत 1952 31 प्रतिशत 1953 24 प्रतिशत 1954 30 प्रतिशत) प्रदान किया गया। इस अवधि में सरकार ने निजी क्षेत्रों का माग समझी पैमाने की काफी सीमा तक पूरा किया।

पुनर्निर्माण की प्रगति के साथ अनेक उद्योग अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति पूँजी-बाजार और निजी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से करने में समर्थ हो गए।

इसका परिणाम यह हुआ कि औद्योगिक-कोष प्रदान करने से सरकार का भार कम हो गया, जसा कि नीचे की तुलनात्मक तालिका से स्पष्ट है—

वर्ष	सरकार का योग (प्रतिशत में)	वर्ष	सरकार का योग (प्रतिशत में)
1951	28	1957	16
1952	31	1958	18
1953	24	1959	17
1954	30	1960	13
1955	33	1961	9
1956	17		

अतः अब इन दिना सरकारी वित्त की नई प्रवृत्ति दृश्य जा रही है। आजकल शीघ्र उद्यमों वृद्धि वन कम, मजदूरी-कम आदि के क्षेत्र में सरकारी वित्त का महत्व बढ़ता जा रहा है। अधिकांश सरकारी ऋण ऐसी परियोजनाओं (projects) को दिए जाते हैं जिनको कि साधारण निजी वित्तीय सस्थाओं से ऋण प्राप्त नहीं हो पाता। निजी वित्तीय सस्थाएँ प्रायः तीन कारणों से इनका ऋण प्रदान नहीं कर पाती हैं— प्रथम मांगे जाने वाले ऋणों की राशि प्रायः छोटी होती है अथवा द्वितीय, ऋण काफी लम्बी अवधि के लिए मांगे जाते हैं, अथवा तृतीय ऋणों के लिए जमानत की अनुपयुक्तता।

इसके अतिरिक्त जापान में उद्योगों के तेज विकास के कारण सहका बन्दरगाहों व यातायात व मंदशवाहन के सामानों आदि के विकास की बहुत आवश्यकता है। इन कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है पूँजा लीषकाल तक बढ़ी रहती है पूँजी की वापसी में समय बहुत लगता है और पूँजी की उत्पादकता-दर कम होती है अतः इन कार्यों के लिए सरकारी वित्त द्वारा ही व्यवस्था हो सकती है क्योंकि निजी वित्त इन कार्यों के लिए अनुपयुक्त एवं अममथ होता है।

सरकारी विनियोग एवं ऋण योजनाओं का ढाँचा।

सरकारी विनियोग एवं ऋण की क्रियाएँ सरकार की विनियोग एवं ऋण योजनाओं के अंतर्गत कार्यावृत्त को जानने के लिए निवारण प्रत्येक वर्ष के सरकारी बजट के समानान्तर किया जाता है। जो प्रणाली सरकारी बजट में अपनाई जाती है लगभग उसी प्रणाली के अनुसार इसका निवारण भी मन्त्रि-मण्डल करता है। बजट और इसमें एक प्रमुख अंतर यह है कि बजट का भाति इसके लिए प्रारम्भिक अनुमोदन (preliminary approval) की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु इसके क्षेत्र की दृष्टि से यह बजट का तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं होता। यह योजना (Programme) वास्तव में बजट का ही एक महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि बजट के कार्यावयव में ही इसको क्रियावित्त करने की नीति का स्पष्ट उल्लेख कर लिया जाता है, और इसके ढाँचे का विवरण 'बजट की व्याख्या' (Explanation of the Budget) शीषक के अंतर्गत द दिया जाता है।

इन योजनाओं के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था (70 से 80 प्रतिशत

तक) मुख्यतः ट्रेजरी बाण्डों से की जाती है। इसमें प्रतिशत दृष्टि पर एक ब्यूरो के बाण्डों का अधिकतर जीवन-बीमा व अधिकतर वार्षिकी (annuity) बाण्डों एवं औद्योगिक वित्तियोग विशेष खातों से भी वित्त की व्यवस्था की जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जनता द्वारा अभिमान (subscription) के लिए सरकार बाण्डों का निगमन भी करती है। ये बाण्ड प्रायः दो प्रकार के होते हैं—प्रथम स्थानीय बाण्ड (local bonds) जिनका निजी क्षेत्र में अभिमान के लिए निगमन वित्त मंत्री के अनुमोदन पर किया जाता है और द्वितीय सरकार द्वारा गारंटी किए गए बाण्ड जिनका निगमन राष्ट्रीय रेलवे, तार एवं टेलीफोन के पब्लिक कारपोरेशन, भवन कॉरपोरेशन, हाईवे कॉरपोरेशन, ग्राम सावजनिक कारपोरेशन एवं सरकारी संस्थाएँ करती हैं।

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि जापान सरकार का विभिन्न प्रकार के औद्योगिक वित्तियोग एवं वित्त में महत्वपूर्ण भाग है, जिनके लिए बचत, बीमा, नोट निगमन आदि अनेक साधनों से काफ़ी एकत्रित वित्त प्राप्त है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि जापान में सरकार स्वयं एक बड़ी वित्तीय संस्था है।

वित्तीय विशिष्ट खातों एवं सरकारी वित्तीय संस्थाओं की रूपरेखा (Outline of Financial Special Accounts and Govt. Financial Institutions)

जापान में सरकार द्वारा वित्तीय क्रियाएँ वित्तीय विशिष्ट-खातों के द्वारा एवं सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाती हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

(a) विशिष्ट खाते—

- (i) ट्रस्ट फंड ब्यूरो,
- (ii) अधिकतर जीवन-बीमा और अधिकतर वार्षिकी विशिष्ट खाता,
- (iii) औद्योगिक वित्तियोग विशिष्ट खाता,
- (iv) ग्राम विशिष्ट खाता।

(b) एक से अधिक सावजनिक निगम—

- (i) जापान डेवलपमेंट बैंक
- (ii) एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ जापान
- (iii) ओवरसीज इकोनॉमिक को ऑपरेशन फंड
- (iv) पोपुलर फाइनेंस कारपोरेशन
- (v) हाउसिंग लोन कारपोरेशन
- (vi) स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कारपोरेशन
- (vii) एथोक्लर फरिस्ट्री एण्ड फिशरिज फाउन्डेशन कारपोरेशन
- (viii) हाकडा गेनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन
- (ix) लाइफ पब्लिक एंटरप्राइज फाइनेंस कारपोरेशन
- (x) स्मॉल बिजनेस प्रॉडक्ट्स इश्योरस कारपोरेशन
- (xi) मेडिकल क्लर फार्मिटीज फाइनेंस कारपोरेशन।

उपरोक्त म से विशिष्ट-खाते (special accounts) सरकारी सस्थाआ व विशिष्ट निगमो मे धन विनियोग एव ऋण प्रदान करत हैं और स्थानीय-सरकारी बोडा व बोको के ऋण पत्र क्रय करते हैं ।

दूसरे बग मे, सरकारी बकों व वित्त निगमों की पूजी पूणत सरकारी होती है । वे निजी औद्योगिक व अन्य उद्यमो म विनियोग करते हैं व ऋण प्रदान करते हैं । इनके आय व व्यय के 'बजटो का अनुमोदन सप्त' द्वारा आवश्यक है और उनके शुद्ध लाभ ट्रेजरी म हस्तांतरित कर दिए जाते हैं ।

सगठन एव क्रियाआ की दृष्टि से सरकारी निगम स्वतंत्र होते हैं । उदाहरण के लिए सरकारी बका मे सरकार केवल अध्यक्ष उपाध्यक्ष व अनेक्षण की नियुक्ति करती है और बक के संचालको की नियुक्ति बक का अध्यक्ष करता है, जबकि सरकारी निगमो के संचालको की नियुक्ति के लिए सरकार का अनुमोदन (approval) आवश्यक है । काय के क्षेत्र म बका को अपने व्यापार की क्रियाआ कोपो व आय क्रियाआ की योजनाए (plans) बनाने की स्वतंत्रता है । किन्तु सरकारी निगमो के लिए यह आवश्यक है कि अपनी योजनाओं को सबधित मंत्रो के पास अनुमोदन के लिए प्रामाणिक भेजें ।

सरकारी बक मुख्यत आधुनिक बड़े उद्योगो को साख प्रदान करते हैं अतः उनकी प्रकृति निजी वित्तीय सस्थाआ के समान हानी है, जबकि सरकारी निगम छोटे व्यवसायो कृषि भवन निर्माण, और छोटे एव मध्यम बग के व्यक्तियों को साख प्रदान करते हैं ।

सरकारी बको द्वारा निजी वित्तीय मस्थाओं से प्रतिस्पर्धा की अधिक संभावना होने के कारण उनकी क्रियाओ को कानून द्वारा सीमित कर लिया गया है । उदाहरण के लिए, उनके सबधित कानूना मे स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि वे (सरकारी बक) निजी बकों व निजी वित्तीय मस्थाओं से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे ।

(A) वित्तीय विशिष्ट खाते (Financial Special Accounts)

1. ट्रस्ट फंड ब्यूरो (Trust Fund Bureau)

इस ट्रस्ट फंड ब्यूरो की स्थापना सन् 1951 के कानून के अंतगत की गई । सरकारी विनियोग एव ऋण-याजनाआ म इस ब्यूरो का महत्वशील स्थान है । यह सरकार द्वारा प्रबंधित वित्तीय सस्था है ।

आधिक साधन—डाकघर के बचत निक्षेप एव विशिष्ट खातों के अधिक्य (surpluses), इस ब्यूरो के प्रमुख आर्थिक स्रोत हैं । जापान में इस समय (सन् 1970 म) लगभग 20 हजार डाकघर हैं । डाकघर म बचत खातों की समस्त राशि (दैनिक मुगतान के लिए आवश्यक कोष को छोड़कर) और समस्त रिजर्व (पिछले वर्षों के लाभ) इस ब्यूरो में स्थानान्तरित कर दिये जाते हैं । ट्रेजरी के आधिक्य को भी भी यह ब्यूरो प्राप्त कर सकता है । डाकघर बचत व बीमा योजनाओ स इस

ब्यूरो को अपने उपलब्ध साधनों का भाग से अधिक भाग प्राप्त हो जाता है। यह ध्यान रहे कि डाकघर की बचतों की सुरक्षा की गारंटी सरकार द्वारा की जाती है।

इस ब्यूरो में उपरोक्त कोष निश्चित अवधि के लिए जमा कराए जाते हैं। यह अवधि प्रायः एक महीने से 7 वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए होती है। इन कोषों पर यह ब्यूरो ब्याज भी देता है, जिसकी दरें कानून द्वारा निश्चित की जाती हैं। एक से 6 महीने तक के निक्षेपों पर 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर है और 7 वर्ष या अधिक अवधि के लिए 6% तक वार्षिक ब्याज-दर है। यदि इन ब्यूरो के निक्षेपों का विश्लेषण किया जाय तो विदित होगा कि इसमें पास कुल निक्षेपों का लगभग 85 प्रतिशत भाग 7 वर्ष या अधिक अवधि के लिए होता है और शेष लगभग 1 माह से अधिक अवधि के लिए होते हैं।

कोषों के उपयोग—इस ब्यूरो के कोषों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे विनियोग सुरक्षित भी रहे और लाभप्रद भी रहे। कानून द्वारा ब्यूरो का उपयोग केवल निम्नलिखित संस्थाओं को करने में अथवा निम्नलिखित प्रपत्रों में विनियोग करने के लिये ही किया जा सकता है—

- (1) सरकारी प्रतिभूतियाँ व सरकारी बॉण्ड,
- (2) सरकार को व स्थानीय निकायों (public bodies) को करने व उनके बॉण्ड,
- (3) बिजली कम्पनी के बॉण्ड व उनके करने
- (4) बकों द्वारा निगमित प्रतिभूतियाँ,
- (5) बकों के करने-पत्र आदि

यह ब्यूरो उद्योगों को सीधे ही वित्त प्रदान नहीं करता है बल्कि सरकारी बका, सरकारी निगमों व निजी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से बकों के करने-पत्रों को प्रत्येक करके वित्त प्रदान करता है। यह ब्यूरो बकों के करने-पत्र प्रसीमित मात्रा में नहीं खरीद सकता है, बल्कि उसकी सीमाएँ निश्चित हैं, जो ये हैं—(i) यह ब्यूरो अपने कुल वित्तीय साधनों के एक तिहाई भाग अथवा, (ii) किसी एक ही बक के 50 प्रतिशत से अधिक के करने पत्र, अथवा (iii) किसी भी एक निगम (issue) के 60 प्रतिशत से अधिक के करने-पत्र—यह ब्यूरो नहीं खरीद सकता।

यह ब्यूरो 6.5 प्रतिशत वार्षिक दर से करने पर ब्याज प्राप्त करता है।

2 डाकघर, जीवन बीमा और डाकघर वार्षिकी विशेष खाता

(Post Office Life Insurance and Postal Annuity Special Account)

यह विशेष-खाता डाकघर जीवन-बीमा व्यवस्था व डाकघर-वार्षिकी व्यवस्था के हिसाब के लिए (accounting) स्थापित किया गया था।

डाकघर जीवन-बीमा प्रणाली सरकार द्वारा संचालित है। यह प्रणाली कम आय वाले व्यक्तियों का जीवन-बीमा की सुविधाएँ प्रदान करती है। बीमे की राशि व प्रीमियम की राशि कम ही होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत बीमा तीन प्रकार का होता है—जीवन-बीमा, वृद्धावस्था बीमा और परिवार बीमा।

डाकघर-वापिकी (Annuity) का उद्देश्य मध्य व निम्न वर्गों के वृद्ध व युवा व्यक्तियों के जीवन की दशाओं का स्थाईकरण (stabilization) व कल्याण (welfare) में वृद्धि करना है। प्रीमियम की दरें, जितनी मभव हो सकती हैं, नीची रखी जाती हैं इसका कारण यह है कि सरकार डाकघर वापिकी योजना को लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं चलाती है।

इनके कोषों को प्रायः स्थानीय बका, सावजनिक संगठनों और सरकारी वित्तीय सस्थाओं को ऋण देने के प्रयोग में लाया जाता है। इनकी ब्याज की दर प्रायः ट्रस्ट फंड ध्यूरो के समान ही होती हैं।

3 औद्योगिक विनियोग विशिष्ट खाता (Industrial Investment Special Account)

इस विशिष्ट खाते की स्थापना सन् 1953 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक पुनर्निर्माण, औद्योगिक विकास एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिये विनियोग करना और ऋण प्रदान करना है। आजकल यह प्रायः सरकारी वित्तीय सस्थाओं की पूंजी में अपने कोषों को विनियोग करता है।

अपनी स्थापना के वक 1953 से 1955 तक की अवधि में इस खाते में से जापान विकास बैंक, जापान के आयात निर्यात बैंक और विद्युत शक्ति विकास कम्पनी के अर्थ पूंजी में अभिदान किया गया है और ऋण दिए गये हैं जिनके फलस्वरूप आधारभूत उद्योग व विदेशी-व्यापार की वित्तीय आवश्यकताएँ बहुत अंश तक पूरी हुईं।

आजकल यह खाता (account) कोषों की कमी महसूस कर रहा है। इसका कारण यह है आयात निर्यात बैंक व अन्य सरकारी वित्तीय सस्थाओं की पूंजीगत आवश्यकताएँ बढ़ रही हैं जिनके कारण धन की अतिक्रम मांग हो रही है और दूसरी ओर आय के साधनों में बहुत वृद्धि नहीं हो सकी।

(B) सरकारी बैंक व निगम (Govt Banks and Corporations)

1 जापान विकास बैंक (The Japan Development Bank)

इस बैंक की स्थापना सन् 1951 में की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य जापान के आर्थिक-पुनर्निर्माण और औद्योगिक विकास के हेतु निजी वित्तीय सस्थाओं की वृद्धि के लिये ऋण प्रदान करके उनको प्रोत्साहित करने व उनके पूरक के रूप में कार्य करना है। जापान विकास बैंक तमाम सरकारी वित्तीय सस्थाओं में सबसे बड़ा है। इस बैंक का प्रधान कार्यालय जापान की राजधानी टोकियो में है। इस बैंक की सात शाखाएँ हैं जो बड़े नगरों में स्थित हैं।

इस बैंक की पूंजी 235 बिलियन येन है, जिसको 'इंडस्ट्रियल इन्वैस्टमेंट स्पेशल अकाउंट' में से प्रदान किया गया है। इसके धारितरिक्त इस बैंक ने 333

प्रमुख दशों की बकिंग प्रणालियों

बिलियन येन सरकार से ऋण ले रहे हैं और 101 बिलियन येन पुनर्निर्माण व विकास व अंतर्राष्ट्रीय बक (I B R D) से उधार ले रत हैं।

जापान विकास बक का प्रमुख वाय, विकास कार्यों के लिए ऋण देता है। देश के पुनर्निर्माण और औद्योगिक विकास के जिन कार्यों के लिए निजी वित्तीय संस्थाओं से वित्त मिलना कठिन होता है उनको यह बक वित्त प्रदान करता है। यह बक मुख्यतः जलयान, विद्युत शक्ति, कोयला रासायनिक व मशीन उद्योगों को वित्त देता है।

यह बक विभिन्न उद्योगों को अलग अलग अवधियों के लिए ऋण देता है। विद्युत शक्ति उद्योगों को 25 वष की अवधि के लिए ऋण द दिया जात है। सभी ऋण कम से कम 1 वष की अवधि के तो होते हैं ह। इस प्रकार ऋणों की अवधि 1 वष से 25 वष तक की होती है। व्याज की दर प्रायः 6.5 प्रतिशत वार्षिक होती है।

2 जापान का निर्यात आयात बक (The Export Import Bank of Japan)

इस बक की स्थापना सन् 1950 में की गई थी। इसकी स्थापना मुख्यतः तीन उद्देश्यों से की गई थी। प्रथम दश के आयातों व निर्यातों के वित्त को प्रोत्साहित करना एवं उसके पूरक रूप में वाय करना और द्वितीय, साधारण वित्तीय संस्थाओं के द्वारा विदेशों में विनियोग को प्रोत्साहित करना व उसके पूरक के रूप में वाय करना। इनके अतिरिक्त तृतीय विदेशी व्यापार के क्षेत्र में जापान व अन्य देशों के मध्य आर्थिक सुविधाओं को बढ़ाना। प्लेट व मशीनों व निर्यात और विदेशों से विनियोगों के लिए मध्यम-कालीन व दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करने में इस बक का महत्वपूर्ण भाग है।

इस बक की इस समय पूंजी 98 बिलियन येन है, जिस जापान डवलपमेंट बक की भांति इंटरनैशनल डेवलपमेंट स्पेशल अकाउंट में संप्रदान किया गया है। यह बक अपनी पूंजी की तीन गुनी राशि तक जापान सरकार से ऋण प्राप्त कर सकता है एवं विदेशी बकों से विदेशी पूंजी से उधार ले सकता है। इस बक ने अभी तक ट्रस्ट फंड ब्यूरो से ही ऋण लिए हैं विदेशी बकों से ऋण नहीं लिए हैं।

एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक आफ जापान व प्रमुख वाय निम्नलिखित हैं—

- (i) माल व तकनीकी सहायता के निर्यात के लिए वित्त—जापान में निमित्त माल के निर्यात व विदेशों का तकनीकी प्रदान करने के लिए जिन कार्यों की आवश्यकता पड़ती है उनको यह बक व्यवस्था करता है। अथ वित्त व अन्य वित्तित दशों में औद्योगिक विकास हो रहा है सामान्य-प्लान्स मशीनों खपान व अन्य उद्योगों व निर्यात में वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त तकनीकी पान का भी निर्यात हो रहा है।
- (ii) आयात के लिए वित्त—प्रमुख माल विषयों में कच्चे माल व आयात व सर्वाधिक महत्व एस माल के वास्तविक-उपयोगकर्ताओं (actual users) को यह

बक आपात के अग्रिम भुगतान करने के लिए अथवा जिन बको ने ऐसे अग्रिम भुगताना के लिए विलो की कटौती की है उन विना की पुनर्कौनी द्वारा वित्त प्रदान करता है ।

(iii) विदेशों में विनियोग के लिए वित्त—जो जापानी उद्यम विन्शा म व्यापार म विनियोग करत हैं अथवा उहे विदेशा म साज-सज्जा (equipment) के लिए वित्त की आवश्यकता पडती है तो यह बैंक उहे वित्त प्रदान करता है । जापान का विदेशो म विनियोग बढ रहा है एव जापान का विदेशो मे वहा की औद्योगिक इकाइयो के सह प्रबन्ध के आधार पर काय बढ रहा है । जानान धनक अविक्सित व विकासशील देशो को तकनीकी ज्ञान का निर्यात कर रहा है अत इम बक द्वारा वित्तीय क्षेत्र म अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है ।

(iv) विदेशी सरकारों को ऋण आदि—विदेशी सरकारा विदेशी सरकार की सन्धाया अथवा कम्पनिया को जापान स तकनीकी ज्ञान (technical know ledge) व साज-सज्जा आयात करने के लिए ऋण दिए जाते हैं । उनक अतिरिक्त जापान विदेशी-सरकारा को विक्राम ऋण भी देता है । जापान सरकार व विदेशी सरकार के मध्य समभौत क आधार पर विदेशी विक्राम परियोजनाया म सहयोग देने के उद्देश्य से भी यह बक विदेशी-सरकारा का ऋण देता है ।

स्थानीय उद्यमो द्वारा आयात व निर्यात के लिए यह एक्सचेंज-रिस्काट बैंक, व्यापारिक बका से मिलकर सम्मिलित रूप से वित्त प्रदान करता है । ऋण का प्राय 70 प्रतिशत भाग यह बक देता है व शेष व्यापारिक-बक ।

यह बक ऋण पर स्थानीय नियानका स 7 प्रतिशत, आयात-बन्धाया स 6 5 प्रतिशत और विदेशा मे वित्त विनियोग पर प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से व्याज प्राप्त करता है ।

निर्यात व आयात के ऋणा की अवधि साधारणतः 5 वर्ष या कम होती है किन्तु अपवाद के मामला मे यह अवधि 15 वर्ष तक की जा सकती है । विदेशा मे विनियोग अथवा विन्शा म उद्यमा के लिए ऋणा की अवधि 10 वर्ष या कम होती है किन्तु अपवाद के मामला म यह अवधि 20 वर्ष तक की जा सकती है । इन दिनों दाघकानान ऋणा की प्रवृत्ति है ।

रिजर्व व निर्माण के पश्चान बैंक के लाभ का इन्स्ट्रुमल इन्वस्टमेंट स्पेशल अकाउंट म स्थानान्तरित कर दिया जाता है ।

सरकारी निगम (Govt Corporations)

1 हाउसिंग सोन कारपोरेशन—इन निगम की स्थापना मर्च 1950 म की गई थी । इसका उद्देश्य भवन निर्माण के लिए कम व्याज दर पर लोपकानान ऋण प्रदान करना है । इनकी पूजो (26 विनियम यन) के अतिरिक्त यह ट्रस्ट-कन्स्यूरा व हाथकर-जावन-बीमा मे ऋण भी प्राप्त करता है ।

यह निगम साधारण विभाग के लिए भवना, धौलादिक-प्रमिर्वा क विभाग गृह एवं विभिन्न प्रकार के भवना निर्माण के लिए ऋण प्रदान करता है। इसका द्वारा स्थित जान बान ऋणा को 10 वर्षों में विभक्त किया गया है और उनका अवधि भी चलन चलन है। साधारणतः ब्याज की दर 5.5 प्रतिशत वादित है और ऋण 10 वर्ष में 50 वर्ष तक का अवधि के लिए हो सकता है। भवन निर्माण के कुल व्यय के 50 प्रतिशत में 75 प्रतिशत तक का राशि के यह निगम ऋण प्रदान करता है किन्तु साधारण के मामला में 100 प्रतिशत तक की राशि के ऋण भी दानि जात है।

2 हाकडो-टोहाडू डवसपमट कारपोरेशन—इस निगम की स्थापना जाना के हाकडो के टोहाडू जिला के विकास में साधना मान के लिए सन् 1956 में की गई थी। इसकी पूजा 2.5 बिलियन यन है। यह इस क्षेत्र में कृषि जनन यन-यन, पशु यन के डेपरा जन जाव उत्पादन, मानावान घाति के विकास के लिए निजी उद्यमों को ऋण प्रदान करता है। जिन कम्पनियों की पूजा 1 करोड़ यन या अधिक होता है इनको यह निगम ऋण दता है। ब्याज-दर प्रायः 8 प्रतिशत वादित होती है और ऋण का अवधि 1 से 10 वर्ष तक होती है।

3 मडिकल क्वर फसिलिटोज काइनेस कर्पोरेशन—इस निगम की स्थापना सन् 1960 में की गई थी। इसका उद्देश्य निजी अस्पतालों की स्थापना के विकास के लिए यम ब्याज दर पर दीधकारीन ऋण प्रदान करता है विशेषतः उन दगाभा में जवनि निजा क्षेत्र से वित्त का प्रबंध कठिन होता है। नये अस्पताल के निर्माण के लिए 20 वर्ष तक की अवधि के लिए विकास के लिए 15 वर्ष तक की अवधि के लिए उपकरण त्रय करन के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए ऋण दिव जा सकते हैं।

आस्ट्रेलिया की बैंकिंग प्रणाली
(Banking System in Australia)

आस्ट्रेलिया की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं

भूमिका—आस्ट्रेलिया विश्व के बड़ा चित्त मवसे नवीन दशो (youngest) म स है। आस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल (लगभग 85 11 लाख बग किलोमीटर) समुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल (93 63 लाख बग किलोमीटर) के लगभग समान है किन्तु जनसंख्या मे पर्याप्त अंतर है। समुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या (सन् 1968) लगभग 20 11 करोड है जबकि आस्ट्रेलिया की जनसंख्या (सन् 1970) लगभग 12 कराड है। आस्ट्रेलिया के निवासी अधिकांश अंग्रेज हैं। अत इनका जीवन-स्तर उचा है जिसकी तुलना इंग्लैंड अथवा समुक्त राज्य अमेरिका स भलीभांति की जा सकती है।

आस्ट्रेलिया का सबसे प्राचीन उद्योग पशुपालन उद्योग (pastoral industry) है। यह उद्योग आज भी वहा सबसे बड़ा उद्योग है। इनकी प्रमुख उपज ऊन है व मास की प्राप्ति भी की जाती है। गेहू उत्पादन व दुग्ध पदार्थ उत्पादन भी अथ प्रमुख उत्पादन हैं। फलों का उत्पादन भी मह वपूर्ण है। खनिज पदार्थों म स्वण, कोयला लोहा टिन, तांबा आदि प्रमुख है।

साख की आवश्यकताएं—आस्ट्रेलिया म गौण उद्योग (secondary industries) के साथ साथ पूजा की भी माग म वृद्धि हो रही है। भूमि, भवन, मशीना आदि के लिए स्थिर पूजा ता अगो आदि के विश्रय स प्राप्त करली जानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् से बडी माता म पूजा विदेश स आकर्षित हुई। युद्ध काल म गण्ट्राय सुरक्षा अधिनियम के अन्तगत पूजा के निगमन पर नियंत्रण किया गया। इस अधिनियम को सन् 1951 मे पुन लागू किया गया। इस एक्ट का प्रमुख प्रावधान यह था कि कार् भी कम्पनी जो 25 हजार पौंड स अधिक की अधिगत पूजा निगमित करती है उस निगमन से पूव ट्रेजरी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक कर लिया गया। अल्प-कालीन ऋणों की आवश्यकता भी पडती है। अत, कालान साथ की आवश्यकता की पूर्ति व्यापारिक बक करत है। इस संबंध म केन्द्राय बको की अधिका है कि वह देश के व्यापारिक बका की निर्देश दे सके। सन् 1970 म केन्द्रीय बक न व्यापारिक बकों की ऋण दन की शक्ति पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए।

द्वितीय युद्ध के पश्चात् निमाण उद्योग भी अधिक त्रिपाशील दिखाई लिया है। इस उद्योग की सरकारी वित्तीय सहायता, बीमा कम्पनिया आदि से ऋण प्राप्त

हा जात है किंतु एक अनुमान के अनुसार इस उद्योग का प्राप्त हानि वान कुल ऋणा का 15 से 20 प्रतिशत भाग व्यापारिक बकाय प्राप्त होता है।

विदेशी व्यापार के लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए ऊन का निर्यातकों को विप्रेय एव जहाज पर सार भयवा विन्ता म ऊन पहुँचने की अवधि में वित्त की आवश्यकता पड़ती है इसी प्रकार घाव प्राथमिक उपजा की विदेशी बाजार तक पहुँचने में पर्याप्त समय लग जाता है। अधिकांश विदेशी व्यापार इंग्लैंड के साथ होता है और प्राथमिक उत्पादन में राष्ट्रमंडलीय देशों का भी भेज जात लग है। यह उल्लेखनीय है कि गृह मास मकान व अन्य दुग्ध पशुय मूग हूण फल व चीनी आदि का अधिकांश निर्यात मुख्यतः इंग्लैंड का किया जाता है और निर्यात मुख्यतः सरकारी सस्थाओं द्वारा किया जाता है।

इसी प्रकार आयात व्यापार में भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय व्यापार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है।

आस्ट्रेलिया के बकाय के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त प्रदान करना भी पर्याप्त महत्वशील है। वृषकों व पशुपालकों का भी ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। वृषकों व पशुपालकों के विकास के लिए पशुओं का पीन व जनन का व्यवस्था (तानाव आदि बना कर) व अन्य कार्यों के लिए ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। एक अनुमान के अनुसार प्राथमिक उद्योगों को प्रदान किए गए कुल ऋणों का लगभग 25% भाग व्यापारिक बकायों द्वारा प्रदान किया जाता है।

साख की प्रमुख संस्थाएँ

- 1 रिजर्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया—यह आस्ट्रेलिया का केंद्रीय बैंक है। पहले इसका नाम कामनवैल्थ बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया था। किंतु सन् 1960 से इसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया कर दिया गया है।
- 2 व्यापारिक बैंक—आस्ट्रेलिया में इस समय 11 व्यापारिक बैंक हैं, जिनमें 7 बैंक तो काफी बड़े हैं व 4 बैंक छोटे हैं।
- 3 स्टेट ग्रामीण बैंक—आस्ट्रेलिया में 5 ग्रामीण बैंक (Rural Banks) हैं जिनकी स्थापना संबंधित राज्यों ने की है।
- 4 सचैट बैंक—ये नवीन बैंक हैं। ये मुख्यतः विनियोग गृहों की भाँति कार्य करते हैं।
- 5 बचत बैंक—आस्ट्रेलिया में 4 प्रमुख बचत बैंक हैं जिनमें से 2 सरकार के बचत बैंक हैं और दो ट्रस्टी बचत बैंक हैं।
- 6 पशुपालन एव भूमि वित्त कम्पनियाँ—आस्ट्रेलिया में ऐसी अनेक वित्तीय कम्पनियाँ हैं। ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशील हैं।
- 7 विदेशी बैंक—कुछ विदेशी बैंकों ने अपनी शाखाएँ आस्ट्रेलिया में स्थापित कर ली हैं। ये बैंक मुख्यतः विदेशी व्यापार से संबंधित कार्य करते हैं।

भूमिका—आस्ट्रेलिया में भी अथ देशों, जस इंग्लैंड, फ्रान्स, जापान, भारत आदि देशों की भांति शाखा बैंकिंग प्रणाली (branch banking system) है, संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति इकाई बैंकिंग प्रणाली (unit banking system) नहीं है।

आस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के व्यापारिक बैंकों में अनेक समानताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। दोनों ही देशों में व्यापारिक बैंकों की संख्या पर्याप्त कम है किंतु प्रत्येक बैंक की शाखाओं का जाल सम्पूर्ण देश में फैला हुआ है। पिछली अर्ध शताब्दी में दोनों ही देशों में समान प्रवृत्ति दिखाई दी—बैंकों का एकीकरण। इस एकीकरण के फलस्वरूप बैंकों की संख्या में कमी हुई है। यह उल्लेखनीय है कि व्यापारिक बैंकों (commercial banks) को आस्ट्रेलिया 'ट्रेडिंग बैंक' (trading banks) कहते हैं।

कृषिक विकास—वास्तविक अर्थ में आस्ट्रेलिया में बैंकिंग विकास का इतिहास सन् 1817 में प्रारम्भ होता है जबकि वहाँ 'बैंक ऑफ साउथ वेल्स' स्थापित किया गया। यह बैंक आज भी विद्यमान है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बैंक है। यह बैंक 20 हजार पाउंड की पूंजी से प्रारम्भ किया गया था। इस बैंक के प्रारम्भ में तीन प्रमुख कार्य थे—अपनी पत्र मुद्रा का निगमन करना, भूमि की प्रतिभूति पर ऋण देना एवं व्यापारिक विनिमय विपत्तियों को दूर करना।

सन् 1826 के पश्चात् देश में बैंकिंग विकास पर्याप्त हुआ। इसके पश्चात् सन् 1850 के लगभग वहाँ स्वयं की नई पाना का पत्रा नगने के कारण इंग्लैंड का विनियोग ऑस्ट्रेलिया में काफी बढ़ गया और उसके परिणामस्वरूप बैंकिंग को भी प्रोत्साहन मिला। जब स्वयं की पाना का पत्रा चला तो अनेक और अर्थों में भी यहाँ आकर बसने लगे और इन लोगों को सामान्य मूल्य पर भूमि विक्रय अथवा लीज पर दी जान लगी। इन बसने वालों को भूमि मुधार व अन्य कार्यों के लिए ऋणों की आवश्यकता होने लगी। इसके साथ ही पशुपालक एवं भूमि बम्पनियों भी स्थापित हो गई जो अपने आहूतों की वित्तीय-आवश्यकताएँ पूरा करती थीं। व्यापारिक-बैंकों को अपना योग प्रदान करते थे। इस प्रकार सन् 1880 के उसके पश्चात् कुछ वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया में व्यापारिक बैंकों का द्रुतगति से विकास हुआ

प्रमुख देशों की बकिंग प्रणालिया

किंतु 1893 में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। इसका प्रभाव व्यापारिक बंकों पर भी पड़ा। केवल पांच महिना की अल्प अवधि में 15 बंकों (जिनकी लगभग 100 शाखाएँ थीं) फेल हो गए। इसके पश्चात् मजबूत बकिंग प्रणाली की नीति अपनाई जिसके परिणामस्वरूप आस्ट्रेलिया में बंकों फेल नहीं हुए यहाँ तक कि सन् 1930 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी के समय जब अनेक देशों में अनेक बंकों फेल हुए, आस्ट्रेलिया में कोई बंकों फेल नहीं हुआ। हाँ सन् 1914 में आस्ट्रेलिया में 20 बंकों थे और सन् 1925 तक इनमें से 5 बंकों फेल हो गये थे। इसके पश्चात् बड़ा बंकों फेल नहीं हुए।

बंकों के फेल होने की प्रवृत्ति तो समाप्त हो गई किंतु बंकों के एकीकरण (amalgamation) की प्रवृत्ति बढ गई। आस्ट्रेलिया के इतिहास में बंकों का सबसे बड़ा एकीकरण सन् 1961 में हुआ जबकि बंकों काफ आस्ट्रेलिया एंड यूनिवर्सल बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया का एकीकरण हो गया और इसके फलस्वरूप 'आस्ट्रेलिया एण्ड न्यूजीलैंड बैंक लिमिटेड' अस्तित्व में आया।

वर्तमान स्थिति—आस्ट्रेलिया में इस समय 7 बड़े व्यापारिक बंकों व 4 छोटे व्यापारिक बंकों के नाम महत्व के अनुसार यह है—

कामनवेल्थ ट्रेडिंग बैंक (पहले केन्द्रीय बैंक का एक विभाग था)
आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड बैंक
बंकों काफ यू साउथ वेल्स

नेशनल बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया
कमर्शियल बकिंग कम्पनी ऑफ सिडनी
कमर्शियल बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया
इंगलिश स्काटिश एण्ड आस्ट्रेलियन बैंक

उपरोक्त बैंकों में से आस्ट्रेलिया एण्ड न्यूजीलैंड बैंक और इंगलिश स्काटिश एण्ड आस्ट्रेलियन बैंक के प्रधान कार्यालय (head offices) लंदन में हैं और शेष सब आस्ट्रेलिया में हैं। इनमें बैंक ऑफ यू साउथ वेल्स सबसे प्राचीन है जो सन् 1817 में 20 हजार पौंड की पूंजी से स्थापित किया गया था। यह बैंक आज भी आस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। अधिकांश बंकों के प्रधान-कार्यालय सिडनी (यू साउथ वेल्स की राजधानी) एवं दक्षिणी-पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह) में स्थित हैं।

बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया और यूनिवर्सल बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया का 1 अक्टूबर 1961 को एकीकरण हो गया जिसके परिणामस्वरूप आस्ट्रेलिया एण्ड न्यूजीलैंड बैंक अस्तित्व में आया। एकीकरण के अंतर्गत ये दोनों बैंक लंदन से नियंत्रित होते थे।

शांति बकिंग—भारत में बतलाया जा चुका है कि अर्थ दशा का भाव आस्ट्रेलिया में आया बकिंग प्रणाली अपनाई गई है। समुक्त राज्य अमेरिका की भांति इहाँ भी बकिंग प्रणाली नहीं। अतः यहाँ व्यापारिक-बंकों की संख्या तो कम है व उनकी

शाखाओं की संख्या काफी हैं। प्रत्येक व्यापारिक बक की अनेक शाखाएँ सम्पूर्ण देश में तो हैं ही किंतु प्रत्येक राज्य में भा वम से कम एक शाखा तो है ही। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेट-बक की अपने राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य में शाखा नहीं है बल्कि अधिकांश बका की तो शाखाएँ ही नहीं हैं।

सबसे अधिक शाखाएँ बक ऑफ़ यूसाउथ वेल्स (लगभग 660 शाखाएँ) की हैं दूसरा स्थान आस्ट्रेलिया एण्ड यूजीलैंड बक का है जिसकी लगभग 560 शाखाएँ हैं। आस्ट्रेलिया के सात बड़े बकों में प्रत्येक बक की 250 से अधिक शाखाएँ हैं।

बेल्ट बँकिंग कम्पनी लि० और ब्रिस्बेन पब्लिक बिल्डिंग एण्ड बँकिंग कम्पनी लि० दो अन्य व्यापारिक बैंक हैं जिनका कार्यालय वह नगर ही है जहाँ वे स्थित हैं। बेल्ट नगर विक्टोरिया राज्य में स्थित है और ब्रिस्बेन नगर क्वींसलैंड की राजधानी है।

बक ऑफ़ यूसाउथ वेल्स की शाखाएँ व एजेंसिया फिजी द्वीपसमूह (यूजी लैंड के उत्तर में) भी हैं। इसके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया व समस्त बक अपने कार्यालय (office) लंदन में भी रखते हैं। इसका प्रमुख कारण है आस्ट्रेलिया का इंगलैंड के साथ महत्वशील मात्रा में विदेशी-व्यापार एवं पण्टका का आवागमन।

आस्ट्रेलिया में निजी-बक (private banks) राज्य-चाटर्स ससद के विशेष एक्ट अथवा सबधित राज्य (State) व कम्पनी अधिनियम व रूप में कार्य स्थापित किये गये हैं। ये तमाम सीमित दायित्ववाली कम्पनी के रूप में कार्य करती हैं और इनकी पूँजी अंशों (shares) में विभाजित रहती है।

सन् 1930 की मंदी ने आस्ट्रेलिया के उद्योग घटा व व्यवसाय को भी प्रभावित किया और दूसरी ओर कृषक एवं पशु-पालक अत्यन्त कठिनाई में पड़े गये। बकों ने इतनी अधिक सहायता नहीं की, जितनी करनी चाहिए थी अतः उनकी कठु आलोचना की गई। जब आर्थिक-मंदी और गहरी हो गई तो कॉमनवैलथ बक ने सघीय सरकार एवं राज्य सरकारों को और अधिक सहायता देने का बत कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनातिक-क्षेत्र से बका व राष्ट्रीयकरण की मांग जार पकड़न लगी।

दश की आर्थिक व बँकिंग प्रणाली की गिरती हुई स्थिति के कारण, मन् 1936 में एक 'शाही आयोग' (Royal Commission) स्थापित किया गया ताकि वह आस्ट्रेलिया की मौद्रिक व बँकिंग प्रणाली की जाँच करे व सुधार के लिए परामर्श दे। मन् 1937 में इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया जिसमें अनेक परामर्श दिए गये। उनमें से इस मस्य में सबसे महत्वशील परामर्श थे—प्रथम, व्यापारिक बका का लाइसेंस प्रदान किए जावें और द्वितीय कॉमनवैलथ बक का और कठोर नियंत्रण इन बकों पर हो। इन परामर्शों पर विचार विनिमय ही हो रहा था कि सन् 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिन्न गया, अतः सन् 1945 तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया जा सका।

विभिन्न एक्ट—सन् 1945 में दो एक्ट पास किए गए—बैंकिंग एक्ट 1945 और कामनवैलथ बैंक एक्ट 1945 इन अधिनियमों (acts) में बैंक के ऊपर विस्तृत नियंत्रण करने के प्रावधान रखे गए। इस अधिनियम ने समस्त बैंकों को लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया। इतना ही नहीं, कामनवैलथ बैंक एक्ट ने राज्य एवं स्थानीय सरकारी संस्थाओं के लिए अपने-आपने को कॉमनवैलथ बैंक में रूपांतरित करना अनिवार्य कर दिया। इस विषय पर अनेक राज्य प्रसन्न नहीं हुए। अन्तः-मेलबोन-नगर परिषद् ने इस प्रावधान को अमरवधानिकता के आधार पर उच्च न्यायालय में चुनौती दी एवं निम्न मेलबोन-नगर परिषद् के पक्ष में लिया गया।

अन्तः अन्तः सरकार ने सन् 1947 में बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का निम्न एक बिल प्रस्तुत किया। यह बिल भी विवादास्पद था एवं अनेक वर्षों के पश्चात् पास कर दिया गया। इस एक्ट के अन्तर्गत ही अनेक बैंकों ने एवं कुछ राज्यों ने (जिनमें साउथ आस्ट्रेलिया व विक्टोरिया के राज्य उल्लेखनीय हैं) आस्ट्रेलिया के उच्च-न्यायालय में इसको चुनौती दी। न्यायालय ने अन्तः में, अपने निष्पत्ति में, इस एक्ट के प्रमुख प्रावधानों को अमरवधानिक (ultra vires) घोषित कर दिया। इस समय आस्ट्रेलिया में श्रमिक सरकार (Labour govt) थी। सन् 1949 में श्रमिक सरकार ने बैंक के राष्ट्रीयकरण की नीति के आधार पर चुनाव लड़ा और वह हार गई। इसके हारने पर उदार दल (Liberal party) शक्ति में आया। उदार दल ने सत्ताहस्त हाथ ही एक बिल पास किया जिसके अनुसार इस एक्ट को निरस्त (repeal) कर दिया गया और कामनवैलथ बैंक एक्ट 1945 में कुछ संशोधन किये गये।

फिर सन् 1952 में आस्ट्रेलिया के अन्तः व्यापारिक बैंक (trading banks) का राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक बिल प्रस्तुत किया गया। अनेक वर्षों के विवादा के पश्चात् इस बिल को कामनवैलथ पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने पास कर लिया किन्तु उच्च-न्यायालय में चुनौती दी गई। न्यायालय ने इस अमरवधानिक (ultra vires) घोषित कर दिया। अन्तः सरकार ने इस निष्पत्ति को अपील प्रिवाँ कौंसिल की जुडीशियल कमिटी को भी किन्तु इसने भी उच्च-न्यायालय के निष्पत्ति को ही पुष्टि की।

सन् 1959 के पूर्व तक कामनवैलथ बैंक आफ आस्ट्रेलिया व्यापारिक बैंक एवं केन्द्रीय बैंक—दोनों ही की तरह काम कर रहा था किन्तु सन् 1959 के एक्ट के निम्नानुसार के पश्चात् केन्द्रीय बैंक का कार्य करने के लिए अलग रिजर्व बैंक आफ आस्ट्रेलिया की स्थापना कर दी गई अन्तः कार्यो के लिए कामनवैलथ ट्रेडिंग बैंकिंग कारपोरेशन की स्थापना कर दी गई। यह कामनवैलथ ट्रेडिंग बैंकिंग कारपोरेशन मुख्यतः तान बैंक का नियंत्रित करता है। इन तीन बैंकों के नाम इस प्रकार हैं—कामनवैलथ ट्रेडिंग बैंक आफ आस्ट्रेलिया कामनवैलथ सर्विसेस बैंक आफ आस्ट्रेलिया और कामनवैलथ डेवलपमेंट बैंक आफ आस्ट्रेलिया। इन बैंकों का अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषीकरण है—प्रथम बैंक व्यापारिक बैंक है, दूसरा बैंक बचत-बैंक है और तीसरा बैंक विनियोग बैंक है।

व्यापारिक बकों के प्रमुख कार्य

1 निक्षेप प्राप्त करना—ग्रास्ट्रेलिया के व्यापारिक बक जनता में मुख्यत दो प्रकार के खाता में निक्षेप प्राप्त करते हैं—चालू खात (Current A/c) में और निश्चितकालीन खात (Fixed A/c) में। चालू खाता में से राशि मांग पर देय होती है और चक्रा द्वारा निकाली जाती है। इस खाता में जमा राशि पर साधारणतया बैंक कोई ब्याज नहीं देता है किन्तु प्रायः दान की संस्थाया (charitable institutions) के खातों में प्रायः 2 प्रतिशत की दर से ब्याज दे दते हैं, यदि निक्षेप की राशि 2 000 पाँड तक हो। इससे अधिक राशि यदि खाता में होती है तो इस अधिक राशि पर 1% की वार्षिक दर से प्रायः ब्याज दिया जाता है।

निश्चित कालीन खाता में राशि प्रायः 3 महीने से 2 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकार की जाती है और साधारणतः उच्च निश्चित अवधि की समाप्ति पर ही ब्याज सन्धि वापिस दी जाती है। इस खाते में न्यूनतम निक्षेप की राशि प्रायः 1,000 पाँड होती है। इन पर ब्याज की साधारणतः ये दरें होती हैं—

अवधि	ब्याज दर
3 महीने	$\frac{1}{2}$ प्रतिशत
6 महीने	$\frac{3}{4}$ प्रतिशत
12 महीने	1 प्रतिशत
24 महीने	1 $\frac{1}{2}$ प्रतिशत

ग्रास्ट्रेलिया में निश्चितकालीन निक्षेप के संबंध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं—

- 1 इन निक्षेपों पर अथ दशा की तुलना में ब्याज-दर कम है।
- 2 जब मरणा का काल आता है तो इन निक्षेपों की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि लोग अपनी तरल पूँजी को अथ स्थान पर लगाने की अपेक्षा अच्छे बक में जमा करना अधिक मुरक्षित समझते हैं।
- 3 व्यापार विकास के समय इन निक्षेपों की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि वे अपनी पूँजी को बका में निक्षेप के रूप में बंधा रखने की अपेक्षा अपने व्यापार में लगाना अधिक उपयुक्त समझते हैं।
- 4 कुछ अवस्थाओं में राष्ट्रीय-संकट के समय में भी ये निक्षेप कम हो जाते हैं। इस समय पर सरकार की सहायता के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में अपना धन का लगाना अच्छा समझते हैं यद्यपि इन प्रतिभूतियों पर ब्याज की दर काफी कम होती है।

2 ऋण व अग्रिम देना—अथ दशा के व्यापारिक-बैंक की भाँति यहाँ के व्यापारिक बक भी ऋण व अग्रिम देते हैं। यहाँ की इन बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों में एक विशेषता यह है कि ये ऋण किसी भी प्रकार के ऋण देते हैं।

नाम मात्र का शुल्क लेते हैं। कुछ बैंक आर्थिक क्षेत्र में अनुसन्धान का काम भी करते हैं एवं मासिक-पत्रिका निकालते हैं जिसमें आर्थिक प्रवृत्तियाँ बतलाई जाती हैं। कुछ बैंक विश्वविद्यालय के स्नातकों को वित्तीय एवं औद्योगिक समस्याओं के संबंध में प्रशिक्षण भी देते हैं। इस स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कह सकते हैं।

कुछ बैंक न जन-सम्पर्क विभाग (Public Relation Deptt) भी स्थापित कर लिए हैं। आस्ट्रेलिया में मानव शक्ति की कमी होने के कारण मेट्रिक बैंक के समक्ष परीक्षा पास कर लेने वाला को बैंक में नियुक्त कर लिया जाता है। बैंक चारियों का उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं जस विश्वविद्यालय के शुल्का का भुगतान करना अथवा अध्ययन के लिए समय व सुविधा प्रदान करना आदि।

बचत बैंक (Savings Bank)

आस्ट्रेलिया में आकर बसने वाले अधिकांश व्यक्ति ब्रिज बैंक, अतः उनमें बैंकिंग आदत (banking habit) पपाप्त विकसित थी। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना बचत बैंक है 'कॉमनवेलथ सेविंग्स बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया'। इस बैंक की स्थापना सन् 1912 में हुई थी। इस बैंक में क्वीन्सलैंड व तस्मानिया राज्यों के बचत बैंकों का विलयन हुआ गया। सन् 1931 में 'स्टेट सेविंग्स बैंक ऑफ न्यू-साउथ वेल्स' का भी उपरोक्त कॉमनवेलथ सेविंग्स बैंक में ले लिया। इस ही वर्ष सेविंग्स बैंक ऑफ वेस्टन आस्ट्रेलिया भी इसमें मिल गया।

यह उल्लेखनीय है कि कॉमनवेलथ सेविंग्स बैंक की अभिन्न पूंजी (subs cribed) पूंजी नहीं है बरन् नाम में ही रिजर्व कोष का निर्माण किया गया है। यह रिजर्व काप लगभग 80 लाख पाँड का हुआ गया है।

य बैंक 500 पाँड तक के निक्षेपों पर 2% वार्षिक ब्याज देता है, 500 से 1000 पाँड तक के निक्षेपों पर 1% ब्याज व 1000 पाँड से अधिक के निक्षेपों पर कुछ भी ब्याज नहीं देता है। अथ छोट सेविंग्स बैंक बड़े बैंकों की तुलना में उपरोक्त ब्याज-दरों में ½% अधिक ब्याज देता है।

ये बचत बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में पर्याप्त धन लगाते हैं। कुछ बैंक व्यापारिक-बैंकों में निश्चित-कालीन खातों में विनियोग करते हैं।

य बचत बैंक प्रायः छोटे हैं एवं 'गलै' के सेविंग्स-बैंकों के मध्य में हैं। सन् 1970 में आस्ट्रेलिया में जनसंख्या लगभग 120 लाख थी जिसमें से सेविंग्स बैंकों में लगभग 70 लाख खातों थे।

रिजर्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया

[केन्द्रीय बैंक]

सन् 1960 स आस्ट्रेलिया का केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया है। सन् 1911 तक आस्ट्रेलिया अनेक पृथक् पृथक् उपनिवेश (colonies) का एक समूह था, जा कि एक दूसरे स स्वतंत्र थ किन्तु समस्त इगनड म घनिष्ठ रूप स संबंधित थे। अत इन परिस्थितियों म सम्पूर्ण आस्ट्रेलिया क लिए एक केन्द्रीय बैंक नहीं था। उस ही वष (अर्थात् सन् 1911 म) 'कामनवल्थ ऑफ आस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। अत नवीन सघीय सरकार (Federal govt) ने तुरन्त ही कामनवल्थ बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया की स्थापना की। यह बैंक समस्त प्रकार के सामान्य बकिंग कार्यों को करने के लिए एक व्यापारिक बैंक के रूप म और बचत बैंक के रूप म कार्य करता था। इस बैंक के संस्थापना का विचार इसको केन्द्रीय बैंक के रूप म और बचत बैंक के रूप म स्थापित करने अथवा परिणत करने का नहीं था।

स्थापना—श्रमिक सरकार ने सन् 1911 मे एक एक्ट पास किया जिसके सन् 1912 म मे कामनवल्थ बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया की स्थापना की गई। इस बैंक ने बचत बैंक के रूप म सन् 1912 म व व्यापारिक बैंक के रूप मे सन् 1913 स कार्य किया। देश के अग्र्य व्यापारिक बैंको ने आरम्भ मे इस बैंक की स्थापना का घोर विरोध किया। वास्तव म अग्र्य व्यापारिक बैंको का आक्रोश इस कारण नहीं था कि उनको उस बात की आशंका हो कि यह बैंक उनकी साख नीति मे हस्तक्षेप करेगा क्योंकि बैंक इसके लिए आरम्भ मे सक्षम भी नहीं था, वरन इस कारण था कि साधारण बकिंग व्यवसाय के क्षेत्र म उन्हें इस बैंक से कठोर प्रतिस्पर्द्धा का भय अधिक था क्योंकि कामनवल्थ के बैंक होने के नाते इसकी प्रतिष्ठा स्वाभावत अधिक श्रेष्ठ थी।

पूजी—सन् 1911 के बकिंग एक्ट के अनुसार इस बैंक को 0 लाख पीड तक की पूजी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया किन्तु इस अधिकार का प्रयोग कभी नहीं किया गया। यह एक अनोखजक तथ्य है कि यह बैंक बिना पूजी (without capital) के स्थापित किया गया। इस बैंक ने कामनवल्थ-ट्रेजरी स 10 000 पीड अग्रिम (advance) के रूप मे लेकर अपना कार्य आरम्भ किया। यह इस बैंक की एक विशेषता थी। इस बैंक ने व्यापार आरम्भ करने के तुरन्त बाद

ही अग्रिम ली गइ राशि ट्रेजरी को लौटा ली। इसको सरकारी खातों के निक्षेप भी मिले जा कि लगभग 23 लाख पौंड के थे। अतः बैंक को बाय करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कायशील पूजा प्राप्त हो गई।

मूलरूप से इस बैंक का प्रबंध एक गवर्नर करता था। इसकी नियुक्ति सरकार करती थी। इस बैंक के प्रथम गवर्नर सर डेनीजन मिलर (Sir Denison Miller) नियुक्त किए गए थे।

केन्द्रीय बैंकिंग की ओर अग्रसर—आरम्भ से ही यह बैंक सरकार के बैंकर के रूप में काय कर रहा था किन्तु इसे नोट निगमन का अधिकार नहीं दिया गया। नोट निगमन का काय कॉमनवैल्व्-ट्रेजरी द्वारा किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् यह काय भी इस बैंक को हस्तांतरित करने पर विचार किया गया। सन् 1920 में नोट निगमन का काय ट्रेजरी से इस बैंक को हस्तांतरित कर दिया गया। जबकि एक पृथक् नोट निगमन विभाग (इस बैंक में) स्थापित किया गया। यह विभाग बैंक ऑफ़ इंग्लैंड के निगमन विभाग के अनुरूप स्थापित किया गया था। इस बैंक को यह अधिकार दिया गया कि नोट निगमन के लिए कम से कम 25% स्वयं रखना आवश्यक था। यह केन्द्रीय-बैंकिंग की ओर प्रथम कदम था।

प्रथम विश्व युद्ध काल में इस बैंक की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई क्योंकि इस बैंक ने प्रथम बार सघीय सरकार के लिए ऋण निगमन किया। इसके पूर्व सघीय सरकार के लिए ऋण का लदान पूजा बाजार में प्रबंध किया जाता रहा था। सन् 1924 के कॉमनवैल्व् बैंक ऐक्ट ने इसके केन्द्रीय बैंकिंग-कार्यों के विकास की ओर और सहायता प्रदान की।

सन् 1924 के इस ऐक्ट ने इस बैंक को प्रबंध की ओर अधिक प्रभावशील व्यवस्था की। अब इस बैंक की व्यवस्था एक मंचालक-मंडल पर सौंप दी गई। इस मंचालक मंडल में 8 व्यक्तियों का प्रावधान किया गया। इनमें से बैंक का गवर्नर व दूसरा कॉमनवैल्व्-ट्रेजरी का सचिव होता था। इन दो के अतिरिक्त 6 व्यक्ति और मंचालक के रूप में नियुक्त किए जाते थे। ये छह व्यक्ति एस हाउ थे जो वृत्ति व्यापार वित्त अथवा उद्योग में क्रियाशील हों। इस ऐक्ट ने इस बैंक को बटौती-दर व पुन-बटौती दर निश्चित करने व प्रकाशित करने का अधिकार दिया। सन् 1925 में ग्रामीण साक्ष्य विभाग (Rural Credit Deptt) की स्थापना की गई।

यह बैंक सरकार के बैंकर के रूप में तो पर्याप्त अंश में काय करता ही था। अब सघीय सरकार एवं राज्य सरकारों, ऋण तन में ट्रेजरी बिलों का प्रयोग अधिक करने लगी एवं व्यापारिक बैंकों में प्रत्यक्ष ऋण तन बहुत ही कम हो गये। यह कॉमनवैल्व्-बैंक ट्रेजरी बिलों के सम्पूर्ण निगमन का न लेता था कुछ को अपने पास रख लेता था एवं शेष को व्यापारिक बैंकों में वितरण करता था।

प्रथम विश्व-युद्ध काल में आस्ट्रेलिया में प्रथम बार विनिमय नियंत्रण लागू किया गया। कॉमनवैल्व् बैंक विनिमय नियंत्रण का काय ट्रेजरी की ओर में करता था। अन्य व्यापारिक-बैंक इस काय के लिए कॉमनवैल्व् बैंक के एजेंट के रूप में काय करते थे।

अब यह बक 'बको के बकर के रूप में भी कार्य करने लगा था। व्यापारिक बको ने समाशोधन (clearing) के उद्देश्य से इस बैंक में अपने खाते खोलने आरम्भ कर दिये। शन शन ये बक कामनवैलथ बैंक में अपने आप ही अपने नगद कोष निक्षेप के रूप में रखने लग गये थे।

यह कॉमनवैलथ बक देश के व्यापारिक बको के परामशदाता के रूप में भी कार्य करने लगा था। अनेक बार ऐसे अवसर आये कि ये व्यापारिक बक इस बक के पास परामश के लिए आये और इस बक ने भी उचित परामश दिये।

अब सन् 1926 से आर्थिक मदी का काल आरम्भ हुआ। इस समय समस्त देशों का आर्थिक ढांचा चरमराने लगा था और आस्ट्रेलिया भी इसका अपवाद नहीं था। इंग्लैंड में बक आफ इंग्लैंड मजबूत राष्ट्रीय बक के रूप में कार्य कर रहा था किन्तु कामनवैलथ बक आफ आस्ट्रेलिया न तो परिपक्व राष्ट्रीय बक था और न ही इस इस संबंध में विशेष अनुभव था। किन्तु देश के व्यापारिक बको ने कामनवैलथ बक को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इस समय सबसे प्रमुख कठिनाई यह थी कि विदेशों में आस्ट्रेलिया के विदेशी विनिमय कोषों की डावाडोल स्थिति हो गई थी। अतः इस कठिन परिस्थिति में इस बक ने सन् 1930 में व्यापारिक बको के समस्त स्वण कोषों को तलिये। ये स्वण-कोष पर्याप्त मात्रा में थे।

आस्ट्रेलिया के बक आयातकर्ताओं द्वारा विदेशी मुद्रा की मांग पूरी करने में अपने को असमर्थ पा रहे थे। अभी तक आस्ट्रेलिया के 1 पौंड की विनिमय दर इंग्लैंड के 1 पौंड के बराबर थी। किन्तु अब आस्ट्रेलियन पौंड का मूल्य गिरने लगा पहले इंग्लैंड के 100 पौंड के बदले 115 आस्ट्रेलियन पौंड और बाद में बढ़ते बढ़ते यह 130 आस्ट्रेलियन-पौंड हो गई। अतः कामनवैलथ बक के लिये चिन्ता का विषय हो गया और नवम्बर 1931 में इस बक ने यह घोषणा की कि यह अब विदेशी विनिमय को अपने नियंत्रण में ले रहा है। साथ ही इसने यह घोषणा की कि यह बक असंमित मात्रा में 100 इंग्लैंड के पौंड के बदले 125 आस्ट्रेलियन-पौंड का दर से विदेशी विनिमय त्रय तथा विक्रय करने को तयार है।

सन् 1937 में शाही-आयोग (Royal Commission) ने परामश दिया कि आस्ट्रेलिया में जनता के स्वामित्व में राष्ट्रीय बक हाना चाहिये जो कि व्यापारिक बको की सार-नीति को नियंत्रित करे। इस कार्य को करने के लिये कमीशन ने परामश दिया कि व्यापारिक बका को अपने निष्ठा का एक निश्चित अनुपात (प्रतिशत) राष्ट्रीय बक के पास रखने के लिये कानून द्वारा बाध्य करना चाहिये। सन् 1939 तक कॉमनवैलथ-बक आस्ट्रेलिया में अत्यन्त मजबूत बक हो गया था पर्याप्त वधानिक दृष्टि से इस अभी भी राष्ट्रीय बक के रूप में मायना प्रदान नहीं की गई थी।

द्वितीय विश्व-युद्ध काल में ही कामनवैलथ बैंक वास्तविक रूप में राष्ट्रीय-बक के रूप में विकसित हुआ। व्यापारिक बको ने सन् 1941 में एक पार्लामेण्टीय समझौता किया जिसके अनुसार उन्होंने युद्ध में पूरे जितना मात्रा में उनके पास निक्षेप थे उन

मात्रा से जितने अधिक ग्रव उनके पास निक्षेप थे, उन अधिक निक्षेपों को कॉमनवैलथ बैंक में निक्षेप करना स्वीकार किया। इन निक्षेपों पर कामनवैलथ बैंक ने साधारण ब्याज भी देना स्वीकार किया। बाद में राष्ट्रीय-सुरक्षा नियमा में भी इस आशय का प्रावधान कर दिया गया। इसके अनिरीक्त ग्रव प्रावधान भी दिया गया जिनके द्वारा कॉमनवैलथ-बैंक देश के व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण कर सकता था विशेषरूप से मौद्रिक-नीति की सफलता के लिए।

सन् 1945 के दो एक्ट—ऑस्ट्रेलिया में श्रमिक सरकार ने सन् 1945 में दो एक्ट पास किये—प्रथम कामनवैलथ बैंक एक्ट, और द्वितीय बैंकिंग एक्ट 1945 कॉमनवैलथ बैंक एक्ट 1945 में इसके तीन प्रमुख उद्देश्य (objects) बतलाये गये हैं— (i) कॉमनवैलथ बैंक के केंद्रीय बैंकिंग में सबंधित कार्यों को मजबूत करना (ii) व्यापारिक बैंकों के साथ क्रियाशील (active) प्रतिस्पर्द्धा के द्वारा अपने (अर्थात् कामनवैलथ बैंक के) साधारण बैंकिंग संबंधी कार्यों का विस्तार करना (iii) बैंक की वित्तीय नीति का सरकार की वित्तीय-नीति के अनुरूप बनाने के लिए, बैंक के गवर्नर को (सरकारी) ट्रेजरीर के प्रति उत्तरदायी बनाना।

कामनवैलथ बैंक एक्ट 1945 की धारा-8 में इस बैंक के तीन उद्देश्य बतलाए गये हैं—(a) ऑस्ट्रेलिया की करमी में स्थायित्व लाना, (b) देश में पूर्ण रोजगार को बनाय रखना, और (c) ऑस्ट्रेलिया की जनता के कल्याण एवं आर्थिक समृद्धि का दिशा में कार्य करना।

बैंकिंग व्यवसाय में स्थायित्व लाने के उद्देश्य से कामनवैलथ बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि यदि इस बात की संभावना हो कि कोई बैंक अपने ग्राहकों को भुगतान बंद करेगा तो वह (कॉमनवैलथ बैंक) उसे व्यापारिक-बैंक की आर्थिक स्थिति की जांच कर सकता है और वह उस पर अपना नियंत्रण कर सकता है।

इस प्रकार सन् 1945 के एक्ट ने इस बैंक का औपचारिक रूप में केंद्रीय बैंक बना दिया। इसकी पूंजा 40 लाख पौंड निर्धारित की गईं जा कि उनके केंद्रीय बैंकिंग कार्यों द्वारा बन हुये क्विंटल एण्ड रिजर्व फंड से प्राप्त करनी थी। सन् 1925 में स्थापित 'ग्रामीण साव्य विभाग' व सन् 1943 में स्थापित बचक बैंक विभाग अपने मूलरूप में चालू रहे। सन् 1945 के एक्ट के अधीन एक औद्योगिक वित्त विभाग की भी स्थापना की गई।

जब 1945 के कॉमनवैलथ बैंक के बिल पर संसद में बहस हो रही थी तो इसके अनेक प्रावधानों पर कठोर विरोध प्रकट किये गये। यह विरोध इतना अधिक था कि तत्कालीन विपक्षी नेता ने इस बात की घोषणा की कि जब कभी उनका अनुदार-दल शक्ति में आवेगा तो वह उन प्रावधानों का निरस्त कर देगा।

सन् 1949 के चुनावों में अनुदार-दल विजयी हुआ अतः नये ट्रेजरीर ने सन् 1945 के एक्ट का मशौन के अनु एक बिल प्रस्तुत किया। अतः में यह बिल अंतिम रूप में सन् 1951 में पास हो गया।

सन् 1953 में बैंकिंग एक्ट में पुनः संशोधन किया गया।

बैंकिंग एक्ट 1959—सन् 1959 में बैंकिंग एक्ट पारित किया गया। यह एक्ट बहुत महत्वपूर्ण था। इस एक्ट के अनुसार—

1 नाम में परिवर्तन—कॉमनवैलथ बैंक ऑफ़ आस्ट्रेलिया का नाम अब रिजर्व बैंक ऑफ़ आस्ट्रेलिया हो गया। इसका अब प्रान्ता पृथक् गवर्नर मण्डल बनाया गया।

2 पुनसंरचना—रिजर्व बैंक ऑफ़ आस्ट्रेलिया अब पूणव्यापक केन्द्रीय बैंक बन गया। कॉमनवैलथ बैंक ऑफ़ आस्ट्रेलिया के अन्तर्गत बैंकों को बनाने के लिये कॉमनवैलथ बैंकिंग कन्ट्रोल एक्ट स्थापित किया गया।

रिजर्व बैंक ऑफ़ आस्ट्रेलिया—सन् 1959 का एक्ट सन् 1960 से लागू किया गया और तभी से रिजर्व बैंक ऑफ़ आस्ट्रेलिया वधानिक रूप में अस्तित्व में आया। अन्य देशों की भाँति यह रिजर्व बैंक भी ट्रेजरी व सरकार के निकट मन्त्रालय से कार्य करता है। आस्ट्रेलिया में बैंकिंग-क्रांति का निर्धारण अब रिजर्व बैंक बाढ़ के ऊपर है।

सन् 1945 के एक्ट में यह प्रावधान था कि समस्त व्यापारिक बैंक कामनवैलथ बैंक में विशेष खातों (Special Accounts) में निक्षेप रखेंगे जिन पर नाबंदी दर में ब्याज भी लिये जाना का प्रावधान था। इन खातों में से कॉमनवैलथ बैंक की अनुमति से ही राशि निकाली जा सकती थी। सन् 1959 के बैंकिंग एक्ट ने विशेष खातों में निक्षेप प्रणाली समाप्त कर दी और इसके स्थान पर वधानिक रिजर्व निक्षेप खातों (Statutory Reserve Deposit Accounts) प्रारम्भ कर दिए।

रिजर्व बैंक ऑफ़ आस्ट्रेलिया देश में नोट निगमन करने वाला एक मात्र बैंक (sole bank of issue) है। इसकी नोट निगमन की शक्ति पर बंधन नहीं है।

साख नियंत्रण—यह व्यापारिक-बैंकों की साख-नीति को इस प्रकार नियंत्रित करता है—

1 यह व्यापारिक बैंकों की तरलता को संचालित करता है। यह दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम इसके द्वारा निर्धारित व्यापारिक-बैंकों को अपने निक्षेपों का एक निश्चित अनुपात इस बैंक (रिजर्व बैंक) के पास रखना पड़ता है, और द्वितीय व्यापारिक बैंकों की तरल-संपत्तियों (liquid assets) का न्यूनतम अनुपात रखना पड़ता है।

2 यह खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ का प्रयोजन करता है। हमारे शब्दों में यह साख नियंत्रण में खुले बाजार की क्रियाओं को भी काम में लेता है।

3 यह बैंक अग्रिमों की मात्रा एवं उनके वितरण को विभिन्न वर्गों के ऋण लेने वालों में वितरण के संबंध में निर्देश देता है।

यह रिजर्व बैंक ऑफ़ आस्ट्रेलिया के वचन बैंकों की वित्तियोग नीति पर भी नियंत्रण रखता है।

अग्रिम पृष्ठ पर रिजर्व बैंक ऑफ़ आस्ट्रेलिया के 1970 का विवरण पत्र (Statement) दिया जा रहा है जिसमें इस बैंक के स्वरूप व क्रियाओं के विषय में अनुमान हो सकेगा।

रिजर्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया
विवरण-पत्र सन 1970

Liabilities	घा डाक्टर मिलियन
Capital	49 4
Reserve funds	31 1
Australian notes on issue	1 091 5
Deposits, bills payable & other liabilities	1 582 9
Total liabilities	2 754 9
Assets	
Gold and balances held abroad	753 1
other overseas securities	430 0
Australian notes and coins	8 4
Australian Govt securities	843 3
Loans advances & bills discounted	585 8
Other assets	133 9
Total assets	2,754 9

रिजर्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया का शाखाएँ प्रत्येक राज्य की राजधानी (state capitals) में, क्षेत्रों व अधीन क्षेत्रों का राजधानियों (capital of territories and dependencies) में, संघीय राजधानी कनबरा (Canberra) में व लंदन में हैं।

सन् 1959 से रिजर्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया नाम निगमन का पूरात काय करता है। नोटा के पीछे अधिकांश रूप में साना रहता है और शेष भाग में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलियन कामनवैलथ एंव ऑस्ट्रेलिया के राज्यों की प्रतिभूतियाँ रहती हैं। सन् 1965 से ऑस्ट्रेलिया में सिक्के कनबरा में स्थित 'रायल ऑस्ट्रेलियन मिंट' द्वारा निकाले जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि सन् 1966 से ऑस्ट्रेलिया में भी मुद्रा की दशमिक-प्रणाली अपनाती है जिसके परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलियन पौंड के स्थान पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलन में आ गये हैं। एक डॉलर से सैंटा में विभक्त है।

पाकिस्तान की बैंकिंग प्रणाली
(Banking System in Pakistan)

का बोर्ड कार्यालय द्वारा म नहीं था और न बादें सावजनिक प्रण का ही कार्यालय पाकिस्तान म था । पाकिस्तान सरकार क कहन पर रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया का एक शाखा परवरी 1948 म द्वारा म स्थापित का गइ । इमका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बंगला देश) म करसा की व्यवस्था करना था । एतब साथ ही सावजनिक प्रण कार्यालय द्वारा कराचा क लाहौर म स्थापित निय गइ ।

विभाजन के समय ब्रिग की दशा—भारत क पाकिस्तान सरकार क मध्य उपरोक्त वित्तीय-व्यवस्थाधा न अतगत पाकिस्तान का वित्तीय आवश्यकताएँ पूर्ण नही हा सही । अत पाकिस्तान सरकार न उस समयमौन की निश्चित नियम (30 सितम्बर 1948) स पूरा ही अत करके अथन केंद्राय बैंक की स्थापना क करती व्यवस्था क विषय म विचार किया । पाकिस्तान म ब्रिग-मकट उत्पन्न हा जान क कारण नी एमा निणय लिया गया । देश का विभाजन-याचना (Partition Plan) की धारणा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना क मध्य क 13 महीना की अवधि म पाकिस्तान म ब्रिग व्यवस्था काफा छिन्न भिन्न हा गइ क्योंकि अतक बका न काय करता उर कर दिया और अतः भारतीय रेका न अतन कार्यालय बंद कर दिया । स्वतंत्रता प्राप्ति क ठीक पूर्व पाकिस्तान म 631 सूचीबद्ध बैंक (Scheduled Banks) थ किन्तु इसक परवात् बहा कवन 213 सूचीबद्ध बैंक हा रह गय । जहा तक पश्चिमी पाकिस्तान का संबंध है वहाँ स्वतंत्रता स पहले 487 ब्रिग कार्यालय थ और अत उनकी संख्या कवल 69 ही रह गइ थी ।

दम अध्यादेश में यह प्रावधान किया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाकिस्तान में केवल 30 जून 1948 तक ही चलन अधिकारी (Currency authority) रहगा 30 सितंबर 1948 तक नहीं तथा कि मूल अध्यादेश में निहित था।

प्रावधानों में यह व्यवस्था की गई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1948 के पश्चात् पाकिस्तान सरकार के नाम से (In the name of the Government of Pakistan) नोटों का निगमन करेगा और पाकिस्तान सरकार ही इन नोटों के पीछे रखी जाने वाली संपत्ति (Assets) की व्यवस्था करेगी। भारत सरकार के एक रुपये के नोटों का पाकिस्तान में 30 सितंबर 1948 से पूर्व पाकिस्तानी नाण्य में बदल दिया जाय। इन एक रुपये के नोटों के अतिरिक्त शेष नोट पाकिस्तान में 31 मार्च 1949 तक पाकिस्तान में वधानिक-पत्र-मुद्रा के रूप में प्रचलन में रहेंगे और ये नोट इस नियम (31 मार्च 1949) तक पाकिस्तानी नाण्य में सम मूल्य पर परिवर्तनशील रहेंगे। जहां तक धातु-सिक्कों का संबंध है भारतीय सिक्के पाकिस्तान में एक रुप अथवा दो रुप तक जहां पाकिस्तानी सरकार निर्धारित करे प्रचलन में रहेंगे। जब पाकिस्तान में भारतीय सिक्का का चलन बंद कर दिया जाय तो उन सिक्कों को इस प्रकार निपटाया जायगा—

(1) गिल्ट, तांबे (nickel, brass) और चवन्निया व छठन्निया गला दी जाय और उनको धातु के रूप में बदल दिया जाय।

(2) अन्य सिक्कों को भारत सरकार का देय दिया जायें।

स्टर्लिंग बलेंस का बटवारा—पौंड पावन (Sterling balance) संबंधित बटवारे के लिए यह निश्चित किया गया कि मार्च 1949 तक भारत सरकार 177 करोड़ रुपये के स्टर्लिंग पाकिस्तान सरकार को हस्तांतरित कर लिये जायें।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संपत्तियों का बटवारा—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निगमन विभाग (Issue Department) का संपत्तियां (assets) को, कुल नाट निगमन और पाकिस्तान में प्रचलित नोटों के अनुपात में, पाकिस्तान को हस्तांतरित किया जायगा।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निगमन-विभाग से 1 जुलाई 1948 को 51.57 करोड़ रुपये की संपत्तियां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हस्तांतरित की गईं। रिजर्व बैंक के धरिग विभाग से 101 करोड़ रुपये के मूल्य के स्टर्लिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हस्तांतरित किया गया।

पाकिस्तान में नये नोटों के सिक्के—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अध्यादेश के अंतर्गत पृथक् पाकिस्तानी रुपये के नोटों का निगमन किया। इन नोटों पर अप्रैल 1948 में उद्घाटन में गवर्नर ऑफ पाकिस्तान मुद्रित था। ये नोट 1 अप्रैल 1948 से निगमित किया गया। ये नोट केवल पाकिस्तान में ही वधानिक मुद्रा के रूप में थे, भारत में ये नोट स्वीकार्य नहीं थे।

का कोई कार्यालय ढाका में नहीं था और न काइ सावजनिक ऋण का ही कार्यालय पाकिस्तान में था। पाकिस्तान सरकार के बहाने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा फरवरी 1948 में ढाका में स्थापित की गई। इसका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बंगला देश) में करसी की व्यवस्था करना था। इससे साथ ही सावजनिक ऋण कार्यालय ढाका, कराची व लाहौर में स्थापित किये गए।

विभाजन के समय बकिंग की दशा—भारत व पाकिस्तान सरकारों के मध्य उपरोक्त वित्तीय-व्यवस्थाओं व अतगत पाकिस्तान की वित्तीय आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं हो सकीं। अतः पाकिस्तान सरकार ने उस समझौते को निश्चित तिथि (30 सितम्बर 1948) से पूर्व ही अंत करके अपने केंद्रीय बैंक की स्थापना व करसी व्यवस्था के विषय में विचार किया। पाकिस्तान में बकिंग-मकट उत्पन्न हो जाने के कारण भी ऐसा निणय लिया गया। देश की विभाजन-योजना (Partition Plan) की घोषणा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना के मध्य के 13 महीनों की अवधि में पाकिस्तान में बकिंग व्यवस्था काफी छिन्न भिन्न हो गई क्योंकि अनेक बैंकों ने कार्य करना बंद कर दिया और अनेक भारतीय बैंकों ने अपने कार्यालय बंद कर दिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक पूर्व पाकिस्तान में 631 सूचीबद्ध बैंक (Scheduled Banks) थे, किंतु इसके पश्चात् वहाँ केवल 213 सूचीबद्ध बैंक ही रह गए। जहाँ तक पश्चिमी पाकिस्तान का संबंध है वहाँ स्वतंत्रता से पहले 487 बकिंग कार्यालय थे और अब उनकी संख्या केवल 69 ही रह गई थी। पाकिस्तान में बकिंग कार्यालयों की संख्या में निरंतर कमी आने लगी और 1 जुलाई 1948 को—जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना हुई—पाकिस्तान में केवल 195 बकिंग कार्यालय थे। इनमें से भी अनेक बकिंग कार्यालय केवल मौमित व्यवस्था ही कर रहे थे और उन्हें पूर्णकाय (Full fledged) बकिंग कार्यालय नहीं कहा जा सकता था।

तत्कालीन इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने कार्यालय पाकिस्तान में बंद कर दिए। इससे सरकारी-ट्रेजरी के कार्यों में बाधा पड़ी क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व एजेंट के रूप में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया सरकारी-ट्रेजरी के कार्यों का करता था। पाकिस्तान ने इस स्थिति का मुद्धारण के लिए अनेक आपत्तापूर्ण कदम उठाए, किंतु पूरी सफलता नहीं मिल सकी। अतः यह अनुभव किया गया कि यदि पाकिस्तान की बकिंग-व्यवस्था को जावित रखना है तो बिना अधिक विलम्ब किये देश के लिए एक पृथक केंद्रीय बैंक की स्थापना आवश्यक है।

पाकिस्तान सरकार के बहाने पर दोनों सरकारों एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों की बातचीत मार्च 1948 में की गई। अतः 31 मार्च 1948 को भारत व पाकिस्तान के गवर्नर जनरलों ने सम्मिलित रूप में पाकिस्तान मौद्रिक प्रणाली एवं रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्याय 1948 निगमित किया।

इस अध्यादेश में यह प्रावधान किया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाकिस्तान में केवल 30 जून 1948 तक ही चलन अधिकारी (Currency authority) रहेगा 30 सितंबर 1948 तक नहीं, जसा कि मूल अध्यादेश में निहित था।

प्रावधानों में यह व्यवस्था की गई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1948 के पश्चात पाकिस्तान सरकार के नाम से (In the name of the Government of Pakistan) नोटा का निगमन करेगा और पाकिस्तान सरकार ही इन नोटों को पीछे रखी जाने वाली संपत्ति (Assets) की व्यवस्था करेगी। भारत सरकार के एक रुपये के नोट जो पाकिस्तान में थे, 30 सितंबर 1948 से पूर्व पाकिस्तानी नोटों में बदल दिए जायें। इन एक रुपये के नोटों के अतिरिक्त शेष नोट पाकिस्तान में 31 मार्च 1949 तक पाकिस्तान में वधानिक पत्र-मुद्रा के रूप में प्रचलन में रहेंगे और ये नोट इस तिथि (31 मार्च 1949) तक पाकिस्तानी नोटों में सम मूल्य पर परिवर्तित शील रहेंगे। जहां तक धातुय सिक्कों का संबंध है भारतीय सिक्के पाकिस्तान में एक रुप अथवा दो रुप तक, जमा कि पाकिस्तानी सरकार निर्धारित करे प्रचलन में रहेंगे। जब पाकिस्तान में भारतीय सिक्का का चलन बंद कर दिया जाय तो उन सिक्कों का इस प्रकार निपटाया जायगा—

- (1) निकल तांबे (nickel, brass) और चवन्निया व अठन्निया गला दी जायें और उनको धातु के रूप में बदल दिया जावे।
- (2) अन्य सिक्कों को भारत सरकार को बच दिया जावे।

स्टर्लिंग बैलेंस का बटवारा—पौंड पावन (Sterling balance) से बटवारे के लिए यह निश्चित किया गया कि मार्च 1949 तक भारत सरकार 177 करोड़ रुपये के स्टर्लिंग पाकिस्तान सरकार को हस्तांतरित कर दिया जावे।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संपत्तियों का बटवारा—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निगमन विभाग (Issue Department) की संपत्तियों (assets) को कुल नोट निगमन और पाकिस्तान में प्रचलित नोटों के अनुपात में पाकिस्तान को हस्तांतरित किया जायगा।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निगमन-विभाग से 1 जुलाई 1948 को 51.57 करोड़ रुपये की संपत्तियां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हस्तांतरित की गईं। रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग से 101 करोड़ रुपये के मूल्य के स्टर्लिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हस्तांतरित किये गए।

पाकिस्तान में नये नोट व सिक्के—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अध्यादेश के अंतर्गत पृथक् पाकिस्तानी रुपये के नोट निगमित किये। इन नोटों पर अंग्रेजी व उर्दू में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुद्रित था। ये नोट 1 अप्रैल 1948 में निगमित किये गए। ये नोट केवल पाकिस्तान में ही वधानिक मुद्रा के रूप में ये भारत में ये नोट स्वाकाय नहीं थे।

इसी तिथि (अप्रैल 1, 1948) से लाहौर का टकशाला में नया पाकिस्तानी सिक्का डाले गए और चलन में लाये गए। ये सिक्के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निगमित किये गए। ये सिक्के उसी मूल्य के भारतीय सिक्कों के अंकित मूल्य के घाटिके मूल्य के अनुरूप थे किन्तु उन पर उगत हुए चन्द्रमा के तार का चिह्न उभरा हुआ था, साथ ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंकित था। सिक्के का मूल्य उद्दू के अग्रजी में अंकित था।

भारत द्वारा नकद भेजे का भुगतान रोकना के बाद से भुगतान करना — विनीय समझौते के अंतर्गत विभाजन के पूर्व केंद्र सरकार के नकद शेष (Cash balance) में से पाकिस्तान के दावे के रूप में भारत सरकार ने 55 करोड़ रुपये देना स्वीकार किया था। यह ध्यान रहे कि यह 55 करोड़ रुपये की राशि उस 20 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त थी जो भारत ने पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को दी थी। इस समय पाकिस्तान ने हमारे काश्मीर पर कब्जा लिया की सहायता से प्राप्त किया। अतः भारत सरकार ने इस 55 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान राज लिया क्योंकि यह सम्भावना थी कि पाकिस्तान इस राशि का उपयोग इस प्राप्तियों का धार तंत्र करने में करेगा। अतः भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस 55 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान तब तक नहीं किया जावगा जब तक कि पाकिस्तान समस्त विवादों का भारत के साथ शांतिपूर्ण ढंग से हल न करे। किन्तु इसी समय पुण्यनीय महात्मा गांधीजी ने पाकिस्तान को भारत सरकार द्वारा 55 करोड़ रुपये दे देने के लिये कहा। भारत सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। हम पर महात्मा गांधीजी ने आभारपूर्ण भ्रम हटाने के लिए पाम सम्पूर्ण केंद्रीय मंत्रिमण्डल को राज का पाकिस्तान को भुगतान करना के विरुद्ध था, किन्तु महात्मा गांधीजी की भूमि हटाने के लिये केंद्रीय सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये का भुगतान करना स्वीकार कर लिया और जनवरी 1948 में इस राशि का भुगतान पाकिस्तान सरकार को कर दिया गया।

केंद्रीय-बैंक की स्थापना की घोषणा प्रथम—पाकिस्तान सरकार अर्पण

इस विभाग ने सरकारी और गर-सरकारी 'यक्तियों की एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी का प्रमुख काय रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट का अध्ययन करके पाकिस्तान के लिए वे ड्राय बैंक की स्थापना के लिए एक उपयुक्त याजना प्रस्तुत करना था। समय क अभाव के कारण यह उचित समझा गया कि आवश्यक सशोधना के साथ रिजर्व बैंक आफ इंडिया के आधार पर केन्द्रीय बैंक स्थापित किया जावे। अत "स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अध्यादेश 1948' 12 मई 1948 को लागू कर दिया गया और आवश्यक प्रबंध करने के पश्चात् 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान की स्थापना 1948 के केन्द्रीय बैंक के रूप में कर दी गई।

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना एवं संगठन

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना—पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने 12 मई 1948 का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अध्यादेश 1948 जारी किया जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान का राष्ट्रीय बैंक स्थापित किया गया। उस बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है।

पाकिस्तान के आर्थिक एवं वित्तीय इतिहास में 1 जुलाई 1948 का दिन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस दिन वायसे राजम मोहम्मद खान जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की औपचारिक स्थापना की घोषणा की। पाकिस्तान की वित्तीय एवं मौद्रिक स्थिति में मुहत्ता जान के लिए यह आवश्यक था कि चलत (Currency) पर पूर्ण नियंत्रण हो। मोहम्मद खान जिन्होंने 1 जुलाई 1948 का करारों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का उद्घाटन किया। उद्घाटन के समय उपस्थित लगभग 1500 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्मेलन में जिन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना हमारे देश की सर्वभौमता की प्रतीक है और मैं उसका उद्घाटन करने का बहुत प्रमत्त हूँ।¹

इस अवसर पर बोलते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर श्री ज़ाहिद हुसैन (Mr. Zahid Hussain) ने कहा आज तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सिद्ध बैंक ऑफ दुनिया का स्थान ले लिया है और यह प्रतीक हमारे अर्थिक विकास का क्षमता में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करती है।

बैंक का संगठन

प्रधान कार्यालय—स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रधान कार्यालय काठमांडू में स्थापित किया गया है। प्रधान कार्यालय का केंद्रीय निदेशालय (Central Directorate) कहते हैं।

जनता 1 लिय है। आरम्भ में यह निर्धारित कर दिया गया था कि कोई व्यक्ति अपने नाम में अथवा दो या अधिक व्यक्ति सम्मिलित रूप से 500 अंशों का अंश नहीं रख सकेगा, किन्तु बाद में यह सीमा हटा दी गई। अब कोई व्यक्ति चाहे जितने अंश अपने नाम में अथवा सम्मिलित नामों में रख सकता है।

इस बैंक के अंशधारियों का तीन क्षेत्रीय समूहों (regional groups) में विभक्त कर लिया गया है। ये क्षेत्र हैं—कराची लाहौर और ढाका। इन क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र पर अलग-अलग अंशधारियों का रजिस्टर रखा जाता है। प्रत्येक अंशधारी का इन तीनों क्षेत्रों में से किसी भी एक क्षेत्र पर अपने को रजिस्टर कराना पड़ता है। अंशधारी जिस क्षेत्र में साधारणतया निवास करता है अथवा जहाँ उसके व्यवसाय का प्रमुख स्थान है उस क्षेत्र के क्षेत्र में उस अपने आप को रजिस्टर करना होता है। अंशों का हस्तांतरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर हो सकता है ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र पर यदि अंशधारी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो फिर बाद में वहाँ से रजिस्ट्रेशन रद्द करवा के दूसरे क्षेत्र पर रजिस्ट्रेशन न करवाया जा सके। यह प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि इन अंशों का वाद में तय-बिक्रय सुगमता में हो सके।

उपर्युक्त बताया जा चुका है कि इस बैंक के केवल 49 प्रतिशत अंश ही जनता को दिये गये हैं व शेष 51 प्रतिशत अंश पाकिस्तान सरकार ने लिये हैं। कराची क्षेत्र की जनता 1 23 प्रतिशत अंश व लाहौर क्षेत्र की जनता ने 20 प्रतिशत अंश लिये और शेष 6 प्रतिशत अंश ढाका क्षेत्र की जनता ने लिये। अंशों की संख्या की दृष्टि से प्रत्येक अंशधारी के पास औसततः 28 अंश हैं।

साम एव लाभों का वितरण—अंशधारियों को दिये जाने वाले लाभों की दर केंद्रीय-सरकार निर्धारित करती है। किन्तु माय ही यह प्रावधान है कि प्रतिवर्ष न्यूनतम लाभ 4 प्रतिशत दिया जावेगा। यह संचयी लाभ (Cumulative dividend) है अर्थात् यदि किसी वर्ष अंशधारियों का लाभ नहीं दिया जा सके तो उस वर्ष का लाभ भी अगले वर्ष के लाभ के साथ दिया जावेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सन् 1948 से सन् 1955 तक अपने अंशधारियों को 4 प्रतिशत की दर से लाभ दिया। सन् 1956 में 4½ प्रतिशत का, सन् 1957 में 5 प्रतिशत का और सन् 1961 में 6 प्रतिशत का लाभ दिया।

यह प्रावधान किया गया कि लाभों का वितरण के पश्चात् लाभों की जो राशि शेष रह जावे उस बैंक का रिजर्व फंड में उस समय तक स्थानान्तरित किया जाना रहेगा जब तक कि यह राशि 3 करोड़ रुपये न हो जावे। दूसरे शब्दों में बैंक की पूंजी का बराबर निरवशेष होना चाहिये। बैंक की पूंजी 3 करोड़ रुपये है। जब रिजर्व-फंड तीन करोड़ रुपये का हो जावे उसका पश्चात् शेष लाभ केंद्रीय सरकार को हस्तांतरित कर दिया जावे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिजर्व फंड कई वर्षों पूर्व 3 करोड़ रुपये का हो गया है अब अब शेष लाभ केंद्रीय सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि इस बच की स्थापना के समय पारिभ्रान्त सरकार ने इस बच की पूंजी के अग्रगण्य अतिरिक्त 3 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियाँ रिजर्व-फंड बनाने के लिये दी थी।

वित्तियोग की दृष्टि से इस बच के अग्र दृष्टम एक्ट (Trusts Act) 1882 के अधीन ट्रस्टी प्रतिभूतियाँ हैं। बीमा कम्पनियाँ एवं बचिग कम्पनियाँ के लिए भी ये अग्र विनियोग-वाय हैं।

स्टेट बच को लागू—एक्ट का अग्र पाकिस्तान का स्थापना के समय (जुलाई 1 1948) तक केवल 3 गायाए थी जोकि परगवी साहोब तथा द्वारा में स्थित थी। वास्तव में ये रिजर्व बच अग्र इंडिया के कार्यालय (offices) के जो स्टेट बच को प्राप्त हुए थे। बाद में इन गायाए का विकास किया गया और छ नई शाखाएँ स्थापित की गई। यह गायाए इन स्वामता पर स्थापित की गई—रावलपिंडी पेशावर बचक लायलपुर मिटगाव और खुलना। वितगाव और खुलना अब बंगला-देश में हैं।

स्टेट बच अग्र पाकिस्तान का प्रधान कार्यालय कराची में स्थित है।

स्टेट बच का संगठन

1 संचालको का केन्द्रीय मंडल—बच के कार्यों के सम्पन्न में निर्देश एवं दाल रखे का कार्य संचालक के केन्द्रीय मंडल (Central Board of Directors) के अधीन है। इस केन्द्रीय मंडल में ये सदस्य होते हैं—

(a) एक गवर्नर (b) एक अथवा अधिक डिप्टी गवर्नर और (c) नौ संचालक—जिनमें से 6 संचालक केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनात होते हैं और शेष 3 संचालको का अग्र धारियों में से चुना जाता है। इनमें से भी एक क्षेत्रीय समूह में से एक संचालक होना चाहिये।

(a) गवर्नर (Governor)—स्टेट बच का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर होता है। गवर्नर की नियुक्ति केन्द्रीय-सरकार करता है। इसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए अथवा 5 वर्ष से कम अवधि के लिये की जा सकती है। कार्यकाल समाप्त हो जाने पर इसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। इसका कार्य बच के प्रशासन काय के संबंधित अग्र बातों को देखना होना है। यह केन्द्रीय मंडल तथा कार्याकारिणी कमेटी की सभाओं के सभापति के रूप में भी कार्य करता है।

(b) डिप्टी गवर्नर—डिप्टी गवर्नर एक अथवा दो हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति भी केन्द्रीय सरकार ही करती है। इनकी नियुक्ति भी अधिकतम 5 वर्षों के लिये की जा सकती है। कार्यकाल समाप्त हो जाने पर उनकी भी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। बंगला देश के निर्माण के पूर्व स्टेट बच अग्र पाकिस्तान के दो डिप्टी गवर्नर थे। इनमें से एक डिप्टी-गवर्नर कराची में बच के केन्द्रीय निष्पालय में बच के गवर्नर की सहायता के लिये था। यह अभी भी वहाँ है। दूसरे डिप्टी-गवर्नर की नियुक्ति ढाका में की गई जिसको यह उत्तरदायित्व दिया गया कि वह

पूर्वी पाकिस्तान में बैंकिंग का विकास करे एवं साथ सुविधाओं का विकास करे। यह ध्यान रहे कि उम क्षेत्र में बैंकिंग बहुत अविकसित दशा में है।

(c) नौ सचालक—सचानका के केन्द्रीय-मंडल में नौ सचालक हैं। इनमें से छ सचालक का केन्द्रीय-सरकार मनोनीत करवे नियुक्त करती है और प्रत्येक क्षेत्रीय समूह में से एक-एक सचालक का चुनाव करने नियुक्ति होती है। इन छ सचालकों में से पांच सचालक गर सरकारी व्यक्ति होते हैं और छठा सचालक सरकारी अधिकारी होता है। मनोनीत सचालक का कार्यकाल केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति पर निर्भर होता है। निर्वाचित सचालक का कार्यकाल 3 वर्ष होता है।

सभाएं—विधान के अनुसार केन्द्रीय मंडल की वष में कम से कम छ सभाएं होना आवश्यक है किंतु कम से कम तीन महीने में एक सभा अवश्य होना चाहिए।

2 कार्यकारिणी समिति—सचानका के केन्द्रीय मंडल की एक कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) होती है। इस समिति में सदस्य होने हैं—गवर्नर डिप्टी गवर्नर (गितन भी है), केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी और केन्द्रीय शासन द्वारा चुने गये तीन सचालक। इस समिति का कार्य दिन प्रतिदिन कार्यो को देखना व संचालन करना है।

3 स्थानीय बोर्ड—नीचे क्षेत्रीय-समूहों में से प्रत्येक के लिये एक-एक स्थानीय बोर्ड (Local Board) है जिनके मुख्यालय तमिश्रण कराची लाहौर और ढाका में हैं। प्रत्येक स्थानीय-बोर्ड में उम क्षेत्र में रजिस्टर्ड अशाचारियों में से दो सदस्य चुने जाते हैं। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार अधिक से अधिक तीन सदस्यों का मनोनीत कर सकती है। स्थानीय शासन के दो प्रमुख शासक हैं—प्रथम सचानका के केन्द्रीय मंडल का उन शासन पर परामर्श देना दिन प्रतिदिन पर उम साधारण रूप से विज्ञापन से कहा जाये द्वितीय सचालक के केन्द्रीय मंडल द्वारा बताना गये एम काय करना जो अत्यायुक्त के अंतर्गत है। स्थानीय बोर्ड के चुने गये सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होता है। य उस समय तक कार्य करना रहते हैं जब तक कि उनके स्थान पर नये सदस्यों का चुनाव नहीं हो जाता है।

निषिद्ध व्यक्ति—सचानका के केन्द्रीय मंडल तथा स्थानीय बोर्ड में निम्न लिखित व्यक्तियों का सम्मिलित नहीं किया जा सकता—

- (i) केन्द्रीय और प्रांतीय राजस्व-व्यवस्था के सदस्य,
- (ii) सरकार से बतन प्राप्त करने वाले अधिकारी—इनको केन्द्रीय सरकार मनोनीत कर सकती है किंतु ये चुनाव लड़कर सदस्य नहीं बन सकते हैं।
- (iii) किसी अन्य बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी,
- (iv) किसी अन्य बैंक के सचालक

टिप्पणी—किसी अन्य बैंक वाक्यांश में सहकारी-बैंक सम्मिलित नहीं हैं, अर्थात् सहकारी बैंक के किसी अधिकारी कर्मचारी अथवा सचालक पर ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं, वे सदस्य बन सकते हैं।

केन्द्रीय निदेशालय का संगठन (Organization of the Central Directorate)

ऊपर बतलाया जा चुका है कि स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया का कार्यालय को केन्द्रीय निदेशालय कहते हैं। यह तरांचा में स्थित है। इस केन्द्रिय निदेशालय में मुख्य दस विभाग (departments) हैं। इन विभागों के कार्य के नामा उल्लिखित यहाँ किया जा रहा है।

1 मुख्य लेखापाल का विभाग (Chief Accountants Department)

मुख्य लेखापाल का विभाग बैंक का प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय है। यहाँ विभाग हिस्से की आवश्यक पुस्तकें रखता है स्थानाय कार्यालयों के नामों का कार्य करता है और बैंक के साप्ताहिक विवरण का तयार करने के उनका प्रशासन का कार्य करता है। बैंक के निर्माण के वित्तिय विभाग मुख्य लेखापाल के नियंत्रण के निरीक्षण में कार्य करते हैं। नाटो के मुद्रण और मिकन निर्माण का प्रबंध करना इस विभाग का कार्य है। बैंक के वित्तियोगों का प्रबंध करना केन्द्रीय के प्रधानाय सरकारी के खातें रखना तथा लाभ-हानि खातों एक चिट्ठा (Balance Sheet) को तयार करना भी इसके कार्य हैं। आरम्भ में इस विभाग में 3 सेक्शन थे किन्तु इस समय इसमें 20 सेक्शन (Sections) हैं।

2 सचिव का विभाग (Secretary's Department)

यह भी एक महत्वपूर्ण विभाग है। केन्द्रीय ब्रांच, कार्याचारिणी कमेटियाँ प्रशासनिकी की वार्षिक साधारण सभा से सम्बन्धित कार्य करना इस विभाग का प्रमुख कार्य है।

इसके अनिर्दिष्ट बैंक की ओर से पानिस्तान सरकार की प्रतिभूतियों के कार्य विभ्रय ट्रेजरी डिपार्टमेंट के निर्माण सावजनिक ऋण एवं बैंक के अर्थों के सम्बन्ध में तकनीकी नीति निर्धारित करने आदि से सम्बन्धित कार्य भी इस विभाग के हैं। इस विभाग का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। अन्य दशा के केन्द्रीय बैंकों से, विदेशी बैंकों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कार्य (I M F) पुनर्निर्माण के विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक (I B R D) आदि से सम्बन्धित मामलों के विषय में यहाँ विभाग कार्य करता है।

3 एस्टैब्लिशमेंट विभाग (Establishment Department)

यह विभाग बैंक के कर्मचारियों से सम्बन्धित नीतियों के कार्य को देखता है। यह विभाग बैंक के कर्मचारियों के सर्विस रकॉर्ड रखता है, प्रशिक्षण योजनाओं के सम्बन्ध में कार्य करता है और गवर्नर तथा ज्जिस्ट्री गवर्नर को एस्टैब्लिशमेंट से सम्बन्धित बातों पर परामर्श देता है। यह विभाग कर्मचारियों के कल्याण की द्वाारा विशेषरूप से ध्यान देता है। यह विभाग कर्मचारियों को चिन्तित्सा सुविधाएँ भवने निमाण एवं गारान्टियाँ खरीदने के लिये अग्रिम (advances) देने के अन्वाहारण,

सहकारी मंडारों और स्टाफ कंत्र की व्यवस्था करना, कर्मचारियों व अधिकारियों के लिये आवास का व्यवस्था करना और कर्मचारियों के बच्चा का स्वतंत्रशिक्षण दान सम्बंधी अन्य कार्य करना है।

4 निरीक्षण विभाग

(Inspection Department)

इस विभाग में तीन उप विभाग हैं। प्रथम निरीक्षण विभाग जो हम बैंक व विभिन्न कार्यालयों और केन्द्रीय निदेशालय के विभिन्न विभागों का समय-समय पर निरीक्षण करता है और दर्शाता है कि नियम के अनुसार कार्य हो रहा है। द्वितीय, संगठन विभाग जो विभिन्न विभागों की कार्य प्रणाली का दखता है तथा आवश्यक परामर्श देता है और बैंक से सम्बंधित प्रस्तावित नियमों व उप नियमों की जांच करता है। तृतीय अन्वेषण विभाग जो केन्द्रीय निदेशालय के द्वारा किया गया कार्य का अन्वेषण करता है इसके अनिरीक्षित बैंक के अन्य कार्यालयों द्वारा भेजे गये मासिक रिपोर्टों व आन्तरिक अन्वेषण रिपोर्टों की जांच करता है और विभिन्न खातों का विश्लेषण करता है।

5 बैंकिंग नियंत्रण विभाग

(Banking Control Department)

यह विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस विभाग के प्रमुख कार्य निम्न लिखित हैं—

- (i) स्टेट बैंकिंग विकास की दृष्टि से देश के व्यापारिक-बैंकों पर निरीक्षण एवं नियंत्रण,
- (ii) व्यापारिक बैंकों व अन्य साव्य संस्थाओं द्वारा साव्य नियंत्रण की नीतियों का कार्यान्वित करना
- (iii) देश में बैंकिंग व साव्य सुविधाओं का प्रसार
- (iv) बैंकों द्वारा भेजे गये ऋणों के लिये आवेदन पत्रों पर विचार करना आदि।

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को निम्नलिखित अधिनियमों आदि के द्वारा प्रदान की गई शक्तियाँ व अन्तर्गत ही यह विभाग कार्य करता है—

- (1) स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956
- (2) बैंकिंग कम्पनीज (कंट्रोल) एक्ट, 1948।
- (3) बैंकिंग कम्पनीज (रस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रांच) एक्ट, 1946।
- (4) बैंकिंग कम्पनीज (इस्पेक्शन) प्रॉविजन, 1946।
- (5) कपिटल इश्यूज एक्ट, 1947।
- (6) बैंकिंग कम्पनीज (कंट्रोल) एक्ट, 1949।
- (7) स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शिडयूल्ड बैंक रजुलेशन।

बैंकों द्वारा नई शाखाएँ स्थापित करने व शाखाओं के स्थान-परिवर्तन से सम्बंधित आवेदन-पत्रों पर यह विभाग ही विचार करता है। इस विभाग के

प्रस्तावित ही मई 1959 में बकिंग कंट्रोल विभाग का नाम से एक उप विभाग स्थापित किया है जो देश में बकिंग व सावक विकास की धार ध्यान देता है। पूर्वोक्त पाकिस्तान (वर्तमान में बंगला देश) में छात्र छापागणियाँ व उद्योगपतियों की सुविधा के लिये एक उप विभाग न ही वहाँ स्थापित करने का स्थापना की। बकिंग की प्रस्तावित विकास के लिये एक बकिंग प्रसार-बोर्ड का स्थापना भी की गई है।

6 विनिमय नियंत्रण विभाग (Exchange Control Department)

पाकिस्ताना वरसा के बाह्य मूल्य का बनाए रखने एवं विनिमय-बाप का प्रबंध करने का उत्तरदायित्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दिया गया है। स्टेट बैंक यह कार्य विदेशी विनिमय एक्ट 1947 के अन्तर्गत करता है। इस कार्य का करने के लिये स्टेट बैंक ने विनिमय नियंत्रण विभाग स्थापित किया है। बैंक व विदेशी विनिमय रखने वाले अधिकृत व्यापारियों व माध्यम से ही विदेशी विनिमय के व्यवहार किये जा सकते हैं। ये व्यवहार निर्धारित दरों पर ही किये जाते हैं और स्टेट बैंक निर्देशों व अधीन ही करने पड़ते हैं।

यह तीन विदेशी विनिमय के अधिकृत व्यापारियों द्वारा भेजे जाने वाले सामयिक विवरणों (Periodical Returns) एवं उनसे प्राप्त अन्य सूचनाओं के द्वारा उनके कार्यों का निरीक्षण करता है। आरम्भ में विनिमय नियंत्रण विभाग कबल कराची लाहौर और ढाका में ही कार्य करता था। प्रत्येक विनिमय नियंत्रण विभाग का कार्य क्षेत्र निश्चित कर दिया गया है जोस कराची व विनिमय नियंत्रण विभाग का कार्य क्षेत्र कराची हदरावाद और खरपुर क्षेत्र है लाहौर व विभाग का कार्य क्षेत्र मुल्तान भावलपुर और रावलपिंडी क्षेत्र है पेशावर व विभाग का कार्य क्षेत्र पेशावर और डरा हस्मान्त क्षेत्र है।

बंगला-देश में पाकिस्तानी शासकों के सनिका द्वारा अत्याचार व दमन के कारण एक फिर भारत से युद्ध छद्मन के फलस्वरूप पाकिस्तान के विदेशी विनिमय का कोष लगभग समाप्त हो गया।

7 कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department)

यद्यपि कृषि साख का महत्व बहुत अधिक है किन्तु आरम्भ में स्टेट बैंक में पूराकाय कृषि-साख विभाग स्थापित नहीं किया जा सका। इसका प्रमुख कारण था योग्य कर्मचारियों का अभाव। अतः कृषि-साख का कार्य विनिमय नियंत्रण विभाग को सौंपा गया और बाद में अनुसंधान विभाग का स्थानांतरित कर दिया गया। सन् 1953 में कृषि साख विभाग अलग स्थापित कर दिया गया।

सन् 1957 तक यह विभाग मुख्यतः कृषि माल के अनुसंधान कार्य में लगा रहा और एक सम्बंध में प्रस्तावित नीतियों पर विचार करता रहा। सन् 1957 से यह वास्तविक कार्य करने लगा। कृषि क्षेत्र में सावक की सुविधाएँ देना एक

विभाग का प्रमुख कार्य है। स्टेट बैंक कृषि को साख प्रत्यक्षरूप से प्रदान नहीं करती है बल्कि कृषि से सम्बन्धित अन्य एजेंसियाँ के माध्यम जैसे कृषि विकास बैंक और सहकारी बैंकों के माध्यम से साख प्रदान करता है। स्टेट बैंक इन एजेंसियों को परामर्श भी देता है। यह विभाग एक त्रमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी करता है। इस पत्रिका का नाम क्रेडिट, कूरन एण्ड कोन्सर्वाटिव है।

४ सांख्यिकी विभाग

(Department of Statistics)

स्टेट बैंक में एक सांख्यिकी विभाग भी है जिसकी स्थापना सन् 1949 में की गई थी। यह विभाग निम्नलिखित प्रमुख कार्य करता है—

- (i) विनिमय खाता को रखना,
 - (ii) पाकिस्तान के भुगतान शेष (Balance of Payments) के आकड़े एकत्रित करना,
 - (iii) पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक स्थिति पान करने के लिए सर्वे करना
 - (iv) बैंक तथा अन्य निगमों से सम्बन्धित आकड़े एकत्रित करना,
 - (v) अन्य वित्तीय आकड़े एकत्रित करना व उनका प्रकाशन करना,
 - (vi) स्टेट बैंक के मासिक बुलेटिन में आकड़ों का प्रकाशन,
 - (vii) 'डीकिंग स्टैटिस्टिकल इन पाकिस्तान' पत्रिका का प्रकाशन।
- इस विभाग में अधिकांश कार्य मशीना द्वारा होता है।

५ अनुसंधान विभाग

(Research Department)

इस विभाग की स्थापना सन् 1951 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के फर्नल रिजर्व सिस्टम के एक विशेषज्ञ की सेवाएँ इस विभाग के विकास के लिए प्राप्त की गई थीं। इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बैंक का आर्थिक-सलाहकार (Economic Adviser to the Bank) है। इस विभाग के अधिकारी ऐसी सभाओं (meetings) में बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आर्थिक महत्व के हैं जहाँ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक व अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सभाएँ।

इस विभाग का मुख्य कार्य है स्टेट बैंक और पाकिस्तान को वित्तीय एवं साख सम्बन्धी नीतियों के निर्धारण में सहायता करना है। यह विभाग सरकार को आर्थिक एवं वित्तीय मामलों पर परामर्श देता है। कार्य-क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि में इस विभाग में अनेक उप-विभाग स्थापित कर लिये गए हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

- (i) वित्तीय विभाग, (ii) बैंकिंग विभाग (iii) विज्ञान, नियोजन विभाग, (iv) साख वित्त विभाग, (v) इस्लामिक विभाग, (vi) भुगतान शेष,

विश्वी विविध एव बजट विभाग (vii) असाधारित नाति गट (GATT) स्तुतिग धात्र अध्याय विभाग (viii) सामान्य आधिक विभाग (ix) अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान्य सम्पादा विश्वी सहायता, विश्वी अणु एव विविध निपत्रण नाति विभाग ।

इस विभाग का एक पुस्तकालय भी है जिसमें 50 हजार से भी अधिक पुस्तक हैं । इसमें 200 से भी अधिक तज्ज्ञान जनक मान हैं ।

10 इंजीनियरिंग विभाग

(Engineering Department)

इस विभाग का प्रमुख कार्य बस का कार्यालय का नियम भवन निर्माण करना व समकारिया का लिय मजदूर आदि का निर्माण करना है ।



स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का केन्द्रीय बैंक है। यह बैंक भी अग्रणी बैंक की भांति अनेक कार्य सम्पन्न करता है जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1 नोट निर्गमन का कार्य

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उस देश में नोट निर्गमन का एकाधिकार है। जुलाई 1, 1948 का जब यह बैंक अस्तित्व में आया तो इसके सम्मुख दो कार्य थे— प्रथम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित नोटों का चलन में से वापिस लाना और उनका स्थान पर नया पाकिस्तानी नोटों का निर्गमन करना। स्टेट बैंक को एक प्रशासनिक अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान में बटा मात्रा में नोट-निर्गमन कर दिया जिसमें उसकी अग्र-व्यवस्था सराव हान गयी। रिजर्व बैंक ने जो नोट निर्गमन किया वह उन पर अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उद्गम 'इंफ्लेमेट-ए-पाकिस्तान' मुद्रित था।

जब स्टेट बैंक ने रिजर्व बैंक में 1 जुलाई 1948 का करमा का चाज लिया तो उस समय स्टेट बैंक ने रिजर्व बैंक के नोटों को एक वर्ष और प्रचलन में रखने का विचार किया और 1 जुलाई 1949 से अपने नये नोट चलन में लाने की योजना बनाई। दो कारणों से स्टेट बैंक ने इस तिथि से पूर्व ही अपने नोट चलन में लाने का निश्चय किया। प्रथम 'पाकिस्तान (मौद्रिक प्रणाली और रिजर्व बैंक) अध्यादेश 1947' जमा कि सन् 1948 में सहायन किया गया कि अनुसार 30 जून 1948 का जितने नोटों पर पाकिस्तान सरकार छपा था रिजर्व बैंक की संपत्ति (assets) में सन्तुलन मूल्य की संपत्ति पाकिस्तान को देने का प्रावधान था। इसके अनिश्चित 1 जुलाई 1948 और 30 जून 1949 के मध्य 2 रुपये के अधिक अधिक मूल्य के भारतीय नोटों जो पाकिस्तान में चलन में थे, उन मूल्य की रिजर्व बैंक की संपत्ति में से संपत्ति पाकिस्तान को देने का व्यवस्था थी। अतः पाकिस्तान ने अपने शक्ति का मजबूत करने के लिये यह निश्चय किया कि ऐसे समस्त नोटों का अति शीघ्र चलन में से निकाल लिया जाय और उनके स्थान पर नये पाकिस्तानी नोटों का चलन में लाया जाय। दूसरा कारण यह था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नोटों का जो स्टॉक पाकिस्तान को प्राप्त हुआ था वह उस देश की मौद्रिक आवश्यकताओं का पूरा करने में असमर्थ प्रतीत हो रहा था।

अन पाकिस्तानी नोट सवप्रथम अक्टूबर 1948 म निगमित किय गय । ये नोट Rs 5, Rs 10 और Rs 100 के अकित-मूल्य के थे । 1 माच 1949 से से Rs 2 के अकित मूल्य के नोट भी निगमित किय गय । य समन नोट स्टेट-बक आफ पाकिस्तान द्वारा निगमित किय गय । नम ही तिथि अर्थात् 1 माच 1949 से पाकिस्तान की सरकार न एक एक रुपय के नाट निर्गमित । किय 1 माच 1950 से Rs 2 के नोटा का चलन बढ कर दिया गया ।

पाकिस्तान म भारतम नोटा को प्रचलन म बाहर करने म 15 महीन का समय लगा । यह वाय दो चरणो म किया जा रहा था—प्रथम, भारतीय नाटा को विभिन्न खजाना के बको म एकत्रित किया जाता था, द्वितीय फिर उन नाटा को भारत भेजने के लिय कराचा भेजा जाता था । 1 जुलाई 1948 और 30 जून 1949 के मध्य कुल 176 59 करोड रुपय के नाट चलन म स एकत्रित किय जिह रिजर्व बक आफ इंडिया के पास भेजना था । इनम से 125 02 करोड रुपय के रिजर्व बक के नाट थे और शेष Rs 51 57 करोड के ऐसे नोट थे जिनका निर्गमन तो रिजर्व बक न किया था किंतु उन पर पाकिस्तान-सरकार मुद्रित था । अत रिजर्व बक के निर्गमन-विभाग की संपत्ति (assets) पर पाकिस्तान का 176 59 करोड रुपय का दावा था ।

स्टेट बक आफ पाकिस्तान ने 23 माच 1949 तक भारत स 127 67 करोड रुपय के मूल्य की संपत्ति प्राप्त करली । इसक बाद रिजर्व बक आफ इंडिया न पाकिस्तान को इस मद म कोई राशि अथवा संपत्ति हस्तातरित नही की और रिजर्व बक ने कह दिया कि अथ पाकिस्तान का कोई दावा चुवाना शेष नही है । और अधिक हस्तातरण का रोकने का कारण रिजर्व बक न यह बतलाया कि रिजर्व बक का जो नोट दिये गय थे उनम से कुछ नोट ऐसे थे जिनका निर्गमन 30 जून 1948 के पश्चात् किया गया था और पाकिस्तान उनके लिय कोई दावा (Claim) नही कर सकता था । पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार नही किया और कहा समझीते के अतगत एक देश से दूसर देश म नोटो के हस्तातरणो पर कोई प्रतिबध नही था । इस संबध म पाकिस्तान ने काफी बान चीत की किन्तु भारत ने उस स्वीकार नही किया ।

नोट निगमन के संबध मे बधानिक प्रावधान—स्टेट बक आफ पाकिस्तान मे, भारत के रिजर्व बक आफ इंडिया की भाति दो विभाग हैं—निर्गमन विभाग और बकिग विभाग । जनता को बक-नोटा का वास्तविक निर्गमन बक के बकिग विभाग के द्वारा होता है । इस ही प्रकार चलन म से नोट बकिग विभाग के द्वारा ही वापिस लिये जात है ।

निर्गमन-विभाग नोटो का निर्गमन अथवा नाटो का वापसी अथ नाटा के बदले अथवा एकट्टा द्वारा अविद्वृत सिवरा साना-चादी अथवा स्वीकृत प्रतिभूतियो के बन्ने करता है । दूसर शब्दा म यदि बकिग-विभाग को जनता म और नोटो का प्रचलन करना है तो बकिग-विभाग नोटो की माग निर्गमन विभाग स करेगा ।

निगमन विभाग उतने मूल्य के पुराने नोट अथवा सिक्के अथवा प्रतिभूतिया वकिंग-विभाग से लेकर नोट दगा। इस प्रणाली से निर्गमन-विभाग के पास पर्याप्त मपति रहनी है। इस बात का प्रावधान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 का धारा 30 में किया गया है जिसके अनुसार—

निगमन विभाग की संपत्तिया (assets) किसी भी समय इसकी कुल देनदारियों (total liabilities) अर्थात् कुल निगमित नोटों के मूल्य से कम नहीं होनी चाहिये।”

निर्गमन-विभाग की कुल संपत्ति (assets) का कम से कम 30 प्रतिशत भाग सोने के सिक्के चादी एवं मायता प्राप्त विदेशी विनिमय के रूप में होना आवश्यक है, और शेष भाग रुपये के सिक्के, रुपया-प्रतिभूतिया एवं स्टेट बैंक द्वारा नये किये जा सकने योग्य एस प्रतिभा पत्र तथा विनिमय पत्र (P/N and B/E) का पाकिस्तान में नये हा के रूप में रखे जा सकते हैं। व्यवहार में अभी तक प्रतिभा-पत्र अथवा विनिमय-पत्र निर्गमन-विभाग की संपत्ति में शामिल नहीं किये गये हैं।

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 की धारा 31 में निगमन-विभाग में रखी जाने वाली संपत्ति के सबब में कुछ छूट देने की व्यवस्था कर दी गई है। सबट-बाल में यह आवश्यक नहीं है कि निर्गमित दिये जाने वाले नोटों के पीछे 30 प्रतिशत साना सान के सिक्के चाँदी आदि हों।

करसी निगमन की प्रशासनिक व्यवस्था—जनता एवं सरकार की कर्मा की मांग व आवश्यकता की पूर्ति करने का दायित्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। निगमन विभाग द्वारा नाट वकिंग-विभाग को दिये जाते हैं। इसका अनिच्छित निर्गमन-विभाग का एक कार्य यह भी है कि वह जनता की मांग पर वकना के बदले सिक्के व अथवा सिक्का के बदले [नोट दे।

यह उल्लेखनीय है कि एक रुपये के सिक्के व एक रुपये के नाट और छोटे सिक्के इस धक को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किये जाते हैं। इनका निमाण स्टेट बैंक नहीं करता। इस कार्य के लिये कराची लाहौर, पशावर और ढाका में निगमन के कार्यालय हैं और नशनन बैंक ऑफ पाकिस्तान की शाखाओं पर तथा जहाँ इनकी शाखाएँ नहीं हैं वहाँ सरकारी खजाना व उप-खजाना में करसी-बेस्ट (Currency chests) रखे हुए हैं।

प्रत्येक निगमन का कार्यालय एक करसी-ऑफिसर व अधीन रहता है जिसका कर्तव्य होता है कि वह नोटों व सिक्कों के विनिमय की पर्याप्त सुविधाएँ जनता को दे।

प्रायः दखा गया है कि पाकिस्तान में करसी की मांग में मोममी परिवर्तन हुआ करता है। प्रायः अगस्त में माघ तक व्यस्त-मौसम होता है अतः इस काल में मुद्रा व चलन की मांग में वृद्धि होती है। दूसरी ओर प्रायः अप्रैल में जुलाई तक मध्य मौसम रहता है और मुद्रा व चलन की मांग उन्नी अल्प नहीं रहती।

2 सरकार के बचकर के रूप में

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान केन्द्रीय बैंक होने के कारण सरकार के बचकर के रूप में भी कार्य करता है। स्टेट बैंक अपनी स्थापना के समय से ही केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बचकर के रूप में कार्य करता आ रहा है। यह सरकार की ओर से निम्न स्वीकार करता है तथा ऐसे बैंकों व डाफ्टों को जो दूसरे बैंकों पर लिख गये हैं एकत्रित करने के लिए स्वीकार करता है।

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 की धारा 2 में इस संबंध में प्रावधान दिये गये हैं। इस धारा के अनुसार केन्द्रीय एवं प्रांतीय सरकारें पाकिस्तान में अपनी सब राशि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराती हैं। राशि का हस्तांतरण एवं विनिमय का कार्य इस बैंक के माध्यम से कराती हैं और अपने वैकिंग व्यवहार इस ही बैंक के माध्यम से करती हैं।

केन्द्रीय एवं प्रांतीय सरकारें अपने समस्त निक्षेप स्टेट बैंक में ही रखती हैं। स्टेट बैंक इन सरकारों द्वारा निक्षेप कराई गई राशि पर ब्याज नहीं देता है। दूसरे शब्दों में स्टेट बैंक के पास सरकार की राशि ब्याज-मुक्त रहती है। भारत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सरकारी-राशि बिना ब्याज के रहती है।

जिन स्थानों पर स्टेट बैंक की शाखाएँ हैं वहाँ पर वह केन्द्रीय व प्रांतीय सरकारों के बचकर के रूप में कार्य करता है। स्टेट बैंक ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को अपने एजेंट के रूप में नियुक्त कर रखा है। जिन स्थानों पर बैंक ऑफ पाकिस्तान का कार्यालय नहीं है किंतु नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की शाखा है वहाँ पर यह शाखा स्टेट बैंक के एजेंट के रूप में सरकार के मौद्रिक कार्य करती है।

यह उल्लेखनीय है कि सरकार के मौद्रिक कार्य करने के लिये स्टेट बैंक कोई कमीशन अथवा मौद्रिक-पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता है और समस्त कार्य निशुल्क करता है। किंतु सावजनिक-ऋण (Public Debt) का प्रबंध करने के लिये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कमीशन प्राप्त करता है। यह ध्यान रहे कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि स्टेट बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है सरकारी कार्य निशुल्क नहीं करता है। इसके लिये उस स्टेट बैंक कमीशन देता है, सरकार नहीं देती है।

सकटबाल में केन्द्रीय सरकार व प्रांतीय सरकारें स्टेट बैंक से अग्रिम (advances) प्राप्त में निश्चित की गई शर्तों पर प्राप्त करती हैं।

स्टेट बैंक विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से राशि प्राप्त करता है और उनकी ओर से भुगतान करता है। इन व्यवहारों को करने के कारण स्टेट बैंक का कार्य बहुत बढ़ गया है और बैंक को इन्हें करने में काफी व्यय भोगना पड़ता है। सरकारी व्यवहारों का अधिभोग के कारण स्टेट बैंक के प्रत्येक कार्यालय में एक अलग विभाग—पब्लिक अकाउंट्स डिपार्टमेंट—स्थापित कर दिया गया है। यह विभाग बैंक के व्यवहारों को ही करता है। सरकारी-व्यवहार के द्वारा

सर्व्वार ट्रेजरी स्टॉक और प्रांतीय सरकारों व ट्रेजरी स्टॉक के अर्धविक्रय के लिए जाते हैं।

सांख्यिकीय ऋण एवं ट्रेजरी बिल—पाकिस्तान में सांख्यिकीय ऋण का प्राथमिक स्तर बढ़ रहा है और सरकारी ऋण का निर्माण बढ़ रहा है। स्टेट बैंक के सांख्यिकीय विभाग के द्वारा सरकारी ऋण, स्टॉक-प्रमाण पत्र एवं प्रतिना पत्रों के रूप में निर्मित किये जाते हैं। स्टेट बैंक के माध्यम से ही प्रांतीय सरकारें ऋणों का निर्माण करती हैं।

सरकारी ट्रेजरी बिलों का निर्माण स्टेट बैंक द्वारा पाकिस्तान करता है। ये ट्रेजरी बिल 3 माह की अवधि के होते हैं और 15 दिन के अंतर से निर्मित किये जाते हैं। ये ट्रेजरी बिल 25 हजार रुपये अथवा उसकी तुल्य राशि के निर्मित किये जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रति मंगलवार को टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं और सफर टेंडर देने वाले को तीसरे दिन अर्थात् शुक्रवार को खरीद जान वाले ट्रेजरी बिलों की राशि का भुगतान करके ये बिल लेने पड़ते हैं। यदि निर्मित किये गए ट्रेजरी बिलों की राशि से अधिक का टेंडर प्राप्त हो जाते हैं तो उनका अनुपातिक वितरण कर दिया जाता है।

इन ट्रेजरी बिलों का भुगतान केवल उनकी परिपक्वता (maturity) पर ही किया जाता है उससे पूर्व नहीं। इनका भुगतान स्टेट बैंक के उस कार्यालय अथवा शाखा पर किया जाता है जहाँ से वे निर्मित किये गये थे।

इन बिलों के निर्माण से सरकार को अल्पकालीन वित्त प्राप्त हो जाता है और मुद्रा बाजार की अतिरिक्त राशि का उपयोग हो जाता है। ट्रेजरी बिलों का निर्माण मृदुलत सुस्त मौसम (slack season) में किया जाता है। यस्त मौसम में प्रायः इन बिलों का निर्माण नहीं किया जाता है।

3 बैंकों के प्रकार के रूप में

स्टेट बैंक अपने देश के बैंकों के रूप में कार्य करता है। देश में स्वस्थ बैंकिंग विकास के लिये केन्द्रीय बैंक का यह कार्य आवश्यक है। भारत की भाँति पाकिस्तान में भी सूचीबद्ध बैंक और गैर-सूचीबद्ध बैंक (Scheduled banks and Non scheduled banks) हैं।

सूचीबद्ध बैंक—स्टेट बैंक और पाकिस्तान एक्ट 1956 की धारा 37 में प्रावधान किया गया है जिनको पूरा करने पर बैंक का सूचीबद्ध बैंक घोषित कर दिया जाता है। ये प्रावधान निम्नलिखित हैं—

(1) यह एक बैंकिंग कम्पनी अथवा सहकारी बैंक अथवा निगम अथवा कम्पनी होना चाहिए। जो पाकिस्तान के अथवा पाकिस्तान के बाहर किसी कानून से अलग स्थापित हो। इसका उद्देश्य यह है कि विदेशी बैंकों को भी सूचीबद्ध बैंक की श्रेणी में लिया जा सके। इस प्रावधान से प्रभाव से लगभग 10 भारतीय बैंक और 8 विदेशी बैंक पाकिस्तान में सूचीबद्ध हो चुके हैं।

(2) इसकी प्रदत्त पूंजी और रिजर्व कोष मिलाकर कम से कम 5 लाख रुपये होना चाहिए। यह न्यूनतम सीमा है। किन्तु सहकारी-बैंक को इस न्यूनतम सीमा में छूट दी जा सकती है।

(3) इसकी स्टेट बैंक को सन्तुष्ट करना होता है। यह इस प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है जिससे निक्षेपकर्त्ताओं के हितों को हानि पहुँचे।

(4) यदि बाद में कोई बैंक इन शर्तों को पूरा नहीं करता है अथवा उसकी प्रदत्त-पूंजी तथा रिजर्व कोष 5 लाख रुपये से कम हो जाती है अथवा उस बैंकिंग कम्पनी का समापन हो जाता है अथवा बैंकिंग का कार्य करना बंद कर देती है तो उस सूची में से हटा लिया जाता है।

यदि उपरोक्त शर्तों को पूरा कर दिया जाता है तो उस बैंक को सूचीबद्ध कर दिया जाता है और इसकी घोषणा राजपत्र में कर दी जाती है। स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान अपने सभी कार्यालयों में सूचीबद्ध बैंकों की एक पूरा सूची रखता है। स्टेट बैंक इन सूचीबद्ध बैंकों को अनेक सुविधाएँ प्रदान करता है।

आग एंड एक्ट की धारा 36 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध बैंक के लिये अनिवार्य है वह अपने समय-दायित्व (time liability) का कम से कम 2 प्रतिशत भाग और मांग दायित्व (demand liability) का कम से कम 5 प्रतिशत भाग स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान के पास न्यूनतम जमा के पास रखे। यदि कोई सूचीबद्ध ऐसा नहीं करता है तो उसे आर्थिक दंड देना होता है। प्रत्येक सूचीबद्ध बैंक को निर्धारित कार्य पर साप्ताहिक विवरण देना होता है। इस काम में गुरुवार का व्यापारिक-समय समाप्त होने के समय बैंक की स्थिति बतलाना पड़ता है। इन फार्मों को प्राप्त करने के पश्चात् स्टेट बैंक सूचनाओं को एकत्रित करता है और एक्ट की धारा 39 के अनुसार साप्ताहिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

नये बैंक अथवा गणनाओं के संवर्धन—भागत में किमी नये बैंक की स्थापना अथवा कोई विद्यमान बैंक जिना रिजर्व बैंक आफ इन्डिया की पूर्ण अनुमति के बिना गणना स्थापित नहीं कर सकता। इस ही प्रकार का प्रावधान पाकिस्तान

विनियोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की नीति अपनाई गई प्रतीत होती है। अतः यह प्रावधान किया गया है कि बंदरगाह के नगर तथा आंतरिक ऐस बड़े नगरों में, जहाँ विदेशों के साथ बड़ी मात्रा में व्यापार होता है विदेशी-बैंकों की शाखाएँ स्थापित करने के लिये आवेदन पत्रों पर विचार किया जायगा।

स्टेट बैंक के अधिकार— बैंकिंग कम्पनीज (कंट्रोल) एक्ट 1948 तथा अन्य अधिनियमों में स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान का देश के बैंकों पर नियंत्रण रखने के लिए अनेक अधिकार दिये हैं जिनमें से प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं—

(1) स्टेट बैंक अन्य बैंकों का यह निरीक्षण कर सकता है कि किन उद्देश्यों के लिये ऋण व अग्रिम दिये जा सकते हैं और किन के लिये नहीं।

(2) सुरक्षित अग्रिमों (secured advances) पर कितना मार्जिन रखा जाव।

(3) समस्त बैंकों को प्रतिमाह स्टेट बैंक को एक निर्धारित फॉर्म पर यह सूचना देनी होती है कि ऐसी कम्पनियों को कितनी मात्रा में अमुरक्षित ऋण दिये गये हैं जिनमें उस बैंक का अथवा उस बैंक के संचालकों का हित है।

(4) प्रत्येक बैंक को अपने पास उसके कुल भाग दायित्व व समय दायित्व के 20 प्रतिशत मूल्य में अथवा स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में रखना आवश्यक है। यह प्रावधान धारा 8 में किया गया है।

(5) समस्त विदेशी बैंकों को अपने कुल भाग-दायित्व व समय दायित्व का कम से कम 85 प्रतिशत भाग पाकिस्तान में ही रखना होगा। धारा 9 के अनुसार अब यह प्रतिशत 80 कर दिया गया है।

(6) एक्ट की धारा 11 में स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान को यह अधिकार दिया है कि यह किसी भी बैंक को उसके व्यापार के सबंध में निरीक्षण कर सकता है जिसका पालन उस बैंक को करना होगा। साथ ही इस बैंक को यह अधिकार भी है कि वह किसी भी बैंक से उनके सबंध में कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है।

(7) स्टेट बैंक किसी बैंक अथवा बैंकों के आवेदन पर उनके एकीकरण की व्यवस्था कर सकता है। बिना स्टेट बैंक की अनुमति के दो अथवा अधिक बैंकों का एकीकरण नहीं हो सकता है।

(8) बैंकिंग कम्पनीज (नियंत्रण) एक्ट 1958 की धारा 14 B में यह नया प्रावधान कर लिया है कि किसी भी बैंक के समापन के आवेदन पत्र पर विचार करने का तब तक अधिकार नहीं है जब तक कि उस आवेदन-पत्र के साथ स्टेट बैंक का एक लिखित प्रमाण पत्र संलग्न न हो कि स्टेट बैंक को एतराज नहीं है कि न्यायालय उस आवेदन-पत्र पर विचार करे।

(9) स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को यह अधिकार है कि वह किसी भी बैंक

वा निरीगण कर गकता है और धरि धावरपर गमभे ता धनी निरीगण की रिपाट बगाम सरकार वा भग गकता है । इग रिपाट क धाधार पर धरि बगाम सरकार गमभनी है कि और धवा जमारताधा क रिा क विरुड काम कर रग है ता कनीय सरकार उग और वा निगण नन ग रना कर गकता है और स्ट और वा उग और वा गाम सूना (schedule) म गह्यान क निय गह गकता है ।

(10) और वा निरीगण करत क गकता धरि स्ट और धावरपर गमभे तो उस और क अधिधारिया और गानरवा का एष धरिग युवा गकता है और उा भोरिग म उग और क प्राय म धावरपर परिवहन जमा रि स्ट और उचित समभे करन क निय गह सरता है ।

सूचीबद्ध धकों को मुविधाएँ—स्ट बक धार पाकिस्तान द्वारा औरा को बुद्ध मुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं जिनम स प्रभुग निम्नलिखित हैं—

(1) स्टेट और धार पाकिस्तान दग के धाय औरा क विग धरिध ऋणदाता के रूप म पाय करता है ।

(2) स्टेट और किसी भी और धयवा निगम जो दग के उद्योग धधा धयवा वृधि को प्रोत्साहन द क धशा व ऋण पत्रा वा गरीद सकता है धयवा अध गकता है धयवा धपने पास रख (hold) सकता है ।

(3) वास्तविग व्यापारिक व्यवहारा म उत्तम विनिमय पत्रा और प्रतिधा पत्रा, जो 90 दिन क भीतर परिपक्व हा को स्टेट और प्रय धयवा विक्रय कर सकता है धयवा उनकी पुनकटीती कर सकता है । इन पर दा अरुद्धे हस्ताक्षर होन चाहिये जिनमे से एक हस्ताक्षर किसी सूचीबद्ध और के होने चाहिये ।

यदि उपरान्त बिल भौसमी वृधि कायों धयवा फसलो क विपणन क वित्त-प्रदाध के लिये लिखे गय है तो उनकी परिपक्वता की अधधि 15 महीने तक हो सकती है ।

(4) सूचीबद्ध औरा को स्वण, चादी धयवा माल के अधिधार पत्रा धयवा विनिमय विपत्रा के विरुद्ध अधिक स अधिक 90 दिना क लिय ऋण क अधिम र्थिये जा सकत हैं ।

(5) स्टेट बक, एसी प्रतिभूतिया के विरुद्ध जिहें गह उचित समभे सूची बद्ध बको को ऋण धयवा अधिम दे सकता है ।

(6) देश के वृधि धयवा औद्योगिक विकास के उद्देश्य से गह बक किसी सहकारी बक को, जिस सीमा तक तथा जिन शर्तों पर उचित समभे ऋण दे सकता है ।

(7) देश क वृधि धयवा औद्योगिक विकास, धयवा वृधि उत्पादन धयवा पशु उत्पादन के उद्देश्य स स्टेट बक किसी भी सूचीबद्ध-बक को धयवा निगम का अधिक स अधिक 5 वर्षों के लिय ऋण दे सकता है ।

(8) स्टेट बैंक ने सन् 1952 से बिल कटौती योजना चालू की है जिसके अंतर्गत व्यापारी 90 दिना तक की परिपक्वता के विनिमय पत्रों की कटौती सूचीबद्ध होने से करवा सतत हैं और वह सूचीबद्ध बैंक यदि आवश्यक समझे तो इन त्रिलो की स्टेट बैंक में पुनकटौती करवा सकता है। इस योजना को प्रासाहन देने के लिये स्टेट बैंक एम त्रिला की बैंक दर में $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम दर से पुनकटौती करता है तथा अर्ध विनिमय पत्रों का आधा स्टाम्प कर स्वयं देता है।

(9) स्टेट बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंको सरकार एवं जनता को मुद्रा के स्थानांतरण की सुविधाएं प्रदान करता है। ये सुविधाएं तार द्वारा हस्तांतरण (T T) अथवा डाक द्वारा हस्तांतरण अथवा बैंक डाफ्ट के द्वारा प्रदान की जाती हैं। इस कार्य के लिये स्टेट बैंक प्रायः माधारण शुल्क लेता है।

(10) स्टेट बैंक समाशोधन गृहों (clearing houses) की व्यवस्था भी करता है।

गर-सूचीबद्ध बैंक—(i) इन बैंकों को स्टेट बैंक के पास द्युततम नकद राशि रखनी आवश्यक नहीं है।

(ii) कुछ गर-सूचीबद्ध बैंकों को अपने खाते (accounts) स्टेट बैंक में रखने की अनुमति दे दी जाती है यदि वे कुछ शर्तों का पालन करें।

(iii) ऐसे बैंक मुद्रा के स्थानांतरण की सुविधाएं भी रियायती दर पर प्राप्त कर सकते हैं।

(iv) ये बैंक समाशोधन गृह के उप सदस्य बन सकते हैं।

4 विनिमय-नियंत्रण का कार्य

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक प्रमुख कार्य यह भी है कि वह देश की मुद्रा का बाह्य मूल बनाय रखे। यह कार्य विनिमय प्रबंध से सम्बन्धित है। विनिमय नियंत्रण का कार्य फौर्न एक्सचेंज रगुलेशन एक्ट 1947 के अधीन किया जाता है। इस साधन में प्रमुख विषयों पर स्टेट बैंक केन्द्रीय सरकार से भी परामर्श करता रहता है।

विदेशी विनिमय के प्रमुख व्ययों का प्रावधान (allocation) समय समय पर सरकार कर देती है। वित्त मन्त्रालय विदेशी विनिमय का बजट बनाती है और इसके अनुसार ही स्टेट बैंक कार्य करता है।

पाकिस्तान सरकार द्वारा निश्चित की गई दरों पर निर्धारित क्षेत्रों पर स्टेट बैंक के द्वारा विदेशी विनिमय का विनियमन करना पता है।

विदेशी विनिमय का सुविधाजनक ढंग से उपलब्ध बनाने के उद्देश्य से स्टेट बैंक ने कुछ बैंकों को अधिकृत विक्रेता (Authorized Dealers) के रूप में लाइसेंस प्रदान किया है। ऐसे अधिकृत विक्रेताओं (अर्थात् बैंकों) को अपने पास

अब स्पष्ट है पाकिस्तान में एक मुख्य वरिष्ठ-व्यवस्था का स्थापित करने में स्पष्ट और सख्त पाकिस्तान सरकार में ही संकट रहा है। पाकिस्तान में जिन बाजार व वित्त के नियम एक वित्त विभाग में ही स्वीकृत की स्पष्ट और न लागू कर दिया है।

पाकिस्तान में वरिष्ठ विकास का भविष्य अनिश्चितता का प्रतीक है रहा है क्योंकि पाकिस्तान में भारत व साथ युद्ध के बाद अपना अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात किया है। इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार व जानि हानि व वहाँ की अर्थव्यवस्था घटतल सी हो रही है। प्रस्तुत अध्याय का विगत समय भारत व भूटान स्वतंत्र बांग्ला गणराज्य का मायता व चुने व और 16 दिसंबर 1971 को द्वापरा में पाकिस्ताना फौजों के समाहर मिया लियाजी हथियार व लकर भारतीय सना के सामने आम समरण कर चुके हैं। स्वतंत्र बांग्ला गणराज्य बन जाने के कारण पाकिस्तान की प्राथिक स्थिति का और अधिक खराब होना निश्चित है।

SELECTED READINGS

BANKING SYSTEM OF THE U S A

There is a wealth of literature on the Banking System of the U S A This selected bibliography provides source of detailed information on selected topics

- 1 Bach, G L Federal Reserve Policy Making
- 2 Beckhart B H Banking Systems
- 3 Board of Governors of the Federal Reserve System
(i) The Federal Reserve System Purposes and Functions
(ii) The Federal Reserve Act as amended upto date
(iii) Reports for different years
- 4 Bopp Earl R Federal Reserve Policy
- 5 Bremer C S American Bank Failures
- 6 Burgess W R The Reserve Banks & The Money Market
- 7 Chandler L V The Economics of Money & Banking
- 8 Day & Beza Money and Income
- 9 Davis A M The Origin of the National Banking System
- 10 Dunbar C F The Theory and History of Banking
- 11 Englewood N J The Commercial Banking Industry
- 12 Faulkner H U American Economic History
- 13 Fenstermaker The Development of American Commercial Banking
- 14 Fforde J S The Federal Reserve System
- 15 Fousek Peter G Foreign Central Banking
- 16 Halm George N Economics of money and Banking
- 17 Harding N P G The Formative Period of the Federal Reserve System
- 18 Hardy C O Credit Policies of the Fed Res System
- 19 Hammond Bray Banks and Politics in America
- 20 James F Cyril The Economics of Money Credit & Banking
- 21 Kent R P Money and Banking

- 22 Myres M G The Peculiarity of the Commercial Banking System in the United States
- 23 Prochnow H V The Federal Reserve System
- 24 Prochnow H V American Financial Institutions
- 25 Roger, Orsingher Banks of the World
- 26 Roosa R V Fed Res operations
- 27 Rufena Louis Money and Banking in the United States
- 28 Sawyer R A Federal Reserve Banking System
- 29 Sayer R S American Banking System
- 30 Sayer R S Modern Banking
- 31 Sprague, O M W History of Crises under the National Banking System
- 32 Taus E R Central Banking Functions of the US Treasury
- 33 Warbury P M The Federal Reserve System
- 34 White, H Money and Banking
- 35 Willis, H Parker The Federal Reserve System

BANKING SYSTEM OF ENGLAND

- 1 Anderedes A History of the Bank of England
- 2 Baster A S J The International Banks
- 3 Barfoot & Wilkes Universal British Directory
- 4 Beckhart B H Banking System
- 5 British Information Service The British Banking System
- 6 Crick & Wadsworth A Hundred Years of Joint Stock Banking
- 7 Clapman J The Bank of England 2 Vols
- 8 Chapman, J H An Economic History of Modern Banking
- 9 Crowther, G An outline of Money
- 10 Dacey W M British Banking Mechanism
- 11 Hilton Price Handbook of London Bankers
- 12 Institute of Bankers The Bank of England
- 13 McLeod H D Theory and Practice of Banking
- 14 Roger Orsingher Banks of the World
- 15 Richards, R D The Early History of Banking in India
- 16 Sayers R S Central Banking After Bagehot
- 17 Sayers R S Modern Banking
- 18 Thackstone H H Current Financial Problems
- 19 Truptil R J British Banks
- 20 Tyser G The Work of an Issuing House

BANKING SYSTEM OF JAPAN

- 1 Bank of Japan The Bank of Japan—its Organisation and Monetary Policies
- 2 Bank of Japan The Bank of Japan—its Functions and Organization
- 3 Bank of Japan Money & Banking in Japan
- 4 Bank of Japan The Bank of Japan Law
- 5 Bank of Japan Japanese Financial System
- 6 Beckhart, B H Banking Systems
- 7 Bratter M H Japanese Banking
- 8 Otsuki, T The Banking System of Japan
- 9 Roger Orsingher Banks of the World
- 10 Sarasas P Money and Banking in Japan

BANKING SYSTEM OF WEST GERMANY

- 1 Adler H The Post war Reorganisation of the German Banking System
- 2 Bank Verlag GMBH The Banking System of the Fed Republic of Germany
- 3 Beckhart B H Banking Systems
- 4 Federal Asso of Private Banks The Banking System of the Fed Rep of Germany
- 5 Lanner J Changes in the structure of the German Banking System
- 6 Sayers R S Banking in Western Europe

BANKING SYSTEM OF AUSTRALIA

- 1 Arndt H W The Australian Trading Banks
- 2 Beckhart B H Banking System
- 3 Faulkner The Commonwealth Bank of Australia
- 4 Gifford & Wood Australian Banking
- 5 Teare H E History Theory and Practice of Australian Banking

BANKING SYSTEM OF PAKISTAN

- 1 The State Bank of Pakistan—Its Growth Functions and Organisation
- 2 The State Bank of Pakistan Bulletins
- 3 The Report of the Central Board of Directors
- 4 Selected Papers on Pakistan Economy
- 5 Pakistan Economy—A Perspective
- 6 Pakistan—Basic Facts
- 7 Special Issue of Herald Tribune Dt-18 11 1962 New York—Pakistan—Moving Forward



